लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 6 oct 2008

(खण्ड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त सम्पादक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त सम्पादक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 15, बुधवार, 5 दिसम्बर, 2007/14 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281, 283 से 285, 287 और 288	1-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 282, 286 और 289 से 300	40-64
अतारांकित प्रश्न संख्या 2670 से 2884	64-344
सभा पटल पर रखे गए पत्र	345-371
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तैंतीसवां प्रतिवेदन	371
प्राक्कलन समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	371
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	371-372
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन	372
याचिका समिति	
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन	372
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
दो सौ एक से दो सौ पांचवां प्रतिवेदन	373
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मणि शंकर अय्यर	373-374
(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जी. के. वासन	374-376
(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	376

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री एम.वी. राजशेखरन	377
(पांच) 'आजादी एक्सप्रेस' पर जन प्रतिक्रिया के बारे में वक्तव्य	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	408-414
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	378-408
देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम	378-408
डा. चिन्ता मोहन	
श्री राम विलास पासवान	378-390
श्री अविनाश राय खन्ना	390-391
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	391-392
श्री गिरधारी लाल भार्गव	392-393
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी संकल्प	415
सदस्यों द्वारा निवेदन	
राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व खनिज उत्पादक राज्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता	418-426
श्री अर्जुन सेठी	418
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	420-421
श्री शिवराज वि. पाटील	421-425
नियम 377 के अधीन मामले	426-436
(एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. विट्ठल राव	427
(दो) पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत किसानों को आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
श्री. एन.एस.वी. चित्तन	427-428
(तीन) छत्तीसगढ़ के ''संवरा'' समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री गुहाराम अजगल्ले	428
(चार) कर्नाटक में बेलगाम विमानपत्तन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश अंगड़ि	429
(पांच) देश के सहकारी बैंकों को कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	429-430

विषय		कॉलम
(छह)	उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पंकज चौधरी	430
(सात)	मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मैंगनीज ग्रास्क संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	430–431
(आठ)	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड से अतिरिक्त अमोनिया की खरीद पर इफको द्वारा रियायत/राजसहायता के दावे का निपटान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	431–432
(नौ)	भारत द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की फाइलिंग में वृद्धि हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	डा. बाबू राव मिडियम	432
(दस)	निजी जी एस एम ऑपरेटरों को आबंटित निःशुल्क अधिशेष स्पैक्ट्रम की सी. बी. आई. द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. राम गोपाल यादव	432–433
(ग्यारह)	नेपाल से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाकर उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	433
(बारह)	झारखण्ड में "कनहर सिंचाई परियोजना" का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री घूरन राम	433
(तेरह)	कृषि क्षेत्र के विकास में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती अर्चना नायक	434
(चौदह)	झारखण्ड के संथाल परगना में बैंकिंग सेवाओं की निगरानी और इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हेम लाल मुर्मू	434–435
(पन्द्रह)	विदेशी एयरलाइनों द्वारा कालीकट विमानपत्तन से खाड़ी देशों तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	435
(सोलह)	मिजोरम के लिए चावल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री वनलाल जावमा	435–436
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007		436–438
		478–480
		480–503
		504–512

विषय	कॉलम
विचार करने के लिए प्रस्ताव	437
श्री वसुदेव बर्मन	478-480
श्री सुग्रीव सिंह	480-482
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	482-485
श्री महावीर भगोरा	485-486
श्री गिरिधर गमांग	486-488
श्री रूपचन्द मुर्मू	488-491
श्री धनसिंह रावत	491-492
डा. टोकचोम मैन्या	492-493
श्री वरकला राधाकृष्णन	494-495
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	495-497
श्री तापिर गाव	497-499
श्री एस. के. खारवेनथन	499-500
श्री सानछुमां खुंगुर बैसीमुथियारी	500-502
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	503
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	504-508
खण्ड 2 से 50 और 1	509-511
पारित करने के लिए प्रस्ताव	512
नियम 193 के अधीन चर्चा	438
आन्तरिक सुरक्षा	438
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	438-456
श्री निखिल कुमार चौधरी	456-462
मोहम्मद सलीम	462
कार्य मंत्रणा समिति	480
चवालीसवां प्रतिवेदन	480
आधे घंटे की चर्चा स्वगित करने के बारे में	504
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007	512
विचार करने के लिए प्रस्ताव	512

विषय — कॉलम

श्रीमती मीरा कुमार 513-518

श्री अविनाश राय खन्ना 518-523

श्री एस. के. खारवेनथन 523-525

श्री वरकला राधाकृष्णन 526-529

श्री राम कृपाल यादव 529-532

श्री ए. कृष्णास्वामी 532-535

श्रीमती अर्चना नायक 535-536

श्री प्रबोध पाण्डा 536-538

श्रीमती करूणा शुक्ला 538-540

श्री अधीर चौधरी 540-542

डा. के. एस. मनोज 542-543

श्री शैलेन्द्र कुमार 543-545

श्री मोहन जेना 546-547

डा. सत्यनारायण जटिया 547-551

श्री एम. शिवन्ना 552

श्रीमती सुस्मिता बाउरी 553

श्री हरिभाऊ राठौड़ 554

खण्ड 2 से 31 और 1 556-558

पारित करने के लिए प्रस्ताव 558

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 573

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 574-580

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 581-582

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 581-584

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2007/14 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज हमारे ऊपर थोड़ी कृपा की है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्र. सं. 281. श्री सनत कुमार मंडल। क्या वह आपकी सीट है?

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): जी हाँ।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अवसंरचना क्षेत्र का विकास

***281. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति लागू की जानी है; और

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित तथा प्राप्त किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि में केन्द्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रक द्वारा भौतिक अवसंरचना क्षेत्रकों में कुल, 2,060,193 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कुल निवेश में केन्द्र, राज्यों और निजी क्षेत्रक का हिस्सा क्रमश: 37% 33% और 30% रहने की उम्मीद है।

ग्यारहवीं योजना के लिए अनुमानित क्षेत्रकवार निवेश

(रु. 2006-07 की कीमतों पर रुपए करोड़ में)

क्षेत्रक	(करोड़ रुपए)
विद्युत (अपारम्परिक ऊर्जा सहित)	666,526
सड़क एवं पुल	314,152
संचार	258,439
रेलवे (मेट्रो रेलवे सहित)	261,808
सिंचाई (जल बिंदु सहित)	257,344
जलापूर्ति एवं सफाई	143,730
बंदरगाह	87,995
हवाई अड्डे	30,968
भण्डारण	22,378
गैस	16,855
कुल (रु. करोड़)	2,060,193

(ख) ग्यारहवीं योजना में बुनियादी विकास के लिए भवन निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यनीति, राज्यों की प्रमुख भूमिका दर्शाती है। फिर भी, यह इस बात को भी मान्यता देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में घाटे को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल संसाधन, सार्वजनिक क्षेत्रक की क्षमता से बाहर हैं। अत: समग्र निवेश-जरूरतों की पूर्ति के लिए उचित सार्वजनिक-निजी सहभागिता के रूप में निजी निवेश को आकर्षित करना जरूरी है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की सापेक्ष भूमिका भिन्न-भिन्न रहेगी। कुछ क्षेत्रकों जैसे-सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, बड़ी बंदरगाहों पर कैपिटल ड्रीजिंग और कुछ आर्थिक रूप से या वंचित रहे क्षेत्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश सार्वजनिक क्षेत्रकों से लेना होगा। अन्य क्षेत्रकों जैसे-संचार और बंदरगाह में स्पर्धा और निजी निवेश से क्षमता बढ़ेगी और सेवाओं में गुणवत्ता आएगी।

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का क्षेत्राकवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) विद्युत: दसवीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 21,080 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि हुई। दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक के 1,77,051 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले संभावित व्यय 90,678 करोड़ रुपए है।

(ii) रेलवे: दसवीं योजना में रेलवे के उल्लेखनीय बदलाव आया है। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान प्रारंभिक माल यातायात 624 एम टी के लक्ष्य के मुकाबले 728 एम टी था। इसी प्रकार दसवीं योजना के अंतिम वर्ष का प्रारंभिक यात्री यातायात 5686 मिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 6352 मिलियन यात्री था।

(iii) सड़कें: 10वीं योजना परिव्यय के 59,490 करोड़ रुपये के मुकाबले केन्द्रीय क्षेत्रक का व्यय 48,594 करोड़ रुपये था।

(iv) पत्तन: प्रमुख पत्तनों में 415 एम टी के अनुमानित यातायात के मुकाबले वर्ष 2006-07 में 464 एम टी कार्गो का संचालन किया गया। दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय पत्तन क्षेत्रक का व्यय 5,418 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 2,891 करोड़ रुपये था।

(v) नागर विमानन: दसवीं योजना के दौरान नागर विमानन मंत्रालय का व्यय 12,928 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 7,792 करोड़ रुपये था।

(vi) दूरसंचार: दसवीं योजना अवधि के दौरान, कुल टेलीफोन कनेक्शन जो 31.3.2002 तक 44.97 मिलियन थे, 31.3.2007 तक बढ़कर 205.86 मिलियन हो गए; जिससे मार्च, 2007 तक दसवीं योजना के 9.91% के लक्ष्य प्राप्त करने के मुकाबले 18.31% का दूर घनत्व (टेलीडेनसिटी) हासिल किया गया।

श्री सनत कुमार मंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 500 बिलियन अमेरिकी डालर के व्यापार निवेश की आवश्यकता संबंधी समिति का गठन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा है तो देश में राजमार्गों, रेलवे, पत्तनों, हवाई अड्डों तथा विद्युत के विकास हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अवसंरचना संबंधी समिति ने क्या नीतियां तथा कार्य योजनाएँ बनाई हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद बताया कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। जहाँ तक अवसंरचना संबंधी समिति की अधिकार प्राप्त उपसमिति का प्रश्न है, यह अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित पुनरीक्षा करती है। महोदय, यही कारण है कि यदि आप दसवीं योजना के लक्ष्यों की तुलना ग्यारहवीं योजना के किए गए अनुमानों से करें तो पाएंगें कि काफी प्रगति हुई है।

जहाँ तक ग्यारहवीं पाँचवर्षीय योजना का संबंध है इस माह की 19 तारीख को राष्ट्रीय विकास परिषद बैठक करने तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने जा रही है। जहाँ तक इन आंकड़ों का संबंध है, मुझे राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् कुछ बताने में काफी खुशी होगी।

श्री सनत कुमार मंडल: अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु इतनी बड़ी राशि निवेश करते समय धनराशि में कौन सी कमी की आशा की जाती है? मैं उन कदमों के संबंध में भी विस्तार से जानना चाहूँगा जो योजना अवधि के दौरान अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु धनराशि में कमी को दूर करने के लिए उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास धनराशि होगी।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, ग्यारहवीं योजना के दौरान पर्याप्त सावधानी बरती गई है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश के अलावा हम जानबूझकर निजी क्षेत्र को भार उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम सकल घरेलू उत्पाद की नौ से दस प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अतएव, पर्याप्त धनराशि पर पहले ही विचार किया जा चुका है, तथा यह सुनिश्चित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ जावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़क और पुलों के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसमें खेती के अंतर्गत जो रास्ते आये हैं, क्या उनके लिए आप कुछ निवेश करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, मैं इसका उत्तर देने मैं काफी ज्यादा खुशी का अनुभव करूंगा यदि माननीय सदस्य एक पृथक सूचना दें।

अध्यक्ष महोदय: हाँ, यह सही है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, गत दो लगातार आर्थिक सर्वेक्षणों में अवसंरचना हिस्से में, पटियाला, उत्तर-पूर्व, नवी मुम्बई, कन्नानौर, इत्यादि में हवाई अड्डे का और विकास करने के लिए विचार किया गया था। मैं माननीय मंत्री का ध्यान देश में अवसंरचना विकास में अनावश्यक विलंब की ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कन्नानौर हवाई अड्डे को रक्षा तथा पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। सभी तकनीकी अध्ययनों ने इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह केवल कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रतीक्षारत है। सरकार को इस पर कोई पैसा व्यय नहीं करना है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह वास्तव में इस प्रश्न से संबंधित है?

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, राज्य सरकार इसके लिए 2000 एकड़ भूमि प्रदान कर रही है। निजी निवेशक कोच्चि हवाई अड्डे के माडल पर आधारित इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। मैं कैबिनेट की मंजूरी में विलंब के वास्तविक कारण के बारे में जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, आप इसे श्री प्रफुल पटेल को भेज सकते हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, मुझे इसे उन्हें भेजकर काफी खुशी होगी।

महोदय, प्रधानमंत्री बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: तो क्या हुआ? इस देश में प्रधानमंत्री दिवस मनाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपको जानकारी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंत्री महोदय, कृपया प्रफुल पटेल से अनुरोध करें कि उन्हें जानकारी भेजें।

श्री एम.वी. राजशेखरन: मैं वह करूँगा, महोदय।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की जो आठवीं रिपोर्ट है, उसके अनुसार हिन्दुस्तान तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, जब तक कृषि के क्षेत्र में विकसित नहीं हो जाता। दसवें प्लान की जिन उपलब्धियों और लक्ष्य की चर्चा हुई है, उसमें सिंचाई का कहीं जिक्र नहीं है, जब कि कृषि का मूल आधार सिंचाई है, लेकिन सिंचाई की कहीं चर्चा नहीं है। सिंचाई को न दसवें प्लान में प्रायरटी में थी और न ही 11वें फाइव ईयर प्लान में प्रायरटी लिस्ट में है। हम सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को विकसित करने के लिए सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए, उस पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह 2,57,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा है। यह यहाँ लिखा है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भारत निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1,74,000 करोड़ रु. का निवेश करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत सिंचाई को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। त्वरित सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार ने यह देखने के लिए हर तरह के प्रयास किए हैं कि सभी परियोजनाएँ जो लंबित हैं वे जहाँ तक संभव हो जल्द से जल्द पूरी की जाएं तथा इनका लाभ किसानों को दिया जाय। अतएव, संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार शुरूआत से ही देश में सिंचाई संभावनाओं में वृद्धि के लिए उच्चतम प्राथमिकता दे रही है, तथा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 282, डा. सत्यनारायण जटिया–उपस्थित नहीं।

नए परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र

*283. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी तट पर नए परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार करने का भी है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक संयंत्र पर अनुमानत: होने वाले व्यय की तुलना में उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सभी परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ, विशाखापत्तनम, आँध प्रदेश के निकट।

(ख) यह, नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में प्रगत अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी), ट्रांबे का एक नया परिसर है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल 5600 मेगावाट-ई क्षमता के साथ आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर्ज) और आयातों के आधार पर कुल 10,000 मेगावाट-ई क्षमता के साथ दस हलका पानी रिएक्टरों (एलडब्ल्यूआर्ज), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा 300 मेगावाट-ई क्षमता के एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए एच डब्ल्यू आर), तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई जी सी ए आर)। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (भाविनी) द्वारा भावी फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए परियोजना-पूर्व के कार्य, ग्यारहवीं योजना में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) के विस्तार कार्यक्रम संबंधी काम को शुरू किया जाना, स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए फ्यूल लिंकेज स्थापित करने और आयातित हलका पानी रिएक्टरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकार के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति से जुड़ा है।

(ङ) ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों में, इन परियोजनाओं पर योजना के अंतर्गत 23,671 करोड़ रुपए के व्यय की परिकल्पना की गई है। इसमें से, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम के लिए 22,660 करोड़ रुपए के व्यय को, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमा राशि और अधिशेष राशि की इक्विटी संयोजन, बाजार से उधार और हलका पानी रिएक्टरों के लिए विदेशी ऋण द्वारा वित्तपोषित किए जाने की योजना है। प्रगत भारी पानी रिएक्टर के लिए और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के परियोजना-पूर्व कार्यों के लिए 1011 करोड़ रुपए के शेष व्यय को बजटीय सहायता में से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

विस्तार कार्यक्रम	2006-07 के मूल्यों पर ग्यारहवीं योजना में परिव्यय	ग्यारहवीं योजना से आगे के लिए प्रस्तावित परिव्यय
केएपीपी 3 और 4 (7 एनपी-1 और 2)	3592	4688
आर ए पी पी 7 और 8 (7 एन पी-3 और 4)	2188	6102
7 एन पी-5 और 6	535	7631
7 एन पी-7 और 8 (ग्यारहवीं योजना में परियोजना-पूर्व)	153	8013
के के 3 और 4 (एल डब्ल्यु आर-3 और 4)	7572	5374
जैतापुर 1 और 2 (एल डब्ल्यु आर-5 और 6)	5353	9091
के के-5 और 6	1468	11578
एलडब्ल्युआर-11 और 12	1353	13152
जैतापुर-3 और 4	446	14018
ए एच डब्ल्यु आर	806	1058
फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए परियोजना-पूर्व के कार्य	205	1058

(च) शुरू होने की तारीख पर निर्भर करते हुए, ये परियोजनाएं क्रमिक रूप से बारहवीं तथा तेरहवीं योजना में पूरी कर ली जाएंगी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माननीय महोदय, गुरू जल रिएक्टरों और हल्का जल रिएक्टरों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय असैनिक

परमाणु सहयोग के कार्यान्वयन और इसकी शुरूआत संबंधी घटनाक्रमों पर निर्भर है। अत: ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर 23,761 करोड़ रुपये के व्यय के अनुमान अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु सहयोग पर निर्भर है जिसका होना अनिश्चित है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब इस परमाणु सहयोग की क्या स्थिति है; क्या सरकार विद्युत उत्पादन के इस स्वदेशी तरीके को महत्व देगी और थोरियम आधारित परमाणु विद्युत प्रौद्योगिकी के साथ हमने कितनी प्रगति की है? मैं एक बात और जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरा अनुपूरक प्रश्न हो सकता है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इसके अतिरिक्त, जब विश्व, जोखिम के कारण परमाणु विद्युत उत्पादन से पीछे हट रहा है तो क्या ईंधन की आपर्ति हेतु हमेशा बाहरी देशों पर निर्भर रहकर इस परमाणु विद्युत उत्पादन सहयोग के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए उचित होगा?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, माननीय सदस्य ने 3-4 अनुपूरक प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह सच बात है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सर्वप्रथम, मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रगति पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सदन ने अभी पूरे मुद्दे पर चर्चा की है और अन्य सदन में पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी है। पूरा मुद्दा सदन और देश के सामने है, हम देश में और अंतर्राष्ट्रीय करार दोनों में स्वीकृति और सर्वसम्मति प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। यह जल्द आएगा, और जब यह होगा इसकी सूचना सदन को दें देंगे।

स्वदेशी परमाणु विद्युत संयंत्र के भावी विस्तार हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम 700 मेगावाट क्षमता वाले दबावकृत गुरू जल रिएक्टर हैं। इसे पूर्णत: यूरेनियम के स्वदेशी स्त्रोत से बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम आयातित रिएक्टरों पर आधारित कुछ हल्का जल रिएक्टरों की योजना बना रहे हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर है।

हम 300 मेगावाट क्षमता वाले नए उन्नत गुरू जल रिएक्टरों की भी योजना बना रहे हैं जिस पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं 500 मेगा वाट क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में निर्माणाधीन है। अत: स्वदेशी कार्यक्रम आगे चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर होगा।

माननीय सदस्य ने थोरियम के उपयोग के बारे में भी पूछा है। मैंने पिछले सप्ताह थोरियम के बारे में एक विस्तृत प्रश्न का उत्तर दिया था, मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा थोरियम संबंधी अनुसंधान पूरी तरह से सही चल रहा है। हम इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है तो यह कार्य अधिक तेज गति से चलेगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए यद्यपि यह सातवां होगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अब, हम बाहरी देशों पर निर्भर होकर इस प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं। अब, सरकार कोयले से ताप विद्युत का उत्पादन करने वाली एन टी पी सी के कार्य को भी बदल रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न इस बारे में नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह उत्तर से संबद्ध है। वे परमाणु विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। अब एन टी पी सी ताप विद्युत उत्पादन करने के बजाय परमाणु विद्युत का उत्पादन कर रही है। क्या सरकार ने एन टी पी सी के ताप विद्युत उत्पादन के कार्य को बदल कर परमाणु विद्युत का उत्पादन कराने का निर्णय लिया है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: ताप विद्युत उत्पादन को बदलने का कतई इरादा नहीं है। माननीय सदस्य ने पहले यह पूछा था कि क्या पूरा विश्व परमाणु विद्युत के विचार से हट रहा है। तथ्य वास्तव में बिल्कुल इसके उलट है अब पूरा विश्व विशेषकर वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) की चिंताओं के कारण परमाणु ऊर्जा की दिशा में और आगे बढ़ रहा है, इसीलिए, 'परमाणु पुनर्जागरण' वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि विश्व परमाणु विद्युत के विचार से हट रहा है। हम अपनी परमाणु विद्युत क्षमता में भी वृद्धि कर रहे हैं।

एन टी पी सी ने परमाणु विद्युत के क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया है बशर्ते कि पूरा क्षेत्र खोला जाए। वर्तमान कानून में उपबंध है कि केंद्र सरकार को कोई कंपनी परमाणु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एन टी पी सी आई एल एक मात्र कंपनी है जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: डा. एम. जगन्नाथ-अनुपस्थित।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विद्युत उत्पादन हेतु फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में थोरियम युक्त स्वदेशी मोनाजाइट सैंड के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध

में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में किए जा रहे कार्य के बारे में जानना चाहूंगा।

इस संबंध में ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, यह बात वास्तव में इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती परंतु मैं कुल जो कुछ कह सकता हूँ वह यह है कि अनुसंधान कार्य मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया जाता है और प्रश्न भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की दूसरी सुविधा के बारे में है जिसे विशाखापत्तनम में आरंभ किया जा रहा है। थोरियम प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान सही चल रहा है परंतु यह तीन चरण का कार्यक्रम है। जब तक हम द्वितीय चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम थोरियम से विद्युत का उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। परंतु अनुसंधान कार्य सही चल रहा है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय यह माना हुआ तथ्य है कि स्वदेशी परमाणु विद्युत संयंत्रों की लंबी परिपक्वता अवधि होती है। एक विद्युत संयंत्र के कर्म को पूरा होने में 10 से 12 वर्षों का समय लगा है। एक कारण जैसा कि आपने अभी कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौंपा नहीं गया है। निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य न देकर यदि अन्य संपूर्ण कार्य दे दिया जाए तो निर्माणावधि वास्तव में कम की जा सकती है। मैं, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कि निर्माणावधि क्या है तथा उनके अनुसार बाहर से कार्य कराए जाने पर निर्माणावधि कितनी घट जाएगी? अमेरिका में भी विद्युत संयंत्र के विनिर्माण संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र को दिए जाते हैं। क्या भारत में भी यह नीति लागू की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। मैंने आपको, नहीं रोका है परन्तु इस मामले में मेरी यह टिप्पणी है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मैं निर्माणावधि और समय की बात कर रहा हूँ।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री दोनों ही पहलूओं में गलत हैं। हमारे स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स की निर्माणावधि विश्व में सबसे कम है। रिएक्टर्स को 5-6 वर्षों की निर्धारित निर्माणावधि से पहले ही रिकार्ड समय में पूरा कर लिया गया। संयंत्र, विश्व में किसी भी संयंत्र की तुलना में अधिक कुशलता से कार्य कर रहें हैं। इस प्रकार के रिएक्टर्स ऐसे कुछ ही देशों में उपयोग किए जाते हैं जो यूरेनियम का अत्यधिक प्रभावी उपयोग करते हैं।

अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग निजी क्षेत्र से कार्य कराए जाने के बारे में था, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि परमाणु विद्युत संयंत्र के निर्माण का लगभग 95 प्रतिशत कार्य भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस कंपनी के अतिरिक्त विद्युत संयंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों के उत्पादन करने हेतु भारत सरकार की कोई अन्य कंपनी नहीं है। भारतीय निजी क्षेत्र लगभग समस्त सिविल इंजीनियरिंग और समस्त निर्माण कार्य कर रहा है। जैसे-जैसे कार्यक्रम में वृद्धि होगी, भारतीय निजी क्षेत्रों को अधिक कार्य प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: अवश्य। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ बिजली की कमी है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हम आपका ध्यान रखेंगे।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: धन्यवाद महोदय, विशेषकर परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विषय में हमारा देश प्रगति कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या परमाणु ऊर्जा विभाग विशेषकर बी. ई. आई. सी. ए. आर. में हमारे वैज्ञानिकों के पास, उन्नत हेवी रिएक्टर, परमाणु विज्ञान संबंधी नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा परमाणु ऊर्जा से जुड़े नवीनतम कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी की जानकारी है?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, देश में बिजली की कमी संबंधी माननीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी समस्त कार्यवाही किए जाने का यही कारण है। उन्नत हेवी वाटर प्रौद्योगिकी संबंधी किए जा रहे अनुसंधान के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि बी. ए. आर. सी. तथा विभिन्न अन्य स्थानों में इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। हम शीघ्र ही 300 एम. डब्ल्यू. क्षमता के उन्नत हेवी वाटर रिएक्टर स्थापित करेंगे।

अनुसंधान कार्यों के विस्तार हेतु विशाखापत्तनम के बी.ए.आर.सी. में हम दूसरा केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा यही है। हम इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विकास पर नजर रखे

हुए हैं तथा बी. ए. आर. सी. के वैज्ञानिक विश्व के किसी भी ऐसे संस्थानों को कार्यरत वैज्ञानिकों की तुलना में बेहतर हैं अथवा उनके समतुल्य हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए।

पंचायतों द्वारा निचले स्तर पर योजना बनाना

*284. **श्री पी.सी. थामस:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता द्वारा योजना बनाने के लिए कोई पहल की है जिसके माध्यम से पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा निचले स्तर पर योजना बनाई जाएगी जैसा कि केरल में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केरल ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन योजनाकरण अभियान के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना की प्रक्रिया आंरभ की तथा 10वीं योजना के दौरान उसी दृष्टिकोण को बनाए रखा। 17 अगस्त 2007 को इसने विकेंद्रीकृत योजनाकरण के लाभों को सुदृढ़ करने तथा राज्य में 11वीं योजना के दौरान विकेंद्रीकरण को संस्थानीकृत करने के लिए द्वितीय पीढ़ी के मुद्दों के समाधान हेतु जन योजनाकरण के अगले चरण की शुरूआत की।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों व संघशासित प्रदेशों के साथ विकेंद्रीकृत योजनाकरण को प्रोत्साहित करने में बहुत ही सक्रियोन्मुख रहा है।

अगस्त 2004 में मैसूर में हुए पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि योजना आयोग को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाए कि 11वीं योजना का प्रारंभ व उसका प्रतिष्ठान संविधान के भाग IX तथा भाग IX क के प्रावधानों के अनुसार जिला योजनाओं पर हो। इसके अनुसरण में पंचायती राज मंत्रालय ने तृणमूल स्तर से लेकर ऊपर तक जिला योजना की प्रक्रिया के संबंध में कार्यविधियां तैयार करने एवं सुझाव देने के लिए मई 2005 में तृणमूल स्तर के योजनाकरण पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। मार्च 2006 में विशेषज्ञ समूह के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद इसके सुझावों से राज्यों व योजना आयोग को अवगत कराया गया। प्राप्त फीड बैक के आधार पर योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए जिला योजनाओं के निर्माण हेतु सभी राज्यों को 25.8.2006 को दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों ने विकेंद्रीकृत योजनाकरण के लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर योजना-निर्माण अभ्यास द्वारा अनुवर्तित विकेंद्रीकृत दृष्टिकरण व पर्यवलोकन अभ्यासों के माध्यम तथा जिला योजना समिति के स्तर पर उन योजनाओं के अंतर्भुक्तिकरण द्वारा अनुक्रमात्मक चरणों को निर्दिष्ट किया।

जयादातर राज्यों में जिला योजना निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यद्यपि प्रगति की गति अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

पंचायती राज मंत्रालय ने जिला योजना निर्माण के लिए योजना आयोग के दिनांक 25.8.06 के दिशा-निर्देशों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पूरे तौर पर अपना लिया है। बी आर जी एफ का दिशा-निर्देश यह अधिदेशित करता है कि समन्वित विकास का आंरभ प्रत्येक जिला द्वारा संव्यावसायिक योजना-निर्माण सहायता की मदद से अपने पिछड़ेपन के पहचान अध्ययन को सम्पन्न करने से होगा। इसमें उस बेसलाइन सर्वे को तैयार किया जाना भी शामिल होगा जिसे बाद में मूल्यांकन सम्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक जिला को 2006-07 के दौरान तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक सुचिंतित सहभागितापूर्ण जिला विकास संदर्श योजना तैयार करनी है। संविधान के भाग IX में संदर्भित ग्राम, माध्यमिक एवं जिला स्तर की पंचायतें अनुच्छेद 243 जी को मुकम्मल तौर पर ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के योजना-निर्माण व कार्यान्वयन का काम हाथ में लेंगी, जबकि भाग IX क में संदर्भित नगपालिकाएं, नगरीय क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 243 जेड़ डी के साथ पठित अनुच्छेद 243 डब्ल्यू को मुकम्ल तौर पर ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से योजना बनाएंगी तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेंगी।

बी आर जी एफ स्कीम के तहत शामिल सभी 250 जिलों में आवश्यकता होने पर ख्याति प्राप्त संस्थानों की संव्यावसायिक सहायता से जिला योजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों को प्रति जिला 10 लाख रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई।

(ग) पंचायतों के लिए "पर्याप्त वित्तों" का होना अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यों को व्यादेशित एक संवैधानिक दायित्व

है। इसे प्राप्त करने के लिए, पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तरों के वित्त के अंतरण को प्रकार्यों व कार्यकर्ताओं के अंतरण हेतु गतिविधि मानचित्रण पर प्रतिकृत किया जाना चाहिए जिससे कि वित्त के अंतरण को प्रकार्यों व कार्यकर्ताओं के अंतरण के साथ जोड़ते हुए पंचायती राज संस्थाओं के लिए शक्तियों के प्रभावी अंतरण को प्राप्त किया जा सके। पंचायतों को तीन स्त्रोतों, नामत: केंद्रीय सरकार से अंतरण द्वारा, राज्य सरकार तथा अपने राजस्वों के द्वारा निधियों का प्रवाह होता है। पंचायतों द्वारा प्रभावी कार्य निष्पादन का मूल उन्हें पर्याप्त अबद्ध निधियों को अंतरित किए जाने में निहित है जिससे कि वे सौंपी गई अपनी सेवाओं का निष्पादन कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोगों (एस एफ सी) को पंचायतों को सुपुर्द की गई या विनियोजित की गई शुल्कों, टोलों व फीस के अभिनिर्धारण के साथ-साथ पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी व सिफारिशें करनी होती हैं।

जुलाई 2004 में कोलकाता में आयोजित हुए पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर मतैक्य हुआ था कि राज्य सरकारों को अपने बजटों में पंचायती राज संस्था घटक के समावेश के लिए रोडमैप तैयार करना चाहिए, पंचायतों को अबद्ध निधियों का अंतरण करना चाहिए तथा अपने संसाधन जुटाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्यों के साथ इसका अनुवर्तन पंचायती राज के राज्य सचिवों की समिति, पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के परिषद की बैठकों तथा राज्यों व संघशासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त समापन वक्तव्यों द्वारा किया गया है। अभी तक 22 संयुक्त समापन वक्तव्य हस्ताक्षरित हुए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने 6-7 जुलाई, 2007 को पंचायत स्तर संसाधन जुटाव एवं दक्ष राजकोषीय हस्तांतरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। वहां यह सिफारिश की गई कि राज्य सरकारों को राज्य वित्त आयोगों को पंचायतों को सौंपे गए उपयुक्त कर व गैर कर-राजस्व समुनदेशनों का पता लगाने के संदर्भ में नीति कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पंचायतों को कर राजस्वों का समनुदेशन करते समय राज्य सरकारों को इसे अवश्य सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि पंचायत के प्रत्येक स्तर को कम से कम एक या दो कर-उपादान दिए जाएं।

बारहवें वित्त आयोग ने 2005-2010 की अवधि के लिए केंद्रीय सरकार से पंचायतों को 20,000 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की सिफारिश की है।

केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को अंतरित कुल राशियों में, मुख्य रूप से उसके अबद्ध चरित्र को बरकरार रखने के लिए, खासी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। पंचायती राज मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य कर रहा है कि 13वां वित्त आयोग अबद्ध योजनेत्तर अनुदानों के अंतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और वह इस संबंध में प्रारंभिक कदम उठा रहा है। तिरूवनंतपुरम में अगस्त 2007 में सम्पन्न हुए मंत्रियों के परिषद की तीसरी बैठक में लिए गए एक निर्णय के अनुपालन में पंचायती राज मंत्रालय ने केरल के वित्त मंत्री प्रोफेसर थॉमस आइजैक की अध्यक्षता में इस संबंध में वैसी विस्तृत सिफारिशें तैयार करने के लिए एक पृथक् उपसमिति का गठन किया है जिन्हें 13वें वित्त आयोग के समक्ष इसके गठन के पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, विद्युत और आयोजना, प्रक्रिया का हमारे देश में बहुत महत्व रहा है। हमारे देश में जहाँ जनसंख्या इतनी विशाल है वहां वास्तविक विकास निचले स्तर की आयोजना द्वारा ही संभव है, इस प्रक्रिया का योजना आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है तथा मुझे खुशी है कि इस मंत्रालय ने इस बात को योजना आयोग की जानकारी में लाने हेतु अनेक प्रयास किए हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने विस्तृत उत्तर दिया है।

श्री पी.सी. थामस: मेरा प्रश्न यह है कि योजना आयोग द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा आयोजना प्रक्रिया को निचले स्तर तक लागू किए जाने हेतु किए गए प्रयासों के क्या परिणाम रहे।

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न छोटे होने चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय यह स्वीकार करते हुए कि यह कार्य प्रगति पर है तथापि मैं माननीय सदस्य और सभा को आश्वासन देता हूँ कि राज्यों को जिले स्तर की आयोजना के महत्व तथा विशेषकर मेरे मंत्रालय द्वारा शासित पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष के संबंध में जिला स्तर से योजना प्राप्त करने के महत्व के बारे में राज्यों को जानकारी दिए जाने में व्यापक प्रगति हुई है। हम, जिला आयोजना समितियों द्वारा तैयार किए गए जिला योजनाओं के आधार पर इस वर्ष ही जारी किए जाने वाली राशि के आधे रु ।
को प्राप्त कर इससे अधिक राशि जारी कर सकेंगे। जिस प्रकार हमें इस क्षेत्र के अधिकतर पिछड़े जिलों से संतोषजनक प्रतिक्रिया मिल रही है वह एक शुभ संकेत है कि देश के बाकी जिलों तथा राज्यों से इसी प्रकार उत्साहजनक प्रक्रिया प्राप्त होगी। कुल मिला कर मैं संतोष व्यक्त करता हूँ तथा एक बार पुन: जोर देता हूँ कि कार्य प्रगति पर है तथा देश के प्रत्येक राज्य में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि लोगों से जुड़ी आयोजन के मामले में केरल अग्रणी है, केरल सरकार ने इस बारे में बहुत गहन रूचि दिखाई है तथा इस बारे में अनेक उपाय किए हैं तथा तीसरा चरण आंरभ किया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि मंत्रालय तथा भारत सरकार केरल राज्य को क्या सहायता दे सकती है जो कि जन योजना कार्यक्रम का अग्रगामी राज्य रहा है और क्या मंत्रालय राज्यों को कुछ अतिरिक्त निधियां देने के बारे में भी सोच सकता है ताकि लोक योजना के कुछ विकासात्मक क्रियाकलापों को पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: यहां सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि केरल ने लोक योजना के पथ पर प्रगति की है और मुझे स्वयं लोक योजना कार्यक्रम के बिल्कुल नए चरण को आरम्भ करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे आशंका है कि मेरे मंत्रालय में निधियों की इतनी कमी है कि केरल को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से निधि नहीं मिल सकती है। वहां भी उनको निश्चित रूप से उनका उचित हिस्सा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा मानना है कि अगर केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण कल्याण के लिए निदेशित निधि यों की योजना तथा इनका क्रियान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाता है, जैसा कि केरल राज्य ने दिखाया है, तो इस रुपए से अधि क उपलब्धि प्राप्त होगी। जिस हद तक वितरण के नौकरशाही तरीकों का सहारा लिया जाता है, मुझे आंशका है कि एक रुपए में 85 पैसा प्रशासनिक व्यय में चले जाने का राजीव गांधी संलक्षण जारी रहेगा। अत:, विद्यमान निधियों के उपयोग का सर्वाधिक कारगर रास्ता पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से उनका उपयोग करने का है और जब तक हमें इस प्रकार का समावेशी प्रशासन नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि तब तक समावेशी वृद्धि संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पंचायती राज के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। इस प्रश्न का पार्ट 'सी' बहुत महत्वपूर्ण है–''पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम'' जब तक पंचायतों के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, जैसे मंत्री जी ने अपने जवाब में तीन सोर्स बताए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रश्न का काफी बड़ा प्रिफेस होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना: महोदय, यह जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब कुछ ही जरूरी है।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना: सैंट्रल गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट और ओन रिसोर्सेज-लेकिन बहुत कम पंचायतें हैं जिनके पास अपने साधन हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर कोई ऐसा प्रस्ताव बनाने पर विचार कर सकते हैं कि जो टैक्स वहां से कलैक्ट होता है, पहले वह स्टेट और फिर केन्द्र सरकार को आता है और फिर केन्द्र सरकार ग्रांट के रूप में उसे नीचे भेजती है–इसमें बहुत लीकेज है? क्या कोई स्पैसीफाइड शेयर ऑफ टैक्स, जहां टैक्स कलैक्ट होता है, उन पंचायतों को देने पर सरकार विचार कर सकती है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आगे से नियुक्त किया गया एक हिस्सा पंचायतों तक पहुंचे, लेकिन खुशी की बात है कि हमारे आपसी तालमेल के कारण, मैं अपने पंचायती राज बिरादरी के मंत्रीगण से मिल चुका हूं, अब एक किस्म की सहमति है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हाल ही में हमने यहां वर्कशॉप करवाया जहां इस तफसील से चर्चा हुई थी। मैं उम्मीद रखता हूं कि हर राज्य और हर राज्य का जो स्टेट फाइनैंस कमीशन होता है, वे इस पर गौर करेंगे। आने वाले 13वें वित्त आयोग को हम एक मैमोरंडम देने वाले हैं जिसमें इस विषय पर काफी ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कदम उठाएंगे।

जहां तक राज्यों द्वारा पंचायतों तक साधन पहुंचने का सवाल है, मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस मामले में कर्नाटक और केरल ने काफी अच्छा प्रावधान किया है। पांच ऐसे राज्य हैं जहां काफी प्रगति हुई है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। ये हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। उन्होंने इरादा बताया है कि वे करेंगे, अपने स्टेट बजट में पंचायत सैक्टर की खिड़की खोलेंगे, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। इस दिशा में जो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, वे पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम हैं। मेरे ख्याल से आने वाले वित्तीय साल में इन राज्यों में यह काम होगा। लेकिन दस ऐसे राज्य हैं जहां काम आगे बढ़ा ही नहीं है। मैं अपने साथीगण से अनुरोध करना चाहता हूं कि

यदि बिहार, उत्तरांचल, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी इस दिशा में आगे बढ़ें, तब हो सकता है कि माननीय सदस्य श्री अविनाश राय जी के इरादे पूरे किए जा सकें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं इस संबंध में माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा की जा रही ठोस पहलों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

जहां तक निचले स्तर से योजना बनाए जाने का संबंध है, आप अवगत हैं कि योजना तैयार करने के लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि संविधान संशोधन के अनुसार कितने राज्यों ने शक्तियों का हस्तांतरण पूरा किया है तथा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है ताकि वे वास्तविक आधारभूत स्तर की योजना तैयार करने के लिए समर्थ हो सकें।

श्री मणि शंकर अय्यर: किसी भी राज्य के वित्त, कार्यों तथा अधिकारों का प्रभावी हस्तांतरण पूरा नहीं किया है। लेकिन कुछ राज्यों ने काफी अच्छी प्रगति की है, और वह भी काफी लंबे समय तक, और इसमें माननीय सदस्य का राज्य भी शामिल है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब सभी राज्य उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं, सिवाय झारखंड के, जहां पंचायतों के लिए अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के यौक्तिकीकरण के कारण, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा पंचायती राज मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर वार्ता के कारण, पंचायती राज के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने वाले संयुक्त प्रयासों के कारण, जिसकी सेवा पंचायती राज के लिए सचिवों की समिति द्वारा की जानी है, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की अधिकार प्राप्त उप-समिति के कार्य के कारण हम विगत की अपेक्षा अधिक तेजी से प्रगति करने में समर्थ होंगे।

निश्चित रूप से विगत तीन से चार वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की हैं, वह विगत में हुई प्रगति से काफी अधिक है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत विस्तृत जवाब देने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनकी इस पीड़ा से मैं सहमति प्रकट करता हूं कि जिन राज्यों की सबसे अधिक ग्रामीण आबादी रोजी-रोटी की तलाश में अपने गांव से बाहर जाती है, उन राज्यों ने सबसे कम विकेन्द्रीकृत शासन अवस्था को स्थापित करने में सहयोग दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर तक केन्द्र सरकार की सहायता सीधे पहुंचाने और केरल मॉडल, जिसकी सफलता जाहिर है, सभी राज्यों को उस मॉडल से सहमत कराकर, वहां इसे लागू करने के लिए क्या भारत सरकार पहल करेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, इस विषय में प्रयास जारी है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन इसमें राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। संविधान के अनुसार पंचायती राज राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है कि लक्ष्य पर कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। यदि थोड़ा बहुत इसमें आपसी सहयोग की जरूरत है, तो वह है कि कौन सा कदम कितनी जल्दी और किस ठोस तरीके से उठाया जाये। लेकिन मंजिल हम सब जानते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 18 मुकाम हैं, जिन्हें हमें पार करना है और हमने 150 कदम पर सहमति बना ली है कि क्या करना चाहिए। अब यह रह गया है कि जो आगे दौड़ रहा है, उसका पीछा, जो बाकी राज्य पीछे छूट गये हैं, वे भी करें ताकि हम सब आने वाले पांच-छ: साल तक उस मंजिल पर पहुंच पायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया प्रासंगिक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने गांव के विकास के लिए पंचायतों के माध्यम से राशि आवंटित करके एक उचित कदम उठाया है। हमारे प्रदेश बिहार में जहां पिछड़ापन है, वहीं बिहार एक अविकसित और गरीब राज्य है, उस प्रदेश के गांवों का निर्माण करने के लिए आपने 15-15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का विचार किया है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार ने कोई ऐसे प्रपोजल्स भेजे हैं जिसमें लंबित योजनाओं की पूर्ति हो सके। बैकवर्ड रीजन में, आपने डिस्ट्रिक्ट का उत्थान करने के लिए 15-15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का विचार किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितनी धनराशि आवंटित की है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केवल एक राज्य के संबंध में है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मंत्री महोदय को यह सूचना है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष जी, बिहार राज्य सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंदर हमें बहुत से प्रस्ताव हर जिले से मिल जायेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: क्या अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया है? डेढ़ साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने कोई प्रपोजल नहीं भेजा है।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं जानता हूं, इसलिए जवाब दे रहा हूं। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि जो पैसे इतने महीने से वहां नहीं पहुंच पाये हैं, वे इस महीने या ज्यादा से ज्यादा अगले महीने तक हम पहुंचा पायेंगे।

[अनुवाद]

नर्सिंग और एएनएम विद्यालयों की स्थापना

***285. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान अभी तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सिंग और ए एन एम विद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि अनुमोदित की गई है और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में लम्बित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्यों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियां अनुमोदित की जाती हैं। वर्ष 2006-07 की इन योजनाओं में दी गई सूचना के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपचर्या एवं सहायक नर्सधात्री विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमोदित निधियों की राज्य-वार मात्रा का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपचर्या एवं सहायक नर्सधात्री विद्यालयों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित नहीं हैं।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2006-07 के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना की कार्यवाही का अनुमोदन/रिकार्ड
1	2	3
1.	राजस्थान	जनाना अस्पताल, जयपुर, राजस्थान में सहायक नर्सधात्री प्रशिक्षण केन्द्र को पुनर्जीवित करने के लिए 50.00 लाख रुपए का अनुमोदन।
2.	छत्तीसगढ़	वर्ष 2006-07 के लिए 15 सहायक नर्सधात्री/उपचर्या केन्द्रों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II के रूप में सुदृढ़ करने के लिए 305.00 लाख रुपए का अनुमोदन। यह अनुमोदन राज्यों द्वारा इस मंत्रालय को घटकवार और कार्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करने के अध्यधीन है। चार नए उपचर्या महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यकलाप के लिए 80.00 लाख रुपए का अनुमोदन। यह अनुमोदन घटकवार और कार्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है।
3.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में सहायक नर्सधात्री एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए 1228.20 लाख रुपए और उपचर्या प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 920.00 लाख रुपए का अनुमोदन।
4.	उत्तरांचल	चमोली में सहायक नर्सधात्री प्रशिक्षण केन्द्र के पुनर्निर्माण के लिए घटकवार

1	2	3
		ब्यौरा और लागत प्रस्तुत करने के अध्यधीन 204.00 लाख रुपए का अनुमोदन।
5.	असम	8 नए जी एन एम विद्यालय स्थापित करने, 15 जी एन एम विद्यालय और 17 सहायक नर्सधात्री विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3525.00 लाख रुपए का अनुमोदन।
6.	अरूणाचल प्रदेश	जर्नल अस्पताल, पासीघाट, अरूणाचल प्रदेश में उपचर्या विद्यालय के सुदृढ़ीकरण के एिल 122.00 लाख रुपए का अनुमोदन। यह अनुमोदन व्यापक परियोजना रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है जो कि अभी प्राप्त होनी है।
7.	नागालैण्ड	कोहिमा में उपचर्या विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर उपचर्या महाविद्यालय और मकोकचुंग तथा ट्वेनसांग में उपचर्या विद्यालय और प्रशिक्षण विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 505.50 लाख रुपए का अनुमोदन। यह अनुमोदन व्यापक परियोजना रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है जो कि अभी प्राप्त होनी है।
8.	मेघालय	तुरा और जोवाई सिविल अस्पताल में 2 नए जी एन एम विद्यालयों के लिए 200.00 लाख रुपए का अनुमोदन। यह अनुमोदन व्यापक परियोजना रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है। मंत्रालय में इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
9.	त्रिपुरा	बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा में उपचर्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए 2372.00 लाख रुपए का अनुमोदन। यह अनुमोदन व्यापक परियोजना रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन है। जो अभी प्राप्त होनी है।
10.	तमिलनाडु	5 सहायक नर्सधात्री विद्यालयों और 20 ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 50.00 लाख रुपए का अनुमोदन।
11.	मध्य प्रेदश	27 सहायक नर्सधात्री प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 50.00 लाख रुपए और उपचर्या विद्यालयों के लिए 9.00 लाख रुपए का अनुमोदन।
12.	महाराष्ट्र	नागपुर में पी एच एन विद्यालय की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कार्यात्मक ब्यौरे के अध्यधीन 10.00 लाख रुपए का अनुमोदन।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन: महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार 12 राज्यों ने एन. आर. एच. एम. के अंतर्गत निधियां ली थीं।

क्या सरकार शेष राज्यों को निधियां आबंटित करने के बारे में विचार कर रही है? क्या सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रस्ताव मंगाएगी?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सामान्यतया राज्य सरकारों से कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के माध्यम से प्रस्ताव आता है, जिसे पी. आई. पी. कहा जाता है। वे प्रत्येक वर्ष इन कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पी. आई. पी.) को भेजते हैं। कुल निधिपोषण के अनुसार वे इन कालेजों तथा नर्सिंग स्कूलों, अर्थात् ए. एन. एम. स्कूलों अथवा जी. एन. एम. स्कूलों अथवा यहां तक कि बी. एस. सी. नर्सिंग कालेजों के निधिपोषण के लिए भी कार्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को तथा अन्य सदस्यों को भी यह सूचित करना चाहूँगा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण नर्सिंग क्षेत्र के लिए कुल आबंटन मात्र 82 करोड़ रुपए था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने लगभग 2900 करोड़ रुपए का आबंटन करने का प्रस्ताव है। यह 82 करोड़ रुपए से बढ़कर 2900 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन शामिल नहीं है। यह अतिरिक्त है, इसको छोड़कर है। इस योजना के अंतर्गत हमने नर्सिंग स्कूलों का उन्नयन नर्सिंग कालेजों में करने की योजना बनायी है। हम प्रत्येक संस्थान को लगभग 6 करोड़ रुपए देंगे। पूर्व में दसवीं योजना के अंतर्गत हम डेढ़ करोड़ रुपए दे रहे थे। लेकिन अब हमने 6 करोड़ रुपए देने की अभिकल्पना की हैं। लगभग उनमें से 32 देश भर में वहां होंगे।

कालेजों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि हम प्रत्येक संस्थान को लगभग 25 लाख रुपए दे रहे हैं, लगभग 46 कालेज वहां होंगे। पुनः, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में डिप्लोमा नर्सिंग स्कूलों को खोलने के लिए लगभग उनमें से 170 वहां खोलने जा रहे हैं। लगभग 170 नए डिप्लोमा नर्सिंग स्कूल वहां खुलेंगें। पुनः, ए. एन. एम. स्कूलों–सहायक नर्स मिडवाइफ–खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक राज्य को लगभग 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उनमें से लगभग 150 को व्यवस्थिति किया जाएगा। नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा झारखण्ड में प्रति संस्था 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन राज्यों में चार संस्थान हैं। उसके बाद क्षेत्रिय नर्सिंग संस्थान स्थापित किए जाने हैं। चार मेट्रो शहर हैं। ये उत्कृष्ठातम संस्थान होंगे। हमने प्रत्येक संस्थान के लिए 15-25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है। उसके बाद, हम देश के प्रत्येक राज्य में प्रति केन्द्र 20 करोड़ रुपये की लागत से नर्सिंग में उत्कृष्ठता के केन्द्र खोलेंगे। इन केन्द्रों में नर्स प्रेक्टिशनर्स कार्यक्रम, एम. एस सी नर्सिंग कार्यक्रम, स्पेशियलिटी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्पेशियलिटी फॉर नर्सेज इन कार्डियोलॉजी या अनस्थेशिया जैसे कार्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। ऐसे 26 केन्द्रों की योजना बनाई गई है। नर्सिंग प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए हमने एक करोड़ रुपये देने की परिकल्पना की है। अतः ग्यारहवीं योजना में बहुत से कार्यकलाप होंगे। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे यह राज्य तमिलनाडु हो या कोई अन्य राज्य हम निश्चित रूप से इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हम योजना बना रहे हैं। हमें आने वाले 30-40 वर्षों के लिए स्वास्थ्य मानव संसाधनों की योजना बनानी होगी। तथा स्वास्थ्य मानव संसाधनों का मामला केवल नर्सिंग से ही जुड़ा नहीं है अपितु चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरा मैडिकल कर्मचारी, ए एन एम, ए एस एच ए एल के साथ-साथ आयुर्वेद कार्यक्रमों जैसी चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों से भी जुड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: जितनी सूचना पूछी गई हैं आपने उससे अधिक सूचनाएं दी हैं। क्या कोई और भी पूरक प्रश्न है? उन्होंने हर बात का जवाब दे दिया है।

श्री ए. वी. बेल्लारमिन: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं दूसरी बात यह है कि क्या जो धनराशि राज्य सरकारों को मिली है, उस आबंटित धनराशि का उन्होंने पूर्णतः उपयोग किया है?

अध्यक्ष महोदय: यह बड़ा प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं निश्चित ही माननीय सदस्य के प्रश्न पर आता हूं यदि कुछ धनराशि बकाया है क्योंकि हम उन्हें स्थिति अनुसार आबंटन करते हैं। मैं पहले ही कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का उल्लेख कर चुका हूं। राज्य इसे लागू करते हैं। हम इसके लिए पूरी धनराशि देते हैं। उसके बाद राज्य कहते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं उसके लिए हैं। कुछ राज्य इन्हें प्राथमिकता के आधार करते हैं तथा कुछ राज्य इन्हें प्राथमिकता के आधार पर नहीं करते हैं। जब भी राज्य इसकी मांग करते हैं, हम उन्हें धनसशि प्रदान करते हैं।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: महोदय, पूरक प्रश्न पूछने का मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

भारत सरकार ने देश में मुस्लिम बहुल 90 अल्पसंख्यक जिलों की पहचान की है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार इन 90 जिलों में शैक्षिक संस्थान खोले जाएंगे। 15 सूत्री कार्यक्रम में यह एक वायदा किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए नर्सिंग तथा ए एन एम विद्यालय इन किसी 90 जिलों में खोले गए हैं।

यदि नहीं, तो क्या ऐसे जिलों में नर्सिंग तथा ए एन एम विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव है?

डा. अंबुमणि रामदास: मैं सूचना एकत्रित कर माननीय सदस्य को दे दूंगा। यदि कोई राज्य सरकार कोई प्रस्ताव लाना चाहती है, तो हम खुशी से इसका समर्थन करेंगे।

श्री प्रहलाद जोशी: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर सरकार द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों में से एक है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसका उद्देश्य सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी तथा प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली भी प्रदान करना है। स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के एक भाग के रूप में और ए एन एम प्रशिक्षण तथा इसकी उपयोगिता बढ़ाने पर है। इसके बावजूद भी यह प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त है। क्या कानून में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव है अर्थात विद्यमान कानून में बदलाव करने, ए एन एम को चिकित्सा कार्य करने की अनुमति देना तथा एम बी बी एस चिकित्सकों को एनेस्थेशिया कार्य करने की अनुमति देने का है। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने ए एन एम को प्रशिक्षण देने के लिए पहले ही कोई योजना बना ली है तथा क्या कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

अध्यक्ष महोदय: आप सूचना एकत्रित करवाकर उन्हें उपलब्ध करवा दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी को पूरा करने के लिए हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है तथा इसके अन्तर्गत हम बहुत सी नर्सें, ए एन एम प्रदान कर रहे हैं। हम इन सभी बुनियादी संरचना केन्द्रों एवं चल चिकित्सा इकाइयों का उन्नयन कर रहे हैं जिनके बारे में मैं इस सम्माननीय सभा में कह रहा था। अनेस्थेशिया के लिए, चूंकि देश में मातृत्व मृत्यु दर बहुत अधिक है तथा अनेस्थेशिया विशेषज्ञों की कमी होने के कारण, हम केवल प्रसूती देखभाल के लिए एम बी बी एस चिकित्सकों को 18 सप्ताह का आपातकालीन प्रशिक्षण दे रहे हैं। तथा हमने यह एम बी बी एस छात्रों के लिए शुरू किया है ताकि वे शल्य प्रसव या कठिनप्रसव मामलों में अनेस्थेशिया दे सकें। ए एन एम या ऑक्सिलरी मिडवाइफ के लिए जो भी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत है, उसके अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। वह एक प्रकार से चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। लेकिन, हम उसके कौशल में वृद्धि कर रहे हैं तथा और अधिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम देश में सभी उप-केन्द्रों में एक और ए एन एम दे रहे हैं। इन उपक्रमों की संख्या लगभग 146 हजार है। हम देश में प्रत्येक जनस्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 नर्सें दे रहे हैं। यदि इन केन्द्रों में 9 से ज्यादा अतिरिक्त नर्सें हैं तो हम उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संदाय देंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 286 डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय-उपस्थित नहीं श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी-उपस्थित नहीं, प्र. सं. 287

[हिंदी]

औषधीय पौधों की सघनता

*287. **श्री संतोष गंगवार:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के वन क्षेत्र में औषधीय पौधों की सघनता में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संरक्षित वन क्षेत्रों से दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों के अवैध दोहन और उनकी तस्करी को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मध्य भारत के पर्वतीय प्रदेश में स्थित वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की सघनता में लगातार आ रही कमी के बारे में परिमाणीकृत आंकड़े दर्शाने वाले टाइम-सीरीज डाटा के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार यह आम धारणा है कि औषधीय पौधों की सघनता में कमी के लिए विभिन्न मानव जनित कारक उत्तरदायी हो सकते हैं।

(ग) और (घ) जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की स्थापना की है और उक्त अधिनियम में राज्य जैव विविधता बोर्डों तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करने की भी व्यवस्था है। इस अधिनियम में दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों सहित जैविक मूल से बने सामानों के गैर-कानूनी उपयोग और उनकी तस्करी को रोकने की भी व्यवस्था की गई है। औषधीय पौधों सहित वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी मामलों पर कार्रवाई भी भारतीय धन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972; और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन द्वारा की जाती है। तथापि, जैविक संसाधनों की आसान उपलब्धता के कारण उनके गैर कानूनी उपयोग तथा तस्करी की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही विशेष महत्व का है। दुनिया के अंदर करीब 45,000 औषधि प्रजातियां वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और उनमें से हमारे देश में 15,000 से अधिक पाई जाती हैं। इस दिशा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या अन्य किसी क्षेत्र द्वारा क्या पहल की जा रही है, इससे सम्बन्धित बात मैं पूछना चाहता हूं। अभी बीते दिनों हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि देश के अंदर चार महानगरों में हर्बल गार्डन जोन बनाए जाएंगे और जड़ी-बूटियों द्वारा निर्मित दवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण जोन को भी स्थापित करने की बात कही थी। अगर हमें ध्यान हो तो रामायण में भी हर्बल का उल्लेख है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी जड़ी-बूटियों का पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए थे। हो सकता है कि कुछ लोग इसे कपोल-कल्पना मानते हों।

अध्यक्ष महोदय: और क्या मानते हैं?

श्री संतोष गंगवार: हमारे देश में एम्स में फार्माकोलौजी के अध्यक्ष डा. जगन्नाथ शर्मा ने इस सम्बन्ध में खोज की और बताया कि इसमें सत्यता है। वह दुर्लभ औषधियों की खोज में लगे हुए हैं। मंत्री जी ने अपने लिखित प्रश्नों में कहा है कि मध्य भारत के पर्वतीय प्रदेश में स्थित वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की सघनता में लगातार आ रही कमी के बारे में परिमाणीकृत आंकड़े दर्शाने वाले टाइम-सीरीज डाटा के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। जबकि देश में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का विदेशों में इसका निर्यात होता है। उन्होंने कह दिया कि "इस कमी के लिए विभिन्न मानव-जनित कारक उत्तरदायी हो सकते हैं।" इसके बाद, तस्करी को रोकने और अन्य कार्यों पर अगर हम इतने सामान्य ढंग से ध्यान देंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं, उसके अनुसार हम काम नहीं कर पाएंगे और हर्बल प्लांट्स की कमी होती रहेगी। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उत्तर में जो कुछ बताया गया है, यह भी जानकारी में है कि औषधीय पौध बोर्ड की सन् 2000 में स्थापना की गयी, जिसके द्वारा देश में इन प्लांट्स के सरंक्षण और बढ़ाने की दिशा में काम करने के प्रयास किये गये हैं। यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य, कृषि और वन एवं पर्यावरण, इन तीन मंत्रालयों से संबंधित विषय है। इससे पर्यावरण संतुलन में भी हमें लाभ मिलता है।

अध्यक्ष महोदय: कुछ मल्होत्रा साहब के लिए भी रहने दीजिए, सब आप ही पूछ लेंगे तो उनका क्या होगा?

श्री संतोष गंगवार: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो यहां उत्तर दिया है, क्या इसमें कुछ सुधार की भी गुजांइश है, इस दिशा में प्रयास करने का कोई काम किया जा रहा है, या नहीं।

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बताया कि यह विषय कई मंत्रालयों के बीच में है, उनकी यह बात सही है। इसके लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष डिपार्टमेंट के नीचे बना हुआ है और मैडिकल एंड फैमिली वैलफेयर मिनिस्ट्री इसे देखती है। रिसर्च के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइसं एंड रिसर्च के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां इन पर रिसर्च होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में होर्टिकल्चर बोर्ड बना है, होर्टिकल्चर मिशन है, आई सी ए आर है। मार्किटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। जहां तक कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का सवाल है, वह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का सब्जैक्ट है। यह बात सही है कि अभी कोई स्टडी नहीं हुई है, लेकिन एक जनरल पर्सेप्शन विभिन्न राज्यों से हमें प्राप्त हुआ है कि इसमें कुछ कमी हो रही है। इस कमी के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जिसमें ओवर-एक्सप्लॉएटेशन एक कारण हो सकता है। इस तरह की 19 स्पीसीज हैं, जिनका ओवर-एक्सप्लॉएटेशन होने की वजह से यह बताया जा रहा है कि अगर इनका ओवर-एक्सप्लॉएटेशन होगा तो इन स्पीसीज की हमारे यहां कमी हो जाएगी।,

एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया है कि लगभग 56 हजार टन चीजें इन सारे मेडिसनल प्लांट्स से बनी एक्सपोर्ट की जाती हैं और 500 से 600 करोड़ रुपये की आमदनी इनसे होती है। जहां तक कंजर्वेशन हेतु एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का सवाल है, उसके लिए औषधिय पादपों के संरक्षण को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य एवं आजीविका सुरक्षा के लिए परंपरागत ज्ञान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यक्रम यह 12 करोड़ को यू एन डी पी का प्रोजैक्ट है जो 9 स्टेट्स में चल रहा है, जिसमें इनकी इंवेट्रीं बनायी जा रही है, नेटवर्क एरियाज बनाये जा रहे हैं, सीड्स का इंतजाम किया जा रहा है ताकि इसमें कमी न हो। हमारी एनएबी की जो स्कीम है उसके तहत 10 प्रतिशत एरिया में, हम लोगों की स्टेट्स को गाइडलाइन हैं कि उसमें मेडिसनल प्लांट्स को लगाया जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मेडिकल एंड हैल्थ मिनिस्ट्री में भी विभिन्न प्रोग्रामों के तहत हर्बल प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा रोपने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें कुछ में सब्सिडी दी जाती है और उनको प्रमोशन दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: सब कुछ पूछ लिया, आप तो हनुमान जी तक को ले आये।

श्री संतोष गंगवार: सर, उत्तर में कहा गया है कि कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया। हमने सीधा सवाल यह किया था कि आप अध्ययन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा निर्यात, दुनिया के अन्य देशों के निर्यात के मुकाबले केवल डेढ़-दो प्रतिशत है और आप 500-600 करोड़ रुपये का बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब जबकि हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियां रूस में भी पैदा की जा रही हैं, चिरायता, सनाय जैसी चीजें, इसके बावजूद हम अपने देश में इस ओर ध्यान न दें, अपने देश में आयुर्वेद को बढ़ाने की दिशा में काम न करें-वन पर्यावरण मंत्रालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है। यह बहस का विषय नहीं है कि वहां पर आदमी इनके पेड़ काटते हैं और इन्हें समाप्त करते जा रहे हैं। आपने ठीक कहा है कि दुर्लभ प्रजातियां आ रही हैं।

हम चाहते हैं कि कोई विशेष कार्य योजना इस संदर्भ में बने। आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसे कैसे रोका जाए और कैसे इसे बढ़ावा दिया जाए-क्या आप सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर इस दिशा में कोई पाजिटिव कार्य कर रहे हैं, कोई दिशा-निर्देश तैयार करने का काम कर रहे हैं?

श्री नमोनारायन मीना: जैसा मैंने माननीय सदस्य को पहले अवगत कराया था कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कई तरह की स्कीम्स चल रही हैं और उनमें हर्बल प्लांट्स को ज्यादा रोपने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। जहां तक वैज्ञानिक स्टडी का सवाल है, उसमें थोड़ी बहुत स्टडी जरूर हुई है। हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंगलौर में है...*(व्यवधान)* उसमें थोड़ी बहुत स्टडी जरूर हुई है। हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ जानकारी प्राप्त की हैं, कि प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जहां कुछ प्लांट्स को खतरा हो रहा है, वर्ष 1995 में एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 200 ऐसे हर्बल प्लांट्स हैं, जिनकी नॉर्थ-ईस्ट और साउथ इंडिया में कमी हो रही है। उनके डैवलपमेंट के लिए, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिसन प्लांट्स हैल्थ मिनिस्ट्री के अंडर है, वही इसकी पॉलिसी फ्रेमिंग, डेवलपमेंट, प्रोससिंग और मार्केटिंग के लिए नोडल एजेंसी है। कई तरह की मिनिस्ट्रियां प्रयास कर रही हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा रोपा जाए, ज्यादा से ज्यादा संरक्षित किया जाए, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप इन्हें चाय पर बुलाएं और सब कुछ दिखा दें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री महोदय ने दो उत्तर दिए हैं और दोनों में कहा है कि कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है और अवैध दोहन तथा तस्करी की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। क्या आप कोई साइंटिफिक स्टडी करांएगे? हर्बल प्लांट्स की एक्सप्लायटेशन और स्मगलिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यह विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत है, क्या आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन के महत्व को देखते हुए, इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाने पर विचार नहीं किया जा सकता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही अच्छा और सीधा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष महोदय, हर्बल प्लांट्स के लिए जहां तक नोडल मिनिस्ट्री का सवाल है, मेडिकल, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को हमने नोडल मिनिस्ट्री बनाया हुआ है। मैं इनकी साइंटिफिक स्टडी के सुझाव से सहमत हूं और इस बात पर दिनों दिन जोर दिया जा रहा है। यह स्टडी जरूर होनी चाहिए। मेडिकल एंड हैल्थ डिपार्टमेंट को जो आपका कंसर्न है, उससे मैं अवगत कराउंगा। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी काम चल रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बायो-डायवर्सिटी आथोरिटी एक्ट के तहत नेशनल लेवल पर एक आथोरिटी बनी हुई है, स्टेट लेवल पर बोर्ड बने हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनेजमैंट कमेटियां बनी हुई हैं, ताकि जितने भी हर्बल प्लांट्स हैं, इनकी इंवेंटरी बने, इनकी एकाउंटिंग हो और डिजिटल लाइब्रेरी भी बने ताकि कितनी तरह की हमारे यहां औषधियां हैं, कहीं कोई उन्हें चुरा कर तो नहीं ले जा रहा है, कहीं उनकी स्मगलिंग तो नहीं हो रही है। यह सारा का सारा काम किया जा रहा है ताकि इन्हें बचाया जा सके, इनका प्रमोशन किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि इसमें सभी संभावित प्रश्न शामिल हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मेरा एक और प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालय इसे देख रहे हैं। यह बहुत जोगी मठ उजाड़ की तरह है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारतीय मूल की कुछ बहुत दुर्लभ चिकित्सकीय जड़ी-बूटियों का डब्ल्यू टी ओ द्वारा अमरीका में पेटेंट किया जा रहा है इत्यादि।

एक ऐसा ही मामला है कुरूम थोही का जो कि आरथिरिटिस के उपचार के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी और ऐसी बहुत सी चीजें हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है औषधीय पौधों की सघनता का क्या कोई अवैध दोहन हो रहा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यह अवैध है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दूसरे देश में पेटेंट कराना अवैध दोहन है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह कहा जा सकता है कि हमारे स्वयं के धरोहर पौधे का अन्य देशों द्वारा पेटेंट किया जा रहा है और संबंधित मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप किसी कार्रवाई का सुझाव दे सकते हैं?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पौधों के संरक्षण तथा इनके लिए हमारा स्वयं का पेटेंट कराने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है।

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि ''जैव विविधता अधिनियम'' ज्ञापन एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी पौधा देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। यह तो हुई एक बात।

दूसरे, पेटेंट के बारे में, मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे देश में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है ताकि यदि कोई पौधा अथवा औषधि देश से बाहर भेजी जाए तो हम उस देश विशेष में मामला लड़ सकें।

अध्यक्ष महोदय: आपने लगभग सभी जानकारी दे दी है।

डा. सुजान चक्रवर्ती

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, प्रश्न का संबंध औषधीय पौधों की सघनता से है और चर्चा इस प्रकार हो रही है, कि जैसे यह आयुर्वेद का प्रश्न हो। औषधीय पौधों के बहुत से अन्य लाभ हैं, केवल आयुर्वेद ही नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मैं चाहूंगा कि अब आप अपना प्रश्न पूछिए। ये सब भूमिका मत बांधिए।

डा. सुजान चक्रवर्ती: यह प्राकृतिक तेल प्राकृतिक रंग और सबका मिश्रण है।

महोदय, औषधीय पौध बोर्ड स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की चिकित्सा प्रणाली भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। परन्तु यह भी सच है कि इस मंत्रालय का वानस्पतिक सर्वेक्षण इस विषय की सबसे प्रभावी जानकारी मुहैया कराता है। बहुत से स्थानों पर इसे वितरित किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डा. सुजान चक्रवर्ती: मेरा खास प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि औषधीय पौधों का वास्तविक इस्तेमाल करने के लिए क्या मंत्रालय किसी राष्ट्रीय औषधीय पौध संस्थान अथवा राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का प्रस्ताव करने जा रहा है ताकि इन सबके बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। क्योंकि यह गैर-समन्वित तथा गैर-प्रभावी बना हुआ है। यह प्रभावोत्पादकता का प्रश्न है और हम इसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अथवा उसके जैसे किसी संस्थान के नाम पर एक केन्द्रीय समन्वय का प्रस्ताव कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक सुझाव है।

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड समन्वयक निकाय है। वह मुख्य निकाय है। बहुत से अनुसंधान संस्थान हैं जोकि विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय, डी वी टी, डी एस टी तथा सी एस आई आर के अंतर्गत औषधीय पौधों के अनुसंधान में लगे हुए हैं। वे इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इन सब के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का गठन करेंगे। वह यही पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, मैं सहमत हूं कि ऐसा संस्थान होना चाहिए और इसपर विचार किया जा रहा है। मेरा मानना है कि माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं और इसका समन्वय किया जाना चाहिए। इस समय राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय कर रहा है।

[हिन्दी]

रक्त बैंकों की कमी के बारे में मूल्यांकन

*288. **श्री सुभाष महरिया:**
श्री अनन्त नायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में रक्त बैंकों की कमी के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रक्त बैंकों की संख्या में वृद्धी करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है, और

(घ) विद्यमान रक्त बैंकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जिला स्तरीय रक्त बैंकों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III की योजना तैयार करते समय किया गया था। 39 जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र में रक्त बैंक नहीं हैं। इन 39 जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न अनुबंध-I जिलों में दी गई है।

भारत सरकार एक बारगी उपकरण अनुदान और एक प्रयोगशाला तकनीशियन के वेतन तथा किटों एवं उपभोज्यों के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान करके इन 39 जिलों में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है जबकि भवन और जनशक्ति की व्यवस्था, राज्य द्वारा की जाती है।

रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से सहायता प्राप्त रक्त बैकों की राज्य-वार संलग्न सूची अनुबंध-II दी गई है।

अनुबंध I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III के अंतर्गत अनुमोदित जिला स्तरीय रक्त बैंकों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम
1	2	3
1.	बिहार	जिला, अरवल
2.	छत्तीसगढ़	जिला, बस्तर
3.		जिला, सरगुजा
4.		जिला, गरहवा
5.		जिला चतरा
6.		जिला, कोडरमा
7.		जिला, पाकुर
8.		जिला, दुमका
9.	झारखण्ड	जिला, गुमला
10.		जिला, गोड्डा
11.		जिला, साहेबगंज
12.		जिला, सिमडेगा
13.		जिला, सरायकेला
14.		जिला, जमतारा
15.	केरल	जिला, इडुक्की
16.		जिला, कामराज नगर
17.	कर्नाटक	जिला, गडग
18.		जिला, हावेरी
19.		जिला, कोप्पल
20.	मिजोरम	जिला, मामिट
21.		जिला, लांग्टलाई
22.		जिला, बागेश्वर
23.	उत्तराखण्ड	जिला, चम्पावत
24.		जिला, रूदप्रयाग
25.		जिला, अम्बेडकर नगर
26.		जिला, औरैया
27.		जिला, बागपत
28.		जिला, बलरामपुर
29.		जिला, चन्दौली
30.		जिला, चित्रकूट
31.		जिला, गौतमबुद्ध नगर
32.		जिला, हाथरस
33.	उत्तर प्रदेश	जिला, ज्योतिबा फूले नगर
34.		जिला, कन्नौज
35.		जिला, कौशाम्बी
36.		जिला, कुशी नगर
37.		जिला, महराजगंज
38.		जिला, संत कबीर नगर
39.		जिला, रविदास नगर

अनुबंध II

नाको से सहायता प्राप्त रक्त बैंकों की संख्या

राज्य का नाम	जिला स्तरीय रक्त बैंक	प्रमुख रक्त बैंक	रक्त संघटक पृथक्करण एकक	मॉडल रक्त बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	69	22	4	0	95
अंडमान और निको-द्वीपसमूह	2	1	1	0	4
अरूणाचल प्रदेश	14	1	0	0	15
असम	30	4	2	2	38
बिहार	38	5	1	1	45
चंडीगढ़	2	3	1	0	6
छत्तीसगढ़	14	2	1	1	18
दादरा एवं नगर हवेली	2	0	0	0	2
दमण और दीव	3	0	0	0	3
दिल्ली	6	13	4	0	23
गोवा	1	2	1	0	4
अहमदाबाद	8	3	0	0	11
गुजरात	44	12	6	0	62
हरियाणा	17	4	2	0	23
हिमाचल प्रदेश	10	3	1	0	14
जम्मू और कश्मीर	11	8	3	0	22
झारखण्ड	25	4	2	1	32
कर्नाटक	57	14	5	0	76
केरल	31	15	6	0	52
लक्षद्वीप	1	0	0	0	1
मध्य प्रदेश	49	8	5	1	63
मुम्बई	7	17	2	0	26
महाराष्ट्र	55	14	7	0	76

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	8	2	1	0	11
मेघालय	9	2	1	0	12
मिजोरम	5	2	1	0	8
नागालैंड	7	1	0	0	8
उड़ीसा	51	7	1	0	59
पांडिचेरी	4	1	1	0	6
पंजाब	44	8	2	0	54
राजस्थान	20	8	2	2	32
सिक्किम	1	1	0	0	2
चेन्नई	10	10	2	0	22
तमिलनाडु	70	18	4	0	92
त्रिपुरा	4	3	1	0	8
उत्तरांचल	13	2	0	1	16
उत्तर प्रदेश	49	20	7	1	77
पश्चिम बंगाल	62	15	5	0	82
अन्य	30	0	0	0	30
कुल	883	255	82	10	1230

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि देश भर में ब्लड बैंक्स की कमी है। देश भर में जिन जिला मुख्यालयों में ब्लड बैंक्स की कमी है, उनमें अकेले राजस्थान में 12 जिला मुख्यालयों में ब्लड बैंक्स नहीं है। क्या उसके लिए आप वित्तीय सहायता की कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास राजस्थान के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है?

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, अपने लिखित वक्तव्य में मैंने उत्तर दिया है कि लगभग 39 जिलों में ब्लड बैंक नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र और धर्मादा संगठन के अंतर्गत वहां जितने भी जिले हैं, भारत सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अंतर्गत उनकी सहायता कर रही है, हम उनकी सहायता कर रहे हैं। राजस्थान में, यदि कोई मुद्दा है तो उसकी सहायता करने में हमें प्रसन्नता होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग

***282. डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई सड़कों की अद्यतन स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन सड़कों के लिए कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई तथा उपयोग में लाई गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): वर्ष 2004-05 से अक्तूबर, 2007 तक केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की संख्या और लागत तथा आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या और लागत के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यों के लिए केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन और जारी की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2004-05 से 31.10.2007 तक केंद्रीय सड़क निधि और आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदित कार्यों के ब्यौरे		आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के तहत स्वीकृत कार्यों के ब्योरे	
		सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	156	363.98	2	8.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	15	58.52	3	33.51
3.	असम	28	106.34	8	17.73
4.	बिहार	6	18.63	2	12.17
5.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00
6.	छत्तीसगढ़	16	74.01	0	0.00
7.	दमन और दीव	0	0.00	2	6.51
8.	दिल्ली	27	45.27	0	0.00
9.	गोवा	4	12.73	0	0.00
10.	गुजरात	182	307.87	30	60.94
11.	हरियाणा	26	245.85	0	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	15	37.73	0	0.00
13.	जम्मू-कश्मीर	22	257.06	0	0.00
14.	झारखंड	8	88.97	0	0.00
15.	कर्नाटक	630	484.78	25	100.10
16.	केरल	23	142.52	2	19.68
17.	मध्य प्रदेश	79	310.68	7	27.81
18.	महाराष्ट्र	202	542.55	18	41.11
19.	मणिपुर	4	13.45	1	4.57

1	2	3	4	5	6
20.	मेघालय	4	19.56	1	4.29
21.	मिजोरम	5	11.97	4	38.45
22.	नागालैंड	4	16.24	4	39.47
23.	उड़ीसा	41	169.99	9	47.27
24.	पांडिचेरी	2	5.45	0	0.00
25.	पंजाब	23	93.48	0	0.00
26.	राजस्थान	328	542.80	13	30.10
27.	सिक्किम	7	6.94	9	88.50
28.	तमिलनाडु	168	286.23	1	13.42
29.	त्रिपुरा	3	20.40	1	7.53
30.	उत्तर प्रदेश	60	620.32	1	7.34
31.	उत्तराखंड	1	6.00	1	4.85
32.	पश्चिम बंगाल	14	221.80	4	53.60
	जोड़	2103	5132.12	148	667.65

विवरण II

गत तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान केंद्रीय सड़क निधि और आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क स्कीम से आंबटन और जारी की गई धनराशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	जारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	365.23	246.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	59.72	45.80
3.	असम	102.50	66.22
4.	बिहार	112.06	51.02
5.	छत्तीसगढ़	102.46	47.43
6.	दिल्ली	112.66	22.27
7.	गोवा	19.51	3.09
8.	गुजरात	298.18	269.80
9.	हरियाणा	160.63	128.69
10.	हिमाचल प्रदेश	48.31	34.70
11.	जम्मू और कश्मीर	127.36	90.03
12.	झारखंड	84.06	34.25
13.	कर्नाटक	304.15	297.64
14.	केरल	117.58	102.33
15.	मध्य प्रदेश	258.85	224.59
16.	महाराष्ट्र	483.11	374.96
17.	मणिपुर	15.41	11.34

1	2	3	4
18.	मेघालय	22.53	17.57
19.	मिजोरम	19.16	14.25
20.	नागालैंड	20.53	13.92
21.	उड़ीसा	156.60	127.98
22.	पंजाब	174.46	120.43
23.	राजस्थान	340.99	337.10
24.	सिक्किम	21.43	14.10
25.	तमिलनाडु	290.47	259.02
26.	त्रिपुरा	12.22	9.09
27.	उत्तराखंड	68.81	35.88
28.	उत्तर प्रदेश	443.80	389.78
29.	पश्चिम बंगाल	164.01	167.93
	संघ राज्य क्षेत्र		
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6.45	1.33
31.	चंडीगढ़	7.75	4.04
32.	दादरा और नगर हवेली	4.76	0.41
33.	दमन और दीव	5.09	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.26	0.00
35.	पांडिचेरी	9.22	1.64
		4540.32	3565.03

भारत धारा योजना

***286. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नदियों के संरक्षण के मद्देनजर 'भारत धारा' नामक एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नदियों के संरक्षण का दायित्व राज्यों को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को राज्यों के साथ उठाया है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जोकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, के अंतर्गत इस समय देश के 20 राज्यों के 164 शहरों में फैली 35 नदियों में 4793 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से प्रदूषण उपशमन संबंधी कार्यों को शामिल किया गया है। नदियों का संरक्षण एक डायनामिक कार्य है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लगातार बढ़ रहे प्रदूषण भार की वजह से नदियों का संरक्षण एक गतिशील कार्य है। संरक्षण नीति की कार्यनीति की समीक्षा तथा और अधिक शहरों एवं नदियों की पहचान करना एक बराबर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ.) जल राज्य का विषय है, अत: नदियों में प्रदूषण को प्रवाहित करने से रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उचित मलजल अवसंरचना सृजित करके जल की गुणवत्ता को बनाए रखना राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में मदद करती है।

प्रदूषण उपशमन कार्यों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। केन्द्र और राज्य स्तर पर एक बहु-स्तरीय मानीटरी तंत्र नीतिगत मुद्दों, निधियन पैटर्न और कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करता है। राज्यों को प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के माध्यम के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके विभिन्न विभागों/अभिकरणों के बीच कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करने और इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, विद्युत आपूर्ति, संसाधन जुटाने जैसे इन्टर-सेक्टोरल मुद्दों को हल करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को बन्द किया जाना

***289. श्री महावीर भगोरा:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त योजनाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) योजना स्कीमें, योजना तैयार करते समय, शून्य आधारित बजटीय (जेड बी बी) प्रयोग के अनुसार बंद कर दी गई हैं। शून्य आधारित बजटीय (जेड बी बी) प्रयोग का प्राथमिक उद्देश्य योजना के लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों की अभिसारिता, कुशलता और क्षमता सुनिश्चित करना तथा उपलब्ध संसाधनों का भी सर्वाधिक विवेकपूर्ण एवं आर्थिक रूप से सक्षम तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसा प्रयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी किया गया है। परिणाम स्वरूप, 2006-07 के दौरान जारी केंद्रिय प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस) की संख्या 155 से घटा कर 2007-08 के दौरान 82 कर दी गई हैं फिर भी 2007-08 के दौरान 17 नई सी एस एस स्कीमें और शामिल करने पर उनकी संख्या कुल 99 हो गई हैं।

[अनुवाद]

जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी कार्यकारी दल

*290. **श्री के.एस. राव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी कार्यकारी दल द्वारा लक्ष्यों के संबंध में की गई सिफारिशों तथा प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) योजना आयोग ने 25 मई, 2006 को सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण पर कार्य दल का गठन किया है। इस कार्यदल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

2. इस कार्यदल ने किसी विशिष्ट लक्ष्य की सिफारिश नहीं की क्योंकि इस दल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 दोनों के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य अपनाए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं शिशु मृत्यु दर को 30/1000 जीवित जन्मों तक कम करना, मातृ मृत्यु दर को 100/1000,000 जीवित जन्मों तक कम करना और वर्ष 2012 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जोर मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक संवर्ग बनाने के जरिए पहुंच योग्य, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावकारी, विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान, भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों के माध्यम से मापी गई परिष्कृत अस्पताल परिचर्या, इन्ट्रा और अन्तर-क्षेत्रीय समाभिरूपता में सुधार करने के लिए जिला स्तर तक कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण और संसाधनों का कारगर उपयोग करने पर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को सभी उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और उप-जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन की स्थाई और बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियों दोनों के लिए निश्चित दिनों पर सेवाओ की सिफारिश की गई है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर को कम करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के अंतरों/कमियों, गर्भ निरोधन की आपूर्ति आवश्यकता, जन्म के समय कुशल परिचर्या को बढ़ावा देने, रोगप्रतिरक्षण की कवरेज बढ़ाने, संस्थागत प्रसवों और आपाती प्रसूति परिचर्या के लिए सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने, सामुदायिक स्तर पर गर्भवती महिलाओं को कुशल परिचर्या प्रदान करने, प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या और अन्य संबंधित प्रजनन, मातृ एवं बाल परिचर्या संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना बनाने के लिए छूट/नम्यता प्रदान की जाती है।

4. परिवार नियोजन सेवाओं की स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नवम्बर, 2005 में असफल नसबंदी आपरेशनों, जटिलताओं और मौतों के लिए नसबंदी के स्वीकारकर्ताओं को मुआवजा देने तथा डाक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा कवर प्रदान करने के लिए भी एक परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की है। सरकार ने नसबंदी और मान्यता प्राप्त निजी प्रदायकों के लिए भी मुआवजा पैकेज बढ़ाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य प्रदाय का सुदृढ़ीकरण, गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी, गांवों में मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, परिवार कल्याण के लिए गर्भनिरोधक विकल्प/पसंद का विस्तार करने, कुशल उन्नयनों और गुणवत्ता वाली परिचर्या पर जोर देनी जैसी पहलें जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी।

विवरण

योजना आयोग ने 25 मई, 2006 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) को तैयार करने हेतु जनसंख्या स्थिरीकरण पर कार्य दल का गठन किया। इस कार्य दल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

1. बहुत बड़ी प्रतिशतता में दम्पितयों ने गर्भनिरोधन की अपूरित आवश्यकता को सूचित किया। आधी अपूरित आवश्यकता को पूरा करने से भी जन्म दर पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि आधी से अधिक अपूरित आवश्यकता परिवार के आकार को सीमित करने के लिए है, इसलिए अपूरित आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेषतौर से विशाल उत्तर भारतीय राज्यों में नसंबंदी सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार करने की आवश्यकता होगी। सहायक नर्स धात्रियों और आशाओं को उनके क्षेत्रों में अपूरित जरूरत दम्पतियों का पता लगाने तथा उनकी चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए कहा जा सकता है।

2. परिवार कल्याण कार्यक्रम ने नसबंदी को परिवार नियोजन की मुख्य विधि के रूप में अत्यधिक जोर दिया। नसबंदी सेवा प्रदान करने के लिए सुप्रशिक्षित चिकित्सा कार्मिकों और सुसज्जित सुविधाओं की आवश्यकता होती है। शिशु और बाल मृत्यु-दर के स्तर ऊंचे होने अथवा धार्मिक विश्वासों के कारण गर्भनिरोधन की स्थाई विधि पसन्द नहीं की जा सकती है। गर्भनिरोधकों के विकल्पों को बढ़ाए जाने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में दम्पतियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ढांचे के अनुसार मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की पुन: संरचना करने की तत्काल आवश्यकता है।

4. विशेषतौर पर डी. एल. एच. एस. और सुविधा सर्वेक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कम कार्य-निष्पादन वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। अनिवार्य स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और जनशक्ति में कमी को दूर करने के लिए राज्य के पास और अधिक लचीला दृष्टिकोण होना चाहिए। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को अनिवार्य औषधों और अपेक्षित गुणवत्ता के और मात्रा में वैक्सीनों और गर्भनिरोधकों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए।

5. पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग में अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। स्थानीय स्व-सरकारों और स्वास्थ्य परिचर्या-संस्थाओं में बेहतर समन्वय तंत्र प्रणाली विकसित किए जाने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को बेहतर जन-स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेवारियों के बारे में परिचित करवाने और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक है।

6. कवरेज और जन्मों, मौतों और गर्भवस्थाओं के पंजीकरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास आवश्यक हैं। इस संबंध में एक प्रेरित सहायक नर्स धात्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता अथवा मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पूरे पंजीकरण को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सुस्पष्ट दिशानिर्देशों सहित स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है।

7. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 जिसमें कानूनी रूप से अनुमत्य क्रमश: 18 और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कियों और लड़कों के विवाह को रोकना निहित है, को कड़ाई से लागू करने से न केवल उच्च जोखिम वाली किशोरवस्था गर्भावस्थाओं को कम करने बल्कि इन युवा लड़कियों और लड़कों को अन्तत: उनके बनने के वर्षों के दौरान जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास में भी सहायक करेगा। यह दल बाल विवाहों, बालिका के विरुद्ध लिंग चयन और केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान की सिफारिश करता है।

8. प्रसवपूर्व और संस्थागत प्रसव पर ध्यान केन्द्रित करने से शिशु मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु दर के नवजात संघटक में कमी के लिए मदद मिलेगी जिससे क्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यकलापों की बेहतर स्वीकार्यता के लिए परिणाम प्राप्त होगा तथा इस प्रकार यह प्रजननता परिवर्तन और जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रक्रिया तेज करेगा।

9. कार्यक्रमों की प्रचालनात्मक कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक और सही सूचना स्वास्थ्य प्रबंधकों को इस प्रणाली के निवेशों और परिणामों को मानीटर करने की योग्यता देती है तथा उनकी विभिन्न क्रियाविधियों से लागतों और लाभों का मूल्यांकन करने में सहायता करना है।

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता काफी सीमा तक विभिन्न संस्थाओं में कार्य कर रहे कार्मिकों पर निर्भर करती है। उनकी जानकारी और कौशलों को बढ़ाने के लिए नियमित सेवाकालिक प्रशिक्षण और उनको नए कार्यक्रमों से परिचित करवाना स्वास्थ्य विभाग का नियमित कार्यकलाप का एक अंग होना चाहिए। उनको लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य योजनाओं को विकसित करने की स्थिति में होना चाहिए।

11. समय-समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता और स्वीकारकर्ता की संतुष्टि का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। स्वीकारकर्ताओं और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों दोनों के लिए नियमित सर्वेक्षण शुरू किए जाएं। इन आवधिक सर्वेक्षणों से प्राप्त हुए निष्कर्षों से स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों को फीडबैक मिलनी चाहिए।

मधुमेह के मामले

***291. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों या इस बीमारी से प्रभावित होने की आशंका वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पुरूषों तथा महिलाओं में इस बीमारी की आंशका के आयु वर्ग संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा विगत चार दशकों के दौरान मधुमेह की व्यापतता के संबंध में अनेक अध्ययन किए गए हैं। प्रथम अखिल भारतीय अध्ययन प्रो. एम. एम. एस. आहूजा के नेतृत्व में 1972 में किया गया था। इसमें 6 प्रमुख भारतीय शहरों में मधुमेह का मूल्यांकन करना शामिल था। तत्पश्चात् प्रो. आहूजा एवं उनके अनुसंधान दल द्वारा एक अन्य अध्ययन कराया गया जिसमें प्रवास के प्रभाव तथा न केवल भारत वरन मलेशिया और वेस्टइंडीज में भी प्रवासी भारतीयों में मधुमेह की व्यापतता का मूल्याकंन किया गया। हाल के वर्षों में प्रो. के. एस. रेड्डी द्वारा किए गए अध्ययन में शहरी दिल्ली तथा समीपवर्ती ग्रामीण हरियाणा में कार्डियोवास्कुलर जोखिम कारकों तथा मधुमेह की व्यापतता का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन से पता चला कि शहरी दिल्ली में वयस्कों में मधुमेह की व्यापतता लगभग 10% थी जबकि ग्रामीण हरियाणा में यह 4% थी। प्रो. रेड्डी के नेतृत्व में और अधिक विस्तृत अध्ययन से मधुमेह तथा मधुमेह-पूर्व की स्थिति पूरे देश के 10 औद्योगिक जनसमूहों में देखी गई। इस अध्ययन से देश भर के 35,000 लोगों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि मधुमेह की आयु-समायोजित व्यापतता पुरूषों में 8% तथा महिलाओं में 9% थी। दिल्ली के एक मलिन बस्ती में किए गए अपेक्षाकृत लघु अध्ययन से भी ऐसी ही उच्च व्यापतता प्रदर्शित हुई।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सत्तर के आरंभिक दशक में एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन का समन्वय किया है जिसमें शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्यापतता 3% दर्शाई गई है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की "गैर-संचारी रोग भार का मूल्यांकन-2006" नामक रिपोर्ट से पता चला है कि 30-89 वर्ष की आयु की शहरी महिलाओं में मधुमेह की व्यापतता 26 से 200 प्रति हजार तथा पुरूषों में 78-333 थी। 30-89 वर्ष की आयु वाले ग्रामीण लोगों में यह निम्न थी (महिलाओं के लिए 8.6 से 66.6, पुरूषों के लिए 26.0 से 111.0)। अनुमान है कि भारत में मधुमेह के 37,768,402 रोगी हैं। ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्षेत्र	रोगी
शहरी	21,404,225
ग्रामीण	16,364,177
कुल	37,768,402

परिषद ने "युवा उम्र में मधुमेह से ग्रस्त लोगों की रजिस्ट्री" के संबंध में कार्यबल भी शुरू किया है।

छह शहरों (अर्थात् चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली तथा कोलकाता) में 20 वर्ष से अधिक उम्र के 11,216 व्यक्तियों पर वर्ष 2001 में भारत में मधुमेह जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन दल द्वारा हाल में किए गए राष्ट्रीय शहरी मधुमेह सर्वेक्षण से मुम्बई में 9.3% कोलकाता में 11.7% हैदराबाद में 16.6% की विविधता के साथ 12.1% की व्याप्तता प्रदर्शित हुई।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय मधुमेह कार्डियोवास्कुलर रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण का विस्तार छह राज्यों में किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने हेतु प्रस्ताव

***292. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों को चार लेन में बदलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खंड-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं है, को चार लेन का बनाने का निर्णय यातायात की सघनता, धनराशि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और वार्षिक योजना में प्रावधान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाने के लिए वार्षिक योजना 2007-08 में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और प्राक्कलन तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के ये खंड राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों से अलग हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत 4/6 लेन के बनाए जा रहे हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाने के लिए वार्षिक योजना 2007-08 में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और प्राक्कलन तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	रारा सं.	खंड	लंबाई (कि.मी.)	धनराशि (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार	रारा 98	0 से 3.25 किमी (पटना कस्बा)	3.25	7.56	जांच की जा रही है।
2.	हरियाणा	रारा 10	224.6 से 226.06 किमी (दरियापुर)	2.00	3.03	स्वीकृत
		रारा 64	0.0 से 0.48 किमी (पंजाब/हरियाणा सीमा से डबवाली)	0.48	1.34	स्वीकृत
3.	कर्नाटक	रारा 206	194.5 से 202.0 किमी (भद्रवती कस्बा)	7.50	13.80	स्वीकृत
		रारा 206	102.1 से 105.6 किमी (अस्सीकेरे कस्बा)	3.50	7.68	स्वीकृत
4.	मणिपुर	रारा 39	321.17 से 323.33 किमी (इम्फाल)	2.15	10.00	सुधार के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा गया
		रारा 39	323.33 से 326.66 किमी (इम्फाल)	3.33	8.54	जांच की जा रही है
5.	पंजाब	रारा 15	312.0 से 317 किमी (गिद्दरवाह कस्बा)	5.00	10.19	स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
		रारा 64	119 से 120 किमी (गुरूद्वारा मस्तौना के समीप संगरूर बरनाला खंड)	1.00	2.04	स्वीकृत
		रारा 21	11.4 से 15.54 किमी (डेसूमाजरा से कुराली	4.14	13.00	जांच की जा रही है
		रारा 64ए	5.37 से 11.37 किमी (भटिंडा कस्बा)	6.00	3.00	जांच की जा रही है
6.	राजस्थान	रारा 11	557.8 से 563.3 किमी (बीकानेर शहर)	5.70	7.59	सुधार के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा गया।
7.	उत्तर प्रदेश	रारा 91	418.0 से 422.0 किमी (कानपुर शहर)	4.00	6.29	स्वीकृत
8.	उत्तराखंड	रारा 73	0.0 से 6.50 किमी (रूड़की कस्बा)	6.50	13.75	सुधार के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा गया।

विद्युत उत्पादन हेतु कोयला ब्लाकों का आरक्षण

***293. श्री टेक लाल महतो:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान उत्पादन हेतु कुछ कोयला ब्लाक आरक्षित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षित कोयला ब्लाकों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनसे वर्ष-वार तथा ब्लाक-वार कितने कोयले का उत्पादन किया गया?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को आज की तारीख तक 172 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं। इनमें से 24319.65 मिलियन टन के भंडार वाले 78 कोयला ब्लाक विद्युत उत्पादन हेतु 62 कंपनियों (44 सार्वजनिक क्षेत्र और 18 निजी क्षेत्र की कंपनियों) को आबंटित किए गए हैं।

विद्युत उत्पादन हेतु आबंटित कोयला ब्लाकों से पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कोयला ब्लाक का नाम	कंपनी का नाम	वर्ष वार उत्पादन मिलियन टन में			
			2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 अक्तू, 07 तक)
1.	सरसाताली	आरपीजी इंडस्ट्रीज/ सीईएससी लि.	2.247	2.524	2.570	1.622
2.	तालाबीरा-I	हिंडाल्को	0.491	0.922	1.164	0.764
3-4	तारा (ईस्ट) तारा (वेस्ट)	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	3.799	4.189	4.681	2.402
5	पंचवारा सेन्ट्रल	पंजाब एस्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	-	0.021	1.488	1.724
6-7	गारे पालमा IV/2 और IV/3	जिंदल पावर लि.	-	-	-	0.096

दवा विक्रेताओं द्वारा हड़ताल

***294. श्री रामदास आठवले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दवाइयों की आपूर्ति करने वाले दवा विक्रेताओं ने कितनी बार हड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दवा विक्रेताओं द्वारा बार-बार हड़ताल किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त दवा विक्रेताओं द्वारा बार-बार हड़ताल करने से सीजीएचएस लाभार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ङ.) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ.) पिछले 3 वर्षों के दौरान नीचे दी गई तारीखों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के केमिस्टों ने हड़ताल की थी:-

8.03.2004 से 4.4.2004

26.8.2004 से 31.8.2004

17.2.2005 से 28.2.2005

25.3.2005 से 18.4.2005

24.11.2005 से 14.12.2005

16.01.2007 से 17.01.2007

हड़ताल का कारण अधिकतर वित्त वर्ष के लगभग अंत में निधियों की कमी के कारण उनके बिलों का भुगतान न होना था और केमिस्टों के बिलों का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने में समय लगा। मार्च, 2005 में केमिस्टों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मूल्य संवर्धित कर को लागू करने का मामला भी उठाया था।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तिरूवनंतपुरम के अधिकृत स्थानीय केमिस्टों ने बिलों का भुगतान न होने के कारण उस शहर के औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति 29.10.2007 से बंद कर दी थी। अब इन केमिस्टों ने तिरूवनंतपुरम में औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति 7.11.2007 से फिर शुरू कर दी है। फरवरी-मार्च, 2005 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना से जुड़े तीन अधिकृत स्थानीय केमिस्टों में से दो ने भुगतान न होने के कारण दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी थी।

जब कभी केमिस्ट हड़ताल करते थे तब लाभार्थियों को खुले बाजार से दवाएं खरीदने तथा उसकी प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जाती थी।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

*295. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास/उन्नयन संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) दसवीं योजना के दौरान कितनी लम्बाई के अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण किया गया है; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट में, अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र का एक एकीकृत रूप में विकास करने के लिए कई प्रस्तावों का सुझाव दिया गया है। यह घटक संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए इस कार्यदल द्वारा 9000 करोड़ रु. के परिव्यय का सुझाव दिया गया है। इसमें 5580 करोड़ रु. सरकारी बजटीय सहायता से और 3420 करोड़ रु. अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से जुटाया जाना शामिल हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए 11वीं योजना का परिव्यय उक्त योजना के राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही ज्ञात हो सकेगा।

(ग) 10वीं योजना के दौरान, कोई नया राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है। तथापि, तीन राष्ट्रीय जलमार्गों, अर्थात् गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तट कैनाल (कुल लंबाई-2716 कि. मी.) पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और रखरखाव से संबंधित विभिन्न परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।

(घ) 10वीं योजना के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अनुमोदित बजट (बजट अनुमान और संशोधित अनुमान) तथा व्यय निम्नानुसार है:

बजट अनुमान	:	559.14 करोड़ रु
संशोधित अनुमान	:	496.27 करोड़ रु.
व्यय (आई डब्ल्यू ए आई)	:	384.83 करोड़ रु.

विवरण

11वीं पचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट में अतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:-

I. उत्पादन (थ्रूपुट) अभिमुखी कार्यनीति

II. सरकारी वित्तपोषण की मात्रा में तीव्र वृद्धि

III. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और राज्य स्तर के संस्थानों का संस्थागत क्षमता निर्माण

IV. अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय पोत परिवहन का व्यवस्थित एकीकरण

V. संयुक्त परिवहन परियोजनाओं को आधार बनाया जाना

VI. उत्पादकता में सुधार

VII. राष्ट्रीय जलमार्गों का व्याप्ति क्षेत्र

VIII. एकीकृत परिवहन नियोजन के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन करना

IX. फिश बोन मॉडल को अपना कर और राज्य जलमार्गों का विकास करके दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना

X. असंगठित क्षेत्र के लिए नई योजना

XI. 11वीं योजना के दौरान सरकारी निवेश के माध्यम से अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास की दहलीज के स्तर पर पहुँचना

XII. एस टी सी डब्ल्यू 95 पैटर्न पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का नेटवर्क

XIII. बेड़े में वृद्धि

XIV. अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी काम काज के लिए कानून-प्रणाली में एकरूपता लाना

XV. नदियों में यात्री परिवहन को बढ़ावा देना

XVI. बांग्लादेश के साथ सहयोग पर नए सिरे से बल देना

XVII. क्लोज एंडिड प्रोत्साहनों के माध्यम से रूपात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहन देना

[हिन्दी]

विदेशों में कोयला खानों में निवेश

*296. **श्री रामजी लाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कोयला खानों में निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू भंडारों से कोयले की उपलब्धता तथा घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए इसकी पर्याप्तता का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विदेशों में कोयला सम्पतियों का अधिग्रहण करने के लिए संघटकों के रूप में स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल), कोल इंडिया लि. (सी आई एल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन टी पी सी) के साथ स्पेशल पर्पज वेहीकल के गठन को अनुमोदित कर दिया है। यह इस्पात उद्योग, विद्युत क्षेत्र तथा अन्य उद्योगों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोकिंग कोयला और उच्च गुणवत्ता (निम्न राख) वाले तापीय कोयले की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। कोकिंग कोयला तथा उच्च गुणवत्ता वाले तापीय कोयला संपत्तियों को प्राप्त करना है। एस पी वी की अनुमोदित प्रारंभिक प्राधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रु. तथा प्रारंभिक इक्विटी पूंजी 3500 करोड़ रु. है जिसको केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निम्नलिखित तरीके से योगदान दिया जाएगा:-

1.	सेल	-	1000 करोड़ रु.
2.	आर आई एन एल	-	500 करोड़ रु.
3.	सी आई एल	-	1000 करोड़ रु.
4.	एन एम डी सी	-	500 करोड़ रु.
5.	एन टी पी सी	-	500 करोड़ रु.

सी आई एल अपने "कोल विदेश" विभाग के माध्यम से मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में कोयला संपत्तियां अधिगृहित करने के अवसरों का भी पता लगा रही है।

(ग) देश में कुल कोयला भंडार 255.17 बिलियन टन (बि. ट.) (222.90 बिलियन टन नान कोकिंग कोयला +32.27 बि.ट. कोकिंग कोयला) है, जिसमें से प्रमाणित भंडार 97.92 बि. ट. निर्दिष्ट भंडार 118.99 बि. ट. तथा अनुमानित भंडार 38.26 बि. ट. है। नान-कोकिंग कोयला में से लगभग दो तिहाई उच्च राख की मात्रा वाला है। कोकिंग कोयला और निम्न राख वाले नान-कोकिंग कोयला की सीमित उपलब्धता के कारण, ऐसे कोयले की मांग के एक हिस्से की पूर्ति आयात के द्वारा की जाती है। वर्ष 2006-07 में कोयले का वास्तविक आयात 45 मिलियन टन (मि. ट.) था। 11वीं योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 के लिए मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच अनुमानित अंतर 51.10 मि. ट. है।

भारी जल का उत्पादन

*297. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के संयंत्रों से भारी जल का उत्पादन इसके लक्ष्य से बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र की स्थापित क्षमता और उसके वास्तविक उत्पादन का वर्ष-वार तथा संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) भारी पानी एक सामरिक महत्व की सामग्री है, इसलिए वास्तविक उत्पादन के आंकड़े नहीं बताए जा रहे।

परिचालनरत भारी पानी संयंत्रों की क्षमताओं के बारे में नीचे दिया गया है:

संयंत्र	क्षमता
मनुगुरू	185 मीटर टन
कोटा	80 मीटरी टन
हजीरा	80 मीटरी टन
थाल	78 मीटरी टन
तूतीकोरिन	49 मीटरी टन
बड़ौदा	17.7 मीटरी टन

(घ) लागू नहीं होता।

स्पंज लौह उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

*298. **श्री देवव्रत सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पंज लौह उद्योग के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रदूषण मानदण्डों का उल्लंघन करने वाली स्पंज लौह कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) प्रदूषण उपशमन करने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (ए पी सी बी) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए स्पंज लौह संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना अपेक्षित है। मानकों का अनुपालन करने के लिए अधिकांश स्पंज लौह संयंत्रों ने प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर्स (ई एस पीज) बैग फिल्टर्स, वैट स्क्रबिग सिस्टम आदि स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त कच्ची सामग्री और उत्पाद हथालन इकाइयों से फ्यूगिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए उद्योगों को पर्याप्त जल छिड़काव सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई हैं।

- स्पंज लौह संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुरू किए गए उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:
- प्रदूषण भार का मूल्यांकन करने के लिए स्पंज लौह संयंत्रों का सूचीकरण।
- पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करने के लिए स्पंज लौह संयंत्रों को निर्देश देना।
- मानकों के अनुपालन के लिए स्पंज लौह संयंत्रों की नियमित निगरानी।
- अनुपालन न करने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करना।

[अनुवाद]

पत्तनों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

*299. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से पत्तनों की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान फिशिंग हार्बर सहित 13 पत्तन परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) उक्त 13 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) शिपयार्ड एवं लघु पत्तन से संबंधित काटुपल्ली, इन्नौर, तमिलनाडु की एक परियोजना एक नवम्बर 2007 को प्राप्त हुई थी और जिस पर अवसंरचना विकास और विविध परियोजना की विशेषज्ञ समिति की 30.12.2007 को हुई बैठक में विचार किया गया था। इस समिति ने परियोजना की पर्यावरण संबंधी प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषय शामिल करने और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अनुसार जनपरामर्श का सुझाव दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विकसित देशों द्वारा शहरी अपशिष्ट पदार्थों का पाटन

***300. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय विकसित देशों ने हाल ही में अपने शहरी अपशिष्ट पदार्थों को कन्टेनरों में भेजकर कुछ भारतीय पत्तनों पर उनका पाटन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मुख्य कस्टम आयुक्त (निवारण) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एक प्रतिबंधित मद नामश: शहरी अपशिष्ट को ओपन जनरल लाइसैंस से संबंधित पेपर वेस्ट के तौर पर गलत ढंग से वर्गीकृत करके आयात करने की घटनाएं प्रकाश में आई है। ये घटनाएं कोच्चि में (सितम्बर-अक्तूबर 2007) तथा तूतीकोरिन पोर्ट में (सितम्बर, 2005) में घटित हुई। कोच्चि मामले में अधिकारियों की टीम द्वारा कार्गो को पुनर्निर्यात करने की सिफारिश की गई है और तूतीकोरिन मामले में न्यायालय ने कन्टेनर्स को शिफ्ट करने तथा सामग्री की पुन: जाँच करने की अनुमति दी है, ताकि उसके निर्यात अथवा उचित निपटान के बारे में निर्णय किया जा सके।

मंत्रालय ने आयातित अपशिष्ट पेपर में संदूषकों के संबंध में दिनांक 10.2.2006 और 23.6.2006 को निम्नलिखित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1. अधिकतम 8 प्रतिशत अंश वाले पुन: चक्रण योग्य सामग्री की अनुमति दी जा सकती है।
2. एच डी पी ई/एल डी पी ई/एक्रीलिक अपशिष्ट/स्क्रैप (हैलोजिनेटिड पालियर स्क्रैप को छोड़कर) के वजन के अनुसार 8 प्रतिशत तक पुन: चक्रण योग्य सामग्री हो सकती है।
3. आयातित पेपर अपशिष्ट में कोई सड़ने योग्य कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा।
4. सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पुन: चक्रण योग्य सामग्री के अधिकतम 8 प्रतिशत अंश होने की जांच की जाएगी।
5. आयातक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पुन: चक्रण योग्य सामग्री का पुन:चक्रण वास्तविक रूप से या तो उनके द्वारा या पुन: चक्रण कार्य करने वाली अन्य फर्म द्वारा किया गया है। सामग्रियों का पुन: चक्रण के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से निपटान नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस शर्त का अनुपालन किए जाने के बारे में सत्यापन किया जाएगा।

[हिन्दी]

आर्यन कोयला कंपनी के कारण हानियां

2670. श्री धर्मेन्द्र प्रधान
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार को आर्यन कोयला कंपनी के कारण हानि उठानी पड़ रही है जैसा कि 20 सितम्बर, 2007 को "दैनिक भास्कर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उसे कोई हानि नहीं हो रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति को शुरू किया जाना

2671. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश से बाहर रह रहे भारतीयों के बच्चों के लिए देश में साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों के बच्चों के लिए 2006 से शुरू किया गया है। छात्रवृति के लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन एजूकेशन कन्सलटेंट्स इण्डिया लि. की मार्फत आयोजित एक परीक्षा के आधार पर होता है। इस समय छात्रवृत्ति के लिए साधन–सह–योग्यता का कोई आधार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी

2672. श्री एल. राजगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लीडेन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, नीदरलैंड ने एक अध्ययन कराया है जिसके अनुसार नियमित रूप से विमान यात्रा करने वाले यात्रियों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नस में खून का थक्का जमने की बीमारी होने की संभावना होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाव के उद्देश्य से इस निदेशालय ने लम्बी विमान यात्रा संचालित करने वाली एयरलाइनों को चिकित्सा परामर्श और हल्के व्यायाम आदि जिसमें पांव के पंजों को ऊपर नीचे करने और बैठने की स्थिति में टांगों को फैलाने संबंधी व्यायाम शामिल हैं, के विषय पर घोषणाएं आरम्भ करने संबंधी निदेश दिए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे कसे हुए कपड़े/जुराबें/जूते/बैल्ट आदि न पहने और पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन कर शरीर के जलयोजन को बनाए रखें। गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे गर्भ के अंतिम माह या प्रसव के बाद के सात दिनों में कोई विमान यात्रा न करें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिनियम, 2002

2673. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि तथा यातायात नियंत्रण) अधिनियम, 2002 के सभी उपबंधों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के भूमि रिकार्डों को अद्यतन बना दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि तथा यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन की स्थापना करने का प्रावधान है। तदनुसार, 192 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासनों का गठन अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में राजमार्ग प्रशासनों के आदेशों अथवा उनके द्वारा की गई कार्रवाई से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए अधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान है। 8 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरणों के गठन के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है।

(ग) और (घ) राजमार्ग प्रशासनों द्वारा भूमि रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य शुरू किया गया है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय राजस्व अधिकारियों से मूल अद्यतन भूमि रिकार्ड प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण इसमें अपेक्षित स्तर तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

[अनुवाद]

मेडिकल पार्क स्थापित किया जाना

2674. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में 'मेडिकल पार्क' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा कब तक ये पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय चेन्नई के निकट चेंगालपट्टू में एक अत्याधुनिक वैक्सीन विनिर्माण सुविधा केन्द्र और "मेडिकल पार्क" स्थापित करने का विचार कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, हिन्दूस्तान लैटेक्स लिमिटेड को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इस "मेडिकल पार्क" में अनुसंधान एवं विकास की सुविधाओं सहित नैदानिकों, उपकरणों, डिस्पोजेबल और युक्तियों के लिए विनिर्माण उद्योग शामिल हो सकते हैं।

खेल-कूद सुविधाओं के लिए प्रस्ताव

2675. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य से प्राप्त खेल-कूद की सुविधाओं के संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) कब तक इन प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) 31.3.2005 तक मंत्रालय 'केन्द्रीय प्रायोजित खेल अवसंरचना योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों में खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता दे रहा था। किन्तु दिनांक 1.4.2005 से खेल अवसंरचना योजनाएं राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, दिनांक 1.4.2005 के बाद से किसी नई परियोजना पर विचार नहीं किया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान, कर्नाटक राज्य सरकार से 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे किन्तु इनमें से कोई भी प्रस्ताव 'खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान योजना' के अंतर्गत सहायता के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया।

इसके अलावा, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पहले से अनुमोदित परियोजना के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(रु. लाख में)

2004-05		2005-06		2006-07	
जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
101.3	9	0.00	0	42.60	2

[हिन्दी]

एन.आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन में नेहरू युवा केन्द्रों की भूमिका

2676. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ जिलों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जिम्मेवारी नेहरू युवा केन्द्रों को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या कुछ जिलों में कार्यक्रम समाप्त कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) पूरे देश में नेहरू युवा केन्द्रों की अन्य गतिविधियों को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के 14 जिलों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 4 विशेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन नेहरू युवा केन्द्र संगठन को सौंपा है। इन सभी 14 जिलों में (1) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण (2) प्रेरकों/राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (3) प्रेरणादायी अभियान (4) स्वयं-सहायता समूहों पर सहभागी शिक्षण मूल्यांकन (5) अभिमुखी प्रशिक्षण (6) स्वयं-सहायता समूहों को श्रेणीबद्ध करना (7) परिक्रामी निधि का संवितरण तथा (8) परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने जैसे परियोजना संबंधी कार्यों को पहले ही पूरा किया जा चुका है। इन 4 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2000-2001 में कुल 22.72 करोड़ रु. का आबंटन स्वीकृत किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन वाई के एस) जिला और ब्लाक स्तरों पर युवा क्लबों को सुदृढ़ करने तथा खेलों का पता लगाने में सक्षम बनाने एवं युवाओं और खेलों के बीच पारस्परिक सामंजस्य लाने के लिए एक अभियान चला रहा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अन्य कार्यक्रमों में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के साथ (1) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास (वाई एल पी डी), (2) राष्ट्रीय एकीकरण, साम्प्रदायिक सौहार्द, सदभावना और शांति, (3) उद्यमशीलता विकास, (4) विभिन्न राज्यों में पंचायत युवा शक्ति अभियान चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करना, (5) पूर्वोत्तर, जनजाति और जम्मू व कश्मीर के युवाओं के लिए युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, (6) भारत के बारे में जानिए कार्यक्रम (7) रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना और (8) किशोर अधिकार और विकास परियोजना आदि चलाना शामिल है।

[अनुवाद]

प्रोजेक्ट टाइगर के मूल क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग

2677. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राष्ट्रीय राजमार्ग 'प्रोजेक्ट टाइगर' के मूल क्षेत्र से निकलते हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने बाघों की मौतें दुर्घटना के चलते हुई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) देश में बाघ रिजर्वों के बीच से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़कों/राजमार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय बाघ रिजर्वों के बीच से गुजरने वाली सड़कों/राजमार्गों के दिशा परिवर्तन सहित बाघों के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व विशिष्ट प्रबंधकीय सहायता देने के लिए बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बाघ राज्यों को उनके प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है।

(घ) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान बाघ रिजर्व और अन्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना सहित दुर्घटनाओं के कारण वन्य जीवों और बाघों की मृत्यु से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

बाघ रिजर्वों से होकर गुजरने वाली प्रमुख सड़कों/राजमार्गों का ब्यौरा

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच)	राज्य राजमार्ग (एसएच)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बक्सा	एन एच सं. 31 सी	--	रिजर्व के दक्षिणी किनारे के बफर जोन से गुजरने वाला

1	2	3	4	5
2.	इंद्रावती	एन एच सं. 16	--	रिजर्व की दक्षिणी बाउंण्ड्री से होकर गुजरता है।
3.	पेंच (मध्य प्रदेश)	एन एच सं. 7	--	बफर जोर में पेंच अभयारण्य की सीमा से होकर गुजरता है
4.	पेंच (महाराष्ट्र)	एन एच सं. 7	--	रिजर्व से होकर गुजरता है
5.	बांदीपुर	--	1. मैसूर-ऊटी 2. गंडलपेट सुल्तानवाथरी	रिजर्व से होकर गुजरता है।
6.	कॉर्बेट	--	राज्य राजमार्ग सं. 4 मुरादाबाद टेहरी	रामनगर से मार्चुला तक लगभग 25 कि. मी. कार्वेट बाघ रिजर्व की पूर्वी सीमा से होकर गुजरता है।
7.	डाम्पा	--	1. पश्चिमी फैलेंग-त्रिपुईबारी (उत्तर पश्चिम) 2. पश्चिमी फैलेंग-मारपारा (पूर्व-उत्तर)	रिजर्व की सीमा के किनारे-किनारे गुजरता है।
8.	मेलघाट	--	1. पराटवाडा-बुरहानपुर 2. मकोट-हरीसल	रिजर्व से होकर गुजरता है।
9.	नागार्जुन सागर	--	1. मन्नाचुर डारनाल 2. नल्ला गुंटाला-बेपरलटी	रिजर्व और रिजर्व की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरता है।
10.	पलामू	--	डाल्टनगंज-रांची	रिजर्व से उत्तरी किनारे से होकर गुजरता है।
11.	पन्ना	--	राज्य राजमार्ग सं. 6 झांसी-छत्तरपुर-पन्ना-रीवा	रिजर्व से होकर गुजरता है और रिजर्व की बाउण्ड्री (माडलारेंज) बनाता है।
12.	सरिस्का	--	2 राज्य राजमार्ग	रिजर्व के बीच से होकर गुजरता है।
13.	कान्हा	--	--	बैहर और चिल्पी के बीच सार्वजनिक राजमार्ग 28 कि. मी. एन पी के अंदर और 20 कि.मी. बफर जोन में से होकर गुजरता है

1	2	3	4	5
14.	बांधवगढ़	--	--	दो राजमार्ग नामश: उमरिया-रीवा और करनी-परासी-टाला पर्याप्त लम्बाई तक बाघ रिजर्व से होकर गुजरता है
15.	टडोबा-बंधारी	--	--	सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ मेटल्ड रोड बाघ रिजर्व से होकर गुजरते हैं
16.	बाल्मीकि	--	--	2 सार्वजनिक रोड जिनकी कुल लम्बाई 26 कि. मी. है बफर क्षेत्र से होकर गुजरते हैं

विवरण II

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बाघ रिजर्व और अन्य क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों के दौरान दुर्घटना (सड़क दुर्घटना सहित) में मारे गए मुख्य वन्यजीवों की मृत्यु का ब्यौरा

वर्ष	स्थल	दुर्घटना की तारीख	प्रजातियां
2003	बान्दीपुर बाघ रिजर्व, कर्नाटक	01.09.2003	1 बाघ
2003	गांव नारकोन्डा, देहरादून	11.11.2003	1 चीता
2003	राष्ट्रीय राजमार्ग कुप्पमरेंज आंध्र प्रदेश	27.12.2003	1 चीता
2004	चिन्तागुरा बीट, आंध्र प्रदेश	15.01.2004	1 चीता
2004	कार्बेट बाघ रिजर्व, उत्तरांचल	16.09.2004	1 हाथी का बच्चा
2005	कटरनीघाट वन्यजीव डिवीजन, बहराइच (दुधवा बाघ रिजर्व)	22.3.2005	1 चीता
2005	बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	23.11.2005	1 बाघ
2005	बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	23.11.2005	1 चीता
2006	प्लांट नं. 2, रूद्रपुर, हल्द्वानी	1.2.2006	1 चीता
2006	दुधवा बाघ रिजर्व, उत्तर प्रदेश	15.4.2006	1 बाघ
2006	दुधवा बाघ रिजर्व, उत्तर प्रदेश	17.4.2006	1 चीता
2007	हल्दावानी जिला, नैनीताल, उत्तराचंल	8.4.2007	1 बाघ
2007	घोकसदनगा रेलवे स्टेशन जिला, कूचबिहार पश्चिम बंगाल	18.6.2007	1 बाघ
2007	कार्बेट बाघ रिजर्व	28.1.07	1 हाथी
2007	देहरादून वन विभाग उत्तरांचल	28.7.2007	1 तेन्दुआ
2007	रष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून, हरिद्वार	7.10.2007	1 तेन्दुआ

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

2678. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अब तक 16,04,47,879 रुपये जारी नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) कब तक केन्द्र सरकार इस अनुदान को जारी कर देगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) मंत्रालय को एन डी एस अनुदेशकों (एन डी एस आई) के सेवा में रहने की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति हेतु 21 राज्य सरकारों से 258.86 करोड़ रु. के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। एन डी एम आई के स्थानांतरण की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार उन एन डी एस आई के वेतन व भत्तों के व्यय को वहन करेगी जो राज्य सरकार की सेवाओं में आमेलित कर लिए गए थे। इसके संदर्भ में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिपूर्ति दावों का आकलन अंतिम एन डी एस आई की सेवानिवृत्ति की तारीख तक किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित अनुदान जारी किए गए हैं:–

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	गुजरात सरकार	7,30,000/-रु.
2.	मध्य प्रदेश सरकार	14,37,000/रु.
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	20,90,000/रु.
4.	हरियाणा सरकार	5,62,000/रु.
5.	राजस्थान सरकार	16,80,000/रु.
6.	केरल सरकार	3,35,000/रु.
7.	महाराष्ट्र सरकार	16,50,000/रु.
8.	पंजाब सरकार	10,16,000/रु.
9.	हिमाचल प्रदेश सरकार	5,00,000/रु.
	कुल	1,00,00,000/रु.

[हिन्दी]

पंजाब के लिए विकास परियोजना

2679. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पंजाब हेतु कतिपय विकास परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी हाँ। योजना आयोग द्वारा पंजाब हेतु वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं:

I. पंजाब के सीमावर्ती ब्लाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार।

II. भटिंडा शहर में शहरी अवसंरचना का एकीकृत विकास।

III. राष्ट्रीय सम विकास योजना जिसे अब पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) इन परियोजना की अवस्थिति क्रमश: इस प्रकार है:

I. अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन के सीमावर्ती जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अठारह सीमावर्ती ब्लॉक अर्थात् अजुआला, चौगावान, भिखीविण्ड, गंदीविण्ड, वल्टोहा, फाजिल्का, फिरोजपुर गुरू हरसहाय, जलालाबाद, खुइयां सरवर, ममडोट, बमिअल, डेरा बाबा नानक, दीना नगर, दोरंगला, गुरदासपुर, कलानौर और नरोट जैमल सिंह।

II. भटिण्डा शहर

III. होशियारपुर जिला

(ग) वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच जारी परियोजना वार राशि

(करोड़ रुपये)

	2005-06	2006-07	2007-08
(i)	0.00	137	0.00
(ii)	20.00	0.00	0.00
(iii)	7.50	15.00	7.50

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं में निर्धारित सदस्य

2680. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य वार विशेष रूप से कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिला निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्गों के तथा महिला सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्वाचित महिला एवं युवा प्रतिनिधियों (समाज के कमजोर तबकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए) को प्रणालीबद्ध तरीके से सशक्त बनाने हेतु पंचायत महिला एवं युवा शक्ति नामक एक स्कीम की शुरूआत की गई है। पंचायत महिला शक्ति अभियान के घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राज्यस्तर पर, डिवीजन व जिलास्तरीय सम्मेलन जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपने अनुभवों व समस्याओं की अभिव्यक्ति हेतु मांच उपलब्ध कराता है। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श के बाद, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि नीति एंव पक्ष समर्थन की मुख्य धारा में लाने के लिए मुद्दों के एक चार्टर को प्रारूपित करेंगी जिससे कि राज्य में विकास की प्रक्रिया द्वारा उनकी समस्याओं का निदान हो सके।

(ii) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए उन्हें आवश्यक ज्ञान व कौशल से सम्पन्न करने हेतु प्रशिक्षण दिए जाने व संवेदनशील बनाए जाने का कार्यक्रम। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता कौशल, रिकार्ड कीपिंग व लेखा, वैधानिक अधिकार इत्यादि जैसे पक्ष समाविष्ट होंगे।

(iii) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के चयनित एसोसिएशनों की सहायता के लिए या तो गैर-सरकारी संगठन आधारित या सरकार संबद्ध राज्य सहायता केंद्रों की स्थापना, जो ज्ञान-सहायक एवं स्त्रोत संस्थाओं के तौर पर कार्य करेंगे।

राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, उत्तरांचल, मणिपुर, गोवा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश पहले ही पंचायत महिला शक्ति अभियान पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कर चुके हैं। अन्य राज्य निकट भविष्य में ऐसा ही सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। वैसे राज्य जो पंचायत महिला शक्ति अभियान सम्मेलनों का आयोजन कर चुके हैं, वे जल्द ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करने वाले हैं।

विवरण

कर्नाटक सहित देश में पंचायती राज संस्थओं के कुल अ.जा., अ.जन. जाति तथा महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला (राज्य/संघशासित प्रदेश वार) विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.प्र.	पंचायतों की संख्या	सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या							
			सामान्य (गैर-अ.जा./अ.ज.जा.) श्रेणियां	अ. जा.		अ. ज. जा.		कुल	महिलाएं	
				सं.	%	सं.	%		सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	22945	172136	34025	15.2	17842	8.0	224003	74019	33.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1789	0	0	0.0	8260	100.00	8260	3183	38.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	2431	23206	1344	5.3	886	3.5	25436	9903	38.9
4.	बिहार	9040	109767	19440	14.9	884	0.7	130091	70400	54.1
5.	छत्तीसगढ़	9982	76013	17540	10.9	66833	41.7	160386	54102	33.7
6.	गोवा	191	1372	0	0.0	187	11.99	1559	1116	71.58
7.	गुजरात	14068	83982	7970	7.0	22235	19.5	114187	38068	33.3
8.	हरियाणा	6325	54508	14965	21.5	0	0.0	69473	24994	36.0
9.	हिमाचल प्रदेश	3330	16793	8724	32.0	1753	6.4	27270	9128	33.5
10.	झारखंड	3979								
11.	कर्नाटक	5856	67920	17859	18.6	10311	10.7	96090	41210	42.9
12.	केरल	1165	16246	2005	10.8	232	1.3	18483	6515	35.2
13.	मध्य प्रदेश	23412	222836	61103	15.4	112938	28.5	396877	134368	33.9
14.	महाराष्ट्र	28277	114823	25269	15.06	27597	16.45	167689	76581	45.66
15.	मणिपुर	169	1684	43	2.4	41	2.3	1768	646	36.5
16.	उड़ीसा	6578	27667	16036	17.34	24114	26.08	92452	33659	36.4
17.	पंजाब	12600	59434	28436	32.36	0	0.0	87870	31900	36.30
18.	राजस्थान	9457	73030	25364	21.2	21410	17.9	119804	42402	35.4
19.	सिक्किम	170	639	57	5.7	309	30.7	1005	384	38.2
20.	तमिलनाडु	13031	91958	23653	20.3	877	0.8	116488	39364	33.8
21.	त्रिपुरा	540	3914	1509	26.3	310	5.4	5733	1986	34.6
22.	उत्तर प्रदेश	52890	578984	191950	24.9	727	0.1	771661	299025	38.8
23.	उत्तराखंड	7335	44450	11077	19.3	1973	3.4	57500	21517	37.4
24.	पश्चिम बंगाल	3713	37277	17158	29.2	4314	7.3	58749	21428	36.5
25.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	75	856	0	0.0	0	0.0	856	296	34.6
26.	चंडीगढ़	14	105	20	16	0	0.0	125	42	33.6
27.	दा. एवं न. हवेली	12	7	3	2.4	115	92.0	125	49	39.2
28.	दमन व दीव	15	71	4	4.1	22	22.7	97	37	38.1
29.	लक्षद्वीप	11	1	0	0.0	100	99.0	101	38	37.6
30.	पुदुचेरी	108	784	237	23.2	0	0.0	1021	370	36.2
	कुल	239508	1880463	335794	12.2	327570	11.9	2755759	1036730	37.62

सामान्य (गैर अ. जा./अ. ज. जा.) श्रेणियां, पुरुष व महिलाएं;
अ. जा.: अनुसूचित जाति पुरुष व महिलाएं;
अ. ज. जा.: अनुसूचित जन जाति पुरुष व महिलाएं;
महिलाएं: अ. जा., अ. ज. जा. तथा सामान्य श्रेणियां एक साथ।

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

2681. श्री सुनील खां: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई. सी. एल. में निजी पार्टियों को कितने कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला ब्लॉकों के आबंटन से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) ई.सी.एल. के कमान क्षेत्र में निजी पार्टियों को लगभग 316.72 मि. ट., भू-वैज्ञानिक भंडारों (जी आर) वाले 3 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई. सी. एल. के कमान क्षेत्र में निजी पार्टियों को कोयला ब्लाकों के आबंटन से संबंधित कंपनी-वार ब्यौरा निचे दिया गया है:-

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आंबटन की तारीख तारीख	ब्लाक का नाम	जी आर (मि. ट.)
1.	मैसर्स बांकुरा डी आर आई माइनिंग मैनुफैक्चरर्स कं. प्रा. लि.	20.2.2007	बिहारीनाथ	95.16
2.	मैसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	20.2.2007	जितपुर	81.09

(ग) कोल इंडिया लि. कोयला ब्लाकों के आबंटन से कोई राजस्व अर्जित नहीं करती है।

जम्मू और कश्मीर तथा पांडिचेरी, में राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार

2682. श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान परियोजना-वार कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है अथवा शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) शुरू किए गए कार्य की स्थिति क्या है; और

(ग) आज की तिथि तक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में शुरू की गई/शुरू की जाने वाली संभावित राष्ट्रीय परियोजनाओं के ब्यौरे/स्थिति संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	कार्य का नाम	रारा सं.	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई परियोजनाएं					
1.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा किमी. 110.45 से किमी. 117.6 और किमी. 4.0 से कि.मी. 16.5	1ए	19.65	97.73	50.59	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
2.	विजयपुर से पठानकोट कि.मी. 50 से 80	1ए	30.00	166.27	34.92	प्रगति पर
3.	विजयपुर से पठानकोट कि.मी. 16.35 से 50.00	1ए	33.65	193.09	48.5	प्रगति पर
4.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) कि.मी. 0.00 से कि.मी. 15	1ए	15.00	85.34	46.18	प्रगति पर
5.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) कि.मी. 286 से कि.मी. 303.8	1ए	1.23	62.96	34.92	प्रगति पर
6.	श्रीनगर-बारामूला-उरी	1ए	94	439.39	195.83	प्रगति पर
7.	बटोट-किश्तवाड़-सिंथनपास-अनंतनाग	1बी	265	703.30	114.70	प्रगति पर
8.	दोमेल-कटरा	1सी	15	34.00	25.96	प्रगति पर
9.	श्रीनगर-कारगिल-लेह	1डी	430	807.03	80.60	प्रगति पर

जम्मू और कश्मीर में शुरू की जानी वाली संभावित परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्य का नाम	रारा सं.	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)
1.	श्रीनगर से काजीगुंड	1ए	30.00 किमी.	633.00
2.	श्रीनगर से काजीगुंड	1ए	36.00 किमी.	475.80
3.	काजीगुंड से बनिहाल	1ए	31.00 किमी.	130.4
4.	काजीगुंड से बनिहाल	1ए	दो सुरगों सहित 15.25 किमी. (8.45 किमी.+0.69 किमी.)	1629.4
5.	रामसू से बनिहाल	1ए	12.90 किमी.	320.4
6.	रामबान से रामसुकम	1ए	19.20 किमी.	727.8
7.	नाशरी से रामबंगम	1ए	19.31 किमी.	453.2
8.	उधमपुर से चेनानी	1ए	20.76 किमी.	452.7
9.	चेनानी से नाशरी	1ए	12.00 किमी. मुख्य सुरंग-9 कि.मी. बचाव सुरंग-9 कि.मी.	1963.4
10.	जम्मू बाइपास और नगरौता बाइपास	1ए	17.40 कि.मी.	481.7
11.	नंदनी वन्य प्राणी विहार और रामनगर वन्य प्राणी विहार	1ए	5.80 किमी.	346.4
12.	खानपुर-नगरौता-पलाता (गरनई)	1ए	23.10 किमी.	488.2
13.	उधमपुर बाइपास	1ए	18.50 किमी.	334.0

विवरण II

क्र.सं.	कार्य का नाम	रारा सं.	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	स्थिति
	पांडिचेरी में शुरू की गई परियोजनाएं					
1	किमी., 46/500 से 54/180 तक पेव्ड शोल्डर का निर्माण	45ए	7.68	2.33	2.33	पूर्ण
2.	किमी. 38/400 से 39/400 तक दो लेन की विद्यमान पेवमेंट को चार लेन का बनाना	45ए	1	1.64	1.64	पूर्ण
3.	किमी. 176/300 पर नए पुल अरसालर का निर्माण	45ए	-	7.09	3.50	प्रगति पर
4.	किमी. 0/54 से 1/040 में पेव्ड शोल्डरों चैनेज के निर्माण और विद्यमान क्रास ड्रेनेज संरचना को चौड़ा करने सहित किमी. 0.00 से 3.57 तक सड़क गुणता सुधार	66	3.57	3.075	2.08	प्रगति पर
5.	किमी. 173/400 से 186/800 में सड़क गुणता सुधार	45ए	13.4	4.61	2.35	प्रगति पर

पांडिचेरी में शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्य का नाम	रारा सं.	लंबाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)
1.	बी ओ टी आधार पर पांडिचेरी-टिंडीवनम को चार लेन का बनाना	66	4.0 (41)	25.30*(लगभग) (260.00)
2.	किमी. 41/600 से 43/180 तक पेव्ड शोल्डरों का निर्माण	45ए	1.58	1.00
3.	किमी. 22/100 से 24/000 तक पेव्ड शोल्डरों का निर्माण	45ए	1.90	1.25
4.	किमी. 166/600, 171/900, 178/400 178/600, 181/600, 181/900 और 184/300 में 8 पुलियों का पुनर्निर्माण	45ए	8 संख्या	0.50
5.	करईकल क्षेत्र में मलाओदुथुरई में किमी. 176/500 पर उपनार पुल का पुनर्निर्माण	45ए	1 संख्या	3.54
6.	करईकल क्षेत्र में किमी. 178/000 पर मुलईयार पुल का पुनर्निर्माण	45ए	1 संख्या	1.50

*परियोजना की कुल लंबाई 41 किमी. और लागत 260.00 करोड़ रु. है।

पारे का आयात

2683. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात किए गए पारे की लागत तथा मात्रा कितनी थी;

(ख) क्या चिकित्सीय उपकरणों में पारे का उपयोग चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि यह एक खतरनाक पदार्थ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पारे का विकल्प विकसित कर लिया गया है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित मर्करी की लागत और मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	मात्रा हजार किग्रा. में			मूल्य लाख रुपए में		
एचएस कोड	2004-05	2005-6	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
2805400	174.82	155.43	220.42	929.02	1,165.40	11,382.59

(ख) से (ङ.) इस समय चिकित्सा उपकरणों में मर्करी के उपयोग, को चरणबद्ध तरीके से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछेक एककों ने सेन्सर्स आधारित डिजिटल थर्मामीटर का उत्पादन शुरू कर दिया है।

परित्यक्त भारतीय महिलाओं हेतु नई योजना

2684. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं को कानूनी/वित्तीय आश्वासन देने के लिए परित्यक्त भारतीय महिलाओं हेतु नई योजना के अंतर्गत कितने मामले प्रायोजित किए गए; और

(ख) योजना के अंतर्गत भारतीय मिशनों द्वारा किन-किन भारतीय महिला संघों/गैर-सरकारी संगठनों को पैनल में लिया गया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी गई भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत विदेशों में भारतीय मिशनों ने 13 मामले प्रायोजित किये हैं।

(ख) विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के पास बनायी गई भारतीय महिला संगठनों/भारतीय सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के पास बनायी गई भारतीय महिला संगठनों/भारतीय सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्रमांक	भारतीय मिशन	भारतीय मिशनों में सूचीबद्ध भारतीय महिला संघ/गैर-सरकारी संस्थान
1	2	3
1.	भारतीय दूतावास वाशिंगटन, डी सी, सं. रा. अ.	आशा (एशियन वूमेन्स सेल्फ-हेल्प एसोसिएशन), पोस्ट बॉक्स-2084 रॉकविल, एमडी 20847-2084
2.	भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, सन फ्रान्सिसको, सं. रा. अ.	1. मायरी, 234, ईस्ट गिश रोड, सुइट 200, सन जोस, सीए 95112 2. नारिका, पोस्ट बॉक्स नं. 14014, बारकले, सी ए 94714 3. सेव ए लीगल एड, 37053 चेरी स्ट्रीट नं. 207, निवार्क, सीए 94560

1	2	3
3.	भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, न्यूयार्क, सं. रा. अ.	1. सखी न्यूयार्क 2. अवेक, (एशियन वूमेन्स एलाइन्स फॉर किनशिप एंड इक्वेलिटी) 3. मानवी, न्यू जर्सी 4. सर्विस एंड एजूकेशन फॉर वूमेन अगेंस्ट एब्यूज 9सेव, फिलाडेल्फिया 5. इंटनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बूफेलो
4.	भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, शिकागो, सं. रा. अ.	अपना घर आइएनसी (अवर होम), शिकागो
5.	भारतीय दूतावास, कतर	इंडियन कम्यूनिटी बेनेवोलेंट फंड (आई सी बी एफ), दोहा कतर
6.	भारतीय उच्च आयोग, केनबर्रा, आस्ट्रेलिया	द इंडियन वेल्फेयर एंड रिसोर्सिस सेन्टर (आईडब्ल्यूआरसी), द वेल्फेयर विंग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया, मेलबोर्न
7.	भारतीय उच्च आयोग, ओटावा, कनाडा	1. इंडियन कनाडा एसोसिएशन 1301, प्रेस्टोन ड्राइव, ओटावा, ओएन के1ई, 2जेड2 2. ओटावा कम्यूनिटी इमिग्रेशन सर्विस आर्गेनाइजेशन, 959 वेलिगटन स्ट्रीट वेस्ट, ओटावा, ओएन के 1वाई 2एक्स 5 3. नेशनल एसोसिएशन ऑफ केनेडियन्स ऑफ इंडियन ओरिजन, 24 सेन्ट-पॉल ईस्ट, सुईट 201, मॉन्ट्रियल, क्यूसी एच 2वाई 1 जी 3 4. एडब्लूआईसी कम्यूनिटी एंड सोशल सर्विसेस 3030 डॉन मिल्स रोड पीनट प्लाजा, नोर्ट यॉर्क, ओएन एम 2जे3सी1
8.	भारतीय उच्च आयोग, वेलिगंटन, न्यूजीलैंड	शक्ति कम्यूनिटी काउंसिल इन्क., ऑकलैंड

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया द्वारा भारत को यूरेनियम की आपूर्ति

2685. श्री कीरेन रिजीजू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया का विचार भारत को यूरेनियम की आपूर्ति के संबंध में मामले की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में आस्ट्रेलिया के साथ कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) आस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जॉन हॉवर्ड ने, भारत को यूरेनियम की बिक्री के संबंध में आस्ट्रेलिया की सरकार के निर्णय से अवगत कराने के लिए 16.08.2007 को प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह से बात की थी। प्रधान मंत्री ने श्री हॉवर्ड को धन्यवाद दिया। इस बात पर सहमति हुई कि इस मामले पर आगे और बातचीत सरकारी स्तर पर की जाएगी। ऐसी बातचीत अभी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

देश में टेली-मेडिसिन यूनिटें

2686. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने टेली मेडिसीन यूनिटें हैं तथा इनका कार्य क्या है;

(ख) क्या इसरो के पास और टेली मेडिसीन यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक उपर्युक्त यूनिटें स्थापित कर ली जाएगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) वर्तमान में देश के अधिकांश राज्यों का आवृत करते हुए 215 सुदूर/ग्रामीण/जिला अस्पतालों (8 मोबाइल यूनिटों सहित) को 43 स्पेशेलिटी अस्पतालों से जोड़कर 258 टेली-मेडिसीन केंद्र स्थापित हैं। इनकी राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं। दूर-परामर्श और सातत्य चिकित्सा शिक्षा के लिए इन टेलीमेडिसीन केंद्रों का उपयोग किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 2008 के मध्य तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आवृत करते हुए 30 और टेलीमेडिसीन केंद्रों को स्थापित करने की योजना है।

विवरण

विविध राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित टेली मेडिसीन केंद्रों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टेलीमेडिसीन केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4
3.	बिहार	1
4.	पश्चिम बंगाल	7
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	गुजरात	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	हरियाणा	2
9.	झारखंड	1
10.	जम्मू एवं कश्मीर	12
11.	कर्नाटक	44
12.	केरल	26
13.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	5
14.	मध्य प्रदेश	1
15.	महाराष्ट्र	12
16.	नई दिल्ली	4
17.	उड़ीसा	7
18.	पंजाब	5
19.	पांडिचेरी	5
20.	राजस्थान	39
21.	तमिलनाडु	16
22.	उत्तर प्रदेश	3
23.	उत्तरांचल	1
	सेवाएं	
24.	थल सेना	6
25.	वायु सेना	5
26.	जल सेना	1
	उत्तर पूर्वी राज्य	
27.	असम	4
28.	सिक्किम	1
29.	मणिपुर	1
30.	अरूणाचल प्रदेश	4
31.	नागालैंड	2
32.	मेघालय	1
33.	मिजोरम	4
34.	त्रिपुरा	4

[हिन्दी]

आंतकवाद से निबटने के लिए संयुक्त तंत्र

2687. श्री बालेश्वर यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए गठित संयुक्त तंत्र द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोनों देशों के बीच हाल में हुई बैठक में किन-किन मुद्दों पर आम सहमति हुई?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हवाना, क्यूबा में 16 सितम्बर, 2006 को लिए गए निर्णय के अनुसरण में संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र की दूसरी बैठक 22 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। दोनों पक्षों ने इस्लामाबाद में 6 मार्च, 2007 को संयुक्त आंतकवाद-रोधी तंत्र की हुई पहली बैठक और अंतराल अवधि के दौरान बांटी गयी सूचना पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने पिछली बैठक से घटी घटनाओं सहित आतंकवादी घटनाओं पर नई सूचना का आदान-प्रदान किया। वे उपायों की पहचान करने, विशिष्ट सूचना का आदान-प्रदान करने और जांच-पड़ताल में सहायता देने के लिए कार्य करना जारी रखने पर सहमत हुए।

पाकिस्तान के साथ कार्गो शिपिंग सर्विस

2688. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ कार्गो शिपिंग सर्विस पुन: शुरू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त पोत परिवहन करार 14 दिसंबर, 2006 को किया गया है। इन दोनों देशों के बीच कार्गो नौवहन सेवा उक्त करार के अंतर्गत शासित की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर बाइपास

2689. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर मंगोलदोई तथा उत्तर लखीमपुर शहर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर तिनसुकिया तथा डिब्रूगढ़ में बाइपासों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सभी चार बाइपासों के संरेखण का पता लगाया जा रहा है। तथापि, फिलहाल इन बाइपासों के निर्माण का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आर्यन कोयला धोवनशाला की क्षमता बढ़ाने हेतु अनुरोध

2690. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आर्यन कोयला धोवनशाला, दीपिका की वर्तमान क्षमता को 7 मिलियन से बढ़ाकर 12 मिलियन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा दीपिका वाशरी की क्षमता 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा. लि. (एसीबीपीएल) से कोयला मंत्रालय को अगस्त, 2006 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तदनुसार, मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि. की दीपिका वाशरी तथा अन्यों के क्षमता मूल्यांकन के संबंध में कोल इंडिया लि. द्वारा श्री के. के. सरन, निदेशक (तकनीकी/प्रचालन), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने जनवरी, 2007 में प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मैसर्स ए. सी. बी. पी. एल. की क्षमता का मूल्यांकन 9 मिलियन टन के रूप में किया है जिसके अनुसार कोयला कंपनी ने धुलाई हेतु लिंक्ड उपभोक्ता को कोयले का प्रेषण आंरभ कर दिया है। तथापि, कोल इंडिया लि. को अप्रैल, 2007 में समिति द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट में मैसर्स ए. सी. बी. पी. एल. की क्षमता 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष के रूप में अनुशंसित की गई है जो सी. आई. एल. के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

तम्बाकू मुक्त दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर

2691. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड लंग फाउंडेशन (डब्ल्यू.एल.एफ.एस.ए.) ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए एक दो-वर्षीय परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विश्वविद्यालयों और अस्पतालों में भी ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) वर्ल्ड लंग फाउण्डेशन (डब्ल्यू. एल. एफ. एस. ए.) ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक दो वर्षीय परियोजना बनाई है। परियोजना का ब्यौरा इस प्रकार है–

1. व्यापक पैमाने पर गहन एसीएस एम (समर्थन सम्प्रेषण, सामाजिक गतिशीलन), आई ई सी (सूचना, शिक्षा एंव सम्प्रेषण) कार्यकलाप।
2. दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में तम्बाकू मुक्त ब्रिगेडों का निर्माण।
3. तम्बाकू प्रयोग के दुष्प्रभावों तथा विद्यमान कानूनी उपबंधों के बारे में अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और तम्बाकू विक्रेताओं को सुग्राही बनाना।
4. गलियों में प्रदर्शन (शो) करना।
5. दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों/परिसर में होर्डिंग तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री लगाना।

(ग) और (घ) तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 सार्वजनिक स्थलों जिनमें अस्पताल और शिक्षण संस्थाएं भी शामिल हैं पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करती है।

राज्य सरकारें क्रियान्वयन एजेंसियां हैं और उन पर अधिनियम/उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बार-बार जोर दिया जाता है।

भारत सरकार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:–

(i) समुदाय स्तर पर तम्बाकू के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(ii) राज्य सरकारों की प्रवर्तन क्षमता बनाना।

घड़ियालों की घटती संख्या

2692. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घड़ियालों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत सर्वेक्षण की तुलना में वर्तमान में उनकी संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा किए गए संख्या के आकलन के अनुसार घड़ियालों की संख्या काफी स्थिर रही है। वर्तमान में किए गए सर्वेक्षण में घड़ियालों की अनुमानित संख्या 1645 है जबकि पिछले सर्वेक्षण में इनकी संख्या 1555 थी।

(ङ.) घड़ियालों को सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) घड़ियाल को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है जिसके फलस्वरूप उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) घड़ियालों को बंधक रूप में प्रजनन करने हेतु सफलतापूर्वक मानकीकृत किया गया है और जरूरत पड़ने पर बंधक रूप से प्रजनित घड़ियालों को जंगल में भी छोड़ा जाता है।

(iii) राज्य सरकारों को घड़ियालों और उनके पर्यावासों समेत वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों द्वारा अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए गए हैं और इस प्रकार घड़ियालों के पर्यावास को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य घड़ियालों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सहयोग कर रहे हैं।

कार्बन क्रेडिट योजना

2693. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कार्बन क्रेडिट संबंधी एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री के संदर्भ में योजना को लागू करने की कार्यपद्धति क्या है; और

(घ) पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने क्योटो प्रोटोकाल के संदर्भ में पर्यावरण की गुणता के संरक्षण और सुधार तथा सतत विकास प्राप्त करने में विकासशील देश पक्षकारों को सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी सी) के मूलभूत उद्देश्यों में सहयोग प्रदान करना और विकसित देश पक्षकारों की उनके प्रमाणीकृत उत्सर्जन परिसीमा और उत्सर्जन कम करने की वचनबद्धता अनुपालन को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।

(ग) राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण मेजबान देश अनुमोदन की मंजूरी के लिए स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं का आंकलन करता है और इस की पुष्टि करता है कि परियोजना कार्य देश को सतत विकास प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करता है कि स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना की मार्किट पर्यावरण प्रमाणीकृत उत्सर्जन कमी के कम आकलन में सहायक नहीं है।

(घ) स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाएं राष्ट्रीय सतत प्राथमिकता और अन्य सम्बद्ध पर्यावरणीय मुद्दों के अनुसार है।

स्टेम सैल के माध्यम से स्पाइनल इंजरी का उपचार

2694. श्री एन. एस. वी. चित्तन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेम सैल के माध्यम से स्पाइनल इंजरी के मरीजों का उपचार हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे कितने स्थान/अस्पताल हैं जहां स्टेम सैल से उपचार करना पहले ही शुरू हो चुका है; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों विशेष कर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नि:शुल्क ऐसा उपचार कराने की अनुमति है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ.) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रोगियों में स्पाइनल कोर्ड इन्जरी सहित आटोलोगस बोन मैरो स्टेम सेल के दावे को नोट किया है जिसे एन सी आर एम जीवन रेखा दल (होप के तहत नीची इन-फुनरूज्जीवन केन्द्र) द्वारा 12 जून, 2007 को चेन्नई में प्रस्तुत किया गया। मणिपाल अस्पताल के पुनरूज्जीवन औषध विभाग ने भी 15 स्पाइनल कोर्ड इन्जरी रोगियों में स्टेम सेल थेरेपी में नैदानिक परीक्षण का दावा किया है। तथापि, इस समय अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के अलावा नेमी चिकित्सा व्यवसाय के एक भाग के रूप में स्टेम सेल थेरेपी के लिए कोई अनुमोदित संकेत नहीं है।

[हिन्दी]

जंकफूड के पैकेटों पर चित्रों के माध्यम से चेतावनी

2695. श्री राकेश सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य पर जंक फूड के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जंक-फूड पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी छापने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी कब तक छापे जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) इस समय जंक फूड पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी छापने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार कार्बोनीकृत पेय पदार्थों सहित जंक फूड के उपभोग को रोकने और लोगों को पौष्टिक और स्वास्थ्य खाद्यों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्कूल और कालेज की कैंटीनों से जंक फूड और कार्बोनीकृत पेय पदार्थों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखा है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को भी इस आशय के पत्र लिखे गए हैं कि वे शैक्षणिक संस्थाओं की कैन्टीनों से जंक फूड और कार्बोनीकृत पेय पदार्थों को हटाने के लिए अपने राज्यों के चिकित्सा एवं कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्व विद्यालयों के उप-कुलपतियों को निदेश जारी करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

दमण और दीव में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

2696. श्री बाहुभाई वल्लभभाई पटेल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की गई/की जाने वाली सड़क/पुल/बाइपास/अंतरराष्ट्रीय सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ योजना-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और चालू परियोजनाओं हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है तथापि, इस मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई और चालू वर्ष में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित सड़क/पुल परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(धनराशि लाख रुपए)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	जारी धनराशि	वर्तमान स्थिति	पूरा होने की संभावित तिथि
वर्ष 2004-05			-कुछ नही-		
वर्ष 2005-06					
1.	दमन को गुजरात से जोड़ने वाली कोलक नदी पर पुल का पुनर्निर्माण	334.38	-	कार्य नहीं सौंपा गया	-
2.	दीव को गुजरात से जोड़ने वाले टाड क्रीक पर पुल का पुनर्निर्माण	316.27	210.00	कार्य प्रगति पर	मार्च, 2008
	वर्ष 2006-07 और 2007-08 (आज तक)			-कुछ नहीं-	

दावानल से हुई हानि

2697. श्री मिलिन्द देवरा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दावानल के कारण प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये की हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. रघुपति): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रदूषण-मुक्त परिवहन प्रणाली

2698. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:,

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण कश्मीर में खारनाबल से लेकर उत्तर में खडिनयार तक फैली झेलम नदी में एक प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में झेलम और अन्य नदियों की नौवहन संबंधी क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

—

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, झेलम नदी पर खारनाबल और खडिनयार के बीच प्रस्तावित प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली में, मुख्य रूप से, अक्तूबर से फरवरी (सर्दी के महीने) में, जबकि नौचालन के लिए अपेक्षित डुबाव (1.22 मीटर) उपलब्ध नहीं होता है, नदी में डुबाव बढ़ाने के लिए नौचालनात्मक द्वारबंद (लॉक और गेटिड) ढांचा शामिल है। नौचालन द्वारबंदी (लॉक) पर निर्माण कार्य 1984 में प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान ने इस परियोजना पर यह आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई कि झेलम नदी में जल भंडारण का निषेध है। इसके परिणामस्वरूप 1987 से काम बंद हो गया जब भारत सरकार ने आयुक्त स्तर की वार्ता के स्थान पर सरकारों के स्तर की वार्ता का फैसला किया। 1998 से संयुक्त बातचीत के भाग के रूप में की गई कई दौर की सचिव स्तरीय बातचीत के बावजूद इस मामले का समाधान नहीं हो सका है। इस संबंध में जल संसाधन मंत्रालय (सिंधु स्कंध) द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों से आवधिक रूप से बातचीत की जा रही है। जहाँ तक राज्य में स्थित अन्य नदियों का संबंध है, जम्मू राज्य में बहने वाली नदियों की तीव्र ढलानें हैं और वह नौचालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कश्मीर घाटी में, व्यवहारिक उद्देश्यों से, जल परिवहन का विकास झेलम नदी और विभिन्न झीलों के कुछ खंडों तक ही सीमित है।

नाको कार्यक्रम

2699. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) वित्तीय संकट के कारण एच आई वी से प्रभावित 5000 मरीजों को उपचार प्रदान नहीं करा पाया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी नहीं। ए आर टी केन्द्रों में आने वाले पात्र रोगियों को निशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार, देश के 136 ए आर टी केन्द्रों पर कुल 1,12,928 रोगी उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना

2700. श्री पी.सी. गद्दीगऊदर
श्री के. विरूपाक्षप्पा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) क्या इस बोर्ड के काम की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक के किसानों पर बकाया 3 करोड़ रुपये की राजसहायता राशि वापस ले ली गई है;

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) किसी भी राज्य ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना नहीं की है। तथापि, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 24 नवंबर, 2000 को अधिसूचित संकल्प के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने 35 राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों में राज्य स्तर के बोर्डों को स्थापित करने काम मार्ग प्रशस्त किया है। इन राज्य स्तर के बोर्डों को "राज्य औषधीय पादप बोर्ड" (एस एम पी बी) कहते हैं। ये बोर्ड औषधियों पादपों के विकास से संबंधित मामलों का समन्वय करने के साथ-साथ स्कीमों का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण करते हैं।

(ख) और (ग) इन बोर्डों द्वारा निष्पादित कार्यों की सावधिक समीक्षा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं का संचालन और राज्य औषधीय पादप बोर्डों की बैठकों के आयोजन द्वारा की जाती है। इस संबंध में पिछली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18-19 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में किया गया था। राज्य औषधीय पादप बोर्डों के कार्यों की समीक्षा राज्यों के दौरों पर गए हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जाती है। अभी तक, इन राज्य/संघ राज्य प्रदेश बोर्डों का कार्य निष्पादन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित अवसंरचना, अधिकारियों, कार्मिकों और निधियों को उपलब्ध न कराए जाने के कारण अपेक्षित स्तर का नहीं रहा है।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की संविदात्मक कृषि स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत कुछ परियोजनाओं को लाभार्थियों द्वारा स्कीम में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण निरस्त करना पड़ा। स्कीम का बेहतर तौर पर कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण करने के लिए बोर्ड को सुदृढ़ करने संबंधी मामले को पहले ही कर्नाटक राज्य सरकार के साथ उठाया जा चुका है।

आई.सी.एस. पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु समिति

2701. **श्री रशीद मसूद:**
श्री अनन्त नायक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) परीक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का सिविल सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां तो वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (छ) इस समय, सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया तथा परीक्षा प्रणाली को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, संघ लोक सेवा आयोग (यू. पी. एस. सी.) ने सिविल सेवा परीक्षा की मौजूदा पद्धति की समीक्षा करने हेतु प्रोफेसर वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को, प्रशासनिक सुधार आयोग को उनकी राय जानने हेतु भिजवा दिया गया है।

मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजना

2702. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने में सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने से प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने की पूरी प्रक्रिया में कुल कितनी राशि व्यय होगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) इस अभियान का वैज्ञानिक उद्देश्य मंगल के वातावरण और आयनमंडल के अध्ययन के माध्यम से मंगल ग्रह के विकास, धूलवाही आंधी, मंगल के साथ सौर विकिरण और कणों की पारस्परिक क्रिया, मंगल के आसपास चुंबकीय क्षेत्र और प्लाजमा वातावरण, जल-हिम सतह के स्थलाकृति विज्ञान, संघटन और वितरण को समझना है।

(ग) मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने पर लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

महाराष्ट्र को आंबटित धनराशि

2703. **श्री प्रकाश बी. जाधव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यह धनराशि आबंटन किन विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए किया गया है; और

(ग) कार्यान्वयन कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ग) 2007-08 के लिए महाराष्ट्र की वार्षिक योजना का परिव्यय 20, 200 करोड़ रु. अनुमोदित किया गया था। आबंटन का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	775.82
2.	ग्रामीण विकास	1519.15
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1093.53

1	2	3
4.	सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण	4144.16
5.	ऊर्जा	1930.55
6.	उद्योग एवं खनिज	110.79
7.	परिवहन	1994.05
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	16.50
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	555.82
10.	सामाजिक सेवाएं	7832.03
11.	सामान्य सेवाएं	227.60
	कुल	20200.00

राज्यों की योजनाओं के अंतर्गत शामिल की गई परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति नियमित रूप से केन्द और राज्य दोनों स्तर पर मानीटर की जाती है।

[हिन्दी]

जीव सरंक्षण हेतु समिति

2704. श्री गणेश सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मन्नार की खाड़ी में जीवों के संरक्षण हेतु एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की कार्यप्रणाली और उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) सरकार ने मन्नार की खाड़ी में जीवन स्वरूप के संरक्षण के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन अधिनियम

2705. श्री असावूद्दीन ओवेसी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाहक अधिनियम, 1865 के स्थान पर एक नया सड़क परिवहन अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्यदल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ड.) उक्त अधिनियम को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सड़क द्वारा वहन, अधिनियम, 2007 दिनांक 1.10.2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है जो वाहक अधिनियम, 1865 का स्थान लेगा।

(ख) इस अधिनियम में सामान्य वाहकों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, सामान्य वाहक के दायित्व, माल अग्रेषण नोट और माल रसीद की आवश्यकता, उच्चतर दायित्व के बदले में उच्चतर जोखिम दर पर माल के परिवहन के लिए परेषक और सामान्य वाहक के बीच समझौते की संभावना माल की डिलीवरी लेने में परेषिती की असफलता की स्थिति में अपनी बकाया राशि वसूल करने के लिए माल की बिक्री का अधिकार सामान्य वाहक को देने खतरनाक/जोखिमी माल के परिवहन के लिए बीमा की आवश्यकता, कतिपय परिस्थितियों में सामान्य वाहक को अपने दायित्वों से मुक्त करने के लिए बाध्यकारी प्रावधान, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माने जैसे विभिन्न पहलुओं से संबधित 22 धाराएं हैं।

(ग) और (घ) सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 के तहत नियम तैयार करने के लिए दिनांक 15.11.02007 को श्री एस. के. दास, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस कार्य समूह से 6 माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ड.) इस अधिनियम के तहत नियम तैयार करने में शामिल प्रक्रियागत अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर इस अधिनियम को लागू करने की कोई निश्चित तारीख दे पाना संभव नहीं है।

आपात उपचार से इंकार करने पर दंड

2706. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने आपात उपचार से इंकार करने पर अस्पताल चलाने वाले व्यक्तियों या डॉक्टरों को कठोर दंड देने हेतु एक कानून बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विधि आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक कानून लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत के विधि आयोग ने "दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को एवं आपाती चिकित्सा स्थितियों में और प्रसव पीड़ित महिलाओं की आपातकालीन चिकित्सा परिचर्या" पर 201वीं रिपोर्ट में एक मॉडल विधि का सुझाव दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपातकालीन इलाज से मना करने की स्थिति में चिकित्सक अथवा अस्पताल चलाने वाले व्यक्ति के लिए दण्ड की व्यवस्था है। भारत के विधि आयोग की उक्त रिपोर्ट को 7.9.2007 को लोक सभा के सभा पटल पर रख दिया गया है। स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, यह राज्य सरकारों का उत्तदायित्व है कि इस मॉडल विधि पर आधारित विधान का निर्माण करें।

उपग्रह प्रौद्योगिकी से रोग का इलाज करना

2707. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को गुजरात सरकार की उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रोग का इलाज करने की योजना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सारे देश में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार तकनीकी परामर्श प्राप्त करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपग्रह के माध्यम से उच्च स्तरीय संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए टेलेमेडिसन प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए वीएसएटी कनेक्टीविटी इसरो द्वारा प्रदान की जाती है और इस परियोजना को 25 एककों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। गुजरात राज्य सरकार अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को 25 जिला अस्पतालों और 6 शिक्षण अस्पतालों में भी कार्यान्वित कर रही है।

सचल चिकित्सा एककों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए गुजरात में ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का प्रयोग किया जा रहा है। इस समय, जी पी एस के माध्यम से 40 एम एच यू की निगरानी की जा रही है। राज्य रोग निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग कर रहा है।

भारत सरकार विभिन्न स्टेकहॉल्डरों द्वारा संचालित की जा रही टेलेमेडिसिन परियोजनाओं की सहायता कर रही है और इनको जारी रखने/बढ़ाने के लिए मूल्यांकन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

'बिमारू' राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद

2708. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को 'बिमारू' तमगे से छुटकारा दिलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन विशेष कारकों पर ध्यान दिया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर अन्य राज्यों और 'बिमारू' प्रदेशों के सदस्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों का तुलनात्मक कार्य-निष्पादन कैसा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) बिमारू राज्य शब्द सरकारी नामपद्धति का हिस्सा नहीं है। यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संदर्भ में संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है।

(ग) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की प्रतिशतता वृद्धि सहित स्थिर मूल्यों (1999-2000) पर राज्यवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) अनुमान दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सकल राज्य घरेलू उत्पाद		(करोड़ रुपए)			(पूर्व वर्ष में % वृद्धि)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	164213	174375	188623	9.3	6.2	8.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	2146	2408	2510	10.6	12.2	4.2
3.	असम	41595	43806	46393	6.0	5.3	5.9
4.	बिहार	59386	65909	65956	-4.2	11.0	0.1
5.	झारखण्ड	36564	46401	49528	7.5	26.9	6.7
6.	गोवा	7329	8076	8596	7.5	10.2	6.4
7.	गुजरात	140598	150979	169354	14.8	7.4	12.2
8.	हरियाणा	66176	71880	77666	8.4	8.6	8.0
9.	हिमाचल प्रदेश	17925	19279	20919	8.1	7.6	8.5
10.	जम्मू व कश्मीर	18278	19234	उ.न.	5.2	5.2	उ.न.
11.	कर्नाटक	114604	127664	138784	3.4	11.4	8.7
12.	केरल	85253	92075	98817	6.2	8.0	7.3
13.	मध्य प्रदेश	85530	88254	94158	11.4	3.2	6.7
14.	छत्तीसगढ़	34465	37457	42065	16.8	8.7	12.3
15.	महाराष्ट्र	286904	310837	339425	7.0	8.3	9.2
16.	मणिपुर	3598	4477	4962	10.8	24.4	10.8
17.	मेघालय	4551	4846	5106	7.3	6.5	5.4
18.	मिजोरम	1974	2056	उ.न.	3.2	4.2	उ.न.
19.	नागालैंड	4349	4638	उ.न.	10.2	6.6	उ.न.
20.	उड़ीसा	51675	58192	उ.न.	14.7	12.6	उ.न.
21.	पंजाब	77260	81081	84851	5.2	4.9	4.6
22.	राजस्थान	103982	101527	105135	28.7	-2.4	3.6
23.	सिक्किम	1204	1297	1401	7.9	7.7	8.0
24.	तमिलनाडु	150915	167775	180120	6.0	11.2	7.4
25.	त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	198394	206941	219494	5.0	4.3	6.1
27.	उत्तरांचल	17796	19180	21152	7.7	7.8	10.3
28.	पश्चिम बंगाल	165406	176393	190728	5.7	6.6	8.1
29.	अ. एंव नि. द्वीपसमूह	1152	1104	1223	11.3	-4.2	10.8
30.	चंडीगढ़	6020	6819	7743	11.3	13.3	13.6
31.	दिल्ली	69825	77010	84078	7.3	10.3	9.2
32.	पांडीचेरी	4530	4044	4295	5.1	-10.7	6.2
	अखिल भारत जीडीपी (1999-2000 आधारित)	2222591	2389660	2604532	8.5	7.5	9.0

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

बनारघट्टा जैव उद्यान

2709. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारघट्टा जैव उद्यान (बंगलौर के समीप) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के अंतर्गत जगुआर (सिंगापुर से) रेकून और स्क्वीरल (दक्षिण अफ्रीका से) और झारखंड से हायना जैसे कई नए जानवरों को उद्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु अन्य परिवर्तनों पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ड.) बनारघट्टा जैव उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक विकसित करने के लिए परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें जगौर, राकून्स, गिलेहरी, बंदर और हायना आदि जैसे नए जानवरों को शामिल करना है। उद्यान में आगन्तुकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं और उन्नत अवसंरचना जैसे अन्य परिवर्तन परियोजना के अन्य भाग के रूप में भी शामिल हैं।

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

2710. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छह कंपनियों को संयुक्त रूप से दो कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में और कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उड़ीसा राज्य में स्थित रामपिया (275.24 मि. ट. के भूवैज्ञानिक भंडार) तथा रामपिया के डिपसाइड (360 मि. ट. के भूवैज्ञानिक भंडार) कोयला ब्लाकों को विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित 6 कंपनियों को आबंटित करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) मेसर्स स्टरलाइट एनर्जी लि.

(ii) मेसर्स जी. एम. आर. एनर्जी लि.

(iii) मेसर्स लांको ग्रुप लि.

(iv) मेसर्स नवभारत पावर प्रा. लि.

(v) मेसर्स मित्तल स्टील इंडिया लि.

(vi) मेसर्स रिलायंस एनर्जी लि.

(ग) और (घ) जी, हां। कोयला मंत्रालय की जांच समिति 23 गैर-विद्युत कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी।

जलवायु परिवर्तन के लिए स्वच्छ विकास रणनीति

2711. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग को ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावों के खंडात्मक योजनाओं में स्वच्छ विकास रणनीतियों को शामिल करने तथा जलवायु परिवर्तन को ग्यारहवीं योजना रणनीति का अंतर्भूत भाग बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वनीकरण कार्यक्रम के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जलवायु, परिवर्तन संबंधी प्रधानमत्री की परिषद की 13 जुलाई, 2007 को हुई पहली बैठक में अनुपालन हेतु विभिन्न निर्णय लिए गए। मुख्य निर्णय जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई और वह कार्रवाई जो इसके द्वारा की जानी प्रस्तावित है, का संकलन करते हुए राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करना, जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुसंधान कार्यसूची, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना और क्षेत्रीय कार्रवाई के अन्य क्षेत्र जिन्हें ग्यारहवीं योजना में शामिल किया जाना है, को समाविष्ट करना और सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम जो इस समय सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं/अल्प-उपयोग कर रहे हैं, के लिए स्वच्छ विकास मैकेनिज्म (सी डी एम) अवसरों को बढ़ावा देना, आदि थे।

(ग) और (घ) जी हाँ। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमत्री की परिषद की पहली बैठक 13 जुलाई, 2007 को और दूसरी बैठक 26 नवम्बर, 2007 को आयोजित की गई। पहली बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों पर पैरा (क) और (ख) में प्रकाश डाला गया है, जबकि दूसरी बैठक का कार्यवृत्त अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त होना बाकी है।

(ङ.) और (च) उक्त परिषद की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 6 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि को हरा-भरा, बनाने के लिए 'ग्रीन इण्डिया' नामक एक प्रमुख वन रोपण कार्यक्रम जो सरकार के विचाराधीन है, को मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु अंतिम रूप दिया जाए।

खाड़ी देशों में भारतीय कामगार

2712. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में विशेष रूप से खाड़ी देशों में अवैध रूप से काम कर रहे भारतीय कामगारों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय कामगारों के पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों को उनके नियोक्ताओं द्वारा जब्त किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन देशों द्वारा ऐसे कामगारों को निर्वासित किया गया है/किया जा रहा है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे कामगारों की आवश्यक सहायता करने एवं उन्हें निर्वासन/परेशानी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) इन देशों में अवैध भारतीयों की संख्या के बारे में कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) यह सूचित किया गया है खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के पासपोर्ट को आमतौर पर उनके नियोक्ताओं द्वारा रोजगार संविदा की अवधि पूरी होने तक, अपने पास रख लिया जाता है। भारतीय मिशनों ने समय-समय पर स्थानीय प्राधिकारियों से संबंधित श्रमिकों के पासपोर्ट उनके पास ही रखने और श्रमिकों की स्वेच्छा के बिना उनके पासपोर्टों को अपने पास रखने वाले नियोक्ताओं को दण्डित करने का भी अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ.) खाड़ी देश अपनी सामान्य कानून लागू करने की प्रक्रिया के रूप में स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने, वैध वीजा/निवास परमिट आदि के न होने के कारण समय-समय पर

विदेशी कामगारों को जिनमें भारतीय भी होते हैं, स्वदेश भेज दिया जाता है। वर्ष 2007 (अक्तूबर 2007 तक) के दौरान खाड़ी देशों से स्वदेश भेजे गए भारतीय कामगारों/उन्हें जारी किये गये आपात प्रमाण-पत्रों की संख्या निम्नलिखित है:-

कुवैत	बहरीन	स.अ.अमीरात	सऊदी अरब	ओमान	कतार
8234	1481	40088	28904	1086	2050

(च) भारतीय मिशन स्थानीय भारतीय समुदायों को शामिल करके विशेष अभियान चलाकर आपात प्रमाण-पत्र जारी करने को सुगम बनाते हैं। भारतीय कामगारों से दुर्व्यवहार, उन्हें तंग करने, संविदा को तोड़ने आदि की प्राप्त शिकायतों को मिशनों द्वारा प्रायोजकों/नियोक्ताओं, श्रम विभाग और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ समुचित कार्यवाई के लिए उठाया जाता है।

भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम करार भी किये हैं। इन करारों में एक संयुक्त समिति का प्रावधान है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं, जिसकी श्रमिकों की शिकायतों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए समय-समय पर बैठक के आयोजन की व्यवस्था है। हाल ही में कतार के साथ एक अतिरिक्त नयाचार पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। मलेशिया और ओमान के साथ इसी प्रकार के करारों को भी अन्तिम रूप दिया गया है। सऊदी अरब की सल्तनत और बहरीन के साथ ऐसे करार करने के लिए वार्ताएं शुरू कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

8वें विश्व हिन्दी सम्मेलन की सिफारिशों का क्रियान्वयन

2713. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई निगरानी तंत्र तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य स्तरीय साझा प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करना

2714. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने केंद्र से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय साझा प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करने तथा अखिल भारतीय प्रवेश आयोजित करने के लिए कहा है जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने वर्तमान प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा भेजे गए कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (छ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने हाल ही में शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिशों का एक संकलन प्रस्तुत किया है जिसमें चिकित्सा शिक्षा शामिल है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि स्वत: वित्त पोषित मेडिकल कालेजों में दाखिला चाहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए केवल एक अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। चूँकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी मेडिकल कालेजों में 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं अत: यह एक आदर्श परीक्षा होगी जिसकी सीमा का विस्तार किया जा सकता है। सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

[हिन्दी]

आसियान सम्मेलन

2715. श्री मोहन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने हाल ही में सिंगापुर में हुए आसियान सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उक्त सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ग) क्या भारत ने आसियान के सभी सदस्य देशों से संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाने के लिए आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां, माननीय प्रधान मंत्री ने 21 नवम्बर, 2007 को सिंगापुर में आयोजित छठे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) माननीय प्रधान मंत्री ने आसियान देशों के साथ भारत के बहु-पक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ एवं संवर्धित करने के उपायों पर आसयिान नेताओं के साथ चर्चा की। शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य विवरण के रूप में संलग्न है। शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

छठे भारत-आसियान सम्मेलन में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

महामहिम प्रधानमंत्री जी

महामहिम.

आपके गर्मजोशीपूर्ण स्वागत, मैत्रीपूर्ण वातावरण और आपके उत्कृष्ट आतिशेय के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां सिंगापुर आकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है जो साहस, शक्ति और उत्कृष्टता का प्रतीक है।

मित्रों के बीच होने से हमेशा प्रसन्नता मिलती है। भारत को उस प्रक्रिया का अंग होने का गौरव प्राप्त है जो समृद्धि की निरंतर बढ़ रही परिधि में योगदान कर रही है। आसियान देशों के साथ हमारा संबंध हमारी 'पूर्वाभिमुख' नीति का स्तंभ है। 15 वर्ष पहले जब से हम आसियान का क्षेत्रीय वार्ता साझेदार बने हैं, तभी से हमने अपनी अर्थव्यवस्थाओं समाजों और संस्थाओं को एकीकृत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह हम दोनों के लिए सफलता का सूत्र है।

आज भारत विकास का एक नया प्रक्षेप पथ है जहां प्रति वर्ष 9-10 प्रतिशत की स्थाई आर्थिक विकास दर संभव दिखती है। आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में हम अपने विस्तृत बाजार, मानव संसाधनों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था के माध्यम से योगदान कर रहे हैं।

अपनी पिछली शिखर बैठक के बाद से हमने ठोस प्रगति की है।

अब तक की हमारी परियुक्ति की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि हमने वर्ष 2007 के लिए अपने लिए 30 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार का जो लक्ष्य रखा था वह पहले ही प्राप्त हो चुका है।

आसियान के सदस्य देशों में भारत में निर्यात पिछले वर्ष 65 प्रतिशत से अधिक की अपूर्व दर से बढ़ा है। यह दर्शाता है कि भारत हमारी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का एक इच्छुक साझेदार है, और मुक्त व्यापार के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे अधिकारी भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार को अंजाम देने के लिए सक्रिय वार्ता में लगे हुए हैं। इस संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम सबकी समान राजनीतिक इच्छा यथा शीघ्र करार करने की है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अपनी ओर से भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक लोच और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है, और करता रहेगा। हम यथा सम्मत अगले वर्ष मार्च तक वार्ताओं को अंजाम पर पहुंचाने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे।

हमने संयोजकता के क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत और सिंगापुर के बीच हर सप्ताह 215 से अधिक सीधी और परोक्ष उड़ाने हैं, 115 उड़ाने थाइलैंड के साथ और 50 उड़ाने मलेशिया के साथ। परंतु हम आसियान के साथ अपनी खुली आकाश नीति से इससे अधिक की उम्मीद करते हैं। हम आसियान देशों के बीच खुली आकाश व्यवस्था में शामिल होने के भी उत्सुक हैं, जब इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

मैं "आन द नालंदा ट्रेल: बुद्धिजम इन इंडिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया" नामक प्रदर्शनी और "अर्ली इंडियन इंफ्ल्यूएंसेज इन साउथ ईस्ट एशिया" विषय पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए अपने मेजबानों को बधाई देना चाहूंगा। हम ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करेंगे जो हमारे प्राचीन सभ्यता संबंधों और साझी विरासत में रूचि जिंदा करेंगे।

सेबू में, मैंने भारत-आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष को शीघ्र मूर्त रूप देने का प्रस्ताव रखा था। मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1 मिलियन अमरीकी डालर की आरंभिक अक्षय निधि से यह कोष सृजित कर चुके हैं। इस कोष का प्रयोग सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाना चाहिए ताकि हम संपदा सजृन हेतु ज्ञान जुटा सकें।

आसियान से छात्रों और राजनयिकों के लिए हमारे विनिमय कार्यक्रमों को उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर मिला है। मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम वार्षिक आधार पर आसियान के राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएंगे। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि हम इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए आसियान देशों की राजधानियों में भारत से अनके समकक्षियों के साथ सेमिनार आयोजित करें।

इस वर्ष हमने कंबोडिया, लाओ लोक लोकतांत्रिक गणतंत्र और वियतनाम में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों को अंजाम दिया है। इन देशों में उद्यमशीलता विकास केंद्रों के साथ, यह पहल इन देशों में युवाओं के क्षमता निर्माण एवं अधिकारिता में योगदान देगी।

जैसा कि हम भविष्य की तरफ देखते हैं, हमें शांति, प्रगति और साझी समृद्धि के लिए आसियान-भारत साझेदारी के क्रियान्वयन की निकटता से निगरानी करने की जरूरत है। मैं आपका समर्थन चाहता हूं।

अब तक के परिणामों को देखते हुए, मेरा प्रस्ताव है कि हम वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित करें।

इसे सुकर बनाने के लिए, हमें भारत से आसियान देशों और आसियान देशों से भारत की यात्रा के लिए व्यापारियों हेतु वीजा व्यवस्था सरल करने की प्रक्रिया पर सहमत होना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से परामर्श करके हमारे सत्यापित व्यापारियों को उसी दिन वीजा जारी करने के लिए मानदंड तैयार करें।

स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत-आसियान सहयोग एचियन इनफ्ल्यूंएजा द्वारा खड़ी की गई चुनौती पर केंद्रित है। दिसंबर में भारत इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मेरा प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य से संबंधित भारत-आसियान कार्य दल को "भारत-आसियान स्वास्थ्य देखरेख पहल" तैयार करने के लिए निर्देश दिया जाए। चिकित्सा सामानों का संयुक्त उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को कम कीमत पर बुनियादी दवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों, जो हमारे सभी देशों में लोकप्रिय हैं, में सहयोग के लिए रूपरेखा के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए।

जलवायु, परिवर्तन विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में ज्ञान साझेदारी से हमें लाभ हो सकता है। इस वैश्विक मुद्दे के प्रति हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण मजबूत वैज्ञानिक नीवों पर और हमारे अपने स्थानीय अनुभवों और आवश्यकताओं पर अवश्य आधारित होने चाहिए। भारत में, हम जलवायु परिवर्तन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र अभिचिन्हित करने की प्रक्रिया में हैं। मेरा प्रस्ताव है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत-आसियान नेटवर्क स्थापित किया जाए जो विशेषज्ञता का संचयन करेगा एवं आदान-प्रदान करेगा, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करेगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए साझे दृष्टिकोण के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

इस सहयोग को गति देने के निमित्त, मेरा प्रस्ताव है कि अनुकूलन एवं उपशमन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शी परियोजनाओं हेतु 5 मिलियन अमरीकी डालर के आरंभिक अंशदान से भारत-आसियान हरित कोष गठित किया जाए। यह कोष स्थापित हो जाने पर मैं दूसरे देशों को भी अंशदान करने के लिए आमंत्रित करूंगा। अंतिम विश्लेषण में...यदि भारत-आसियान प्रक्रिया जड़ पकड़नी है, तो इसे अवश्य ही जन आंदोलन बनना चाहिए। छात्रों एवं राजनयिकों के लिए अपने विनिमय कार्यक्रमों की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मेरा प्रस्ताव है कि हमे अपने सांसदों के बीच नियमित आदान-प्रदान के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाएं।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पर्यटक अधिकाधिक मात्रा में पूरब की तरफ देख रहे हैं और इस वर्ष भारत से 2 मिलियन से अधिक पर्यटकों द्वारा आसियान के अवकाश सैरगाहों की यात्रा किए जाने की उम्मीद है। आसियान देशों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 280,000 पर पहुंच गई है परंतु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें बढ़ोत्तरी की बहुत अधिक गुंजाइश है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2010 तक आसियान से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या एक मिलियन करने के लक्ष्य के संबंध में हम सहमत हों।

पिछले अवसरों पर, मैं आपको एकीकृत बाजार और बढ़िया सड़क, रेल, हवाई और समुद्री सेवाओं से जुड़ी एशियाई आर्थिक समुदाय के दृष्टिकोण से अवगत करा चुका हूं। यदि हम क्षेत्रीय सहयोग और कार्य के लिए एक तगड़े संस्थानिक वास्तुशिल्प का सफलतापूर्वक सृजन कर सकेंगे, तभी ''लाभ के इस चाप'' का सृजन संभव होगा। मैंने जिन बातों का पहले उल्लेख किया है वे इस वास्तुशिल्प के निर्माण का जरिया हैं।

मैं अपनी साझेदारी के भविष्य के बारे में बहुत ही आशावादी हूं। हमारे सहयोग के प्रति बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको भारत में एक उत्साही साझेदार मिलेगा।

आसियान की स्थिरता और समृद्धि में भारत की साझेदारी है क्योंकि हमारा विश्वास है कि भारत जिस बदलाव का अनुभव कर रहा है उसमें आसियान साझेदार है।

धन्यवाद

सी.बी.आई. द्वारा निपटाए गए मामले

2716. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने मामलों की जांच की गई तथा कितने मामले निपटाए गए; और

(ख) उक्त मामलों में कितने व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में 31.10.2007 तक दायर, जाँच किए गए और जाँच किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	दायर किए गए मामलों की संख्या	जाँच किए गए मामलों की संख्या	जाँच किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या
2004	1193	2628	1282
2005	1267	2621	1231
2006	1156	2558	1143
2007 (31.10.07 तक)	750	2167	883

(ख) दोष सिद्धि में परिणत मामलों की वर्ष-वार संख्या और पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में 31.10.2007 तक इन मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:–

वर्ष	दोष सिद्धि में परिणत मामलों की संख्या	इन मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या
2004	329	583
2005	341	710
2006	436	719
2007 (31.10.07 तक)	328	516

पाकिस्तान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का विध्वंस

2717. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री धर्मेंद्र प्रधान:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री किरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में हिंसाग्रस्त स्वात घाटी में आतंकवादियों ने भगवान बुद्ध की एक प्राचीन प्रतिमा को उड़ाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रतिमा को काफी क्षति पहुंची है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2718. **प्रो. एम. रामदास:**
श्री प्रकाश बी. जाधव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक तैयार की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार, वर्ष-वार आबंटित की गई, जारी की गई वास्तविक रूप से उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग करने में असफल रहने वाले राज्यों के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है तथा आबंटित निधियों एवं उससे व्यय की गई निधियों के बीच अंतर को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाघों की घटती संख्या

2719. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री उदय सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण संरक्षविदों ने देश में बाघों की घटती संख्या के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट टाइगर' देश में बाघों की कम होती संख्या को नियंत्रित करने में पूर्णतया अप्रभावी साबित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) क्या अन्य देशों की सहायता से देश में बाघों के संरक्षण के लिए कोई नई रणनीति बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) इस मंत्रालय को बाघों की संख्या में कमी के बारे में सरक्षणविदों सहित अनेक क्षेत्रों की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बाघ परियोजना के अंतर्गत संकटापन्न बाघों को उनकी संख्या में सुधार करने की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में, बाघ कार्य बल द्वारा समर्थित परिष्कृत कार्यप्रणाली के अनुसार चार राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित बाघ आकलन आंकड़े बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर बाघों की संख्या में कमी दर्शाते हैं। तथापि, ऐसे राज्यों के बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता।

(ङ.) और (च) भारत सरकार ने देश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ कार्य बल की तात्कालिक सिफारिशें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड सहित भारत ने कोलीशन अगेंस्ट वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग जोकि वन्यजीव और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने

के लिए एक दूसरे की सहायता हेतु साथ-साथ काम कर रही सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण संगठनों का एक ग्लोबल कोलीशन है, के साथ हाथ मिलाए हैं।

विवरण

बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन (बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों को सुनीश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ सरंक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ सरंक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. आठ नए बाघ रिजर्वों को घोषित करने के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6. पर्यावास स्थिति के आकलन सहित बाघों और अन्य वन्य पशुओं के अखिल भारत आकलन बाघ टास्क फोर्स द्वारा संशोधित, शामिल की गई उन्नत पद्धति के अनुसार नवंबर, 2005 से चल रहा है। चार राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़) से संबंधित आकलन पूरा कर लिया गया है और देश स्तर आंकड़े दिसम्बर, 2007 तक उपलब्ध होने की आशा है।

7. विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा बाघ रिजर्व के किए गए स्वतंत्र आकलन की प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा गहन समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के साथ ही साथ समीक्षा को सदन में रखा गया है।

8. टास्क के साथ जुड़ी प्रोफेशनल एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर विकास संबंधी मानकों के अलावा बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में गांवों के लिए पुन: स्थापना: पुनर्वास पैकेज को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई की गई है।

9. स्थानीय लोगों के साथ परिस्थिति अनुकूल सहजीवन के लिए पारि-विकास निवेश उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की गई है। बाघ रिजर्व राज्यों को बफर जोन को जिसमें ऐसे क्षेत्रों में क्रास सैक्टोरल पारि-विकास के साथ चित्रण द्वारा स्थानीय लोगों के साथ सहजीवन की योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

10. स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पारि-पर्यटन मर्गानिर्देश तैयार करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ सरंक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन

के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

मधुमेह के मरीजों के लिए सर्जरी

2720. श्री रेवती रमन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैंगरीन अथवा किसी प्रकार के अंगच्छेद के लिए सर्जरी कराने वाले मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मधुमेह जख्मों की सफाई करने तथा नई त्वचा के विकास एंव परिधिय धमनीय रोग (पी ए डी) के भरने के तरीकों पर कोई अनुसंधान कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्र स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2005 में प्रकाशित बहुकेन्द्रीय अध्ययन से पता चला है कि समस्त 3.9 प्रतिशत मधुमेह रोगियों के छोटे या बड़े अंग-भंग हुए हैं। यह दर अलग-अलग केन्द्रों में भिन्न हैं।

(ग) और (घ) आई सी एम आर के अनुसार चेन्नई में किए गए अध्ययन से पता चला है कि लगभग 5% मधुमेह रोगी परिधीय धमनी रोग (पी ए डी) से पीड़ित हैं। गैंगरीन के लिए धूम्रपान और दीर्घावधि मधुमेह जोखिम कारक हैं। जब गम्भीर परिधीय धमनी रोग होता है तब उपचार का विकल्प एन्जियोप्लास्टी अथवा बाईपास सर्जरी होती है। मधुमेह ग्रस्त पैरों के नासूर के इलाज के लिए बहुत से अनुसंधान किए गए हैं और मधु, कीड़ा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, स्टेम सेल्स, नई शल्य चिकित्सा शोधन पद्धतियां और प्रतिजैविकी, पारम्परिक अणु, ऑक्सीजन जैसे विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक प्रयास किए गए हैं। विभिन्न विदेशी एवं भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और चिकित्सकों ने मधुमेह रोगियों में घावों और नासूरों के उपचार के लिए इन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है। मिश्र में अनुसंधानकर्ताओं ने पारस्परिक उपचार एवं शल्यचिकित्सा कार्य के लिए मधुमेह ग्रस्त पैरों के नासूर अप्रतिसंवेदी के प्रबंधन में मैगेट डीब्राइडमेंट के उपयोग के प्रयास किए हैं। यूनान में अनुसंधानकर्ताओं ने मधुमेह ग्रस्त पैरों के नासूर का परम्परागत विधि और सर्जीकल प्रक्रिया में उपचार करने पर भी सार्थक संकेत न मिलने पर उसके इलाज में मैगेट डिब्राइडमेंट थिरेपरी (एम डी टी) का प्रयोग करने का प्रयास किया है। क्यूबा में अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि रीकम्बीनेंट ह्यूमन इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर का लोकल इन्जेक्शन गम्भीर मधुमेह ग्रस्त पैरों के नासूर को ठीक करता है और बड़े अंग-भंग के जोखिम को कम करता है।

विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर

2721. श्री मोहन रावले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में न्यून वृद्धि दर दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उपलब्ध नवीनतम अनुमानों के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर नीचे दी गई है।

(प्रतिशत)

सेक्टर	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि एवं संबद्ध	(-)0.04	6.02	2.68
उद्योग	9.75	9.58	10.92
सेवाएं	9.55	9.83	11.02

(ख) और (ग) कृषि क्षेत्र में वर्ष 2004-05 और 2006-07 में हासिल की गई वृद्धि दर दसवीं योजना के लक्ष्य से कम है। वर्ष 2004-05 में कृषि क्षेत्र की कम वृद्धि-दर का मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा का होना है।

सॉफ्ट ड्रिंक जल का अनिवार्य परीक्षण

2722. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साफ्ट ड्रिंक में उपयोग किए जाने वाले जल के लिए कोई अनिवार्य परीक्षण निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास साफ्ट ड्रिंक कंपनियों द्वारा ऐसे मानदण्डों के अनुपालन की जांच के लिए कोई अनुवीक्षण विधि है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण, निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित कार्बोनेट जल के मानकों में यह नियत किया गया है कि कार्बोनेटेड जल के विनिर्माण में प्रयुक्त जल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित पैकेट बंद पेय जल के लिए नियत मानकों के अनुरूप होगा। कार्बोनेटेड जल के विनिर्माण में प्रयुक्त जल की गुणवत्ता की जांच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों को कार्यान्वित करती हैं।

[हिन्दी]

पत्तनों पर कूड़ा-करकट

2723. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ पत्तनों पर भारी मात्रा में कूड़ा-करकट पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जहाजों पर माल लादने एवं माल उतारने में काफी बाधक रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) किसी भी महापत्तन पर उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कबाड़ नहीं पड़ा हुआ है। कांडला पत्तन पर कुछ सीमित मात्रा में कबाड़ पड़ा हुआ है। तथापि, इससे जहाजों पर माल लादने या उतारने में कोई बाधा नहीं आ रही है क्योंकि कांडला पत्तन के पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण स्थल है।

[अनुवाद]

एमपीएलएडी के क्रियान्वयन में बाधाएं

2724. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम पी एल ए डी) योजना के सुचारू क्रियान्वयन में सामने आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) सां.स्था.क्षे.वि. योजना का निष्पादन सराहनीय है। योजना की शुरूआत से, जारी की गई निधि की तुलना में उपयोग का संचयी प्रतिशत, 31-10-2007 की स्थिति के अनुसार 89.31 प्रतिशत है तथा स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूर्ण कार्यों का प्रतिशत 91.97 प्रतिशत है। मंत्रालय द्वारा नीति संबंधी विभिन्न प्रो-एक्टिव पहल की गई हैं, जिसमें नवम्बर, 2005 में सां.स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देशों का संशोधन भी शामिल है जिसके फलस्वरूप योजना का कार्यान्वयन अधिक सुचारू हो गया है। ऐसी कोई बड़ी बाधाएं अथवा समस्याएं नहीं हैं, जिनके लिए मंत्रालय से कोई प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, उपयोग प्रमाणपत्र, पात्र मासिक प्रगति रिपोर्ट आदि न भेजने जैसी स्थानीय बाधाओं एंव अवरोधों के संबंध में, जिनसे निधि जारी करने की प्रक्रिया में विलंब होता है, राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

[हिन्दी]

कुवैत सरकार द्वारा भारतीयों की गिरफ्तारी

2725. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

. (क) क्या कुवैत सरकार ने भारतीय मूल के 200 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मामले को कुवैत सरकार के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) 11-13 सितंबर, 2007 के दौरान कुवैत में कई स्थानों पर कुवैती प्राधिकारियों द्वारा डाले गए छापे के दौरान अन्य देशों के राष्ट्रिकों के अलावा 200 से अधिक भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय कानूनों के अनुसार घरेलू कामगारों से (वीजा सं. 20 के अंतर्गत) अपने प्रायोजक के घर के बाहर कार्य करने या ठहरने की अपेक्षा नहीं की जाती। गिरफ्तार किए गए भारतीय राष्ट्रिक वीजा सं. 20 के अंतर्गत घरेलू कामगारों के रूप में कुवैत में थे और उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे अपने प्रायोजक के निवास के बाहर रूके हुए/काम करते हुए पाए गए।

(ग) जी हां। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने कुवैत सरकार के प्राधिकारियों से लिखित और मौखिक रूप में विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाया है। राजदूतावास को यह सूचित किया गया कि ये छापे देश के आवासी कानूनों के उल्लंघन-कर्ताओं के विरूद्ध चलाए गए कुवैत सरकार के अभियान का एक भाग थे।

(घ) गिरफ्तार किए गए सभी भारतीय राष्ट्रिकों को पहले ही बैचों में भारत भेज दिया गया है। उनका प्रत्यावर्तन अक्तूबर, 2007 के अंत तक पूरा हो चुका है।

[अनुवाद]

चीन-ताइवान संबंध की स्वीकृति

2726. श्री तापिर गाव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का चीन-ताइवान संबंध के संदर्भ में एक चीन सिद्धांत को स्वीकार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताइवान के साथ पृथक व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों के बारे में कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) नवम्बर, 2006 में भारत में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ के यात्रा के दौरान जारी संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि "भारतीय पक्ष इस बात का स्मरण करता है कि भारत उन पहले देशों में था जिसने चीन के अस्तित्व को मान्यता दी और उसकी एक चीन की नीति अपरिवर्तित रही है। भारतीय पक्ष का कहना है कि वह चीन के संबंध में अपनी एक ही नीति का पालन करेगा। चीनी पक्ष ने भारतीय दृष्टिकोण की सराहना की है।

भारत सरकार के ताइवान के साथ कोई राजनयिक अथवा आधिकारिक संबंध नहीं हैं। दोनों पक्षों के बीच गैर-सरकारी व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी, शैक्षिक एवं जनता से संपर्क मौजूद है।

पेय पदार्थों में अनुमति प्राप्त संघटक

2727. डा. अरविन्द शर्मा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश देशों में पेय पदार्थों में उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त कई ऐसे संयोजक एवं संघटक हैं जिनके भारत में उपयोग के लिए खाद्य मानक संबंधी केन्द्रीय समिति (सी सी एफ एस) द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पेय पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों में खाद्य संयोजकों/संघटकों के प्रयोग की अनुमति संबंधी अनुरोधों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। खाद्य मानक संबंधी केन्द्रीय समिति की तकनीकी उप समितियां ऐसे अनुरोधों के प्राप्त होते ही, कोडेक्स दिशानिर्देशों, अन्य देशों के विनियामक उपबंधों, जहां कहीं उपलब्ध हैं, प्रायोगिकी आवश्यकता और उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करती है।

[हिन्दी]

पत्तनों का आधुनिकीकरण

2728. श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय पत्तनों के कार्यकरण को प्रभावी एवं सुचारू बनाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पत्तन पर किए गए कार्य/किए जाने वाले कार्य का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पत्तनों के विकास के लिए पत्तन-वार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पत्तन-वार, योजना-वार कितनी निधि आबंटित की गई/किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) समुद्रीय व्यापार की माँगों को ध्यान में रखकर, 12 महापत्तनों, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन आते हैं, को आधुनिकीकृत बनाया जाना, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। दिसम्बर, 2005 में आरंभ किए गए, राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, महापत्तनों में वर्ष, 2011-12 तक कार्यान्वयन के लिए कुल 276 परियोजनाएँ चुन ली गई हैं। इन परियोजनाओं में जलमार्गों/घाटों का गहरा किए जाने (25 परियोजनाएँ), घाटों/जेटियों का निर्माण/पुनर्निर्माण करने (76 परियोजनाएँ), उपस्करों की खरीद (52 परियोजनाएँ), रेल और सड़क से संपर्क कायम करने से संबंधित कार्य (45 परियोजनाएँ) और अन्य संबद्ध परियोजनाएँ (78 परियोजनाएँ) सहित पत्तनों के समग्र कार्य-कलाप शामिल हैं। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं की पत्तन-वार स्थिति और पिछले तीन वर्षों के दौरान, पत्तनों में विकास के बारे में वास्तविक व्यय नीचे तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	एन एम डी पी के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या	पूरी कर ली गई परियोजनाओं की संख्या	निष्पादित की जा रही परियोजनाओं की संख्या	आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या	एन एम डी पी के अंतर्गत परिव्यय	पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय
1.	कोलकाता	40	4	5	31	6494.45	167.21
2.	पारादीप	28	3	13	12	2402.83	96.16
3.	विजाग	38	2	6	30	2621.00	240.96
4.	इन्नौर	14	-	4	10	6466.00	69.42
5.	चेन्नई	14	-	4	10	2247.14	225.41
6.	तूतीकोरिन	24	2	4	18	4571.25	85.52
7.	कोचीन	14	1	5	8	7920.00	712.52
8.	नव मंगलूर	20	-	4	16	7148.00	66.41
9.	मुरगाँव	12	1	1	10	808.00	205.96
10.	मुम्बई	14	1	2	11	2766.00	79.31
11.	जे एन पी टी	32	6	6	20	7278.00	1220.00
12.	कांडला	26	6	9	11	5081.00	1331.22
	कुल	276	26	63	187	55803.67	4500.14

गैर महापत्तन, संबंधित राज्य-सरकार के समग्र अधिकार-क्षेत्र में आते हैं और उन्हें विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य-सरकारों का होता है।

गैर-सरकारी संगठनों तथा मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय सहायता

2729. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को कारगर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान के गैर-सरकारी संगठनों तथा मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन तथा मेडिकल कॉलेज को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों तथा मेडिकल कॉलेजों को आबंटित निधियों के उपयोग की समीक्षा की है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें पाई गई किसी अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निधियाँ, राज्य स्वास्थ्य, सोसायटी, राजस्थान के जरिए केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई कुल निधियां निम्न प्रकार हैं:-

2004-05	150 लाख रुपए
2005-06	310 लाख रुपए
2006-07	शून्य

(ग) केन्द्र, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी राजस्थान को एकमुश्त निधियाँ प्रदान करता है तथा आगे इनका संवितरण उसके द्वारा किया जाता है जो रिकार्ड भी रखता है।

(घ) राज्य स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है।

(ङ.) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसी विसंगति की सूचना नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधालयों में टीकों की अनुपलब्धता

2730. **डा. टोकचोम मैन्या:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी जी एच एस औषधालयों में टाइफायड, रेबीज, हेपाटाइटिस बी आदि के टीके नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन औषधालयों में ऐसे टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सी जी एच एस औषधालयों के माध्यम से लाभार्थियों को नियमित रूप से एंटीरेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। जहां तक टायफायड एवं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आदि का संबंध है, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये वैक्सीनें, चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, सी जी एच एस के माध्यम से सी जी एच एस सहित परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार से दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों को मुहैया कराई जाती हैं। ये वैक्सीनें, सी जी एच एस औषधालयों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। दिल्ली से बाहर के औषधालयों के लिए ये वैक्सीनें नुस्खे के आधार पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं तथा ये या तो स्थानीय तौर पर खरीदी जाती हैं या इंडेंट कराई जाती हैं।

(ख) दिल्ली में सी जी एच एस औषधालयों में कभी-कभार वैक्सीनों की अनुपलब्धता, दिल्ली सरकार के पास इन वैक्सीनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण रहती है।

(ग) औषधालयों में अनुमोदित वैक्सीनों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सी जी एच एस/चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के परिवार कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा लगातार मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों का हिन्दी माध्यम में उपलब्ध न होना

2731. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें हिन्दी माध्यम में उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा हिन्दी माध्यम में नहीं दी जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) चूंकि चिकित्सा संबंधी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही हैं और अधिकतर पुस्तकों के लेखक विदेशी हैं तथा चिकित्सा कालेज के शिक्षकों ने अपनी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की है, इसलिए इस समय हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है।

चिकित्सा शिक्षा का मानक बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की है। हिन्दी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा शुरू करने के विषय को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ उठाया गया था। परिषद का विचार है कि कई भाषाओं वाले देश में यह आवश्यक है कि छात्रों, शिक्षकों, डाक्टरों एवं जांच कर्ताओं आदि में गतिशीलता बनाए रखने के लिए देश भर में एक सामान्य भाषा में चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाए।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्य को आउटसोर्स किया जाना

2732. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों तथा कंसलटेंसी सर्विस के जरिए कराए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों को हुए लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लि. तथा इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी द्वारा प्रत्येक आउटसोर्सिंग एजेंसी को सौंपे गए कार्य तथा धनराशि के परियोजना-वार आबंटन का ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या ऐसी योजनाएं कोयला कंपनियों तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए लाभकारी रही हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वनरोपण के लिए धनराशि का संग्रहण

2733. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वनरोपण हेतु वित्तपोषण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के जरिए संग्रहित की गई धनराशि को उपयोग में लेने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा निजी कंपनियों ने ऐसी धनराशि के संग्रहण के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ.) जी हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग के लिए दी गई वन भूमि के एवज में प्राप्त प्रतिपूरक वनीकरण (सी ए), दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण (पी सी ए), निवल वर्तमान मूल्य (एन पी वी) आदि को प्रतिपूरक वनीकरण, प्राकृतिक रूप से पुन:उत्पन्न, वन प्रबंधन, संरक्षण, अवसंरचना विकास और वन्यजीव संरक्षण आदि के अलावा अवक्रमित वनों के वनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्यक्रम अनुमोदन के अंतिम चरण में है। जम्मू-कश्मीर राज्य, क्योंकि जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना वन (संरक्षण) अधिनियम है, के अलावा किसी राज्य सरकार अथवा प्राइवेट कंपनी ने इसका ऐसा कोई विरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

मियाद समाप्त हो चुकी पोलियो ड्रॉप्स

2734. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश के कुछ भागों में बच्चों को मियाद समाप्त हो चुकी पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट, देने को कहा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पल्स पोलियों अभियान पर कितनी धनराशि खर्च हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान पल्स पोलियो अभियान पर निम्नलिखित राशि व्यय की गई:–

वर्ष	राशि
2004-05	925.00 करोड़ रुपए
2005-06	918.08 करोड़ रुपए
2006-07	1064.61 करोड़ रुपए
2007-08 (बजट अनुमान)	1341.48 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2735. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर में विशेषकर असम में पूर्व पश्चिम गलियारे को चार लेन वाला बनाए जाने के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में बनाए गए/प्रस्तावित उपमार्गों तथा पुलों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस ए आर डी पी के अंतर्गत इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 तथा 52 को दो लेन वाला बना दिया गया है तथा यह यातायात चलने के योग्य है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बोरदुमसा सीमा मारघेरिया तथा डिब्रूगढ़ से जयरामपुर तक विस्तारित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पूर्वोत्तर में पूर्व-पश्चिम महामार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग की संपूर्ण 678 किमी. लंबाई असम में पड़ती है। 31 किमी. को छोड़कर चार लेन बनाने की परियोजना विभिन्न ठेकेदारों को सौंपी गई है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की समग्र प्रगति 7.3% है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी सूचना संबंधित एजेंसियों से एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सष्ट्रीय राजमार्ग 37 का संपूर्ण खंड पहले से ही दो लेन का है सिवाय 8.92 किमी. के जो दो लेन से कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के शेष खंड को दो लेन का बनाने का कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के बिहाटाचर्ली (0 किमी.) से उत्तरी लखीमपुर (345 किमी.) तक सड़क खंड पहले से ही दो लेन का है और असम में उत्तरी लखीमपुर से जोनई (510 किमी.) तथा दीरक (845 किमी.) से रूपई (876 किमी.) के खंडों को पेड शौल्डर्स सहित दो लेन बनाने का कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कर दिया गया है और इसे मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के जोनई–दीरक खंड को दो लेन बनाने का कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-ख में शामिल किया गया है जिसे केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को सीमित धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कच्छ वनस्पति का विनाश

2736. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर कच्छ वनस्पति का विनाश हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन

स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार कच्छ वनस्पति का क्षेत्र जो वर्ष 2001 में 4482 वर्ग कि. मी. था, वर्ष 2003 में घटकर 4461 वर्ग कि. मी. रह गया है। इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 2081 वर्ग कि. मी. से 2120 वर्ग कि. मी., गुजरात में 911 वर्ग कि. मी. से 960 वर्ग कि. मी., गोवा में 5 वर्ग कि. मी. से 10 वर्ग कि. मी. केरल में 0 वर्ग कि. मी. से 8 वर्ग कि. मी. और तमिलनाडु में 23 वर्ग कि. मी. से 35 वर्ग कि. मी. कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की वृद्धि हुई थी। अंडमान निकोबार द्वीपसमूहों में 789 वर्ग कि. मी. से 671 वर्ग कि. मी., आंध प्रदेश में 333 वर्ग कि. मी. से 329 वर्ग कि. मी., और उड़ीसा में 219 वर्ग कि. मी. से 207 वर्ग कि. मी. क्षेत्र की कमी हुई है। मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में 118 वर्ग कि. मी. की कमी के कारण ही कुल क्षेत्र में 21 वर्ग कि. मी. की कमी आई है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार यह कुल कमी कच्छ वनस्पति का नुकसान नहीं, अपितु यह एक इंटरप्रिटेशनल करैक्शन है। तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 जारी की गई है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कच्छ वनस्पतियों का सरंक्षण करना भी है। उपरोक्त अधिसूचना में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में अनिवार्य गतिविधियों को छोड़कर, जिन्हें इसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है, अन्य विकासीय गतिविधियों का निषेध किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय में कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी एक योजना है।

बाघों का फिर दिखाई देना

2737. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के वनों में कुछ बाघ फिर दिखाई दिए हैं, जैसा कि दिनांक 12 सितंबर, 2007 के 'द फाइनेंशल एक्सप्रैस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य प्रकाशित हुए थे तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहयादरी को संरक्षित बाघ अभयारण्य घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक संरक्षित बाघ अभयारण्य घोषित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ.) इस सम्बंध में राज्य से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्मार्ट कार्ड शुरू करना

2738. श्री अनवर हुसैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न, रसोई गैस, केरोसिन आदि खरीदने के लिए स्मार्ट कार्ड आंरभ करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यह गरीब लोगों विशेषरूप से दूरस्थ तथा पूर्वोत्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र के लोगों के हितों की कैसे रक्षा करेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के संदर्भ में इंटिग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम संबंधी एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्य दल ने जनवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि सरकार प्रमुख पात्रता स्कीमों हेतु इंटिग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम शुरू करने के लिए कदम उठाए। ये स्मार्ट कार्ड लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। योजना आयोग ने कार्यदल की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर संबंधित विभागों के विचार और टिप्पणियां मांगी हैं।

(ग) स्मार्ट कार्ड की शुरूआत से बहुत सी समस्याओं के हल होने की संभावना है, विशेष रूप से सरकार के विभिन्न कल्याण/सब्सिडी कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन में अशुद्धियों और नकली लाभार्थियों का पता लगाने में। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कार्ड सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों की सुपुर्दगी क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे। परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर के गरीब लोगों सहित देश के गरीब लोगों के हितों की सुरक्षा अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु विशेष एलटीसी पैकेज

2739. डा. एच.टी. संगलिअना: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में खराब यातायात सम्पर्कों के मद्देनजर पूर्वोत्तर-क्षेत्र से सरकारी कर्मचारियों को विमान यात्रा आदि की स्वीकृति के संबंध में विशेष पैकेज दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) एल. टी. सी. के अन्तर्गत ऐसा कोई विशेष पैकेज प्रस्तावित नहीं है।

(ग) और (घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से, अगले 2 वर्षों के लिए सरकारी कर्मचारियों को उत्तर-पूर्व क्षेत्र का भ्रमण करने हेतु एल. टी. सी. नियमों में छूट देते हुए जहाज से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जाँच की गई थी परंतु इसका अनुमोदन नहीं किया गया था।

वीजा लेने में विदेशियों को हो रही कठिनाइयां

2740. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को उनके देशों में हमारे दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों से वीजा लेने में कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार देश में सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आगमन के समय पर्यटकों को वीजा जारी करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर आगमन के समय पर्यटकों को वीजा जारी करना वर्तमान में कार्यान्वित किए जाने हेतु सुसाध्य नहीं पाया गया है।

विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा आत्महत्या करना, मौतें तथा घायल होना

2741. **डा. के.एस. मनोज:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों की दुर्घटनाओं, मौतों, उनके घायल होने तथा आत्महत्या करने संबंधी जानकारी सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई के पूर्वी तटवर्ती भाग की विकास योजना

2742. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री मोहन रावले:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के पूर्वी तटवर्ती भाग की विकास योजना तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु मुम्बई पत्तन न्यास के प्राधिकारियों को परामर्श देने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विकास योजना हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए मुम्बई पत्तन न्यास को परामर्श दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में मुम्बई पत्तन न्यास का विचार क्या है; और

(ङ.) मुम्बई पत्तन न्यास इस परियोजना हेतु कब से संयुक्त रूप से कार्य करेगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ.) जी, हाँ। मुंबई पत्तन के साथ-साथ मुंबई नगर के विकास के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए अध्यक्ष, मुंबई पत्तन न्यास और अन्य हिस्सेदारों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

संरक्षित वन भूमि

2743. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के दोनों ओर का फुटपाथ संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए वन भूमि के वानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने हेतु संरक्षित वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उक्त भूमि के हस्तांतरण के बिना संरक्षित वन भूमि पर उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा कर दिया है।

(ङ.) यदि हां, तो क्या सरकार का संरक्षित वन भूमि पर सड़क चौड़ा करने का कार्य करने के लिए व्यक्तियों/निकायों/संगठन तथा वन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो कार्रवाई कब तक किए जाने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (छ) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यमार्गों के दोनों तरफ के क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ललितपुर जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 को चौड़ा करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार में कार्रवाई के विभिन्न चरणों में है। केन्द्र सरकार ने ध्यान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की बात ध्यान में आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के एक हिस्से के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी सिद्धान्त रूप में अनुमोदन में दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त लगाई है। इसके अलावा, राज्य सरकार से वन (संरक्षण) का अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/संगठनों को विवरण प्रस्तुत करने और उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

वानिकी परियोजना

2744. श्री मणि शारेनामै: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी वानिकी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या सरकार इन परियोजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को कोई सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को धनराशि का दुरूपयोग करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है; और

(च) वर्ष 2007-08 हेतु एन. एन. ए. पी. के अंतर्गत राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमियों के पुनरूद्भव के लिए प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा (जे एफ एम सी) द्वि-स्तरीय व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 214 नई एफ डी ए परियोजनाएं अनुमोदित की गई। मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अतिरिक्त हरित भारत स्कीम के लिए सहायता अनुदान कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न संगठनों को वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाती है। दो स्कीमों के अन्तर्गत राज्य-वार अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ.) मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) वर्ष 2007-08 के दौरान (19.11.2007 तक) दसवीं पंचवर्षीय योजना से चल रही परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान (2004-05 से 2006-07) के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम और हरित भारत स्कीम के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	एनएपी स्कीम	हरित भारत स्कीम के लिए सहायता अनुदान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	23
2.	छत्तीसगढ़	6	1
3.	गुजरात	9	22
4.	हरियाणा	3	0
5.	हिमाचल प्रदेश	11	3
6.	जम्मू और कश्मीर	0	7
7.	कर्नाटक	10	3
8.	मध्य प्रदेश	21	16
9.	महाराष्ट्र	12	9
10.	उड़ीसा	12	34
11.	पंजाब	6	0
12.	राजस्थान	20	22
13.	तमिलनाडु	7	19
14.	उत्तर प्रदेश	4	37
15.	उत्तराखण्ड	18	27
16.	गोवा	0	0
17.	झारखंड	11	4
18.	बिहार	5	0
19.	केरल	11	5
20.	पश्चिम बंगाल	4	13
	उप योग (अन्य राज्य)	178	245
21.	अरूणाचल प्रदेश	6	18
22.	असम	12	11
23.	मणिपुर	3	21
24.	नागालैण्ड	2	31
25.	सिक्किम	0	1
26.	त्रिपुरा	4	0
27.	मिजोरम	2	14
28.	मेघालय	7	16
	उप योग (पूर्वोत्तर राज्य)	36	112
	सकल योग	214	357

*2004-05 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में स्कीम कार्यान्वित की गई थी। स्कीम 2005-06 में हरित भारत स्कीम के लिए सहायता अनुदान के रूप में संशोधित और कार्यान्वित की गई।

विवरण II

2007-08 के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम (एनएपी) के अन्तर्गत स्वीकृत वन विकास एजेंसी परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

(19.11.2007 तक)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	छत्तीसगढ़	19
3.	गुजरात	13
4.	हरियाणा	5
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	जम्मू और कश्मीर	12
7.	कर्नाटक	6

1	2	3
8.	मध्य प्रदेश	7
9.	महाराष्ट्र	12
10.	उड़ीसा	9
11.	पंजाब	6
12.	राजस्थान	2
13.	तमिलनाडु	5
14.	उत्तर प्रदेश	18
15.	उत्तराखण्ड	10
16.	गोवा	0
17.	झारखंड	19
18.	बिहार	6
19.	केरल	1
20.	पश्चिम बंगाल	14
	उप योग (अन्य राज्य)	176
21.	अरूणाचल प्रदेश	11
22.	असम	3
23.	मणिपुर	11
24.	नागालैंण्ड	3
25.	सिक्किम	7
26.	त्रिपुरा	1
27.	मिजोरम	12
28.	मेघालय	2
	उप योग (पूर्वोत्तर राज्य)	50
	सकल योग	226

प्रमुख पत्तनों को स्वायत्तता:

2745. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों को वित्तीय तथा कार्यकरण संबंधी स्वायत्तता देने का है, जैसा कि दिनांक 22 अक्तूबर, 2007 के 'बिजनेस स्टेन्डर्ड' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस क्षेत्र में संस्थागत विदेशी निवेश (एफ.आई.आई.) की सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) महापत्तनों के निगमीकरण को सुकर बनाने के लिए समर्थकारी प्रावधान करते हुए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करने हेतु पहले एक विधेयक 31.08.2001 को लोक सभा में प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को जाँच के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। इस समिति की रिपोर्ट को फरवरी, 2003 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में दी गई समुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा अपना प्रत्युत्तर तैयार करते समय 13वीं लोक सभा भंग कर दी गई थी। परिणामस्वरूप यह विधेयक व्यपगत हो गया। सरकार ने, इन्नौर पत्तन लिमिटेड (ई पी एल), जो एक कंपनी है, के निष्पादन का विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा, मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; जिसकी मंत्रालय में जाँच की जा रही है।

(घ) पत्तनों और बन्दरगाहों के निर्माण और अनुरक्षण की परियोजनाओं में स्वचालित प्रक्रिया के अंतर्गत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

उष्णकटिबंधीय शुष्क वन

2746. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के लगभग 75% वन उष्णकटिबंधीय शुष्क वन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आग, ग्रेजिंग वीड संक्रमण तथा अतिक्रमण के कारण देश के सतत वन विकास में समस्याएं खड़ी हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार उष्णकटिबंध शुष्क वन देश के कुल वन आवरण का 35.6% है।

(ख) यह सही है कि दावानल, चराई, खरपतवार, कीड़ों और रोगों द्वारा पर्याक्रमण और अतिक्रमण का सतत वन प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत वन संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्तमान वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजना की संबंधित स्कीमों के अंतर्गत भी संरक्षण उपाय करती हैं।

नेचुरोपैथी और योग हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

2747. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नेचुरोपैथी और योग प्रैक्टिशनरों का पंजीकरण करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् की तर्ज पर एक सांविधिक विनियामक परिषद् का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेचुरोपैथी तथा योग विज्ञान हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्साभ्यासियों का पंजीकरण करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् की तर्ज पर सांविधिक विनियामक परिषद् गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। अतएव, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

एस.सी.आई. में एजेंटों की नियुक्ति प्रक्रिया

2748. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया में उनसे किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष, 2006 तथा 2007 के दौरान कितने एजेंटों ने एस. सी. आई. में पंजीकरण कराया तथा कितने एजेंटों ने कंपनी को अपनी बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत की हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हाँ। ऐजेंटों की नियुक्ति में भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में ऐजेंटों से बैंक गारंटी लिए जाने का प्रावधान है। जून, 2000 में, बैंक गारंटियाँ हासिल करने के लिए अलग से दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं। उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐजेंटों से बैंक गारंटियाँ ली जाती हैं

* बैंक गारंटियाँ उन ऐजेंटों से ली जानी हैं, जिनकी वार्षिक भाड़ा वसूली 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो।

* बैंक गारंटी की मात्रा, ऐजेंटों से संबंधित भारतीय नौवहन निगम की स्थायी समिति द्वारा, 4-6 सप्ताह की भाड़ा वसूली के बराबर, तय की जानी होगी।

* ट्रैम्प ऐजेंटों के मामले में, बैंक गारंटी, भुगतान की अनुमानित मात्रा के आधार पर ली जाए। (ट्रैम्प ऐजेंट वे होते हैं जो उन जलयानों की देख रेख/जलयानों की सर्विसिंग की अपेक्षाओं (बल्क कैरियर और टैंकर) को पूरा करते हैं जो कि पोतस्वामियों/चार्टरकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न पत्तनों पर जाते हैं। वे किन्हीं लाइनर जलयानों को नहीं संभालते हैं इसलिए वे कार्गो की मार्किटिंग और माँग में शामिल नहीं होते हैं। वे भंडार सामग्री, अतिरिक्त पुर्जों, बंकरों, ताजा पानी, कर्मियों के संपर्क और समन्वय की देखरेख करते हैं और अधिकारियों और कर्मिदल की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं)।

(ग) वर्ष 2006 और 2007 के दौरान (अब तक) पंजीकृत किए गए ऐजेंटों की संख्या क्रमशः 5 और 4 है। इनमें से एक ऐजेंट, मैसर्स ओशन मास्टर्स एल. एल. सी., दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के पोर्टों के ऐजेंट, से 50,000 अमरीकी डॉलर की बैंक

गारंटी ली गई है। अन्य ऐजेंट ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के दायरे में नहीं आते हैं। भारतीय नौवहन निगम के साथ पंजीकृत कुल ऐजेंटों की संख्या 128 है और इनमें से 18 एजेंटों से ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक गारंटियाँ ली गई है। उन ऐजेंटों से बैंक गारंटियाँ नहीं ली गई हैं जो कि भारतीय नौवहन निगम के नाम के चैकों से भाड़ा वसूली कर रहे हैं और उन चैकों को भारतीय नौवहन निगम के समर्पित खातों में जमा करवा रहे हैं।

(घ) सरकार ने भारतीय नौवहन निगम को इसके ऐजेंटों के साथ किए गए ऐजेंसी करार की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने तथा वसूली और संवितरण के लिए अलग से खाते खोलने का निदेश दिया है। इस संबंध में हो रही प्रगति की मॉनीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. की अनुषंगियों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

2749. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कटौती का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कोयला कंपनियों की कुल कर्मचारियों की संख्या अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति, चिकित्सा अयोग्यता, मृत्यु, बर्खास्तगी/सेवा समाप्ति आदि के कारण घट रही है। उन सहायक कोयला कंपनियों, जहां मुख्यत: कतिपय अकुशल श्रेणियों में जनशक्ति अधिक है, में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण कमी हो रही है। तथापि, बाहर से स्टाफ की भर्ती और स्टाफ में से सांविधिक एवं अनिवार्य पदों को भरने हेतु चयन अपेक्षानुसार जारी है। जनशक्ति में उपर्युक्त कमी कोयला उत्पादन को प्रभावित नहीं कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की संख्या के कंपनीवार ब्यौरे और उसके परिणामस्वरूप जनशक्ति में कमी की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कंपनीवार खाली पद और उसके कारण जनशक्ति में कमी का ब्यौरा

कमी के कारण (2004-05)	ईसीएल	बी सी सीएल	सीसीएल	डब्ल्यू सीएल	एसई सीएल	एमसी एल	एनसी एल	एनईसी	सीएमपी डीआई एल	डीसी सी	सीआईएल (मुख्यालय)	योग
सेवानिवृत्ति	2954	2943	1558	852	1177	300	206	48	53	4	37	10132
पद त्याग	31	73	11	119	180	49	4	15	3	0	0	485
चिकित्सा अयोग्यता	7	17	6	32	31	0	2	0	0	1	0	96
मृत्यु	743	564	514	368	506	102	69	21	13	2	4	2906
विशेष महिला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0	10	0	236	14	5	0	0	0	0	0	265
बीआरएस (डीपीई)	1330	1230	891	565	95	61	0	0	12	0	8	4192
बर्खास्तगी/सेवा समाप्ति	174	452	156	155	477	58	5	6	2	0	2	1487
कुल कमी	5239	5289	3136	2327	2480	575	286	90	83	7	51	19563

तथापि, शुद्ध कमी केवल = 16,253

कमी के कारण (2005-06)	ईसीएल	बी सी सीएल	सीसीएल	डब्ल्यू सीएल	एसई सीएल	एमसी एल	एनसी एल	एनईसी	सीएमपी डीआई एल	डीसी सी	सीआईएल (मुख्यालय)	योग
सेवानिवृत्ति	2960	2953	1560	984	1129	416	267	42	42	4	43	10400
पद त्याग	41	93	3	85	196	38	5	11	1	0	0	473
चिकित्सा अयोग्यता	0	3	8	50	12	0	2	0	0	0	0	75
मृत्यु	770	588	562	386	474	114	77	26	12	5	6	3020
विशेष महिला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
बीआरएस (डीपीई)	720	1118	792	507	14	54	0	0	7	0	8	3220
बर्खास्तगी /सेवा समाप्ति	179	661	101	124	363	57	11	4	1	0	0	1501
कुल कमी	4670	5416	3026	2157	2188	679	362	83	63	9	57	18710

तथापि, शुद्ध कमी केवल = 16,163

कमी के कारण (2006-07)	ईसीएल	बी सी सीएल	सीसीएल	डब्ल्यू सीएल	एसई सीएल	एमसी एल	एनसी एल	एनईसी	सीएमपी डीआई एल	डीसी सी	सीआईएल (मुख्यालय)	योग
सेवानिवृत्ति	3132	3366	1911	1092	1339	354	220	72	62	2	47	11597
पद त्याग	22	108	8	97	184	45	4	19	7	0	0	494
चिकित्सा अयोग्यता	3	0	6	33	32	0	4	0	0	0	0	78
मृत्यु	756	600	530	379	464	98	67	14	25	1	5	2939
विशेष महिला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वीआरएस (डीपीई)	658	51	626	546	3	132	1	79	7	0	2	2105
बर्खास्तगी/सेवा समाप्ति	130	283	74	109	216	183	5	8	0	0	0	1008
कुल कमी	4701	4408	3155	2256	2238	812	301	192	101	3	54	18221

तथापि, शुद्ध कमी केवल = 12,944

[अनुवाद]

परिवहन वाहनों हेतु समान पंजीकरण

2750. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने तथा देश भर के परिवहन वाहनों (टी. वी.) हेतु जोनल परमिट/समान पंजीकरण श्रृंखला शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाहनों के पंजीकरण हेतु पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इससे किन-किन वाहनों को छूट दी गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) स्मार्ट कार्ड पद्धति में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करके सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने की दृष्टि से, सरकार ने एक सॉफ्टेवयर पहले ही विकसित कर लिया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नि:शुल्क उपलब्ध करा दिया है। देश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करना इस उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य पूर्व-अपेक्षा है। तथापि, देश भर में परिवहन वाहनों के लिए जोनल परमिट/समान पंजीकरण श्रृंखला प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र को बढ़ाना

2751. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तरी राज्यों में वन क्षेत्र को बढ़ाने तथा वन संबंधी नीतियों में एकरूपता लाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपना वन क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तरी राज्यों समेत गैर वन भूमियों पर वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए ग्राम वन योजना नामक स्कीम प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भू-क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई भाग को वृक्ष एंव वनावरण के अंतर्गत लाना परिकल्पित है। इस नीति में पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दो तिहाई भाग को भी ऐसे कवर में बनाए रखने का लक्ष्य परिकल्पित है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय पहले ही राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम को अवक्रमित वनों और आसपास के क्षेत्रों के पुनरूद्धार के लिए कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम को वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों द्वारा ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2007-08 के दौरान (19.11.2007 तक), 486 (एफ डी ए) परियोजनाओं को आर्थिक सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 226 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है और 193.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार विवरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम के अंतर्गत 2007-08 के दौरान 19.11.07 तक प्रदत्त की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5.10
2.	छत्तीसगढ़	25.10
3.	गुजरात	19.89
4.	हरियाणा	6.50

1	2	3
5.	हिमाचल प्रदेश	2.17
6.	जम्मू एवं कश्मीर	8.66
7.	कर्नाटक	4.05
8.	मध्य प्रदेश	4.47
9.	महाराष्ट्र	15.96
10.	उड़ीसा	4.52
11.	पंजाब	4.26
12.	राजस्थान	0.62
13.	तमिलनाडु	2.73
14.	उत्तर प्रदेश	12.03
15.	उत्तराखंड	6.44
16.	गोवा	0.00
17.	झारखंड	17.70
18.	बिहार	6.08
19.	केरल	0.64
20.	पश्चिम बंगाल	5.67
	उप-योग (राज्य)	
21.	अरूणाचल प्रदेश	2.85
22.	असम	1.86
23.	मणिपुर	12.46
24.	नागालैंड	2.66
25.	सिक्किम	8.88
26.	त्रिपुरा	0.40
27.	मिजोरम	9.83
28.	मेघालय	1.70
	उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)	40.64
	सकल योग	193.23

[अनुवाद]

एन.एच.ए.आई. से अनिवार्य अनुमति

2752. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों तथा जलापूर्ति पाइपलाइनें डालने के लिए अनुमति हेतु भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति हेतु लंबित ऐसे प्रस्तावों का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गये खंडों के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार क्षेत्र में जहां भी जल आपूर्ति पाइपलाइन डालने की आवश्यकता होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होती है। पेट्रोल पंप पर पहुंच के लिए अनुमति मंत्रालय द्वारा संगत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई के राज्यवार ब्योरे संकलित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

नसबंदी/नलबंदी को बढ़ावा

2753. श्री सुभाष महरिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नसबंदी/नलबंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नसबंदी/नलबंदी के कितने आपरेशन किए गए तथा विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान को प्रोत्साहित के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) नसबंदी और नलबंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएं हैं;

(1) जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों और निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में बन्धयाकरण और आईयूडी निवेशन के स्वीकारकर्ताओं को संशोधित क्षतिपूर्ति पैकेज उपलब्ध करवाना।

(2) विशेष आकस्मिकता नीति परिवार नियोजन बीमा योजना (परिवार नियोजन बीमा योजना)।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नसंबंदी/नलबंदी के किए गए आपरेशनों की संख्या से संबंधित सूचना विवरण-I के रूप में संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार नसबंदी/नलबंदी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एजेन्सी	2004-05			2005-06			2006-07		
		नसबन्दी	नलबन्दी	कुल बन्ध्याकरण में नलबन्दी का %	नसबन्दी	नलबन्दी	कुल बन्ध्याकरण में नलबन्दी का %	नसबन्दी	नलबन्दी	कुल बन्ध्याकरण में नलबन्दी का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	मुख्य राज्य (जनसंख्या 20 मिलियन)									
1.	आंध्रप्रदेश	28,808	707,609	96.1	26,683	717,588	96.4	28,266	741,327	96.6
2.	असम	366	39.189	99.1	84	24,117	99.7	110	17,172	99.4
3.	बिहार	916	87,210	99.0	555	95,786	99.4	1,134	118,843	99.1
4.	छत्तीसगढ़	3,788	120,690	97.0	6,699	117,800	94.6	6,322	126,772	95.2
5.	गुजरात	1,587	276,546	99.4	1,446	278,888	99.5	1,032	266,517	99.6
6.	हरियाणा	1,990	87,903	97.8	12,779	80,171	86.3	10,968	74,783	87.2
7.	झारखण्ड	577	41,044	98.6	2,669	81,944	96.8	6,461	94,836	93.6
8.	कर्नाटक	681	376,279	99.8	995	375,313	99.7	766	374,537	99.8
9.	केरल	1,583	149,488	99.0	1,456	131,544	98.9	976	126,725	99.2
10.	मध्य प्रदेश	15,091	353,948	95.9	30,625	336,305	91.7	10,972	355,870	97.0
11.	महाराष्ट्र	41,341	648,406	94.0	29,795	629,762	95.5	21,425	574,303	96.4
12.	उड़ीसा	1,498	99,819	98.5	951	82,098	98.9	790	92,949	99.2
13.	पंजाब	4,012	98,456	96.1	15,762	91,829	85.4	5,615	88,143	94.0
14.	राजस्थान	8,761	325,210	97.4	18,048	299,259	94.3	6,366	281,723	97.8
15.	तमिलनाडु	676	416,351	99.8	629	379,399	99.8	734	356,202	99.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	उत्तर प्रदेश	10,003	493,599	98.0	568	445,863	99.0	2,669	426,772	99.4
17.	प्र. बंगाल	1,519	287,432	99.5	827	194,166	99.6	1,828	134,929	98.7
II	छोटे राज्य									
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	2,100	100.0	3	1,414	99.8	12	1,934	99.4
2.	दिल्ली	2,060	37,581	94.8	1,616	32,552	95.3	1,320	27,562	95.4
3.	गोवा	25	5,171	99.5	20	5,331	99.6	39	5,286	99.3
4.	हिमाचल प्रदेश	2,956	30,575	91.2	2,880	25,503	89.9	3.144	23,301	88.1
5.	जम्मू व कश्मीर	482	21,115	97.8	322	21,144	98.5	455	18,826	97.6
6.	मणिपुर	23	495	95.6	133	1,610	92.4	4	402	99.0
7.	मेघालय	16	2,189	99.3	5	2,259	99.8	45	2,488	98.2
8.	मिजोरम	0	2,140	100.0	7	2,313	99.7	-	2,342	100.0
9.	नागालैण्ड	19	735	97.5	12	1,183	99.0	11	961	98.9
10.	सिक्किम	167	1,005	85.8	372	1,146	75.5	-	1,471	100.0
11.	त्रिपुरा	24	2,250	98.9	18	3,960	99.5	13	3,290	99.6
12.	उत्तरांचल	1,718	33,081	95.1	217	34,763	99.4	1,417	31,350	95.7
III	संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अ.एवं नि.दीप समूह	3	1,415	99.8	11	1,100	99.0	9	979	99.1
2.	चण्डीगढ़	58	2,340	97.8	30	2,172	98.6	41	2,344	98.3
3.	दादरा एवं न. हेवली	11	932	98.8	3	927	99.7	1	977	99.9
4.	दमन व दियू	3	576	99.5	5	464	98.9	6	494	98.8
5.	लक्षद्वीप	0	22	100.0	3	20	87.0	-	40	100.0
6.	पांडिचेरी	17	11,915	99.9	19	10,194	99.8	24	10,459	99.8
IV	अन्य एजेन्सियां									
1.	रक्षा मंत्रालय	5,882	12,587	71.2	4,587	11,617	71.7	2,705	10,754	79.9
2.	रेल मंत्रालय	588	6,295	91.5	508	5,186	91.1	445	4,476	81.0
	अखिल भारत	88,446	4,783,699	97.2	165,342	4,526,690	96.5	114,125	4,402,139	97.5

विवरण II

परिवार नियोजन के तहत व्यय

क्र.सं.	राज्य का नाम संघ क्षेत्र	2005-06 रुपये	2006-07 रुपये	2007-08 रुपये (अप्रैल- सितम्बर)
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	778636	672900	63000
2.	अ. व नि. द्वीप समूह	217334	501744	141000
3.	आंध्र प्रदेश	102837724	295863000	116145000
4.	असम		4901000	159000
5.	बिहार	0	57415217	6359000
6.	चण्डीगढ़	152100	0	840000
7.	छत्तीसगढ़	32700860	50338000	12809000
8.	दा व नगर हवेली	242997	334603	102000
9.	दमण व दीव	35485	294439	30000
10.	दिल्ली	8949701	7211141	3909000
11.	गोवा	482213	1101997	193000
12.	गुजरात	2034597	50390023	16699000
13.	हरियाणा	2066366	24647251	15637000
14.	हिमाचल		5474000	2607000
15.	जम्मू व कश्मीर	1491532	6320969	992000
16.	झारखण्ड	883690	40130000	9224000
17.	कर्नाटक		112099000	28555000
18.	केरल	202164	14162533	3626000
19.	लक्षद्वीप		0	0
20.	मध्य प्रदेश		216507819	56618000
21.	महाराष्ट्र	90842770	95321231	15906000
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	8229000	0
24.	मिजोरम	972660	916857	37000
25.	नागालैंड		0	0

1	2	3	4	5
26.	उड़ीसा	20683118	32492700	14336000
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पजांब	33174002	39023000	20217000
29.	राजस्थान	68674066	105755000	37537000
30.	सिक्किम	757541	2169000	294000
31.	तमिलनाडू		116295000	69881385
32.	त्रिपुरा	66120	243716	657000
33.	उत्तर प्रदेश	17391260	335708000	102325000
34.	उत्तरांचल		14365282	3759000
35.	पश्चिम बंगाल	485959	17943000	28969000
	कुल योग	386122895	1656827422	566626385

नेत्रदान

2754. श्री महावीर भगोरा:
डा. के धनराजू

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है, जिन्हें नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए नेत्रदान और नेत्र प्रत्यारोपण आपरेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लोगों द्वारा नेत्रदान को सुकर बनाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवाण कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण 2001-04 के अनुसार देश में लगभग 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जिनमें से लगभग 1.5 मिलियन कोर्नियल दृष्टिहीन हैं। राज्य-वार दृष्टिहीन जनसंख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोर्नियल प्रत्यारोपण ऑपरेशनों के लिए दान में दिए गए नेत्रों (राज्य-वार) की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है;

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण एक सतत कार्यकलाप है। सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलाप के एक भाग के रूप में केन्द्रीय और राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक प्रचार साधनों के माध्यम से जन साधारण में नेत्रदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाती है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए जनता में नेत्रों के दान में देने और इसे एक पारिवारिक परम्परा बनाने के लिए शैक्षणिक और प्रेरणात्मक प्रयासों को तेज करने की दृष्टि से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक देश में 'राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा' मनाना एक अति महत्वपूर्ण घटना है।

पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप शुरू किये जाते हैं:

(i) गैर-सरकारी संगठनों, वरिष्ठ नागरिक समूहों, युवा संघों और आवासीय कल्याण संघों इत्यादि के माध्यम से नेत्रदान के बारे में जागरूकता अभियान।

(ii) नेत्रदान के बारे में संदेश का प्रसार करने में शिक्षकों और स्कूल के बच्चों को शामिल करना।

(iii) मृतक के परिवार के सदस्यों के नेत्रों को दान करने के लिये प्रेरित करने हेतु प्रमुख अस्पतालों में प्रायोजित विषाद सलाहकार/चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कार्यकलापों में भाग लेने और उनकी प्रयोजित करने के लिए निगमित क्षेत्र को शामिल करना।

(iv) नेत्रदान के बारे में संदेशों को प्रसारित करने के लिए केवल ऑपरेटरों और सिनेमा हालों को शामिल करना।

(v) नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों, विख्यात व्यक्तियों इत्यादि जैसे प्रभावी व्यक्तियों को शामिल करना।

(vi) अस्पतालों में "अस्पताल पुन:प्राप्ति कार्यक्रम" के माध्यम से दान में किए जाने वाले नेत्रों के संग्रहण को बढ़ाना।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	3919
2.	आंध्र प्रदेश	1075331
3.	अरूणाचल प्रदेश	24877
4.	असम	812471
5.	बिहार	646455
6.	चड़ीगढ़	9099
7.	छत्तीसगढ़	334815
8.	दादर और नगर हवेली	2359
9.	दमन और दीव	1691
10.	दिल्ली	155748
11.	गोवा	20429
12.	गुजरात	541388
13.	हरियाणा	398468
14.	हिमाचल प्रदेश	42541
15.	जम्मू और कश्मीर	162126
16.	झारखंड	379423
17.	कर्नाटक	938664
18.	केरल	178296
19.	लक्षदीव	667
20.	मध्य प्रदेश	700467
21.	महाराष्ट्र	919146
22.	मणिपुर	32963
23.	मेघालय	17065
24.	मिजोरम	6950
25.	नागालैंड	20881
26.	उड़ीसा	513897
27.	पांडिचेरी	7596
28.	पंजाब	245322
29.	राजस्थान	875333
30.	सिक्किम	3513
31.	तमिलनाडु	484465
32.	त्रिपुरा	24572
33.	उत्तर प्रदेश	1560897
34.	उत्तरांचल	47486
35.	पश्चिम बंगाल	954632
	कुल	12143952

विवरण II

दान में किए गए/संग्रहित नेत्रों की संख्या

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
प्रमुख राज्य			
आंध्र प्रदेश	2,929	3334	3437
बिहार	31	38	38
छतीसगढ़	44	303	108
गोवा	-		
गुजरात	5,803	6685	6151
हरियाणा	353	401	206
हिमाचल प्रदेश	-		
जम्मू और कश्मीर	100		
झारखंड	24	22	28
कर्नाटक	1,315	1481	2143
केरल	666	727	786
मध्य प्रदेश	246	208	312
महाराष्ट्र	2,853	3946	3989
उड़ीसा	8	42	18
पंजाब	204	239	611
राजस्थान	324	955	757
तमिलनाडु	5,661	5662	6938
उत्तर प्रदेश	329	320	336
उत्तरांचल	-		
पश्चिम बंगाल	790	1128	1574
उपयोग	21,680	25491	27432
पूर्वोत्तर राज्य			
अरूणाचल प्रदेश	-		
असम	84	155	192
मणिपुर	-		
मेघालय	-		125
मिजोरम	-		
नागालैंड	-		
सिक्किम	-		
त्रिपुरा	-		2
उपयोग	84	155	319
संघ क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार	-		2
चंडीगढ़	322	399	432
दादर और नगर हवेली	-		-
दमन और दीव	-		-
दिल्ली	1,453	1792	1532
लक्षद्वीव	-		-
पांडिचेरी	14	170	297
उप-योग	1,789	2,361	2,283
महायोग	23,553	28,007	30,034

फ्रांस में भारतीयों की गिरफ्तारी

2755. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में फ्रांस में कुछ भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) इटली में रह रहे भारतीय राष्ट्रिक द्वारा एक ट्रक में ले जा रहे 30 लोगों

के एक दल, जिनके भारत से हाने की सूचना थी, को बिना वीजा के फ्रांस में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए 26 अक्तूबर, 2007 को फ्रांस की पुलिस द्वारा फ्रांस-इटली सीमा पर मोंट ब्लांक सुरंग के निकट रोका गया था। भारतीय चालक को आगे जांच के लिए फ्रांस की पुलिस द्वारा रोक लिया गया है और अन्य व्यक्तियों को वापस इटली भेज दिया गया जहां से वे फ्रांस के भूभाग में प्रवेश किए थे। फ्रांस स्थित भारतीय मिशन ने नजरबंद किए गए लोगों से साक्षात्कार करनी चाही किंतु इसी दौरान उन्हें वापस इटली भेज दिया गया था।

[अनुवाद]

पर्यावरण का खराब होना

2756. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण के खराब हाने की प्रमुख वजह बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) से (घ) तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक प्रदूषण, अनियोजित शहरीकरण तथा असतत उत्पादन और खपत प्रतिमानों के कारण पर्यावरण की स्थिति खराब होती है पर्यावरणीय अवक्रमण का स्तर समझने के लिए वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र, जल संसाधनों की गुणवत्ता, जल गुणवत्ता आदि कुछ पैरामीटर हैं। वन स्थिति रिपोर्ट, 2003 से यह पता चलता है कि देश में वनों से आच्छादित क्षेत्र 678,333 वर्ग कि. मी. है और यह भौगोलिक क्षेत्र का 20.64 प्रतिशत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 339 स्थानों पर वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है। मानीटर किए गए क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े यह दर्शात हैं कि अधिकतर शहरों के आवासीय क्षेत्रों में सल्फर डाईआक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा विनिर्धारित वायु गुणता मानकों की सीमा के भीतर है। तथापि, श्वसनीय निलंबित धूलकण पदार्थों (आर एस पी एम) के स्तर विनिर्धारित मानकों से ज्यादा हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी ओ डी) को देश में किसी नदी के संबंध में प्रदूषण दर्शाने वाला संकेतक माना जाता है। हमारे देश में लगभग 45,000 कि.मी. की कुल नदी तटों की लम्बाई में से भी पी सी बी का अध्ययन यह बताता है कि 14 प्रतिशत नदी तट क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित है जहां बायोकेमीकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 6 मि. ग्रा./लीटर से अधिक है, 19 प्रतिशत नदी तट क्षेत्र औसत रूप से प्रदूषित है, जहां बी ओ डी की मात्रा 3-6 मि. ग्रा/लीटर है, जबकि 67 प्रतिशत की लम्बाई में नदी तट अपेक्षाकृत स्वच्छ है, जहां बी ओ डी की मात्रा 3 मि. ग्रा. लीटर से भी कम है। नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई जा रही है जिसके लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जानी है।

(ङ) मौजूदा कानूनी ढ़ांचा और नीतियों, जैसे वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1980 और 1988, जल (निवारण और अधिनियम, 1974, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 तथा भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण अवक्रमण से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

2757. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को राज्य में एड्स नियंत्रण हेतु गत दो वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती घानाबाका लक्ष्मी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा

2758. श्री अनन्त नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हाँ।

(ख) सरकार द्वारा देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। परिचालन और सुरक्षा दोनों ही दृष्टि से, कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है और विश्वभर में कार्यरत परमाणु विद्युत संयंत्रों के तुलनीय है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत 700 मेगावाट क्षमता वाले आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों और विदेशी सहयोग पर आधारित 1000 मेगावाट क्षमता वाले दस और उससे अधिक हलका पानी रिएक्टरों पर काम शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

ई-आव्रजन सुविधा शुरू करना

2759. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आव्रजन कार्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के अभाव के कारण लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास क्लियरेंस प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सरल बनाने के लिए ई-आव्रजन की शुरूआत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) उत्प्रवास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पारदर्शिता, दक्षता लाने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए, मंत्रालय ने सभी 8 उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों का विस्तृत कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उत्प्रवास संरक्षी के 6 कार्यालयों-दिल्ली, चण्डीगढ़, मुम्बई, कलकत्ता, तिरूवनन्तपुरम और हैदराबाद में ऑन-लाइन उत्प्रवास प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। कोच्ची और चेन्नई स्थित शेष 2 कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर पूर्व क्षेत्र संबंधी शुक्ला आयोग की रिपोर्ट

2760. **डॉ. अरूण कुमार शर्मा:** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित शुक्ला आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) शुक्ला आयोग की दिनांक, 7 मार्च, 1997 की सिफारिशों पर की गई अनवुर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने एक केंद्रीय संसाधन पूल का सृजन किया जिसे कि 'अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) कहा जाता है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयो/विभागों द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अपने सकल बजटीय सहायता से अधिदेशित न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रावधान में से व्यय न हुआ शेष एन एल सी पी आर में जमा कर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय इस पुल के माध्यम से क्षेत्र में न्यूनतम आधारभूत सेवाओं सहित अवस्थापना के विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को बजटीय प्रावधान उपलब्ध कराता है। 30 सितंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में 859 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। लागत के संदर्भ में उनका क्षेत्रवार आबंटन इस प्रकार है:

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रुपये में)
कृषि एवं सबद्ध	05	23.60
विद्युत	170	1324.81
सड़कें एवं पुल	266	1838.26
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	151	397.20
शिक्षा	089	814.27
जल आपूर्ति	069	704.61
स्वास्थ्य	037	465.54
विविध	072	522.82
महायोग	859	6091.11

अप्रैल, 2005 में तदंतर यह निर्णय लिया गया कि दृष्टिकोण दस्तावेज 2020 तैयार किया जाय जो कि अन्य बातों के साथ-साथ दशक पुरानी शुक्ला आयोग के निष्कर्षों को ध्यान में रखें तथा उन्हें अद्यतन करने के साथ-साथ हुए समकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनमें नए आयाम भी जोड़े। पूर्वोत्तर परिषद का अगला पूर्ण अधिवेशन 17-18 दिसम्बर, 2007 को होना है, जिसमें दृष्टिकोण दस्तावेज 2020 के मसौदे पर विचार किया जाएगा।

सर्वेक्षण परिणाम संबंधी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

2761. **डा. एम. जगन्नाथः**
डा. के.एस. मनोजः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन. के. सी.) ने अपने पहले सर्वेक्षण के निष्कर्ष और सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन के सी) ने निम्नलिखित से संबंधित नवम्बर, 2007 तक की सिफारिशें, प्रस्तुत कर दी हैं:-

- पुस्तकालय
- अनुवाद
- भाषा
- ज्ञान नेटवर्क
- शिक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य सूचना अधिकार
- पोर्टल (जल, ऊर्जा)
- व्यावसायिक शिक्षा
- उच्चतर शिक्षा
- विधि संबंधी शिक्षा
- चिकित्सा शिक्षा
- प्रबंधन शिक्षा
- मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा
- मुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम
- राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउन्डेशन
- बौद्धिक संपदा का अधिकार
- नवाचार
- ई-गवर्नेंस

सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना

2762. **श्री दलपत सिंह परस्तेः**
श्री रेवती रमन सिंहः
श्री बालासोवरी वल्लभनेनीः
श्री प्रहलाद जोशीः

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने-अपने खेलों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जीतने के पश्चात् भारत वापस आने पर क्रिकेट और हॉकी की विजेता टीमों को दिए गए भेदभावपूर्ण सत्कार के आरोपों की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अन्य खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विजेता क्रिकेट और हॉकी टीम का सत्कार तथा अन्य प्रोत्साहन, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा दिए गए हैं। इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं रही हैं। यद्यपि सरकार 'अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार' की अपनी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तथा उनके कोचों को नकद पुरस्कान प्रदान करती हैं। यह पुरस्कार क्रिकेट के लिए लागू नहीं हैं।

(ग) विभिन्न खेल विभागों के विकास तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। सरकार, दीर्घावधिक विकास योजनाओं में हुई सहमति के

अनुसार, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों की सहभागिता, प्रशिक्षण और भारतीय और विदेशी दोनों ही कोचों का प्रबंध, उपकरणों और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद हेतु वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार 'प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना' के अंतर्गत तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि' के जरिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण का प्रावधान करके तथा देश और विदेश में प्रतिभागिता के अवसर प्रदान करके सहायता प्रदान करती है।

सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड या किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद का अध्ययन

2763. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आई सी आर आई ई आर) ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि कंपनियों में काम करने वाले अधिकतर ब्लू कॉलर कामगार को एड्स और तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की ज्यादा आशंका होती है जैसाकि दिनांक 13 सितम्बर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। भारतीय उद्योग पर निवारक परिचर्या के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2006 के दौरान भारतीय अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आई सी आर आई ई आर) द्वारा अच्छा कार्य करने वाली कुछेक कम्पनियों का सर्वेक्षण करवाया गया था। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ह्वाइट कालर कामगार स्ट्रेस और जीवनशैली से संबंधित स्वास्थ्य परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं जबकि कम आय वाले ब्लू कालर कामगार संक्रामक बीमारियों जैसे मलेरिया, अतिसार, प्रतिश्याय, क्षयरोग और एच आई वी संक्रमण जैसी बीमारियों से अत्यधिक पीड़ित है। इसके अतिरिक्त, 6 प्रतिशत ब्लू कालर्ड कामगारों के 1 प्रतिशत वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों (ह्वाइट कालर्ड) की तुलना में क्षयरोग और एच आई वी/एड्स जैसी चिरकालिक बीमारियों से ग्रस्त होने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पृथक सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। भारत सरकार क्षयरोग, मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। स्वास्थ्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण/प्रतिस्थापना

2764. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण/ऐलीवेशन और प्रतिस्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार बेनाहल्ला स्थित पुल और कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-218 पर केरूर गांव में एवं तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग-67 एक्सटेंशन के 393/0 किमी. पर बेली पुल के निर्माण/प्रतिस्थापना का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के स्थान वार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक में बेनाहल्ला स्थित पुल के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्नाटक में केरूर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 218 के 115/600 कि. मी. पर नए पुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 67 विस्तार के 393/000 कि. मी. पर नए पुल के निर्माण का कार्य दिनांक 22.11.2007 को पहले ही शुरू हो गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नए निर्माण के प्रस्तावों के ब्यौरे		प्रतिस्थापन प्रस्तावों के ब्यौरे	
		राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	स्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16	किमी. 135/200	16	किमी. 190/000 व 191/000
				18	किमी. 95/600 व किमी. 122/800
				202	किमी. 197/600 व किमी. 201/400
2.	अरूणाचल प्रदेश	-शून्य-			-शून्य-
3.	असम	-शून्य-			-शून्य-
4.	बिहार	-शून्य-		28बी	किमी. 83/000 व किमी. 44/00
				30ए	किमी. 4/818, 7/066, 8/149, 21/957 22/315 व 25/013
				80	किमी. 123/000 व 155/000
				82	किमी. 110/000, 114/000 143/000 व 145/000
				104	किमी. 21/100, 23/100 व किमी. 95/000
				105	किमी. 5/000, 7/000, 8/000 व 43/000
				106	किमी., 118/000
5.	दिल्ली	-शून्य-			-शून्य-
6.	छत्तीसगढ़	217	किमी. 12/200	43	किमी. 270/200
				200	किमी. 178/100
7.	गुजरात	8ए विस्तार	किमी. 68/000 से किमी. 78/020		शून्य
8.	गोवा	शून्य			शून्य
9.	हरियाणा	शून्य			शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य			शून्य

1	2	3	4	5	6
11.	जम्मू-कश्मीर	शून्य			शून्य
12.	झारखंड	33	किमी. 130/000		शून्य
13.	कर्नाटक		शून्य	63	किमी. 286/400
14.	केरल	17	किमी. 172/100		शून्य
15.	मध्य प्रदेश		शून्य		शून्य
16.	महाराष्ट्र		शून्य	6	किमी. 320/600
				69	किमी. 7/950 व किमी. 18/00
17.	मणिपुर		शून्य		शून्य
18.	मेघालय		शून्य	62	किमी. 141/600, 142,400 166/500, व 179/200
19.	मिजोरम		शून्य		शून्य
20.	नागालैंड		शून्य		शून्य
21.	उड़ीसा		शून्य		शून्य
22.	पांडिचेरी	45ए	किमी. 180/000		शून्य
23.	पंजाब		शून्य		शून्य
24.	राजस्थान	11ए	किमी. 49/000 व किमी. 60/000		शून्य
		15	किमी. 120/000		
		116	किमी. 15/000, 16/000, 23/000, 31/000, 32/000, 38/000 व 39/000		
25.	सिक्किम		शून्य		शून्य
26.	तमिलनाडु		शून्य	4	किमी. 112/200
				208	किमी. 123/400 व 181/400
				209	किमी. 33/200
				210	किमी. 116/800
27	त्रिपुरा		शून्य		शून्य
28.	उत्तराखंड		शून्य		शून्य

1	2	3	4	5	6
29.	उत्तर प्रदेश		शून्य	76	किमी. 330/200
				119	किमी. 93/000
30	पश्चिम बंगाल		शून्य	60	किमी. 213/100

[हिन्दी]

प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना

2765. श्री रामदास आठवले:
डा. के. धनराजू:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के अनुपालन में सभी राज्य सरकारों को प्रसव-पूर्व नैदानिक परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाने और क्लिनिकों में उपयोग की जा रही उन सभी अपंजीकृत और लाइसेंस विहीन अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त करने के निदेश जारी किये है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 301-सी इ एच ए टी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (अधिनियम एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को संशोधित करके गर्भाधारण, पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंगनिर्धारण निषेधी) अधिनियम, 1994 और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन तथा दुरूपयोग निवारण) संशोधन नियम, 2003 बनाया गया था।

संशोधित अधिनियम और नियमों की शर्तानुसार लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 3, 3क, 3ख, 4, 5 और नियमों की धारा 3क के तहत किसी आनुवंशकीय परामर्श हेतु, आनुवंशकीय क्लीनिक अथवा आनुवंशकीय प्रयोगशाला अथवा किसी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन अथवा भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम किसी अन्य उपकरण को खरीदने अथवा किराए पर लेने पर प्रतिबंध है।

अधिनियम की धारा 30 के तहत आनुवंशकीय परामर्श केन्द्र, आनुवंशकीय क्लीनिक, आनुवंशकीय प्रयोगशाला तथा कोई अन्य स्थान पर मानकों का उल्लंघन होने पर ऐसे परिसरों को बंद करने तथा गवाहों को पेश करने समेत नियमों का उल्लंघन करने वालों की मशीन, उपकरणों तथा रिकार्ड की जांच करने, उन्हें जब्त करने तथा बंद करने के लिये समुचित प्राधिकारियों को सिविल कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं। भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम अल्ट्रासाऊंड मशीनों तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग तथा गर्भाधारण पूर्व लिंग चयन में सहायक हो सकने वाले परीक्षणों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में समुचित रिवार्ड रखने को अनिवार्य बना दिया गया है।

अधिनियम के उल्लंघनों को कम करने के लिए निवारक के रूप में अधिनियम की निम्नलिखित कठोर दंड धारा 22 से 28 में निर्धारित किए गए हैं:

- 3 वर्ष तक कैद तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
- किसी परवर्ती अपराध के लिए उसे 5 वर्ष तक की कैद तथा 50,000/100,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- यदि अदालत द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जब तक मुकद्दमा समाप्त नहीं हो जाता है, पंजीकरण के आस्थगन समेत आवश्यक समेत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य

आयुर्विज्ञान परिषद को पंजीकृत चिकित्सक का नाम सूचित किया जाता है।

23.11.2007 तक की स्थिति के अनुसार नियमों के विभिन्न उल्लंघनों के लिए अदालतों/पुलिस में 403 मुकद्दमें चल रहे थे। नियमों के उल्लंघन के लिये 132 अल्ट्रासाऊंड मशीनों को बंद और जब्त किया गया। यद्यपि ज्यादातर मामले केन्द्र/क्लीनिक के पंजीकृत न होने के थे, तथापि, 65 मामलों का संबंध भ्रूण के लिंग निर्धारण और उसके प्रकटीकरण के थे। गर्भधारणपूर्व/प्रसवपूर्व लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में प्रचार करने/विज्ञापन देने वाले 37 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। चल रहे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कारगर उपाय करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है।

[अनुवाद]

वन भूमि की बिक्री

2766. श्री पी.सी. थामस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में वन भूमि की बिक्री और वन भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा पौधे लगाने के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला क्षेत्र में महिला कामगार

2767. श्री मदन लाल शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31.03.07 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार कितनी महिला कामगार कार्यरत हैं;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में महिला कामगारों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ कंपनियों ने अनुकम्पा आधार पर महिला उम्मीदवारों को नियोजित करना बंद कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी महिला उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में कुल 29411 महिला कर्मचारी नियोजित हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या के श्रेणीवार/कंपनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नियोजित महिला कर्मचारियों के पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे निम्नवत हैं–

तारीख	कुल जनशक्ति	महिला कर्मचारियों की सं.	कुल जनशक्ति में महिलाओं का प्रतिशत
1.4.2007	439343	29411	6.69
1.4.2006	452287	29420	6.50
1.4.2005	468450	29797	6.36

यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त वर्षों के दौरान कुल जनशक्ति के मुकाबले महिला कर्मचारियों के प्रतिशत में कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। प्रचालनरत राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एन सी डब्ल्यूए) के प्रावधानों के अनुसार रोजगार अनुकम्पा के आधार पर दिया जा रहा है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

01.04.2007 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की श्रेणीवार/कंपनीवार संख्या

श्रेणीवार	इंटर्न कोलफी ल्इ लि.	भरत कोकिंग कोलफि ल्इ	सेंट्रल कोलफी ल्इ लि.	वेस्टर्न कोलफी ल्इ लि.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महानदी कोलफी ल्इ लि.	नार्दर्न कोलफी ल्इ लि.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	सेंट्रल माईन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीच्यूट	दनकुनी कोल कम्पलेक्स	कोल इंडिया लि. (मुख्य)	कोल (सी.अ ईस
कार्यपालक	63	66	101	91	73	28	25	4		3	26	505
मासिक आधार पर	1290	1299	859	1073	917	300	191	92	65	13	128	6227
दैनिक आधार पर	3719	4088	2695	1830	2352	620	318	167	69	18	8	15884
कार्य आधार पर	3057	1263	1535	87	127	39	0	0	0	0	0	6108
अनियत	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	97
बदली	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
कंपनी प्रशिक्षार्थी (प्रशिक्षु)	267	184	53	22	60	1	0	0	0	0	0	587
योग	8397	6902	5340	3103	3529	988	534	263	159	34	162	29411

[हिन्दी]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2768. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 59 शहरी केंद्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मूल्याकंन के संबंध में जनवरी से जुलाई, 2007 के दौरान कोई अध्ययन कराया है जैसाकि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में इसकी क्या स्थिति है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. के वासन): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन प्रत्येक माह 59 केन्द्रों के संबंध में वर्ष 1984-85 = 100 के आधार पर शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों [सी पी आई(यूएनएमई)] के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी करता है। सूचकांकों में जनवरी से जुलाई, 2007 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सी पी आई (यू एन एम ई) संख्या संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) वर्ष 1993-94 = 100 के आधार पर जनवरी-जुलाई, 2007 तक सूचकांकों में प्रतिशत परिवर्तन सहित पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह की तुलना में राष्ट्रीय थोक मूल्य सूचकांक संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या आधार 1984-85 = 100

क्र.सं.	केन्द्र	2007						
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हैदराबाद	542	545	541	545	551	556	557
2.	कुरनूल	503	493	489	492	497	501	507
3.	विजयवाड़ा	546	552	550	550	550	554	557
4.	विशाखापट्टनम	508	511	509	510	512	515	523
5.	वारंगल	528	532	529	532	539	547	559
6.	गुवाहाटी	488	492	493	496	499	503	507
7.	पटना	463	465	466	464	461	463	475
8.	मुज्जफ्फरपुर	503	505	511	511	514	516	520
9.	रांची	498	496	498	500	503	509	517
10.	अहमदाबाद	432	435	435	436	437	440	448
11.	भावनगर	475	476	475	479	482	489	503
12.	राजकोट	440	456	456	454	449	448	459
13.	सूरत	428	427	423	432	435	440	447
14.	रोहतक	530	531	534	535	536	532	539
15.	शिमला	499	502	506	508	510	508	507
16.	श्रीनगर	485	488	496	497	497	502	510
17.	जम्मू	489	492	492	500	498	499	507
18.	बंगलौर	525	528	527	527	529	532	541
19.	गुलबर्गा	490	491	489	492	493	501	509
20.	हुबली	532	531	527	530	534	535	545
21.	मंगलौर	520	520	517	522	524	525	531
22.	त्रिवेन्द्रम	518	515	512	516	517	527	536
23.	कालीकट	454	452	452	453	453	455	464
24.	भोपाल	459	460	461	462	465	468	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	ग्वालियर	539	536	546	553	549	553	557
26.	इंदौर	491	492	490	491	493	492	504
27.	जबलपुर	451	455	452	452	453	457	464
28.	मुंबई	489	489	490	491	493	496	502
29.	औरंगाबाद	563	563	569	577	579	578	578
30.	नागपुर	476	474	473	475	475	477	485
31.	पुणे	521	520	517	531	533	538	541
32.	शोलापुर	459	464	464	467	467	470	477
33.	इम्फाल	479	477	474	477	477	484	497
34.	शिलांग	514	518	528	539	544	552	557
35.	कोहिमा	587	588	591	594	598	602	609
36.	कटक	489	489	492	495	497	501	511
37.	संबलपुर	417	417	415	419	421	424	431
38.	अमृतसर	408	411	412	412	413	414	417
39.	जयपुर	483	485	491	495	494	493	505
40.	अजमेर	516	517	525	527	528	528	532
41.	जोधपुर	471	472	476	478	476	474	487
42.	गंगटोक	513	520	521	520	520	520	529
43.	चेन्नई	486	588	585	590	595	599	605
44.	कोयम्बटूर	590	592	591	592	595	599	602
45.	मदुरै	524	525	530	529	532	539	540
46.	सलेम	527	525	530	531	535	544	537
47.	तिरूचिरापल्ली	518	518	518	521	523	528	527
48.	अगरतला	570	567	570	572	576	575	584
49.	लखनऊ	467	469	471	473	476	481	491
50.	आगरा	496	501	507	510	511	514	524
51.	इलाहाबाद	552	553	554	557	559	560	572
52.	कानपुर	453	459	462	466	469	476	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	मेरठ	459	462	464	467	471	474	479
54.	कोलकाता	444	444	449	455	461	464	479
55.	आसनसोल	480	481	484	485	491	498	508
56.	खड़गपुर	495	500	508	512	518	522	537
57.	सिलीगुड़ी	504	506	510	511	511	516	522
58.	चंडीगढ़	649	649	649	651	651	651	665
59.	दिल्ली	504	506	508	510	511	513	518
	समस्त भारत	496	497	498	501	503	506	514

विवरण II

वर्ष 2006 के तदनुरूपी माह की तुलना में जनवरी-जुलाई, 2007 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों) में प्रतिशत परिवर्तन

क्र.सं.	केन्द्र	2006 की तुलना में 2007 में प्रतिशत परिवर्तन						
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हैदराबाद	9.9	10.8	9.3	9.4	8.7	8.8	7.7
2.	कुरनूल	8.6	8.6	7.2	7.2	5.5	5.3	7.4
3.	विजयवाड़ा	4.2	6.0	5.8	5.8	4.2	4.5	4.5
4.	विशाखापट्टनम	6.9	8.0	7.8	7.4	7.1	6.2	7.2
5.	वारंगल	8.6	9.9	9.3	9.7	8.7	9.2	10.0
6.	गुवाहाटी	6.6	7.9	6.9	7.1	5.5	5.2	5.2
7.	पटना	9.7	9.9	9.4	8.9	7.2	5.9	8.4
8.	मुज्जफ्फरपुर	9.1	10.3	10.8	10.6	9.4	8.2	5.9
9.	रांची	9.7	8.5	9.0	8.5	7.5	6.5	6.2
10.	अहमदाबाद	7.5	9.0	8.7	7.4	6.6	5.8	5.9
11.	भावनगर	8.9	8.9	9.4	9.1	8.3	6.1	9.6
12.	राजकोट	10.3	14.0	13.2	11.5	6.9	5.4	6.7
13.	सूरत	9.7	8.9	7.1	8.3	7.7	7.3	6.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	रोहतक	9.7	8.8	8.8	9.6	8.7	5.6	5.3
15.	शिमला	6.6	7.0	7.2	7.2	7.4	6.1	5.0
16.	श्रीनगर	6.6	7.5	8.8	8.5	8.3	9.1	9.7
17.	जम्मू	7.0	7.4	7.0	7.8	7.6	5.5	7.4
18.	बंगलौर	7.1	8.2	7.8	6.7	6.0	5.8	6.9
19.	गुलबर्गा	7.2	7.7	7.5	7.9	6.5	7.3	7.8
20.	हुबली	6.0	6.0	5.4	5.4	4.5	3.9	6.7
21.	मंगलौर	7.7	7.9	7.3	7.9	7.2	6.7	6.0
22.	त्रिवेन्द्रम	5.1	5.1	4.7	4.7	4.4	5.0	5.1
23.	कालीकट	4.8	4.6	4.9	4.9	2.0	1.8	4.3
24.	भोपाल	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	3.3	3.9
25.	ग्वालियर	9.6	8.5	10.3	11.7	9.4	8.6	7.7
26.	इंदौर	7.4	6.0	5.4	5.6	4.9	2.9	6.1
27.	जबलपुर	11.9	13.2	11.1	10.2	8.4	6.3	7.7
28.	मुंबई	7.9	7.7	7.7	7.2	6.7	6.0	6.6
29.	औरंगाबाद	11.5	11.7	12.9	13.6	12.9	9.7	7.0
30.	नागपुर	7.9	7.0	7.0	6.0	5.1	3.2	4.1
31.	पुणे	10.1	9.2	7.7	9.3	8.8	7.4	7.3
32.	शोलापुर	6.5	8.7	9.2	8.4	6.4	6.3	7.9
33.	इम्फाल	7.6	7.7	7.0	4.4	3.9	5.9	8.3
34.	शिलांग	7.3	8.6	10.9	12.1	12.4	12.9	13.9
35.	कोहिमा	6.1	6.9	7.3	7.6	8.1	7.7	7.4
36.	कटक	8.4	8.2	8.6	9.0	8.3	8.0	7.8
37.	संबलपुर	7.5	7.5	6.4	7.2	6.0	5.7	6.9
38.	अमृतसर	5.7	6.2	6.2	5.9	6.2	5.6	5.6
39.	जयपुर	7.3	7.3	8.1	8.8	7.6	5.8	6.1
40.	अजमेर	8.6	8.2	9.4	8.7	7.5	6.5	6.0
41.	जोधपुर	7.3	7.3	7.9	6.9	5.8	4.4	5.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	गंगटोक	6.7	8.3	8.8	7.9	7.0	5.5	6.7
43.	चेन्नई	6.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.5	7.8
44.	कायेम्बटूर	8.3	8.6	9.0	8.4	7.6	8.3	7.9
45.	मदुरै	3.4	4.0	5.0	5.0	4.1	4.9	5.9
46.	सलेम	5.6	5.8	7.3	6.6	5.7	7.1	6.1
47.	तिरूचिरापल्ली	4.9	5.9	5.9	6.1	5.0	5.8	5.6
48.	अगरतला	6.9	7.2	6.9	6.7	5.9	3.8	4.1
49.	लखनऊ	6.4	6.8	6.3	6.3	5.8	4.1	5.8
50.	आगरा	6.9	7.5	8.8	9.0	8.3	6.2	7.2
51.	इलाहाबाद	6.6	6.3	4.9	6.3	5.7	4.1	5.0
52.	कानपुर	7.9	9.0	7.9	9.6	9.1	8.4	9.2
53.	मेरठ	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	7.0	7.6
54.	कोलकाता	6.5	6.7	7.2	7.8	7.7	7.2	9.4
55.	आसनसोल	3.4	3.7	4.1	2.8	2.5	3.5	4.5
56.	खड़गपुर	8.1	9.6	11.4	11.1	9.3	8.5	9.4
57.	सिलीगुडी	5.9	6.1	6.3	6.5	6.2	6.8	7.4
58.	चंडीगढ़	5.5	5.4	5.0	5.7	5.3	4.0	5.6
59.	दिल्ली	6.1	6.3	5.6	6.0	5.8	3.8	4.6
	समस्त भारत	7.4	7.8	7.6	7.7	6.8	6.1	6.9

विवरण III

पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में आधार वर्ष 1993-94 =100 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या (सभी वस्तुएं) में परिवर्तन का प्रतिशत।

वर्ष-2007 माह	थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3
जनवरी	208.8	6.4
फरवरी	208.9	6.4
मार्च	209.8	6.6
अप्रैल	211.5	6.3
मई	212.3	5.5
जून	212.3	4.5
जुलाई	213.6	4.7

[अनुवाद]

थाईलैंड के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

2769. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थाईलैंड के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) थाईलैंड के प्रधान मंत्री जनरल सुरायुद चुलानोंत ने 25-27 जून, 2007 तक भारत का राजकीय दौरा किया। उनके साथ 14 सदस्यीय एक सरकारी शिष्टमंडल भी आया था जिसमें थाईलैंड के विदेश, वाणिज्य एवं ऊर्जा मंत्री शामिल थे।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा संबंधों, संपर्क एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर चर्चा की।

यात्रा के दौरान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संवर्धित सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और वर्ष 2007-2008 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए कार्यवाही कार्यक्रम सहित दो करार संपन्न किए गए। यात्रा की समाप्ति पर 26 जून, 2007 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। (प्रति विवरण के रूप में संलग्न है)।

जून, 2007 में थोईलैंड के प्रधान मंत्री की भारत की राजकीय यात्रा से द्विपक्षीय संपर्कों की गति बनाए रखने में सहायता मिली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने और आपसी लाभ के लिए सभी उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की अपनी सशक्त वचनबद्धता दोहरायी।

विवरण

1. थाईलैंड के महामहिम प्रधान मंत्री जनरल सुरायुद चुलानोंत (सेवानिवृत्त) 25-27 जून, 2007 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। थाईलैंड के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी आए।

2. इस यात्रा के दौरान उन्होंने 26 जून, 2007 को भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने गणमान्य अतिथि के सम्मान में इसी दिन एक भोज का आयोजन किया। विदेश मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने 26 जून, 2007 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भेंट की। लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता ने 27 जून 2007 को थाइलैंड के प्रधान मंत्री से भेंट की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने 26 जून, 2007 को सी आई आई, फिक्की और एसोचैम द्वारा आयोजित एक व्यापारिक शिखर बैठक को भी संबोधित किया।

3. थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने 26 जून, 2007 को भारत गणराज्य के राष्ट्रपति से भेंट की।

4. थाईलैंड के प्रधानमत्री 27 जून, 2007 को वाराणसी और सारनाथ जाएंगे।

5. थाईलैंड के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में दो महत्वपूर्ण समझौतों अर्थात् अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

6. इस विचार-विमर्श के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच संबंध जो युगों पुराने ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित थे, संस्कृति और वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्रों से आगे निकलकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् सुरक्षा, रक्षा, नागर विमानन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अधिकाधिक जन-जन संपर्क और मुक्त व्यापार की दिशा में सहयोग तक पहुंच गए हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों में विविधता लाने और उन्हें प्रगाढ़ बनाने के लिए विद्यमान द्विपक्षीय संस्थागत रूपरेखा के उपयोग और उसके विस्तार के महत्व पर बल दिया।

7. दोनों प्रधानमंत्रियों ने संतोष व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौते की अर्ली हार्वेस्ट स्कीम को लागू करने से 3 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता, चालू वर्ष के दौरान शीघ्रतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। उन्हें यह भी विश्वास था कि 2007 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार का 4 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

8. दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। इस संदर्भ में उन्होंने स्वीकार किया कि सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त कार्यसमूह ने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने रक्षा व सुरक्षा से संबंधित लंबित समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर शीघ्र वार्ता के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहित किया ताकि ये समझौते शीघ्र से शीघ्र किए जा सकें और उन्हें लागू किया जा सके। यह स्वीकार करते हुए कि आंतकवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, दोनों नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और कहा कि यह अपराध है और अनुचित है चाहे इसका उद्देश्य कुछ

भी हो। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने तथा व्यापक और निरंतर रूप से समन्वित उपाय करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

9. दोनों प्रधानमंत्रियों ने बेहतर सहयोग के अन्य आशाजनक क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया। इस संदर्भ में वे नागर विमानन सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए। उन्होंने घरेलू नियमों और विनियमों के अनुसार, मात्स्यिकी सहयोग के संभावित तरीको की तलाश के लिए संबंधित प्राधिकारियों और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया।

10. दोनों प्रधानमंत्री सहमत थे कि दोनों देशों के बीच संबंध, भागीदारी के नए उन्नत स्तर के लिए तैयार है। थाईलैंड की 'पश्चिम की ओर देखो' नीति और भारती की 'पूर्व की ओर देखो।' नीति एक दूसरे की पूरक बन गई हैं और दोनों देशों के बीच संबंध द्विपक्षीय रूप से और आसियान, एआरएफ, बिम्सटेक, एमजीसी, एसीडी और पूर्व एशिया शिखर बैठक जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ और इनमें अधिक से अधिक संपर्क के संदर्भ में संबंध बढ़े हैं।

11. भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ प्रगाढ़ आर्थिक और सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया स्वरूप शाही थाई सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस संदर्भ में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्श में तीसरी पूर्वोत्तर व्यापार शिखर बैठक में भाग लेने के लिए थाइलैंड के वाणिज्य मंत्री की नई दिल्ली यात्रा और 21-24 जून, 2007 तक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की उनकी यात्रा का उल्लेख किया गया।

12. भारत के प्रधानमंत्री ने बैंकाक में सिल्पाकॉर्न विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन केंद्र के नए भवन के निर्माण बजट के लिए 10 मिलियन बहट के योगदान की घोषणा की। इस विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन केंद्र ने संस्कृत के अध्ययन और भारत एवं थाईलैंड के बीच भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संबंध में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के उपर्युक्त योगदान की सराहना की जो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और बहुमूल्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है।

13. थाईलैंड के प्रधानमंत्री की सरकारी भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंध ों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है और यह यात्रा इस बात का प्रतीक है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों देश 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर अनेक समारोहों का आयोजन करेंगे।

14. थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के हार्दिक स्वागत और भव्य आतिथ्य तथा इस सरकारी यात्रा के लिए की गई बेहतरीन व्यवस्था के लिए भारत के प्रधानमंत्री की सराहना की।

नई दिल्ली,
26 जून, 2007

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की उपलब्धियां

2770. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जी. एम. सिद्देश्वर

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की गत तीन वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आज तक कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) आयोग ने किस प्रकार देश भर में ज्ञान के प्रसार में सहायता की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन के सी) ने नवम्बर, 2007 तक की निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की है: पुस्तकालय, अनुवाद, भाषा, ज्ञान नेटवर्क, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, पॉर्टल (जल, ऊर्जा), व्यावसायिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विधि संबंधी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, मुक्त और दूरवर्ती शिक्षा, मुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, नवाचार, ई-गवर्नेंस।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को 105. 57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की भूमिका देश में ज्ञान का प्रसार करना नहीं है।

फिजियोथिरैपी और आक्यूपेशनल थिरैपी स्नातक

2771. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फिजियोथिरैपी और आक्यूपेशनल थिरैपी स्नातकों के संबंध में एक विधेयक पुर:स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पी. टी. और ओ. टी. स्नातकों को एन. आई. वी. वी. एस. स्नातकों के समकक्ष मानने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। अर्ध-चिकित्सा एवं फिजियोथिरेपी की शिक्षा के मानदण्डों को विनियमित एवं अनुरक्षित करने और अर्ध-चिकित्सा एवं फिजियोथिरेपी विशेषज्ञों का रजिस्टर रखने के उद्देश्य से अर्धचिकित्सा एवं फिजियोथिरेपी की शिक्षा विकसित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संसद के वर्तमान सत्र के दौरान अर्ध-चिकित्सा एवं फिजियोथिरेपी केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007 प्रस्तुत करेगा।

(ग) और (घ) इस विधेयक के अनुसार, अन्य विषयों के स्नातकों के संबंध में पी. टी. एवं ओ. टी. स्नातकों का श्रेणीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा संक्रमण नाशक किट का विकास

2772. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी. ए. आर. सी) ने कर्मियों के लिए एक पोर्टेबल संक्रमण नाशक किट डिजाइन किया है और उसे विकसित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह किट आम जनता के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में किन-किन स्थानों पर उक्त किट के उपलब्ध होने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हाँ।

(ख) सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट (पी पी डी के) का डिजायन, किसी नाभिकीय/विकिरणकीय आपात-स्थिति के मामले में प्रभावित लोगों पर से बाह्य संदूषण को हटाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी ट्यूब जैसी संरचना में चार व्यक्तियों द्वारा 20 मिनट के भीतर हवा भरी/निकाली जा सकती है। यह बैटरियों, इंवर्टरों और पंपों से सुसज्जित है ताकि वैद्युत आपूर्ति न होने पर भी काम कर सके। इसके लिए जल की आपूर्ति की जरूरत होती है, जिसे प्रथम रिसपोंडरों (जैसेकि फायर ब्रिगेड) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट (पी पी डी के) को पैक करके आठ रकसैकों में ले जाया जा सकता है। इन पैकेजों का कुल भार 150 किलोग्राम है।

(ग) जी, हाँ। सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट का डिजायन, सार्वजनिक प्रक्षेत्र में मूलभूत विसंदूषण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उसे सुवाह्य बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया है।

(घ) इस समय, ऐसी एक प्रणाली भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के पास उपलब्ध है और उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। बाद में, और अधिक यूनिटों को चुनिंदा स्थलों पर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने के लिए रखा जाएगा।

आनुवांशिक रूप से संवर्धित जीव

2773. श्री के.एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुवांशिक रूप से संवर्धित जीवों (डी एम ओ) वाले प्रसंस्कृत खाद्य के विपणन के लिए स्वीकृति देने हेतु दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है।

(ग) क्या उक्त अधिसूचना जारी करने से पहले अनुवांशिक रूप से संवर्धित जीवों वाले प्रसंस्कृत खाद्य के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान किया गया है और;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अन्तर्गत अनुवांशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों/तत्वों की लेबलिंग के लिए जी एस आर संख्या 152 (ई) दिनांक 10.3.06 के अन्तर्गत प्रकाशित एक मसौदा अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर जनता की ओर से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। चूंकि, मसौदा नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों को विनियमित करने के प्रावधान, खाद्य सुरक्षा एवं मानदण्ड अधिनियम, 2006 के

अधीन बनाए गए हैं और इनका संचालन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसे गठित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शव से प्रत्यारोपण

2774. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शव से प्रत्यारोपण किये जा रहे हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अन्य विकसित देशों की तुलना में शव से प्रत्यारोपण का प्रतिशत कितना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 3(5) में मृत व्यक्ति के शरीर से मानव अंग निकालने का उपबंध किया गया तथा धारा 5 (1) में अस्पताल या जेल में पड़े ऐसे मृत शरीर से उसकी मृत्यु के 48 घंटे के भीतर अंग निकालने का उपबंध किया गया है जिसके लिए उसके किसी भी नजदीकी नातेदार द्वारा दावा नहीं किया जाता है।

स्वास्थ्य, राज्य का विषय होने के नाते स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार का कार्य है।

(ग) ऐसे ब्यौरे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

ग्यारहवीं योजना के दौरान खेल के लिए धनराशि का आबंटन

2775. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेल के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) दिल्ली में वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में देश भर में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे नए स्टेडियमों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खेल के विकास के लिए 4,237 करोड़ रु. अनंतिम परिव्यय को दर्शाया है।

(ख) दिल्ली में वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन निम्न पाँच स्टेडियमों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन किया जा रहा है:–

(i) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम

(ii) मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम

(iii) इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर

(iv) डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल

(v) डा. कर्णी सिंह, शूटिंग रेंज

(ग) इस समय राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए नये स्टेडियमों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

2776. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कन्वेंशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसकी कब तक अभिपुष्टि किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में सभी प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए गठित अन्तर्मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह ने अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस कन्वेंशन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय निर्धारित किए गए हैं और यह पक्षकारों (देशों) को अपने-अपने स्थानीय कानून के अंतर्गत कतिपय आचरणों के अपराधीकरण पर विचार करने का आदेश देता है, जैसे देश की लोक सेवाओं के कर्मचारियों, विदेशी लोक सेवाओं के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी; किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया गबन इत्यादि; सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग; निजी क्षेत्र में सम्पति के सम्बन्ध में रिश्वतखोरी और गबन; अपराध से हुई आय का शोधन; न्याय में रूकावट; और कन्वेंशन इत्यादि के अनुरूप सिद्ध किसी अपराध में भागीदारी। यह कन्वेंशन पक्षकारों को यह भी आदेश देता है कि वे कन्वेंशन के अंतर्गत सिद्ध अपराधों के घटित होने के विरूद्ध प्रतिबंध लगाने, अभियोजन और निर्णयादेश के समुचित उपायों, अपराध से होने वाली आय को जब्त करने, गवाहों, विशेषज्ञों, पीड़ितों और रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी स्थानीय कानूनी प्रणाली के अनुसार उपाय करने, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के निवारण के उपाय, नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करे। इस कन्वेंशन में राष्ट्रीय प्राधिकारियों और निजी क्षेत्र के बीच, अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन चलाने और बैंक गोपनीयता संबंधी कानूनों की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रक्रिया के निर्माण के सम्बन्ध में आपसी सहयोग अपेक्षित है। यह कन्वेंशन पक्षकारों को, अपराध से होने वाली आय के स्थानांतरण को रोकने और इसका पता लगाने, परिसम्पत्तियों को जब्त करने, लौटाने और इनका निबटान करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सम्पत्ति वापस लेने की प्रक्रिया का निर्माण करने और संदेहास्पद वित्तीय कारोबार की निगरानी के लिए वित्तीय आसूचना एककों की स्थापना करने, का अधिकार देता है। इस कन्वेंशन में व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रावधान भी किया गया है।

भारत ऐसे अनेक देशों में से एक देश है जिनके भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं पर अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

संयुक्त कार्यदल ने इस समय लागू विभिन्न कानूनों के दायरे में नहीं आने वाले विभिन्न प्रावधानों की, इस आशय की पुष्टि करने के लिए जाँच-पड़ताल की है कि क्या पहले से ही लागू मौजूदा कानून, पर्याप्त रूप से अपेक्षा को पूरा करते हैं, जिन्हें इसके द्वारा कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिए जाने के पश्चात् स्टेट पार्टी द्वारा पूरा किया जाना होगा। संयुक्त कार्यदल में विचार-विमर्श के आधार पर, संबंधित मंत्रालयो/विभागों से अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा लागू कानूनों के प्रावधानों की विस्तार से जांच की जाए ताकि यह पता लग सके कि क्या भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अधीन अपेक्षाएं पहले से समाविष्ट हैं अथवा इनमें कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र की एक राजभाषा के रूप में हिंदी

2777. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिंदी की संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक राजभाषा बनाए जाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) क्या मारीशस स्थित विश्व हिंदी सम्मेलन के स्थायी सचिवालय और हिंदी सचिवालय ने इस संबंध में अपना कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिंदी के प्रयोग के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) इस मामले की देखरेख करने और आवश्यक उपाय करने के लिए 26 फरवरी, 2003 को विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, तत्पश्चात अगस्त, 2003 में विदेश राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति तथा सितम्बर, 2003 में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक कोर-ग्रुप का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को लागू करने के संबंध में भारतीय मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक पक्ष-समर्थन दस्तावेज तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया में प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 को संशोधित करने के लिए महासभा का अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है। ऐसे किसी प्रस्ताव पर महासभा के आधे से अधिक सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देने से संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्चों में पर्याप्त वृद्धि होती है जिससे प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने अंशदान में वृद्धि करनी होती है, इसी कारणवश कई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव को समर्थन देने के प्रति उदासीन रहते हैं।

(ख) और (ग) सचिवालय के कार्यकारी बोर्ड की एक बैठक 24-25 मई, 2007 को मारीशस में संपन्न हुई। सचिवालय शासी परिषद द्वारा सचिवालय के बजट की मंजूरी देने के पश्चात ही औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन के लिए सचिवालय उत्तरदायी होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए अलग से कोई सचिवालय नहीं है।

(घ) विदेश स्थित भारतीय दूतावास/उच्चायोग इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें अधिकांशत: स्थानीय सरकारों के साथ कार्यसंचालन करना होता है, अपने सरकारी कार्यों में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करते हैं। सामान्तया हिंदी का प्रयोग भारतीय समुदाय के लोगों के साथ पारस्परिक संपर्क स्थापित करने के दौरान किया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन, स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से समय-समय पर हिंदी संबंधी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा वे प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी आयोजित करते हैं।

आर्सेनिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियां

2778. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में आर्सेनिक प्रदूषण द्वारा फैलने वाली बीमारियों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) केन्द्र सरकार ने आर्सेनिक प्रदूषण द्वारा फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय किए हैं और इस संबंध में प्राप्त विदेशी सहायता, यदि कोई है, तो क्या उपाय किए गए है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि के आंबटन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों की राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) जागरूकता और जांच में बढ़ोत्तरी होने के कारण भूमि जल में आर्सेनिक संदूषण की अधिक घटनाओं का पता चल रहा है। आर्सेनिक संदूषण का कारण केवल भौगोलिक है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम से आर्सेनिक संदूषण की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभावित जिलों के नाम सहित वर्ष-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लम्बे समय तक आर्सेनिक संदूषित पेय जल का उपयोग करने के कारण आर्सेनिकोसिस, डर्मेटोसिस, केराटोसिस, कंजक्टिवाइटिस, ब्रोनकाइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस आदि बीमारियां होती है। राज्य सरकारों द्वारा इन बीमारियों से प्रभावित रोगियों के निदान और उपचार के लिए उपाय किए गए है।

पेय जल की आपूर्ति राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित निधियों का 15 प्रतिशत खास तौर पर जल गुणवत्ता की समस्याओं से निपटने के लिए निर्धारित है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वर्ष 1998 से 44795.49 लाख रुपए की लागत वाली 10 उप-मिशन परियोजनाओं की मंजूरी की सूचना दी है जिसमें केन्द्र द्वारा दी गई राशि 33596.62 लाख रुपए है।

विवरण

देश में आर्सेनिक संदूषण की वर्ष-वार घटनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	घटना का वर्ष	अत्यधिक प्रभावित जिले	प्रभावित प्रखंडों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल	1983+	मुर्शिदाबाद	19
			नाडिया	17
			उत्तरी 24 परगना	19

1	2	3	4	5
			दक्षिणी 24 परगना	9
			मालदा	7
			बर्दवान	5
			हावड़ा	2
			हुगली	1
2.	छत्तीसगढ़	1998+	राजनंदगावं	3
3.	बिहार	2002+	भोजपुर, बक्सर, पटना, छपरा, वैशाली	अनुपलब्ध
4.	झारखण्ड	2002+	साहेबगंज	1
5.	असम	2004+	करीमगंज हालाखांडी धीमाजी	अनुपलब्ध
6.	उत्तर प्रदेश	2004+	बलिया	3

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त भवन को क्षति

2779. **श्री पंकज चौधरी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्तभवन में हाल ही में जबरदस्ती प्रवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त के आवास में 12 नवम्बर, 2007 की रात्रि को सेंधमारी हुई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार और नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के समक्ष कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

2780. **श्री असावूद्दीन ओवसी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र और एशियाई विकास बैंक की हाल में जारी की गई रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि भारत वर्ष 2002 विशेषकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों में चिन्हित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से कुछेक को पूरा करने में पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया जाने वाला व्यय जी डी पी का मात्र 1.37 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। इस रिपोर्ट से पता चला है कि बाल मृत्यु और मातृ-मृत्यु की बाबत सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत पिछड़ रहा है। बाल मृत्यु के मामले में इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 1.9 मिलियन बच्चे 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मर जाते हैं तथा मातृ-मृत्यु के मामले में यह बताया गया है कि वर्ष 2000 की स्थिति के अनुसार मातृ-मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 540 है। बाल-मृत्यु की बाबत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी सरकारी

अनुमान के अनुसार बाल-मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 17.3 है। इस रिपोर्ट में मातृ-मृत्यु दर की बाबत दिए गए आंकड़े अद्यतन हैं। भारत के महापंजीयक के अनुमानों के अनुसार नमूना पंजीकरण प्रणाली 2006 के अनुसार वर्ष 2001-03 के दौरान मातृ-मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 301 थी।

(ग) से (ङ) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय 1% के आसपास है। तथापि, यदि अन्य बातों के साथ-साथ पेय-जल एवं पोषण सहित स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक निर्धारकों की बाबत सरकारी व्यय को हिसाब में लिया जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के अनुसार सरकारी व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 1.39 प्रतिशत है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह अधिदेश है कि सरकार बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या पर विशेष ध्यान देते हुए अगले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2-3 प्रतिशत करेगी। 11वीं योजना में अपनाई जा रही कार्यनीति से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय के स्तर के बढ़ने की संभावना है। इस कार्यनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ाना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना और एच आई वी/एडस तथा अन्य संचारी रोगों तथा जीवनशैली से जुड़े रोगों को रोकने के लिए ठोस उपाय करना है।

पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर में विलंब

2781. श्री अधीर चौधरी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ है जैसा कि दिनांक 23 सितंबर, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कॉरीडोर परियोजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है और खंड-वार कितनी लंबाई स्वीकृत की गई है तथा अभी तक कितना खंड पूरा हुआ है;

(ग) क्या परियोजना में विलंब के फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए अभी तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा खर्च की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पूर्व-पश्चिम महामार्ग के तहत चल रही परियोजनाओं की स्थिति और उनके पूरे होने की तारीख/पूरे होने की अनुमानित तारीख के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पूर्व-पश्चिम महामार्ग के काफी हद तक वर्ष 2009 तक पूरे हो जाने की संभावना है सिवाय कुछ परियोजनाओं के जो वर्ष 2010 में पूरी की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) ठेकों में लागत वृद्धि खंड के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, निर्माण की लागत बढ़ सकती है और निर्माण की अंतिम लागत का अनुमान परियोजना के पूरे होने के बाद ही लगाया जा सकता है। 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं पर संचित व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

पूर्व-पश्चिम महामार्ग (राज्यवार) के ब्यौरे

(31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	ठेका	राष्ट्रीय सं.	कुल लंबाई (किमी.)	पूर्ण लंबाई (किमी.)	पूर्ण होने/पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	संचयी व्यय (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य-असम								
1.	सिलचर-उदरबंद	54	32.00	0.00	दिसं. 2008	154.57	47.19	कार्यान्वयन के अधीन
2.	उदरबंद से हरनगाजो	54	31.00	0.00		155	0	सौंपने के लिए शेष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हरनगाओ से मेबांग	54	26.00	0.00	जुलाई-2009	212	22.34	कार्यान्वयन के अधीन
4.	हरनगाओ से मेबांग	54	24.00	0.00	जुलाई-2009	196	19.99	कार्यान्वयन के अधीन
5.	हरनगाओ से मेबांग	54	16.00	0.00	फरवरी-2009	280	49.02	कार्यान्वयन के अधीन
6.	मेबांग से लूमडिंग	54	21.00	0.00	अप्रैल-2009	200	14.1	कार्यान्वयन के अधीन
7.	मेबांग से लूमडिंग	54	23.00	0.00	नवम्बर-2008	167.64	13.13	कार्यान्वयन के अधीन
8.	मेबांग से लूमडिंग	54	28.00	0.00	अप्रैल-2009	199.81	4.18	कार्यान्वयन के अधीन
9.	मेबांग से लूमडिंग	54	15.00	0.00	नवम्बर-2008	155.04	12.76	कार्यान्वयन के अधीन
10.	लूमडिंग से डबोका	54	18.50	0.00		130	3.88	कार्यान्वयन के अधीन
11.	लंका से डबोका	54	24.00	0.00	दिसम्बर-2008	225	20.24	कार्यान्वयन के अधीन
12.	डबोका से नौगावं	36	30.50	0.00	दिसम्बर-2008	225	21.47	कार्यान्वयन के अधीन
13.	नौगांव बाइपास	37	23.00	0.00	दिसम्बर-2008	230	63.08	कार्यान्वयन के अधीन
14.	नौगांव से धर्मतुल	37	25.00	0.00	दिसम्बर-2008	264.72	9.83	कार्यान्वयन के अधीन
15.	धर्मतुल से सोनापुर	37	25.00	0.00	दिसम्बर-2008	200	31.88	कार्यान्वयन के अधीन
16.	धर्मतुल से सोनापुर	37	22.00	0.00	दिसम्बर-2008	160	19.67	कार्यान्वयन के अधीन
17.	सोनापुर से गुवाहाटी	37	19.00	0.00	दिसम्बर-2008	245	76.78	कार्यान्वयन के अधीन
18.	गुवाहाटी बाइपास	37	8.00	8.00	दिसम्बर-2003	54.87	65.34	4 लेन
19.	गुवाहाटी बाइपास	37	10.50	10.50	जून-2004	63.69	71.07	4 लेन
20	ब्रह्मपुत्र पुल	31	5.00	0.00	अप्रैल-2010	217.61	12.84	कार्यान्वयन के अधीन
21.	गुवाहाटी से नलबाड़ी	31	28.00	0.00	दिसम्बर-2008	175.96	22.31	कार्यान्वयन के अधीन
22.	गुवाहाटी से नलबाड़ी	31	28.00	0.00	दिसम्बर-2008	198.16	20.98	कार्यान्वयन के अधीन
23.	नलबाड़ी से बिजनी	31	25.00	0.00	दिसम्बर-2008	225	38.97	कार्यान्वयन के अधीन
24.	नलबाड़ी से बिजनी	31	27.30	0.00	दिसम्बर-2008	208	13.77	कार्यान्वयन के अधीन
25.	नलबाड़ी से बिजनी	31	30.00	0.00	दिसम्बर-2008	200	25.75	कार्यान्वयन के अधीन
26.	नलबाड़ी से बिजनी	31	21.50	0.00	दिसम्बर-2008	142	17.41	कार्यान्वयन के अधीन
27.	बिजनी से असम/ प. बं. सीमा	31सी	33.00	0.00	दिसम्बर-2008	237.8	32.43	कार्यान्वयन के अधीन
28.	बिजनी से असम/ प. बं. सीमा	31सी	30.00	0.00	दिसम्बर-2008	195	26.68	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	बिजनी से असम/ प. बं. सीमा	31 सी	30.00	0.00	दिसम्बर-2008	230	33.79	कार्यान्वयन के अधीन
राज्य-बिहार								
1.	पूर्णिया-गयाकोटा	31	15.15	13.30	दिसम्बर-2007	62.98	78.29	कार्यान्वयन के अधीन
2.	पूर्णिया-गयाकोटा	31	28.00	5.00	मार्च-2008	205.73	160.45	कार्यान्वयन के अधीन
3.	पूर्णिया-फारबिसगंज	57	41.00	10.00	अगस्त-2008	276	123.48	कार्यान्वयन के अधीन
4.	पूर्णिया-फारबिसगंज	57	38.00	0.00	अगस्त-2008	310	120.2	कार्यान्वयन के अधीन
5.	फारबिसगंज-सिमराही	57	40.00	0.00	दिसम्बर-2008	332.94	68.19	कार्यान्वयन के अधीन
6.	सिमराही से रिंग बंड (मिसिंग लिंक)	57	15.00	0.00	दिसम्बर-2008	100.5	37.37	कार्यान्वयन के अधीन
7.	पहुंच मार्ग, गाइड बंद और अफ्लक्स बंद सहित कोसी पुल	57	10.00	0.00	मार्च-2010	418.04	81.78	कार्यान्वयन के अधीन
8.	रिंग बंड से झंझारपुर	57	45.00	0.00	दिसम्बर-2008	340	41.47	कार्यान्वयन के अधीन
9.	झंझारपुर से दरभंगा	57	40.00	0.00	दिसम्बर-2008	340	19.67	कार्यान्वयन के अधीन
10.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर	57	40.00	0.00	दिसम्बर-2008	305	21.78	कार्यान्वयन के अधीन
11.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर	57	30.00	0.00	दिसम्बर-2008	291.8	93.44	कार्यान्वयन के अधीन
12.	मुजफ्फरपुर से मेहसी	28	40.00	0.00	मार्च-2009	275	56.95	कार्यान्वयन के अधीन
13.	मेहसी से कोटवा	28	40.00	0.00	मार्च-2009	239	54	कार्यान्वयन के अधीन
14.	कोटवा से देवापुर	28	38.00	0.00	मार्च-2009	240	49.87	कार्यान्वयन के अधीन
15.	देवापुर से उ.प्र./बिहार सीमा	28	41.09	0.00	मार्च-2009	300	83.66	कार्यान्वयन के अधीन
राज्य-गुजरात								
1.	आबू रोड डीसा खंड	14	10.00	10.00	अप्रैल-2001	18.39	22.93	4 लेन
2.	पालनपुर-डीसा	14	22.70	22.70	फरवरी-2003	53.73	57.79	4 लेन
3.	डीसा से राधनपुर	14	85.40	71.50	मार्च-2008	479.74	319.1	कार्यान्वयन के अधीन
4.	राधनपुर से गगोधर	15	106.20	97.00	नवम्बर-2007	410.24	303.71	कार्यान्वयन के अधीन
5.	गगोधर से गरमोरे	15 8ए	90.30	62.00	जून-2008	479.54	253	कार्यान्वयन के अधीन
6.	गरमोरे से बामनबोरे	8ए	71.40	53.00	जून-2008	380.7	224.11	कार्यान्वयन के अधीन
7.	बामनबोरे-राजकोट	8बी	31.00	31.00			0	4 लेन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	राजकोट-बाड़पास व गॉडल जैतपुर	8बी	36.00	32.00	मार्च-2008	388.09	322.44	कार्यान्वयन के अधीन
9.	राजकोट-रिबडा	8बी	15.00	15.00			0	4 लेन
10.	रिबडा से गॉडल खंड	8बी	17.00	17.00	अक्तूबर-2002	40.44	42.43	4 लेन
11.	जैतपुर से भिलाडी	8बी	64.50	35.00	जून-2008	508.5	227.26	कार्यान्वयन के अधीन
12.	भिलाडी से पोरबंदर	8बी	50.50	50.50	मई-2007	276.07	206.08	4 लेन
13.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42किमी. व गुजरात-34किमी.) गुजरात-[34]/राजस्थान [42]	14	76.00	0.00	मार्च-2009	498	75.16	कार्यान्वयन के अधीन
राज्य-मध्य प्रदेश								
1.	झांसी-शिवपुरी	25	35.00	0.00	जून-2008	213.69	95.2	कार्यान्वयन के अधीन
2.	शिवपुरी बाड़पास और म. प्र./राज.सीमा तक	25.76	53.00	25.00	फरवरी-2008	360.34	236.92	कार्यान्वयन के अधीन
राज्य-राजस्थान								
1.	राज./म.प्र.सीमा से कोटा	76	70.00	39.00	मार्च-2008	349.59	194.41	कार्यान्वयन के अधीन
2.	राज./म.प्र.सीमा से कोटा	76	59.85	26.00	दिसम्बर-2008	430.21	188.99	कार्यान्वयन के अधीन
3.	राज./म.प्र.सीमा से कोटा	76	43.15	10.00	दिसम्बर-2008	359.43	107.16	कार्यान्वयन के अधीन
4.	कोटा बाड़पास	76	25.00	0.00	जून-2009	250.39	35.24	कार्यान्वयन के अधीन
5.	चबंल पुल	76	1.40	0.00	फरवरी-2010	281.31	33.74	कार्यान्वयन के अधीन
6.	कोटा से चित्तौड़गढ़	76	65.00	12.00	दिसम्बर-2008	528.44	162.62	कार्यान्वयन के अधीन
7.	कोटा से चित्तौड़गढ़	76	63.00	15.50	जून-2008	503.66	187.15	कार्यान्वयन के अधीन
8.	चित्तौड़गढ़ बाइपास	76	40.00	12.00	जून-2008	447.9	170.79	कार्यान्वयन के अधीन
9.	चित्तौड़गढ़-उदयपुर	76	106.00	106.00	-	-	-	4 लेन
10.	गोगुंडा से उदयपुर	76	31.00	0.00	जुलाई-2008	288.06	177.53	कार्यान्वयन के अधीन
11.	बकरिया से गौगुंडा	76	44.00	5.00	मई-2008	530.9	249.7	कार्यान्वयन के अधीन
12.	स्वरूपगंज से बकरिया	76.14	43.00	0.00	जून-2008	243.11	108.85	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य उत्तर प्रदेश								
1.	उ.प्र.बिहार सीमा से कसिया	28	41.12	0.00	दिसम्बर-2008	227	90.88	कार्यान्वयन के अधीन
2.	कसिया से गोरखपुर	28	40.00	0.00	दिसम्बर-2008	242	128.59	कार्यान्वयन के अधीन
3.	गोरखपुर बाइपास	28	32.60	0.00	अक्तूबर-2009	600.24	92.08	कार्यान्वयन के अधीन
4.	गोरखपुर-अयोध्या	28	43.70	0.00	अक्तूबर-2008	239	95.99	कार्यान्वयन के अधीन
5.	गोरखपुर-अयोध्या	28	44.00	0.00	अक्तूबर-2008	227	71.74	कार्यान्वयन के अधीन
6.	गोरखपुर-अयोध्या	28	29.00	0.00	नवम्बर-2008	205	122.58	कार्यान्वयन के अधीन
7.	अयोध्या-लखनऊ	28	41.93	0.00	नवम्बर-2008	212	109.9	कार्यान्वयन के अधीन
8.	अयोध्या-लखनऊ	28	47.00	0.00	अक्तूबर-2008	217	109.57	कार्यान्वयन के अधीन
9.	अयोध्या-लखनऊ	28	36.00	0.00	अक्तूबर-2008	193	95.26	कार्यान्वयन के अधीन
10.	लखनऊ बाइपास	56एक्वी	22.85	10.00	दिसम्बर-2007	185.52	251.69	कार्यान्वयन के अधीन
11.	लखनऊ कानपुर खंड	25	10.42	10.42	अगस्त-2002	32.85	36.8	4 लेन
12.	लखनऊ-कानपुर खंड	25	22.20	22.20	फरवरी-2006	94.91	86.29	4 लेन
13.	लखनऊ-कानपुर खंड	25	15.50	15.50	मार्च-2005	50.02	45.47	4 लेन
14.	लखनऊ-कानपुर	25	16.00	5.00	दिसम्बर-2007	51.28	36.54	कार्यान्वयन के अधीन
15.	गंगा पुल से रमा देवी क्रासिंग	25	5.60	0.00	सितम्बर-2008	201.66	24.22	कार्यान्वयन के अधीन
16.	कानुपर-भोगनीपुर खंड	2	43.00	0.00			0	4 लेन
17.	बारा से उरई	2.25	62.80	0.00	अप्रैल-2009	465	15.79	कार्यान्वयन के अधीन
18.	उरई से झांसी	25	50.00	0.00	दिसम्बर-2008	340.68	41.1	कार्यान्वयन के अधीन
19.	उरई से झांसी	25	66.00	0.00	दिसम्बर-2008	451.97	168.31	कार्यान्वयन के अधीन
20.	झांसी बाइपास	25	15.00	0.00	दिसम्बर-2008	158.06	47.26	कार्यान्वयन के अधीन
21.	डांसी-शिवपुरी (उ.प्र./म.प्र.-1) (उ.प्र. 11 किमी. और म.प्र. -30किमी.) उत्तर प्रदेश [11]/मध्य प्रदेश [30]	25	41.00	15.00	जून-2008	220.31	79.64	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य-पश्चिम बंगाल								
1.	असम/प.बं.सीमा से	31सी	32.00	0.00	नवम्बर-2008	221.82	26.95	कार्यान्वयन के अधीन
2.	घोसुकुर (रारा 31 का 351 किमी.) याया फुल्बारी-मैनगिरि-धुंपगिरि-फलकाता	31,31सी	201.00	0.00		1200	0	सौंपने के लिए शेष
3.	सिलीगुडी से इस्लामपुर	31	25.00	0.00	अक्तूबर-2008	155	106.08	कार्यान्वयन के अधीन
4.	सिलीगुडी से इस्लामपुर	31	26.00	0.00	दिसम्बर-2008	225	34.08	कार्यान्वयन के अधीन
5.	इलखोला-इस्लामपुर उपखंड	31	23.85	23.85	नवम्बर-2005	90.06	80.81	4 लेन
6.	डलखोला-इस्लामपुर	31	23.00	23.00	मार्च-2004	72.56	68.87	4 लेन

विवरण-II

परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूति अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया हैं।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकॉन इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) नॉन-पर्फोमिंग ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम ब्याज आधार पर की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र आई पी सी राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का अवैध शिकार

2782. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी, जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कुछ बाघों को मारा गया और उनकी चमड़ी, हड्डियों और पंजों को चीन में पेशेवर व्यापारियों को बेचा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध शिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और देश में बाघों के बचाव के लिए क्या उपाय अपनाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दुधवा नेशनल पार्क के निकट किशनपुर अभयारण्य में बाघ के अवैध शिकार का एक मामला जनवरी, 2007 को ध्यान में आया था। स्थल पर अवैध शिकार के केवल कुछ सड़े गले कंकाल पाए गए थे। इसके अलावा इस वर्ष के दौरान दक्षिण खीरी डिवीजन के निकट एक बाघ की खाल मिलने की भी सूचना मिली है।

(ग) बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य सकंटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे, शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों के सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों को अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए 4.9.2006 से राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6.6.2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. आठ नए बाघ रिजर्वों को घोषित करने के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6. पर्यावास स्थिति के आकलन सहित बाघों और अन्य वन्य पुशओं के अखिल भारत आकंलन बाघ टास्क फोर्स द्वारा संशोधित, शामिल की गई उन्नत पद्धति के अनुसार नवंबर, 2005 से चल रहा है। चार राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़) से संबंधित आकन पूरा कर लिया गया है और देश स्तर आंकड़े दिसम्बर, 2007 तक उपलब्ध होने की आशा है।

7. विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा बाघ रिजर्व के किए गए स्वतंत्र आकलन की प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा गहन समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के साथ ही साथ समीक्षा को सदन में रखा गया है।

8. टास्क के साथ जुड़ी प्रोफेशनल एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर विकास संबंधी मानकों के अलावा बाघ रिवर्ज के कोर क्षेत्र में गांवों के लिए पुन: स्थापना: पुर्नावास पैकेज को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई की गई है।

9. स्थानीय लोगों के साथ परिस्थिति अनुकूल सहजीवन के लिए पारि-विकास निवेश उपलब्ध करवाने की कार्रवाई

की गई है। बाघ रिजर्व राज्यों को बफर जोन को जिसमें ऐसे क्षेत्रों में क्रास सैक्टोरल पारि-विकास के साथ चित्रण द्वारा स्थानीय लोगों के साथ सहजीवन की योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

10. स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पारि-पर्यटन मार्गनिर्देश तैयार करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ सरंक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंत्र सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत में चीन, नेंपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों ओर व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

भारत निर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2783. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के समयोचित कार्यान्वयन में तीव्रता लाने और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए शीघ्रतिशीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति पर जोर देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) भारत निर्माण कार्यक्रम सरकारी नीति की आधारशिला है। भारत निर्माण के लिए बजट अनुमान 2006-07 के मुकाबले, वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत पृथक पृथक घटकों के लिए गए बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं। विशिष्ट घटकों के लिए आबंटन 24% से बढ़ाकर 52% किया गया है।

(रुपए करोड़)

घटक	बजट आबंटन 2006-07	बजट आबंटन 2007-08	प्रतिशत वृद्धि
सिंचाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	2350.00	3580.00	52
ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	3000.00	3983.00	33
ग्रामीण जलापूर्ति-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	5200.00	6500.00	25
ग्रामीण सड़कें-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	5225.62	6500.00	24
ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	2950.00	4040.00	37
ग्रामीण दूरभाष संपर्कता	सर्वव्यापक सेवा बाध्यता निधि के जरिए बजट के बाहर		

पर्यावरण और वन मंत्रलाय ने वन क्षेत्रों और हिमालयी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त करते हुए सितम्बर 2006 में अधिसूचना जारी की है।

भूमिगत/खुले मुहाने वाली खानों से कोयले का उत्पादन

2784. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन खुले मुहाने वाली खानों से उत्पादन की तुलना में ज्यादा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भूमिगत और खुली मुहानों वाली खानों से कोयले के उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

कोयल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों से कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

मिलियन टन

	2004-05			2005-06			2006-07		
	भूमिगत	ओपनकास्ट	कुल	भूमिगत	ओपनकास्ट	कुल	भूमिगत	ओपनकास्ट	कुल
सी आई एल	47.04	276.53	323.57	45.82	297.57	343.39	43.32	317.59	360.91
एससीसीएल	12.97	22.33	35.30	12.71	23.42	36.13	11.87	25.83	37.70
अन्य	2.33	21.40	23.73	2.43	25.07	27.50	2.55	29.65	32.20
कुल *	62.34	320.26	382.60	60.96	346.06	407.02	57.74	373.07	430.81

सी आई एल – कोल इंडिया लि.
एस सी सी एल – सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

[हिन्दी]

पर्यावरणीय स्वीकृति

2785. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ से वन संरक्षण और वन्य ग्रामों के विकास से संबंधित प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो लंबित प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण है; और

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अब तक वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के 57 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 17 प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। इन 57 प्रस्तावों में से 15 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है जबकि 5 प्रस्तावों को बंद कर दिया गया था और एक प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया था। 18 प्रस्ताव राज्य सरकार को लौटा दिए गए थे क्योंकि यह प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम के कार्यक्रम में नहीं आते थे। इस एमय एक प्रस्ताव मंत्रालय में विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है और 17 नहीं आते थे। इस समय एक प्रस्ताव मंत्रालय में विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है और 17 प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाए जाने के लिए पड़े हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के लिए असम सरकार का प्रस्ताव

2786. श्री तापिर गाव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) से राष्ट्रीय राजमार्ग–52 को पुन: अधिग्रहित करने हेतु असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) बैहाटाचारली से उत्तर लखीमपुर तक राष्ट्रीय 52 की 345 किमी. लंबाई को सीमा सड़क संगठन से वापस ले लिया गया है और उसे असम सरकार को सौंप दिया गया है।

कीटनाशकों के उपयोग की सीमा

2787. डा. अरविन्द शर्मा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य मानदंड समिति (सी सी एफ एस) की कीटनाशक अवशेष संबंधी उप-समिति ने कीटनाशकों के उपयोग के लिए सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी हां। केन्द्रीय खाद्य मानक समिति द्वारा गठित कीटनाशक अपशिष्ट संबंधी उप-समिति विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न कीटनाशकों के लिए अधिकतम अपशिष्ट सीमा की सिफारिश करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और सुरक्षा का एक उपाय है।

(ख) और (ग) अनुशंसित अधिकतम अपशिष्ट सीमा को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 65 में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

इसरो की एडूसेट योजना

2788. श्री राकेश सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की 'एडूसेट' योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल प्राप्त करने के लिए प्रति संस्थान प्रभारित किय जा रहा शुल्क पूर्व में निर्धारित शुल्क से ज्यादा है जिससे मध्यम स्तरीय महाविद्यालयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छात्रों के हितों में उक्त शुल्क मे कमी करने का है; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत इसरो द्वारा छूट देने हेतु महाविद्यालयों का चयन करने के लिए मानदण्ड क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) इसरो ने शिक्षा के लिए 'एडुसैट' नामक एक विशेष उपग्रह को प्रमोचित किया है। एडुसैट योजना के अंतर्गत प्रारंभिक संरूपण के रूप में प्रत्येक राज्य (उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रत्येक राज्य को 50 टर्मिनल तक) को नि:शुल्क 1 हब और 10 टर्मिनल प्रदान करने की योजना है। इसरो नेटवर्क के विस्तार में भी प्रत्येक राज्य की सहायता कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण हेतु 2600 अन्योन्यक्रियाशील कक्षाओं तथा 27000 केवल अभिग्राही कक्षाओं वाले 46 प्रचालनात्मक नेटवर्क देश में विद्यमान हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) एडुसैट टर्मिनलों के क्रियान्वयन के लिए महाविद्यालयों के चयन हेतु प्रयोक्ता एजेंसी/राज्य सरकार प्राधिकृत हैं।

सीसीएल को मिनी रत्न का दर्जा

2789. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के कार्य-निष्पादन तथा प्रबंधन में गुणात्मक सुधार हुआ है जिसमें परिणामस्वरूप विभिन्न अनुषंगी कंपनियों विशेषकर सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन के लिए कोल इंडिया लि. तथा इसकी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी को प्राप्त हुए विभिन्न सम्मानों/पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा निर्धारित पात्रता तथा वर्गीकरण शर्तों को पूरा करने बाद कोल इंडिया लि. (सी आई एल) और मुनाफे में चल रही इसकी निम्नलिखित सहायक कंपनियों को 'मिनी रत्न (श्रेणी-I) का दर्जा' प्रदान किया गया है:-

(i) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम सी एल)

(ii) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन सी एल)

(iii) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस ई सी एल)

(iv) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू सी एल)

(v) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी सी एल)

सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक दक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीति के उद्देश्य के अनुपालन में सरकार ने मुनाफे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को बढ़ी हुई स्वायत्तता और शक्तियां के प्रत्यायोजन के प्रति स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है बशर्ते कि वे डी पी ई द्वारा निर्धारित पात्रता के मानदंडो तथा दिशा-निर्देशों को पूरा करते हों। ऐसा दर्जा प्रदान करने का मुख्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

मिनी रत्न-श्रेणी-I : पी एस ई ने पिछले तीन वर्ष में लगातार मुनाफा कमाया हो, पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष कर-पूर्व लाभ 30 करोड़ रु. रहा हो और शुद्ध लाभ सकारात्मक रहा हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए सी आई एल तथा इसकी सहायक कंपनियों को प्राप्त हुए विभिन्न सम्मानों/पुरस्कारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आई आई सी एस) को "6 सिग्मा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन" प्रदान किया गया है।

2. **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस ई सी एल):** पिछले तीन वर्षों के दौरान एस ई सी एल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:-

क्र.सं.	पुरस्कार	वर्ष
1	2	3
1.	एस ई सी एल को इन्फ्रालाइन एनर्जी ब्लैक डायमंड अवार्ड	2007
2.	(डब्ल्यू आई पी एस) सर्वोत्तम उद्यम श्रेणी में तृतीय पुरस्कार	2007
3.	"ग्रीनटेक सुरक्षा रजत पुरस्कार"	2006
4.	आई ई एस द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2006	2006
5.	खनन क्षेत्र में शीर्ष भारतीय कंपनी के लिए कारपोरेट पुरस्कार 2006	2006
6.	ग्रीनटेक पर्यावरणीय उत्कृष्टता रजत पुरस्कार	2005
7.	कुंवर युद्धवीर सिंह वनरोपण पुरस्कार	2005
8.	इंडियन स्कूल आफ इकोनामिक स्टडीज द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार	2004
9.	ग्रीनटेक पर्यावरणीय संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार	2004
3. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन सी एल):		
1.	पर्यावरणीय उत्कृष्टता के लिए टेरी कारपोरेट पुरस्कार-जून, 2006 (द्वितीय पुरस्कार)	2006
4. महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम सी एल):		
1.	ग्रीनटेक पर्यावरणीय उत्कृष्टता पुरस्कार	2005
2.	उत्पादकता, गुणवता, नव परिवर्तन और प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार	2005
3.	वर्ष 2002, 2003 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)	2007
5. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी सी एल):		
1.	राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार	2006
2.	पूर्वी जोन में सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन का तीसरा पुरस्कार।	2006
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू सी एल):		
1.	ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता रजत पुरस्कार	2006
2.	द इंस्टीच्युट आफ इकोनामिक स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त उत्कृष्टता पुरस्कार	2006
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मैमोरियल पुरस्कार-पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकयी कार्यान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार	2004

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पुनर्रचना

2790. श्री बालेश्वर यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आयोग के पुनर्गठन के फलस्वरूप आयोग के कार्य पर असर पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को 40 सदस्यों के साथ 11 अप्रैल, 2005 को पुनर्गठित किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में अनेक विशेषज्ञों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री भी शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास में निवेश

2791. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि अनुसंधान और विकास में भारतीय निवेश आवश्यकता के स्तर से काफी कम है जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों में विज्ञान के आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में सुविधाओं की अवसंरचना के निर्माण की आवश्कता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अनुसंधान और विकास में आवश्यक स्तर तक निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) दिनांक, 12 नवम्बर, 2007 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में उल्लिखित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पोलियो का पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव

2792. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोलियो के मामलों में दर्ज बढ़ोतरी का पर्यटन तथा विदेश में भारत की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों को भारत का दौरा न करने की सलाह जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा कोई भी ऐसी एडवाइजरी नहीं की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन

2793. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें प्रत्येक संगठन को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस धनराशि के दुरूप्रयोग की बात सामने आई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्र मदर एन जी ओ/सर्विस एन जी ओ स्कीम के अनुसार इन गैर सरकारी संगठनों को संवितरण हेतु राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, महाराष्ट्र को एकमुश्त सहायता-अनुदान प्रदान करता हैं विगत 3 वर्षों के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को प्रदत्त सहायता-अनुदान इस प्रकार है:-

2004-05	120 लाख रुपए
2005-06	531 लाख रुपए
2006-07	शून्य

(ग) इस राशि का अभी पूर्णतया उपयोग किया जाना है।

(घ) और (ङ) अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

विवरण

महाराष्ट्र में मदर गैर-सरकारी संगठनों की सूची

जिला	मदर गैर-सरकारी संगठन का नाम एवं पता
1	2
औरंगाबाद	प्रवार मेडिकल ट्रस्ट, लोनी (बी के), 413, 736, तालुक श्रीरामपुर, अहमद नगर
अहमद नगर	प्रवार मेडिकल ट्रस्ट, लोनी (बी के), 413 736, तालुक श्रीरामपुर, अहमद नगर
सोलापुर	सेवाधाम ट्रस्ट, 1148, सदाशिव पेठ, पुणे
कोल्हापुर	सेवाधाम ट्रस्ट, 1148, सदाशिव पेठ, पुणे
पुणे	सोसायटी फॉर सर्विस टू वालंटरी एजेन्सिस शारधम पार्क, ए-विंग, तीसरा तल, नजदीक जहांगीर नर्सिंग होम, पुणे-411001
रायगढ़	सोसायटी फॉर सर्विस टू वालंटरी एजेन्सिस शारधम पार्क, ए-विंग, तीसरा तल, नजदीक जहांगीर नर्सिंग होम, पुणे-411001
जलगांव	गोदावरी फाउन्डेशन गोदावरी हॉस्पिटल बिल्डिंग, एम जी कॉलेज रोड, भास्कर मार्किट के निकट, जलगांव-425001
नासिक	गोदावरी फाउन्डेशन गोदावरी हॉस्पिटल बिल्डिंग, एम जी कॉलेज रोड, भास्कर मार्किट के निकट, जलगांव-425001
वर्धा	श्री राजीव युवक विकास संस्था, केलकरवादी असवी रोड, जिला-वर्धा-442001, महाराष्ट्र
भंडारा	भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान मण्डी कोटा, डी आई आर ओ डी ए, जिला-गोन्डिया, महाराष्ट्र
मुम्बई (अर्ध शहरी)	सेन्टर फॉर स्टडी ऑफ सोशल चेंज प्लॉट नं. 6 एफ-ब्लॉक, गर्वमेन्ट कॉलोनी बिल्डिंग के सामने न. 326, वान्द्रा (पूर्वी मुम्बई-400051)
नागपुर	मातृ सेवा संघ, महल मैटरनिटी होम, कोठी रोड, महल, नागपुर-महाराष्ट्र-440002
उस्मानाबाद	हैलो मेडिकल फाउण्डेशन रजिस्टर्ड ऑफिस-440, दक्षिण एस आई डी सी ओ एन-3 औरंगाबाद-431003 प्रशासन कार्यालय-पोस्ट अनादपुर, तालुका, तुल्जापुर जिला-उस्मानाबाद-413603, महाराष्ट्र

1	2
सतारा	श्रमजीवी जनता सहायक मण्डल 127/I-ए, मंगलवार पैठ म्यूनिसिपल स्कूल नं. 6 के सामने सतारा–415002, महाराष्ट्र
बुल्डाना	विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद नगर, हीवर आश्रम, तालुक मेहकर, जिला–बुल्डाना, 443301 महाराष्ट्र
अमरावती	अपेक्षा हौम्यो सोसायटी, गुरूकुंज मुजारी, तालुक ट्वोसा, जिला अमरावती–444902 महाराष्ट्र
चन्द्रपुर	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नागपुर मि. एन. बी. चौधरी, मालवीय नगलूर खामला नागपुर–440025, महाराष्ट्र
वासीम	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान, सिविल लाइन, रिसोड, जिला वासीम–444506, महाराष्ट्र
धुले	श्रीराम अहिर राव मेमोरियल ट्रस्ट स्थान+पोस्ट बेतावाड़, तालुक सिन्ध खेड़
गोन्डिया	श्री गणेश ग्रामीण विकास संस्था, गोन्डिया–441614, महाराष्ट्र
यवतमाल	साईप्रेम ग्रामीण विकास संस्था, यवतमाल, 445001, महाराष्ट्र
बीड	मानव लोक (मराठवाड़ा नव निर्माण लोकयत) पी-बॉक्स नं. 23 धनपड़ ऑफिस रिंग रोड, अबेजोगई, जिला बीड–431517, महाराष्ट्र
जालना	कर्मवीर प्रतिष्ठान रामनगर पोस्ट–सर्वगांव, तालुक+ जिला जालना–431203, महाराष्ट्र

1	2
नांदेड	एन जी एम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एन-6सीआईडीसीओ, औरंगाबाद महात्मा गांधी मिशन, 12 भाग्यवाद नांदेड–431602, महाराष्ट्र
लातुर	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, खतगांव रोड, जिला–लातुर–415531, महाराष्ट्र
हिंगोली	उज्जवल शिक्षण प्रसारक मंडल, ''उज्जवल'' विद्या नगर, तालुक+जिला-हिंगोली-431513, महाराष्ट्र
मुम्बई	वनवासी कल्याण केन्द्र, 36 फिरोजा मैन्सन ग्रान्ट रोड (पूर्वी) मुम्बई–07
रत्नागिरि	मातृ मंदिर, स्थान एवं तालुक देवरूक, जिला-रत्नागिरि, महाराष्ट्र
संगली	येराला प्रोजेक्ट सोसायटी, येराला भवन, गेस्ट हाउस के निकट, संगली–416415, महाराष्ट्र
सिन्धुर्ग	फाउण्डेशन फॉर हैल्थ एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टीविटिस, बान्दा सिन्धुर्ग
अकोला	विर्दभ विकास महिला बाल कल्याण शिक्षण संस्था, अकोला द्वारा मि. गणेश बोरकर अनुसय बिल्डिंग तथोटक मंगल कार्यालय के निकट, गर्वमेन्ट डेयरी रोड, शास्त्री रोड, अकोला
परभानी	लोक दीप मानव विकास संस्था, परभानी द्वारा डा. अरूण बी एंजल, प्लॉट नं. 79 पार्वती काम्प्लैक्स कोकमान्य नगर, परभानी–431401
गढ़चिरोली	इंडियन इंस्ट्टियूट ऑफ यूथ वैलफेयर, मि. मनोहर हिपट विकास भवन, तालाब रोड, यांधी चौक गढ़चिरोली

1	2
नंदूरबार	लैट श्रीराम आहिर राव मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा डा. निलेश आहिर राव स्थान/पी. ओ. बेतावाड़ तालुक सिन्धखेड, जिला धुले

महाराष्ट्र में सर्विस एन.जी.ओ. की सूची

1. लोकमान्य मेडिकल फाउण्डेशन पुणे
2. डाल्टा मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसिस वर्धा
3. दत्तात्री प्रभु बहुद्देशीय शिक्षण गोन्डियाल
4. आश्रय महिला समुदाय विकास संस्था, अकोला

मेडिकल कालेजों में सीटों में कमी करना

2794. श्री एल. राजगोपाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने हाल ही में शैक्षिक वर्ष 2007-08 से आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न मेडिकल कालेजों में 1800 सीटें समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से इन सीटो को बहाल करने का कोई अनुरोध मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2007-08 के लिए एम. बी. बी. एस. सीटों में भारी कमी लाने के बारे में केन्द्र सरकार से कोई अनुशंसा नहीं की। आन्ध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में एम. बी. बी. एस. छात्रों की दाखिले की कुल संख्या 3875 थी जबकि आन्ध्र प्रदेश के मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के लिए एम.बी.बी.एस. छात्रों की प्रवेश क्षमता 4075 है। आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश क्षमता संलग्न विवरण में दी गई हैं

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रवेश क्षमता

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त/ अनुमति प्राप्त	सरकारी/ निजी	2006-07 में प्रवेश क्षमता	2007-08 में प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापट्टनम	मान्यता प्राप्त	सरकारी	150	150
2.	रंगराया मेडिकल कॉलेज, काकीनाडा	मान्यता प्राप्त	सरकारी	150	150
3.	गुन्टूर मेडिकल कॉलेज, गुन्टूर	मान्यता प्राप्त	सरकारी	125	125
4.	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा	मान्यता प्राप्त	सरकारी	100	100
5.	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद	मान्यता प्राप्त	सरकारी	200	200
6.	गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद	मान्यता प्राप्त	सरकारी	150	150
7.	काकतिया मेडिकल कॉलेज, वारंगल	मान्यता प्राप्त	सरकारी	150	150

1	2	3	4	5	6
8.	कुरनूल मेडिकल कॉलेज, वारंगल	मान्यता प्राप्त	सरकारी	150	150
9.	एस वी मेडिकल कॉलेज, तिरूपति	मान्यता प्राप्त	सरकारी	150	150
10.	दक्कन आयुर्विज्ञान कॉलेज, हैदराबाद	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	150	150
11.	ममता मेडिकल कॉलेज खाम्माम	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	150	150
12.	कामिनैनी आयु-विज्ञान संस्थान, नारकेतपाली, नालगोंडा	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	150	150
13.	एस वी एस मेडिकल कॉलेज, महबूब नगर	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	100	100
14.	नारायण मेडिकल कॉलेज, नेल्लौर	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	100	150
15.	गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, अपूरा	मान्यता प्राप्त	सरकारी	100	100
16.	आश्रम मेडिकल कॉलेज, एलूरू	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	100	100
17.	एम एन आर मेडिकल कॉलेज, संगरेड्डी, जिला मेढ़क	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100
18.	प्रतिमा आयुर्विज्ञान संस्थान, नागुनूर, करीमनगर जिला	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	150
19.	पी ई एस आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान कुप्पम, जिला चितूर	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	150
20.	मेडीसिटी इंस्टीट्यूट मेडिकल साईंसिज, गणपुर, रंगारेड्डी जिला	अधिनियम की धारा 10 के के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100

1	2	3	4	5	6
21.	कतूरी मेडिकल कॉलेज गुंटूर	मान्यता प्राप्त	प्राइवेट	100	100
22.	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज डिचीपल्ली	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	अनुमति नहीं है	अनुमति नहीं है
23.	डा. पीना मणि सिद्धार्थ आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, चिनौत्पल्ली	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100
24.	जी एस एल मेडिकल कॉलेज राजमुन्दरी	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	150	150
25.	महाराजा आयुर्विज्ञान संस्थान नैल्लीमारला, विजयनगरम्	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100
26.	एन आर आई मेडिकल कॉलेज चिन्नाकाकनी	अधिनियम की धारा 10 क के तथा अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	150	150
27.	चिलमादा आनन्द राव आयुविज्ञान संस्थान करीम नगर	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	150	150
28.	सदन आयुर्विज्ञान संस्थान पीरान्चरू	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100
29.	भास्कर मेडिकल कॉलेज, यन्कपल्ली	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100
30.	कोर्णसीमा आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान अमलपुरम	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100

1	2	3	4	5	6
31.	शान्ति राम मेडिकल कॉलेज नांदियाल	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	प्राइवेट	100	100
32.	राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कडप्पा	अधिनियम की धारा 10 क के तहत अनुमति प्राप्त	सरकारी	150	150
		कुल		3875	4075

ओजोन परत के समाप्त होने को रोकने के उपाय

2795. श्री ज्योतिरादियत्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने ओजोन परत को समाप्त करने वाले हानिकारक रसायनों तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के अंतर्गत भारत तथा अन्य विकासशील एवं विकसित देशों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों पर मानट्रियल प्रोटोकॉल पर 191 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत 19 जून, 1991 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और 17 सितंबर, 1992 को ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों पर मानट्रियल प्रोटोकाल का पक्षकार बना।

(ग) ओजोन ह्रास पदार्थों की चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए 1993 में एक विस्तृत कन्ट्री प्रोग्राम तैयार किया गया था। ओजोन ह्रास पदार्थों को मांट्रियल प्रोटोकल के विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बहुराष्ट्रीयनिधि से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ चरणबद्ध रूप से समाप्त करना सुनिश्चित करने के लिए विनियामक और वित्तीय उपाय किए गए हैं। इसी प्रकार विकासशील देश भी प्रोटोकॉल के अनुसार ओजोन ह्रास पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर रहे हैं।

विकसित देशों ने क्लोरोफ्लारोकार्बन (सी एफ सी) कार्बोनाइट्रेटक्लोराइड (सी टी सी) और हेलोन का उत्पादन और खपत को 1.1.1996 से समाप्त कर दिया हैं और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एच सी एफ सी) को वर्ष 2030 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. की रिपोर्ट

2796. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन. एच. आर. सी. ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो मूलभूत मानव अधिकार हैं तथा दोनों मौलिक अधिकारों का भाग हैं;

(ख) यदि हां, तो एन. एच. आर. सी द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सींगो पर कब्जा किया जाना

2797. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राइफल्स के जवानों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में दुर्लभ हिरण की सींगों की बड़ी मात्रा तथा खालों को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिरणों की सरकटी लाशें नागालैंड और मणिपुर के बाजारों में खुलेआम बेची जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि असम में पाये जाने वाले एक सींग वाले गैंडों को भी पेशेवर सशस्त्र शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दुर्लभ जानवरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा पेशेवर सशस्त्र शिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित वन्यजीव वस्तुओं की दो जब्तियां (2007-08 और 9.9.2007 को) मणिपुर में मोरह के नजदीक असम राइफल्स द्वारा की गई। जब्तियों में सांभर और बार्किंग डियर के मृगश्रृंग, सेराव के सींग, ऊदबिलाव की खालें और वाइल्ड बोर के पंजे और कृन्तक और भालू के शरीर के हिस्से शामिल थे।

(ग) जी, नहीं। ऐसी कोई घटनाएं केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडो की संख्या
2005	7
2006	5
2007 (28.11.2007)तक	16

पेशेवर सशस्त्र शिकारियों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में वन्य जीवों की महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल करके उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. वन्य जीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।
3. वन्य जीवों और उनके स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमो-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।
4. भारत कन्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइटस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

इसके अतिरिक्त राज्य/संघ शातिस सरकारों ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं।

1. वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वन्यजीवों के वास स्थलों का विकास करना।
2. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना।
3. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों/सरकारी विभागों के साथ समन्वय
4. फील्ड यूनिटों को हथियार और गोला बारूद तथा संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।
5. फ्रंटलाइन स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. जनता के लिए प्रकृति जागरूकता अभियानों को आयोजित करना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जी.डी.पी. वृद्धि दर

2798. श्री अनवर हुसैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्पूर्ण भारत की जी. डी. पी. वृद्धि दर की तुलना में आठ पूर्वोत्तर राज्यों में दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार जी. डी. पी. वृद्धि दर कितनी है;

(ख) क्या प्रस्तावित ग्यारहवीं योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किसी प्राथमिकता वाले क्षेत्र की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज सामाजिक आर्थिक वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) दसवीं योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर

राज्यों की जी एस डी पी विकास दर तथा अखिल भारत जी डी पी विकास दर नीचे दर्शाई गई है:

विकास दर (दसवीं योजना के प्रथम चार वर्ष)

राज्य	विकास दर
अरूणाचल प्रदेश	5.6
असम	6.1
मणिपुर	11.3
मेघालय	5.6
मिजोरम	5.9*
नागालैंड	8.3*
सिक्किम	7.7
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
अखिल भारत	7.2

(*मिजोरम, नागालैण्ड के लिए जीएसडीपी के आंकड़े प्रथम तीन वर्षों के लिए ही उपलब्ध हैं। त्रिपुरा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

(ख) से (घ) ग्यारहवीं योजना दस्तावेज को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु महत्वपूर्ण मानदण्डों पर बल दिया जाएगा। इनमें सम्पर्कता (सड़क, रेल, वायुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, दूरसंचार) तथा विद्युत के प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण; मुख्य सामाजिक अवसंरचना (स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन) पर बल; क्षमता निर्माण एंव दक्षता विकास; प्राथमिक क्षेत्रों पर बल (कृषि और बागवानी, पशुपालन) आदि, शामिल हैं।

चिकनगुनिया पर अध्ययन

2799. डा. के.एस. मनोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फैले चिकनगुनिया के पश्च प्रभावों पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चिकनगुनिया को समाप्त करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) चिकनगुनिया का संचरण एडीज मच्छर के काटने से होता है। विषाणु की उद्भवन अवधि 4 से 7 दिन तक होती है। रोग का मुख्य लक्षण त्वचा पर चकत्तों के साथ भारी ज्वर का होना है। संक्रमित व्यक्ति मांसपेशी एवं जोड़ों के दर्द से ग्रस्त रहता है जो तीव्र चरण के समाप्त होने के बाद भी काफी अवधि तक बना रहता है।

चिकनगुनिया का पहला रोगी वर्ष 1963 में दर्ज किया गया। तत्पश्चात कुछ प्रकोप हुए हैं और वे प्रकोप इसी रोग से जुड़े हुए हैं। तदुपरांत वर्ष 2005 तक कुछ छिटपुट रोगियों के मामले ही दर्ज किए गए और इसके बाद वर्ष 2006 में बड़े पैमाने पर प्रकोप हुए। करीब 32 वर्षों तक इसके निष्क्रिय रहने के कारण इस अवधि के दौरान चिकनगुनिया के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययन नहीं किए गए हैं। तथापि, इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद "परसिस्टेंट रूमैटिक मस्क्युलोस्केलेटक विकारों के विशेष संदर्भ में चिकनगुनिया संक्रमण का ग्रामीण जनसंख्या आधारित अध्ययन" नामक एक बाह्य परियोजना का वित्तपोषण कर रही है। पुणे स्थित संधिवातीय रोग केंद्र में अध्ययन किए जा रहे हैं। इस अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य चिरस्थायी 'रूमैटिक मस्क्युलोस्केलेटक विकारों' पर विशेष ध्यान देते हुए चिकुनगुनिया संक्रमण की नैदानिक, सीरमविज्ञानी और प्रतिरक्षण संबंधी रूपरेखा का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन हेतु पुणे जिले से चिकुनगुनिया से ग्रस्त 400 रोगियों का कुल सैम्पल साइज शामिल किया जाएगा। जुलाई, 2007 से यह अध्ययन शुरू कर दिया गया है और वर्ष 2008 की समाप्ति तक अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ऐसी कोई औषधि नहीं है जो चिकुनगुनिया विषाणु संक्रमण के प्रति कारगर हो। इन रोगियों का उपचार लाक्षणिक आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रमंडल युवा खेल

2800. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन अक्तूबर, 2008 में पुणे में होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को अतिरिक्त खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु 110 करोड़ रुपये की धनराशि के अनुदान हेतु महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) अपेक्षित धनराशि को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी हां। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2010 की उप प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल युवा खेल 12 से 18 अक्तूबर, 2008 तक पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी।

(ख) इन खेलों के लिए सभी प्रतियोगिता स्थल तथा एथलीट गांव शिव छत्रपति खेल परिसर में स्थित होंगे। इस परिसर में खेल अवसंरचना के विकास से संबंधित कार्य फरवरी, 2007 को प्रारंभ हुआ था तथा यह कार्य मई, 2008 तक पूरा कर लेने की संभावना है। इन खेलों की प्रत्येक खेल विधा के लिए खेल संबंधी अवसंरचना कार्य की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है

(ग) से (च) महाराष्ट्र सराकर ने पुणे में राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 के लिए खेल अवसंरचना के निर्माण/सुधार के लिए प्रारंभ में 192.50 करोड़ रुपये का बजट रखा था जिसे बाद में संशोधित कर 285.09 करोड़ रुपये और फिर 355.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग ने राज्य की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 110.00 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित कर दी है और महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी है कि वह वर्ष 2007-08 के लिए काफी बढ़ाये गये वार्षिक योजनागत परिव्यय में से अतिरिक्त लागत वहन करें।

विवरण

स्थिति संबंधी रिपोर्ट

क्र.सं.	खेल विधा	निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख	निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख	30.10.2007 तक की प्रगति
1.	एथलेटिक्स	31.01.2007	31.05.2007	65%
2.	बैडमिंटन	4.02.2007	31.05.2008	36%
3.	मुक्केबाजी	25.01.2007	31.05.2008	55%
4.	निशानेबाजी (50 मी. और 10 मी)	14.01.2007	31.05.2008	52%
5.	निशानेबाजी (25 मी.)	14.01.2007	31.05.2008	58%
6.	तैराकी	01.02.2007	31.05.2008	47%
7.	टेबल टैनिस	10.02.2007	31.05.2008	25%
8.	टैनिस	31.01.2007	31.05.2008	58%
9.	भारोत्तोलन	01.06.2007	31.05.2008	20%
10.	कुश्ती	15.02.2007	31.05.2008	58%

[हिन्दी]

ललितपुर-सिंगरोली रेल लाइन के लिए भूमि

2801. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ललितपुर-सिंगरोली रेल लाईन के निर्माण हेतु जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में वन भूमि के कितने क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है तथा रेलवे लाईन निर्माण से संबंधित कार्य कितने क्षेत्र पर पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने वन भूमि पर गैर-वनीय कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था तथा क्या रेलवे को भूमि हस्तांतरित कर दी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वन भूमि पर रेल लाइन के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यवाही को कब तक किए जाने की संभावना हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बड़ी परियोजनाएं

2802. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों में भारत द्वारा निष्पादित की जा रही 11 बड़ी परियोजनाओं में से कम से कम सात लागत तथा अधिक समय लगने से प्रभावित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं किन देशों में निष्पादित की जा रही है;

(घ) इन परियोजनाओं की लागत कितनी है;

(ङ) इन्हें पूरा करने के लिए वास्तविक समय-सीमा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (च) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए अपनाई गई परिभाषा के अनुसार, 1000 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मेगा परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 7 परियोजनाएं जो मेगा परियोजनाएं नहीं है, लेकिन पड़ोसी देशों में निष्पादित की जा रही हैं, उनमें समय और लागत वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं का देश-वार ब्यौरा लागत, समापन समय-अनुसूची, समय और लागत वृद्धि के कारणों तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पड़ोसी देशों में निष्पादित की जा रही परियोजनाएं

क्र.सं./देश	परियोजना का नाम	लागत(करोड़ रु. में)		टिप्पणी
		मूल	संशोधित	
1	2	3	4	5
अफगानिस्तान				
1.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा जाराजं से देलारम तक 218 कि. मी. सड़क।	377.0	746.79	• यह परियोजना जो पहले दिसंबर, 2007 में पूरी होनी थी, उसके अब संशोधित लागत से दिसंबर, 2008 में पूरी होने की संभावना है। • विदेश मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलनों पर कार्रवाई की जा रही है। • परियोजना समीक्षा समिति (पी आर सी) और अधिक समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए बारीकी से मॉनीटरिंग करेगी। लागत/समय वृद्धि के कारण • प्रमुख इनपुट्स के मूल्यों में तेजी से वृद्धि।

1	2	3	4	5
				• अस्थिर बाजार, मूल्यों में उतार-चढ़ाव और अफगानिस्तान में अनिश्चित सप्लाई। • सुरक्षा संबंधी समस्याएं। • 1400 स्थानीय सुरक्षा गार्डों की मूल अनुमानों की तुलना में अधिक लागत पर तैनाती। • मंत्रिमंडल की अनुमति में विभागीय प्रभारों का प्रावधान न होना। तथापि, सभी सड़क संगठन ने संशोधित प्राक्कलन में 7 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभार शामिल किए हैं।
2.	हेरात प्रांत में मैसर्स वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विस (डब्ल्यू ए पी सी ओ एस) इंडिया द्वारा क्रियान्वित की जा रही सलमा बांध पावर परियोजना का पुनर्निर्माण तथा समापन	351.58	734.74	• पहले परियोजना पूर्ण होने की तारीख जनवरी, 2009 थी जिसे अब संशोधित कर जनवरी, 2010 कर दिया गया। • विदेश मंत्रालय नॉन-प्लान व्यय संबंधी समिति द्वारा वित्त मंत्रालय एवं मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए संशोधित लागत प्राक्कलनों पर कार्रवाई कर रहा है। • आगे समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए परियोजना समीक्षा समिति (पी आर सी) बारीकी से मॉनीटरिंग करेगी। **समय और लागत वृद्धि के कारण** • प्रमुख इनपुट्स तथा सिविल और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों की लागत में तेजी से वृद्धि। • 2007 के आरंभ में भारी बाढ़ की वजह से कॉफर बांध और अन्य इन्फास्ट्रकचर को नुकसान हुआ। • पाकिस्तान और ईरान के जरिए सामग्री तथा कार्मिकों के पारगमन से संबंधित समस्याएं। • सुरक्षा स्थिति का बदतर होना-परियोजना स्थलों पर हाल में 27-7-2007 और 9-8-2007 को दो हमले।
3.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भारत द्वारा अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण	296.45	338.58	• परियोजना के मई, 2008 में शुरू होने तथा अप्रैल, 2011 तक पूरा होने की संभावना है। • लागत में वृद्धि अफगानिस्तान सरकार द्वारा स्कोप में परिवर्तन के अनुरोध के कारण हुई। • अतिरिक्त खूबियों को शामिल करते हुए भवन के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। • योग्य कार्य प्रगति पर हैं। • नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर समय और लागत शिड्यूल पर दृढ़ रहने के लिए पी आर सी बारीकी से मॉनीटरिंग करेगी।

1	2	3	4	5
नेपाल				
4.	बीर अस्पताल के विस्तार के एक भाग के रूप में काठमांडू में 200 बिस्तरों वाला आपातकालिक तथा ट्रॉमा केयर सेन्टर	54.11	61.39	• निर्माण कार्य अक्तूबर, 2006 के अंत में शुरू हुआ था तथा परियोजना अंनतिम रूप से अक्तूबर 2008 तक पूरा करने का शिड्यूल है। • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की समापन अवधि लगभग 28 माह है। निर्माण कार्य अक्तूबर, 2006 के अंत में शुरू हुआ था।
भूटान				
5.	तिंतिबी-तोंगसा बुमथान ट्रांसमीशन लाइन	34.38	61.70	• परियोजना के मई, 2008 तक पूरा हो जाने की संभावना है। • मैसर्स भूटान इंजीनियरिंग कम्पनी के सहयोग वाले संयुक्त उद्यम में मैसर्स उत्कल गैल्वनाइजर्स, उड़ीसा को दिया गया ठेका मई, 2008 में पूरा होने की संभावना है। दूसरा ठेका मैसर्स पावरग्रिड को 28.7. 2006 को दिया गया है। • प्रतिस्पर्धा बोली पद्धति के आधार पर लागत में वृद्धि हुई। • भारत सरकार और भूटान सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। • पी आर सी द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।
6.	जिग्मे दोर्जी वांगचुक नैशनल रैफरल अस्पताल (जे डी डब्ल्यू एन आर एच) का विस्तार	65.69	71.60	• आंरभ में निर्माण कार्य जून, 2007 तक पूरा होना था, जिसके अब जून, 2008 तक पूरा होने की संभावना है। • अप्रैल, 2006 में लागत में संशोधन किया गया। प्राक्कलनों की एम्स, नई दिल्ली द्वारा संवीक्षा की गई। • भारत सरकार और भूटान सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। • परियोजना मॉनीटरिंग समिति (पी एम सी) द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।
7.	पासखा-मनितार सड़क	54.01	55.60	• आंरभ में सड़क को अप्रैल, 2007 तक पूरा होना था। सड़क में तीन पुलों का निर्माण शामिल था, और संभावना है कि अब यह अप्रैल, 2008 तक ही पूरी हो सकेगी। • परियोजना में विषम मौसम और कठिन भौगोलिक संरचना के कारण विलंब हुआ। • परियोजना डीएएनटीएके (सीमा सड़क संगठन) ने लागत के नए अनुमान दिए थे। • संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर आधारित है। • भारत सरकार और भूटान सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। • पी एम सी द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

देश में उत्पावित यूरेनियम

2803. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार यूरेनियम की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में यूरेनियम के उत्पादन को दुगना करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) देश में उत्पादित यूरेनियम की मात्रा के बारे में सूचना देना जनहित में नहीं है।

(ख) देश के परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने के लिए एक बृहत विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया है।

(ग) और (घ) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, जादुगुडा, भाटिन, नरवापहाड़, तुरूमडीह तथा बंदुहुरंग में पांच खानों, और जादुगुडा तथा तुरूमडीह में दो संसाधन संयंत्रों का परिचालन करने के अलावा, बगजाता एवं मोहुलडीह में दो खानें स्थापित करने का विचार रखता है और ये सभी झारखंड में हैं, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुमल्लापल्ली में एक खान और एक संसाधन संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में लंबापुर-पेडागट्टू और मेघालय में मावथाबाह तथा कर्नाटक में गोम्गी नामक स्थान पर परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए परियोजना-पूर्व के कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं को, सभी सांविधिक अनुमतियां प्राप्त होने और सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही हाथ में लिया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय पुनरूद्धार परियोजनाएं

2804. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र से संबंधित जलशयों की प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय पुनरूद्धार परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी न दिये जाने के कारण लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने इस मंत्रालय को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत विचारार्थ झील संरक्षण योजना के अनेक प्रस्तुत किए हैं। इनमें से 13 झीलों के संरक्षण के लिए 5 प्रस्तावों को 24.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इस मंत्रालय में शेष प्रस्तावों की जांच करते समय उनमें या तो तकनीकी कमिया पाई गई अथवा उन्हें रा. झी. सं. योजना की अनिवार्यता में नहीं पाया गया। राज्य सरकार से इन प्रस्तावों को रा.झी.सं. योजना के मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जांच करने के लिए कहा गया है और इनमें से कुछ झीलों को राज्य संरक्षण योजना के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध राज्य बजट में शामिल किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी कहा गया है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत नई झीलों के प्रस्तावों पर मार्ग-निर्देश प्राथमिकीकरण, प्रदूषण की स्थिति और योजना के अतर्गत उपलब्ध निधि के अनुसार उनकी ग्राह्यता के अनुसार विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र

2805. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, इसकी स्थापना हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इसके अधिष्ठापन से कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है; और

(ग) उक्त संयंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यू सी आई एल) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, का विचार, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में तुमल्लापल्ली नामक स्थान पर एक यूरेनियम अयस्क संसाधन संयंत्र स्थापित करने का है। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 694.59 करोड़ रुपए है। इस संसाधन संयंत्र में लगभग 384 कार्मिकों को नियुक्त किए जाने की संभावना है और इसके 36 महीनों के भीतर कमीशन हो जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में सेरीपल्ली और मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में मावथाबाह स्थित संसाधन संयंत्रों के लिए परियोजना-पूर्व के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तथापि, इन परियोजनाओं को, सभी सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त कर लेने और सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही हाथ में लिया जाएगा।

लीच थेरेपी

2806. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न रोगों के लिए लीच थेरेपी की मान्यता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या साइड इफैक्ट हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खेलों को बढ़ावा देना

2807. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या युवक कार्यक्रमों और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक से ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है;

(ग) क्या राज्य में, 'ग्रामीण खेल कार्यक्रम' के अंतर्गत कोई योजना चलाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसके फलस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित खेल अवसंरचना योजना जिसे 1.4.2005 से राज्य सरकार को हस्तानान्तरित कर दिया गया है, के अंतर्गत सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों में खेल सुविधाओं के सृजन हेतु 31.3.2005 तक कर्नाटक सहित, राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा था।

(ख) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के राज्य-वार प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना (डाटा बेस) मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) जी हां, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से मंत्रालय द्वारा ग्रामीण खेल कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

(ङ) यद्यपि वर्ष 2004-05 के दौरान कर्नाटक राज्य में ग्रामीण खेल कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 8,00,000/-रु. की वित्तीय सहायता दी गई थी, 2005-06 और 2006-07 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे।

एच. आई. वी./एड्स संबंधी विधान

2808. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच. आई. वी./एड्स पर एक विशेष विधान सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) एच आई वी/एड्स विधेयक की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यह विधेयक विचाराधीन है और विधायी कार्य विभाग द्वारा इसका अनुवीक्षण किए जाने के बाद इसे पुर:स्थापित किया जाएगा।

विवरण

एच आई वी/एड्स विधेयक, 2007 की प्रमुख बातें

इस विधान का मुख्य उद्देश्य एच आई वी/एड्स के फैलने की रोकथाम करना और नियंत्रण करना तथा एच आई वी/एड्स से संक्रमित और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करना है। इस कानून के मुख्य अध्यायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एच आई वी/एड्स से संबद्ध भेदभाव को रोकना। इस अध्याय में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, यात्रा, निवास, आवास, बीमा आदि पर ध्यान दिया गया है। इसमें एच आई वी परिप्रेक्ष्य में घृणा और भेदभाव पैदा करने संबंधी बातें करने के मुद्दे पर भी ध्यान भी दिया गया है।

(ii) एच आई वी सबद्ध जांच, एच आई वी से संबद्ध उपचार और एच आई वी से संबद्ध अनुसंधान के लिए सूचित सहमति की आवश्यकता। इस अध्ययन में सूचित सहमति के मौजूदा मानकों और इसके अपवादों को सांविधिक बनाया गया है।

(iii) एच आई वी से संबद्ध जानकारी (एच आई वी+स्टेटस सहित) और इसके अपवादों की गोपनीयता की गारंटी

(iv) भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कोवीनेंट के अधीन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों, जिनका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अंतर्गत मान्य स्वास्थ्य के अधिकार के अंग के रूप में एच आई वी/एड्स से संबद्ध उपचार सुलभ कराने का अधिकार। इस अध्याय में निदान, ए आर वी, पौषणिक सम्पूरकों आदि सहित एच आई वी से संबद्ध व्यापक उपचार सुलभ कराने की व्यवस्था है।

(v) स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों जिनके व्यवसायों से उन्हें एच आई वी के प्रभाव का खतरा हो सकता है, के लिए सुरक्षित कार्य करने संबंधी वातावरण का अधिकार।

(vi) जोखिम में कमी करने की कार्यनीतियों का संरक्षण, जो अन्यथा विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराधिक शास्ति के अध्यधीन हैं जिनसे विगत में यौन-कर्मियों, इंजेक्शन से औषध लेने वालों और पुरूषों के साथ सैक्स करने वाले पुरूषों के जोखिम में कमी करने संबंधी कार्य पर गंभीरतापूर्वक रोक लगी है।

(vii) सूचना, शिक्षा और संप्रेषण कार्यक्रमों और सामग्री के लिए मानदंड।

(viii) सांस्थानिक शिकायत निवारण तंत्र, हेल्थ अम्बुड्सपर्सन और एच आई वी/एड्स प्राधिकारियों सहित नवीनतम कार्यान्वयन तंत्रों का सृजन। इसमें पहचान, तत्काल विचारण और कार्यवाहियों आदि पर प्रतिबंध लगाने सहित न्यायालयों में पालन की जाने वाली विशेष क्रियाविधियों द्वारा सहयोग किया जाएगा।

(ix) उन व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और युवा व्यक्तियों तथा राज्य की परिचर्या और संरक्षण में व्यक्तियों, जो महामारियों द्वारा असंगत रूप से प्रभावित होते हैं और जो सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और अन्य कारणों से अपने आप को एच आई वी के प्रति अधिक असुरक्षित पाते हैं, के लिए विशेष प्रावधान।

प्राणी उद्यान तथा वन्यजीव स्कंधों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

2809. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की विभिन्न राज्य सरकारों के भारतीय प्राणी उद्यान तथा वन्यजीव स्कंधों को चिकित्सा परिचर्या तथा स्वास्थ्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान विद्यमान केन्द्रों में नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रोग निदान सुविधाएं देने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों की संख्या देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में ऐसे पशु चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश भर में मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के चिड़ियाघरों और पशु चिकित्सा विभागों/संस्थानों जैसे कि भुवनेश्वर (उड़ीसा), आनंद (गुजरात), बरेली (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम) जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और चैन्नई (तमिलनाडु) में रोग नैदानिक सुविधाओं सहित पशु चिकित्सा सुविधाओं के सृजन और सुधार के लिए निधियां प्रदान करता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तलिननाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई को 1,19,693/-रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में सभी भारतीय चिड़ियाघरों को अति विशिष्ट सेवाएं और नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेशनल रेफरल सेन्टर स्थापित किया है।

उपरोक्त सुविधाएं मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता

2810. **श्री पी. सी. थामस:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के प्रयास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस मुद्दे पर कुल कितने और किन-किन देशों ने अपना समर्थन दिया है;

(ग) इस संबंध में फ्रांस द्वारा क्या रूख अपनाया गया है; और

(घ) इस संबंध में समर्थन जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी के लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन संयुक्त राष्ट्र और द्विपक्षीय तौर पर व्यक्त किया गया है। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना पक्का समर्थन सार्वजनिक तौर पर व्यक्त किया है। सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन जुटाना जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा परिषद के सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद-विवाद में सक्रियता से भाग लेने के अतिरिक्त सरकार विभिन्न देशों के साथ इस मसले पर अनुवर्ती कार्रवाई में लगी हुई है।

[हिन्दी]

जयपुर शहर के आस-पास बाईपास सड़कें

2811. **श्री सुभाष महरिया:**
श्री सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी यातायात के मद्देनजर जयपुर शहर के आस-पास बाईपास सड़कों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जयपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत परिपूर्ण (स्टैंड अलोन) रिंग रोडों, बाइपासों, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शनों और फलाईओवरों के लिए शहरों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII को सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

योजनाओं को बंद करने से धनराशि की बचत

2812. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना में कुछ प्रायोजित योजनाओं की बंद करने से कितनी धनराशि की बचत किए जाने की सम्भावना है और कितने पद समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ख) उक्त धनराशि का किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या समाप्त किए जाने वाले पदों के समायोजन हेतु प्रबंध किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) योजना स्कीमें योजना तैयार करते समय शून्य आधारित बजटीय (जेड बी बी) प्रयोग के आधार पर बंद की जाती है। शून्य आधारित बजटीय (जेड बी बी) प्रयोग का मूल उद्देश्य योजना लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों की सम्मिरूपता प्रभावोत्पादकता और सक्षमता सुनिश्चित करना तथा उपलब्ध संसाधनों का भी सर्वाधिक विवेकपूर्ण एवं आर्थिक रूप से सक्षम तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसा प्रयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी किया गया है। इस प्रकार की कोई बचत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित स्कीमें संबंधित राज्यों द्वारा अपनी-अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत खाद्य में जैव संशोधित तत्व

2813. श्री के.एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं के मामले में दायित्व निर्धारित करने हेतु स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निवारण करने और उपाय करने के लिए खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2005 के अनुसार जैव संसाधित तत्वों वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के उत्पादन, विपणन और उपभोग को विनियमित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्य पदार्थों/अवयवों पर लेबल लगाने के लिए दिनांक 10.3.06 के सा. का. नि. सं. 152 (अ) के तहत एक प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लोगों से आक्षेप एवं सुझाव आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित की गई थी। चूंकि प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्य पदार्थों को विनियमित करने के लिए उपबंध किए गए हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, जिसे गठित किया जा रहा है, द्वारा लागू किया जाएगा।

कैंसर के मामलों संबंधी सर्वेक्षण

2814. श्री जी. एम. सिद्धीश्वर
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कैंसर के मामलों/कैंसर से मृत्यु के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एन सी आर पी) के जरिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार कैंसर से प्रत्येक वर्ष मरने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 4.4 लाख है और प्रत्येक वर्ष लगभग 7.9 लाख नए कैंसर रोगियों का पता लगाया जाता है। देश में 2.5 मिलियन कैंसर रोगी हर समय होते हैं। परंतु देश में कैंसर के रोगियों/इससे हुई मौतों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया जाता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ऐसे में कैंसर की शीघ्र पहचान, निदान और उपचार संबंधी पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जांच करने, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने, जागरूकता उत्पन्न करने आदि के जरिए कैंसर की शीघ्र पहचान करने पर विशेष बल देती है। व्यापक कैंसर परिचर्या उपचार प्रदान कर रहे 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्र देश में हैं।

[हिन्दी]

भारतीय मिशनों में तैनात उच्चायुक्त और राजदूत

2815. श्री रामदास आठवले:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी सहित विभिन्न देशों में तैनात उच्चायुक्तों और राजदूतों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न देशों में राजदूतों के देश-वार कितने पद रिक्त हैं और ये पद कितने समय से रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) कितने उच्चायुक्त और राजदूत भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्य केंद्रीय या सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति हैं;

(घ) उच्चायुक्तों और राजदूतों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कितने आई एफ एस अधिकारी मंत्रालय में कार्यरत हैं; और

(च) उक्त श्रेणी के अधिकारियों को उनकी संख्या के समानुपात में भारतीय मिशनों में नियुक्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) आज की तिथि तक भारत द्वारा विभिन्न देशों में 115 उच्चायुक्तों/राजदूतों को तैनात किया गया है। उनमें से 12 अनुसूचित जाति (एस. सी.) और 8 अनुसूचित जनजाति (एस. टी.) श्रेणी के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) श्रेणी के आधार पर अधिकारियों की भर्ती वर्ष 1994 से प्रारंभ हुई और इसके परिणामस्वरूप ओ. बी. सी. श्रेणी के अधिकारियों ने अभी तक उच्चायुक्त/राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अपेक्षित वरीयता प्राप्त नहीं की है।

(ख) उच्चायुक्त/राजदूत के पद कोट डी आइवरी (अगस्त, 2007 से), चेक गणराज्य (अक्तूबर, 2007 से), इराक (दिसंबर, 2004 से) मेडागास्कर (जून 2007 से), जमैका (जुलाई 2007 से), और जिम्बाब्वे (अक्तूबर 2007 से) में रिक्त हैं। आशा है कि ये पद, इराक में राजदूत के पद को छोड़कर निकट भविष्य में भर लिए जाएंगे। इराक में अगले राजदूत की नियुक्ति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 107 सेवारत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उच्चायुक्त/राजदूत के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय प्रशसनिक सेवा के 1 अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 सेवानिवृत्त अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के 3 लोग उच्चायुक्त/राजदूत के रूप में तैनात हैं।

(घ) भारतीय उच्यायुक्त/राजदूत प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ये नियुक्तियां कई मानंदडों के आधार पर निश्चित की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी वरीयता, पृष्ठभूमि, संबंधित अनुभव तथा पद एवं कार्य के लिए समग्र उपयुक्तता शामिल है।

(ङ) आज की तिथि तक मंत्रालय में एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के भा. वि. से. के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 81, 42 और 59 है।

(च) एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. श्रेणियों में आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशत का भर्ती के स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाता है। ऐसी कोई नीति नहीं है कि विदेश स्थित मिशनों, जिनमें कि राजदूत/उच्चायुक्त के स्तर भी शामिल हैं, में तैनाती करने में आरक्षण दिए जांए। तथापि, अपेक्षित, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं वरीयता वाले एस. सी./एस. टी/ओ.बी. सी. श्रेणियों के अधिकारियों की राजदूत/उचचायुक्तों के रूप में नियुक्ति करने के सजग प्रयास किए गए हैं।

[अनुवाद]

आत्महत्या निवारण संबंधी विशेष कार्यक्रम

2816. श्री असाबूद्दीन ओवेसी:
श्री दलपत सिहं परस्ते:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की है;

(ग) क्या सरकार का विचार आत्महत्या निवारण संबंधी विशेष कार्यक्रम चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान संस्थान, बंगलौर से आत्महत्या निवारण संबंधी प्रथम कार्यक्रम के बारे में सिफारिश करने का आग्रह किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त

आंकड़ों को संकलित करता है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को सूचित 2004-2006 तक अवधि के दौरान आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन सामान्य स्वास्थ्य पद्धति के एक अंग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मेडिकल कालेजों/जनरल अस्पतालों की मनचिकित्सीय स्कंधों के सुदृढ़ीकरण/मानसिक अस्पतालों को चिकित्सीय एककों के रूप में उन्नयन के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार का ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर की सहायता से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनर्कार्यनीतिक बनाने का प्रस्ताव हैं ताकि आत्महत्या की रोकथाम, तनाव उपचार, स्कूली मानसिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों को कवर किया जा सके और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी प्रदानगी के लिए गुणवत्ता युक्त जनशक्ति तैयार करने/कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना सृजित करने आदि के लिए भी जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार किया जा सके।

विवरण

2004-2006 के दौरान आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004 आत्महत्याएं	2005 आत्महत्याएं	2006* आत्महत्याएं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13526	13442	13275
2.	अरूणाचल प्रदेश	79	70	129
3.	असम	2839	2848	3031
4.	बिहार	351	543	618
5.	छत्तीसगढ़	4495	4881	4626
6.	गोवा	314	282	275
7.	गुजरात	4776	4765	5035
8.	हरियाणा	2082	2046	2316
9.	हिमाचल प्रदेश	371	359	457
10.	जम्मू व कश्मीर	112	294	262
11.	झारखण्ड	417	808	856
12.	कर्नाटक	11937	11557	12212
13.	केरल	9053	9244	9026
14.	मध्य प्रदेश	6795	5448	6435
15.	महाराष्ट्र	14729	14426	15494
16.	मणिपुर	41	27	36
17.	मेघालय	55	71	92

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	60	55	70
19.	नागालैण्ड	31	27	28
20.	उड़ीसा	4215	4206	4065
21.	पंजाब	645	588	772
22.	राजस्थान	3725	4178	4263
23.	सिक्किम	98	109	145
24.	तमिलनाडु	12839	12075	12381
25.	त्रिपुरा	770	715	765
26.	उत्तर प्रदेश	3637	3449	3099
27.	उत्तरांचल	237	273	326
28.	पश्चिम बंगाल	13424	15015	15725
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	122	139	133
30.	चंडीगढ़	75	89	80
31.	दादरा व नगर हवेली	39	69	42
32.	दमन व दीव	13	32	22
33.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	1256	1245	1492
34.	लक्षद्वीप	0	0	2
35.	पांडिचेरी	539	538	526
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	2044	2112	2297
	कुल (अखिल भारत)	113697	113914	118112

*अनंतिम आंकड़ें।
स्रोत: भारत में दुर्घटना से हुई मौतें और आत्म हत्याएं

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा संबंधी भारत-बुल्गारिया समझौता

2817. **श्री गणेश सिंह:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुल्गारिया परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ग) बुल्गारिया के प्रधान मंत्री सरगेई स्तानिशेव के 10-15 सितम्बर, 2007 को किए गए भारत के दौरे के समय, भारत और बुल्गारिया के बीच असैन्य नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों में सहयोग की संभावना का पता लगाने के बारे में केवल प्रारंभिक बातचीत की गई थी।

[अनुवाद]

कालाजार हेतु कोडिंग स्कीम

2818. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कालाजार के रोगियों हेतु कोडिंग स्कीम आंरभ करने का निर्णय लिया है जिससे यह प्रणाली ग्राम स्तर पर रोगी का पता लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र ले जाने में सफल होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) ने इस रोग को वर्ष 2010 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। कालाजार के सभी प्रामाणित रोगियों की क्रमबद्ध सूची बनाने के उद्देश्य से रोगी कोडिंग स्कीम की संकल्पना प्रारंभ की गई। रोगी कोडिंग स्कीम का उद्देश्य समग्र उपचार लेना और उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) तथा जिलों जैसी विभिन्न संस्थाओं में रोगियों की द्विरावृति रोकना सुनिश्चित करना है।

(ग) और (घ) जी, हां। स्वास्थ्य नीति (2002) में उप-जिला स्तर पर प्रति 10,000 आबादी पर कालाजार के रोगियों की संख्या घटाकर 1 से कम करते हुए 2010 तक कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना है।

(ङ) रोगी कोडिंग स्कीम प्रारंभ करने के बाद, संपूर्ण उपचार सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी रोगियों का पता लगाया जा रहा है ताकि ये रोगी समुचित रूप से रोगमुक्त हो जाएं और परजीवी स्त्रोत न बनें। इससे कालाजार रोग के उन्मूलन में निश्चित रूप से मद मिलेगी।

[हिन्दी]

निर्धारित जांच बिना खाद्य वस्तुओं का आयात

2819. श्री काशीराम राणा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य वस्तुओं का बिना निर्धारित जांच के आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। किसी भी खाद्य वस्तु के आयात को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 5 और 6 के अधीन नियंत्रित किया जताा है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 6 (2) में यह व्यवस्था है कि किसी भी आयातित खाद्य वस्तु को ऐसी अनुमति प्रदान करना सीमा शुल्क कलेक्टरों अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का दायित्व है। आयातित खाद्य वस्तुओं की खेपों को अनुमति देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग ने अनुमति देने से पूर्व 100 प्रतिशत जांच करने की क्रियाविधि तैयार की है। उन मामलों में जहां नमूनों को व्यक्तिगत आयातकर्ता द्वारा आयातित प्रत्येक खाद्य वस्तु की प्रथम पांच क्रमिक खेपों में मानकों के अनुरूप पाया गया हो, वहां 5 से 20 प्रतिशत की यादृच्छिक जांच के आधार पर खाद्य वस्तुओं की खेप को अनुमति देने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

रोगों की निगरानी के संबंध में सहयोग

2820. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घातक रोगों की निगरानी के संबंध में सहयोग करने हेतु किसी देश के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार ने रोगों की निगरानी सहित कई मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त वक्तव्य, फिजी द्वीप समूह, सऊदी अरब और तुर्कमेनिस्तान की सरकारों के साथ द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने भी इसी तरह फ्रांस और कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग के अभिज्ञात क्षेत्रों में संयुक्त सहयोगी अनुसंधान परियोजनायें भारतीय तथा विदेशी

वैज्ञानिकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी/समितियों से आवश्यक अनुमोदन लेने के उपरांत ही शुरू की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की ''प्रस्तावों का आह्वान'' योजना के तहत कोई भी अनुसंधान संस्थान, चाहे सार्वजनिक, निजी अथवा गैर-सरकारी संगठन हो, अपने अनुसंधान संबंधी प्रस्ताव किसी अन्य देश के साथ सहयोग करने हेतु कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते कि अनुमोदन से पूर्व उसकी भारतीय एवं विदेशी एजेंसियों द्वारा समीक्षा की जाए और स्वास्थ्य मंत्रालय की छानबीन समिति द्वारा संवीक्षा कर ली जाए। चूँकि महामारी से प्रवण रोगों की शीघ्र रिपोर्टिंग पर विशेष बल दिया जाता है इसलिए निजी अस्पतालों, चिकित्सकों और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी सेक्टरों से मिलने वाली सूचना को सरकार की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के तहत बढ़ावा दिया जाता है।

समुद्री परिवहन हेतु रूपरेखा

2821. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस सी आई) ने उदारीकृत परिदृश्य में समुद्री परिवहन की बढ़ती माँगों को पूरा करने हेतु रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने अपने पुराने बेड़े को बदलने और भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में वृद्धि करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान 62 जलयानों को खरीदने की योजना बनाई है।

(ग) सरकार ने 2007-08 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 18 जलयानों को खरीदने के भारतीय नौवहन-निगम के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

वाहन निरीक्षण केंद्र की स्थापना

2822. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में विशिष्ट अत्याधुनिक वाहन निरीक्षण और अनुरक्षण केंद्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितने वाहन निरीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का विचार हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव इस समय प्रारंभिक स्तर पर है और ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं।

पंचायतों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

2823. **श्री तापिर गाव:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने अब तक वित्तीय शक्तियों को पंचायतों को प्रत्यायोजित नहीं किया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने पंचायतों को ये शक्तियां पूरी तरह प्रत्यायोजित कर दी है;

(ग) क्या पंचायती राज के विषय को निर्देशक सिद्धांत खण्ड से मौलिक अधिकार खंड में स्थानांतरण करने हेतु संवैधानिक संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत के राज्यों में पंचायती राज अधिनियम के उपबंध का पूर्णरूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायतों को वित्तीय शक्तियों का अंतरण किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) स्तर वार प्रत्येक अंतरिम प्रकार्यों के गतिविधि मानचित्रण को वित्तों वे कार्यकर्ताओं के समान मानचित्रण से मेल कराया जाना;

(ख) गतिविधि मानचित्रण पर आधारित प्रत्येक राज्य/केंद्र सरकार के विभाग के बजट में पी आर आई घटक का समावेश;

(ग) राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा पंचायतों को, स्तर वार, उत्तरोत्तर बृहत्तर अबद्ध निधियों का प्रावधान;

(घ) समय की एक सारणी जिसके भीतर राज्य वित्त आयोगों को अपनी रिपोर्टें तैयार करनी व की गई कार्रवाई रिपोर्टों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए;

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं को अपने संसाधनों को जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कदम।

राज्य बजट में पंचायत सेक्टर विण्डों का समावेश पंचायतों को निधियों के अंतरण के संस्थानीकरण का सबसे आवश्यक तत्व है। राज्यों के बजटों में पंचायत सेक्टर विण्डो को सृजित करने की प्रणाली को छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों, नामत: कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान में अपनाया जा चुका है। तथापि, इस प्रणाली की प्रभावोत्पादकता में एक राज्य से दूसरे राज्य में विविधता है;

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई से दिसम्बर 2004 के बीच राज्य के पंचायती राज मंत्रियों के 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) के सशक्तिकरण के लिए रोडमैप पर सहमति हुई थी। इसमें अन्य बातों के अलावा पी आर आई को प्रकार्यों, वित्तों एवं कार्यकर्ताओं के प्रभावी अंतरण, पंचायतों द्वारा योजनाकरण, निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों का क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण व आई टी सक्षम ई-गवर्नेंस शामिल था। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर गतिविधियों को सौंपे जाने के माध्यम से पी आर आई को प्रकार्यों का अंतरण, निधियों एवं कार्यकर्त्ताओं के सहगामी हस्तांतरण, पी आर आई के सशक्तिकरण का मूल है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज के राज्य सचिवों एवं पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद् की समिति की बैठकों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं संघशासित क्षेत्रों के उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा संयुक्त समापन हस्ताक्षरित वक्तव्यों के सांस्थानिक तंत्र के द्वारा राज्यों के साथ इन पर लगातार कार्य किया है। अभी तक 22 संयुक्त समापन वक्तव्य हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।

कैंसर और एड्स के उन्मूलन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2824. श्री मदन लाल शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार 'कैंसर' और 'एच आई वी' के उन्मूलन में लगे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को दिए गए अनुदानों को गैर-सरकारी संगठन-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संगठनों को दिए गए अनुदानों के उपयोग हेतु सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान किन्हीं विसंगतियों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए ये जारी की गई थी, निधियों के वास्तविक उपयोग के बाद परीक्षित लेखों के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अधीन एक उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

इसके अलावा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन दिशा निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को मासिक कार्यकलाप रिपोर्टें, व्यय का लेखा परीक्षित विवरण और अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन का ब्यौरा

2004-05 लाख रुपये में

1.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अहमदाबाद	300.00
2.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र चेन्नई	300.00
3.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र इलाहाबाद	300.00
4.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र ग्वालियर	300.00

कोबाल्ट स्कीम के अधीन गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान मंजूर करने की योजना बंद कर दी गई है और इसका आंकोलॉजी स्कंध का विकास योजना के साथ विलय कर दिया गया है। इसलिए गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष के दौरान कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना के लिए कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया था।

2004-5*	लाख रुपये में
1. मालाबार कैंसर, कालीकत (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के जरिए)	2.00
2. मौलाना सज्जद, पटना (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के जरिए)	2.50
3. सर्वजन कल्याण, इलाहाबाद (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के जरिए)	2.50
4. एल ए एम पी, कोलकाता (क्षत्रीय कैंसर केन्द्र के जरिए)	1.50
5. लोकमान्य, हॉस्पिटल, पुणे (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के जरिए	2.00
6. डा. वेंकटराव डावले फाउंडेशन, लातूर (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के जरिए)	2.50

*सहायता अनुदान गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय कैंसर निवंत्रण कार्यक्रम के अधीन "स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर का शुरू में पता लगाना" परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरी और अंतिम किस्त। इस स्कीम को बन्द कर दिया था और इसका जिला कैंसर नियंत्रण के साथ विलय कर दिया गया।

2005-06*

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, अहमदाबाद जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए	15,00,748/-

2006-07*	लाख रुपए में
1. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, अहमदाबाद	500.00
2. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, इलाहाबाद	500.00

*सहायता अनुदान "मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन" नामक नई योजना के अधीन प्रदान किया गया था।

2006-07

*क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, अहमदाबाद	6,99,252/-

*जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना के लिए सहायता अनुदान की पहली किस्त का बकाया

एड्स से हुई मृत्यु पर शव-परीक्षा संबंधी अध्ययन

2825. श्री एल. राजगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रांट मेडिकल कालेज द्वारा एड्स से हुई मृत्यु की शव परीक्षाओं पर आधारित अध्ययन की रिपोर्ट सही है कि एड्स रोगियों के कमजोर प्रतिरक्षण प्रणालियों के माध्यम से संक्रामक रोग पनप रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सर जे. जे. अस्पताल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुम्बई में एच आई वी/एड्स रोगियों के शव परीक्षण पर आधारित एक अध्ययन से उनमें टी बी, सी एम वी संक्रमण, टोक्सोप्लासमोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, न्यूमोसाइटिस कारिनी (जेरोवेकी) न्यूमोनिया और क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस आदि रोगों के होने का पता चला है।

(ग) सरकार राज्यों को सरकारी अस्पतालों में समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार के लिए अपेक्षित दवाओं के प्रापण और पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार के लिए सामुदायिक परिचर्या केंद्रों को भी सहायता अनुदान दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन

2826. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसे पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के बीच यह भावना व्यापक रूप से व्याप्त है कि सदस्यता के स्थायी और अस्थायी दोनों ही श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसका विस्तार संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया का अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संघटन में सामयिक वास्तविकताएं परिलक्षित होनी चाहिए और विकासशील देशों का और अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र वाद-विवादों और सुरक्षा परिषद के वास्तविक सुधार को अंजाम देने के लिए अन्य सदस्य राज्यों के साथ सक्रियता से जुड़ा हुआ है।

नैदानिक और उपचार संबंधी प्रौद्योगिकियों हेतु समझौता

2827. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने मलेरिया, तपेदिक और एच आई वी जैसे रोगों का उपचार करने हेतु कम लागत वाली नैदानिक और उपचार संबंधी प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(घ) इससे दोनों देशों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार ने 7 जून, 2005 को संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च नियंत्रण वाली प्रयोगशालाओं और उच्च जोखिम वाले वायरस तथा वैक्टीरिया की सुरक्षित हैण्डलिंग के कार्य में क्षमता सृजन, रिपोजिटरीज को विकसित करने तथा परिष्कृत करने, नए रोगजनकों का निर्धारण करने के लिए क्षमता को सुदृढ़ करना शामिल है। दिनांक 16 अक्तूबर, 2007 को अमरीका, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बीच हस्ताक्षरित सहयोग संबंधी कार्यान्वयन योजनाओं में दोनों देशों के बीच घटित होने वाले और पुन: घटित होने वाले संक्रामक रोगों तथा रोग निगरानी के संबंध में सहयोग की व्यवस्था है। इन योजनाओं में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अनुसंधान और संक्रामक रोग प्रयोगशाला सुविधाओं के नियोजन एवं डिजाइन, एवियन इन्फ्लूएंजा अनुसंधान प्रशिक्षण आदान-प्रदान तथा जैव चिकित्सीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोगी अनुसंधान की परिकल्पना की गई है।

(घ) दोनों देशों के बीच भागीदारी से वैज्ञानिक खोज, नवीनतम अनुसंधान और मौजूदा अनुसंधान सहयोग को पुन: प्रवृत्त करने के संयुक्त प्रयासों, वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास प्रयासों में बढ़ोतरी होगी जो घटित होने वाले तथा पुन: घटित होने वाले संक्रामक रोगों से संबद्ध जांचों/अध्ययनों में सहायक होंगे।

जीवन शैली के कारण होने वाले रोग

2828. डा. के.एस. मनोज:
श्री निखिल कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों में वृद्धि पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उभरती जन स्वास्थ्य समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार गैर संचारी रोगों के समय रूझान के संबंध में देश में कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं। विभिन्न रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि 10-15% वयस्क अतिरक्तचाप से पीड़ित होते है; लगभग 8 लाख व्यक्ति कोरोनरी हृदय रोग से मर जाते हैं और 6 लाख से अधिक लोग आघात से मर जाते हैं। भारत में करीब 20 लाख कैंसर रोगी हैं और प्रति वर्ष लगभग 7 लाख नए रोगी हो जाते हैं। विगत दशकों के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्यक्रमों में जीवनशैली संबंधी प्रमुख गैर-संचारी रोगों पर बल दिया गया था। अनुमान लगाया गया था कि 2004 में भारत में आई एच डी के 22.4 मिलियन रोगी थे और 16 मिलियन अशक्तता समायोजित आयु वर्ष अरक्ताजन्य (इस्केमिक) हृदय रोग के कारण नष्ट हो गए थे। यह भी अनुमान लगाया गया था कि आघात के कारण 9.3 लाख रोगी एवं 6.3 लाख मौतें हुई थीं। 2004 के दौरान 37.8 लाख मधुमेह रोगियों के होने का अनुमान था और लगभग 2.3 लाख वर्षों का प्रबल जीवन बर्बाद हुआ। 2004 के दौरान कैंसर के 8 लाख मामलों का अनुमान था और लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों की कैंसर के कारण मृत्यु हुई। कैंसर की घटना दर की जानकारी आई सी एम आर के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियाशील जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्री के माध्यम से उपलब्ध होती है। इन रजिस्ट्रियों में कैंसर की घटनाओं के रूझान का मूल्यांकन करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के प्रारंभिक परिणाम चेन्नई और भोपाल में कैंसर की घटना दर में वृद्धि को दर्शाते हैं। आई सी एम आर के दो अध्ययन शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के तीन बड़े शहरों, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ में "शहरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और सेवा आवश्यकताएं" विषय पर टास्क फोर्स के अध्ययन ने तनाव, अल्कोहल और किशारावस्था शोषण से संबंधित समस्याओं को उजागर किया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। हाल ही में ,सी वी डी, मधुमेह और आघात रोकथाम और नियंत्रण के लिए वर्तमान वर्ष (2007-08) में प्रायोगिक चरण में क्रियान्वित किए जाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है।

कायेले की संयुक्त खोज

2829. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने कोयले की संयुक्त खोज के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल आरंभ करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयुक्त उद्यम के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में लगभग 750 मि. ट. के अनुमानित कोयला भंडार वाले मच्छाकाटा तथा महानदी नामक दो कोयला ब्लाकों को संयुक्त रूप में 2005 में महाराष्ट्र पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. (महाजेनकों) तथा गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि. (जी एस ई सी एल) को आबंटित किए गए थे। आबंटन पत्र के निबंधनों के अनुसार, महाराष्ट्र पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. तथा गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि. ने संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात महागुज कोलियरीज लि. का निर्माण किया है जो इन ब्लाकों के विकास की योजना तैयार करेगी। इस प्रकार उत्खनित किए गए कोयले को महाजेनकों के लिए 60% तथा जी एस ई सी एल के लिए 40% के अनुपात में शेयर किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कंपनी, महागुज कोलियरीज लि. उपर्युक्त ब्लाकों के विकास के लिए अपेक्षित पूंजी की व्यवस्था करेगी।

हाल में दो कोयला ब्लाक अर्थात बैतरणी वेस्ट और नैनी संयुक्त रूप से गुजरात सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य आबंटितियों को आबंटित किए गए हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं और इन कोयला ब्लाकों को आबंटिती पी. एस. यू. द्वारा निर्मित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा विकसित भी किया जाएगा:

ब्लाकों के नाम		आबंटितियों के नाम
बैतरणी वेस्ट	(i)	गुजरात पावर कारपोरेशन लि.
	(ii)	उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
	(iii)	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
नैनी	(i)	गुजरात मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन
	(ii)	पांडिचेरी इंडिस्ट्रियल प्रोमोशन डेवलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (पी आई पी एस डी सी आई एल)

अन्तरद्वीपीय संपर्क

2830. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरद्वीपीय संपर्क की घटिया स्थिति की वजह से लोगों के लिए समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(घ) क्या सरकार का विचार पड़ौसी देशों के साथ फेरी लिंक सेवा आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) इस समय, 2X100 यात्री-जलयानों से, लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र में अंतर-द्वीप संपर्क कायम किया गया है। अनुतट यात्रा के दौरान अंतर-द्वीप संपर्क के लिए द्वीप-मुख्यभूमि क्षेत्र में चलने वाले 05 जलयानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मई से सितम्बर तक मानसून की अवधि के दौरान, सभी अच्छे मौसम में चलने वाले और अंतर-द्वीप जलयानों को सेवा से हटा लिया जाता हैं अत: अंतर-द्वीप यात्री, मुख्य रूप से सभी मौसम में चलने वाले दो जलयानों पर निर्भर करते हैं। मानसून की अवधि के दौरान, किसी अन्य परिवहन की अनुपलब्धता के कारण, सभी आबादी वाले द्वीपों के साथ राजधानी द्वीप, कावारत्ती को जोड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवा भी संचालित की जाती है। अच्छे, मौसम के दौरान, सभी जलयान का संचालन होता है और तदनुसार, अंतर-द्वीप क्षेत्र में यात्रियों के आने-जाने में अधिक कठिनाई नहीं होती है।

लक्षद्वीप क्षेत्र में दीर्घकालिक पोत-परिवहन-सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, पी एम जी एस वाई योजना के अंतर्गत, 15 वर्षीय साक्षेप महत्व की योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 06 यात्री जलयान और उच्चगति के 04 अंतर-द्वीप यात्री जलयानों की खरीद हेतु सिफारिश की गई है। इसमें से, 3x150 और 1x15 यात्री जलयानों को इस वर्ष सुपुर्द कर दिया गया है। 3x50 यात्री जलयानों का निर्माण, पूरा हो गया है और इन्हें दिसम्बर, 2007 तक सुपुर्द किए जाने की आशा है। मैसर्स कोलम्बो डॉकयार्ड लिमिटेड से 2×250 यात्री और 100 एम टी जहाजी माल के जलयान के निर्माण के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ठेके के अनुसार, उपर्युक्त जलयान, क्रमश: 02 जनवरी, 2010 तथा 02 जुलाई, 2010 तक सुपुर्द किए जाने हैं। 400 यात्रियों का एक और जलयान खरीदे जाने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में इस समय, अंतर-द्वीप क्षेत्र में 05 जलयान चल रहे हैं। द्वीपों के दक्षिणी समूह के लिए यात्रा की आवृत्ति को विगत में एक महीने में औसत 3 बार से बढ़ाकर वर्तमान में एक महीने में औसत 6 से 9 बार तक कर दिया गया है। तटाग्र क्षेत्र में 16 जलयानों द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं और पहले की तुलना में यात्रा की आवृत्ति बढ़ा दी गई है।

सरकार को इस क्षेत्र में बढ़े हुए यात्रियों के यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेड़े के आकार को बढ़ाने की आवश्यकता की जानकारी है। 04 नए जलयान विभिन्न शिपयार्डों में निर्माणधीन हैं, जिनमें से जलयान, निर्माण कार्य पूरा होने की अवस्था में हैं और इन्हें वर्ष 2008 में कभी भी सेवा में शामिल किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, बढ़े हुए यातायात के प्रवाह को पूरा करने हेतु हाल ही में अंतर-द्वीप क्षेत्र में 04 जलयानों तथा तटाग्र क्षेत्र में 03 जलयानों की खरीद की सिफारिश की गई है।

(घ) और (ङ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

[हिन्दी]

बीयर की तस्करी

2831. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री वलपत सिंह परस्ते:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में विशेषकर चीन और पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर बीयर की तस्करी की जा रही है जैसा कि दिनांक 20 अगस्त, 2007 के 'लोकमत' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं। भालू के ऐसे मामलों की विदेशों में तस्करी के संबंध में केन्द्र सरकार के ध्यान में कोई बात नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2832. डॉ. अरूण कुमार शर्मा: क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एन ई आर ए एम ए सी) और नॉर्थ ईस्टर्न हेण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हेण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन ई एच एच डी सी) जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपक्रमों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य संगठन बनाने संबंधी प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पी एस यू) अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) तथा उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम (एन ई एच एच डी सी) अपनी शुरूआत से ही हानि में चल रहे हैं। हम निगमों द्वारा सोचे गए तथा आरंभ किए गए उपाय जिन्हें कि मंत्रालय द्वारा व्यवहार्य रूप दिया जाना है, इस प्रकार हैं:

नेरामेक

- नेरामेक द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की संख्या तथा मात्रा में बढ़ोतरी करना ताकि, उचित प्रतिफल प्राप्त हो सके तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से प्रबंधन द्वारा अग्र सक्रिय भूमिका निभाना

- स्वसहायता समूहों, किसान सहकारिताओं/समितियों आदि के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) करके व्यापारिक वस्तुओं तथा प्रसंस्करण क्रियाकलापों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बैकवर्ड लिंकेजिस को सुदृढ़ करना।

- समझौता ज्ञापनों के माध्यम से कच्चे कृषि-बागवानी उत्पादों तथा प्रसंस्कृत उत्पादों के क्रेताओं के साथ फारवर्ड लिंकेजिस सुदृढ़ करना।
- मौजूदा जनशक्ति को तर्कसंगत बनाना तथा निगम में पेशेवरों तथा विशेषज्ञों को शामिल करना।
- अनानास रस संकेद्रण संयंत्र, नलकाटा में विविधता लाना ताकि अनानास रस संक्रेंदण के अतिरिक्त अन्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सके तथा यूनिट को तब तक परिचालित रखा जाए जब तक कि पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है।
- बिरनीहाट, मेघालय में अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को पूर्ण रूप से परिचालित करना।
- मनकाचर, असम में काजू प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करना।
- नेरामेक के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी का प्रबंध कर लिया गया है (ताकि इसके कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाया जा सके)।

एन.ई.एच.एच.डी.सी

- वेबसाइट की लॉचिंग, डिजाइनों के विकास, क्रेता-विक्रेता मिलाप तथा एन ई एच एच डी सी के प्रबंधन की तरफ से और अधिक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाने सहित विभिन्न साधनों के माध्यम द्वारा उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा के उत्साही विपणन पर बल देना।
- मौजूदा शोरूमों का नवीकरण।
- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिसर की सहायता से गुवाहाटी में बांस तथा लकड़ी आधारित उत्पादों के लिए एक साझा सुविधा केंद्र की क्रियाशील बनाना।
- मौजूदा जनशक्ति को तर्कसंगत बनाना तथा निगम में पेशवरों तथा विशेषज्ञों को शामिल करना।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में यह सारे उपाय हाल ही में आरंभ किए गए हैं तथा निगमों को इसके परिणाम दिखाने में कुछ समय लग जाएगा।

[हिन्दी]

अधिकारियों के विरूद्ध सी.बी.आई. जांच

2833. श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक सी.बी.आई. ने उप सचिव से ऊपर के रैंक के कितने अधिकारियों के विरूद्ध जांच की अनुमति मांगी हैं;

(ख) कितने मामलों में अनुमति दी गई है;

(ग) कितने मानकों में मंत्रालय-वार/विभाग-वार अनुमति प्रदान नहीं की गई; और

(घ) जांच की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004,2005,2006 और 2007 (31.10.2007 तक) के दौरान संयुक्त सचिव स्तर के और उससे ऊपर के स्तर के 103 अधिकारियों के संबंध में डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6क के अंतर्गत अनुमति मांगी है। 77 अधिकारियों के संबंध में अनुमति दे दी गई है और 13 अधिकारियों के संबंध में अनुमति देने से इंकार किया गया है। उन मामलों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनमें अनुमति प्रदान नहीं की गई।

(घ) संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले की जांच-पड़ताल अलग-अलग की जाती है और गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिनसे अनुमति मांगी गई	उन अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में अनुमति मांगी गई थी
1.	कोयला मंत्रालय	2
2.	वित्त मंत्रालय	4
3.	स्वास्थ्य मंत्रालय	1
4.	कपड़ा मंत्रालय	1
5.	इस्पात मंत्रालय	1
6.	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2
7.	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	1

14वां दक्षेस शिखर सम्मेलन

2834. श्री महावीर भगोरा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 2007 में संपन्न हुए 14वें दक्षेस (सार्क) शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों और भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या फायदे होने की संभावना है;

(ग) क्या भारत का विचार दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और उक्त विश्वविद्यालय कहां स्थित होगा एवं इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ) 3-4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोज किया गया जो कि कई मामलों में एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार थे:-

* पहली बार अपने इतिहास में सार्क ने अपने आठवें सदस्य के तौर पर अफगानिस्तान का स्वागत किया। फिर पहली ही बार पांच प्रेक्षकों-चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं ने ईरान को प्रेक्षक बनाने का भी निर्णय लिया।

* शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के संवर्धन हेतु समग्र और दूरदर्शी घोषणा की गई। इसमें आपस में जुड़े हुए ऐसे दक्षिण एशिया के सार्क देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के सामूहिक लक्ष्य पर बल दिया गया है जहां लोगों, माल, सेवाओं और विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान हो।

* इस बात को मान्यता प्रदान की गयी कि अपने अस्तित्व के तीसरे दशके में सार्क को घोषणात्मक से क्रियान्वयन चरण में लाने की आवश्यकता थी। सार्क का मुख्य उद्देश्य सहयोगात्मक परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा जो इस क्षेत्र की जनता को ठोस लाभ पहुंचाएगा। इस संदर्भ में सार्क देशों ने स्वयं सार्क विकास निधि (एस. डी.एफ.) का शीघ्र प्रयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

* अंतर-क्षेत्रीय संपर्क, विशेषकर भौतिक, आर्थिक और जनता का जनता से संपर्क में सुधार करने के लिए सहमति व्यक्त की गयी। एकीकृत क्षेत्रीय बहु-विधिक परिवहन प्रणाली के पूर्ण लाभों को माना गया। इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि सार्क क्षेत्रीय बहु-विधिक परिवहन प्रणाली को विस्तार अफगानिस्तान तक होगा। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गयी कि संपर्क में सुधार हेतु पायलट परियोजनाओं का निर्धारण और क्रियान्वयन किया जाएगा।

* शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और सार्क फूड बैंक की स्थापना पर दो महत्त्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर हुए। फूड बैंक, आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के समय में क्षेत्र की खाद्य सामग्रियों में कमी को सामूहिक रूप से पूरा करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का एक ज्वलंत मॉडल है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

* इस बात पर सहमति हुई कि साफ्टा सार्क के सामूहिक प्रयासों के सर्वाधिक सफल परिणामों में से एक है। इसकी पूर्ण संभाव्यता के दोहन हेतु साफ्टा को सेवाओं में व्यापार का एकीकरण करना चाहिए। व्यापार सुविधाकरण उपायों के क्रियान्वयन के महत्व पर भी बल दिया गया।

* सार्क देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जल, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और आंतकवाद के विरूद्ध युद्ध के क्षेत्रों में साथ-साथ कार्यपद्धति का निर्धारण करने के लिए सहमत थे।

* सार्क देशों ने आतंकवाद का सामना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर करार को अंतिम रूप देने के लिए भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

2. 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन से सार्क घोषणात्मक चरण से क्रियान्वयन चरण में विशेषकर सार्क विकास निधि और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय आरंभ होने के उपरांत आगे बढ़ेगा। इन निर्णयों का आशय अंतरक्षेत्रीय व्यापार और निवेश में संवर्धन, करना; राष्ट्रपारीय अपराधों विशेषकर आतंकवाद, स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों और महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों में सहयोग संवर्धन; जनता के जनता से बढ़े हुए संपर्क के माध्यम से पारस्परिक समझ में बढ़ोत्तरी और क्षेत्र के भीतर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और यात्रा का प्रवर्तन शामिल है। शिखर सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर भारत की मेजबानी में आयोजित परिवहन, गृह और वित्त पर तीन मंत्रिस्तरीय बैठकों से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग में बढ़ोत्तरी हुई है। भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे सार्क सांस्कृतिक उत्सव और सार्क छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम से जनता का जनता से संपर्क में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

लौह एवं आयोडीन अल्पता की समस्या

2835. श्री जी.एम. सिद्वीश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 300 मिलियन से ज्यादा लोग लौह अल्पता से पीड़ित हैं जबकि लगभग 170 मिलियन लोग आयोडीन से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III(2005-06) के अनुसार देश की जनसंख्या में रक्ताल्पता की व्याप्तता निम्नलिखित हैं:

बच्चे (6-59 माह)	69.5%
महिलाएं	55.3%
पुरूष	24.2%

आयोडीन अल्पता विकारों के संबंध में अनुमान लगाया गया है कि 71 मिलियन लोग घेघा एवं अन्य आयोडीन अल्पता विकारों से ग्रस्त हैं।

(ग) लौह अल्पता एवं आयोडीन अल्पता विकारों के संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रक्ताल्पता एवं आयोडीन अल्पता विकारों को रोकने के उपाय

1. भारत सरकार ने गुणवत्तावाली स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता तथा पहुंच को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इस मिशन के अंतर्गत रक्ताल्पता नियंत्रण के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर सी एच-II) में सभी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों के लिए आयरन तथा फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि नवजात शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों तथा किशोर लड़कियों को भी ये संपूरक दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने की सलाह दी गई है जहां रक्ताल्पता रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की जाती है। इसके अलावा, अन्य सुक्ष्मपोषक तत्वों की कमी जैसे कि आयोडीन अल्पता एवं विटामिन ए की कमी को भी नियंत्रित करने के उपायों पर बल दिया जाता है।

स्तनपान एवं आहार संबंधी विविधता के संवर्धन सहित जागरूकता बढ़ाने तथा आहार संबंधी पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के जरिए पोषण शिक्षा की हिमायत की जाती है।

2. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार-नियंत्रण कार्यक्रम-इस कार्यक्रम में सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीन-युक्त नमक की आपूर्ति की परिकल्पा की गई है। लोगों में पौषणिक आयोडीन अल्पता की समस्या पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने सीधे मानवीय उपभोग के लिए आयोडीनयुक्त नमक को छोड़कर अन्य नमक की बिक्री को प्रतिबन्धित कर दिया है। लोगों द्वारा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा सूचना, शिक्षा एंव सम्प्रेषण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई डी डी नियंत्रण सेलों, आई डी डी मानीटरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, सर्वेक्षेणों, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति का अनुपालन

2836. श्री रामदास आठवले:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण नीति कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिकारिक निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण की नीति, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा लागू की जाती हैं।

(ग) आरक्षण नीति की यथावत अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों में, विभागाध्यक्षों के नियंत्रण में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

[अनुवाद]

वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

2837. श्री असावूद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा वनरोपण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान 18.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनारोपण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमियों के पुनरूदव के लिए वन प्रभाग स्तर पर व विकास एजेंसी (एफ डी ए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जे एफ एम सी) की द्वि-स्तरीय व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए पौदरोपण के रखरखाव सहित राष्ट्रीय वनीकरण योजना स्कीम के अन्तर्गत 773.87 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 की मद 16 ख: "शामिल क्षेत्र (पौदरोपण के अन्तर्गत)–सार्वजनिक और वन भूमियों" के अन्तर्गत 2006-07 के दौरान वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य 18.70 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया था और जिसकी तुलना में उपलब्धियां 16.56 लाख हेक्टेयर थीं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है। कुछ राज्य और संघ शासित क्षेत्र निधियों और पौद की समयबद्ध उपलब्धता और वृक्षारोपण के लिए अभिनिर्धारित भूमियों सहित विभिन्न कारणों से लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 की-मद 16 ख: "शामित क्षेत्र (पौदरोपण के अन्तर्गत-सार्वजनिक और वन भूमियां)"

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	275000	418479	152
2.	अरूणाचल प्रदेश	10000	10116	101
3.	असम	10000	9663	97
4.	बिहार	10000	8758	88
5.	छत्तीसगढ़	125000	131209	105
6.	गोवा	1000	479	48
7.	गुजरात	100000	109456	109
8.	हरियाणा	30000	17553	59
9.	हिमाचल प्रदेश	30000	30071	100
10.	जम्मू और कश्मीर	35000	12530	36

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	100000	33233	33
12.	कर्नाटक	75000	59761	80
13.	केरल	20000	4353	22
14.	मध्य प्रदेश	230000	233104	101
15.	महाराष्ट्र	100000	39844	40
16.	मणिपुर	10000	5369	54
17.	मेघालय	6000	107	2
18.	मिजोरम	8500	5197	61
19.	नागालैण्ड	25000	5556	22
20.	उड़ीसा	75000	48021	64
21.	पाण्डिचेरी	100	192	192
22.	पंजाब	25000	3065	12
23.	राजस्थान	80000	83863	105
24.	सिक्किम	15000	3550	24
25.	तमिलनाडु	150000	148812	99
26.	त्रिपुरा	17000	7589	45
27.	उत्तराखण्ड	145000	149702	103
28.	उत्तर प्रदेश	50000	59218	118
29.	पश्चिम बंगाल	110000	15382	14
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2000	1081	54
31.	चण्डीगढ़	150	181	121
32.	दादरा एवं नगर हवेली	200	218	109
33.	दमन एवं दीव	30	15	50
34.	लक्षद्वीप	20	0	0
	सकल योग	1870000	1655727	89

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय हेतु केन्द्रीय पूल कोष

2838. श्री तापिर गाव: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, केन्द्रीय पूल कोष पर आश्रित है जिसे वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राज्य वार बजटीय आबंटन किस प्रकार का है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की मुख्य योजनागत स्कीम, अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का निधियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नेशनल केंद्रीय संसाधन पूल से किया जाता है। वित्त मंत्रालय इस पूल की स्कीमों के लिए बजटीय आबंटन उपलब्ध कराता है। वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्रालय की इस स्कीम के तहत 2007-08 के लिए 600 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। इस पूल के सृजन के प्रारंभिक चार वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2001-2002 के लिए पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के लिए उपलब्ध निधियों को भी इस पूल से प्राप्त किया गया था। इस प्रक्रिया को 2002-2003 से बंद कर दिया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया कुल योजनागत बजट 1380.00 करोड़ रु. है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया कुल योजनागत बजट 1380.00 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्रालय की अन्य योजनागत स्कीमों के लिए बजटीय प्रावधान नियमित वजह से किया जाता है। इन अन्य स्कीमों के नाम तथा 2007-08 के लिए किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं:

	स्कीम का नाम	2007-2008 के लिए आबंटन (ब. अ.) (करोड़ रुपये में)
1.	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	600.00
2.	बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	100.00
3.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) के लिए ऋण	60.00
4.	तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण	12.00
5.	विज्ञापन एवं प्रचार	6.50
6.	उत्तर पूर्व में अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास	1.49
7.	उत्तर पूर्वी राज्यों में शहरों एवं सड़कों का विकास	0.01

किसी भी स्कीम के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

अवसंरचना में सुधार हेतु योजना

2839. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़कों, रेलवे, पत्तनों, विमानपत्तनों, दूरसंचार एवं सूचना के विस्तार के लिए लगभग 20,18,709 करोड़ रुपये की लागत से अवसंरचना में सुधार के लिए एक व्यापक योजना की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो संघटक क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अवसंरचना संघटक क्षेत्र के लिए कितना आबंटन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क, रेलवे, पत्तन, हवाई अड्डों, दूर-संचार सूचना जैसी अवसंरचना में सुधार हेतु निवेश आवश्यकता एवं आबंटन निर्धारित नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार के बारे में सी.बी.आई. के विचार

2840. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए सरकारी विभागों में स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त करने में इससे कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 21(1) के अंतर्गत सरकार को भेजे गए अपने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विनियमावली के प्रारूप में एक प्रावधान शामिल किया है, जिससे आयोग जटिल स्वरूप के तकनीकी विषयों से जुड़ी कतिपय शिकायतों/मामलों की जाँच-पड़ताल/अन्वेषण का कार्य, किसी विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों की एक समिति को सौंप सके। ऐसे विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों की समिति का चयन जिसके तहत सतर्कता के क्षेत्र में अथवा जांच/अन्वेषण के लिए अपेक्षित शिकायत की विषय-वस्तु के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और कौशल की क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

अवक्रमित वनों का आकलन करने वाली पद्धति

2841. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में अवक्रमित वन भूमि के क्षेत्रफल का आकलन करने वाली कोई पद्धति है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में राज्य-वार अवक्रमित वन भूमि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई) अवक्रमित वन भूमि का आकलन नहीं करता लेकिन उस वनावरण का द्विवार्षिक रूप में आकलन करता है जो विभिन्न घनत्व की श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं। अद्यतन वन रिपोर्ट (2003) के अनुसार, देश का खुला वन और झाड़ियां क्रमश: 287,769 वर्ग किलोमीटर और 40,269 वर्ग किलोमीटर हैं, कुल 328,038 वर्ग किलोमीटर है जिसे अवक्रमित वन के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार राज्यवार खुला वन और झाड़ियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	खुला वन	झाड़ियां	खुले वन+झाड़ियां
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	275,069	20,040	9,748	29,788
अरूणाचल प्रदेश	83,743	14,508	116	14,624
असम	78,438	14,784	219	15,003
बिहार	94,163	2,531	150	2,681
छत्तीसगढ़	135,191	17,018	88	17,106
दिल्ली	1,483	118	1	119
गोवा	3,702	901	0	901
गुजरात	190,022	8,601	1,743	10,344
हरियाणा	44,212	997	68	1,065
हिमाचल प्रदेश	55,673	5,377	389	5,766
जम्मू-कश्मीर	222,236	10,770	2,947	13,717
झारखंड	79,714	11,035	807	11,842
कर्नाटक	191,791	13,988	3,141	17,129
केरल	38,863	5,949	72	6,021
मध्य प्रदेश	308,245	34,586	2,378	36,964
महाराष्ट्र	307,713	18,478	4,175	22,653
मणिपुर	22,327	10,681	74	10,755
मेघालय	22,429	10,348	169	10,517

1	2	3	4	5
मिजोरम	21,081	10,942	274	11,216
नागालैण्ड	16,579	7,902	231	8,133
उड़ीसा	155,707	20,196	5,346	25,542
पंजाब	50,362	837	22	859
राजस्थान	342,239	11,330	4,564	15,894
सिक्किम	7,096	900	360	1,260
तमिलनाडु	130,058	10,636	2,040	12,676
त्रिपुरा	10,486	3,047	1	3,048
उत्तर प्रदेश	240,928	8,122	749	8,871
उत्तरांचल	53,483	6,043	320	6,363
पश्चिम बंगाल	88,752	6,298	75	6,373
अंडमान-निकोबार	8,249	680	1	681
चण्डीगढ़	114	6	1	7
दादरा-नगर हवेली	491	80	-	80
दमन एंव दीव	112	6	-	6
लक्षद्वीप	32	11	-	11
पान्डिचेरी	480	23	-	23
कुल	3,287,263	287,769	40,269	328,038

लेखा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन

2842. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की लेखा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का है जैसा दिनांक 17 नवम्बर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना लेखा पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुधार प्रस्ताव को ग्यारहवीं योजना दस्तावेज प्रारूप में शामिल किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पर्यावरण सांख्यिकी प्रकोष्ठ का गठन

2843. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों ने पर्यावरण सांख्यिकी प्रकोष्ठ का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने 'पर्यावरण स्थिति (एस. ओ. ई.)' रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो सभी राज्यों द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) सात राज्यों नामशः आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और उत्तराखंड ने अब तक पर्यावरण सांख्यिकीय सेल की स्थाना कर ली है।

(ग) से (ङ) जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के अलावा अब तक तैंतीस राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने 'पर्यावरण स्थिति' रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

बांस की तस्करी

2844. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर बांस की तस्करी की वजह से सरकार को राजस्व की हानि हुई है जैसाकि दिनांक 13 अक्तूबर, 2007 के 'दैनिक भास्कर' के नागपुर प्रकाशन में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना

2845. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय विद्युत परियाजनाओं को पूरा करने में लागत एवं समय आधिक्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 को, अनुमोदित कार्यक्रम से पहले और अनुमोदित लागत में बचत के साथ, वर्ष 2006 में पूरा कर लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में ऑटो और खाद्य कलस्टर परियोजनाएं

2846. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ऑटो और खाद्य कलस्टरों के प्रस्तावों को अनुमोदन देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी हां, संघ सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(ग) 1. गुलबर्ग में महिला उद्यमियों के लिए खाद्य कलस्टर की स्थापना।

(i) भारत सरकार से सहायता -15.70 लाख

(ii) राज्य सरकार एवं एस पी योगदान–7.30 लाख

(iii) कुल परियोजना लागत–23.00 लाख

2. हुबली, धारवाड़ आटो कलस्टर में सी एफ सी की स्थापना।

(i) भारत सरकार से सहायता–339.50 लाख

(ii) राज्य सरकार एवं एसपीवी योगदान–145.50 लाख

(iii) कुल परियोजना लागत–485.00 लाख

जेएलएनपी में नौवहन सुविधाएँ

2847. श्री किसनभाई वी. पटेल क्या पोत परिवहन, **सड़क-परिवहन राजमार्ग-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर गहरी नौवहन सुविधाओं का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना हैं;

(घ) इन सुविधाओं के विकास के बाद जेएनपीटी जहाजों को किस सीमा तक संभाल पायेगा; और

(ङ) इन सुविधाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर बालू): (क) से (ग) सरकार ने 800 करोड़ की अनुमानित लागत पर मुंबई हार्बर चैनल और जवाहरलाल नेहरू पत्तन चैनल को गहरा और चौड़ा किया जाने की परियोजना को अनुमोदित किया है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना को कार्यादेश जारी करने की तारीख से 27 महीनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिए जाने की आशा है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर, यह पत्तन, 6000 ट्वन्टी फीट इक्वीलैंट यूनिट क्षमता के 14 मीटर के ड्राबाव की अपेक्षा वाले कंटेनर जलयानों को संभालने में सक्षम हो जाएगा।

[हिन्दी]

नौकरशाहों के विरुद्ध सतर्कता मामले

2848. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च नौकरशाहों के विरुद्ध विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए सतर्कता/भ्रष्टाचार मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध उपर्युक्त अवधि के दौरान आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004, 2005, 2006 और 2007 (31.10.2007 तक) के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों आदि के संयुक्त सचिव स्तर के तथा इससे ऊपर के स्तर के 86 अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

(ख) इसी अवधि के दौरान 42 अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

(ग) व्यक्तिगत मामलों में जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून और/अथवा संगत अनुशासनिक नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

वेबसाइटों पर अनिवार्य रूप से सूचना दर्शाना

2849. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियम से एक सौ बीस दिनों के भीतर धारा 4(ख) में उल्लिखित प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के लिए अपने विभाग की वेबसाईट पर अपना ब्यौरा दर्शाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भण्डार ने आर. टी. आई. एक्ट, 2005 के अंतर्गत अनिवार्य उक्त ब्यौरे को अपनी वेबसाईट पर नहीं दर्शाया हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण, अपने संगठन के विवरण, कार्यों और कर्तव्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों इत्यादि के अधिकारों और कर्तव्यों को, इस अधिनियम के अधिनियम के 120 दिन के भीतर प्रकाशित करवाए।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के संबंध में सूचना, अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है।

ऑपरेशन गज

2850. डा. बाबू राव मिडियम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के गजपति जिले में अभ्यारण्य में 'ऑपरेशन गज' के पश्चात् दो हाथी मर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, दो हाथियों को पकड़कर आंध्र प्रदेश से स्थानान्तरित कर उड़ीसा के लखारी अभयारण्य में छोड़ने के बाद एक हाथी की मौत हो गई। उड़ीसा सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में हाथी की मौत का कारण उसे पकड़ने एंव स्थानान्तरण की अवधि में हुए अभिघात को माना गया है।

(ग) तभी से हाथियों को पकड़ने एवं स्थानान्तरण की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है।

क्षयरोग उन्मूलन

2851. श्री निखिल कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षयरोग उन्मूलन हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता अपर्याप्त पाई गई है जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी निवेश के बावजूद देश में क्षयरोग के रोगियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्षयरोग के उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में देश में क्षयरोग के कितने प्रतिशत रोगियों का उपचार किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) विश्व बैंक को प्रस्तुत संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम II परियोजना के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा उनकी परियोजना कार्यान्वयन योजना में प्रार्थित राशि विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और संशोधित नियंत्रण कार्यक्रम II परियोजना का कुल परिव्यय अक्तूबर 2006 से सितम्बर 2011 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 170 मिलियन यू एस डालर है।

(ग) और (घ) जी, नहीं, वरन इसके विपरीत देश में क्षय रोगियों के मामलों एवं व्याप्तता से कमी का रूझान प्रदर्शित हो रहा है।

* ए. आर. टी. आई. 2000 में 1.7% से कम हो कर 2003 में 1.5% हो गया हैं (राष्ट्रीय ए आर टी आई सर्वेक्षण)।

* प्रति लाख जनसंख्या पर सभी रोगियों की अनुमानित घटना 2001 में 184/लाख से कम हो कर 2006 में 168/लाख हो गई है (विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षयरोग रिपोर्ट)।

* क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई ने बताया है कि विगत 30 वर्षों की तुलना में डाट्स से क्षयरोग की व्याप्तता में तेजी से कमी आई है। उनके स्थानीय सर्वेक्षण क्षेत्र में क्षयरोग की 12% की वार्षिक कमी आई है।

क्षयरोग के कारण होने वाली मृत्यु की दरें 1990 में 42/लाख जनसंख्या से कम हो कर 2005 में 29/लाख जनसंख्या हो गई हैं (विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट)।

(ङ) और (च) 'डाट्स' के रूप में व्यापक तौर पर ज्ञात संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति हैं, पूरे देश में 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों में 85% की रोग मुक्ति दर हासिल करना तथा ऐसे रोगियों में कम-से-कम 70% का पता लगाना है।

क्षय को नियंत्रित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग के जरिए गुणवत्तायुक्त डाट्स सेवाओं का उन्नयन एवं विस्तार; राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के समन्वय से पूरे देश में क्षय-एच आई वी सहयोगात्मक कार्याकलापों का विस्तार; एम डी आर क्षयरोग का निदान एंव उपचार करने के लिए डाट्स प्लस सेवाओं की शुरूआत; कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता योजनाओं के जरिए सभी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की भागीदारी तथा आवश्यकता-आधारित लक्षित सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों के जरिए जागरूकता बढ़ाने सहित नई वैश्विक क्षयरोग रोकथाम कार्यनीति के सभी घटकों को अपनाया गया है और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत, क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित निदान और उपचार सुविधाएं सभी क्षयरोगियों को मुफ्त प्रदान की

जाती हैं। क्षयरोगियों को रोगीवार डब्बों में दवाएं/औषधें देकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपचार की पूरी अवधि की सभी औषधें इस कार्यक्रम के तहत उपचार हेतु रोगी को पंजीकृत किए जाने वाले दिन नियत कर दी जाएं। औषधें डाट प्रदाता के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में दी जाती हैं और रागियों का अनुवीक्षण किया जाता है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर लें।

गुणवत्तायुक्त निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक एक लाख आबादी और जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक 50,000 आबादी के लिए विनिर्दिष्ट सूक्ष्मदर्शिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं। देश में 12250 से अधिक सूक्ष्मदर्शिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं। उपचार केंद्र (डाट केंद्र) सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी एच सी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी एच सी) और उप केंद्रों में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठन, निजी चिकित्सक, सामुदायिक स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी, कार्यकर्तागण, महिला स्वयं सहायता समूह आदि भी डाट प्रदाताओं/डाट केंद्रों के रूप में काम करके इन सेवाओं को रोगियों के आवास के यथासंभव निकट ले जाते हैं।

संविदा आधार पर मुख्य कार्मिक तथा चौपहिया वाहन, दुपहिया वाहन, फैक्स मशीन, फोटोकापियर कम्प्यूटर और इंटरनेट सुविधाएं जैसी आवश्यक अवसरंचना उपलब्ध कराकर राज्य क्षयरोग प्रकोष्ठ और जिला क्षयरोग केंद्र सुदृढ़ किए गए हैं। सूक्ष्मदर्शिकी केंद्रों तथा डाट केंद्रों के कारगर पर्यवेक्षण के वास्ते प्रत्येक पांच लाख आबादी (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में 2.5 लाख आबादी के लिए) के लिए उप जिला स्तर पर क्षयरोग एकक स्थापित किए गए हैं। क्षयरोग एकक स्तर पर एक वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (एस टी एस) तथा एक वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाला पर्यवेक्षक (एस टी एल एस) संविदा आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं जो उप जिला स्तर पर क्षयरोग नियंत्रण के सभी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेवार बनाए गए ज्ञात चिकित्सा अधिकारी क्षयरोग नियंत्रण के अधीन काम करते हैं।

अधिकतर लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने तथा इस दिशा में सरकारी प्रयत्नों को संपूरित करने के लिए मेडिकल कालेजों, सभी सामान्य अस्पतालों, निगमित, अस्पतालों, निजी चिकित्सकों एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेने पर भी इस कार्यक्रम में बल दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में लगातार सफल उपचार दर 85% से अधिक प्राप्त हो रही है तथा नई स्मियर पाजिटिव रोग पहचान दर 2007 की दूसरी तिमाही में 78% थी। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में 78 लाख से अधिक रोगियों का उपचार किया गया है जिससे 14 लाख रोगियों को मरने से बचाया जा चुका हैं

समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर भर्ती

2852. श्री एम. अप्पादुरई: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर भर्ती करते समय आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन किया जाता हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य और आरक्षित वर्गों में पृथक-पृथक समूह 'ग' और 'घ' में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण

2853. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री:** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुष्ठ रोगियों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो अशिक्षित लोगों एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नए रोगियों में महिला रोगियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रोगियों की संख्या के बारे में राज्यों से सूचना एकत्रित की जाती है जिसे फिर राष्ट्रीय स्तर पर संकलित किया जाता है।

आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान नए रोगियों में महिला रोगियों का अनुपात 34% अनुसूचित जाति के रोगियों का अनुपात 18.6% और अनुसूचित जनजातियों के रोगियों का अनुपात 11.7% था। तथापि, कुष्ठ रोगियों में अशिक्षा और बेरोजगारी के संबंध में राज्यों से कोई सूचना एकत्रित नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को निम्नलिखित घटकों के साथ क्रियान्वित कर रही है:–

क. सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के द्वारा विकेन्द्रीकृत एकीकृत कुष्ठ रोग सेवा।

ख. समय पर रोग की पहचान और बहु औषध चिकित्सा द्वारा तुंतर उपचार

ग. संवदेनशील क्षेत्रों पर बल देते हुए स्थानीय और जन प्रचार का प्रयोग करते हुए अधिक जानकारी, शिक्षा और संचार

घ. कुष्ठ रोग उपचार में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को प्रशिक्षण देना।

ङ. विकलांगता की रोकथाम और चिकित्सकीय पुनर्वास परिचर्या।

च. प्रबंध सूचना पद्धति एवं स्वंतत्र मूल्यांकन के माध्यम से घनिष्ठ मानिटरिंग एवं मूल्यांकन।

दिल्ली प्राणी उद्यान में विलुप्तप्राय हिरण की मौत

2854. श्री रघुनाथ झा:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही दिल्ली प्राणी उद्यान में कुछ विलुप्तप्राय मणिपुरी डासिंग डियर की मौत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) देश में मणिपुरी डांसिंग डियर की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन पशुओं की मौत का कारण का पता लगाने हेतु किसी जांच के आदेश दिए गए है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(च) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या हाल में अनेक विलुप्तप्राय पशुओं के दिल्ली प्राणी उद्यान से गायब होने की सूचना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी-विज्ञान उद्यान, दिल्ली में 6.11.2007 को 9 मणिपुरी डांसिंग डियर मर गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह मौत जैविक झटके और तनाव के कारण हुई।

(ग) मणिपुर डांसिंग डियर मणिपुर राज्य में स्थानिक हिरण है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वन में केवल लगभग 180 मणिपुरी हिरण और देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में लगभग 168 हिरण हैं।

(घ) से (च) इस मामले में जांच शुरू की गई है और रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाया जाना

2855. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विभागों ने सेवानिवृत्ति की विभिन्न आयु निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के सिविलयन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है परंतु विशेषज्ञों की कमी तथा सेवा में विलम्ब से आने के कारण शिक्षण, गैर-शिक्षण तथा केन्द्रीय

स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्गों में शामिल विशेषज्ञों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

[हिन्दी]

सेतुसमुद्रम परियोजना पर श्रीलंका की चिन्ता

2856. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ौसी देश श्रीलंका ने सेतुमुद्रम कैनाल परियोजना के ऊपर अपनी चिन्ता व्यक्त की है जैसाकि 10 अक्तूबर, 2007 के "सीमा संदेश", जयपुर में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या लंका हाइड्रोलिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में सेतुसमुद्रम परियोजना के निर्माण में निहित जोखिम पर प्रकाश डाला गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना, एक भारतीय परियोजना है और यह अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय सीमा-रेखा के भारतीय क्षेत्र के भीतर अवस्थित है। श्रीलंका की सरकार द्वारा विशेषकर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुकूल, भारत-सरकार का यह प्रयास है कि आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से श्रीलंका की सरकार की वास्तविक चिंताओं पर ध्यान दिया जाए, जिसके लिए एक तंत्र बनाया गया है।

[अनुवाद]

आर.टी.आई. एक्ट, 2005

2857. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, (आर. टी. आई. एक्ट) 2005 से भारत की आम ग्रामीण जनता को फायदा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, (आर. टी. आई. एक्ट) 2005 को अधिनियमित करके सरकार ने ग्रामीण और सीमान्त लोगों सहित समाज के सभी वर्गों को "लोक प्राधिकारियों" से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की है।

एड्स जागरूकता के लिए रेलगाड़ी

2858. श्री मिलिन्द देवरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए 'रेड रिब्बन एक्सप्रेस' नामक विशेष रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। एड्स विषयक जागरूकता प्रसारित करने वाली विशेष रेलगाड़ी 180 स्टेशनों तक जाएगी और एक वर्ष में 27,000 कि. मी. से अधिक दूरी तय करेगी। रेड रिबन एक्सप्रेस में 7 डिब्बे हैं जिसमें शैक्षिक सामग्रियों के प्रदर्शन के लिए 3 डिब्बे, पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, युवकों और महिलाओं जैसे चुनिंदा सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। इस रेलगाड़ी के आउटरीच क्रियाकलाप हैं जिनमें 50,000 गांवों तक जाने वाले साइकल काफिले एवं बस काफिले शामिल हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में निरूद्ध भारतीय

2859. श्री एन. एन. कृष्णदास:
श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ श्रम समस्याओं के कारण संयुक्त अरब अमीरात में सैकड़ों भारतीयों को निरूद्ध किया गया और वे वापस भारत लौटने की प्रतिक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने उनकी रिहाई के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) भारत के वाणिज्यिक महादूत, दुबई से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दुबई में हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जिनमें श्रमिक, जिनमें से अधिकतर भारतीय थे, मजूदरी आदि में वृद्धि की मांग को लेकर नियोक्ताओं के विरूद्ध हड़ताल पर चले गए थे। पहले मामले में, पोलिंग मिडिल ईस्ट कम्पनी के 4,300 श्रमिक 28.10.07 को हड़ताल पर चले गए थे और उन्हें पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था। उनमें से 4141 श्रमिकों को छोड़ दिया गया था और वे काम पर लौट आए थे। शेष 159 श्रमिकों, जिनमें से 90 भारतीय थे, को हिरासत में रखा था क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उन्हें हिंसा में लिप्त पाया गया था। सभी 90 भारतीयों को भारत भेज दिया गया है। भारतीय मिशन के अधिकारी भारतीय श्रमिकां की रिहाई/स्वदेश वापसी के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए थे।

दूसरे मामले में मैसर्स अरब टेक कंस्ट्रकशन कम्पनी के लगभग 35,000 श्रमिक जो 1.11.07 को मजदूरी आदि में वृद्धि जैसी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गये थे, मिशन और स्थानीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद वेतन में वृद्धि की कम्पनी की घोषणा के बाद उनमें से अधिकांश काम पर लौट आए थे। विभिन्न देशों के लगभग 500 श्रमिकों, जिनमें 230 भारतीय भी शामिल थे, जिन्होंने दूसरे लोगों को काम पर जाने से रोका था, को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए गए सभी श्रमिकों को अपने-अपने देश भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ भारतीय श्रमिकों की उचित न्यूनतम् मजदूरी और व्यापक चिकित्सा बीमा के मुद्दों को उठाया है।

खाद्य पदार्थों पर कीटनाशक की सीमा दर्शाना

2860. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के लेबलों पर कीटनाशकों की सीमा दर्शाने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 32 के अनुसार, किसी उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नाम वजन या मात्रा जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर उनके संयोजन के अवरोही क्रम से लेबल पर प्रदान किए जाते हैं। चूंकि नाशकजीवमार संदूषक होते हैं न कि खाद्य उत्पाद के संघटक; अत: लेबल पर उनकी मात्रा का उल्लेख निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न खाद्य सामग्रियों में नाना प्रकार के नाशकजीवमारों की अधिकतम अवशेष सीमाएं (एम आर एल्स) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के नियम 65 में विहित की गई हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली 1955 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लागू किया जाता है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के किसी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करती हैं।

[हिन्दी]

हेल्थ केयर उत्पादों का विपणन

2861. श्री संतोष गंगवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कंपनियों के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (डी. एस. ए.) द्वारा हेल्थ केयर उत्पादों का विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) देश में अनेक प्रकार के स्वास्थ्य परिचर्या उत्पाद बेचे जाते हैं जिनमें आहारिक संपूरण और पौष्टिक उत्पाद आदि भी शामिल हैं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केवल उन स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों से सरोकार रखता है जो औषधों की कोटि में आते हैं। ऐसे तमाम उत्पाद वैध निर्माण अनुज्ञप्ति के अनुसार तैयार किए जाते हैं और वैध अनुज्ञप्तियां प्राप्त थोक विक्रेताओं के जरिए वितरित किए जाते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, औषधों की उपभोक्ताओं को केवल खुदरा बिक्री की जाती है तथा इसके लिए अनुज्ञप्ति की जरूरत पड़ती है।

[अनुवाद]

पत्तनों द्वारा कार्गो हैंडलिंग

2862. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में कुल कितने पत्तन कार्गो की हैंडलिंग कर रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान और 2006-07 में उनके द्वारा पत्तन-वार कितनी मात्रा में कार्गो की हैंडलिंग की गई;

(ख) चालू वर्ष के लिए पत्तन-वार कार्गो हैंडलिंग हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ पत्तनों के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन हड़तालों से पत्तन-वार कितनी हानि हुई; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2003-04 से 2005-06 तक और वर्ष 2006-07 में इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टणम, कोचीन और नवमंगलूर पत्तनों द्वारा संभाले गए कार्गो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	इन्नौर	कोचीन	विशाखापट्टनम	चेन्नई	नवमंगलूर	तूतीकोरिन
2003-04	9.23	13.57	47.74	36.71	26.67	13.68
2004-05	9.48	14.10	50.15	43.80	33.89	15.81
2005-06	9.17	13.88	55.80	47.25	34.45	17.13
2006-07	10.71	15.30	56.39	53.41	32.04	18.00

(ख) चालू वर्ष के लिए कार्गो संभलाई के लिए तय किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों का पत्तन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

पत्तन	मंत्रालय द्वारा तय किया गया लक्ष्य (मिलियन टन में)	वर्ष 2007-08 में संभाला गया वास्तविक यातायात (अक्तूबर, 2007 तक) (मिलियन टन में)
इन्नौर	11.70	6.698
कोचीन	16.93	9.23
विशाखापट्टणम	64.24	40.27
चेन्नई	55.86	35.98
नव मंगलूर	34.34	21.34
तूतीकोरिन	13.63	13.48

(ग) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वैकल्पिक चिकित्सा थेरैपी

2863. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप में वैकल्पिक दवाओं के प्रति रूझान में वृद्धि हो रही है जैसाकि दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 के "द हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वैकल्पिक थेरैपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ख) जी, हां। यूरोपीय देशों में आयुर्वेद सहित पारंपरिक और वैकल्पिक औषधियों के प्रति रूझान में वृद्धि हुई है। ऐसा आयुष विभाग द्वारा 29 सितंबर, 2007

को बुडापेस्ट, हंगरी में भारतीय दूतावास और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से आयुर्वेद पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी में भी स्पष्टत: जाहिर था।

(ग) आयुष विभाग आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में आयुष शैक्षिक संस्थानों उन्नयन, इन चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और इनके औषध मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विभिन्न केंद्र क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश के भीतर इन चिकित्सा पद्धतियों का संवर्धन और प्रचार कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष को मुख्य धारा में लाना महत्वपूर्ण रणनीति है। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष औषधालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे औषधालयों में आवश्यक आयुष औषधियों की आपूर्ति हेतु भी सहायता दी जाती है। इन चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस विषय पर देश में जागरूकता विकसित करने के प्रयोजनार्थ दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में वर्ष 2001 से आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। नवंबर, 2006 में दिल्ली में पारंपरिक औषधियों से संबधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था और अक्तूबर, 2007 में दिल्ली में आरोग्य 2007 की तर्ज पर पारंपरिक औषधि विनियामक एवं उद्योग संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाई गई थी।

[हिन्दी]

अप्रयुक्त कोयला

2864. श्री टेक लाल महतो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न धोवनशालाओं में कोयले की काफी मात्रा अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैसर्स, इनलैंड पावर लिमिटेड को 100 मेगावाट क्षमता वाले बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए अप्रयुक्त कोयला देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला अपशिष्ट करगली, सवांग, कथारा और डुग्डा कोयला वाशरियों में पड़ा हुआ है और इस संबंध में ब्यौरे निम्नवत हैं:

वाशरी का नाम	अपशिष्ट का स्टाक
करगली	2.84
सवांग	0.29
कथारा	6.49
डुगडा	0.03

(ग) से (ङ) कोयला अपशिष्ट के आधार पर 100 मेगावाट क्षमता वाला विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने हेतु मैसर्स इनलैंड पावर लि. से एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। अब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। स्थायी लिंकेज समिति को इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए कहा गया है।

अच्छी श्रेणी के कोयले की कम मूल्य पर बिक्री

2865. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन. एल. सी. सिंगरौली द्वारा उत्पादित अच्छी श्रेणी के कोयले की बिक्री एन. एल. सी. द्वारा औने-पोने मूल्यों पर की गई है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयला खनन में लगी कोई भी कंपनी एन एल सी के नाम से सिंगरौली में स्थित नहीं है। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. सिंगरौली कोयला उत्पादन में लगी है और इस कंपनी ने उच्च श्रेणी के कोयले की कम कीमत पर बिक्री नहीं की है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बीकानेर में एन.एल.सी. के लिए निविदा आमंत्रित करना

2866. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. ढुम्मर:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने हाल ही में राजस्थान में कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निविदा प्रस्तुत करने के लिए क्या निबंधन एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) कितनी कंपनियों ने निविदा प्रस्तुत की है तथा कितनी कंपनियां उक्त निविदा के लिए निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करती हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एल एल सी) ने बरसिंगसर, राजस्थान में एन एल सी टाउनशिप के लिए आपूर्ति, खुदाई, पी. आई. जे. एफ. टेलीफोन के केबिन बिछाने हेतु तथा डी पी की आपूर्ति, उसकी फिक्सिंग एवं वायरिंग आदि के लिए एक निविदा (नं. सीओ. कान्टस/0036/के/आरपी/टेली केबिल/ कान्ट माइन्स/2007) जारी की थी। प्रारम्भ में निविदा बोलियां 28.4.2007 को आमंत्रित की गई और 6.6.2007 को खोली गई। 5 कंपनियों ने बोली दी जिनमें से 4 कंपनियों ने निविदा में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया। उसे रद्द कर दिया गया और 1.11.2007 को पुन: निविदा की गई। बोलियां 7.12.2007 को खोली जानी हैं।

उपर्युक्त निविदा को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित शर्तें (अर्हकारी आवश्यकताएं) निर्धारित की गई थी:

(i) बोलीदाता द्वारा एक एकल करार में सम्बद्ध कार्यों के साथ संचार केबिल/विद्युत/कन्ट्रोल केबिल सप्लाई करनी चाहिए अथवा बिछानी चाहिए जो 8.4 किलोमीटर से कम न हो।

(ii) जो भी कोई बोलीदाता, उपर्युक्त अर्हकारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, वह भी भाग ले सकता है यदि वह इस आशय का एक साक्ष्य प्रस्तुत कर सके कि उसने ई पी सी (इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण) ठेकेदार के उप-ठेकेदार के रूप में इस प्रकार का कार्य किया है जो (i) में यथा निर्दिष्ट उपर्युक्त अर्हकारी आवश्यकता को पूरी तरह से पूर्ति करता हो।

(iii) बोलीदाता को उपयोगकर्ता अथवा मुख्य ठेकेदार से किए गए कार्य हेतु पूर्णता रिपोर्ट/अन्तिम प्रमाण-पत्र के साथ कार्य आदेश/करार के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

[अनुवाद]

चन्द्रमा पर मिशन के लिए भारत-रूस सहयोग

2867. डा. टोकचोम मैन्या: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के चन्द्रमा पर मिशन के संबंध में भारत तथा रूस ने सहयोग हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चन्द्रयान-I तथा चन्द्रयान-II के प्राथमिक लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इन दो परियोजनाओं/मिशनों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या भारत का विचार चन्द्रमा के खनिज संसाधनों का दोहन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त चंद्र अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फेडरल अंतरिक्ष एजेंसी ने 12 नवंबर, 2007 को एक समझौता-ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) चंद्रयान-I मिशन मुख्यत: दृश्य, निकट अवरक्त निम्न ऊर्जा एक्स-किरण और उच्च-ऊर्जा एक्स-किरण क्षेत्रों में चंद्रमा के उच्च विभेदन सुदूर संवेदन के लिए अभिप्रेत है।

चंद्रयान-II मिशन का उद्देश्य चंद्रयान-I मिशन के दौरान एकत्रित आंकड़ों का अधिकतम उपयोग करते हुए रसायनों का स्वस्थाने पता लगाते हेतु किसी निर्धारित चंद्र स्थल पर मंद अवतरण योग्य एक चंद्र अवतरक-परिभ्रमक की अभिकल्पना, प्राप्ति और प्रस्तरण करना है।

(घ) चंद्रयान-I और चंद्रयान-II मिशनों की अनुमानित लागत क्रमशः 386 करोड़ और 425 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) जी, हां। यह चंद्रमा के सतह पर खनिजों का स्वस्थाने पता लगाने हेतु चंद्रयान-II मिशन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत का उत्पादन

2868. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2006-07 अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत के उत्पादन के लिए संयंत्र-वार निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 में परमाणु विद्युत का कुल उत्पादन 18801 मिलियन यूनिट (एमयूज) था। जबकि निर्धारित लक्ष्य 18406 मिलियन यूनिट था। बिजलीघर-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

यूनिट	लक्ष्य (एमयूज)	उत्पादन (एमयूज)
कैगा उत्पादन केन्द्र (केजीएस)	2485	2541
ककरापार परमाणु बिजलीघर (केएपीएस)	2325	2446
मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस)	2603	2622
नरोरा परमाणु बिजलीघर (एनएपीएस)	324	1024
राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस)	3677	3668
तारापुर परमाणु बिजलीघर (टीएपीएस)	6992	6501

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के लिए निश्चित किया गया उत्पादन लक्ष्य 163395 मिलियन यूनिट हैं। संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

यूनिट	लक्ष्य (एमयूज)
केजीएस (यूनिट 1 से 4-4 x 220 मेगावाट)	24367
केएपीएस (यूनिट 1 तथा 2-2 x 220 मेगावाट)	10422
एमएपीएस (यूनिट 1 तथा 2-2 x 220 मेगावाट)	12853
एनएपीएस (यूनिट 1 तथा 2-2 x 220 मेगावाट)	10717
आरएपीएस (यूनिट 2 से 6-200+4 x 220 मेगावाट)	32953
टीएपीएस (यूनिट 1 से 4-2 x 160+2 x 540 मेगावाट)	40108
कुडनकुलम (केके) परियोजना 1 तथा 2-2 x 1000 मेगावाट)	29784
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट)	2190

उपर्युक्त लक्ष्य, पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी ईंधन की उपलब्धता जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय सहकार के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति पर निर्भर करते हैं।

[अनुवाद]

प्रोजेक्ट स्नो लेपॅर्ड

2869. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग ने वर्ष 2007-08 के लिए ऊँचाई वाले हिमालय क्षेत्रों हेतु "प्रोजेक्ट स्नो लेपॅर्ड" संरक्षण परियोजना हेतु कोई धनराशि आंबटित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां जंगली 'स्नो लेपॅर्ड' का संरक्षण करने की आवश्कयता है;

(घ) क्या इन राज्यों ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) यद्यपि, योजना आयोग द्वारा स्नो लेपर्ड

के विशेष संदर्भ से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है, तथापि 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों' की अम्ब्रेला स्कीम स्नो लेपॅर्ड का संरक्षण कवर करती हैं।

(ग) से (च) स्नो लेपॅर्ड पर्वतीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप प्रजाति है और मुख्यत: जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के अधिक ऊँचाई वाले पर्वतों में पाये जाते हैं। राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारें स्नो लेपर्ड की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कार्य नीतियों और कार्य-योजना के विकास में शामिल हैं।

[हिन्दी]

"कैफेटेरिया माडल" औषधि प्रणाली

2870. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख अस्पतालों में "कैफेटेरिया मॉडल" चिकित्सा पद्धति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर झारखण्ड और बिहार में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने को है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) इस मंत्रालय ने देश के अस्पतालों के लिए ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति तैयार नहीं की है और मंत्रालय में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पहले से ही झारखण्ड और बिहार सहित पूरे देश में प्रचलित है।

सरकारी अस्पतालों में रोगियों को खाद्य वस्तुओं की पूर्ति

2871. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में भर्ती रोगियों के लिए निर्धारित खाद्य एवं अन्य वस्तुएं लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विभागीय जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकारी अस्पतालों में ऐसे कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) प्रधान रसोइये, खाद्य प्रबन्धक और आहारविद के पर्यवेक्षण में भोजन को बनाकर रोगियों में बांटा जाता है। कर्मचारियों द्वारा भोजन सामग्रियों की चोरी/दुरूपयोग किए जाने जैसे किसी कदाचार को रोकने और न होने देने के लिए आहारविद द्वारा वरिष्ठ डाक्टरों के समग्र पर्यवेक्षण में नियमित रूप से जांच और सतर्कता कार्य को बनाए रखा जाता है। रसोईघर से रोगी कक्षों की और जा रही ट्रालियों में तथा रसोई से जुड़े स्टाफ के लाकर्स में रखे भोजन की सतर्कता की दृष्टि से औचक जांचे की जाती हैं। जब कभी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच भी की जाती है।

[अनुवाद]

ओजोन परत के घटने के कारण रोग

2872. श्री पी.सी गद्दीगउडर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विक्षिप्त, निशक्त बच्चों के जन्म आदि का कारण ओजोन परत का घटना है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों के स्वास्थ्य पर ओजोन के प्रभाव का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई समिति, गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वन्य जीव संरक्षण

2873. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन और वन्य जीव संरक्षण हेतु बाघों को झारखंड के वनों में रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति):

(क) और (ख) बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित सकीम के अंतर्गत पलामू बाघ रिजर्व में बाघों के स्वास्थाने संरक्षण हेतु राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

पी.एम.एस.एस.वाई. से धनराशि का आबंटन

2874. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में "एम्स" जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निधि में से 500 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए पथपंतरित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए कुल 3976 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 2716 करोड़ रुपये (708 करोड़ रुपये के आवर्ती व्यय सहित) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी छह संस्थाओं की स्थापना करने और 1260 करोड़ रुपये 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल संस्थाओं के उन्नयन के लिए निर्धारित किए गए थे।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

उड़ीसा के लिए नई पहल

2875. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा सरकार द्वारा की गई अनेक नई पहलों के मद्देनजर फिर से ब्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य द्वारा दसवीं योजना के दौरान हासिल वृद्धि दर और ग्यारहवीं योजनावधि में प्राप्त की जाने वाली वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ीसा में ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) राज्य सरकार की अधिकांश नई पहलों से केन्द्र प्रायोजित स्कीमें और केन्द्र सरकार की अन्य स्कीमें संपूरित होगी।

(ख) राज्य सरकार की अधिकांश पहलों में गोपबंधु ग्रामीण योजना जिसे उन जिलों को मुख्य रूप से बिजली, सड़क एवं जलापूर्ति जैसी अवसंरचना मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जिन्हें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा कवर नहीं किया गया है; बीजू ग्राम ज्योति स्कीम जिसे उन गांवों को बिजली मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया है जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कवर नहीं किया गया है; और बीजू केबीके योजना जिसे केबीके जिलों के लिए केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विशेष योजना को संपूरित करने के लिए शुरू किया गया है; जैसी स्कीमें शामिल हैं।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में उड़ीसा राज्य की औसत विकास दर 7.26% थी। राज्य सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 9% की विकास दर प्रस्तावित की है।

(घ) राज्य सरकार ने अनेक उपायों को सुझाव दिया है जिन्हें प्रस्तावित ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनाया जाएगा। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, समाज के उपेक्षित वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, किशोरियों, वृद्ध और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों पर विशेष ध्यान देना; व्यय की अपेक्षा परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करना; बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित करना; शासन एवं वित्तीय सुधार में सतत प्रयास करना; पंचायतीराज संस्थाओं को शक्ति हस्तांतरित करना; कृषि उत्पादन दुगना करना, पर्यावरणीय निरन्तरता हासिल करना और विस्थापन के कारण मानवीय कष्टों को कम करने के दोहरे उपायों के साथ उद्योगीकरण करना; और आर्थिक अवसंरचना पर जोर देना जैसे उपाय शामिल हैं।

दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार

2876. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस प्रकार के आंकड़ों से सरकार दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है;

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के जीएमपी दिशानिर्देशों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित "एम" के विभिन्न खण्डों में क्या अन्तर है;

(ग) क्या अनुसूची एम और डी एम पी के तहत अपेक्षत बदलावों के लिए सरकार द्वारा निरीक्षण हेतु एक समान दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार का औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची एम के अन्तर्गत विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अधिसूचित उत्तम विनिर्माण पद्धतियों की कठोर शर्तों को लागू करके दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रस्ताव है। इस अपेक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रति-संदूषण को रोकना और सुसंगति सुनिश्चित करना है।

(ख) सरकार ने अनुसूची एम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जी एम पी दिशा-निर्देशों के बीच अन्तर की अधिसूचित नहीं किया है।

(ग) और (घ) निरीक्षण के लिए कोई समान दिशा-निर्देश अधिसूचित नहीं किए गए हैं। विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण अनुसूची एम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट जीएमपी अपेक्षाओं, जो औषधि एवं प्रसाधन-सामग्री नियमावली के तहत वैधानिक अपेक्षाएं हैं, के अनुपालन के लिए किय जाने अपेक्षित हैं।

(ङ) विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची एम (जीएमपी) के अनुसार किये जाते हैं जो औषधि विनिर्माण की समुचित गुणता को सुनिश्चिम करने के लिए पर्याप्त हैं।

सी.एन.एस. अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए संशोधित मापदण्ड

2877. श्री पी.सी. थामस: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त सचिव के स्तर पर सी.एस.एस. अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए कोई संशोधित मापदंड शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन सी.एस.एस. अधिकारियों, जिन्हें वर्ष 1982, 1983, 1984 और 1985 में समूह "ख" में शामिल किया गया, को पैनल में शामिल कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 2007 में यह स्वीकृति दी है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एस.) के अधिकारियों के समूह "ख" सेवा में उनके प्रवेश के लिए माने गए वर्ष से सेवा अवधि के अनुसार पैनल में शामिल करने की पात्रता निम्न प्रकार से है:-

स्तर	अनु.जा./अनु.ज.जा.	सामान्य वर्ष 78 से पूर्व	सामान्य वर्ष 77 के पश्चात
संयुक्त सचिव	22 वर्ष	24 वर्ष	26 वर्ष

इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव के पद के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए सीएसएस अधिकारियों को और अन्य अपेक्षाएँ पूरी करनी चाहिए जैसे कि:

(i) चयन ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी की हो तथा न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर अवधि तक निदेशक के पद हेतु उनको मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाया गया हो;

(ii) तीन वर्ष की बकाया सेवा हो;

(iii) गोपनीय रिपोर्ट डोजियर आदि में अपेक्षित एसीआर भी उपलब्ध हो।

जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुजाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले उन अधिकारियों का सम्बन्ध है जिन्हे वर्ष 1982, 1983, 1984 तथा 1985 में समूह "ख" में शामिल किया गया था उनको संयुक्त सचिव के रूप में पैनल में रखने का कार्य अभी मुख्यत: इसलिए शुरू नहीं किया गया है क्योंकि पूर्व बैचों के काफी सारे सी.एस.एस. के अधिकारियों, जिन्हें संयुक्त सचिव के पैनल में शामिल किया गया है, को अभी तक संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। अनु. जा. /अनु.ज.जा. के इन बैचों के अधिकारियों को, बैच-वार पैनल में रखने का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि ऐसी स्थिति को टाला जा सके जिसमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे बहुत से संयुक्त सचिव के पैनल में शामिल किए गए अधिकारी किसी नियुक्ति के बगैर रह जाते हैं।

संयुक्त सचिव स्तर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का पैनल में शामिल करने का काम, उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार दिया जाता है।

भारत-म्यामांर-थाईलैंड राजमार्ग

2876. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री अनवर हुसैन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन होते हुए रूस तक भारत म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग कॉरीडार खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र से सिंगापुर तक पारंपरिक मार्ग विकसित किए जाने की भी कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय कामगारों की मांग

2879. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों ने अपने विनिर्माण उद्योगों के लिए भारत से कामगार बुलाने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) पोलैंड सरकार ने भवन निर्माण, सड़क निर्माण और कृषि क्षेत्र में सेविदा रोजगार के लिए भारतीय श्रमिकों के उत्प्रवास को कारगर बनाने के लिए एक संरचना विकसित करने हेतु मंत्रालय से सम्पर्क किया था। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय श्रमिकों के लिए प्रवासी रोजगार मंडी के विस्तार और श्रमिकों के प्रबन्धित कानूनी उत्प्रवास हेतु द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक मॉडल तैयार करने की पहल का स्वागत किया है। पौलेंड सरकार को बातचीत करने के अनुरोध के साथ समझौता ज्ञापन का एक प्रारूप भेजा गया था। पोलैंड सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2880. **डा. के.एस. मनोज:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के अभाव में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में एनएचडीपी की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्य सरकारों ने एन एच डी पी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने दी गई निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राज्यवार) की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू की गई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकार और रियायतग्राही के बीच एक त्रिपक्षीय राज्यीय सहायता करार पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। जब भी आवश्यक हुआ, राज्यों सरकारों ने अपेक्षित राज्यीय सहायता करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और कुछ परियोजनाओं के संबंध में राज्यीय सहायता करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही हैं

विवरण

एन एच डी पी की वर्तमान स्थिति: राज्य वार

क्र.सं.	राज्य	एनएचडीपी चरण-I		एनएचडीपीचरण-II			एनएचडीपी-III			एनएचडीपीचरण-V		
		पूर्ण	कार्यान्वयनधीन	पूर्ण	कार्यान्वयनधीन	सौंपने हेतु शेष	पूर्ण	कार्यान्वयनधीन	सौंपने हेतु शेष	पूर्ण	कार्यान्वयनधीन	सौंपने हेतु शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1158	15	–	649	60	–	–	520	–	–	सरकार ने डिजाईन, निर्माण, वित्त और प्रचालन विधि से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 6500 कि. मी. लंबाई जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की 5700 किमी. और अन्य खंडों की 800 किमी. लंबाई शामिल है, को छह लेन बनाने का कार्य अनुमोदित कर दिया है। आज की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत गुजरात में रा.रा.-8 वडोदरा और सूरत के बीच 148 किमी. को 6 लेन का बनाने के लिए रियायत करारों पर जुलाई, 2006 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और कार्य जनवरी, 2007 से चल रहा है जबकि शेष परियोजनाओं को अभी तक सौंपा नहीं गया है
2.	अरूणाचल प्रदेश								22			
3.	असम	19			640	31			658			
4.	बिहार	217	32	10	448				890			
5.	छत्तीसगढ़	18						128	51			
6.	दिल्ली	34	21						20			
7.	गोवा	13							208			
8.	गुजरात	637		401	137				523		148	
9.	हरियाणा	301	22		30			89	250			
10.	हिमाचल प्रदेश				11			7	100			
11.	जम्मू-कश्मीर	16	1	2	115	265			101			
12.	झारखण्ड	185	7						265			
13.	कर्नाटक	611	82		61			205	451			
14.	केरल	34	10		40	88			681			
15.	मध्य प्रदेश	42		40	571			166	620			
16.	महाराष्ट्र	571	14		140	95	30	238	549			
17.	मणिपुर								112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	मेघालय								136			
19.	मिजोरम								95			
20.	नागालैंड								28			
21.	उड़ीसा	380	141						553			
22.	पांडिचेरी											
23.	पंजाब	197			74	20		145	147			
24.	राजस्थान	742		120	416			130	806			
25.	तमिलनाडु	505	72	66	889	82		527	957			
26.	त्रिपुरा								195			
27.	उत्तर प्रदेश	845	77		838			179	1484			
28.	उत्तराखंड								170			
29.	पश्चिम बंगाल	444	54		83	201			60			

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

2881. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों/गैर सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों से दिल्ली में प्रदूषण के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान माननीय सांसदों, गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से दिल्ली में प्रदूषण और उनके प्रभाव पर चिन्ता व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में औद्योगिक प्रदूषण, नान-कंफर्मिंग/आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों की शिफ्टिंग, एकाउस्टिक एनक्लोजर्स के बिना डीजल जनरेटरों का संचालन, कूड़े-करकट को जलाना आदि जैसे मुद्दों को उठाया गया है।

(ग) से (ङ) दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और उपशमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों सहित दिल्ली में सात स्थलों पर परिवेशी वायु गुणता मानीटरिंग और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ट्रैफिक इन्टरसेक्शन

* वाहनों के निर्माण स्तर पर भारत स्टेज III मानकों की शुरूआत

* पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग करना

* ताप विद्युत संयंत्रों में लाभप्रद कोयले का उपयोग; और

* वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न स्त्रोतों का पता लगाने के लिए दिल्ली में स्त्रोत संविभाजन अध्ययन शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनार्थ वनक्षेत्र में निर्माण क्रिया-कलाप

2882. श्री असादुद्दीन आवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनार्थ वन क्षेत्र में निर्माण क्रिया-कलापों की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वन क्षेत्र में किस प्रकार के क्रिया-कलाप किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरकार के स्कूलों, अस्पतालों/डिस्पैंसरी, समुदाय हाल, सरकारी, पंचायत, छोटे ग्रामीण औद्योगिक शैडों जैसे सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए निर्माण कार्यों सहित गैर-वानिकी प्रयोग के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग के प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विचार किया जाता है।

कीटनाशकों के कारण वायु प्रदूषण

2883. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा एंडो सलफंस जैसे अधिक कारसिनो जेनिक प्रदूषण फैलाने वाले कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है जो दिल्ली की वायु को प्रदूषित कर रहे है जैसाकि दिनांक 3 नवम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनाइटेड नेशन्स इकॉनामिक कमीशन फार यूरोप द्वारा कराए गए एक अध्ययन में राजधानी की वायु में भारी मात्रा में कीटनाशक तत्व पाए गए है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) 3 नवम्बर, 2007 के हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली में कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न वायु प्रदूषण के बारे में खबर प्रकाशित हुई थी। एंडो सलफंस जैसे अधिक कारसिनों जेनिक प्रदूषण फैलाने वाले कीट-नाशकों के प्रयोग से दिल्ली में वायु प्रदूषण होने तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनाइटेड नेशन्स इकोनोमिक फार यूरोप द्वारा कराए गए ऐसे किसी अध्ययन के बारे में इस समय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जंगली हाथी की संख्या

2884. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथी परियोजना के तहत कार्यान्वित किए जा रहे चालू कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में क्या उपलब्धियां रही हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित देश के सभी हाथी राज्यों में 1992 से हाथी परियोजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। हाथी आवासों और गलियारों की सुरक्षा, जन सहयोग की प्राप्ति, मानव-हाथी संघर्ष, सहयोग सेवाओं में सुधार, और मानीटरी, अनुसंधान और प्रशिक्षण इस स्कीम के मुख्य घटक हैं जिनके लिए असम सहित सभी हाथी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। असम को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में निम्न प्रकार से निधियां जारी की गई हैं:-

वर्ष	जारी की गई निधियां (रु. लाख में)	
2004-05	130.00	
2005-06	40.00	
2006-07	75.00	
2007-08	120.00	(30.11.07 को प्रथम किस्त के रूप में)

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कपंनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7706/2007]

(ख) (एक) सेतुसमुद्रम् कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम् कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7707/2007]

(ग) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7708/2007]

(घ) (एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7709/2007]

(2) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं का सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7710/2007]

(3) (एक) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7711/2007]

(4) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं का सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7712/2007]

(5) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7713/2007]

(6) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7714/2007]

(7) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7710/2007]

(8) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7715/2007]

(9) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फंड ट्रस्ट मुंबई के वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7716/2007]

(10) (एक) नेशनल शिप डिजाईन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्नम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाईन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापटनम के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7717/2007]

(11) (एक) विशाखापटनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापटनम के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापटनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापटनम के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7718/2007]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2006 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7719/2007]

(2) (एक) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल सिविल सिर्विसेज कल्चरण एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7720/2007]

(3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7721/2007]

(4) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सिर्विसेर्ज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7722/2007]

(5) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सिर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7723/2007]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7724/2007]

(7) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7725/2007]

(8) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2007 जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2007 जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2007 जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 703(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 359 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 360 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 361(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2007 जो 26 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 391(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2007 जो 26 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 392(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2007 जो 5 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 425(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2007 जो 20 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 471(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 472 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) उपर्युक्त (8) की मद संख्या (पांच से पन्द्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले ग्यारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7726/2007]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7727/2007]

(2) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7728/2007]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं अपनी सहयोगी श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7729/2007]

(3) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2006-2007 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:–

(एक) पोपुलेशन रिसर्च सैन्टर गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पालिटिक्स एण्ड इकानॉमिक्स, पुणे

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7730/2007]

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, तिरूवनंतपुरम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7731/2007]

(तीन) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7732/2007]

(चार) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, वडोदरा

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7733/2007]

(पांच) सीआरआरआईडी पोपुलेशन रिसर्च सेंटर चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7734/2007]

(छह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, दिल्ली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7735/2007]

(सात) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, दिल्ली

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7736/2007]

(आठ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7737/2007]

(नौ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7738/2007]

(दस) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7739/2007]

(ग्यारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, भुवनेश्वर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7740/2007]

(बारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, धारवाड

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7741/2007]

(तेरह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, सागर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7742/2007]

(चौदह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, गांधीग्राम

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7743/2007]

(पन्द्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7744/2007]

(सोलह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7745/2007]

(सत्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर, बंगलौर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7746/2007]

(4) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7747/2007]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का. आ. 1483(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 9 (पुणे-हैदराबाद रोड) पर प्रोजेक्ट फैसिलिटी के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(दो) का. आ. 1471(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वलायार-त्रिसूर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का. आ. 1500(अ) जो 7 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से उग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(चार) का. आ. 1635(अ) जो 27 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का. आ. 1522(अ) जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापटनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का. आ. 1555(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या का. आ. 808(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का. आ. 1698(अ) जो 4 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का. आ. 1803(अ) जो 23 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का. आ. 1836(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दस) का. आ. 1834(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 1732(अ) जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का. आ. 1430(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बडोदरा-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 1531(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का. आ. 1532(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 621(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 1536(अ) और का.आ. 1537(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 1740(अ) जो 12 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खंड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का. आ. 1731(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का. आ. 1861(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का. आ. 1887(अ) जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (मानाचेरा बाजार से ऐनारबल तक) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का. आ. 1935(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली खंड) के चार लेन वाले विभिन्न खंडों के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(इक्कीस) का. आ. 1841(अ) जो 29 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1318(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(बाईस) का.आ. 1843(अ) और का. आ. 1844(अ) जो 29 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का. आ. 1923(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलामंगला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का. आ. 1924(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-होसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का. आ. 1424(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1739(अ) जो 11 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57(दरभंगा-सकरी खंड) पर बने पुल के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्ताईस) का. आ. 1357(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर-कृष्णागिरी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का. आ. 1359(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का. आ. 1360(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अठीपल्ली-कृष्णागिरी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का. आ. 1397(अ) जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तीस) का. आ. 1398(अ) जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 279(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का. आ. 1432(अ) और का. आ. 1433(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का. आ. 1434(अ) जो 20 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का. आ. 1459(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का. आ. 1460(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर एयरपोर्ट जंक्शन में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का. आ. 1461(अ) जो 25 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग संख्या 45 पर काठीपारा जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का. आ. 1468(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय बाईपासों (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का. आ. 1469(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का. आ. 1470(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का. आ. 1479(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जिला राजस्व अधिकारी, डिंडीगुल, तमिलनाडु को तमिलनाडु राज्य में बाईपास के निर्माण सहित विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 को चौड़ा करने, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(इकतालीस) का. आ. 1515(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का. आ. 1516(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पूर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का. आ. 1524(अ) जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का. आ. 1527(अ) और का. आ. 1528(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का. आ. 1533(अ) और का. आ. 1534(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों (कृष्णागिरि-थोप्पूर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का. आ. 1541(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 45 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-I) को

चौड़ा करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-II) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का. आ. 1542(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले और चेन्नई जिले में काठीपाड़ा जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का. आ. 1565(अ) जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए जिला राजस्व अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उनचास) का. आ. 1709(अ) जो 8 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलै-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का. आ. 1711(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का. आ. 1712(अ) और का. आ. 1713(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों (बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का. आ. 1714(अ) और का. आ. 1715(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खंडों (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का. आ. 1716(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 118(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ. 1717(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पूर घाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1718(अ) जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7748/2007]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988, की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) का. आ. 1634(अ) जो 27 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 और 10 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का. आ. 1730(अ) जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का. आ. 1860(अ) जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7749/2007]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 29.6.2006 से 28.6.2007 की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 29.6.2006 से 28.6.2007 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7750/2007]

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1570 (अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन में नियुक्त किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7751/2007]

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण:–

(एक) का.आ. 1571(अ) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री चौधरी सतीश किशन, एडीजे, नादेड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, मुंबई में कतिपय शर्तों के अध्यधीन पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं.एफ.सं.एन.एच.–11014/2/2004–पीएण्डएम जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार, तत्काल प्रभाव से पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, मुंबई को सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7752/2007]

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी (डेवलपमेंट प्लानिंग सेन्टर), दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7753/2007]

(2) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7754/2007]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7755/2007]

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7756/2007]

(ग) (एक) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7757/2007]

(घ) (एक) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7758/2007]

(ङ) (एक) एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7759/2007]

(च) (एक) सेमी कंडक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस. ए. एस. नगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमी कंडक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस. ए. एस. नगर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7760/2007]

(2) (एक) एटॉमिक एनर्जी एडुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एडुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7761/2007]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7762/2007]

(4) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी–7763/2007]

(5) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7764/2007]

(6) (एक) इंस्टिट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7765/2007]

(7) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7766/2007]

(8) (एक) इंस्टिट्युट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्युट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7767/2007]

(9) (एक) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टिट्यूट इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7768/2007]

(10) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष, 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7769/2007]

(11) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7770/2007]

(12) (एक) नार्थ इस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ इस्टर्न स्पेश एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7771/2007]

(13) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गंडकी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गंडकी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7772/2007]

(14) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7773/2007]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7774/2007]

(2) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7775/2007]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7776/2007]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सेंटर फार इनवायरनमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंटर फार इनवायरनमेंटल एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7777/2007]

(2) (एक) सीपीआर इनवायरनमेंट एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीपीआर इनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7778/2007]

(3) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर आरनिथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर आरनिथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7779/2007]

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1677 जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 671 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7780/2007]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2007 जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 704 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी–7781/2007]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

प्राक्कलन समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग–बीमा प्रभाग) 'समाज के कमजोर वर्गों के लिए बीमा योजनाएं' विषय पर प्राक्कलन समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही पर प्राक्कलन समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली): महोदय मैं पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड-किशनपुर-मेगा ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण में अतिरिक्त व्यय–433.81 का अतिरिक्त व्यय के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 12वें (की-गई-कार्रवाई) प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच के अंतिम उत्तर में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

याचिका समिति

पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. बिहार के दरभंगा में विभिन्न दंत चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा दी गई बी डी एस की डिग्री को मान्यता देने हेतु श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य से प्राप्त याचिका के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 35वां प्रतिवेदन।

2. कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों पर 36वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

दो सौ एक से दो सौ पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 56) संबंधी 192वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 201वां प्रतिवेदन।

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 57) संबंधी 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 202वां प्रतिवेदन।

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 103) संबंधी 194वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही के बारे में 203वां प्रतिवेदन।

(4) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2007-2008 (मांग संख्या 104) संबंधी 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही के बारे में 204वां प्रतिवेदन।

(5) जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा समेकित बाल विकास सेवा योजना संबंधी 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 205वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा बुलेटिन भाग-II दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत दिये गये निदेश 73-क के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) लोक सभा में 18.05.2006 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान की मांगों की जांच से संबंधित है।

इस समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण दिसम्बर, 2006 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे।

इस समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में 35 सिफारिशें की गयी हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से 9वीं एंव 10वीं योजना के दौरान आबंटन एवं उपयोगिता, पंचायती राज एवं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी), पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, वित्तों, कार्यों एवं कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण, भारत निर्माण कार्यक्रम में मंत्रालय की भूमिका, डीपीसी का गठन, ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति एवं बारहवें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को आबंटन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, पंचायत विकास एवं प्रशिक्षण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, पंचायत सशक्तिकरण प्रोत्साहन योजना का स्कीम-वार विश्लेषण है।

इस समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की सभी विषय वस्तुओं को पढ़ने के लिए सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल टी-7782/2007

अपराह्न 12.07½ बजे

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल टी-7783/2007

सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थाई समिति की चौवनवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थाई समिति ने वर्ष 2006-07 के लिए सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार किया था और अपनी चौवनवीं रिपोर्ट 28 अप्रैल, 2007 को सदन के पटल पर रखी थी। उक्त रिपोर्ट में समिति ने 15 सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार को कार्रवाई करनी है। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

(i) बजटीकृत योजना निधि का कम उपयोग।

(ii) एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएसपी) के गठन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम और संसद में "सांख्यिकी संग्रहण विधेयक 2007" का पारण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।

(iii) निष्पादन में गिरावट पर प्रकाश डालने और सुधारात्मक कदम उठाने में बुनियादी ढांचा तथा परियोजना निगरानी प्रभाग द्वारा निभाई गई भूमिका।

(iv) परियोजनाओं की लागत बढ़ने के लिए जिन लोगों की लापरवाहियों को जिम्मेदार ठहराया गया उनके खिलाफ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की गई कार्रवाई।

(v) भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति।

(vi) वार्षिक अंतरालों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सम्मेलन आयोजित करने हेतु मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांख्यिकी रिपोर्टें बिना किसी देरी के जारी हों, मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय।

(viii) शहरी तथा ग्रामीण आबादी के लिए "अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।

(ix) बीसूका-86 के स्थान पर पुनर्गठित बीसूका 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित निगरानी तंत्र और इस संशोधित निगरानी तंत्र से प्राप्त संभावित सुधार।

माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ दिया गया, मान लिया जाए।

अपराह्न 12.07½ बजे

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं, दिनांक सितम्बर 1, 2004 को लोक सभा बुलेटिन भाग-II (सं. 456) द्वारा लोक सभा में कार्य-व्यापार की प्रक्रिया एवं आचरण नियम के नियम 389 के प्रावधान के अन्तर्गत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश 73ए के अनुसरण में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगें 2007-2008 पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 175वें प्रतिवेदन में अन्तर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय समिति ने 2 अप्रैल, 2007 को अनुदानों की मांगें 2007-2008 पर विचार करते हुए अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये थे। समिति ने 26 अप्रैल, 2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत तथा 26 अप्रैल, 2007 को लोक सभा के पटल पर रखे अपने 175वें प्रतिवेदन अन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की मांगों को स्वीकार किया।

स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में अन्तरिक्ष कैप्सूल पुन:प्राप्ति परीक्षण, ग्रहीय अन्वेषण, अन्तरिक्ष उपयोग और मानव संसाधन विकास के संबंध में आठ (8) सिफारिशें की थीं। अन्तरिक्ष विभाग द्वारा अगस्त 2007 के दौरान समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) प्रस्तुत की गई, जो स्थायी समिति के विचाराधीन है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को दर्शानेवाला विवरण सभा पटल पर भी रखा गया।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी-7784/2007

अपराह्न 12.07 ¼ बजे

(चार) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): मैं माननीय अध्यक्ष लोक सभा के दिशानिर्देश 73क के अनुसरण में स्थायी वित्त समिति (14वीं लोक सभा) की तिरपनवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

स्थायी वित्त समिति (14वीं लोक सभा) की तिरपनवीं रिपोर्ट दिनांक 28.04.2007 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2007-08 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की तिरपनवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिनांक 9.8.2007 को स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया था।

अपनी तिरपनवीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 6 मुद्दों की जांच की गई है जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के निष्पादनों (i) दसवीं योजना में विकास निष्पादन-एक सिंहावलोकन (ii) सिंचाई एवं कृषि विकास (iii) बीपीएल परिवारों की पहचान (iv) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम शीर्ष के अंतर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए भुगतान (v) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (vi) योजना आयोग/योजना बोर्ड के अंतर्गत कार्यालय व्यय से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख मेरे वक्तव्य के साथ लगे अनुलग्नक में किया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। मैं नहीं चाहता कि इस अनुलग्नक के सभी अंशों को पढ़ने में इस सदन का बहुमूल्य समय लूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा में मद सं. 21 पर चर्चा होगी

ध्यानाकर्षण, डा. चिन्ता मोहन

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी–7785/2007

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे कल उठाया था।

श्री अर्जुन सेठी: निस्संदेह, मैंने उठाया था। लेकिन यहाँ खनिज उत्पादक पांच राज्यों के माननीय मुख्य मंत्री ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अर्जुन जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। यह उपयुक्त समय नहीं है। अभी, ध्यानाकर्षण लाया जा रहा है। यदि आपका कोई मामला है, तो आप उसे ध्यानाकर्षण के पश्चात् उठाएं, बशर्ते आपने नोटिस दिया हो।

श्री अर्जुन सेठी: ठीक हैं, मैं ध्यानाकर्षण के पश्चात् इसे उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने नोटिस, नहीं दिया है, तो नहीं। यदि आपने नोटिस दिया है, तो मैं आपको बुलाऊंगा। यदि आपने नोटिस दिया है, तो आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मत्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें:

"देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, रबी मौसम 01.10.2007 से प्रारंभ होता है और 31.03.2008 को समाप्त होता है। कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की मांग का अनुमान लगाया है जो निम्नलिखित है:

यूरिया	–	140.02 लाख मी. टन
डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डी ए पी)	–	49.13 लाख मी. टन
म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम ओ पी)	–	19.61 लाख मी. टन

[श्री राम विलास पासवान]

उपर्युक्त आवश्यकता की तुलना में इस विभाग ने 155.59 लाख मी. टन यूरिया 55.28 लाख मी. टन डीएपी और 22.06 लाख मी. टन एमओपी की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। उपलब्ध सूचना के आधार पर इन तीनों उत्पादों की उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि उपलब्धता हमेशा बिक्री से अधिक रही है।

ऊपर उल्लिखित तीन उत्पादों में से केवल यूरिया ही नियंत्रित वस्तु हैं, अन्य दो उत्पाद अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी नियंत्रणमुक्त हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार तीनों उत्पादों की उपलब्धता पर निरंतर निगरानी रख रही है। जहाँ तक रबी 2007-08 का संबंध है, सभी राज्यों में यूरिया की स्थिति काफी अच्छी है, जबकि डी ए पी और एम ओ पी के संबंध में निरंतर बिक्री के लिए इनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है जिसे विवरण से देखा जा सकता है। जहाँ तक डीएपी का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देश जहाँ मक्का और गन्ने जैसी फसलों से एथनॉल का उत्पादन किया जाता है, इनकी मांग में काफी वृद्धि होने के कारण विश्व भर में इसकी उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप, विश्व व्यापार में डीएपी के साथ-साथ इसकी मध्यवर्ती–फॉस्फोरिक एसिड और इसके कच्चे माल–रॉक फॉस्फेट के मूल्यों में तीव्र और अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पोत परिवहन प्रभारों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। परंपरागत रूप से कंपनियों द्वारा फॉस्फेटिक एसिड और इसके कच्चे माल–रॉक फॉस्फेट के मूल्यों में तीव्र और अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पोत परिवहन प्रभारों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। परंपरागत रूप से कंपनियों द्वारा फॉस्फेटिक उर्वरकों का आयात किया जाता है और इन्हें सामान्य व्यापार माध्यमों के जरिए वितरित किया जाता है। इसके विपरीत इस वर्ष कंपनियों द्वारा सामान्य से बहुत कम आयात किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को वक्तव्य मिल गया होगा। माननीय मंत्री महोदय, इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैं वक्तव्य का शेष अंश सभा पटल पर रखता हूं।

*सरकार ने हस्तक्षेप किया और रबी मौसम के लिए आयात की व्यवस्था की राज्य सरकारों से मई, 2007 में कहा गया था कि वे या तो आयात की स्वयं व्यवस्था करें या केन्द्रीय राज्य व्यापार एजेंसियों से स्टॉक प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त एजेंसी को नामित करने की वैकल्पिक व्यवस्था करें, और संबंधित राज्यों में उनके वितरण की व्यवस्था करें। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं और स्टॉक को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उर्वरक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की कि सभी राज्य पर्याप्त स्टॉक प्राप्त कर सकें।

डीएपी की आपूर्ति में कमी को देखते हुए सरकार ने मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) को राजसहायता के अंतर्गत लाने और इसका आयात करने की व्यवस्था की है और इस वर्ष एमएपी के अधिकतम खुदरा मूल्य को डीएपी के मूल्य के समान रखा गया है। हालांकि इसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है।

मेरे मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि रबी 2007-08 के लिए डीएपी की मूल उत्पादन अनुसूची को 20.19 लाख मी. टन से संशोधित कर 26.13 लाख मी.टन कर दिया जाए। उत्पादन अनुसूची को कुल मिलाकर अपनाया जा रहा है और दबाव को कम करने में मदद मिली है।

राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी तीनों उत्पादों की मात्रा को दर्शाते हुए प्रत्येक माह जिलावार और कंपनी-वार आपूर्ति योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रेषण आधारित राजसहायता निर्मुक्त करने की पूर्व में अपनाई गई प्रणाली (यूरिया के संबंध में) के विपरीत मेरा मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि राजसहायता प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले में आपूर्ति योजना के अनुसार स्टॉक पहुंचने के बाद ही निर्मुक्त की जाए। फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के संबंध में राजसहायता वास्तविक बिक्री के आधार पर दी जाती रहेगी।

सरकार किसानों की उर्वरक संबंधी जरूरतों के प्रति पूरी तरह सचेत और सजग है तथा यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रही है कि उनकी आपूर्ति समय पर की जाए। इस संदर्भ में यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में उर्वरकों की उत्पादन/आयात की बढ़ती लागत के बावजूद भी इसके मूल्यों को स्थिर रखा है। हालांकि भारत सरकार यह देखने का प्रयास करती रहेगी कि सभी राज्यों में किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति हो लेकिन राज्य सरकारों की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे राज्यों के भीतर इनका समान वितरण सुनिश्चित करे और यह सुनिश्चित करे कि व्यापारियों द्वारा कदाचार न किया जाए।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

विवरण

यूरिया की माहवार उपलब्धता और बिक्री

रबी 2007-08 यूरिया ('000टन)

राज्य	माह	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	अक्तूबर	431.95	183.54
	नवम्बर	380.14	119.42
कर्नाटक	अक्तूबर	155.40	94.63
	नवम्बर	124.13	32.89
केरल	अक्तूबर	19.20	10.65
	नवम्बर	23.99	12.84
तमिलनाडु	अक्तूबर	150.52	119.69
	नवम्बर	157.17	111.40
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	अक्तूबर	181.25	45.75
	नवम्बर	291.95	98.65
मध्य प्रदेश	अक्तूबर	235.19	166.17
	नवम्बर	324.30	191.04
छत्तीसगढ़	अक्तूबर	50.32	5.68
	नवम्बर	49.34	4.70
महाराष्ट्र	अक्तूबर	243.80	68.30
	नवम्बर	311.76	86.00
राजस्थान	अक्तूबर	190.15	118.56
	नवम्बर	207.43	147.20
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	अक्तूबर	350.00	145.00
	नवम्बर	393.16	185.00
पंजाब	अक्तूबर	270.25	164.90
	नवम्बर	320.99	195.50
उत्तर प्रदेश	अक्तूबर	818.00	220.30
	नवम्बर	973.70	332.49

1	2	3	4
उत्तरांचल	अक्तूबर	21.79	7.00
	नवम्बर	30.79	10.23
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	अक्तूबर	203.66	84.59
	नवम्बर	261.35	122.47
झारखण्ड	अक्तूबर	17.73	4.54
	नवम्बर	20.77	8.87
उड़ीसा	अक्तूबर	89.46	13.17
	नवम्बर	83.80	3.04
पश्चिम बंगाल	अक्तूबर	152.72	93.14
	नवम्बर	149.72	130.71

अक्तूबर माह के आंकड़े वास्तविक हैं

नवम्बर माह की उपलब्धता 30.11.2007 तक की है और बिक्री अनंतिम है

डीएपी की माहवार उपलब्धता और बिक्री

रबी 2007-08 **डीएपी** ('000टन)

राज्य	माह	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	अक्तूबर	84.21	75.24
	नवम्बर	46.45	41.88
कर्नाटक	अक्तूबर	42.37	42.31
	नवम्बर	22.79	17.88
केरल	अक्तूबर	4.50	2.74
	नवम्बर	2.94	1.15
तमिलनाडु	अक्तूबर	39.92	35.82
	नवम्बर	22.57	18.04
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	अक्तूबर	104.34	59.83
	नवम्बर	132.57	125.81
मध्य प्रदेश	अक्तूबर	200.72*	90.41
	नवम्बर	208.44	89.33
छत्तीसगढ़	अक्तूबर	4.56	3.84
	नवम्बर	5.56	4.17

1	2	3	4
महाराष्ट्र	अक्तूबर	57.15	50.14
	नवम्बर	48.78	31.93
राजस्थान	अक्तूबर	207.29*	132.41
	नवम्बर	145.87	75.06
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	अक्तूबर	255.59*	215.25
	नवम्बर	116.70	95.00
पंजाब	अक्तूबर	377.66*	169.05
	नवम्बर	274.83	66.87
उत्तर प्रदेश	अक्तूबर	341.00*	164.99
	नवम्बर	459.01	318.00
उत्तरांचल	अक्तूबर	3.84	2.56
	नवम्बर	3.48	2.94
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	अक्तूबर	29.89	14.13
	नवम्बर	94.16	53.16
झारखण्ड	अक्तूबर	4.01	3.49
	नवम्बर	6.81	5.23
उड़ीसा	अक्तूबर	11.28	3.17
	नवम्बर	15.48	5.21
पश्चिम बंगाल	अक्तूबर	41.71	27.49
	नवम्बर	30.14	17.81

अक्तूबर माह के आंकड़े वास्तविक हैं
राज्य संघ स्टॉक शामिल है
नवम्बर माह की उपलब्धता 30.11.2007 तक की है और बिक्री अनंतिम है

रबी 2007-08

एमओपी

('000टन)

एमओपी की माहवार उपलब्धता और बिक्री

राज्य	माह	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	अक्तूबर	60.58	50.50
	नवम्बर	35.41	25.35

1	2	3	4
कर्नाटक	अक्तूबर	37.86	23.54
	नवम्बर	32.09	9.97
केरल	अक्तूबर	9.66	9.66
	नवम्बर	15.95	14.16
तमिलनाडु	अक्तूबर	74.23	48.04
	नवम्बर	66.19	41.55
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	अक्तूबर	23.32	16.94
	नवम्बर	22.12	15.54
मध्य प्रदेश	अक्तूबर	14.74	12.40
	नवम्बर	5.45	3.27
छत्तीसगढ़	अक्तूबर	2.97	0.67
	नवम्बर	4.90	2.60
महाराष्ट्र	अक्तूबर	27.28	9.80
	नवम्बर	38.38	14.10
राजस्थान	अक्तूबर	4.48	2.26
	नवम्बर	2.77	1.15
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	अक्तूबर	6.54	4.94
	नवम्बर	1.60	0.98
पंजाब	अक्तूबर	8.58	7.22
	नवम्बर	3.77	1.83
उत्तर प्रदेश	अक्तूबर	9.00	9.00
	नवम्बर	6.00	3.00
उत्तरांचल	अक्तूबर	0.96	0.96
	नवम्बर	1.59	0.34
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	अक्तूबर	15.45	11.39
	नवम्बर	26.36	16.18
झारखण्ड	अक्तूबर	1.86	1.38
	नवम्बर	2.18	1.92
उड़ीसा	अक्तूबर	26.33	5.09
	नवम्बर	21.74	1.33
पश्चिम बंगाल	अक्तूबर	32.51	23.12
	नवम्बर	33.14	24.07

अक्तूबर माह के आंकड़े वास्तविक हैं

नवम्बर माह की उपलब्धता 30.11.2007 तक की है और बिक्री अनंतिम है

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तर को भी देखा है। यहाँ मैं उनके वक्तव्य से कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति हेतु योजनाएं बनायी थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन उर्वरकों की कमी को पूरा करने हेतु क्या योजनाएं बनायी थीं। दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि वह यह कहते हैं कि–सभी राज्यों में स्थिति काफी संतोषजनक है। मुझे इन राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं दिखती। उर्वरकों की भारी मांग है। बड़ा संकट यह है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया शांत हो जाइए।

डा. चिन्ता मोहन: मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। परन्तु उर्वरकों की भारी मांग है और किसान बहुत परेशान हैं।

तीसरा स्पष्टीकरण जो मैं उनके वक्तव्य से जानना चाहता हूं वह यह है कि वह कहते हैं कि सरकार ने कदम उठाया और रबी सीजन हेतु आयात की व्यवस्था की। महोदय, रबी सीजन की शुरूआत दो महीने पहले हो चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन उर्वरकों के आयात की व्यवस्था कब की।

मंत्री महोदय से मेरा चौथा स्पष्टीकरण यह है कि उन्होंने कहा है कि उर्वरक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की कि सभी राज्यों को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो। राज्य इन स्टॉकों को किस प्रकार से प्राप्त करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: सभा में बहुत अधिक निजी बातचीत हो रही है। मुझे खेद है। माननीय सदस्यों, कृपया शांति बनाए रखें।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, मैं मंत्री जी से पांचवां स्पष्टीकरण यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य के अंतिम पैराग्राफ में यह बताया है कि सरकार किसानों की उर्वरकों की जरूरत के प्रति पूर्णत: जागरूक और सक्रिय है।

मुझे इस वक्तव्य को तैयार किए जाने के संबंध में जानकारी नहीं है। 'सरकार पूर्णत: जागरूक है' का अभिप्राय क्या है? वह बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। आज मंत्री जी ने बहुत सहजता से यह बात कही कि विश्व में उर्वरकों की कमी है तथा ब्राजील और संयुक्त राज्य अमरीका में उर्वरकों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसी वजह से भारत में इसकी कमी हुई है। आज प्रत्येक जिले व प्रत्येक गाँव में उर्वरक की कमी की भारी समस्या है। किसान फसलों की बुआई व पौधरोपण करने में समर्थ नहीं हैं।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस अव्यवस्था और समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में, हम किसान को एक बोरी उर्वरक देने में समर्थ हैं परन्तु अगले वर्ष हम उन्हें एक कि.ग्रा. उर्वरक की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि पूरे विश्व व भारत में उर्वरकों की भारी कमी है तथा हम इस समस्या से निपटने के लिए कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं। उर्वरकों की भारी कमी होने जा रही है; बिजली की भारी किल्लत होने जा रही है; और खाद्यान्नों की भी भारी कमी होने जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं से निपटने हेतु उनकी रणनीति क्या है।

अध्यक्ष महोदय: 'विद्युत' संबंधी विषय उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, वह अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों का उत्तर दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: निश्चित रूप से।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): महोदय, मैं भी अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी तो रूल फॉलो कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम किसान की बात करते हैं तो किसान को जितनी चीजें चाहिए, उनके मिलने की समस्या है। उसके बावजूद भी वह अन्न पैदा करता है और केन्द्र के भंडार में भेजता है, लोगों को देता है। जितनी चिन्ता उसके बारे में होनी चाहिए, सरकार उतनी चिन्ता नहीं करती। डीएपी की इंपॉर्टेन्स किसान के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि डीएपी रूट्स को मजबूत करता है। अगर डीएपी न डाला जाए तो सारी जमीन बंजर हो जाएगी। स्टेटमैंट में जो आंकड़े मंत्री जी ने हमें दिये हैं, उससे लगता है कि किसानों को खाद की समस्या ही नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो आज के समाचार-पत्र जो पंजाब से छपे हैं, उनको आप देख सकते हैं कि कितने किसान आज सड़कों पर आकर इस खाद के लिए लड़ने को तैयार हैं। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है

[श्री अविनाश राय खन्ना]

और डिमांड कम है तो फिर समस्या किस बात की है? ये आंकड़े हाउस को मिसलीड करने के लिए या शायद किसानों को खुश करने के लिए दिये गये हैं। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है और सेल कम हैं तो फिर खाद किसके पास पड़ी है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी दिसम्बर महीना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको तीनों खादों–यूरिया, डीएपी और एमओपी की बहुत जरूरत है। क्या मंत्री जी सदन को एश्योर करेंगे कि आने वाले समय में किसान को इस खाद को लेने के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, उसको सड़कों पर जाम नहीं लगाना पड़ेगा, उसको खाद आराम से मिल पाएगी?

एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं। यह साल में किसी खास समय की बात नहीं है। हर फसल में खाद की जरूरत होती है। क्या केन्द्र सरकार कोई ऐसा प्लान बनाएगी कि आने वाले समय में किसान को खाद आराम से मिल पाए? जब डिमांड आए, उस समय हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट करने के बाद काफी खाद अभी तक इसलिए पोर्ट पर पड़ी है क्योंकि अनाज पोर्ट से नहीं उठाया गया। जो जानकारी है, उसके मुताबिक कम से कम चार महीने और लगेंगे। इन चार महीनों में खाद को उपभोक्ता के पास, किसान के पास कैसे पहुंचाया जाएगा? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद की कमी न आए, सरकार की इसके लिए जो लॉंग टर्म प्लान है, क्या वह बनाएगी?

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ प्रश्न पूछिये प्लीज।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी-उपस्थित नहीं।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य देखा। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य को जैसा कि आपने अपने विवरण में दिया है, पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धि कराई है, लेकिन राज्य सरकार का कथन है कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिली जिसके कारण वहां काफी संकट रहा। इस बारे में वहां का एक प्रतिनिधिमंडल भी आपसे मिला था और आपसे अनुरोध किया था कि जो खाद नहीं पहुंच रही है, वह समय पर पहुंचे। मैं जानना चाहता हूं कि जो एमएसपी, डीएपी या यूरिया है, इनकी उपलब्धता के बारे में वर्तमान में जो संयंत्र काम कर रहे हैं, देश के अंदर लगभग 56 बड़े कारखाने तथा 72 छोटे कारखाने काम कर रहे हैं। उन कारखानों में जो उत्पादन होता है, आप इन्हें सीधे सब्सिडी देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सब्सिडी आप सीधे किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं या इसके बारे में कोई विचार हुआ है? सीधे किसानों को सब्सिडी देने में लाभ हैं, क्योंकि इन पर भार बढ़ा है। आप सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी का भी ले रहे हैं, लेकिन दोनों का मिला करके ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है और इसकी कोई जांच-पड़ताल भी नहीं हो रही है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों ने जितना खाद मांगा है, उतना उन्हें अपलब्ध कराया है और यदि उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई है तो वह किस प्रकार की है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप किसानों को सीधे सब्सिडी उपलब्ध कराना चाहते हैं और क्या इन खादों की गुणवता के बारे में आपकी कोई नियंत्रण एजेंसी हैं, जो यह देख सके कि वास्तव में उचित मात्रा में इन्हें खाद मिल रही है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में दूसरी चीजें मिला दी जाती हैं, इस कारण खाद में जो गुणवत्ता आनी चाहिए, वह नहीं आती है, ठीक इसी प्रकार से डीएपी और अन्य चीजों में भी है। इस गुणवत्ता की जांच के बारे में आपकी प्रणाली क्या है और क्या समय-समय पर आप इस गुणवत्ता की जांच करते हैं और यदि की है तो क्या उन उर्वरक उत्पादकों के प्रति आपने कोई कठोर कार्यवाही की है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि सभी राज्यों में यूरिया की स्थिति काफी अच्छी है, ये आपने गलत बयानी की है। मैं समझता हूं कि जो भी खाद प्राप्त होती है, वह ठीक प्रकार से वितरित नहीं हो पा रही। आपने अपने वक्तव्य में इतनी सी बात कही है, आप अगर राज्य सरकार पर डालना चाहेंगे तो अलग बात है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यूरिया और डीएपी भी नहीं मिल पा रहा है और इसकी बिक्री की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आपने अंत में कहा है कि हमने ये व्यवस्थाएं की हैं और करेंगे। सरकार किसानों की उर्वरक संबंधी जरूरतों के प्रति पूरी तरह सचेत और सजग है, सरकार तो आप ही की है। अगर आप राज्य सरकार या अन्य सरकारों पर डालना चाहें तो अलग बात है, मैं तो सरकार आपको मानता हूं और आपकी जिम्मेदारी है। सरकार सभी प्रयास कर रही है, समय पर खाद आपूर्ति की जाएगी, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक समय पर खाद की आपूर्ति की जाएगी? क्या जब खेती बर्बाद हो जाएगी, तब आपूर्ति की जाएगी? मैं आपसे बिजली की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान में बिजली की कटौती बार-बार हो रही है, केन्द्र सरकार हमें बिजली नहीं दे पा रही है। इस संबंध में मैं विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं यह चाहता हूं कि जो खाद मिलनी चाहिए, वह ठीक समय पर मिले। इस समय राजस्थान के किसान दुखी हैं, उन्हें न समय पर खाद मिल रही है और न ही बिजली मिल रही है, इसलिए खेती बर्बाद हो रही है। इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को, दोनों प्रकार की खाद ठीक

प्रकार से मिल जाए। राजस्थान सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि जो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि अन्य जो प्रदेश हैं, वे भी आज खाद के मामले में दुखी हैं। खाद का विभाग आपके पास है, इसलिए मेरी आपसे पार्थना है कि राज्य सरकारों पर आरोप न लगाते हुए, आपने इनके लिए क्या व्यवस्था की है कि इन्हें समय पर ठीक से खाद मिल जाए। जहां खाद आता है, वह वहीं पड़ा-पड़ा सड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि देश के जितने भी प्रांत हैं, उन सबको ठीक से समय पर खाद मिल सके, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। राजस्थान के साथ-साथ अन्य प्रांतों को भी ठीक से समय पर खाद मिले, यह आपसे मेरा अनुरोध है। आप ठीक प्रकार से समय पर सब को खाद दे पाएं, इसके लिए आपने क्या ठोस प्रयास किए हैं, यह आप बताने का प्रयत्न करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माफ कीजिए,

[अनुवाद]

मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले मुद्दे पर जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? क्या आप अधिकार के रूप में यह दावा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे वाद-विवाद के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। आपने कोई नोटिस देने की कभी जहमत नहीं उठाई। आपने कभी परवाह नहीं की है। अन्य माननीय सदस्यों ने नियमों के अनुसार नोटिस दिए हैं, पांच नामों को चुना गया है। मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, यदि आप मंत्री जी का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मंत्री मंहोदय को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री उदय सिंह, आपका बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी अनुमति के बगैर कभी भी अपनी मर्जी से कोई मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: महोदय, मेरा राज्य अव्यवस्था की स्थिति में है और वहां 'आक्रोश' है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस देने की परवाह क्यों नहीं की। आपने कभी भी कोई नोटिस देने की जहमत नहीं उठाई और आप कह रहे हैं कि आपके राज्य में 'आक्रोश' है। खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग गुस्सा होते हैं, तो हों, मैं इस विषय पर अब और बोलने नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए, मैं कह चुका हूं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। श्री कृष्णदास, आप अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं। अध्यक्षपीठ की अवहेलना न करें।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट): मैंने एक नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह समुचित नोटिस नहीं है। इस मुद्दे पर मात्र पांच सदस्यों को अनुमति दी गयी है।

अब माननीय मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, मैं कह चुका हूं कि मैं किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दूंगा। श्री कृष्णदास मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप जानबूझकर मेरी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी अवहेलना कर रहे हैं।

श्री एन.एन. कृष्णादास: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: 'नहीं, महोदय' कहने का यह अर्थ नहीं है कि आप मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ जी, मैं आज अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं ध्यानकर्षण प्रस्ताव नोटिस आमंत्रित करता रहा हूँ। जब मैंने पाया कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया। मैंने कभी किसी से कोई नोटिस प्राप्त नहीं की है। अब आप यह जता रहे हैं। कि आप इस संबंध में काफी चिन्तित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ की बात में व्यवधान मत डालिए। यह बुरी आदत है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने तो आपसे आग्रह किया है।

अध्यक्ष महोदय: आग्रह करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं आपके नोटिस द्वारा बाध्य नहीं हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ जावले (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। बैठ जाइए। आप नए सदस्य हैं, आप उनसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हम आपसे विनती करते हैं। आप बैठिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप में से नियम 193 के अन्तर्गत डिसकशन के लिए किसी माननीय सदस्य ने नोटिस भी नहीं दिया था।

[अनुवाद]

मुझे बहुत प्रसन्नता होती। सभा के मद्देनजर मैंने पहली बैठक में घोषणा की थी कि जहां तक संभव होगा, मैं अधिक से अधिक ध्यानाकर्षण की अनुमति दूंगा जो कभी नहीं हुआ है। इस सभा में मैंने कितने ध्यानाकर्षण की अनुमति दी है? मैं प्रतिदिन लगभग दो की अनुमति दे रहा हूं। आज मैंने एक ध्यानाकर्षण की अनुमति दी है क्योंकि दूसरे ध्यानाकर्षण के लिए माननीय मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे। अन्यथा दो ध्यानाकर्षण चर्चाएं होतीं। मैंने सभी से अनुरोध किया है।

यह एक प्रक्रिया है। जब केवल एक सदस्य होता है तो मैं पांच या उससे अधिक की अनुमति देता हूं। परन्तु यहां ऐसे पांच माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने सूचना दी है, आप, अब ध्यानाकर्षण के अंतर्गत उचित चर्चा कराने के लिए एक अन्य माननीय सदस्य के प्रयासों का लाभ उठाना चाहते हैं। मैंने उसकी अनुमति दी थी, परन्तु अब आप सामान्य चर्चा कराना चाहते हैं। आज आप सभी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं।

कृपया सहयोग कीजिए। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप बैठ जाइए। कल आप नोटिस दीजिए। मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: कभी-कभी आप कृपा करते हैं, तो सात-आठ लोगों को भी बोलने का अवसर दे देते हैं। आज पांच सदस्य भी नहीं बोले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यही कह रहा हूं।

[हिन्दी]

किस पांचवें सदस्य को बोलने का अवसर दूं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, हमें पांचवें सदस्य के रूप में बोलने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: क्यों केवल आपको अवसर दूं? नहीं, सौरी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास, आपके लिए बेहतर होगा कि आप नियम पुस्तिका की एक प्रति लेकर उसे पढ़ें।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: मैंने सुबह नोटिस दिया था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कॉलिंग अटेंशन मोशन का नोटिस नहीं होता है।

[अनुवाद]

मेरे पास नौ और माननीय सदस्यों के नाम हैं। अब केवल माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा और कुछ नहीं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी आप 7-8 मैम्बर्स को बोलने का समय देते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह पुराना जमाना था। हम आपको अब बोलने के लिए समय नहीं देंगे। आप कल नोटिस दीजिए। हम आपको एलाऊ करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं मैं अनुमति नहीं दूंगा, श्री कृष्णदास। आप जानबूझकर मेरी अनसुनी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हमे केवल एक सवाल पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं सौरी। हम माफी मांगते हैं। दोनों हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैंने उसे नामंजूर कर दिया है। हमें जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: हम इतना सहयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रैस्पोंस नहीं होता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप एक महत्वपूर्ण दल के नेता हैं।

[हिन्दी]

हम आप सबसे अपील करते हैं, थोड़ा सा हाउस को चलाने दीजिए, वरना चेयर को फैंक दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे माननीय सदस्य डॉ. चिन्ता मोहन जी को, अविनाश राय खन्ना जी को, लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी को, गिरधारी लाल भार्गव जी को और तमाम सदस्यों को कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया और आपके कालिंग अटेंशन के रूप में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में इसको स्वीकार किया है। *...(व्यवधान)* हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फुल डिस्कशन करना चाहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक अध्यक्षपीठ अनुमति न दे, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सबसे बड़ी बात है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं डिटेल में इस पर जाने की कोशिश करूंगा। चूंकि यह मामला कोई एक साल का नहीं है, हर साल जब आता है, फर्टिलाइजर का समय आता है, चाहे इस पक्ष की सरकार हो, चाहे उस पक्ष की सरकार हो, यह मामला हमेशा उठता रहता है। बहुत से साथियों ने कहा कि हमने अपने वक्तव्य में राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। हमने कहीं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। मध्य प्रदेश के हमारे साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हाय-तौबा मच रही है, किसान जान दे रहे हैं

...(व्यवधान)

मैं ऑन रिकार्ड कहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज से 20 दिन पहले मेरे पास आये थे, और कुछ कहने के लिए नहीं आये, सिर्फ यही कहने के लिए आये कि पासवान जी, जिस तरीके की आपने व्यवस्था फर्टिलाइजर की की है, हमारी कोई शिकायत नहीं है, हम केवल धन्यवाद देने के लिए यहां आये हैं, और कोई दूसरा काम करने के लिये नहीं आये हैं। वे हमारे यहां आये, चाय पी और चाय पीकर उन्होंने जाने का काम किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहने का काम किया। मैंने स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट में माननीय सदस्य को जिस राज्य की गलती लगती है, आपके पास स्टेटमेंट है, जिस राज्य का भी आप देखेंगे, जो उपलब्धता और बिक्री है। दोनों में यदि कहीं बिक्री ज्यादा हुई हो या उपलब्धता के बराबर भी हुई हो तो हम उसके लिए दोषी हैं और यदि उपलब्धता आपके पास है और आप बिक्री नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और यदि हमारा यह स्टेटमेंट गलत है *...(व्यवधान)* एक मिनट सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. पांडया, आप बाद में पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, 1977 से यहां हम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम लोग भी अपोजीशन में रहे हैं, अब सरकार में हैं। आपको पूरा अधिकार है, जो एफ. एम. एस. (फर्टिलाइजर मोनेटरिंग सिस्टम) है और जिसके तहत आज हमारी कोई चीज सीक्रेट नहीं है, हमने सारी चीज को वैबसाइट पर डाला हुआ है, पहले होता था कि स्टेट में मामला पहुंच जाता था, तब हम सब्सिडी देते थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट में जब खाद पहुंचता है, तब हम उसको सब्सिडी देने का काम करते हैं और यह विवरण पूरा का पूरा आपके पास है। यदि यह गलत है तो आपको पूरा अधिकार है कि हमारे खिलाफ आप प्रिवलेज मोशन लाइये, हम कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीधी कह देना कि बिल्कुल यह है, वह है, सफेद झूठ है या झूठ है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं।

हम लोग मोनेटरिंग करते हैं, जिस तरीके से आप हमसे क्रिटीकल रूप में पूछते हैं, उसी तरीके से हम भी अपने डिपार्टमेंट में सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 10-15 मिनट का आपका टाइम मैं इसमें लूंगा और मैं चाहता हूं कि इस पर सदन गम्भीरतापूर्वक विचार करे। हमारे पास आज यूरिया का प्रोडक्शन 200 लाख टन है, डी. ए. पी. का हम 46 लाख टन प्रोडक्शन करते हैं, बाकी इम्पोर्ट करते हैं। यूरिया का

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां हम 2004-2005 में 6 लाख टन इम्पोर्ट करते थे, अब उसका इम्पोर्ट बढ़कर 73 लाख टन हो गया है। डीएपी का जहां हम वर्ष 2003-04 में 7 लाख टन का इंपोर्ट करते थे, आज 30 लाख टन का इंपोर्ट करते हैं, एम ओ पी का जहां 25 लाख टन इंपोर्ट करते थे वहीं आज हम 36 लाख टन का इंपोर्ट कर रहे हैं। जो बिक्री होती थी, उसके बारे में आंकड़े ये हैं–वर्ष 2003-04 में यूरिया की 195 लाख टन बिक्री होती थी, आज उसकी बिक्री 264 लाख टन की हो रही है, डीएपी की बिक्री 55 लाख टन की होती थी, आज उसकी बिक्री 85 लाख टन की हो रही है, एमओपी की बिक्री 16.47 लाख टन की होती थी, आज उसकी 33.78 लाख टन की बिक्री हो रही है, कांप्लेक्स जो हमारे अंडर में नहीं है, उसकी हम मानिटरिंग भी नहीं करते हैं, उसकी 47.57 लाख टन की बिक्री होती थी, लेकिन आज उसकी 74.82 लाख टन की बिक्री हो रही है।

अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी डिमांड है, यह कितनी बढ़ने वाली है। वर्ष 2011-12 में यूरिया की डिमांड 287 लाख टन की हो जाएगी, जबकि हम प्रोडक्शन दो सौ लाख टन की करते हैं, इसका मतलब हम सारा का सारा इंपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से डीएपी का 95 लाख टन इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा, अभी 79 लाख टन की आवश्यकता है, इसी तरीके के कांप्लेक्स का 77 से बढ़कर 93 लाख टन की हो जाएगी। सरकार चाहे इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी में हम 45 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं। किसान का जो एमआरपी है, जो किसान का मूल्य है, उसे हमने बढ़ाने का काम नहीं किया है, चाहे वह यूरिया हो, चाहे डीएपी का हो या एमओपी हो, जिस रेट पर किसान को तीन-चार साल पहले ये मिलते थे, आज भी उसी रेट पर हम उसे दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल प्राइज बहुत बढ़ गए हैं। वर्ष 2003-04 में यूरिया 156 यूएस डालर प्रति टन मिलना था, आज बढ़कर 407 हो गया है, डीएपी मिलता था 203 डालर प्रति टन, लेकिन आज उसकी कीमत 600 डालर प्रति टन हो गयी है, एमओपी जो 123 डालर प्रति टन मिलता था वह 325 डालर में मिल रहा है। हमारे ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर कई लोगों का कहना था कि चार गुना दाम बढ़ गए हैं, आप उर्वरक की कीमत क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हम लोग किसान के हित में कह रहे हैं कि किसान को जो एमआरपी की कीमत पर डीएपी, एमओपी या यूरिया मिल रहा है, हम उसी कीमत पर बेचने का काम करेंगे और उसी कीमत पर बेच रहे हैं। फर्टीलाइजर सब्सिडी को अगर आप देखेंगे, तो वर्ष 2003-04 में 8509 रुपए यूरिया पर थी, जो आज बढ़कर 25 हजार 654 रुपए हो गयी, डीएपी पर 3 हजार 326 रुपए थी, जो आज बढ़कर 20 हजार 5 रुपए हो गयी। जो टोटल सब्सिडी थी वह 11 हजार 835 थी, वह किसान के हित में आज बढ़कर 45 हजार 659 करोड़ रुपए हो गयी है। इतना होने के बावजूद भी जो हमारा डीएपी का कास्ट है, जो इसका इंपोर्टेड प्राइज है, वह 27 हजार 6 सौ रुपए प्रति टन पड़ता है और जो हम देश में बनाते हैं, उसकी कास्ट 18 हजार 155 रुपए प्रति टन पड़ता है, लेकिन हम किसान को केवल 9 हजार 350 रुपए प्रति टन दे रहे हैं, एमओपी हम इंपोर्ट 12 हजार 323 रुपए प्रति टन में करते हैं और किसान को सिर्फ 4 हजार 455 रुपए में दे रहे हैं, यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं 17 हजार 780 रुपए में, हमारा डोमेस्टिक प्रोडेक्शन 11 हजार 674 रुपए में होता है, लेकिन हम किसान को केवल 4 हजार 830 रुपए में देने का काम कर रहे हैं। यह फैक्चुअल है।

हमसे कहा जा रहा है कि सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि वर्ष 1992 के पहले जितने फर्टीलाइजर्स थे, चाहे यूरिया, चाहे डीएपी या एमओपी थे, सारे सरकार के कंट्रोल में अंदर थे। वर्ष 2003 तक यूरिया पूरा सरकार के कंट्रोल में था। सन् 2003 में यूरिया को 50 प्रतिशत कंट्रोल कर दिया गया, 50 प्रतिशत डीकंट्रोल कर दिया गया। आज की तारीख में सारे फर्टीलाइजर डीकंट्रोल में भी उपलब्ध हैं। डीकंट्रोल का मतलब होता है ग्लास, लोटा, थाली हैं, बाजार में जाएं और पैसे देकर खरीद लें। हम सिर्फ 50 प्रतिशत यूरिया, जो मूव होता है, अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन फिर भी हमने सब जगह मौनीटरिंग सिस्टम लागू किया हुआ है। हमने एफएमएस बनाया हुआ है। पहले राज्य के अंतर्गत फर्टीलाइजर पहुंच जाता था तो सबसिडी निकाल लेते थे। हमें इस बारे में बहुत जगह से शिकायत मिली। हमने वेबसाइट खोल दिया। यदि लोग वेबसाइट का नाम देखना चाहें तो हम वह भी दे सकते हैं। उर्वरक की वेबसाइट www-urvarak.co.in है। इस साइट में कोई भी देख सकता है कि कितना माल गया है, कब गया है, कहां गया है, कैसे गया है, किस स्टेशन पर पहुंचा है। आप डीएपी के बारे में कह रहे हैं। हमने मई महीने में सबको खबर कर दी थी। ऐसी बात नहीं है कि डीएपी की कहीं कमी है। लेकिन हां, डीएपी के संबंध में हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। प्राइवेट कम्पनी के साथ क्या दिक्कत है। रोज दाम बढ़ रहे हैं। आज डीएपी, यूरिया का जो दाम है, कल उससे ज्यादा हो जाता है। हम उनके साथ सालभर का एग्रीमैंट करते हैं। वे समझते हैं कि सबसे कम मुनाफे वाला विभाग खाद है। इसीलिए पन्द्रह साल में खाद का कोई नया कारखाना नहीं लगा। जो खाद के कारखाने थे, एनडीए की सरकार में उन्हें बंद कर दिया गया। ...*(व्यवधान)* जब तक मैं था, तब तक बंद नहीं हुए थे। मैं लड़ता रहा। जब मैं हट गया तब वे कारखाने बंद कर दिए गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: व्यवधान मत डालिए। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। केवल उनका वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: पश्चिम बंगाल में हल्दिया का कारखाना था जो बंद पड़ा हुआ है। दुर्गापुर बंद पड़ा हुआ है। बिहार में बरौनी का कारखाना बंद हो गया, सिन्दरी का कारखाना बंद हो गया। रामागुंडम का कारखाना बंद हो गया, गोरखपुर का कारखाना बंद हो गया, तालचर का कारखाना बंद हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अनुचित है। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं और आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह सब हो क्या रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सन् 2003 में एफसीआई और एचएफसी के सारे कारखाने बंद कर दिए गए। *...(व्यवधान)* आपको यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उन सारे कारखानों को खोलने का निर्णय लिया है। *...(व्यवधान)* हम प्रत्येक कारखाने में 10 लाख टन पैदावार करेंगे। *...(व्यवधान)* आठों प्लांट में 80 लाख टन की पैदावार होगी।

...(व्यवधान)

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेट में भेजने का काम है। उसके बाद हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। प्राइवेट सैक्टर ने हमें कहा कि हम 10 से 12 लाख टन आयात करते थे। इस बार उन्होंने कहा कि यह सिचुएशन है, हम 10 से 12 लाख नहीं करेंगे। उन्होंने एक दशमलव कुछ लाख टन खरीफ में किया, 8.64 लाख टन रबी में किया और 3.6 लाख टन रबी की फसल में आयात करने का आश्वासन दिया है। हमने आईपीएल से कहा। हमने कहा कि आप इम्पोर्ट कीजिए। उन्होंने कहा हम इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राइवेट वालों के पास सब जगह डीलर आदि हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमने मई महीने में स्टेट गवर्नमैंट को बुलाकर कहा कि आप सब अपना-अपना नेटवर्क तैयार करो। हम आपको पैसा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम मान लेते हैं कि स्टेट में पहुंच जाये, जैसे गया में पहुंच गया और औरंगाबाद में नहीं पहुंचा, तो क्या इसके लिए राम विलास पासवान जिम्मेदार है? इसके लिए क्या सैंटल गवर्नमैंट जिम्मेदार है? अब ये लोग बार-बार रैक के बारे में कहते हैं। हमने पता लगाया कि रैक की कमी नहीं है। रेलवे से रैक दिया जाता है। थोड़ा बहुत माल उठाने में दिक्कत हो

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी व्यवधान को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: लेकिन सामान वहां पहुंच जाता है और एक स्टेशन पर क्यू में लगा हुआ है। अब आप कहते हो कि पहले सीमेंट उतार दो, अनाज उतार दो। आप क्यों नहीं यह कहते कि फर्टिलाइजर भी हमें प्रॉयरिटी में दो। आपको पूरा अधिकार है कि *...(व्यवधान)* गाजियाबाद में फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है और कानपुर में उसका क्राइसिस है। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वह रेलवे से रिक्वैस्ट करे कि आप इसे डायवर्ट करके कानपुर में भेज दो।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री उदय सिंह आप क्या कर रहे हैं? आपकी परेशानी क्या हैं? क्या इस तरह से बात की जाती है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, यह बात करने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इनको जाना चाहिए। हमें इनको बाहर भेजना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल, आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं चेतावनी दे रहा हूं। यदि कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा तो मैं उसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, आप एक्शन नहीं लेते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम कभी न कभी एक्शन लेंगे। एक दिन हमने एक सदस्य को बाहर भेजा था जिसका हमें दुख लगा था। हमारा जो चिंतन है, उसकी कोई मर्यादा नहीं समझता। हमें इसका उस दिन बहुत दुख हुआ था। इस कारण हम उस रात को सो भी नहीं पाये

[अनुवाद]

ऐसा लगता है कि अब यह बीमारी और संक्रामक होती जा रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको और क्या करेंगे? आप लोग मिनिस्टर की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। जब आप मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, तो क्या वह जवाब नहीं देंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सभा को स्थगित करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, उदय बाबू बार-बार उठ रहे हैं। मैं पटना गया था। वहां मैंने पढ़ा कि शायद डीएपी की किल्लत है। हम वहां से आये, तो हमने पूछा कि वहां इसकी कितनी डिमांड है? हमारे डिपार्टमेंट ने बताया कि अक्तूबर में जब हम खाद दे रहे थे, तो इन लोगों ने कहा कि इस समय बाढ़ है और 20 जिले पानी से घिरे हुए हैं इसलिए हमें खाद नहीं चाहिए। इसके बाद नवम्बर में इन्होंने 60 हजार टन खाद की डिमांड की जबकि इन्हें अभी तक 94 हजार टन भेजी गयी है। इसके बाद 1 लाख 60 हजार टन अभी तक इन्हें मिल गयी होगी। इसे मैं नहीं कह रहा हूं, इनके जो अफसर हैं, मैं हाउस में उस अफसर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनके अफसर ने आकर सर्टिफाइड करके लिखा है। मैं पटना गया था और वहां मैंने चैलेंज किया कि यदि राम विलास पासवान गलत बोलते होंगे, तो हम इस्तीफा देंगे। *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िये।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया विस्तार में मत जाइए। राज्य के मामलों में मत पड़िए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं जो चीज बोल रहा हूं, उसे मैं ऑन रिकार्ड बोल रहा हूं और रिसीट के आधार पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)* जितने स्टेट्स का दिया गया है, सारे के सारे

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान: मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां जितने सदस्य उठे हैं, उनको अपनी-अपनी राज्य सरकार से पूछना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम उसे डिलीट कर देंगे। चीफ मिनिस्टर के बारे में डिलीट कर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: सारे सदस्यों को अपनी-अपनी राज्य सरकार से इस बारे में पूछना चाहिए। यदि राज्य सरकार के पास कम गया होगा, तो केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन राज्य सरकार के पास सही गया है और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। *...(व्यवधान)*

राज्य सरकार को इसे करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं,

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी राज्य का नाम मत लीजिए। आपने आंकड़े दे दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 20क लेगी। माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा वक्तव्य दिया जाना है।

अपराह्न 12.51 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-*जारी*

(पांच) आजादी एक्सप्रेस पर जन-प्रतिक्रिया के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 'आजादी एक्सप्रेस' और यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर उसे मिली जनप्रतिक्रिया के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं जिसे आज की अनुपूरक कार्य सूची में मेरे नाम के सामने दर्शाया और सूचीबद्ध किया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मंत्रालय के सहयोग से 1857 से 15 अगस्त, 1947 तक के समस्त स्वाधीनता संग्राम को दर्शाने वाली इस गाड़ी को देशभर में घुमाने का कार्यक्रम बनाया। इसे देशभर के लाखों छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई

...(व्यवधान)

***परियोजना**

वर्ष 2007 हमारे राष्ट्र के लिए एक स्मरणीय वर्ष है। इस वर्ष, राष्ट्र प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम, 1857 की 150वीं तथा

---

*...*भाषण का यह भाग सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल टी-7786/2007

भारतीय स्वाधीनता की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने इस शुभ अवसर को मनाने के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं। इस समारोह के भाग के रूप में ट्रेन पर एक विशेष चल प्रर्दशनी संकल्पनाबद्ध की गयी ताकि समान्यतया देशवासियों और विशेषकर युवाओं को हमारे गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नि:स्वार्थ बलिदान की भावना से अभिप्रेरित किया जा सके तथा गत 60 वर्षों की उत्कृष्ट उपलब्धियों की जानकारी भी उन्हें दी जा सके। संस्कृति मंत्रालय और रेल मंत्रालय के सहयोग से इस परियोजना को कार्यान्वित करने का दायित्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है।

विषय-वस्तु

इस मोबाइल ट्रेन के 12 कोचों में कुछ जन विद्रोहों, जिनके फलस्वरूप प्रथम स्वाधीनता संग्राम, 1857 हुआ, साम्राज्यवादी सत्ता के विरूद्ध संघर्ष में राष्ट्रवादी नेताओं व विचारकों की भूमिका, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसके फलस्वरूप 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति संभव हो सकी तथा 1947 के बाद के घटनाक्रम का चित्रण किया गया है।

कोच 1 में 1857 से पूर्व के स्वर्णिम युग का चित्रण है।

कोच 2-4, वर्ष 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में हैं।

कोच 5-7 में स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के आगमन से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम का चित्रण है।

कोच 8-10 में पुनरूत्थानशील भारत और प्रगति की ओर अग्रसर भारत का चित्रण है।

कोच 11 संसदीय लोकतंत्र के विकास के बारे में है।

कोच 12, स्मृतिचिह्नों के बारे में है।

लागत

इस परियोजना की कुल लागत मूल रूप से 14.84 करोड़ रुपए प्राक्कलित की गयी थी। तथापि, रेल मंत्रालय ने इस परियोजना द्वारा परिकल्पित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी परिचालन लागत में 50 प्रतिशत की रिआयत की मंजूरी दी है। अभी तक की स्थिति के अनुसार, संस्वीकृत परियोजना लागत 9.27 करोड़ रुपए है।

शुभारंभ

भारत के कुलीनतम सपूतों में से एक शहीद भगत सिंहजी के जन्म शती दिवस अर्थात् 28 सितंबर, 2007 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली से 'आजादी एक्सप्रेस' नामक विशेष चल ट्रेन प्रदर्शनी की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

यात्राक्रम

आठ माह की अवधि में 'आजादी एक्सप्रेस' 21 राज्यों में यात्रा करेगी और 70 मुख्य स्टेशनों में रूकेगी। 'आजादी एक्सप्रेस' द्वारा अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के पश्चात् दिनांक 11.05.2008 को दिल्ली वापसी है।

कवर किए गए राज्य/स्थान

आज तक, प्रदर्शनी ने 20 मुख्य स्थानों नामत: सफदरजंग स्टेशन (नई दिल्ली), पोरबंदर, साबरमती, बड़ोदरा, दौराई, (अजमेर), गांधीनगर (जयपुर), लालगढ़ (बीकानेर), अमृतसर, पठानकोट, जम्मू तवाई, चंडीगढ़, देहरादून, रूड़की, शाहिबाबाद, आगरा छावनी, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, रायपुर और नौ राज्यों नामत: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंव कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भाग कवर किए हैं।

लोगों की प्रतिक्रिया

गुजरात

हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन सीधे गांधीजी की जन्मभूमि पोरबंदर और कर्मभूमि साबरमती गयी। इस ट्रेन के प्रति लोगों का उत्साह इतना अधिक था कि विशाल जन समूह उमड़ पड़ा और लोग ट्रेन में प्रवेश पाने के लिए लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। राष्ट्रपिता के कुछ परिजन भी प्रदर्शनी देखने के लिए आए। बड़ी संख्या में बच्चों सहित 4.5 लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी को देखा।

पोरबंदर में, प्रर्दशनी को स्कूली बच्चों के प्रार्थना सत्र के साथ ही जनता के अवलोकनार्थ खोल दिया गया और उसके बाद महात्मा गांधी पर एक प्रहसन प्रस्तुत किया गया। गीत एवं नाटक प्रभाग ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आकाशवाणी राजकोट ने गांधी जयंती दिवस पर गांधी भजन प्रस्तुत किए और गांधीजी से जुड़े हुए गणमान्य स्थानीय परिवारों तथा कीर्ति मंदिर न्यास के लोगों ने भी प्रर्दशनी को देखा। पोरबंदर में तीन दिन के प्रवास के दौरान 2.5 लाख से अधिक लोगों ने आजादी एक्सप्रेस का दौरा किया।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

साबरमती में, लगभग 2 लाख आगंतुकों ने प्रदर्शनी देखी। निर्वाचन आयुक्त श्री एस. वाई कुरेशी ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

बड़ोदरा में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उस समय सम्मानित किया गया जब वे प्रदर्शनी देखने गए। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. जे. राठवा प्रदर्शनी देखने गए और उसकी सराहना की।

राजस्थान

राजस्थान में भी, जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने की मिली। यहां भी 4 लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी को देखा जिनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं।

जयपुर में, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्रीमती नारंगी देवी और श्री चंपालाल रांका प्रदर्शनी के प्रथम दिन ट्रेन में सवार होने वाले विशिष्ट अतिथियों में थे। जयपुर की डीएफपी यूनिट ने दौराई और जयपुर में आगंतुक स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। जयपुर में 2 लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया।

सालगढ़ (बीकानेर) में एक लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और एकसुर से प्रदर्शनी की तारीफ की। प्रदर्शनी के प्रति इतना अधिक उत्साह था कि श्री बुलाकी दास, विधायक जैसे राय निर्माताओं ने आंगतुक पुस्तिका में लिखा कि चल प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और इसे तहसील स्तर तक भी ले जाया जाना चाहिए। बीकानेर के आंगतुकों ने राय व्यक्त की कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे देश को एकजुट करने का अच्छा प्रयास किया गया है।

पंजाब

दशहरा पर्व के बावजूद पंजाब की प्रतिक्रिया में उतना ही उत्साह था। पठानकोट में बड़ी तादाद में जवानों के परिवारों ने प्रदर्शनी देखी। पंजाब में एक लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया।

अमृतसर में, गीत एवं नाटक प्रभाग ने प्रदर्शनी के पहले दिन देशभक्ति विषय–वस्तु पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जबकि पंजाब पुलिस बैंड ने प्रदर्शनी के समापन दिवस पर भीड़ को भाव-विभोर कर दिया।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ में, 31 अक्तूबर से 3 नवंबर, 07 तक के इसके प्रवास के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने प्रदर्शनी देखी। पहले दिन पंजाब विधान सभा के उपाध्यक्ष माननीय सत पाल गोसाई ने ऐसी शिक्षाप्रद प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी को जन-सामान्य को शिक्षित करने के लिए देश के कोने-कोने में ले जाया जाना चाहिए। चंडीगढ़ में एक लाख तीस हजार से अधिक लोगों ने चल प्रदर्शनी को देखा।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में प्रदर्शनी का स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया था। राज्य सरकार ने प्रदर्शनी की विषय-वस्तु के अनुरूप एक सांस्कृतिक आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में लगभग एक लाख लोग प्रदर्शनी में आए।

रेलगाड़ी ने 28 से 30 अक्तूबर, 2007 तक जम्मूतवी रेलवे स्टेशन पर विराम किया। संस्कृति अकादमी, जम्मू और कश्मीर ने वहां आजादी एक्सप्रेस के आगमन पर शहर में मल्टी मीडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम ओयाजित किए। जम्मू और कश्मीर के माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में पहले दिन जम्मू क्षेत्र का चित्रण करते हुए संगीत एवं लोकनृत्य आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के साथ उद्योग राज्य मंत्री श्री रोमेश शर्मा और कुछ अन्य प्रमुख नेताओं ने 28 अक्तूबर, 2007 को प्रदर्शनी के दर्शन किए। रेलगाड़ी के तीन दिनों के विराम के दौरान अनेक विद्यालयों के बच्चे प्रदर्शनी में पहुंचे और उन्होंने मल्टी मीडिया संबंधी प्रदर्शित वस्तुओं में गहरी रूचि दिखाई।

उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश का भाग

उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक थी कि दो स्थानों पर प्रदर्शनी को निर्धारित समय से पहले खोलना पड़ा और इसके बंद होने के निर्धारित समय के बाद इसे बंद करना पड़ा। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रेलगाड़ी के दर्शन करने दो लाख से अधिक लोग आए।

देहरादून और रूड़की में प्रदर्शनी के पहले दिन नारायण सिंह नेगी और ध्रुव सिंह थापा सहित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पधारे। लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रदर्शनी के बंद होने के समय को आगे बढ़ाना पड़ा।

रूड़की में स्थानीय समन्वयकों ने दीवाली के त्योहार की पूर्व संध्या पर दीपावली उत्सव के उत्साही मिजाज में चल प्रदर्शनी

रेलगाड़ी-आजादी एक्सप्रेस को सुसज्जित किया। **प्रदर्शनी को 50,000 से अधिक दर्शकों द्वारा देखा गया था।**

साहिबाबाद में जनता की ओर से बहुत अधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। 27 विद्यालयों के बच्चों ने समूहों में प्रदर्शनी के दर्शन किए। एक समय तो कतार 300 मीटर से अधिक लंबी हो गई थी। **50,000 से अधिक दर्शकों ने प्रदर्शनी देखी।**

आगरा कैंट में अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी राजा राजेन्द्र सिंह प्रदर्शनी में आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह 1857 के स्वतंत्रता सेनानी राजा महेन्द्र सिंह के वंजश हैं। 15 नवम्बर, 2007 को प्रदर्शनी के विराम के दूसरे दिन भारी भीड़ के कारण प्रदर्शनी को इसके खुलने के निर्धारित समय से पहले खोलना पड़ा था। डी. एफ. पी. एकक ने रेलवे प्लेटफार्म पर विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। **आगरा कैंट में प्रदर्शनी के अंतिम दिन आने वाले लगभग 50,000 दर्शकों में बीस से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल थे।**

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी स्थानों में आम जनता, विद्यार्थियों, युवाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से अत्यधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। **मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 लाख से अधिक लोग प्रदर्शनी देखने आए।**

ग्वालियर में विद्यालयों और महाविद्यालयों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। **प्रदर्शनी के विराम के अंतिम दिन 20.11.2007 को प्रदर्शनी देखने आए लगभग 50,000 लोगों में लगभग 65 सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चे शामिल थे।** कई स्थानीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी प्रदर्शनी में आए।

रायपुर में प्रदर्शनी के पहले दिन रायपुर के रोटरी क्लब ने चल प्रदर्शनी के आयोजन के समय रेलवे प्लेटफार्म के निकट एक कार्यक्रम का आयोजन किया। **राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कुछ अन्य मंत्री एवं नेता भी प्रदर्शनी में पधारे और उन्होंने इसमें गहरी रूचि दिखाई।**

इस समय यह रेलगाड़ी **महाराष्ट्र** में है। इसे नागपुर में अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली है।

नागपुर में प्रदर्शनी के पहले दिन स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी जुलूस के रूप में आए और उनके साथ ढोल की थाप पर स्कूल के विद्यार्थी संगीतमय नृत्य कर रहे थे। गैर राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित एक विशाल समारोह था जिसमें उन्होंने भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन कर इसे उनके शहर तक लाने की सराहना की।

आकाशवाणी नागपुर ने नागपुर में प्रदर्शनी के प्रथम दिन अर्थात 1.12.07 को मोबाईल ट्रेन पर जनता की प्रतिक्रिया के बारे में एक घंटे का सीधा कार्यक्रम प्रसारित किया।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: ऐसा प्रतीक होता है कि भारत के युवकों में मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के बारे में इस चल ट्रेन प्रदर्शनी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी अधिक सफलता मिली है।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा कीजिए। श्री अर्जुन सेठी, आपका मुद्दा ही देश में अकेला मुद्दा नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैं आपको सूची के अनुसार बुलाऊंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यदि आप मुझे आधा-एक-मिनट बोलने की अनुमति दें तो मैं निवेदन करूं? *...(व्यवधान)*

आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज की कार्य-सूची यह दर्शाती है कि हमें आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करनी है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा से यह निवेदन करता हूं कि क्योंकि आपके मार्ग निर्देश और समस्त सभा के सहयोग से हम महत्वपूर्ण विधानों को पारित करा पाए हैं। आज, हमें तीन विधान पारित करने हैं। इनमें से एक को मुझे कल राज्य सभा में ले जाना है क्योंकि राज्य सभा कल इस पर चर्चा कर सकती है और परसों गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का दिन है। इसलिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि संभव हो तो विश्राम की अवधि या मध्याह्न भोजन काल को रद्द कर दिया जाए। ताकि हम कार्यवाही जारी रख सकते हैं। फिर, अपराह्न 2.30 बजे, हम आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा ले सकते हैं।

मेरा केवल यही अनुरोध है। श्री ए. के. एंटोनी का विधेयक, जिसे राज्य सभा ने पारित कर दिया है, लोक सभा में आया है। इसके लिए इंतजार किया जा सकता है। किंतु श्रीमती मीरा कुमार का विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। इसे कल राज्य सभा में भेजा जाएगा। इसलिए, इसे श्री ए. के. एंटोनी के विधेयक से पहले प्राथमिकता दी जा सकती है। मैं, आपसे और सभा से यही निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस पर मद सं. 24 को समाप्त करने के बाद चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, हम हर रोज मध्याह्न भोजन काल को स्पृष्ट कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: डॉक्टर कहते हैं कि इन दिनों यदि आप रोज कम भोजन खाएंगे, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: महत्वपूर्ण मुद्दों पर आने से पहले हम एक मुद्दे को समाप्त कर लेते हैं। मद सं.-23-श्री लालू प्रसाद। आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

अपराह्न 12.53 बजे

रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी संकल्प

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रेल अभिसमय समिति (2004) के तीसरे प्रतिवेदन, जिसे 12 अगस्त, 2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 23 और 24 में यथा अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि यह सभा रेल अभिसमय समिति (2004) के तीसरे प्रतिवेदन, जिसे 12 अगस्त, 2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 23 और 24 में यथाअंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: ममता जी आज सदन में आई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): अध्यक्ष महोदय, मैं नेत्रदान से संबंधित लोकहित का महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। *...(व्यवधान)* नेत्रदान को बढ़ावा देने के अनेक अभियानों के बावजूद देश में कम से कम दो लाख कनीनिकायों (कार्निया) की कमी है *...(व्यवधान)* इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष अब तक मात्र 30,000 आंखें ही प्राप्त की गयी हैं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको कल सूचित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं काफी आश्चर्यचकित हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

डा. के. धनराजू: एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 1.2 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया है। वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

डा. के. धनराजू: मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक नेत्रबैंक पर एक 'ग्रिफ काउन्सलर' की नियुक्ति करे। नेत्रदान की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* कार्नियाजनित नेत्रहीनता हेतु एक व्यापक डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नेत्रदान अभियानों नेत्र बैंक के लक्ष्य को पूरा करने हेतु नेत्रदान अभियानों को अपेक्षित प्राथमिकता और महत्व दिया जाए तथा एक लक्ष्य निर्धारित करके भारत को नेत्रहीनता के अभिशाप से शत-प्रतिशत मुक्ति दिलाए।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): महोदय, ठीक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्गल, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नियम कहां है कि आप को ही सबसे पहले बुलाया जाय?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दूसरों के कहने पर गुमराह न हो।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकता दक्षिण): महोदय, मुझे एक सूचना देनी है। अभी-अभी यह कहा गया है कि सी. बी. आई. ने नंदीग्राम के किसानों के चार शव बरामद किए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं है वह क्या कह रहे थे। वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे थे। यदि आप मुझे नोटिस देते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा और निर्णय लूंगा। यदि आपने कोई नोटिस नहीं दिया है तो आप इस प्रकार से मुद्दा नहीं उठा सकते।

[हिन्दी]

प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरा निर्णय है। मैं इस पर निर्णय लूंगा। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.55 बजे।

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.33 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.33 बजे पुन: समवेत हुई

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय, पांच माननीय मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय खनिज नीति को अपनाने के पहले भारत के प्रधान मंत्री से अपनी बात कहने का अनुरोध किया है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री को उनकी बात सुननी चाहिए तथा उनसे विचार-विमर्श करना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है।

अपराह्न 1.34 बजे

इस समय श्री अर्जुन सेठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मित्रों, यह सब करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रजातांत्रिक तरीका होता है। आप लोग अपने स्थान पर जा सकते हैं और फिर बोल सकते हैं। यह उचित तरीका नहीं है।

मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें। यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अध्यक्ष महोदय को मामले के बारे में लिख सकते हैं और उनकी प्रतिक्रिया के लिए इंतजार कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। हम शेष कार्य करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया शेष कार्य के संचालन में सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रत्येक समस्या का समाधान हैं। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस सभा में नोटिस देकर किसी भी मामले पर चर्चा की जा सकती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अगर आपने नोटिस दिया होता, तो अध्यक्ष महोदय ने उसे लिया होता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मेरे माननीय मित्रों, मैंने आपसे यही कहा है, आप कृपया नोटिस दीजिए, अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय लेंगे। हमलोग अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिलने पर कल इस पर चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कृपया नोटिस दीजिए। हम इस पर कल चर्चा करेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अभी नियम 377 के अंतर्गत मामलों को लेने का समय है। हम प्रक्रिया नियमावली के अुनसार सभा का संचालन करते हैं। हम इस पर नियमानुसार ही चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप कृपया बताएं कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं। अभी नियम 377 के अंतर्गत मामले लेने का समय है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इस चरण में आपके मुद्दे पर चर्चा के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अभी नियम 377 के अंतर्गत मामले लेने का समय है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं नियम के अनुसार ही कार्य कर सकता हूं। मैं केवल नियम का पालन कर सकता हूं। कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपलोग कृपया वापस अपनी सीटों पर जाइए। माननीय गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। वे उत्तर देना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.42 बजे

इस समय श्री अर्जुन सेठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)* हमने इस विषय "ध्यानाकर्षण प्रस्ताव" के लिए नोटिस दिया था और इसे आज के लिए स्वीकृत किया गया था। मंत्री महोदय जानबूझ कर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने से बचे और वे अनुपस्थित रहे। किसी भी मंत्री ने उत्तर दिया होता तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होती *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब गृह मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, हमारी मांग यह है कि राष्ट्रीय खनिज नीति को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को राज्यों के साथ भागीदारी करनी चाहिए। यह संवैधानिक उपबंध है। राज्यों के साथ परामर्श के बिना केंद्र सरकार किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। अब हुडा समिति की सिफारिश राज्यों से अधिकार लेने की gS...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गृहमंत्री महोदय बोलना चाहते हैं। कृपया उन्हें सुनें।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, सरकार खनिज नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। एक समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस समिति की रिर्पोट के आधार पर खनिज नीति संबंधी मंत्रिमंडलीय पत्र तैयार किया गया था और इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। अब मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि नीति काफी महत्वपूर्ण है, अत: इस पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। मैं मंत्रियों के उस समूह का अध्यक्ष था और उस समूह में अन्य मंत्री थे वित्त मंत्री तथा अन्य चार मंत्री सहित उस समूह में पांच मंत्री थे। अब मंत्रियों के उस समूह को मंत्रिमंडल के लिए तैयार किए गए तथा प्रस्तुत किए गए पत्र पर विचार करना था, हुडा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर तथा कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर तथा उन सभी चीजों पर विचार करना था। यह नीति राज्य सरकारों को प्रेषित की गई थी तथा राज्य सरकारों ने इस नीति के संबंध में अपने लिखित वक्तव्य दिए थे। अत:, उन चीजों पर भी विचार किया गया था। इस समिति की एक नहीं बल्कि पांच से छ: बैठकें हुई थीं। बाद में माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से अपना प्रस्तुतीकरण देना चाहते थे। अत:, उन्होंने सोचा कि वे दिल्ली आकर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। और चूंकि यह मामला मंत्रिमंडल के सामने था और चूंकि मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था तथा मंत्रियों के समूह ने कई अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर विचार किया था, मंत्रियों के समूह ने मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था।

उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक तथा अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री आए और अपना मामला प्रस्तुत किया। लगभग दो घंटे तक बैठक हुई और बाद में उन्हें कहा गया:

"देखिए, आपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं, अगर आप अपने विचार लिखित रूप में भी देना चाहते है, तो आपका स्वागत है, आपके अधिकारियों ने राज्य सरकार के विचार को लिखित रूप में भेजा है, तथा भारत सरकार के अधिकारी इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।"

इस लिए इस विषय पर सुनवाई हुई। तत्पश्चात् एक प्रतिवेदन तैयार किया गया और इसे मंत्रिमंडल को भेजा गया। मंत्रिमंडल उन सभी लोगों की राय पर चर्चा करने जा रहा है, जिन्होंने अपने विचार समिति के समक्ष रखे हैं। जब मंत्रिमंडल खनिज नीति पर कोई निर्णय लेगा, तो निश्चित रूप से वह माननीय सदस्यों के सामने भी आएगा और तब माननीय सदस्य इस स्थिति में होंगे कि वे उन विषयों पर अपनी राय दें।

महोदय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों से सलाह-मशिवरा किया गया है। जिन राज्यों में खानें हैं, उनसे परामर्श किया गया है। मुख्यमंत्रियों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है। भारत सरकार इन सभी विषयों के विशेषज्ञों की सहायता से इस पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्यों के विचार भी सामने आएंगे और हम इस नीति को अंतिम रूप देंगे तथा इसके बाद यह नीति अस्तित्व में आ जाएगी। यही स्थिति है।

वे प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, जो सामान्यत: सभी से मिलते हैं और हम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम केवल मुख्यमंत्रियों से ही बठैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब कभी मौका मिलता है तो वे हम से कुछ न कुछ मांग करते हैं या वे फोन पर हमसे बात करते हैं। कई मुद्दों पर हम उनको फोन करते रहे हैं और हम उनसे बात करते रहे हैं।

इसलिए, भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री या भारत सरकार के किसी भी मंत्री को माननीय मुख्यमंत्रियों न केवल मुख्यमंत्री बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों के किसी भी मंत्री, राज्य के किसी भी संसद सदस्य, राज्य के किसी भी विधायक और राज्य के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल कर खुशी होगी। हम चर्चा करते आ रहे हैं।

महोदय, लगत है कि कुछ गलतफहमी हो रही है। यह नीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति हैं और हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं को समझ सकते हैं। इससे पहले कि इस नीति को अंतिम रूप दिया जाए और, भारत सरकार इसे स्वीकार करे, आपको भी इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस संबंध में यदि कोई गलतफहमी या आशंका है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मेरे पास एक स्पष्टीकरण है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, क्या माननीय मंत्री, महोदय, यह सुनिश्चित करेंगे को नीति के अंतिम रूप देने से पूर्व इसके मसौदे पर राज्यों की राय ली जाएगी। मंत्री को उत्तर देना चाहिए *...(व्यवधान)* अब वे राज्यों को प्रारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। राज्यों को कैसे यह पता चलेगा कि क्या हो रहा है? इसलिए, प्रारूप प्रतिवेदन राज्यों को भी भेजा जाना चाहिए। माननीय गृहमंत्री जी से यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय: नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिछले चार-पांच महीनों से पांच मुख्यमंत्रियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे खेद है। किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हुद्दा समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट खंडों में है। राज्य सरकार द्वारा दिये गए वक्तव्य भी कई खंडों में हैं। फिर, कोयला उद्योग, इस्पात उद्योग और खनन उद्योग, सभी ने अपने विचार भेजे हैं। इस उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए दस्तावेजों की संख्या भी बहुत अधिक और ज्यादा पृष्ठों में हैं

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम राष्ट्रीय खनिज नीति संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन के बारे में चर्चा कर रहे हैं

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य गण कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: ये कई वृहत खंडों में हैं और मान लीजिए कि मैं मात्र उनके केवल कुछ ही पृष्ठ पढ़ूंगा मेरे लिए इसे समझ पाना संभव नहीं होगा। लेकिन यदि मैं किसी समिति का सदस्य हूं, तो मुझ से उम्मीद की जाती है कि मैं इन सारे दस्तावेज का अध्ययन करूं, इस विषय पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा करूँ, और कोई निष्कर्ष निकालूं। स्वाभाविक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत-सी बातों को देखना पड़ता है और यही कारण है कि इन्हें मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है और इसीलिए एक मंत्रिसमूह की नियुक्ति की जाती है।

अब, वे कह रहे हैं कि इसको अंतिमरूप देने से पूर्व उनसे विचार विमर्श किया जाए। निश्चित रूप से सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ चर्चा किए बिना यह नीति नहीं बन सकती। इस पर चर्चा होगी *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रारूप प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया समझिए। सभी संबंधित लोगों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। यदि वे चर्चा करना चाहते हैं, तो उनको चर्चा के लिए पुन: अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ यह कहकर समस्या मत पैदा कीजिए कि: देखिये, उनके विचार अलग हैं।'' यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की भी अलग राय है *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कोई अलग राय नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: ...है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब हम राष्ट्रीय इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 पर आगे चर्चा करने संबंधी मद संख्या 24 को लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: यह एक गोपनीय दस्तावेज है

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, मुख्यमंत्रियों को भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किए जाने के लिए एक और मौका दिए जाने में क्या नुकसान है, क्या कठिनाई है? *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि प्रधानमंत्री को सुनना है और किसी नतीजे पर पहुंचना है तो मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है। इसलिए इस संबंध में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में पांच से अधिक मंत्री हैं *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, पांच मुख्यमंत्रियों ने केवल एक ज्ञापन दिया है। इसलिए मुख्यमंत्रियों के विचार एक जैसे ही हैं *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सही नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह सही है। मैं आपको ज्ञापन की प्रति दिखा सकता हूं। मैं इसे सभा पटल पर भी रख सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह सही नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं बोल रहा हूं। माननीय सदस्यों कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मुख्यमंत्रियों से परामर्श करने में भारत सरकार को क्या परेशानी है। क्या वे राज्यों के प्रमुख नहीं हैं? यह राज्य का विशेषाधिकार है। यह भारत सरकार का विशेषाधिकार नहीं है। संविधान ने राज्यों को ये शक्तियां दी हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: जो भी आप बोल रहे हो कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, ये सभा को भ्रमित कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.55 बजे

इस समय श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.55½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामले संबंधी मद संख्या 22 लेंगे। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।
**सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. विट्टल राव (महबूब नगर): मैं सरकार का ध्यान प्रतिष्ठित भारत हैवी प्लेट और वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

काफी समय पूर्व भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (वी एच ई एल) द्वारा इसका प्रबंधन ग्रहण कर लिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 47.00 करोड़ रुपए का बकाया माफ करके पहले ही अपनी सहायता दे चुकी है। बी.एच.पी.वी. का यह बकाया विभिन्न स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी विभागों के प्रति था। यह बी एच पी वी के कब्जे वाली भूमि विलेख को दान विलेख के रूप में अन्तरित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क को समाप्त किया जा सके।

मैं माननीय प्रधान मंत्री की हाल ही की विशाखापत्तनम यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार माननीय वित्त मंत्री से इस प्रस्ताव को मंजूर करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत किसानों को आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन का 18.4 प्रतिशत कृषि से और शेष 81.6 प्रतिशत विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र से आता है। लेकिन भारतीय जनसंख्या में से केवल 57 प्रतिशत लोगों को ही कृषि रोजगार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पादन में कृषि में प्रतिवर्ष 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है जबकि विनिर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि दर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में केवल डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में ही 4 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हो रही है जो कृषि का 26 प्रतिशत है।

चूंकि कृषि मानसून पर निर्भर है, किसानों को उनकी उपज का समुचित और उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए वे ऋणों को नहीं चुका पाते जिसके परिणाम स्वरूप वे आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों की सहायता हेतु कृषि में समृद्धि लाने के लिए डेयरी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इससे देश और किसानों का भला होगा। क्योंकि केवल दूध ही एक ऐसी वस्तु है जिससे किसानों को वर्ष के 365 दिन पैसा मिल सकता है। इसलिए दूध का मूल्य सामान्यत: स्थिर ही रहता है।

इसलिए कृषि में डेयरी ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें बेहतर तनख्वाहें मिल सकती हैं तथा कृषि की उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकती है। किसान चारे की विभिन्न किस्मों के पौधे लगा सकते है और बेहतर कृषि पद्धतियों से क्रूड प्रोटीन की लागत कम कर सकते हैं।

अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से कैटिस, चारा कटाई मशीनों और उपकरणों की खरीद हेतु राजसहायता के साथ आसान ऋण जैसे विभिन्न उपाय करने तथा कैटिस शेड्स के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। इससे वास्तव में कृषि का विकल्प सामने आएगा और पूरे देश के किसानों का वित्तीय बोझ कम होगा।

(तीन) छत्तीसगढ़ के 'संवरा' समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गुहाराम अजगल्ले (सारंगढ़): महोदय, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959/छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के धारा 165(1) में जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सूची बनायी गयी है उसके क्रमांक 42 में सावर अथवा सवारा, 43 में सहरिया, सेहारिया, सोसिया अथवा सोर, 44 में सौर, 45 में सारं लिखा हुआ है।

जबकि छत्तीसगढ़ के महासमुंद, रायगढ़ जिले के उड़ीसा के सीमावर्ती बहुत स्थानों में यह जाति सौंरा, संवरा के नाम से जानी जाती है। इसके राजस्व अभिलेखों में भी सौंरा, संवरा अंकित है यह समूह सवर, सवरा, सौर, सोर का ही पर्याय है।

उक्त आशय के संबंध में विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा दिनांक 24.6.2003 को पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उक्त आशय की अधिसूचना शीघ्र जारी करने हेतु भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व संवरा जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता था और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं सुविधाओं का लाभ शिक्षा एवं नौकरियों के क्षेत्र में मिलता था।

केवल मात्रा में सद्भाविक चूक जोकि कार्यालयीक चूक है जिसका दंड निर्दोष संवरा जाति को उठाना पड़ा है, जो अत्यंत दुखद विषय है।

अत: माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि संवरा जाति को अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में शामिल किया जाये और राज्य सरकार को निर्देशित किया जाये ताकि संवरा जाति के लोग अनुसूचित जनजाति आरक्षण की सुविधाओं से लाभान्वित हो सके।

(चार) कर्नाटक में बेलगाम विमानपत्तन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): बेलगाम कर्नाटक राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। बंगलौर के बाद इसे कर्नाटक राज्य की दूसरी राजधानी कह सकते हैं। तथापि, बेलगाम हवाई अड्डे का विकास शहर के महत्व के हिसाब से नहीं हुआ है।

बेलगाम हवाई अड्डा बहुत ही पुराना है जिसका निर्माण अंग्रेजी शासन काल के दौरान किया गया था। अब यह उपेक्षित है और इसका विकास शहर के स्तर के अनुरूप नहीं हुआ है। बेलगाम देश के महत्वपूर्ण सैनिक स्थानों में से एक है और व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र है जहां चीनी और फांउडरी के कारखाने हैं। यह गोवा और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। बड़ी संख्या में व्यापारी यहां आते हैं और वे केवल सड़क का या रेल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें व्यापारी को काफी समय और उर्जा खर्च होती है। यदि किसी को फ्लाईट पकड़नी होती है तो उसे हुबली तक पहुंचना पड़ता है जो बेलगाम से 150 कि.मी. दूर है। देश में अन्यत्र कहीं के लिए फ्लाईट पकड़ने के लिए भी उन्हें हुबली से पहले बंगलोर या मुम्बई के लिए उड़ान भरनी पड़ती है।

बेलगाम में गोकाक जलपर्याप्त और येल्लम्मा देवस्थानम के चलते सैंकड़ों विदेशी और घरेलु पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए इन आकर्षणों के बावजूद बेलगाम हवाई अड्डे का विकास नहीं किया गया है। ए. टी. आर. फ्लाइट की सुविधा के उपयोग के लिए रनवे का विस्तार करने की जरूरत है।

इसलिए, मैं व्यापार और पर्यटन की संभावनाओं के कारण इस शहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए वेलगाम हवाई अड्डे के विकास के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) देश के सहकारी बैंकों को कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत): 3 मई, 2007 को सभा के वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने एक बयान दिया था कि देश के 1.11 लाख सहकारी बैंकों में से उन्होंने 1.09 लाख सहकारी बैंकों को आयकर से छूट दे दी है तथा केवल 2000 बैंको पर कर लगाया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में मात्र 1828 सहकारी बैंक हैं न कि 1.11 लाख जैसा कि उन्होंने बताया है। वास्तव में कर से छूट केवल प्राथमिक और कृषिऋण सोसाइटियों को दी गयी है प्राथमिक और कृषि ऋण सोसायटियों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मदद करना तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है जबकि सहकारी बैंक समाज के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए बने हैं।

सहकारी बैंकों का निष्पादन हाल में सुधरा है और यदि उनके लाभ पर कर लगाया गया तो इससे सहकारी बैंकों का मनोबल गिरेगा तथा इस क्षेत्र के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ऐसी परिस्थितियों में सरकार से यथा शीघ्र सभी सहकारी बैंकों के लाभ को आयकर से छूट देने का अनुरोध करता हूं।

(छह) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, देश में आज भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां की जनता को ट्रेन से जाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। मेरा संसदीय क्षेत्र महाराज गंज इसका एक उदाहरण है। महाराजगंज मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय है और मेरे क्षेत्र की जनता को महाराजगंज अक्सर आना जाना पड़ता है किंतु स्टेशन न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महाराजगंज के आसपास जो स्टेशन है वह काफी दूर है तथा बहुत ही पुराने समय का है। महाराजगंज को जिला बने लगभग 15 साल हो गये हैं परन्तु वहां पर न तो रेलवे लाइन है, न ही स्टेशन है। यह बड़े दुख की बात है।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अगले वित्त वर्ष में सिसवा से एक नई बड़ी रेलवे लाइन को महाराजगंज होकर फरेन्दा तक बिछाने के लिए तथा महाराजगंज को रेलवे स्टेशन बनाने के लिए धनराशि आबंटित करने का कष्ट करें। मेरे इस क्षेत्र की जनता व व्यापारी सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके तथा नेपाल व बिहार की ओर से आकर गोण्डा की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों की दूरी भी कम हो सके। इससे ईंधन की बचत होगी तथा गोरखपुर स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी।

(सात) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मैंगनीज अयस्क संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा मध्य प्रदेश सेमरिया में मेंगनीज का प्रचुर भंडार है, जिसका भारी पैमाने पर उत्खनन कर बिहार और झारखंड ले जाया जाता है। अगर भारत सरकार वहां पर सेमरिया के आसपास मेंगनीज से

संबंधित कारखाना लगाने की दिशा में पहल करे तो न केवल रीवा संसदीय क्षेत्र अपितु रीवा संभाग में व्याप्त बेरोजगारी दूर हो सकती है और जो बेरोजगार हाथ गुमराह हो रहे हैं उनको रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। अकेले रीवा जिले में चूने के पत्थर का भंडार होने से 2 सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और न केवल काफी लाभ कमा रही हैं बल्कि रीवा के औद्योगिक विकास में भी योगदान दे रही हैं।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि सरकार रीवा जिले में मेंगनीज से संबंधित कारखाना लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि रीवा जिले की बेरोजगारी कुछ हद तक दूर हो सके। अत: सरकार इस दिशा में शीघ्र ही सार्थक एवं ठोस कदम उठाये।

(आठ) ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड से अतिरिक्त अमोनिया की खरीद पर इफको द्वारा रियायत/राजसहायता के दावे का निपटान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान उर्वरक विभाग, इफको के पास लम्बित पड़े उस अनुरोध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें ओमान से 100 डॉलर प्रतिमीट्रिक टन की दर पर आयातित अमोनिया की कीमत और अमोनिया की निर्धारित दर के बीच के अंतर के कारण होने वाले लाभ को इफको के पास रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

जैसा कि ज्ञात है कि ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कं. लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र ओमान के सूर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इस संयुक्त उद्यम की इफको, कृभको और ओमान आयल कम्पनी सांझीदारी हैं। इसमें इनकी शेयर अंश धारिता क्रमश: 25:25:10 के अनुपात में हैं और इनकी ज्ञात वार्षिक उत्पादन क्षमता 16.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 2.34 लाख अतिरिक्त अमोनिया उत्पादन की है।

भारत सरकार ने दीर्घावधि मूल्य समझौता के अंतर्गत 15 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 16.5 लाख टन यूरिया खरीदने का करार किया है। इसी प्रकार 'इफको' ने 100 डॉलर प्रतिटन के निर्धारित मूल्य पर प्रति वर्ष 2.34 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त अमोनिया खरीदने के लिए 10 वर्ष का एक दीर्घावधि करार किया है। इफको द्वारा अमोनिया की खरीद की अनुमति इस बात को ध्यान में रखते हुए दी गई थी कि इसे कांडला में देशी उपयोग के लिए खरीदा जाएगा चूंकि ओमान से आयातित अमोनिया की लागत 100 डॉलर प्रति मीट्रिक टन है, इफको के लिए यह छूट इस मूल्य पर निर्धारित करना सही था। भारत सरकार ने इस अमोनिया की खरीद संबंधी समझौते का समर्थन किया जिससे यह बात तय हो गई कि देश के लिए आपूर्ति जारी रहेगी तथा 10 वर्षों के लिए 100 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर के साथ-साथ देश को भी लाभ हो गया। इन्हीं कारणों से सी. सी. ई. ए. ने समझौते का अनुमोदन किया।

लेकिन इस बात से दु:खी होकर इफको ने कुछ महा पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उसने अमोनिया के बाजार मूल्य, जो बहुत अधिक है, पर छूट। राज सहायता के लिए दावा किया गया है। इसलिए, यदि सरकार इफको के इस अनुरोध को मान लेती है तो भारत सरकार पर लगभग 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उर्वरक विभाग को न्यायालय से बाहर कोई समझौता करने का निर्देश दे क्योंकि इसके चलते भारत सरकार को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

(नौ) भारत द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की फाइलिंग में वृद्धि हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): भारतीय पेटेंट कार्यालय की वर्ष 2004 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हमारे पैंटट कार्यालय द्वारा केवल 6,857 पेंटेट किए गए हैं। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ) ने वर्ष 2007 की अपनी पेटेंट रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2005 के अंत तक विश्व भर में कुल 5.6 मिलियन पेटेंट लागू हैं। वर्ष 2004 में विश्व में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर वैयक्तिक रूप से 148 पेटेंट दायर किए थे, जबकि भारत ने प्रति दस लाख की जनसंख्या पर केवल 7 पेटेंट दायर किए। वर्ष 2005 में यह संख्या गिरकर 6 रह गई। जबकि चीन में दस लाख नागरिकों पर पेटेंट की संख्या 51 से बढ़ाकर 71 हो गई है। यह भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आई पी आर) के सृजन क्षेत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। जमीनी वास्तविकता यह है कि बौद्धिक आर्थिक शक्ति की वास्तविक परीक्षा में अपना नाम करने के लिए भारत को अभी काफी लंबा सफर तय करना है, जिसके लिए इसके पास पेटेंट सृजित करने की क्षमता होना अनिवार्य है। इस स्थिति में आवश्यकता है-वित्तीय सहायता और बढ़े हुए पेटेंटों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक श्रमशक्ति और अपने बुनियादी ढांचे को सुधार कर आई पी आर प्रशासन को प्रभावी बनाने की क्योंकि अभी अपार संभावनाएं हैं। भारतीय आविष्कार/पेटेंट विदेशों में न जाएं, इसके लिए कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए।

(दस) निजी क्षेत्र के जी एस एम ऑपरेटरों को आवंटित नि:शुल्क अधिशेष स्पैक्ट्रम की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): निजी क्षेत्र के जी एस एम आपरेटरों (एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया) को उनके लाइसेंस

की पात्रता से अधिक स्पैक्ट्रम नि:शुल्क दिया गया है और उन्होंने विभिन्न सर्किलों में कुल मिलाकर 50 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम इकट्ठा कर लिया है। ये कंपनियां समूह बनाकर तथा शुल्क बढ़ाने जैसी उपभोक्ता-विरोधी गतिविधियों द्वारा जी एस एम घटक में नई कंपनियों के प्रवेश को रोकने का प्रयास कर रही हैं। सरकार को सैंकड़ों करोड़ रु. का घाटा हो रहा है क्योंकि इन कंपनियों ने अपना एक समूह बना लिया है। इन कंपनियों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम तत्काल लौटाने के लिए विवश किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आंबटन के बारे में तत्काल सी बी आई जांच शुरू की जानी चाहिए।

(ग्यारह) नेपाल से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाकर उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नेपाल की ओर से आने वाली नदियों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन नदियों की बाढ़ से उ. प्र. के जिला खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क तथा सीमावर्ती क्षेत्र में कृषि को हो रही भारी क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, इन नदियों के पानी के प्रबंधन की भारी आवश्यकता है ताकि इस पानी का सदुपयोग किया जा सके और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके।

महोदय, भारत-नेपाल सीमा पर बांध तथा बांध पर सड़क बनाने की आवश्यकता है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत-नेपाल सीमा पर बांध बनाकर पानी का सदुपयोग किया जाये तथा बांध पर सड़क बनाकर जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।

(बारह) झारखण्ड में "कनहर सिंचाई परियोजना" का कार्य आंरभ किए जाने की आवश्यकता

श्री घुरन राम (पलामू): महोदय, झारखण्ड राज्य के गढ़वा एवं पलामू जिला द्वारा कनहर नदी को बांध कर "कनहर सिंचाई परियोजना" की मांग विगत कई वर्षों से हो रही है। उपरोक्त योजना के बन जाने से (50) हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही साथ 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परियोजना पर विचार किया जावे। जिससे क्षेत्र से बेकारी, बेरोजगारी, पलायन तथा गरीबी दूर हो सके।

(तेरह) कृषि क्षेत्र में विकास में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): हमारी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस-पास है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम है। किसानों की कुल जोत का 82 प्रतिशत भाग छोटा तथा सीमांत है। बाजार की खराब स्थितियां, शीत भंडारण सुविधाओं का अभाव, बिजली तथा सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, घटिया किस्म के बीजों, प्रकृति के बदलते मिजाज, अस्थिर आर्थिक स्थितियों फसल खराब होने आदि ने हमारे किसानों को दयनीय हालात में ला दिया है। सूखे अथवा बाढ़ के कारण फसल खराब होने की वजह से वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं। कुछ मामलों में तो वे आत्महत्या तक कर लेते हैं।

इसलिए, मैं सरकार से कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए तत्काल उपाय करने तथा देश के करोड़ों किसानों की स्थिति को सुधारने का अनुरोध करती हूं।

(चौदह) झारखण्ड के संथाल परगना में बैंकिंग सेवाओं की निगरानी और इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): महोदय, बिहार एवं झारखण्ड में स्थापित बैंकों के कार्यनिष्पादन में कई विसंगतियां व्याप्त हैं। झारखण्ड के संथाल परगना में बैंकों की संख्या में कमी, बैंकों में जाली मुद्रा का विचलन, ड्राफ्ट एवं चेक जारी करने में अधिक सेवा शुल्क की वसूली, चेकों के क्लीयरेंस में अत्यधिक विलंब, बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का अभाव, ग्राहक संतुष्टि के कार्यों में अभाव, ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में ग्राहकों द्वारा बड़ी राशि की मांग के अनुसार राशि का भुगतान न करना, ग्राहकों को खासकर लक्षित वर्गों को लक्ष्य के आधार पर ऋणों का आबंटन एवं भुगतान न करना और छोटे किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋणों खासेर कसान क्रेडिट कार्ड वितरण की दयनीय स्थिति है। बैंकों का ऋण प्राय: अवांछित तत्वों को दिया जाता है जिसके कारण लक्षित वर्ग सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं।

बैंकों के बेहतर कार्य निष्पादन एवं ग्राहक संतुष्टि के कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियमित जांच एंव मानीटरिंग की व्यवस्था की जाये, गैर-जिम्मेवार कार्मिकों के विरुद्ध

कार्रवाई की जाये और झारखण्ड के संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और गोड्डा जिले में ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों के शाखाओं का विस्तार करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाये।

(पन्द्रह) विदेशी एयरलाइनों द्वारा कालीकट विमानपत्तन से खाड़ी देशों तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): इस तथ्य के बावजूद कि कालीकट विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में मान्यता दी गई है, विदेशी विमान कंपनियों को विदेशी गंतव्य स्थानों के लिए उड़ाने चलाने की अनुमति नहीं है। मालाबार क्षेत्र के लोगों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पकड़ने के लिए कोच्चि जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है और बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोच्चि विमानपत्तन का लगभग 61 प्रतिशत विमान यातायात मालाबार से होता है, जबकि उसकी वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक राजधानी कालीकट है। इस क्षेत्र के लोग कई वर्षों से कालीकट से विदेशी विमान कंपनियों की उड़ान करने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं जिसका कारण यह है कि इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के एकाधिकार के परिणामस्वरूप उन्हें धीमी और खराब सेवा मिल रही है। उड़ानों का रद्द होना तथा उनमें विलंब आम बात है। परन्तु बिना किसी उचित कारण के उनकी जायज मांग की अनदेखी की जा रही है। इस संबंध में संभलाई सुविधाओं के अभाव तथा छोटे धावन-पथ की कमियों को यद्यपि दूर कर दिया गया है।

इसलिए, मैं सरकार से मालाबार क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा कालीकट विमानपत्तन से विदेशी एयरलाइंस की देश से बाहर विशेषकर खाड़ी क्षेत्र के गंतव्यों के लिए उड़ानें भरने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

(सोलह) मिजोरम के लिए चावल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम): मैं केन्द्र सरकार, विशेषकर माननीय कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री महोदय का ध्यान मिजोरम राज्य में बांस में भारी मात्रा में पुष्प पल्लवित होने के कारण आने वाले सूखे की ओर दिलाना चाहता हूं।

सामान्य अवधि में भी चावल का स्थानीय उत्पाद राज्य की आधी जनसंख्या का पेट भरने के लिए भी अपर्याप्त है। बांस में पुष्पों के पल्लवित होने के कारण वर्ष 2006 से चूहों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे चावल तथा अन्य कृषि उत्पादों को खा रहे हैं। 2008 में स्थिति और भी बिगड़ने वाली है।

4260 मिट्रिक टन का चावल का वर्तमान आबंटन हमारी आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। राशन कॉर्डों के रिकार्ड के अनुसार, मिजोरम की कुल जनसंख्या 10,35,853 है। एक व्यस्क के लिए चावल की न्यूनतम आवश्यकता 4 किलोग्राम प्रति सप्ताह है। इस परिकलन के आधार पर, बी पी एल तथा ए ए वाई कोटे के अतिरिक्त प्रति माह 10,000 मिट्रिक टन चावल की आवश्यकता है।

मिजोरम के लोगों को आज से आगे भुखमरी से बचाने के लिए 5740 मिट्रिक टन चावल की अतिरिक्त आवश्यकता है। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो सूखे के कारण राज्य को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मिजोरम के लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए 5740 मिट्रिक टन ए पी एल लोगों के लिए चावल का अतिरिक्त आवंटन करे।

अपराह्न 1.56 बजे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब प्रो. बसुदेव बर्मन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रो. बसुदेव बर्मन बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

गृहमंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): हमने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में मौजूद है *...(व्यवधान)*

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): सभापति महोदय, मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 के संबंध में बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ बातें कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*। महोदय, मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए की गई पहल हेतु सरकार की प्रशंसा करता हूं ...*(व्यवधान)*, यह विधेयक सारे देश के जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय गृहमंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने सब बातों को स्पष्ट कर दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसका क्या मतबल है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि आप मुझे सभा की कार्यवाही नहीं चलाने देंगे तो मैं सभा की बैठक स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.56½ बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या हमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक संबंधी मद संख्या 24 को लेना चाहिए या नियम 193 के अधीन आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा संबंधी मद संख्या 27 को लेना चाहिए। आप क्या लेना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): दो बजे से यह लिस्टेड हुआ है, इसी को लीजिए। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): तीन दिन पहले यह पोस्टपोंड हुआ, आज सुबह 12 बजे, फिर दो बजे और उसके बाद अब ढाई बजे के भी आगे कर दें,

[अनुवाद]

यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है इसे स्थगित कैसे किया जा सकता है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, क्या अपराह्न 3.30 बजे नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करना संभव है? इस दौरान हम इस विधेयक का निपटान कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बिल कल लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक: महोदय, इसे अपराह्न 3.30 बजे लिया जा सकता है। हम विधेयक का निपटान कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे।

अपराह्न 2.33 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आन्तरिक सुरक्षा

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आज आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। पिछले तीन दिनों से सभी टी. वी. चैनल्स और प्रिंट मीडिया में यह समाचार प्रमुखता से दिया जा रहा है कि आईबी ने दिल्ली पुलिस और सरकार को सतर्क किया है कि दिल्ली में किसी भी समय भीषण आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। दो सप्ताह या छ: दिसम्बर के आसपास कोई ऐसी आतंकवादी घटना होगी। दिल्ली की एक करोड़ 60 लाख जनता किस तरह आतंक के साए में जी रही है। अभी कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री जी ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन की बैठक में कहा था कि हमारे परमाणु संयंत्र, पावर इंस्टालेशंस, डिफेंस एस्टीब्लिशमेंट्स और हमारे अन्य जितने

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

भी इस प्रकार के एस्टीब्लिशमेंट्स हैं, वे सब खतरे में हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि थल, जल और वायु से आंतकवादी घटना और हमला हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सुरक्षा सलाहकार लगातार पिछले दो वर्षों से बार-बार लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे चार महानगर खतरे में हैं। वे बार-बार कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रमुख स्थानों को बहुत खतरा है। कल श्री पी. चिदम्बरम जी ने राज्य सभा में इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकवादियों का बहुत सारा धन हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजेज में लग रहा है और आतंकवादी हमारे देश के स्टॉक एस्सचेंजेज को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इन सारी चेतावनियों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है और आतंकवादी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। लोग आतंकवाद के साये में जी रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को कोई आतंक प्रभावित नहीं करता है। आतंकवादी बिलकुल आतंकित नहीं होते, बल्कि जनता का जीना मुहाल हो रहा है। इसके कारण लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ गया है, क्योंकि सारी चेतावनियों के बाद भी सरकार आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार हमेशा घबराहट में रहती है कि कब कोई आतंकवादी घटना कहां घट जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो वर्षों की आतंकवादी घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक, 23 नवम्बर, 2007 को लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में कचहरी परिसर में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई और 59 से अधिक घायल हुए। चेतावनी के बाद यह सब हुआ। वहां चेतावनी दी गई थी कि सदन के एक प्रमुख व्यक्ति श्री राहुल गांधी जी का अपहरण हो सकता है और आतंकवादी इस प्रकार का प्लान बना रहे हैं। चेतावनी दी गई थी दिल्ली में तिहाड़ जेल को तोड़ा जाएगा और आतंकवादियों को छुड़ाकर ले जाएंगे, परन्तु इसके बाद भी यह घटना यू. पी. में हुई। 14 अक्तूबर, 2007 को हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट्स हुए जिनमें 42 लोग मरे और 54 घायल हुए। 18 मई, 2007 को मक्का मस्जिद, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, 14 मरे और 100 घायल हुए। 19 फरवरी, 2007 समझौता एक्सप्रैस में पानीपत के निकट ब्लास्ट हुआ, जिसमें 68 मरे, 125 घायल हुए। 11 जुलाई 2006 मुम्बई की रेलों में बम ब्लास्ट हुए जिनमें 187 मरे और 700 घायल हुए। 8 सितम्बर, 2006 को मालेगांव में विस्फोट हुआ, जिसमें 27 मरे। 7 मार्च, 2006 को वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में विस्फोट हुआ 16 मरे और 100 घायल हुए। दिनांक 29 अक्तूबर, 2005 को दिल्ली ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मुझे हस्तक्षेप करने के लिए एक मिनट की मोहलत दी जाए।

महोदय, मैं सरकार की ओर से आप की उपस्थिति में एक अनुरोध करना चाहता हूं। महोदय आपकी उपस्थिति में पूरी सभा इस बात में लिए सहमत हुई थी कि आज दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाएगा। कल एक विधेयक राज्य सभा में भेजा जाना है। इस बीच मैं राज्य में था। उस दौरान किसी कारणवश सभा को अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

इन्हें बोलने दिजिए, लेकिन यदि इस विधेयक को आज पारित होगा सुनिश्चित नहीं हो पाया तो मैं कल इस विधेयक को राज्य सभा में कैसे ले जाऊंगा? सरकार के कार्य में कभी भी इस तरह की असावधानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा है ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसे समय पर लाना आप पर निर्भर करता है ...*(व्यवधान)*। यहां पर ऐसा ही लिखा है ...*(व्यवधान)* इसमें लिखा हुआ है कि इस पर डिबेट 2.30 बजे शुरू होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसमें कोई छुपाने की बात ही नहीं है। मैंने ऐसा कहा है कि

[हिन्दी]

इसके बाद कोई बिजनैस होगा। हाउस के अंदर बोला। सरकार की तरफ से बोला। उस समय आप भी प्रजैंट थे। ...*(व्यवधान)* इसके बाद मैं राज्य सभा चला गया। पता चला कि आपने इस विषय पर बहस शुरू कर दी। अगर आप लोग कोआपरेट नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, मैं इसे यहां से पास कराने के बाद सभा में कब ले जाऊंगा? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): आप इसे अभी तो चलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मेरा सुझाव है कि मल्होत्रा जी, पूरा बोलें, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। इस बहस को आप चलाइए, लेकिन कोई किसी वक्त बीच में इस बहस को रोक कर आप इन दो बिलों को क्लीयर कर दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह: छः बजे के बाद बहस चलाईए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: छः बजे कोई सदस्य उठकर कहेगा कि कोरम नहीं है, तो फिर ये बिल कैसे पास होंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कोरम बनाए रखना तो आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने सभा के माननीय सदस्यों से इसके बारे में पूछा था।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं

[हिन्दी]

मैं मल्होत्रा जी को बीच में नहीं रोकना चाहता हूं। वे अपनी बात बोलें, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि इन दोनों बिलों को आज क्लीयर कर दिया जाए, ताकि ये कल राज्य सभा में जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा करते हैं कि इसे 4.00 बजे तक चलाते हैं। उसके बाद लैजिस्लेटिव बिजनैस को चलाएंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, 4.00 बजे के बाद, कल फिर से कंटीन्यू कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह जारी रहेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): आप जारी रखें। हम इस मुद्दे की शुरूआत कर चुके हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपके हुक्म से मैं कंटीन्यू कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर में विस्फोट हुआ, 16 लोग मरे, 100 घायल हुए। 10 अक्तूबर, 2005 को दिल्ली में 57 लोग मरे, 153 घायल हुए। मैंने दो साल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है, परन्तु इन घटनाओं के बारे में सबसे जो चिन्ताजनक बात है, कष्टदायक बात है और जो बहुत ही शॉकिंग है कि इन सारी घटनाओं में एक भी आंतकवादी मारा नहीं गया। कोई आंतकवादी पकड़ा गया हो या उस पर मुकदमा चल रहा हो, ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। जितनी भी बाद की घटनाएं हुई, उसके अगले दिन बड़े-बड़े अक्षरों में बड़े-बड़े बयान दिये गये कि इनका सुराग लगा लिया गया है, लोग पकड़े गये हैं और मामला सुलझ रहा है। लेकिन एक भी आतंकवादी दो सालों का जो मैंने बताया है, उनमें से एक भी घटना नहीं सुलझी है, एक भी घटना में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और जो आतंकवादी आये थे, वे मारे नहीं गये। यह स्थिति नहीं हुई, मैंने देखा है, कांग्रेस की अध्यक्षा गुजरात में गई थीं और उन्होंने गुजरात में जाकर इस बात का उल्लेख किया कि जब एन. डी. ए. की गवर्नमेंट थी, तब भी घटनाएं होती थीं, और चाहे घटना रघुनाथ मंदिर की हो, अक्षरधाम की हो या संसद पर हो, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि ये घटनाएं उस समय क्या नहीं होती थी। इसका सवाल नहीं है कि घटनाएं उस समय नहीं होती थीं, मैं मानता हूं कि ये घटनाएं हुई थीं, परन्तु उन घटनाओं के अन्दर तीनों चारों घटनाओं का जो उन्होंने उल्लेख किया, इसमें जितने आतंकवादी आये थे, सारे आतंकवादी जब मारे गये, बाद में उनमें से पकड़े गये, गिरफ्तार हुए, पोटा के अन्दर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनमें से बहुतों को सजाएं हुई और सजाएं देने का काम हुआ। परन्तु इन घटनाओं के अन्दर दो वर्षों के अन्दर इस प्रकार की घटना नहीं हुई, जिसके अन्दर आतंकवादी मार दिये गये हों। इनमें से एक भी घटना का सुराग तक नहीं मिला है, जितनी घटनाओं का मैंने उल्लेख किया।

शुरू में तो बहुत ज्यादा इस बात का दावा किया गया कि सुराग मिल गये हैं, यहां से कराची में कॉल हुई थी, यहां से बंगलादेश में लोग चले गये, इन्दौर से आये थे, परतु अब उसके बाद सारे के सारे मामले ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरैक्टर का यह कहना है कि कोई आतंकवादी जब भारत में घुसपैठ करता है तो उसके मन में कोई भय या दहशत नहीं होती। उसे लगता है कि जैसे वह कहीं सैर-सपाटे के लिए आया है। भारत में उसे छिपने या शरण पाने के अनेक स्थान मिल जाते हैं। यहां सुरक्षा तंत्र अत्यन्त ढीला-ढाला है और सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए कृतसंकल्प नहीं है। आतंकवादियों के मन में यह विश्वास रहता है कि घटना करने के बाद वह आसानी से कहीं लुप्त हो जायेगा या अपने देश पाकिस्तान या बंगलादेश में आसानी से वापस लौट जाएगा। अगर वह पकड़ा भी गया तो आसानी से उसकी जमानत हो जायेगी, क्योंकि अब पोटा नहीं है। इसलिए अब जमानत होना बहुत आसान है। पुलिस के विरूद्ध आसानी से यह आरोप लगाया जा सकेगा कि वह एक विशेष समुदाय के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। यदि मुकदमा चलने की नौबत आती है तो ज्यादा संभावना यह रहेगी कि वह छूट जायेगा और अगर उसे सजा भी हो गई तो मानवाधिकार का मुखौटा पहने बहुत से ऐसे लोग होंगे, जो उसे बचाने के लिए सामने आएंगे। कुल मिलाकर खतरा कम और बचने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे वातावरण में आतंकवादियों को भारत में आने में क्या दिक्कत है। वे किसी भी रास्ते से भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

अध्यक्ष जी, अमेरिका में 11 सितम्बर की आतंकवादी घटना हुई। उस घटना के बाद अमेरिका में आज तक कोई दूसरी घटना नहीं हुई, सात साल बीत गये हैं। उनके यहां घटना क्यों नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ने उसे अमेरिका के खिलाफ एक आक्रमण समझा और उसकी लडाई, जैसे हमले की लड़ाई करते हैं, युद्ध की लड़ाई करते हैं, युद्ध स्तर पर उन्होंने उसका मुकाबला किया। उसने अपने कानूनों को बहुत कठोर बनाया और उनमें इंटेलीजेंस एजेंसियां वहां पर इतनी मजबूत हुई कि कोई घटना इन सात वर्षों में सुनने को नहीं आई। स्पेन और इंग्लैंड ने भी इसी प्रकार से अपने आतंकवादी कानूनों को मजबूत किया और आतंकवादियों को पकड़कर सजाएं भी दीं, परन्तु अजीब बात है कि यहां पर हमारा देश, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रस्त देश है, यहां पर 90 हजार से ज्यादा लोग अब तक आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं, जबकि हमारे चार युद्ध हुए। उन चारों युद्धों में जब लड़ाई हुई तो उन चारों युद्धों में 8023 लोग मारे गए, परंतु आतंकवादियों के हाथों मरने वालों की संख्या 90 हजार से ज्यादा है। इतने ज्यादा लोग मारे जाएं, लेकिन इसके लिए क्या हुआ? हमने उनका मुकाबला करने के लिए क्या किया? एकमात्र कानून पोटा था, उस अकेले कानून, जिसके माध्यम से आतंकवाद से मुकाबला हो सकता है, हमने मुकाबला करने के बजाए उस पोटा कानून को ही खत्म कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने सारी दुनिया को यह लिखा है कि 1373 रेजोल्यूशन के अंतर्गत अपने-अपने यहां कोई कानून बनाइए, जो आतंकवाद से लड़ सके, जो वित्तीय सहायता उनको मिलती है, उसका मुकाबला हो सके। परंतु हमारा अकेला एक बदकिस्मत देश है कि हमारे यहां जो कानून पहले था, उसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, हमारे यहां जो कानून हैं, वे बहुत पुराने हैं, जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट लेने के लिए खास तौर पर पोटा जैसे कानून को खत्म करके इस देश के हितों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने इस देश को आतंकवादियों के हाथों जब चाहे, जिस जगह चाहे, जिस तरह से चाहे ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: पोटा में कहां वोट बैंक है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पोटा में वोट बैंक है। आतंकवादियों को बताने के लिए ...*(व्यवधान)* मुसलमानों को बताने के लिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलते हैं उनका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। केवल प्रो. मल्होत्रा का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस देश के साथ विश्वासघात किया गया है, इसके लिए आने वाली पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेंगी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा का समय बर्बाद न करें। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आतंकवाद का मुकाबला करने की तैयारी में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट तैयार की। हिंदुस्तान टाइम्स में 11 सितम्बर को उसके अंश प्रकाशित हुए। रिपोर्ट में बताया कि जुलाई के महीने में उन्होंने सरकार को यह रिपोर्ट दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट के मुताबिक:

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय कानूनों से लेकर सीमावर्ती चौकियों (चैक पोस्ट) तक और न्यायपालिका से लेकर बैंकों तक तथा पुलिस के कार्यों से लेकर पासपोर्ट कार्यालयों तक के हर तरह के कार्य की अपनी पहली संवीक्षा के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की एक गोपनीय रिपोर्ट में भारत की आंतकवाद से लड़ने संबधी तैयारी में बड़ी खामियां पाई गई हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एच टी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 'काउंटर टैरिरिज्म' कमिटी की प्रारूप रिपोर्ट देखी है। जिसमें देश का आतंकवाद विरोधी तंत्र कितना अवस्थित है–इस पर कड़ी टिप्पणी की गई है।

एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में आतंकवाद 70,000 हजार जीवन लील चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के वर्तमान आंतकवाद विरोधी तंत्र द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उन समस्याओं का समाधान हो सकता है बशर्ते भारत आतंकवाद विरोधी व्यापक विधान अंगीकृत कर ले। जैसाकि रिपोर्ट में कहा गया है। भारत के आतंकवाद विरोधी कुछ कानून आजादी के समय के हैं और 1967 में उत्तरोत्तर संशोधनों के साथ शुरूआती आतंकवाद, संबंधी कानून, विधिविरूद्ध गतिविधियां (निवारण) अधि नियम पारित किया गया था। आतंकवाद विरोधी दो कानून, जिन्हें टाडा और पोटा के संक्षिप्त नामों से जाना जाता है, को समाप्त कर दिया गया। मार्च 2006 में प्रीवेन्शन ऑफ मनी-लान्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भारत ने एक वित्तीय आसूचना इकाई की स्थापना की गई है।

यह एक चिंता का कारण है कि भारत में कानून लागू करने वाले तंत्र के पास किसी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी डाटाबेस का अभाव है, जिससे इस तंत्र को देश में होने वाली आतंकी घटनाओं के बारे में सूचनाएं मिलती रहे।

[हिन्दी]

इस रिपोर्ट में जितना इंडिक्टमेंट हुआ है, जितना इस सरकार की कमजोरियों को उजागर किया गया, मैं सारी रिपोर्ट आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन यह रिपोर्ट सिद्ध करती है कि यह सरकार टेररिज्म से लड़ने के योग्य भी नहीं है, इसकी नीयत नहीं है, इसकी विल नहीं है और जो मैंने कहा था, जिसके ऊपर आपत्ति की गयी कि केवल वोटों के लिए, वहां पर एक मैसेज देने के लिए इसे किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया टोका टाकी न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए। अगले वक्ता आपकी पार्टी के हो सकते हैं वे इसका उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमारी आतंरिक सुरक्षा को जो प्रमुख खतरे है, उनमें से एक यह है कि सारे देश में आई एस आई द्वारा बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं या दूसरी संस्थाएं कर रही हैं। इनके अलावा हमारे सामने इस प्रकार के खतरे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार की स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत वहां जो आतंकवाद किया जा रहा है, जिसे वे इस्लामिक आतंकवाद का नाम देते हैं, वह जम्मू कश्मीर में चल रहा है। देश के अन्य भागों में आई एस आई द्वारा प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, हूजी संगठन द्वारा बम धमाके व अन्य प्रकार से आतंकवाद माओवादी व नक्सली ग्रुपों द्वारा देश के बहुत बड़े भाग में हिंसात्मक कार्यवाही, खास तौर से हमारी सीमाओं पर मदरसों का बढ़ता भीषण जाल और उससे निकलने वाले जेहादी मानसिकता के छात्र, पाकिस्तान आई एस आई अल कायदा व विदेशी जेहादी ग्रुपों द्वारा आतंकवादियों को मिलने वाला अपार धन और शस्त्र, बंगलादेश से होने वाली भारी घुसपैठ और उनके द्वारा कानून व्यवस्था।

जम्मू कश्मीर में इस समय जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि वहां स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी जब आप बोल रहे हैं तो मेरे लिए उन्हें नियन्त्रित कर पाना कैसे संभव होगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मेरे पास वे सारी कटिंग्स हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूं कि 16-16 साल के बच्चों को कैसे रेत-रेतकर मारा जा रहा है, कैसे उनकी आंखें निकाली जाती हैं, कैसे उनके दिल निकाले जाते हैं, कैसे जिगर काट दिए जाते हैं, कैसे उन्हें इन्फार्मर मानकर उनकी हत्या की जाती है, सारे परिवार नष्ट हो जाते हैं और यह कह रहे हैं कि बहुत सुधार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस अध्यक्षा को गुजरात के दंगे ध्यान में आये, लेकिन दिल्ली में मारे गए सिखों का ध्यान नहीं आया, कश्मीर के पांच लाख पंडित बाहर निकले हुए हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं आया। वहां सत्तर हजार लोग मारे गए, उनके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति खराब होने के कारण थोड़ा अंतर जरूर दिखता है, परन्तु पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डे कायम हैं, यह प्रणव मुखर्जी साहब भी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं और एंटोनी साहब भी कह चुके हैं। हर आदमी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे कायम हैं इसलिए हमें खबरदार रहने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बार्डर से हमारी सेनाओं पर बहुत हमले हुए और यह कहा गया कि हमले हुए हैं, परन्तु कहा गया कि हमले पाकिस्तानी सेना ने नहीं किए, जो घुसपैठ करके आने वाले थे, उन्होंने वहां से गोलियां चलाईं। बीसियों की तादाद में घटनाएं हुईं, परन्तु यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने वहां फायरिंग नहीं की। हमारे जवान मारे गए हैं। वहां इसी प्रकार से घटनाएं चल रही हैं। इसलिए बहुत खबरदार होने की जरूरत हैं, यह न समझा जाए कि वहां जैसे ही उनके हालात सुधरेंगे, फिर से ये घटनाएं बढ़ने लग जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का जो मामला है, जो बार-बार हमारे सामने आता है, जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं और उसी कारण जो आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनके रहने या कश्मीर में लौटने का कोई मापदंड आज तक नहीं बनाया गया। उनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। एक मामला मैंने कहा था, उसका उल्लेख ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: गोयल जी, आपकी पार्टी के मैम्बर जब बोलेंगे तब वे इन सब बातों का जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आज इनको आप बोलने का टाइम मिलना चाहिए। पार्टी के व्हिप साहब कह दें कि आज यही बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सब भी बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, अभी तो मैंने कुछ पूछा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। सभा का समय बर्बाद न करें। श्री लाल सिंह जी कृपया बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, ये लोग बीच में इधर-उधर का जिक्र करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल कृपया चुप रहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर मुझे कहना ही है, तो मैं कहूंगा कि कितनी और लाशें चाहिए, कितने लोग और मरने चाहिए जब तक आप पोटा कानून बनायें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हान्डिक जी, आप अपने मैम्बर्स से कहिये कि चार बजे बिल पास करना है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैंने यह कही कि जम्मू कश्मीर के बाद यहां पर नक्सलवाद की समस्या है। देश में कुल 604 जिले हैं जिनमें से 160 से लेकर 180 जिलों पर एक तरह से उनका कब्जा है। उनके हाथ में न्याय तंत्र है। वह कर वसूलते हैं, जमीनें बांटते हैं, सरकारी भूमि बांटते हैं और भीषण हिंसा में लिप्त रहते हैं। वे निर्दोष लोगों और पुलिस बलों की भी हत्या करते हैं। यहां तक स्थिति पहुंच गयी है कि माओवाद जिसके साथ सी पी आई, सी पी एम का बहुत निकट के संबंध रहा है, उनको कहना पड़ रहा है कि नंदीग्राम में जो घटनाएं हुई, वे माओवाद के कारण हुई, नक्सलवाद के कारण हुई। पहले तो उनके साथ पींगें बढ़ायी जा रही थीं। ये नेपाल गये, नेपाल जाकर माओवादियों के साथ सी पी एम नेताओं ने बहुत सी बातचीत की। अब नंदीग्राम में अगर माओवादी पहुंच गये हैं। बंगाल में भी माओवादियों के कारण स्थिति खराब हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मो. सलीम आप अगले वक्ता हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप बोलेंगे तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कृपया अब शांत रहें।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के माओवादियों से शस्त्र मिलते हैं, पैसा मिलता है। वहां से सब चीजें आती हैं जिससे देश भर में नक्सलवाद फैल रहा है, माओवाद फैल रहा है। आज उनका 160 से 180 जिलों में कब्जा हो रहा है। ये जिले धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं परन्तु यहां पर केवल यह कह देने कि यह राज्यों का मामला है, ठीक नहीं है। जब तक केन्द्र सरकार राज्यों को पूरा पैसा न दे, उनको जितनी भी सहायता चाहिए, वे न दे, तो नक्सलवाद इसी प्रकार से बढ़ता जायेगा। वहां पर विकास के काम नहीं हो रहे, जिसके कारण भी नक्सवाद फैल रहा है। परन्तु केवल इतना कह देने से कि थोड़े पथ-भ्रष्ट लोग हैं, अपने लोग हैं और इनसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। उनके साथ दोनों तरह का व्यवहार करने की जरूरत होगी। उनके साथ कठोरता का व्यवहार करने की जरूरत है। उनके खिलाफ लड़ाई के तौर पर जाने की जरूरत है और वहां पर विकास कार्य भी करने की जरूरत है।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना कि आतंकवादी केवल विदेशी हैं, पाकिस्तान से आते हैं या अफगानिस्तान से आते हैं या सूडान से आते हैं या तालिबान से आते हैं, पर्याप्त नहीं होगा। हमारे अपने देश में भी धीरे-धीरे अल कायदा अपनी जड़ें जमा रहा है और अल कायदा यहां पर अलग-अलग जगहों पर फैलता जा रहा है। इस देश में भी उनके अड्डे कायम हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मदरसे तो हैं ही जहां पर जेहादी मानसिकता के लोग पैदा होते हैं, किन्तु अब हमारे देश में भी खास तौर से बार्डर

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

एरियाज में जितने मदरसे चल रहे हैं, उनके बारे में सावधानी रखने की जरूरत है। सरकार ने कुछ समय पहले एक टास्कफोर्स ऑन बार्डर मैनेजमेंट बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था:

[अनुवाद]

कार्य बल ने चिंता व्यक्त की है कि लगभग सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमाओं पर मदरसे व मस्जिदें तेजी से फैल रहे हैं। इनमें से अधिकांश निर्माण बिना सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक अनुमति से हुआ है। अनेक मामलों में, गैर बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से इन सस्थानों को पर्याप्त विदेशी निधियाँ उपलब्ध हुई है। मुस्लिमों तथा इनकी शिक्षा के माध्यम से उनका तालिबानीकरण किया जाना चिन्ता का विषय है जिसे कम अहमियत देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विचलित करने वाली बात यह है कि ये वहां स्थापित किए गए हैं जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिमों की कमी है अथवा है ही नहीं।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी ने उनके बारे में यह भी कहा था:

[अनुवाद]

> ''मदरसों का तालिबानीकरण इन सस्थाओं में कट्टरवाद विचारधारा के प्रसार के कारण हो रहा है। कुछ स्थानों में मदरसों को आई एस आई व विघटनकारी तत्वों को पनाह देने की सूचना भी मिली है।''

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं, उसके कुछ अंश जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको पढ़ रहा हूं। इस समय पाकिस्तान में मदरसों को रजिस्टर किया जा रहा है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि मदरसों को रजिस्टर कराएं और उनकी पूरी निगरानी की जाए। अन्य कई मुस्लिम देशों में भी मुझे जाने को मिला है, वे भी अपने यहां के मदरसों के प्रति काफी आशंकित हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन हमारे देश में पहले मदरसों पर सरकार का जो थोड़ा-बहुत नियंत्रण था, वह भी हटा दिया गया है। पहले हमारे यहां एजुकेशनल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, अब उसे भी हटा दिया गया है। अब उनका न तो रजिस्ट्रेशन होता है और न कोई निगरानी होती है, उनके लिए न कोई नियम-कानून है, न तो वहां पर मॉडर्न एजुकेशन देने की बात सोची जाती है और न ही इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां से जो लोग निकलते हैं वे देशभक्त बनें और अपने देश के प्रति वफादार रहें। इस प्रकार की कोई शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मदरसों में देशभक्ति के खिलाफ भी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

जब आपकी पार्टी की भी बारी आएगी, तब अपनी बात कह लीजिएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, बांग्लादेश इस समय आतंकवाद का बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद का केन्द्र था और अभी भी है, परन्तु इस समय बांग्लादेश भी आतंकवाद का केन्द्र बनता जा रहा है। हमारे देश में इस समय जितनी भी आंतकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए जिम्मेदार जो आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वह हूजी हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तयैबा हो, अल कायदा हो या उल्फा हो, सभी की जड़ें और जन्मस्थल बांग्लादेश में है। इसलिए बांग्लादेश से बातचीत करते समय यह आवश्यक है कि इनके बारे में भी पूरी बातचीत की जाए और वहां पर जो आतंकवादी अड्डे बन रहे हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके बारे में उनसे सख्ती से बातचीत होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। वहां से लोगों का हमारे देश में आना-जाना बहुत तेज हो रहा है। सरकार ने सीमा पर बाढ़ लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक 25 प्रतिशत एरिया में भी वह बाढ़ नहीं लग पाई है और उसे रोका नहीं गया है। कई टेलीविजन चैनल्स में दिखाया गया है कि सीमा पर 100 रुपए खर्च करके आना-जाना कितना आसान है। अगर कोई आदमी 100 रुपए में सीमा के आर-पार आ और जा सकता है तो आतंकवादी भी इसी प्रकार से आ-जा सकते हैं और उनके लिए रास्ता खुला है। बांग्लादेश से होने वाली इस तरह की घटनाएं हमारे लिए बहुत चिन्ता की बात है, इसे रोकने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। हमारे देश में बांग्लदेश से घुसपैट हो रही है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। इसकी वजह से करीब चार करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश में आ गए हैं अकेले दिल्ली में इनकी संख्या पांच लाख से ज्यादा है। ये आकंड़े पहले के गृहमंत्रियों ने दिए हुए हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की लगातार चार जजमेंट्स आई और दिल्ली हाईकोर्ट की चार जजमेंट्स आई हैं।

सबमें कहा गया है कि वहां से होने वाली घुसपैठ हमारे देश पर एक हमला है, एक आक्रमण है, अत: इसे रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर आप बांग्लादेश से घुसपैठ नहीं रोक सकते तो आपको राज करने का क्या अधिकार है, सरकार में बने रहने का क्या अधिकार बनता है, अगर घुसपैठ को आप नहीं रोक सकते। लेकिन पिछले चार वर्षों में कुल मिलाकर देखा जाए तो सैंकड़ों लोग भी नहीं होंगे, जिन्हें इस देश से वापस भेजा गया हो। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक हजार लोगों को रोज भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरे चार करोड़ ऐसे लोगों को वापस भेजने की बात कही थीं, जो यहां घुसपैठ के जरिए आ गए हैं तथा यहां पर आतंकवादी हमला करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करते हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण स्थिति पर सरकार को विचार करने की आवश्कता है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे लिए एक बड़े ही संकट की बात यह है कि हमारी सेनाओं में आई एस आई की घुसपैठ हो रही है। यहां पर 23 अक्तूबर को तत्कालीन डिफेंस मिन्स्टिर प्रणव मुखर्जी साहब ने बयान दिया

[अनुवाद]

मैं श्री प्रणव मुखर्जी को उद्धृत करना चाहूंगा, जो उन्होंने संवाददाताओं को बताया:

> "सशस्त्र सेना भारतीय सशस्त्र सेनाओं में पाकिस्तान की इंटर सर्विसिज इंटेलिजेंस (आई एस आई) की घुसपैठ का तथा इसमें प्रभावित प्रभाव का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच करेगी यह चिंता का विषय हैं कि आई एस आई हमारी सशस्त्र सेनाओं में घुसपैठ तथा उसे विखंडित करने का प्रयास कर रही है।"

[हिन्दी]

हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी कई बार इसका उल्लेख किया है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में भी दो आदमी सेना के पकड़े गए, जो यहां से जानकारियां बाहर भेजने का काम कर रहे थे। उसके बाद माना गया कि सेना में भी आई एस आई घुसपैठ कर रही है। इस बारे में क्या कदम उठाए हैं और उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, यह मंत्री जी बताएं? लगता है कि मामला उल्टा हो रहा है, यहां पर पिछले दिनों बड़े जोर-जोर से घोषणा की गई। चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे प्रधान मंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम हो या प्रधान मंत्री के विशेष सेल की बात हो, जिसके द्वारा मानिटर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेना और अर्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी तादाद में भर्ती हो रही है। इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है। अगर योग्यता के आधार पर किसी की भर्ती हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना योग्यता के, केवल धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भर्ती हो और उसके लिए विशेष अभियान चलाकर प्रयास किया जाए कि उन्हीं की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे उनका अनुपात बढ़े, तो यह सीधे-सीधे आतंकवाद को न्यौता देने जैसी बात है। इससे यह लगता है कि वे लोग यहां आएं और हमारी सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों में भर्ती हों। एक प्रकार से उन्हें खुली छूट दी जा रही है। अगर इस प्रकार से होता रहा तो सेना भी बंट जाएगी, उसमें भी आई एस आई को आने का मौका मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आतंकवाद का ठीक प्रकार से मुकाबला किया जा सके, तो आपको दो-चार काम तुरंत करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले तो एक ऐसा आतंकवादी, जिसने हमारी इस संसद पर, जिसे देश का दिल कहा जाता है, जो जनतंत्र का मंदिर है, उस पर हमला करने वाले अफजल को फांसी दी जाए। इस सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, लेकिन दस महीने हो गए उसकी फांसी पर अभी तक रोक लगी हुई है। इससे आंतकवादी को लगता है कि अगर वे कोई वारदात करेंगे तो पहले तो उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। अगर पकड़ भी लिया गया तो जमानत पर छूट जाएंगे। अगर नहीं छूटेंगे तो सजा होगी, वह मिलेगी नहीं। इसलिए पहले आप अफजल को फांसी दीजिए। इससे अन्य आतंकवादियों को एक मैसेज जाएगा कि यह सरकार उनके खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर है और किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी।

दूसरी बात यह है कि पोटा से भी ज्यादा सख्त कानून बनाया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि आतंकवाद देश के साथ विश्वासघात है। अपने संविधान की रक्षा करने की आपने शपथ ली है और संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो पैसा उनके द्वारा हमारे बाजार में लग रहा है, उस पैसे को पोटा द्वारा ही रोका जा सकता था। लेकिन अब वह कानून नहीं है और साधारण कानून में अगर इस तरह का पैसा पकड़ा जाए तो उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इसलिए पोटा से भी सख्त कानून की आवश्कता है। इसका इंतजार न करें कि देश में कितनी और ऐसी घटनाएं होंगी, तब आप सोचेंगे कि ऐसा कानून आवश्यक है। यहां पर वित्त मंत्री जी द्वारा भी आतंकवादियों द्वारा स्टाक मार्केट में धन लगाने की आशंका जताई गई। इसलिए स्टाक मार्केट और अन्य वित्तीय संस्थाओं की कड़ी निगरानी की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से लगातार कहा जा रहा है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में जाली नोट आ रहे हैं।

जाली नोट दूसरी जगहों से आते हैं और कई बार पकड़े भी जा चुके हैं। जाली नोट चलाकर हमारे देश की आर्थिक स्थिति

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

को बर्बाद करने का यह एक बहुत बड़ा षडयंत्र है। हमारे स्टॉक-एक्सचेंजेज में आकंड़े चढ़ते-चढ़ते आज 19000 से ऊपर चले गये हैं, उनका पैसा इनमें लगा है। कल माननीय चिदम्बरम साहब ने माना है और इसके बारे में ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान और बंगला देश के जो आतंकवादी अड्डे हैं इन्हें समाप्त करने की सख्त चेतानवी दी जाए और जब तक वे ऐसा न करें, तब तक उनसे बातचीत बिल्कुल न की जाए–यह भी बहुत आवश्यक है।

मदरसों पर कड़ी निगरानी की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। बंगलादेशी घुसपेठियों को देश से निकालने के लिए कठोर पग उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): आपको गोधरा में हुई घटना के बारे में भी बात करनी होगी ...*(व्यवधान)* श्रीमती सोनिया गांधी जी को इस मामले में न घसीटें ...*(व्यवधान)*, श्री मोदी जी ने एक जन-सभा में जोराबुद्दीन हत्याकांड को वैध कहा था। परंतु यह अनुचित है। वास्तविक गुनहगारों के विरूद्ध कार्यवाही करनी होगी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। कृपया बैठ जाईये। वे अब अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जे.एम. आरून रशीद: 40 मिनट से ज्यादा बोलते इन्हें हो गये हैं, हमें भी बोलना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये

...(व्यवधान)

[हिंदी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं, और ज्यादा तकलीफ इन्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बातें, जो मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इन्हें चुभती है। उपाध्यक्ष जी, मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार आतंकवाद के प्रति बहुत नरम है, यह एक तरह से हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मुकाबला करने के बजाए, हम शतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके बैठे हैं–अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चंद वोट लेने के लिए। अगर हम देश के हितों के साथ इसी तरह से विश्वासघात करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): महोदय, इस विषय पर भाषण देने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सम्माननीय सभा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की चर्चा कर रही है। मैं पहले यह कहते हुए आरम्भ करना चाहता हूं कि देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कभी भी बेहतर नहीं रही है मैं यह पूर्ण उत्तरदायित्व व जानकारी के साथ कहता हूं।

मैं जानता हूं कि आंतकवादी प्रकृति की घटनाएं हुई हैं। परन्तु अगर हम अतीत में झांके तो हम पायगें कि इस प्रकार की घटनाओं की संस्था में कमी हुई है, इस प्रकार की घटनाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र भी कम हुआ है तथा इस बात के पूरे संकेत हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जीत रहे हैं।

मैं 1980 में पंजाब की स्थिति तथा नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध का हवाला देना चाहूंगा। ऐसा प्रतीत होता था कि आतंकवाद देश के टुकड़े कर देगा। यह एक गंभीर खतरा था। फिर भी, हम आंतकवाद के खतरे से उभर पाए, पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल की। यदि हम यह कह पांए है तो यह पूर्णरूप से इसलिए हो पाया चूंकि हमने एक जनंतात्रिक प्रक्रिया का पालन किया। हमने सरकार की जनतांत्रिक प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। मुझे याद है कि आंतक पीड़ित राज्य में शांति बहाली के लिए पंजाब के मुख्य मंत्री शहीद हो गए। उनकी हत्या हुई। परंतु उनकी हत्या देश एवं पंजाब राज्य में शांति बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ है। यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में भी, जिसमें एक लंबे समय से लगभग दो दशकों तक आंतकवाद का सामना किया है–में भी हम इस युद्ध को जीतने की स्थिति में हैं। यदि हम इस युद्ध को जीतने की स्थिति में हैं तो, यह पुन: जनतांत्रिक कार्य करण के कारण हुआ है जो कि यहाँ कुछ समस से मौजूद है। यह वही जनंतात्रिक कार्यकरण है, जो कि राज्य के लोग इस देश के लोगों को प्रशासन में एक अंतर्निहित विश्वास पैदा करता है।

सामान्यत: यह माना जाता है कि आतंकवाद असंतोष के कारणों से पनपता है। यदि इन कारणों को समय से दूर कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। शासन की गुणवत्ता में लोगों का अंतर्निहित विश्वास होगा तथा यह विश्वास उन्हें शांत रहने तथा यह देखने के लिए सक्षम बनाएगा कि परिस्थितियाँ किस प्रकार करवट बदलेंगी। जब मैं यह कहता हूं विशेष रूप से 1980 में

पंजाब की स्थिति के सदर्भ में, तथा अब जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संदर्भ में, मै इस तथ्य से अवगत हूं कि स्थिति को नियंत्रित करने में कोई भी विशेष कानून प्रभावी नहीं रहा है। हमने इस सम्मानीय सभा में सुना है कि किस प्रकार विशेष कानून स्थिति में सुधार करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से पंता बताता हूं कि कानून तथा विशेष कानून क्या कर सकते हैं। विशेष कानून के बारे बहुत कुछ कहा गया है।

1984-89 की सरकार थी जिसने पहले सोचा था कि विशेष कानून, आतंकवाद का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा तथा टाडा को पारित किया गया है। तत्पश्चात् दुर्भाग्यवश तथा टाडा को लागू किया गया था। उस समय भी देश में, ऐसे अनेक आतकवादी कृत्य हुए। उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका, उन्हें रोका नहीं जा सका। मेरा प्रश्न यह है कि उन विशेष उपबन्धों के विशेष कानून में क्या उपबंध थे जो प्रशासन को आतंकवाद को रोकने में कुछ मदद नहीं कर सके। प्रशासन आतंकवाद को नियत्रित नहीं कर पाया। वे कौन से प्रावधान हैं, जो अभी भी हमारे किसी भी नियम के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। यही प्रश्नवाचक चिह्न बन गया है। इसीलिए, कोई विशिष्ट कानून नहीं है। यदि आवश्यक हो तो विशेष कानून अवश्य ही लाया जाएगा। तथापि, प्रशासन आतंकवाद को नियंत्रित करने तथा उससे लड़ने में विशेष कानूनों से कोई ज्यादा सहायता या मदद नहीं मिली है।

विशेष कानूनों के बारे में एक अन्य बात यह है कि इस सभा और पूरे देश को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका कारण है कि इसे विशेष कानून समझा जाता है। अधिकांश कानून कार्यान्वयन प्राधिकारियों में ऐसी धारणा है कि वे इससे बचकर निकल सकते हैं। टाडा के भारी दुरूपयोग के पीछे यही सोच थी। इसलिए, जब इसके नवीकरण किए जाने का समय आया तब नहीं किया गया ताकि यह समाप्त हो जाए। इसे खत्म होने दिया गया और अप्रैल, 1995 में तत्कालीन सरकार ने इसका नवीकरण न करने, और इसको आगे न बढ़ने तथा इसे पुनः नवजीवन प्रदान न करने का निर्णय लिया तथा टाडा को समाप्त होने दिया गया। छह साल बाद आतंकवादी गतिविधियां विरोधी अधिनियम (पोटा) लाया गया। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि पोटा से हमें क्या मिला। इस देश में आतंकवाद से अत्यंत प्रभावी ढंग से निपटने में पोटा का क्या योगदान रहा । पोटा के उपबंधों में ऐसा क्या है जिसे हम यह कह सकते हैं कि अन्य सामान्य कानून में नहीं है। लेकिन कानून कार्यान्वयन प्राधिकारी आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए इन कानूनों के उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। जब तक हम इन प्रश्नों का समाधान नहीं ढूंढ लेते कि विशेष कानून में वे कौन से उपबंध है जो आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सरकार के लिए मददगार है, और जो प्रशासन तथा कानून कार्यान्वयन प्राधिकारों के लिए सहायक हैं, तब तक हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा। इससे बिल्कुल मदद नहीं मिलती है। यदि आप इस बात पर जोर देते रहेंगे कि विशेष कानून होना चाहिए तो आखिरकार टाडा के बावजूद भी तो इतने लोंगो की हत्याएं हुईं। पूर्व, प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह अधिनियम बनाया ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुःखद घटना न घटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अब हम आखिरी बार यह इस विषय को विराम दें कि किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, हमारे सामान्य कानूनों में जो भी उपबंध पहले से मौजूद हैं, वे कार्यान्वयन प्राधिकारों के लिए पर्याप्त हैं, यदि वे आतंकवाद से निपटने के लिए ईमानदारी से इनका उपयोग करते हैं और आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटते हैं।

महोदय, अभी कल ही, इस माननीय सभा में उत्तर प्रदेश में हुए बम विस्फोट की घटनाओं पर चर्चा हो रही थी। मेरे प्रिय सहयोगी श्री राजेश वर्मा इस समय यहाँ नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सतर्कता एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस आसन्न हमले के बारे में सूचना नहीं दी थी। मैं अपने प्रिय सहयोगी को याद दिलाना चाहूँगा कि जब एक आंतकवादी संगठन हमारे युवा संसद सदस्य राहुल गांधी पर हमले की योजना बना रहे थे तो इसका पता लगाने और जाँच का शानदार कार्य उत्तर प्रदेश में ही किया गया था और इस जघन्य षड्यन्त्र को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सी आई डी और सतर्कता विंग की योग्यता की बहुत प्रशंसा हुई थी। हम इस शानदार कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करते हैं और यह कार्य पूर्ण तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया था। इसका श्रेय लेने का दावा इन्होंने किया और हमें इन्हें श्रेय देकर गर्व हैं। इन बम विस्फोटों के मामले में मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि कि दो प्रकार से खुफिया जानकारी एकत्रित की जाती हैं। मुझे खेद है कि मैं विषय से हट कर इस पेशे से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं, परन्तु यह एक ऐसा तथ्य है जिसे इस माननीय सभा द्वारा समझा जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय खुफिया एजेंसी आसन्न हमलों के बारे में राज्य सरकारों को सलाह और चेतावनी देने के लिए बाध्य हैं। परन्तु ऐसा कोई भी हमला स्थानीय लोगों की सहायता से कराया जाता है। जब तक स्थानीय सहायता न हो स्थानीय लोगों का सहयोग या भागीदारी न हो कोई भी आंतकवादी हमला नहीं हो सकता। अतएव स्थानीय खुफिया एजेंसी ही यह पता लगा सकती है कि कौन लोग शामिल हैं और कौन-कौन लोग इन आंतकवादी संगठनों के साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश की स्थानीय सतर्कता इकाई होने से इसकी उत्कृष्ट व्यवस्था है। यही इकाई है जो आंतकवादी

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

संगठनों के साथी समझे जाने वाले या उनसे मिले हुए लोगों की पहचान करती है। केन्द्र से तैयार रहने और सजग रहने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इन इकाइयों से ही सूचनाएं एकत्रित करके ऐसे हमलों को रोकने की आशा की जाती है। अत: मैं यह नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है या उत्तर प्रदेश सरकार असफल रही है या ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने जघन्य षड़यन्त्र का पर्दाफाश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। अतएव मूलत: स्थानीय और जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य के लिए केन्द्र सरकार की केन्द्रीय खुफिया एजेंसी को दोषी ठहराना आवश्यक नहीं है।

दूसरी बात जिसका प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा सटीक ढंग से उल्लेख किया गया है वह है नक्सलवाद का खतरा। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि नक्सलवाद का खतरा, आंतकवाद द्वारा पैदा किए गए खतरे से भी गंभीर और जघन्य है जिसे सदहद पार से मँगवाया जाता है। मैं स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की बात करना चाहूंगा जब हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई और हमने यह इस आशा के साथ किया कि हम लोगों की शिकायतों की पहचार कर उनके विचार जानकर, समस्याओं को पूछकर उनका निराकरण करने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। यह शासन संबंधी प्रश्न है। इस देश में इस प्रकार के शासन का अभाव है और इस शासन के अभाव का विचारधारा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। विचारधारा कहती है कि देश में सामाजिक, आर्थिक समानता होनी चाहिए। ग्रामीण असमानता दूर की जानी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खाई को दूर किया जाना चाहिए। संपन्नता ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि भारत अपने गांवों में निवास करता है और जब तक देश के गांव सम्पन्न नहीं होंगे जब तक वे संसाधनों तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होंगे भारत की स्थिति नहीं सुधरेगी। इसका विकास नहीं होगा अत: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी ही देश में वामपंथी चरमपंथ का मूल कारण है।

यह कह चुकने के बाद हमें यह भी देखना चाहिए कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हमारे लोगों की शिकायतों को दूर करना क्यों संभव नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि हम शिकायतों को दूर करने के उपायों की पहचान नहीं कर सके हैं। ऐसा नहीं है कि केन्द्र विशेष रूप से वर्तमान सं.प्र.ग. सरकार ने सामाजिक आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा और अन्य ऐसी कल्याण योजनाएं नहीं बनाई। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। केन्द्र सरकार धन भी दे रही है।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने उल्लेख किया है कि संबंधित राज्य सरकारों की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना राज्यों को धन देने में केन्द्र को हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऐसा किया गया है। मैं संबंधित राज्य सरकारों पर दोषारोपण नहीं करना चाहता परन्तु केवल एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत आकर्षक योजना 'इन्दिरा आवास योजना' है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को छत देने की बात कही गयी है। मेरे गृह राज्य बिहार में 600 करोड़ से अधिक रुपए दिए गए थे। ऐसा क्यों है कि पूरे वित्त वर्ष 2006-2007 में अब तक 50% से कम राशि का उपयोग किया गया है?

इस सरकार ने एक उत्कृष्ट योजना तैयार की जो यदि कार्यान्वित हो जाती तो गरीबी हटाने में न सही, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी कम करने में अवश्य ही सहायक होती। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात कर रहा हूं। एक बार फिर मैं बिहार का उदाहरण देता हूं। सम्पूर्ण वित्तवर्ष 2006-07 में राज्य को पर्याप्त से अधिक निधि दी गई थी परन्तु वित्त वर्ष के अन्त तक 35% से कम निधि व्यय हुई है।

अब इसे समझ कर विवेचना किए जाने की आवश्यकता है कि केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि को राज्य सरकार क्यों व्यय नहीं कर पा रही हैं। जैसा कि पिछले चुनावों के समय कहा गया था बिजली, सड़क और पानी की आवश्यकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्री की ग्राम सड़क योजना और तत्कालीन राष्ट्रीय सम विकास योजना जिसे अब पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का नया नाम दिया गया है, के तहत सैंकड़ों करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए हैं। सड़कें केन्द्रीय अभिकरणों जैसे कि इरकॉन द्वारा बनाई जा रही हैं परन्तु फिर भी ये पर्याप्त नहीं हैं। राज्य सरकारों को भी सड़कें बनानी होंगी। ऐसा क्यों है कि जो सड़कें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जानी हैं नहीं बनाई जा रही।

जो सड़कें राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं उनके लिए केन्द्र द्वारा धन दिए जाने का प्रश्न ही नहीं आता। यदि राज्य सरकार इसकी मांग करती है तो शायद केन्द्र तुंरत मांग पूरी करके धन देगा परन्तु जो भी निधियाँ दी गई हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा।

मैं एक अन्य बहुत शोचनीय उदाहरण दूंगा। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं जिनके पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन नहीं हैं उन्हें पेंशन दिए जाने की एक बहुत अच्छी योजना बनाई गई हैं यह पेंशन उन लोगों के लिए होगी जो वृद्धावस्था योजना के तहत आते हैं और जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर यह बताना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए गए हैं, मुझे यह पता है और मैं यह बात अपने निर्वाचन क्षेत्र की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। यह धन खर्च नहीं किया जा रहा है। लोगों को दी जाने वाली पेंशन भी नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने जो कुछ कहा हैं यह प्रश्न ही नहीं उठता कि निधियां दी जानी चाहिए। निधियां दी जा रही हैं लेकिन जो निधियां दी जा रही हैं, राज्य सरकारों द्वारा उनका अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा है, संबंधित राज्य सरकारों का दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है और यह कुशासन का मुद्दा है। हमें इस कुशासन में सुधार करने की आवश्यकता है। हमें अपने शासन का गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है, हमें अपने लोगों को सुशासन देने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि एक महत्वपूर्ण पहलू जिसका जनता के मन पर प्रभाव पड़ता है, वह उनकी शिकायतों का तत्काल निवारण करना है। यह किसी भी प्रकार के विवाद से संबंधित हो सकता है। वह भूमि से संबंधित विवाद ऋण देने और किसी अपराध से संबंधित विवाद हो सकता है। अपराध न्याय प्रणाली में लोग निवारण एवं मदद की आशा रखते हैं। इसमें बहुत समय लगता है। वामपंथी उग्रवादी इसी बात का पूरा-पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे जन अदालतें लगाते हैं। इससे जनता को आभास दिया जाता है कि अपराध न्याय प्रणाली में विश्वास मत कीजिए। इससे आपको न्याय नहीं मिलेगा। यह केवल महंगी हैं बल्कि आप इसका खर्च भी नहीं वहन कर सकते हैं और इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। हम आपको त्वरित न्याय देंगे। वास्तव में ऐसा ही किया जा रहा है। प्रशासन और वर्तमान सरकार जन अदालत जैसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती हैं? मेरा सुझाव है कि सरकार यदि प्रखण्ड अर्थात ब्लॉक स्तर पर नहीं तो कम से कम सब डिवीजन स्तर पर त्वरित अदालत जैसी कोई स्थानीय अदालत लगाने के बारे में विचार कर सकती हैं। यदि प्रखण्ड स्तर पर इनका आयोजन करना कठिन है, तो इनका आयोजन सब डिविजन स्तर पर किया जाए। लेकिन उनका आयोजन बारी-बारी से प्रखण्डों में किया जाए। इससे उन गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि हम भूमिहीन लोगों की बात करते हैं। भूमिहीन लोगों को भूमि क्यों नहीं दी जानी चाहिए? भूमिहीन लोगों को भूमि देने, उन्हें भूमि आबंटित करने की एक नियमित योजना है। उदाहरणार्थ मेरे जिले में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और जिन्हें जमीन दी जानी चाहिए। इस सूची में ऐसे अनेक लोग हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि बिहार की मौजूदा सरकार और जिला प्रशासन भूमि बांटने की स्थिति में नहीं है? इस संबंध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है, यद्यपि यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए परन्तु केन्द्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और राज्य सरकार से भूमि वितरण के मामले में प्रगति रिपोर्ट मागंनी चाहिए।

मैं कुछ और बातें कहना चाहता था लेकिन मेरे विचार से सुशासन से संबंधित ये दो सुझाव विशेषकर अपराध न्याय प्रणाली और सब डीविजन स्तर पर जन अदालत की तरह किसी अन्य अदालत का आयोजन करने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्य बात भूमिहीनों को भूमि के पुनर्वितरण के बारे में है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पैदा हो रही है। मैं वहां रहा हूं। मैंने वहां समय बिताया है। वहां एक विशेष प्रकार का वातावरण है। ऐसा प्रत्येक 50 वर्षों में होता है। इसे 'मोधम' कहा जाता है। वहाँ एक विशिष्ट ब्रांड का बांस उगाया जाता है, यह विशेष प्रकार की गुणवत्ता बाला बांस जो प्रत्येक 48-50 वर्षों में होता है। चूहें रोडेंट्स, बगस उससे भोजन प्राप्त करते हैं, इससे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है और उनकी जनसंख्या कई गुना बढ़ जाती है, और वे सभी उपलब्ध भोजन और फसल खा जाते हैं। ऐसा 1916, और 1966 में होता था, और अब यह 2007-2008 में होने वाला है। ऐसा प्राय: प्रत्येक 50 वर्ष में होता है। मैंने देखा है कि मिजोरम में फसल बहुत खराब होती है। गत दो वर्षों में कोई खेती नहीं हुई है। यह उपयुक्त समय है कि केन्द्र सरकार अब इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री और खाधान्न मुहैया करा कर उनकी शिकायतों को दूर करे। मिजोरम राज्य को खाद्यान्नों की आपूर्ति अविलम्ब की जानी चाहिए। यह कार्य प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम 1966 की स्थिति में चले जांएगे, जब मिजो नेशनल फ्रन्ट, जो कि एक भूमिगत संगठन है, से एक गंभीर समस्या पैदा हो गयी थी और 20 वर्षों तक इस संगठन ने केन्द्र सरकार के लिए समस्यांए पैदा कर दी थीं। यदि राजीव गांधी ने दूरदृष्टि और राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई होती तो हम लालडेंगा के साथ कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं होते।

यह समझौता 1986 में किया गया था। उसके बाद से राज्य में शांति है। उसके बाद से यह राज्य देश की अखण्डता के लिए खतरा नहीं रहा है। अब इस प्रकार की आशंका के पैदा होने की संभावना है इसलिए केन्द्र सरकार ने अब इस समस्या पर ध्यान दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि मिजोरम में लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

महोदय, आपने मुझे इतना अधिक समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ श्री निखिल कुमार जी, मेरे पूर्व वक्ता को पेशेगत रूप से अनुभव भी है और सांसद के रूप में भी अनुभव है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए मैंने उन्हें 25-26 मिनट बोलने के लिये दिये हैं।

मोहम्मद सलीम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब यहां आंतरिक सुरक्षा की बात की गई है तो एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से तीसरी तरफ ये लांछन लगाते हैं। हम लोग समझ जाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा हमारे देश की चिन्ता है। आंतरिक असुरक्षा बढ़ रही है, कारण कि चुनाव में हम लोग एक दूसरे के प्रति अपने पाइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग चिन्तित है।

उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई महीने के बाद हम लोकतांत्रिक तरीके से इस संसद में इस माहौल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देश की आजादी के 60 साल बाद ऐसा पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वहां असैम्बली में, इन-कैमरा तो छोड़िये, मीडिया और असैम्बली के कर्मचारी तक को बाहर रखा गया और असैम्बली में एक स्पैशल सैशन चलाया गया। यह चर्चा करीब-करीब पौने आठ घंटे तक चली। इस चर्चा में आई. जी., चीफ सैक्रेटरी, डी. जी., और होम सैक्रेटरी ने भाग लिया। चूंकि विषय की गम्भीरता थी, इसलिये मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि देश में ऐसी स्थिति नहीं कि संसद में भी ऐसी चर्चा कभी करनी पड़े। हालांकि अध्यक्ष महोदय के स्पेशल रूल बने हुये हैं, स्थिति के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ असैम्बली में ऐसी स्थिति बनी। यह केवल उस स्टेट का मामला नहीं है, यह सारे देश का मामला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कभी एक जिले में ज्यादा हो जाता है तो दूसरे जिले में कम हो जाता है, कभी किसी स्टेट में कम तो कभी किसी स्टेट में ज्यादा होता है। आज देश में सुरक्षा का अभाव पैदा किया जा रहा है। मेरा कहना है कि हम अलग-अलग संगठन के लोग देखते हैं अक्सर माओवादी मामला होता है या दूसरी तरफ टैरिरिस्ट्स हमला हो रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद में बम विस्फोट हुये हैं। मैं इन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। नार्थ ईस्ट स्टेट्स, जम्मू-कश्मीर में मिलिटैंसी वर्षों से चल रही है। लोगों की जानें जा रही हैं। जब कभी हम संसद में प्रश्न करते हैं तो मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि कभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक कहता है कि आपके जमाने में ऐसा हुआ तो दूसरा कहता है कि नहीं, आपके जमाने में हुआ। लेकिन ऐसा काफी समय से हो रहा है। मैं समझता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक होलिएस्टिक अप्रोच होनी चाहिये। इसमें बोलना आसान है मगर दिक्कतें ज्यादा हैं। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और विभिन्न राजनैतिक दलों को इस पर बहस करनी चाहिये लेकिन एक होलिएस्टिक अप्रोच होनी चाहिये। जैसा कहा गया कि माओवादी घटनायें देश के कई प्रान्तों में हो रही हैं, उस संगठन का यूनिटरी कमांड सिस्टम है। देश में पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनायें हो रही हैं। सरकार जो अपनी रणनीति बनाये, उसे टोटैलिटी से तैयार करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि सुरक्षा की जो भावना है, मैं वी वी आई पी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, वह बेशक बहुत जरूरी है, हमारा संसद भवन टैरिरिस्ट अटैक के बाद और ज्यादा सिक्योर हुआ है लेकिन आम जनता के मन में सुरक्षा के क्या भाव हैं, वह हमारे लिए इंडीकेटर है। वह भावना कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। कभी-कभी दिवाली, रथ यात्रा, ईद और रमजान के महीने में या और पर्वों पर हम रैड अलर्ट घोषित कर देते हैं जब सुरक्षा की भावना लोगों में कम होती है। उसके लिए जो रिस्क एनालिसिज है, जैसे वी आई पी का थ्रैट पर्सैप्शन हम देखते हैं और सुरक्षा के प्रावधान कम या ज्यादा करते हैं, उसी तरीके से पूरे देश में अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग जिलों में अलग-अलग लोगों का, भारतीय नागरिकों का रिस्क एनालिसिज होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक डाटा होना चाहिए। डाटा है, लेकिन मॉडर्न नहीं है। हम आई. टी. में पूरी दुनिया के लीडर हैं लेकिन हमारे जो रीयल डैटा कलैक्शन्स हैं, जो एक्शनेबल इंटैलिजैन्स है, जिस पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, उसमें अलग-अलग एजेन्सीज काम कर रही हैं, जिनके बीच कोआर्डिनेशन्स की बहुत जरूरत है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू-कश्मीर में और नक्सल अफैक्टेड एरियाज में बम विस्फोट होते हैं। कहीं लैन्डमाइन ब्लास्ट होते हैं, कहीं पावरफुल बम एक्सप्लोड होते हैं। फिर हमारे देश में आर डी एक्स आया और अभी आई. ई. डी. आ गया है। लेकिन जब स्टेट पुलिस की तरफ हम देखते हैं तो उनके बम डिस्पोजल स्क्वैड्ज वहीं हैं। वे क्या करते हैं कि कहीं कोई पेटी रखती है और उनको खबर दो, वे आएंगे और देखेंगे, कुत्तों से सुंघाएंगे, बाल्टी लेकर आएंगे और उसको डिफ्यूज करेंगे। उसकी टैक्नोलॉजी अब बदल गई है। उसके लिए कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे देश में उस पर काम हो रहा है। अभी जब हम पढ़ते हैं कि कैमिकल्स विस्फोट होते हैं, उसमें नाइट्रेड वगैरह होता है। ये जो आई. ई. डी. है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं यह भी देखना है। फिर अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कोई पकड़ा गया तो अलग बात है लेकिन अभी हमने देखा फैजाबाद वगैरह में कि जब ब्लास्ट हो जाता है तब खबर मिलती है। तो हमारा पोस्ट ब्लास्ट मैकेनिज्म कैसा है, हम फिर बम डिसपोजल स्क्वैड क्यों बुलाते हैं पुलिस का? पुलिस के पास तो विस्फोट होने से पहले उसको डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग है लेकिन जब विस्फोट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना

है, किस तरह से डैटा कलैक्ट करना है, किस तरीके से एविडेन्स कलैक्ट करना है, किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसका एनालिसिज करना है, किस तरह उसके सुराग को एस्टैबलिश करना है? हम अगर देखते हैं तो पिछले कई सालों से जो विस्फोट हो रहे हैं, अखबारों और टेलिविजन में हम जो रिपोर्टिंग देखते हैं, आजकल तो टैलिविजन में भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं। लोग साथ-साथ दो मिनट में संस्था का नाम बोल देते हैं कि कौन जिम्मेदार है, वह भी बोल देते हैं। फिर रिपोर्टर्स उसको लिखते हैं। मैं अभी आंकड़े इकट्ठा कर रहा था तो देखा कि जितने विस्फोट हुए हैं, उसके बाद एक ही तरह की रिपोर्ट्स अगल-अलग नाम से अलग अलग जगहों से आती हैं लेकिन वे छप जाती हैं। सूत्रों के बारे में कहा जाता है कि कहीं पुलिस का सूत्र है, सरकार का सूत्र है, इंटैलिजैन्स का सूत्र है, मंत्री महोदय का सूत्र है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हर विस्फोट के बाद कहा गया कि सुराग मिल गया, लोग पकड़े गए, मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज तक एक भी विस्फोट का अभियुक्त पकड़ा नहीं गया, चाहे मक्का मस्जिद विस्फोट ले लो, मालेगांव ले लो, मुम्बई ब्लास्ट ले लो, अजमेर की दरगाह शरीफ ले लो, चाहे वाराणसी ले लो, संकटमोचन मंदिर में ले लो, या अक्षरधाम मंदिर में ले लो ...*(व्यवधान)* मैं जनप्रतिनिधि के नाते हमारे यहां की व्यवस्था बता रहा हूं। कोई खबर होगी तो आपको लगेगा कि यहां तो मोहम्मद सलीम के खिलाफ बोला जा सकता है तो बोल दो, कोई खबर में, मुझे लगेगा कि उनके खिलाफ बोला जा सकता है तो बोल दो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह: ये चेयर को निशाने पर नहीं रखना चाहते। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: मैं कह रहा हूं कि कोई भी इसको अपने तरीके से, पीसमील तरीके से रंगीन चश्मे से देखकर बयान कर सकता है। *...(व्यवधान)* लेकिन सुरक्षा की जो भावना है, उसके लिए हमें आंकड़े इकट्ठे करके सामने आना चाहिए। हमें नेशनल बम डैटा देखना चाहिए कि कहां कहां क्या विस्फोट हुए, किस तरह के विस्फोटक इस्तेमाल किये गये, उसके डैवलपमैंट्स क्या हो रहे हैं।

यह माडर्न मेनेजमेंट का तरीका है। मैं कोई पोलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपको किसी चुनौती से निपटना है तो आपके जो साधन एवं संसाधन हैं, उन्हें आपको एकत्रित करना पड़ेगा। हम कम नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी जवाब में फिर कहेंगे। इसमें चाहे माओइस्ट, आतंकवादी या मिलिटेंसी हो, चाहे आर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहे हैं, उनके बारे में यह भावना है कि ठीक है हिरोइज्म काम करता है। पुलिस के अंदर भी हमारे यहां कॉप से सुपर कॉप होते हैं, उनके हाथ में बन्दूक दे दो और वह अंधाधुंध दनादन क्नाट प्लेस में गोली चला देगा। उसे मीडिया हिरोइज्म बना देता है। उसे इलैक्शन चैनल में बुलाया जा सकता है। हम कभी-कभी कहते हैं कि हमारे डी जी पी ने ऐसा किया और उनके आई जी पी ने वैसा किया। उन्हें वहां से यहां ले जाओ तो वे सब ठीक कर देंगे। इसे मेच्यो बोलते हैं। हिन्दी फिल्म और हॉलीवुड, बॉलीवुड में जैसे होता है, वैसे ही हम रिअल टाइम में भी कभी-कभी मिलिटेंसी, आतंकवाद और ऑर्गनाइज्ड गैंग से निपटने के लिए उसका विजुअल अपील भी होता है और न्यूज वेल्यू भी होता है या कुछ दिनों तक जब वे सर्विस में रहते हैं या जब कोस्ट गार्ड होता है, यह डेवलप कर रहे हैं। वे कभी-कभी क्लिक कर जाता है और कभी-कभी नहीं करता है। श्री के. पी. एस. गिल साहब, ठीक है, वे बहुत अच्छे हैं। उनका पंजाब में कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ठीक है, हम कहेंगे कि उनका मैच्यो है। जब उन्हें हम छत्तीसगढ़ में ले आते हैं, ट्रांसपिरंट कर देते हैं तो वहां भी मामला हो जाएगा यह मेच्यो की भावना है। अगर ये फिल्म उस हीरो के चलते ठीक हो गई तो फिर दूसरे डायरेक्टर ने उस हीरो या हीरोइन को साइन कर लिया तो वह भी चल जाएगा।

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं किसी के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: दूसरी बात यह है कि मेच्यो सेवा भावना है। लोग यहां बोलते हैं कि यह पोलिटिकल हो जाएगा। पुलिस से पूछो तो वे बोलते हैं कि और भी कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए तो वह भी एक मेच्यो की भावना है। हमारे ऊपर हत्या कराने का, थोड़ा थर्ड ग्रेड करने का, थोड़ा पीटने का, थोड़ा फांसी देने का कानून हो जाए तो हम अरेंज कर देंगे, लेकिन आप पूरे विश्व में देखिए कि लोगों में असुरक्षा की भावना और चुनौती बढ़ रही है और इसके साथ-साथ आंतकवादी मामला भी पूरा फैल रहा है। साऊथ एशियन में भी देखें, बंग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी ऐसे ही हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे देश में

[मो. सलीम]

पड़ रहा है। इन आइसोलेशन नहीं, मैंने जिले से शुरू किया था, लेकिन जियोपोलिटिकल सिचुएशन है। पूरे विश्व का, हमारे पूरे साऊथ एशियन का, हमारे देश का, उसके आधार पर आपको यह आतंरिक सुरक्षा के मामले में, उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, न कि अगले साल यहां चुनाव है और उसमें कौन हमारे पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। यह बोलना आसान है, बोलते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, अगर टाडा, पोटा लेकर वोट बैंक की राजनीति होती तो टॉडा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, वे हारते नहीं। टॉडा दिखाकर जीतते रहते, वोट बैंक पॉलिटिक्स पोटा बनाने वाली बीजेपी के बारे में बोल रहा हूं। पोटा था तो फिर वोट में नहीं हारते, उसका उलटा समझते हैं कि नहीं ये पोटा, टाडा के विरोध में कर रहे हैं तो ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये वोट वाला बैंक कोई एस बी आई वाला एकाउंट नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है कि आप जाओ और ले लो। आपका वोट धड़ाधड़ निकलता जाएगा। उसे हम बहुत सिम्पलीफिकेशन करके देखते हैं और लांछन लगाते हैं। तीसरी बात यह है कि मेरा यह पहला पैराग्राफ था कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर देश को देनी है तो उसके लिए हमारी एक स्ट्रेटजिक सोच चाहिए और राजनीतिगत एप्रोच और परिवर्तन सोच में चाहिए, फंडामेंटल परिवर्तन चाहिए। रिस्क तो है और रिस्क एनालिसिस जिस तरह से होगा उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगर हम सोचते हैं पुलिस ऑन द स्टीक सिर्फ वे करें तो गलती हो जाएगी। चाहे राजनीतिक नेता हों, एग्जीक्यूटिव्स या पुलिस बल हों, हम सबको अपने-अपने तरीके से वहां इनपुट डालना पड़ेगा। अभी निखिल जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी का भाषण है और मैं भी बोल रहा हूं, हमारी सोच भी बदलती रहती है, मैं सोचता हूं कि थोड़ा अनुभवी हो गया हूं। अगर हम डेवलपमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़, में दांतेवाड़ा, आंध्र प्रदेश या वैस्ट मिदनापुर, बांकुरा, पुरूलिया जौन या अन्य जगह को देखते हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, ट्राइबल बैलट ...*(व्यवधान)* यह हंसने की बात है नहीं है

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): नंदीग्राम को भी देखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए।

अपराह्न 3.50 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: आप अगर समझते हैं कि नन्दीग्राम के बहाने आपको असैम्बली में एक एम. एल. ए. की सीट मिल जाएगी, तो गलत है। यह उतना आसान नहीं है। हमारा अनुभव आपको छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ने और माओवादियों से लड़ने में काम आएगा। हमें अनुभव हैं। आज इसे आप खींच रहे हैं। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। मैं बोल रहा था कि स्ट्रैटैजिक सोच बदलनी पड़ेगी, यह ज्यादा जरूरी है। मैं बोल दूं और आप सुन लें, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद, उस स्ट्रेटैजी के एग्लीक्यूशन का मामला है। एग्जीक्यूशन के मामले में, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करें। इसमें कोआर्डीनेशन की जरूरत है। आप स्वयं देख लो, यदि माओइस्ट को आप छत्तीसगढ़ में पनपने दोगे, यदि झारखंड में पनपने दोगे, तो क्या बंगाल और उड़ीसा की सीमा महफूज रहेगी, कभी नहीं रहेगी, क्योंकि वे तो बॉर्डर एरिया में करते हैं। आर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं, वे दो थानों के किनारे में होते हैं या दो डिस्ट्रिक्ट के किनारे के थानों में करते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो बॉर्डर लाइन है, फिर चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, उससे मिलिटेंट्स को फायदा होता है। जो स्टेट के बॉर्डर्स हैं, वहां इंटरनल सिक्योरिटी के जो थ्रैट्स हैं, वे करते हैं। आप खुश हो सकते हैं कि हमारी सीमा की बजाय उनकी सीमा में हो गया है। अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ देख लें, सरकार के पास आंकड़े होंगे, क्या स्थिति है? एक जिला दांतेवाड़ा जिसके 65 हजार लोग, उनमें अधिकतर ट्राइबल्स हैं, यह पार्टी, वह पार्टी नहीं, वे गांव से बाहर हैं, जिले से बाहर हैं। इंटरनल मायग्रेशन हुआ है। ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रैट से 65 हजार लोगों ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पनाह ली है। क्यों, क्योंकि वे सलवाजुडूम में जुड़ गए थे। आपने कहा कि ट्राइबल बॉयज को पुलिस अफसर बना दिया, दो-ढाई हजार रुपए दे दिए, और माओइस्ट ने रिटैलिएट किया। गांव वाले तो गांव छोड़कर भाग गए। इस साल 42 हजार हेक्टेयर जमीन में खेती नहीं हुई। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा में कोई खेती नहीं हुई। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा में कोई खेती नहीं हुई। वहां 1354 गांव हैं। उनमें से 600 गांवों में कोई खेती नहीं हुई। उस दिन मैंने नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मिनिचर पढ़कर सुनाया था, आपने नहीं सुना कि जो माओइस्ट हैं, टैररिस्ट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, वे काम करते हैं। मैं निखिल कुमार सिंह जी की बात के ऊपर बोल रहा था कि पहला काम वे यह करते हैं कि गवर्नेंस नहीं हो। सरकारी एजेंसी कोई काम नहीं करे। प्रधान मंत्री बोल रहे हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है कि डैवलपमेंट को भी साथ-साथ ले जाना पड़ेगा। आप भी बोले कि दोनों तरफ एप्रोच होनी चाहिए, लेकिन वे तो पहली जिम्मेदारी यह लेंगे कि कोई डैवलपमेंट का काम नहीं हो। लैक ऑफ डैवलपमेंट

को वे एक्सप्लाइट करेंगे। सड़क बन जाए, गांव में लोग चले जाएं, वे ऐसा नहीं करने देंगे। जहां बताया कि 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खेती नहीं हो रही है, वहां क्या गरीबी उन्मूलन हो रहा है, वहां तो गरीबी और बढ़ रही है। इस प्रकार यह एक डायकौटोमी है। उनकी रणनीति यह है कि वे आपकी डैवलपमेंट स्कीम को गांवों में नहीं पहुंचने देंगे। फिर करप्शन आदि बाकी सब झमेले तो हैं ही, लेकिन जो कुछ भी मिनीमम है, वह एबसैंस होगा। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि जब तक आप डैवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आपको अपने स्ट्रैटैजिक एक्शन को भी बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय: अब आप कन्क्लूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम: साहब, आप दूसरे तीसरे विषय लीजिए, लेकिन आप इस विषय के साथ आंख मिचौली नहीं कर सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आज इस डिबेट को कन्क्लूड मत कीजिए।

सभापति महोदय: मैं इस डिबेट को कन्क्लूड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय सदस्य से अपना भाषण कन्क्लूड करने के लिए कह रहा हूं। डिबेट तो चलती रहेगी।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आप अगर बोलो, नन्दीग्राम, तो नन्दीग्राम भी, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी रही कि इस साल के 11 महीने हमें मजबूर किया गया कि इस बारे में थोड़ी और इनडैप्थ स्टडी की जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अपने मित्रों के साथ और पूरे देश के साथ शेयर करूं। इसमें यदि आपको कहीं ऐसा लगे कि मैं परदा डाला रहा हूं, तो बेशक आपको बोलने का हक है, लेकिन हमें कहीं न कहीं इस विषय के ऊपर तवज्जुह देनी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार की तवज्जुह मांग रहा हूं। खैर, मैंने चार विषय के ऊपर वजज्जुह देनी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार की तवज्जुह मांग रहा हूं। खैर, मैंने चार विषय बताए हैं। मैं चारों विषयों पर बोलूंगा। एक जो नॉर्थ ईस्ट में जम्मू-कश्मीर का जो मिलिटेंसी अफैक्टेड एरिया है, दो माओइस्ट जो लैफ्ट एक्स्ऑमिज्म की बात आप कर रहे हैं, तीन जो आतंकवाद का हमला है और चार जिस तरह से रिलीजियस बायगौट्री, फंडामैंटलिज्म इरैस्पैक्टिव, मैं धर्मनिर्पेक्ष होकर बोल रहा हूं। उसे एक्सप्लौइट कर के यंगर जनरेशन को जिस तरह से बहाया जा रहा है, ये चारों हमारे देश के लिए खतरा बन रहे हैं, फिर चाहे आज हो या कल हो, इस जिले मे हो या उस जिले में। मैं अभी सिर्फ माओवादी को ही डील कर रहा था। अगर आप इजाजत देंगे, तो मैं बाकी और तीनों विषयों पर भी बोलूंगा। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आंकड़े पूरे हैं। लेकिन जहां से मैंने शुरू किया था कि डैवलपमेंट आपको ले जाना पड़ेगा और वह मैसिव सिस्टम नहीं, सुपर कॉप, अच्छे यंत्र, अच्छी गाड़ी की बेशक सब को जरूरत है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं कि हमारे लिए आप 40 हजार करोड़ रुपये से 50 हजार करोड़ रुपये इस देश में, इस गरीब मुल्क में सालाना सैण्ट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और वैरियस एजेंसीज इण्टरनल सिक्योरिटी पर हम खर्च करते हैं और जिस तरह से चुनौती बढ़ रही है, खर्च और भी बढ़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि ये 40-50 हजार करोड़ रुपये, जो हम खर्च कर रहे है, यह कितना बुद्धिमत्तापूर्वक, रणनीतिक, लक्ष्योन्मुखी, निष्पादन उन्मुखी है, किस तरह से हम अपने गोल को निर्धारित करके उसको एचीव कर सकते हैं, यह देखना संसद का काम है। संसद आपसे यह गुजारिश करेगी कि आप 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत हो, 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करें, लकिन यह परिणामो-मुखी होना चाहिए। लेकिन हम सामान खरीद रहे हैं, हम जरूरत पड़े तो भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि हमारे पास आंकड़ा है, इसलिए मैं सरकार से यह कहूंगा, हमारे मंत्री जी ने पिछली चर्चा में यह कहा था, जब आडवाणी जी ने यह चर्चा उठाई थी कि पूरे देश में नक्सलाइट इफैक्टिड एरियाज में घटनाएं कम रही है, मौतें कम रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की वजह से आंकड़ा बढ़ गया। मैं छत्तीसगढ़ को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहता। छत्तीसगढ़ हाथ से दूर जायेगा तो आन्ध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, आज नहीं तो कल इफैक्टिव होंगे। बंगला में एक कहावत है, गोबर से जलाने के लिए गोंटा बनाते हैं तो गोबर हंसता है कि देखो, लेकिन गोबर को भी यह समझना चाहिए कि अगर गोंटा जल रहा है तो कल को उसकी हालत भी यही होगी। मैं शाहनवाज जी को भी यही कह रहा था कि आप ऐसा मत करो। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं सलीम साहब से यही कह रहा हूं कि थोड़ा आंतकवादियों के खिलाफ भी बोलें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य यील्ड नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री शाहनवाज हुसैन-कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृप्या अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

आप यील्ड नहीं कर रहे हैं तो आप खड़े कैसे हो गये? मि. सलीम, आप यील्ड कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: मैं बोलता हूं कि इसको कम्युनल सोच बोलते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मजाक भी किया तो ये पूरी माइनोरिटी के प्रतिनिधि बन गये। किस माइनोरिटी ने तुम्हें प्रतिनिधि बनाया, भइया? *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: ये मल्होत्रा जी को देखकर कह रहे हैं, मैं इनका इशारा नहीं समझता हूं क्या? इन्होंने क्या इशारा किया है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहा हूं *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: देखिये, वे बी. जे. पी. में माइनोरिटी बन गये और मल्होत्रा जी को कह रहे हैं कि वे मैजोरिटी बन जायें। *...(व्यवधान)* हम कभी-कभी दूसरों के ऊपर हंसते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सलीम जी, आप कन्क्लूड कीजिए। अब चार बज रहे हैं, इसलिए मैं दूसरा विषय लूंगा। मुझे अब दूसरा विषय लेना पड़ेगा, इसलिए आप कन्क्लूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम: मैं यह कह रहा था कि जो जियो पोलिटिकल *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके पास दो मिनट का समय है, आप कन्क्लूड कीजिए। मुझे चार बजे दूसरा विषय लेना होगा, चूंकि ऐसा तय कर चुके हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम: इस देश की जो हमारी सामाजिक और भौगोलिक स्थिति हो रही है, उसको हम अगर समझ में नहीं लाएंगे तो जो भी खर्च करें, जो भी हम काम करें, वह फुलफिल नहीं होगा। मेरे बोलने का मकसद यही है और इस जगह पर खड़े होकर अगर आप देखें कि गौहाटी में जो हुआ, असम में जो हुआ, एक तो यह जो ट्राइबल एरिया है, जो डिस्कंटेंटमेंट है, जो कमोशन है, लैक ऑफ डैवलपमेंट है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्राइबल्स की मांग है, उसके इस्तेमाल को लेकर चाहे उसको बहकायें, चाहे उसको बरगलायें, लेकिन उसका जब इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ तो यह जब टेलीविजन में देखते हैं कि ट्राइबल गर्ल को जिस तरह से विवशता के साथ व्यवहार किया जाता है, वे आपके जो सेंटीमेंट्स हैं, उसको राउज कर देते हैं और पोलिटिकली जो हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ है, हम सरकार के खिलाफ हैं, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो मिलीटेंसी है, वे उसको एंटी स्टेट कर देते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

जो एंटी गवर्नमेंट हैं जो एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, उसको पूरा स्टेट, ऐज एन स्टैब्लिशमेंट, उसकी जगह पर उसे ले जा रहे हैं। हम लोगों को यह देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा माहौल नहीं बने, जहां एक पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी का जो रवैया है, उसे एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें, चाहे वह फंडामेंटलिस्ट हों, चाहे मिलिटेंसी हों, चाहे एक्सट्रीमिज्म हों या चाहे टेरेज्म हों।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जल्दी समाप्त कीजिए। चार बजे बिल लेना है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप उन्हें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: आप जल्दी समाप्त करिए।

मोहम्मद सलीम: महोदय, जल्दी समाप्त करने का सवाल ही नहीं है। वह तभी उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ बड़ा इंपार्टेंट है फाइनेंसेज का सवाल, आपने खुद मनीलेंडरिंग में यह सब किया। अभी मल्होत्रा जी ने एक रिपोर्ट पढ़ी। हिंदुस्तान टाइम्स में यू एन की रिपोर्ट लिखी है, उसमें कई विषय है। मल्होत्रा जी ने कानून की बात कही। उसमें हमारा और उनका अंतर हो सकता है। मैं उस बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन उसके साथ यह भी है कि जो फंड मूव करता है, इस तरह की सुरक्षा का अभाव पैदा करने के लिए, आतंकवादी हमला करने के लिए और उसके लिए जो ट्रैप करना चाहिए, उसके लिए जो इंटेलीजेंस करनी चाहिए, उसके लिए हमारे यहां फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट है, वह काम कर

रही है। अभी मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में बिजनेस ओके हैं, इंटरनल हवाला, एक देश से दूसरे देश को पैसा भेजने को हवाला बोलते हैं, इंटरनल हवाला, जैसे दिल्ली से भोपाल में, भोपाल से कलकत्ता में, कलकत्ता से रांची में, इस तरह अगर पैसे का लेन-देन करना पड़े, तो बैंक में ड्राफ्ट वगैरह नहीं करके, वे एक सेविंग डील करते हैं, इसमें जेन्यूइन पैसा भी हो सकता है, ब्लैक ही नहीं व्हाइट भी हो सकता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप डिस्टर्ब न करें।

मोहम्मद सलीम: यह जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर यह शैडो में हो रहा है, तो फिर आपको फाइनेंशिल बैंक को ट्रैप करेंगे, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बैंक एकाउंट से कितना-कितना रुपया जा रहा है, वह तो नहीं आएगा और हम सब का अनुभव है कि ऐसा ट्रांजेक्शन होता है और जब तक हम उस रूट को नहीं पकड़ पाएंगे, यूएन रिपोर्ट भी कह रही है कि आपका फाइनैंशियल ट्रांजेक्शन है, उसे ट्रैप करना चाहिए, वहां फंडिंग कैसे हो रही है, इसता पता लगाना चाहिए। इसी तरह से उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आपके यहां जो एक्सपर्टीज इंटेलीजेंस गैदरिंग करने की कई किताब लिखी हैं, अभी दो-तीन किताब तो आयी हैं, रॉ के बारे में, हमारे इंटेलीजेंस के बारे में, कि हमारी खुफिया एजेंसियों के अंदर क्या काम है? हमारे देश में विघटन हो रहे हैं, उसके लिए विदेशी तत्वों को और उसकी इंटेलीजेंस एजेंसी को बेशक गाली दें, उनका कुछ हाथ भी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कंक्ल्यूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम: कंक्ल्यूड करने का सवाल ही नहीं है, मैंने तो अभी शुरू किया है। ठीक है अगर आज कुछ और करना है, तो मैं कल बोलूंगा। मुझे बीस मिनट और बोलने के लिए चाहिए।

सभापति महोदय: आप कंक्ल्यूड कीजिए।

श्री अनिल बसु: महोदय, आप उन्हें बोलने दीजिए।

मोहम्मद सलीम: अगर डिस्कशन कल तक चलेगा, तो मैं कल बोलूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय: आप 27 मिनट बोल चुके हैं। आप कंक्ल्यूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम: हम पिछले शनिवार से इंतजार कर रहे हैं कि इस विषय पर बिना कोई बाधा चर्चा हो। यह पिछले शनिवार को रखा गया था। अगर आप चार बजे बिल लेना चाहते हैं, तो मैं कल कर लूंगा।

सभापति महोदय: आप 27 मिनट बोल चुके हैं, आप पांच मिनट में कंक्ल्यूड करिए।

मोहम्मद सलीम: जिस तरह से ये बम विस्फोट वगैरह हो रहे हैं, अगर आप देखें कि जो टीनेजर्स हैं, जो पोस्ट 92 जेनरेशन है, मुसलमानों के अंदर, उसकी एक अलग सी सोच है। यह सोच इसलिए है, वह एक फाडर है, उसे कौन इस्तेमाल करेगा, इसके लिए फंडामेंटलिस्ट आर्गेनाइजेंशंस, जो रिलीजियस आर्गेनाइजेंशस हैं, वे भी यह समझते हैं कि माडरेट ब्वायज काम नहीं कर रहे हैं, जितने मुस्लिम तंजीम हैं, उनके बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, वह नौजवान उनकी बात को भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि इस देश में अस्सी और नब्बे के दशक में देखा गया कि हिंदू कम्युनलिज्म को माडरेट से आगे बढ़ाकर अगर आप शेर के पीछे चढ़ जाते हैं, तो आप क्षमता में चले जाते हैं। उसका एक काउंटर रिस्पौंस होता है कि हमें भी मॉडरेट से हाईलाइनर में ट्रांजिट करना है और वह पूरे देश में हो रहा है। हमारे लिए वह बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर की ताकत भी उसे टारगेट करेंगे। अगर आप देखें तो पूरे विश्व में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, हमारे बाजू में पाकिस्तान, बंगलादेश तो है ही, पूरे विश्व में पोस्ट 9/11 श्री बुश ने ऐसी स्थिति बनाई है कि एक अजीब सी जियो पोलीटिकल स्थिति बनी है कि पोलीटिको रिलीजियो अपसर्ज हो रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है? आज 5 दिसम्बर है। 1992 के बम विस्फोट के बाद अभी भी लिब्राहन कमीशन को एक्सटैंशन दी जा रही है, लेकिन आज तक राय नहीं बनी। विश्व में भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां गिनती उलटी हो रही है। हमने जीरो का अविष्कार किया है। 1992 पहले आता है, उसके बाद 1993 आता है। मुम्बई बम विस्फोट हुए, बेशक हर दोषी को सजा मिलनी चाहिए और 16 साल बाद सजा मिल रही है, लेकिन 1993 वालो को सजा मिल रही है और जो लोग 1992 के कसूरवार हैं, वे सिर उठाकर घूम रहे हैं। यह लोगों के अंदर एक अजीब व्यवस्था पैदा करती है। इससे एक साम्प्रदायिक स्थिति बन रही है। अल्पसंख्यकों में जो साम्प्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर जो फंडामैंटलिस्ट्स हैं, उस फोर्स को बल मिल रहा है। उसकी लिबरल वॉयस स्कवीज हो रही है और हम अपने लोकल पोलीटिकल गेन के लिए कभी-कभी उसको सहारा देते हैं कि कभी उसका भरोसा कर लो, कभी उसका भरोसा कर लो। वह कम्युनल लीडरशिप के हाथ में नहीं रहेगा, वह एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ में जाएगा, वह और किसी खतरनाक हाथ में जाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या करते हैं? एक बम विस्फोट होता है। इसमें कुछ स्टैन्डर्ड मीन्स है। हम बोल देते हैं यह संस्था, वह संस्था कुछ टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेंशस हैं। उसको सही तरीके से इन्वैस्टीगेट करके, उसके कसूरवार को ढूंढकर उसके बाद उसे सजा

[मो. सलीम]

दो। जो एक्सट्रीमिस्ट, आर्गनाइजेशन्स होते हैं, कोई भी हो, चाहे वह लैफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हो, रिलीजियस बॉयगॉटरी हो, चाहे मिलिटैंट आर्गनाइजेशन हो, जब कोई घटना घटवाता है तो वह सस्ती पब्लिसिटी लेना चाहता है। वह लीफलेट छापकर बांटता है कि देखो, हम यह कर रहे हैं। वह अखबार वालों को फोन करता है, टेलीविजन चैनल को बेनामी फोन करता है, ई-मेल करता है, क्योंकि वह आम साधारण नागरिकों को दहशत में डालकर, दहशतगर्द का मतलब ही होता है कि दहशत पैदा करके सस्ती पब्लिसिटी लेकर, चाहे उसकी गलत आइडियोलोजी हो, चाहे गलत प्रचार हो, लेकिन वह उस दुष्प्रचार को सामने लाने की कोशिश करता है। हमारे यहां जितने भी विस्फोट हो रहे हैं, आजकल कोई संस्था क्लेम नहीं करती। जब वे खर्च करके, ट्रेनिंग देकर यह काम कर रहे हैं तो उन्हें क्लेम करना चाहिए। यह एक नई टैन्डैन्सी है, नया ट्रैंड है। इसलिए मैंने कहा कि आपको इन्फार्मेशन गैदरिंग सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रैन्थन करना पड़ेगा और सरकार, पुलिस, मीडिया ...*(व्यवधान)* हकीकत की तह में जाना चाहिए। हमें जरूरत है। हो सकता है कि उनकी टैकटिक्स ऐसी है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग जरिए से वे यह सब करवा रहे हैं, आजकल सुपारी होती है। लेकिन हम उसकी तह में नहीं जाते। मैं सरकार से मांग करूंगा, पिछले साढ़े तीन सालों में जितने विस्फोट हुए, आप आंकड़े देखकर बताएं कि आपने कितने लोगों को इनीशियली अरैस्ट किया, कितने लोगों के ऊपर आपने मुकदमे दायर किए, कितने लोगों को चार्जशीट दी, कितने लोगों को रिलीज कर दिया और कौन संस्था, कौन व्यक्ति, कौन ग्रुप, कौन गिरोह इसके पीछे है। ...*(व्यवधान)* यह भी एक बड़ा मसला है।

इसके साथ-साथ आखिर में वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहता हूं। जिस तरह पाकिस्तान के मामले चल रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के मामले चल रहे हैं, हो सकता है जम्मू-कश्मीर में अभी थोड़ा लल है, लेकिन सरकार के एडवाइजर, सिक्युरिटी सलाहकार ने खुद कहा है कि मिलिटैंसी का जो इनफिल्ट्रेशन हुआ है, वे कुछ लोकल रिक्रूट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जब ऐसे हालात बनते हैं तब उसमें लोकल रिक्रूट करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह नार्थ फ्रंटियर चल रहा है, उससे हमारी तसल्लीबख्श स्थिति नहीं है बल्कि इसका असर कश्मीर के ऊपर फिर से आ सकता है। उसके लिए भी सरकार को सावधान करना पड़ेगा। इसी तरीके से बंगलादेश का मामला भी है। अगर आप देखेंगे कि बंगलादेश में डेमोक्रेसी न होने के कारण दो इस्टैबलिश्ड पोलीटिकल पार्टीज, मैं उनकी इंटरनल पोलीटिक्स पर नहीं बोलूंगा, लेकिन करप्शन आदि के मामले जो भी हों, जिस तरह उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन बीच में फंडामैंटलिस्टि फोर्स निरंकुश हो रही है। जो डेमोक्रेटिक फोर्स है, जो पोलीटिकल सिस्टम है, जब पोलीटिकल पार्टीज काम नहीं करतीं, जब पोलीटिकल सिस्टम काम नहीं करता है। तो उस जगह ऐसे एक्सट्रीम फोर्सेज को पनपने का मौका मिल जाता है। उसका असर हमारे नार्थ ईस्ट में, बंगाल में, पड़ता है। इसके अलावा जहां नार्थ बिहार बंगाल का बॉर्डर है जिसे चिकन नैक कहा जाता है, जहां से हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जीतकर आये हैं, उस पर खतरा हो सकता है। नेपाल और भूटान की सीमा है, जो सॉफ्ट बॉर्डर है जिसे हम ज्यादा गार्ड नहीं करते हैं, कोई भी थर्ड कंट्रीज, हमारे देश की अंदरूनी ताकतें उसे भी ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं और उन्हीं के द्वारा यह व्यवहार हो रहा है। हमारे यहां फिर रेड कारीडोर, जिसकी आप बात करते हैं, जो माओइस्ट मामला है, उसके लिए हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम इसको पोलिटिकल सहारा देंगे, हम उसको छोटे-मोटे फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि चलो वह उस पार्टी के खिलाफ है, इस पार्टी के खिलाफ है, क्या हम उस तरीके से हम जोंयेंगे या हमको एक पोलिटिकल तरीका अपनाना पड़ेगा कि नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा जो विरोध है, उसे हम प्रकट भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं लेकिन सस्ते फायदे के लिए हम एक लम्बे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चौधरी, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

मो. सलीम के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा कि आंतरिक सुरक्षा में जो खतरा है, वह माओइस्ट, लैफ्ट एक्सट्रीमिज्म, नार्थ ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी है, जो हमारी फंडामेंटलिस्ट फोर्स हैं वह चाहे किसी भी रिलिजन का सहारा लेती हो और जो आर्गनाइज्ड क्राइम इंडीकेट्स हैं। माओइस्ट एक, फंडामेंटलिस्ट दो और मिलिटेंसी तीन ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह सिर्फ आर्गनाइज्ड क्राइम इंडीकेट्स हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, यह नियम 193 कल किस समय लिया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे इस बारे में बतायें।

सभापति महोदय: यह तो आपको लिस्ट ऑफ बिजनेस से पता चल जायेगा।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैंने इस सदन में आग्रह किया था कि यह बहस कल भी चलेगी। क्वेश्चन ऑवर के बाद स्पीकर साहब टाइम तय कर देंगे। उस हिसाब से यह डिसकशन चलेगी। मैं आपको अभी टाइम नहीं बता सकता। स्पीकर साहब ने खुद कहा कि इस चर्चा को कल भी चलायेंगे। अब टाइम स्पीकर साहब तय करेंगे। शाम को जब बिजनेस तैयार होगा, तब छपकर आयेगा। लेकिन आप कल ऐसा माहौल बनाइये कि हाउस चले।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): यही लोग हल्ला करेंगे। आज इन्होंने बोल दिया है इसलिए कल यह हल्ला करेंगे। जब हम लोंगों के बोलने की बारी आयेगी, तो यह हल्ला करेंगे। ये कल हल्ला नहीं करेंगे, इसका क्या एश्योरेंस है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब इस पर कल पुन: चर्चा होगी। इस पर शाम को समय निर्धारित किया जायेगा। आप लोग लिस्ट ऑफ बिजनेस में देख लीजिए। अभी हम नम्बर 24 ले रहे हैं। इसमें तीन विधेयक हैं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे पांच-पांच मिनट बोलने का समय लें तभी विधेयक पारित करने का काम सम्पन्न हो सकता है। अभी हम इंदिरा गांधी नैशनल ट्राइबल यूनीवर्सिटीज बिल, 2007 ले रहे हैं।

अपराह्न 4.14 बजे

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक-2007-*जारी*

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरे विचार से यह विधेयक हमारे देश की बहुत लम्बे समय से चली आ रही आवश्यकता की पूर्ति करता है। मेरे विचार से हमारे जनजातीय बान्धवों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और यह विधेयक अमरकंटक में विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होगा।

विधेयक के कुछ उपबंधों की विधेयक करते हुए मैं सरकार का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं विश्वविद्यालय के उद्देश्य धारा 4 (1) और (2) की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूं मैं इन धाराओं को पढ़ कर नहीं सुनाऊँगा क्योंकि ये माननीय मंत्री जी के पास हैं।

मैं इस बात को प्रकाश में लाना चाहूंगा कि यह विधेयक भारत की मुख्यत: जनजातीय जनता के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का अवसर प्रदान करता है। "मुख्यत:" शब्द महत्वपूर्ण हैं और पृष्ठ 5 पर धारा 7 के संगत है जहाँ यह उपबंध किया गया है कि विश्वविद्यालय तथा किसी भी लिंग के, किसी भी नस्ल, धर्म, जाति आदि के लिए खुला होगा। अतएव यह उपबंध मुख्यत: भारत की जनजातीय जनता के लिए हैं और धारा 7 के तहत उपबंध संगत हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार पूरे भारत में होगा जो कि धारा 6 के तहत बताया गया है। यह अत्यन्त स्वामत योग्य है और मैं अपने माननीय सहयोगियों से अनुरोध करूँगा कि वे इस धारा के उपबंधों पर धारा 5(12) के उपबंधों के साथ विचार करें जिसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे परिसरों, विशेष केन्द्रों विशेषज्ञता पूर्ण प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना कर सकता है। मुझे आशा और विश्वास है कि जब यह विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार के कार्य करना आंरभ करेगा तो केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता से देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में, जहाँ जनजातीय जनता की बहुतायत है, ऐसे अनेक परिसरों और केन्द्रों की स्थापना करेगा। यह वास्तव में न केवल हमारे देश की जनजातीय जनता के लिए बहुत अच्छा होगा अपितु पूरे भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा।

[प्रो. बसुदेव वर्मा]

यह कहने के बाद, मैं कुछ गौण बातें कहना चाहूँगा जिन्हें मैं संशोधन के रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहा । मैं सरकार का ध्यान पृष्ठ 9 पर धारा 23 की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। इसमें न्यायालय के गठन, कार्यकारी परिषद के गठन और शैक्षणिक परिषद के गठन के बारे में कहा गया है। आप कृपया नोट करें कि यह कहा गया है न्यायालय, कार्यकारी परिषद और शैक्षिणिक परिषद में अनुसूचित जन जातियों के पर्याप्त सदस्य होंगे। अब मेरे विचार में, 'पर्याप्त' शब्द पर्याप्त नहीं है। 'पर्याप्त' शब्द अपर्याप्त है। मेरा सुझाव है कि प्रथम न्यायालय के मामले में, जैसा कि धारा 50 के तहत उपबंध किया गया है, 31 सदस्य होंगे, हमें यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि न्यायालय में जनजातीय समुदायों से कम से कम 15 सदस्य होंगे। प्रथम कार्यकारी परिषद जहाँ सदस्यों की कुल संख्या 11 है, में मेरे विचार से 'पर्याप्त' शब्द को हटा कर हमे लिखना चाहिए कि कार्यकारी परिषद में कम से कम समुदाय के पाँच सदस्य होने चाहिए। इसी प्रकार शैक्षणिक परिषद में कम से कम दस सदस्य होने चाहिए।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 'पर्याप्त' शब्द का प्रयोग करने के कुछ इरादे हो सकते हैं जिनका अर्थ यह हो सकता है कि जनजातीय लोगों को इस विश्वविद्यालय को चलाने के मूलभूत नियम और विनियम बनाने के लिए गठित किए जाने वाले इन निकायों में पर्याप्त या उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात पृष्ठ 12, धारा 33 में बताई गई। यह लिखा गया है कि प्रथम अध्यादेश उप कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे। मैं नम्रता पूर्वक सुझाव दूँगा कि इस से पूर्व समय सीमा निर्धारित की जाए। प्रथम उपकुलपति द्वारा "प्रथम अध्यादेश कि छः माह, या नौ माह या तीन माह की अवधि में बना दिए जाएं।" अन्यथा, विश्वविद्यालय चलाना कठिन होगा।

पृष्ठ 21 की संविधि 9 (1) में, एक छोटा सा सुधार किया जाना है। परन्तु मैं इंगित करना चाहता हूं कि पंजीयक, नियंत्रक जैसे अधिकारी और अन्य लोग वेतनभोगी अधिकारी है। पुस्तकाध्यक्ष के मामले में, 'वेतनभोगी' शब्द गायब हैं; इसे सुधारा जाए।

अंततः मैं उस बिन्दु पर आता हूं जो मेरे विचार से महत्वपूर्ण हैं। यह छात्र परिषद के गठन और इसके कार्यकरण के संबंध में है। यह पृष्ठ 32 की संविधि 38 में दिया गया है। यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय में एक छात्र परिषद का गठन किया जाएगा। यह उपबंध किया गया है शैक्षिणिक परिषद में 20 छात्रों को नामित किया जाए। यह बहुत अच्छी बात है।

अंतिम पंक्ति में, यह कहा गया है: "छात्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या जो शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानिर्दिष्ट की जाए" मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि संख्या निर्धारित की जाए। यदि छात्र परिषद में शैक्षणिक परिषद द्वारा 20 विद्यार्थियों को नामित किया जाना है तो मेरे विचार से छात्र परिषद में निर्वाचित छात्रों की संख्या कम से कम 25 या 30 होनी चाहिए। यह विनिर्दिष्ट किया जाए। नियम बनाते समय इस पर ध्यान दिया जाए।

अंततः इसी संविधि में यह कहा गया है: "छात्र परिषद की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार हो।" यदि हम छात्र परिषद के उत्तरदायित्वों को देखें तो आप पाएंगे कि इसके कई कार्य हैं जैसे:–अध्ययन कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों को सुझाव देना।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि छात्र परिषद की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम तीन बार न कि वर्ष में एक बार हो। अन्यथा विद्यार्थी परिषद नाम के लिए ही अस्तित्व में होगी न कि कार्यकरण में।

अपराह्न 4.22 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.25 बजे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007–*जारी*

[अनुवाद]

***श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी):** सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विधेयक 2007 पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य अपने राष्ट्र के जनजातीय युवाओं को लाभ पहुंचाना है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का आशय मध्य प्रदेश में अनन्य रूप से अमरकंटक में जनजातीय छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। यह कहा गया है कि इस स्थान पर अच्छी संचार सुविधाएं और बसावट के लिए सर्वथा उपयुक्त तथा हर दृष्टि से अनुकूल है। सरकार की योजना इस परियोजना पर 60 करोड़ रुपये खर्च करने की है। सरकार जनजातीय युवाओं की शिक्षा पर प्रति 12 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि सत्ता में आने के बाद से ही संप्रग सरकार उड़ीसा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विभिन्न स्थितियों में संप्रग सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो उड़ीसा के हित के प्रतिकूल हैं। राजग शासन के दौरान सरकार ने वहां आई आई टी खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन संप्रग सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया। उड़ीसा में रावेनशां कालेज को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना था लेकिन यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। राजग सरकार ने उड़ीसा सहित देश के विभिन्न भागों में 'एम्स' जैसे अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था। पांच साल बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसी प्रकार, संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना का स्थान उड़ीसा से बदल दिया है। उड़ीसा के प्रति संप्रग सरकार की उदासीनता का दूसरा उदाहरण नेशनल मेराइन यूनिवर्सिटी की स्थापना उड़ीसा में पूर्व प्रस्तावित पारादीप के बजाए तमिलनाडु में करने के प्रस्ताव में देखा जा सकता है। महोदय, इन सभी उदाहरणों से यह पूरी तरह स्पष्ट हैं कि संप्रग सरकार उड़ीसा के प्रति कितना अनुचित बर्ताव कर रही है।

महोदय, इस समय नहीं राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई जा रही हैं। इस नीति के उड़ीसा के हितों को बहुत आघात पहुंचेगा। केन्द्र सरकार उड़ीसा को प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सभी लाभ उससे छीन रही है। उड़ीसा संप्रग की वरीयता सूची में इतने नीचे है कि उड़ीसा के एक भी नेता को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में स्थान नहीं दिया गया है। यह खेदजनक और शर्मनाक है। सबसे अधिक जनजातीय आबादी उड़ीसा में है फिर भी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। यदि उड़ीसा के जनजातीय विद्यार्थियों को उचित माहौल दिया जाए तो वे भी उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आगे निकल सकते हैं।

महोदय, मैं निम्नलिखित सच्चाई की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर ही क्यों रखा जाए? इसका नाम किसी जनजातीय नेता के नाम पर क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्या इससे यह अभिप्रेत है कि जनजातियों ने देश के प्रति कोई योगदान नहीं दिया है? महोदय, जनजातीय एवं पिछड़े समुदायों के ऐसे अनेक नेता हैं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। उन्हें क्यों भुला दिया जाए और, सभी नये संस्थानों के नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर ही क्यों रखे जाएं? ये सभी संस्थाएं उनके ही निर्वाचन क्षेत्रों में क्यों हों? इसके पीछे क्या तर्क हैं? यहां उपस्थित सभी सदस्यों को इस अन्याय का पुरजोर विरोध करना चाहिए। जनजातियों ने भी इस राष्ट्र के लिए अपना खून बहाया है।

महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर चर्चा पहले ही हो चुकी हैं लेकिन मैं निम्नलिखित बातों पर बल देना चाहता हूं। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात आदि को जहां भारी तादाद में जनजातीय विद्यार्थी हैं इस नये विश्वविद्यालय में आनुपातिक आधार पर सीट दी जानी चाहिए ताकि किसी राज्य के प्रति अन्याय न हो। इससे जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक राज्य को उचित अवसर प्रदान किया जा सकेगा। मुझे आशा है कि यदि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जायेंगी तो मेरे राज्य के जनजातीय छात्रों को लाभ मिल सकेगा। और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में उन्हें अध्ययन करने का मौका मिल सकेगा।

श्री सी.के चन्द्रप्पन (त्रिचुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, संप्रग सरकार ने जनजातियों से बहुत से वायदे किये हैं और उन्हें पूरा करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आश्वासन हेतु बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक अर्थात् अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लाया गया और अब इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक लाया जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पूर्व समय में जनजातियों और वन निवासियों के लिए पारित किये गये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को नियति की ओर दिलाना चाहता हूं। यह विधेयक वर्ष 2005 में पुर: स्थापित किया गया था और प्रवर समिति ने सर्वसम्मति से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि इस विधेयक में किये गए संशोधनों से जनजातियों की आजीविका के साधनों में सुधार का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। परन्तु इसे हल्का करके स्वीकार किया गया अब आठ माह बीत चुके हैं। इन जनजातियों के लोग एक सप्ताह से जन्तर मन्तर पर धरना पर

बैठे थे। वे वहाँ क्यों बैठे थे? क्योंकि नियम नहीं बनाए गए है। संप्रग सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के साथ यह एक बहुत बड़ा धोखा था। विधेयक को बेमन से पारित किया गया। ये नियम तैयार नहीं किए गए और विधेयक के प्रावधान वस्तुत: कार्यान्वित नहीं हुए। ऐसा एक बार हुआ। मैं वनाधिकार विधेयक के संबंध में बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में यह इस दिशा में दूसरा कदम है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमने पहले वाले विधेयक का भी समर्थन किया था।

महोदय, यह विधेयक बहुत अच्छा है। इस में कुछ भी आपत्तिजनक नही हैं परन्तु इसका शीर्षक कुछ अलग होना चाहिए था। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के विरूद्ध नहीं हूं। वह एक महान महिला थी। इस प्रकार का विधेयक लाकर आप उनका अपमान कर रहे हैं। यदि आप का ऐतिहासिक नजरिया होता तो मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे कि वह इस संशोधन से सहमत होती कि इस विश्वविद्यालय का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? बिरसामुंडा उन नेताओं में से थे जिन पर भारतीय इतिहास को बहुत गर्व होगा। मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से भी पहले राष्ट्रीय आंदोलन से भी पहले भारत की जनजातियों ने सम्पूर्ण पूर्वी और उत्तरी भाग में ब्रिटिश लोगों से युद्ध किया था। केरल में जनजातियों ने पुर्तगालियों से युद्ध किया। उनके अपने नेता थे। श्री एन्टनी को शायद याद होगा हैं कि पझासी राजा केरल में पुर्तगालियें के विरूद्ध लड़ने वाली जनजातियों का नेता था।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*। माननीय मंत्री जी किसी अन्य चर्चा में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी आपकी बात को नोट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मंत्री जी मेरे संभाषण को सुने। मैं कह रहा हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति, और देश के प्रति उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए पूर्ण प्रशंसा सहित मैं चाहूँगा कि विधेयक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाए। इससे देश की जनजातीय जनता बहुत प्रसन्न होगी। हम सभी स्वतन्त्रता सेनानी हैं और इस देश के देशभक्त वर्ग को इस पर गर्व होगा। अतएव इस विश्वविद्यालय का नाम बिरसा मुंडा नाम पर होना चाहिए। मैं औपचारिक रूप से संशोधन का प्रस्ताव नहीं दे रहा। परन्तु यदि सरकार, स्वयं की बुद्धिमता से इस सुझाव को स्वीकार करती है तो वह संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। यह देश के तथा भारत के जनजातीय लोगों के प्रति भी उत्तम सेवा होगी।

अब मैं इस विधेयक और इसके उपबंधों के संबंध में कहना चाहूंगा कि वह एक अच्छा विधेयक है। यह उच्च शिक्षा आदि प्रदान करने के संबंध में है। जनजातियों की प्राथमिक शिक्षा का क्या होगा? अंतत: सभी जनजातियो को प्राथमिक, सैकण्डरी और फिर उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। अन्यथा इस विधेयक से एक जनजातीय विश्वविद्यालय तो मिल जाएगा परन्तु शिक्षा दूसरे लोगों को मिलेगी। इसलिए आप कृपया इस और ध्यान दें। अभी आप कह रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। परन्तु जनजातीय लोगों को प्राथमिक और सैकण्डरी स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षित करने के लिए और अधिक ठोस कार्यक्रम होने चाहिए और उसके बाद ही हमें उच्च शिक्षा देनी चाहिए। हम उन्हें उच्च स्तर पर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जहां वे विश्वविद्यालय आने के लिए नहीं होगे। अतएव उन्हें इस सभा को आश्वस्त करना होगा के जनजातियों को इस विश्वविद्यालय की सेवाओं का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए वह पर्याप्त कदम उठाएंगे।

अब मैं, अंतिम मुद्दे पर आता हूं। मैं केवल इसी विधेयक के बारे में बोल रहा हूं। इसमें अनेक प्रावधान किए गये हैं। मैं आपका ध्यान ठोस प्रावधान अर्थात खंड 23 की ओर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे एक बात से हैरानी है, सरकार यह नया तरीका ही अपना रही है। वे राष्ट्रीय संस्थान बना रहे हैं लेकिन उनमें इस सभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन संस्थाओं में इस सभा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि वे संस्थान संसद के प्रति उत्तरदायी रहें। ऐसा नहीं है कि दो संसद सदस्य जा कर वहाँ बैठ जाएंगे संसद के प्रति उन संस्थाओं की उत्तरदायीता का अर्थ है कि वे देश और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अतएव मैं सुझाव देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय कोर्ट में लोकसभा के संसद सदस्य और राज्यसभा से एक संसद सदस्य को शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

अंतिम बात यह कि उनके मंत्रालय ने इस विधेयक में इस नई अवधारणा का समावेश किया कि छात्र संघ की अवधारणा का प्रतिवाद किया गया है। आप स्वयं युवावस्था में छात्र राजनीति में रहे हैं। मैं और श्री एंटनी भी छात्र संघों में रहे है। यदि आप विधेयक पर ध्यान दे तो उसमें छात्र संघों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें केवल डीन की अध्यक्षता वाली कल्याण समिति का ही प्रावधान है। यह क्या है। आधुनिक समय में, जब हम 18 वर्ष की आयु में लोगों को वोट देने के अधिकार दे रहे हैं तो उन्हें राजनीति से, संघों से अलग रखने का कोई कारण नहीं बनता है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसके द्वारा छात्र विश्वविद्यालय और परिसर के संबद्ध विश्वविद्यालयों में छात्र संघों का गठन कर सकें। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुझे इस

बात से अत्यंत आश्चर्य है। यह अत्यन्त अलोकतांत्रिक नजरिया हैं। इन बातों को और कर्मचारियों की इच्छा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 37 में प्रावधान बिल्कुल अपर्याप्त है। यह बहुत तानाशाही प्रावधान है कि आप छात्र और कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रखा गया है। ऐसा करके वह श्रीमती इंदिरा गांधी को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। अतएव मैं अनुरोध करूंगा कि इस विश्वविद्यालय का नाम बदल कर बिरसा मुंडा राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कर दिया जाए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसका उद्देश्य नेक है।

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2007, सदन में लाया गया है जिस पर आज चर्चा हो रही है। आजादी के 60 साल बाद यूपीए सरकार के ध्यान में आया कि आदिवासियों को शिक्षा देने के लिए और उनके शैक्षिणिक उत्थान के लिए कोई न कोई विधेयक लाना चाहिए। इस विधेयक को चाहे जो भी मंत्री लाए हैं, मैं इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

इस विधेयक में जो मोटी बात लिखी गई हैं, उसमें यह है कि भारत में जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुकर बनाने और उनकी अभिवृद्धि के लिए चाहे कोई प्रदेश हो, काम किया जाएगा।

जहां तक उच्चतर शिक्षा का सवाल है, देश आजाद होने के बाद 1952 में जन-जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय काम करता था। बाद में उसके नाम में संशोधन करके समाज कल्याण मंत्रालय किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय के बाद अब जनजातीय कार्य मंत्रालय नाम हुआ है। तीन मंत्रालयों के नाम में संशोधन होता रहा है। इस विधेयक की पूर्व में भी चर्चा हुई थी। इनके नाम में चाहे कितने परिवर्तन हो जाएं, मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी विधेयक सदन में लाए, उसका इम्पलीमैंटेशन सही तरीके से करे, यही मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है। इस विधेयक जो उद्देश्य है, वह बहुत अच्छा है। वर्ष 1952 में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बना था और देश के राज्यों में आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए थे। उन संस्थाओं को शोध और प्रशिक्षण का काम सौंपा गया था। इसके लिए करोड़ो रुपए के बजट का आबंटन हुआ लेकिन क्या उसका लाभ जनजाति को मिला? मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि शोध तो होते रहें हैं, शोधों में राशि जनजातियों के लिए है लेकिन उसका लाभ सामान्य वर्ग ने उठाया और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। उन शोधों का लाभ जनजाति के कल्याण की योजनाएं बनाने में कितना रहा, इसका मूल्यांकन करें, यह मेरा विशेष रूप से आग्रह है।

इस विधेयक में दूसरा बिंदु है जिसमें विशेष रूप से उच्च शिक्षा की बात कही गई है। हालांकि इस विधेयक में मैनेजमेंट, प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था की बात है इसमें ज्यादा से ज्यादा जनजाति के स्कॉलर्स, जो शिक्षाविद् हैं उनको रिक्रूट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में ट्राइबल्स के प्रशासनिक अधिकारी, चाहें आई ए एस या आई पी एस हों और अन्य शिक्षाविदों को जोड़ा जाए ताकि सही रूप से शैक्षणिक व्यवस्था चल सके ताकि ट्राइबल्स के टेलेंटिड बच्चे आगे आएं ताकि वे अनुसंधान करके आगे आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दे सकें। इस विधेयक में मोटी बात देखी गई है, मैं इसमें पदों को देख रहा था कि कितने पद रखे गए हैं। इन पदों में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इन पदों पर कौन लोग आसीन होंगे। इन पर गत वर्षों तक जो लोग आज तक आसीन होते आए हैं, उन लोगों की सोच जनजातियों के प्रति क्या रही है और क्या ऐसी ही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी? यदि ऐसा है तो क्या आपका विधेयक लाने का प्रयोजन पूरा होगा, उद्देश्य पूरा होगा? मैं इस बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूं। इस विधेयक में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मैक्सिमम लोग जनजातियों के लिए जाएं और दूसरे लोग भी लिए जाएं जो स्कॉलर हों, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हों। हमें इसमें कोई परहेज नहीं है कि इन्हें लिया जाए।

जहां तक विशेष रूप से यूनिवर्सिटी के नाम की बात है, मेरा कहना है कि इस देश में जनजाति के कई ऐसे विद्वान हुए हैं, कई ऐसे राजनेता हुए हैं, देश को आजादी दिलाने में कई ऐसे वीर पुरूष हुए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। मैं विशेष रूप से मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, भीलू राणा पूंजा हुए हैं जिन्होंने देश की आजादी, रक्षा के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है इसलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): सभापति महोदय, मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह विश्वविद्यालय जनजातीय छात्रों की शिक्षा के लिए स्थापित किया जा रहा है।

महोदय, इस विश्वविद्यालय को जो नाम दिया गया है वह निश्चित रूप से न्यायोचित है क्योंकि सभी स्तरों पर जनजातीय विकास पर बल देने का कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ही आंरभ किया गया था। अब प्रत्येक स्तर पर जो भी विकास हुआ है, वह श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही हुआ है। पहले जो कुछ सदस्य बोले हैं उन्होंने कहा है कि

[श्री गिरिधर गमांग]

यह नाम बदला जाना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वे अपने नेता का नाम उड़ीसा में रखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती है परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर जब यह नाम रखा जाता है तो वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं, जो मॉंग उड़ीसा सरकार या संसद सदस्यों ने की है वह न्यायोचित होनी चाहिए और उस मॉंग पर बिना किसी भेदभाव के विचार किया जाए। परन्तु साथ ही, मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने क्या मांग की थी और उन्हें क्या मिला इसे भी ध्यान में रखा जाए।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक नई अवधारणा है।

महोदय, जब मैं उड़ीसा का मुख्यमंत्री था तो मैंने तीन राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय आरंभ किए थे इनमें से एक उड़ीसा राज्य में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय परन्तु यह अवधारणा बिल्कुल नई है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जिन विषयों का भी उल्लेख किया है वे केवल शिक्षा देने के लिए ही होंगे या वे जनजातियों को दिए जाने वाले रोजगार अवसरों से जुड़ें होंगे। इस बात का आकलन करना होगा कि यह विश्वविद्यालय अन्य राज्य या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह होगा या जनजातियों का, जनजातियों के लिए जनजातियों के द्वारा उनका अपना विश्वविद्यालय होगा। यदि ऐसा है तो मैं सोचता हूं कि ज्ञान में सुधार होगा और जनजातियों को रोजगार अवसरों में इससे लाभ होगा। अन्यथा ज्ञान की दृष्टि से भी यह उचित है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ये सभी क्षेत्र जिन्हें वे कवर कर रहे हैं, पांचवे अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। पहली बार पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है यद्यपि अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, वे या तो छठे अनुसूचित क्षेत्र में हैं या पूर्वोत्तर राज्यों के हिल एरिया में हैं, परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार का जनजातीय विश्वविद्यालय नहीं है। अतएव मेरा विचार है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की अवधारणा विधेयक में यथा प्रस्तावित शिक्षा और रोज़गार को नया आयाम देगी।

महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी ने शिक्षा विकास के लिए बहुत से संस्थानों की घोषणा की है जिसमें उन्होंने 30 केन्द्र विश्वविद्यालय की घोषणा है, जिस राज्य में इस प्रकार के विश्वविद्यालय नहीं है वहां इनकी स्थापना की जाएगी। इसका अर्थ है कि उड़ीसा सरकार निश्चय ही ऐसे एक या दो विश्वविद्यालयों की पात्र है। परन्तु यह केवल अनुसूचित क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि यह जनजातीय उप योजना अवधारणा के घटकों में से एक होगा और इस प्रयोजनार्थ जो कुछ भी धनराशि दी जाएगी वह जनजातीय उप योजना अवधारणा के रूप में दी जाएगी और शिक्षा के विकास के लिए जिन भी योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं, उनके प्रत्येक पहलू को इस देश के पांचवे अनुसूचित क्षेत्र के लिए सीमांकित या निर्दिष्ट किया जाए।

महोदय, मेरा संबंध कोरापुर से हैं, अविभाजित कोरापुर अपेक्षाकृत एक बड़ा अनुसूचित क्षेत्र है जहॉं मैंने उस समय घोषणा की कि वहॉं उड़ीसा सरकार का एक विश्वविद्यालय होगा। परन्तु मैं ऐसा नहीं कर पाया। कोरापुर के अनुसूचित क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, यद्यपि अपने राज्य के अन्य अनुसूचित क्षेत्र में मैंने यूनिवर्सिटी अर्थात् नार्थर्न यूनिवर्सिटी आरंभ किया है महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के प्रत्येक उपबंध को स्वीकार करता हूं बशर्ते कि कमजोर जनजातीय छात्रों को शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलें परन्तु यह कार्य आपको निचले स्तर से आरंभ करना होगा ताकि भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा के विकास के लिए घोषित योजना से निर्धनतम जनजातियों को लाभ मिल सके। 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उच्च गुणवत्ता वाले 6000 नए विद्यालयों तथा जिलों में 370 नए कॉलेजों, और इसी तरह नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 10,000 नए वोकेशनल स्कूलों तथा 50,000 नए विकास केन्द्रों की स्थापना करके यह कार्य किया जा सकता है क्योंकि ये सारी चीजें केन्द्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ी होंगी। यदि यह कार्य किया जाता है, तो मेरा मानना है कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने वाला विश्वविद्यालय होगा। मेरे विचार से इस विधेयक में, जिसे हम पारित कराना चाह रहे हैं, यह व्यवस्था है। इससे उन सभी आदिवासी छात्रों को शिक्षा और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा जो यहां दाखिला लेंगे।

निष्कर्षत: मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक बार छोड़कर मैं पांचवीं योजना से लेकर दसवीं योजना तक यहां उपस्थित रहा हूं लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में शैक्षिक विकास को मान्यता दी है। अत: यह निश्चित रूप से सबसे अच्छी जगह स्थित है और यह औचात्यिपूर्ण भी है। यह प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हो सकता हैं लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय की खासीयत यह है कि 30 में से कम से कम 10 पांचवी अनुसूची क्षेत्र में हैं।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): सभापति महोदय, मैं अपनी संथाली भाषा में बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: क्या आपने संथाली में बोलने के लिये पहले नोटिस दिया है?

श्री रूपचन्द मुर्मू: सभापति जी, इस सदन में सरकार दो ट्राइबल लैंग्वेज को आठवीं शेड्यूल में लायी हैं लेकिन संथाली और बोडो लैंग्वेज के लिये...* कोई इन्टरप्रेटर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीगुथियारी (कोकराझार): महोदय, यह सच है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने इस मुद्दे को बार-बार उठाया है। मैं उनका समर्थन करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू: सभापति जी, मेरी पहली मांग है कि *...इन्टरप्रेटर नियुक्त किए जाऐं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द मुर्मू के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी वृत्तांत कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाइए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू: सभापति जी, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 का अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को अपना ब्लड प्रेशर समय पर चैक कराना चाहिये। जब आपका नाम आयेगा, तब आप अपनी बात कहिये। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि आप खड़े हो जाते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह अच्छी बात नहीं है। आपको सहयोग करना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में श्री रूपचंद मुर्मू की बातों को छोड़कर कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

रूपचन्द मुर्मू: सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करना चाहता हूं और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार नेशनल आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है। यह बहुत ही स्वागतयोग्य बात है। श्री बसुदेव बर्मन इस बिल की टैक्नीकल बातों पर बोल चुके हैं जिनपर मैं बोलना नहीं चाहता। इस बिल का उद्देश्य आदिवासी युवक-युवतियों को सक्षम बनाना और उन्हें उच्चतर शिक्षा दिलाना है। इस देश में मूल आदिवासी लोगों की संख्या साढ़े आठ करोड़ है। जब हमारा देश पराधीन था, उस समय आदिवासी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने में पीछे नहीं रहे। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुण्डा, तिलका मुरमु, सिद्ध कानू आदि ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी जान दे दी। सम्प्रति कृषि और उद्योग क्षेत्र में आदिवासी लोग पीछे नहीं हैं। लेकिन 60 साल की आजादी के बाद भी आदिवासी लोग अभी भी गरीब हैं, पीछे हैं और उन्हें अछूत माना जाता है। आदिवासियों को पीछे रखकर देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ऊपर कभी नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बंगला में कहा है:

নীচে জারে রাখো, সে তোমারে টানিবে জে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছো জারে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে।

जिसको पीछे रखा जाता है, जिसको नीचे रखा जाता है, वे लोग पीछे खींचते है। मैं कहूंगा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए सभी सदस्यों को पार्टीलाइन से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यह बिल तो जरूर पास हो जाएगा और हम सभी समर्थन करेंगे, लेकिन इसका इंप्लीमैंटेशन सही ढंग से होना चाहिए। एक साल पहले और एक आदिवासी बिल हमने पास किया है फॉरेस्ट राइट

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रूपचंद मुर्मू]

बिल। उसको पास किए हुए एक साल हो गया लेकिन अभी तक उस पर इंप्लीमैंटेशन नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुराने पास किए हुए बिल और इस बिल पर सही ढंग से इंप्लीमैंटेशन किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): धन्यवाद। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक 2007 का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री माननीय श्रीमती गांधी जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है। यदि इस जनजाति विश्वविद्यालय का नाम किसी आदिवासी के नाम पर होता तो हिन्दुस्तान का आम आदिवासी गर्व से महसूस करता कि एक आदिवासी के नाम से भी विश्वविद्यालय है। आज चाहे बिरसा मुंडा हो या आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले कितने ही आदिवासी महापुरूष हुए हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों का नाम सम्मान से नहीं लिया जाता है। फिर भी हमं गर्व है कि हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके जो प्रादेशिक केन्द्र पूरे हिन्दुस्तान में खोले जाएंगे, निश्चित रूप से उस प्रदेश के जो आदिवासी नेता या समाजसेवक रहे हों, उनके नाम से उन ब्रांचेज को खोला जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी ब्रांचेज हिन्दुस्तान के उन राज्यों में खोली जाएं जहां आदिवासी बहुत इलाके हों। मैं उदाहरण के लिए अपने लोक सभा क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो दक्षिणी राजस्थान में हैं। उस मेवाड़ क्षेत्र में राणा पूँजा ने आजादी के लिए संघर्ष किया था। उनकी याद में या फिर आदिवासियों का तीर्थ स्थान बेणेश्वर धाम है। उनके नाम से वहां यूनिवर्सिटी या ब्रांच खोली जाए तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के जो उद्देश्य दिये गये हैं, निश्चित रूप से उनको पढ़कर बड़ा गर्व महसूस होता है। इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए मैं आपका ध्यान खंड 2 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों में आदिवासियों का रेशो कितना प्रतिशत होगा यह महत्वपूर्ण बात है। इस विश्वविद्यालय में यदि आदिवासी शिक्षकों को महत्व नहीं दिया गया तो आज आदिवासी चाहे बी एड में हो, एम बी बी एस में हो, या चाहे पी एच डी कर रहा हो, उसमें यह होता है क प्रैक्टिकल में उसको इंटैलिजैन्ट होते हुए भी कम नंबर दिये जाते हैं। थ्योरी में तो वह 75 प्रतिशत नंबर ले आता है जबकि प्रैक्टिकल में उसके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि वह शैडयूल्ड कास्ट या शैडयूल्ड ट्राइब का है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में टीचिंग में प्रापर व्यवस्था होनी चाहिए। यदि वह व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं इस महीने की 3 तारीख को राज्य सभा द्वारा यथापारित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय संसद सदस्यों का ध्यान बुनियादी उद्देश्यों और कारणों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हमारे आदिवासी भाईयों एवं बहनों के लिए अन्य शिक्षा तक की पहुंच बहुत ही सीमित हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

साथ ही, आदिवासी युवा उच्चतर शिक्षा और उच्चतर अध्ययन के संबंध में अनुसंधान तथा आगे के अध्ययन भी दृष्टि से भी वंचित भी रहा है। लेकिन यह जनजातीय आबादी है कहां? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनजातीय आबादी पूरे देश में फैली हुई है लेकिन ऐसे अधिकांश क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जहां जनजातीय आबादी सर्वाधिक है। साथ ही हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी संख्या में जनजातीय आबादी वास करती है। कुछ ऐसे राज्य भी है जहां जनजातीय आबादी काफी है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: बोडोलैंड के बारे में उनका क्या विचार हैं?

सभापति महोदय: श्री बैसीमुथियारी, आप उन्हें बाधित न करें।

डॉ. टोकचोम मैन्या: शायद पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेरे मित्र का बोडोलैंड भी शामिल है।

महोदय, हालांकि इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में काफी संख्या में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। कुछ भी हो, यह अच्छी बात है। लेकिन पूर्ण रूप से जनजातीय आबादी के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। इस समय इंदिया गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह प्रस्ताव किया गया है कि यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की भांति शिक्षण एवं संबद्ध विश्वविद्यालय होगा। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य के अमरंकटक नामक स्थान पर की जाएगी क्योंकि यहीं वो क्षेत्र है जहां इस समय सर्वाधिक

जनजातीय आबादी है, इसके अतिरिक्त यह देश के मध्य में स्थित है।

यहां, मैं मंत्री महोदय का ध्यान खंड-2 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। मैं कैंपस की परिभाषा से संबंधित खंड 2 (च) के साथ पठित क्षेत्रीय केन्द्रों की परिभाषा सें संबंधित खंड 2 (ब) का उल्लेख चाहता हूं। यदि हम इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं, तो मैं यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्रीय केंन्द्रों को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि देश में हर जगह जनजातीय आबादी है। उदाहरणरूप, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हैं, में भारी संख्या में जनजातीय आबादी रहती है लेकिन वे अत्यधिक उपेक्षित है। हम यहां दिल्ली या संसद में बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अपने उन भाई-बंधुओं की दुर्दशा को सही मायनें में नहीं समझ पाते हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। अत: मेरा सुझाव है कि हमें यथा संभव अधिक से अधिक क्षेत्रीय केन्द्रों की व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जब हम सामान्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को शुरू करें, तो हम इन जनजातियों के इतिहास, भाषा, सांस्कृतिक धरोहर, रीति-रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित अध्ययनों की शुरूआत करने के बारे में सोचें ताकि देश के अन्य भागों तथा मुख्य अंगों में निवास करने वाले भाई उनकी परंपराओं को समझ सकें। देश की एकता एवं अखंडता के लिए यह जरूरी है।

महोदय, खंड 6 में हमने पूरे देश के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया है। यह अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ऐसा होना चाहिए। शुरूआत में मध्य प्रदेश स्थित इस विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करने से पहले हमें इन सभी क्षेत्रों के छात्र मिल सकें। जैसे ही हम क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करेंगे वैसे ही हमें छात्र मिल जायेंगे।

महोदय, खंड, 8 छात्रों के आवास से संबंधित है। छात्रों के आवास के संबंध में मेरा मानना है कि हम बाहर से आने वाले छात्रों के लिए पूर्णरूपेण आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास बार-बार आने-जाने की सुविधा नहीं हो सकती है।

इसलिए मैंने ये कुछ सुझाव दिए हैं। मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

दूसरे पक्ष के सदस्यों ने जब विश्वविद्यालय के नाम पर चर्चा की, उस पर हमारी कुछ आपत्तियां हैं। मैं सरकार के इस रूख को पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि इंदिरा गांधी का ऐसा व्यक्तित्व था जिसे हम इस चर्चा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं। अत:, हम इस विधेयक का समर्थन करें और इसे पारित करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। परन्तु साथ ही मैं उन कठिनाइयों को बताना चाहता हूं जो भविष्य में आ सकती हैं और ऐसा न करने से मैं अपने कर्त्तव्य में असफल हो जाऊंगा।

पहली बात इसके बारे में मुझे यह बतानी है कि यह एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसका कार्यक्षेत्र पूरे भारत में सभी राज्यों में है। इसलिए, यह विश्वविद्यालय एक अनूठा विश्वविद्यालय हैं। यह इस रूप में अनूठा है कि इसके कार्यकलापों में भारत के लगभग सभी राज्यों को जहां जनजातीय लोग हैं, शामिल किया गया है। देश के प्रत्येक भाग में, विश्वविद्यालय के कार्यकरण में पालन किया जानेवाला मूल सिद्धांत 'विविधता में एकता' होगा। यदि इस नीति का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जाता है तब यह विश्वविद्यालय केवल मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय बनकर रह जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनजातीय लोग विभिन्न संस्कृतियों का अनुपालन करते हैं। वे विभिन्न बोलियां बोलते हैं। उनकी कुछ संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं। उनमें से कुछ लुप्त होती कलाएं हैं। हम उन्हें पुर्नजीवित करना चाहते हैं। यह उन प्रयोजनों में से एक हैं जिसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है और इस प्रयोजन को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम 'विविधता में एकता' के सिद्धांत का पालन करेंगें, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है। अत:, निधि आबंटन और ऐसे सभी मामलों पर इस सिद्धांत के अनुसार कड़ाई से नजर रखनी पड़ेगी।

यह विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए उपबंध करता है। इसलिए, लगभग सभी राज्यों में जहां जनजातीय लोग रहते हैं वहां क्षेत्रीय केन्द्र भी होंगे। इन क्षेत्रीय केन्द्रों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित प्राधिकरणों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इसमें छात्र परिषद का भी उपबंध है। प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में छात्र परिषद की बैठक वर्ष में एक बार होगी। यह पर्याप्त नहीं है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए।

दूसरे, छात्र परिषद में दिए गए प्रतिनिधत्व के अनुसार 20 छात्रों का नामनिर्देशन कुलपति या कुलधिपति या अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। बीस छात्रों का नाम निर्देशन, मेधा के अनुसार होगा। यह ठीक है। इसके बाद यह दिया गया है कि, "और ऐसे छात्र निर्वाचित हो सकते हैं जैसा कि सांविधि में उपबंध है।" यह संख्या निर्धारित नहीं है। इसलिए, जब सांविधि तैयार की जाती है, उस समय उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि प्रत्येक क्षेत्र छात्र परिषद में प्रतिनिधित्व हो। सांविधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अन्यथा, जनजातीय लोग जो आंध्र प्रदेश में या केरल में या कई अन्य स्थानों में रह रहे होंगें जहां नक्सल गतिविधियां बहुत अधिक हैं उन्हे प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलेगा। हमें पर्याप्त सावधानी

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

बरतनी होगी और यह देखना होगा कि उस वर्ग के लोग जो विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अधीन हैं उन्हें विश्वविद्यालय के कार्यकरण में अवश्य ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

ये कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक बार पुन: अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहता हूं कि प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसा उपबंध है कि राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे। वह कभी भी दौरा कर सकते हैं परन्तु अलग कुलपति की नियुक्ति होगी। परन्तु उसी समय यह सभी जातियों चाहे वे किसी धर्म या रंग के हों के लिए खुला हैं। कोई भी इस विश्व-विद्यालय में प्रवेश ले सकता हैं परन्तु एक बात है कि यह विश्वविद्यालय जनजातीय छात्रों को प्रवेश के लिए विशेष महत्व देगा या विशेष प्रावधान करेगा।

जो दूरस्थ शिक्षा में रहे होंगे उन्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं हैं, परन्तु अन्य सभी विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर उपलब्ध किसी हॉल या केन्द्र में रहने वाले आवासीय छात्र होंगें। इस पर नियंत्रण करने वाला महत्वपूर्ण प्राधिकरण विश्वविद्यालय कोर्ट है। विधेयक में इसे कौन गठित करेगा और कोर्ट के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

महोदय, ये कुछ कठिनाइयां हैं जों हो सकती हैं। मेरा मानना है कि जब वह कार्य करने लगेगा तब इन पहलुओं पर विचार किया जाए और उन्हें यह देखना चाहिए कि यह विश्वविद्यालय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करे। परन्तु यह केवल मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय बनकर नहीं रह जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

विविध और सामाजिक जनजातीय लोग इस विश्वविद्यालय में आएंगे। यह कोई आसान बात नहीं है। केवल सक्षम और एकीकृत प्रणाली, जहां विविधता में एकता का पालन किया जाता है, सफल होगी अन्यथा श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम भी मध्यप्रदेश तक सीमित रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए दोहरी सावधानी बरतनी चाहिए कि यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में ही कार्य करे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, हम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 पर चर्चा कर रहे हैं। इस विधेयक को उद्देश्य सम्पूर्ण जनजातीय संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाषा और उनकी विरासत को बढ़ावा देना है। यह एक बहुत अच्छा विचार है। इन सब कामों में कोई कठिनाई नहीं है।

परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की और आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्यप्रदेश के अमरकंटक में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया हैं। उड़ीसा के मामले पर भी विचार किया जाने की आवश्यकता है। हम पहले से ही ऐसे विश्वविद्यालय की मांग करते आ रहे हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा की कुल जनसंख्या का 22.13% जनजाति है और वे देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 9.66% हैं। महोदय, उड़ीसा में 13 आदिवासी जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों की 62 श्रेणियां हैं। यह देश में सर्वाधिक है।

राज्य का के.बी.के क्षेत्र जिसे 1992-93 से आठ जिलों में, बांट दिया गया है, में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अमरकेरक स्थान को चुना गया है, यह मध्य प्रदेश में है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है; परन्तु जनगणना के अनुसार वहां मात्र 20.3% जनजातीय लोग हैं जबकि उड़ीसा में जनजातीय की जनसंख्या 22.13% है जो कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में अधिकतम हैं।

मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को भी स्थान के संबंध में निर्णय लेते समय के बी के क्षेत्र जहां जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है, पर भी विचार करना चाहिए था, जब हम एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो यह एक अच्छी बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय का नाम जनजातीय नेता के नाम पर होना चाहिए। इससे उन्हें और अधिक आत्म सम्मान मिलता और जनजातीय लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए इन सब पर गर्व होता।

परन्तु प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मामले में क्या हुआ? मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। के बी के क्षेत्र में, नौरंगपुर नाम का एक जिला है। माननीय मंत्री महोदया विधेयक प्रस्तुत कर रही हैं। वह एक महिला हैं। उस नौरंगपुर जिले में महिला शिक्षा दर मात्र 2% और करीब 3% से कम है। आप कल्पना कर सकते हैं। उस जिले में जनजातीय महिला शिक्षा दर मात्र 2% हैं।

अपराह्न 5.14 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

यदि यह स्थिति है, तो सरकार को इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ देश के जनजातीय लोगों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक में एक ऐसा प्रावधान है जिसकी प्रकृति और विचारधारा सामंतवादी हैं। इसमें छात्र संघ और कर्मचारी संगठन

बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह सामंतवादी विचार धारा है। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है। निस्संदेह यह कोई अच्छी बात नहीं है। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में संसद सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: इस विश्वविद्यालय में भी संसद के दोनों सदनों के ससंद सदस्यों, विशेष रूप से जनजातीय संसद सदस्यों, के प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना चाहिए। यह बेहतर भी होगा क्योंकि वे विश्वविद्यालय के सुधार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। छात्र संघ और कर्मचारी संघ के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं है।

मैं भी सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन का संशोधन प्रस्तुत करें। मुझे इसके वर्तमान नाम पर कोई खास आपत्ति नहीं है परन्तु यदि इसे किसी जनजातीय नेता का नाम दिया जाए तो बेहतर होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि इसके उद्देश्य उत्तम हैं? परन्तु जहां तक विश्वविद्यालय में संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, इसके लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और तदनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें छात्र संघ का गठन करने और कर्मचारियों के लिए संगठन में आगे बढ़ने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

श्री तापिर गाव (अरूणाचल प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता तो हूं लेकिन आधे मन से और मुझे इस बात के लिए अत्यधिक खेद भी है कि यू पी ए सरकार ने देश के जनजातीय लोगों की भावनाओं को वास्तव में ठेंस पहुंचाया है। अब मुझे लगता है कि इस कांग्रेस सरकार, यू पी ए सरकार ने इस महान देश में जनजातीय लोगों का अपमान करने की सखी महाभारत युग की उस घटना से ली है जिसमें एकलव्य को गुरू ने उससे गुरूदक्षिणा के नाम पर उसका अंगूठा कटवा दिया है क्योंकि वह एक आदिवासी था। रामायण काल में बंदर नहीं होते थे लेकिन दक्षिण भारत सभी आदिवासी हनुमान के साथ भगवान राम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन जनजातीय लोगों की इतिहास में आज तक बंदर के रूप में निरूपित किया गया है। यही वजह है कि इस विधेयक को पढ़ने पर मुझें काफी दु:ख हुआ। इसलिए अनुरोध हैं कि ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको कठिनाई बताता हूं। आप कृपया मेरी बात सुनिए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक पर बोलने के लिए पार्टियों को आंबटित किया गया समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आप लोग अभी उस समय जिसके लिए समय सीमा की छूट दी गई थी। में बोल रहे हैं। इसलिए आप से अनुरोध हैं कि आप लोग अपनी-अपनी बातें आबंटित समय के अंदर ही पूरी कर लें।

श्री तापिर गाव: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

इसलिए इस मसले पर मुझे कुछ सुझाव मिले हैं। यदि यू पी ए सरकार पूरे देश में क्षेत्रीय संस्थान खोलने को लेकर वाकई गंभीर है, तो मेरा कहना है कि जनजातीय राज्यों में पहले से ही कालेज हैं। वे मौजूदा कॉलेजों को सीधे अपना सकते हैं और पूरे देश से इन कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंध करा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि आप दिशा निर्देश के अनुसार इस विश्वविद्यालय में आदिवासी को अध्ययन के लिए अजायबघर की वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में आइ टी, पेट्रोकेमिकल, कंप्यूटर्स आदि सहित सभी आवश्यक विभाग बनाए जाने चाहिए ताकि यह विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुरूप बन सके और इसके विभाग समाज की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप हों। जहां लोग अध्ययन कर सकें। इस विश्वविद्यालय में रोजगार मूलक विषय पढ़ाए जाने के साथ-साथ रोजगार मूलक विभाग खोले जाएं।

मंत्री महोदय मुझे इस विश्वविद्यालय के नाम से वास्तव में ठेंस पहुंची है। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा सम्मान करता हूं। इस देश में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसे चार ही ऐसे संसाधन हैं जो "गांधी" ट्रेडमार्क से अछूता है। यदि इस विश्वविद्यालय के नाम में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम जोड़ना ही है, तो यू पी ए सरकार इसका नाम आदिवासी तुष्टिकरण विश्वविद्यालय रख देती। यदि इस विश्वविद्यालय का नाम किसी ऐसे वरिष्ठ आदिवासी नेता, जिसने ब्रिटिश के विरूद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी और सामाजिक उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, के नाम पर नहीं रखा जाता है, तो इससे देश के जनजातीय लोगों की भावनाएं आहत होंगी। सरकार को आदिवासी तुष्टिकरण नीति के पैरोकार के रूप में जाना जाएगा। अत: इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने पर ध्यान दिया जाए। देश के जनजातीय लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में देश के आदिवासियों को अध्ययन की विषय-वस्तु नहीं समझा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस. के. खारवेनबन (पलानी): सभापति महोदय, मैं हमारी महान नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए यह ऐतिहासिक संशोधन लाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ।

कुछ सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसी आदिवासी नेता के नाम पर रखने का सुझाव दिया। वस्तुत: ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना इंदिरा जी का था। 4 सितम्बर 1970 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी सभा में कहा था:

"शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी है। हमें यह भी मालूम हैं कि इतना ही काफी नहीं है। आज भी अ. जा. और अनु. ज. जा. के लड़कों को रोजगार प्राप्त करने और सही शिक्षा तक प्राप्त करने में भी कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि यदि उनमें से कोई स्तरीय नहीं है, तो ऐसा इसलिए उनमें अंतर्निहित कमजोरी की वजह से नहीं है 'बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमता को निखरने के अवसर नहीं दिए गये। हमें उन्हें यह अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।" यह इंदिरा जी का सपना था। इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाना बिल्कुल ठीक है

देश का औसत साक्षरता दर 68.88 प्रतिशत है। जनजातीय लोगों में साक्षरता दर केवल एक प्रतिशत है। खंड 8 में छात्रों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत अध्ययन नहीं करने वाले छात्रों को छात्रावास में रखना होगा। उन छात्रों के खर्च का भार कौन वहन करेगा? दूसरी बात यह कि देश भर में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों का वित्तपोषण कौन करेगा?

देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सात प्रतिशत पदों में से लगभग 99 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। क्या इस विश्वविद्यालय में जनजातीय छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा या पद सभी जातियों के प्रत्याशियों से भरे जाएगें? विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनावों की अनुमति नहीं दिया अलोकतांत्रिक है। छात्र संघ चुनाव की अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): सभापति महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। मैं यह अनुरोध पहले भी बहुत बार कर चुका हूं और आज फिर कर अनुरोध कर रहा हूं। आज मैं बहुत ही गंभीर स्थिति में हूं क्योंकि मुझे श्रीमती मीरा कुमार के इस विधेयक को कल राज्य सभा में ले जाना है। यदि मैं इसे राष्ट्रपति भवन नहीं भेज पाता हूं और महासचिव से रिपोर्ट नहीं करवा पाता हूं, तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अत: मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि श्री बैसीमुथियारी जी के भाषण के बाद मंत्री को उत्तर देने की अनुमति दी जाए। मुझे आशा है कि विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, दो-दो मिनट बोलने का समय दे दीजिए।....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप हर रोज दस मिनट भी बोलेंगे ....*(व्यवधान)* आप नहीं जानते समय की क्या पांबदी है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं कुछ सुझावों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं

यदि संभव हो, तो इस राष्ट्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम की बजाय अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई लड़ने वाले महान बोडो नायक जोलिया दीवान के नाम पर रखा जाए। दूसरी बात यह कि विश्वविद्यालय कोर्ट में देश भर के प्रत्येक जनजातीय बहुल्य क्षेत्र से आने वाले जनजातीय लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

तीसरी बात यह कि विश्वविद्यालय छात्र परिषद में मैं प्रत्येक संबंधित जनजातीय बहुल्य क्षेत्र से आनेवाले छात्रों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह केंद्रीय विश्विविद्यालय पूर्णरूपेण आवासीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 75 प्रतिशत से अधिक जनजातीय छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, और इसके 75 प्रतिशत प्रोफेसर, शिक्षक, शिक्षण तथा गैरशिक्षक कर्मचारीयों की नियुक्ति जनजातीय लोगों में से की जानी चाहिए। अर्थात 75 प्रतिशत से अधिक जनजातीय लोगों को विश्वविद्यालय मं रोजगार मिलना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि इसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। देश में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी एक राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं भारत सरकार से बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों के लिए कोकराझार में एक पृथक बोडोलैंड राष्ट्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का भी आग्रह करता हूं। बोडोलैंड क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय बोडोलैण्ड कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए। बोडोलैंड क्षेत्र के लिए एक आई आई टी और एक आई आई एम की भी स्थापना की जाए। बोडोलैंड क्षेत्र के जनजातीय लोगों के लिए 10 पौलीटेकनिक संस्थान, एवं 10 आई टी आई भी खोले जाएं।

यहां मैं एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूं श्री बोडो माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के संबंध में असम राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले भेदभावपूर्ण रवैये के बारे में है। 1963 से बोडो भाषा की शुरूआत शिक्षा के माध्यम के रूप में की गई थी, वर्ष 2003 में इस भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के उपबंध के अंतर्गत एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।

आज, मैं अपनी मातृभाषा 'बोडो भाषा' में बोलना चाहता था, परन्तु यह व्यर्थ हो गया, इसका कारण यह था कि...* यह बहुत बड़ा अन्याय है। इस कठोर तथ्य के बारे में आपको याद दिलाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

यहां पर, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आज की तारीख के अनुसार, असम में जनजातीय लोगों द्वारा चलाए जा रहे बोडो भाषा के माध्यम के 724 निम्न प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को निधियों की कमी का बहाना बनाकर प्रांतीकृत नहीं किया है या इन्हें असम राज्य सरकार द्वारा अपनाया नहीं गया है। वेन्वर मिडिल इंग्लिश स्कूल्स या बोडो माध्यम के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 320 है। इन विद्यालयों को भी असम सरकार द्वारा नहीं अपनाया गया है। हजारों छात्र कई दशकों से ऐसे हालात में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत सरकार हमेशा सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के साथिमिकीकरण और अन्य के बारे में बात करती है। परन्तु इन्होंने बोडो माध्यम से शिक्षा के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है।

उच्च विद्यालय स्तर पर भी बोडो माध्यम के उच्च विद्यालयों की संख्या 180 है जिन्हें अभी तक भारत सरकार और असम राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया नहीं है। बोडो लोगों के साथ ऐसा भेद-भाव क्यों किया जा रहा है?

कुछ दिनों पहले, मैंने प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न पूछा था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला राज्य मंत्री श्रीमती पुरन्देश्वरी ने उत्तर दिया था कि भारत सरकार केवल केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई आई एन) को देखती है और न कि राज्य शिक्षा के विषय को देखती है। ऐसी स्थिति में बोडो छात्रों का क्या होगा? अतः, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह असम सरकार पर इन सभी विद्यालयों को अपनाने के लिए अत्यधिक दवाब बनाए और भारत सरकार केन्द्रीय पूल से असम सरकार को पर्याप्त राशि आंबटित करे ताकि असम में बोडो माध्यम के इन सभी विद्यालयों को प्रांतीकृत किया जा सके तथा बोडो जनजातीय छात्रों को उनका हिस्सा मिल सके जैसा कि देश में अन्य उन्नत समुदायों के छात्रों को दिया जा रहा है। तभी आप इस महान देश भारत की एकता और अखंडता की उम्मीद कर सकते हैं। देश में समग्र विकास के मामले में बोडो जनजातीय लोगों के साथ विशेषकर और अन्य जनजातीय लोगों के विरूद्ध काफी भेदभाव है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। *[हिन्दी]* अन्याय को सहन करने की सीमा पार हो गयी है, ट्राइबल लोगों के दिल में एक जलन चल रही है, इस जलन को आप किस तरह बंद कर पाएंगे?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इससे पहले की मैं यह कहूं कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: 15 वेन्वर कॉलेज हैं जो बोडोलैंड में दुर्दशा झेल रहे हैं। मैं श्री अर्जुन सिंह, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से 2 अप्रैल और 5 मई, 2007 को मिला था। उन्होंने मुझे बोडो लोगों द्वारा सामना की जा रही कई समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

एक बार पुन: मैं अपनी मांग दोहराना चाहता हूं कि बोडो लैंड क्षेत्र के लिए एक बोडोलैंड राष्ट्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो, एक आई आई टी हो, एक आई आई एम हो, दस पॉलिटेक्निक संस्थान हो, बोडो लैंड क्षेत्र के लिए दस आई टी आई हो तथा सभी वेन्वर इंग्लिश हाई स्कूलों, बोडो भाषा के माध्यम के मिडिल इंगलिश स्कूलों और निम्न प्राथमिक विद्यालयों को प्रांतीकृत किया जाना चाहिए।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा (बोब्बिली): महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लाए गए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 का समर्थन करती हूं। बोब्बिली संसदीय क्षेत्र जो जनजातीय बहुल इलाका है से होने के कारण मैं जनजातीय लोगों की तरफ से माननीय मंत्री जी को यह ऐतिहासिक विधान पुर:स्थापित करने के लिए धन्यवाद देती हूं। स्वतंत्रता के बाद से पहली बार उन्हें अपने लिए एक ज्ञान का विश्वविद्यालय मिलेगा। अभी तक उन्हें पूर्व ऐतिहासिक प्राणी बताया जाता रहा है। महोदय, जनजातीय लोग अत्यंत साधारण होते हैं। केवल इतना ही नहीं वे अत्यंत ईमानदार होते हैं और उनकी ईमानदारी पूर्ण रूप से संदेह से परे होती है। उनके समाज में पुरूषों और महिलाओं को समान माना जाता है। जनजातियों से संबंधी विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने, इन लोगों का कैसे शोषण किया जाता है और उनके संसाधनों को कैसे लूटा जाता है, इन सबका अध्ययन करने के लिए अनेक आयोग गठित किए गए। अन्य गैर-जनजातीय लोगों की तुलना में उनकी साक्षरता दर, गरीबी, शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति बहुत निम्न है। मुझे विश्वास है कि संप्रग सरकार उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाएगी ताकि वे मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और समाज में अन्य नागरिकों के बराबर आ सकें। इस विधेयक के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति, विचार और कार्य के लिए एक स्थान मिलेगा। जनजातियों के लिए शिक्षा का नया स्थान बनाने, देश की समृद्धि एवं इसके विकास में योगदान देने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए मैं मंत्री जी के प्रति आभारी हूं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी हैं और अपने को बचाए रखा है। उन्होंने अपनी पारंपरिक जातीगत पहचान बनाए रखी है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताना चाहती हूं। वे जंगलों में रहते हैं। उन्हें मलेरिया होने की संभावना रहती है। उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने चाहिए। अन्यथा उनकी आबादी समाप्त हो जाएगी। वे नये विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सुविधाओं या अवसरों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। माननीय मंत्री महोदय कृपया संकाय सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, और विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में बताएं। क्या यह सुविधा केवल जनजातीय विद्यार्थियों को मिलेगी या किसी भी समुदाय का सदस्य अध्ययन कर सकता है?

पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आदिवासियों को बहुत महत्व देती थीं और उनके नाम पर लाया जाने वाला यह विधेयक वास्तव में आदिवासियों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया

अपराह्न 5.31 बजे

आधे घंटे की चर्चा स्थगित करने के बारे में

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आज के लिए सूचीबद्ध आधे घंटे की चर्चा को परसों लिया जा सकता हैं। मंत्री जी भी इससे सहमत हो गए हैं कि वह उस समय यहां रहेंगे।

अपराह्न 5.32 बजे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007-*जारी*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने सभी माननीय सहयोगियों श्री गणेश सिंह जी, श्री अधीर चौधरी जी, श्री बसुदेव बर्मन जी और श्री सुग्रीव सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरा विचार है कि मंत्री जी ने आपसे संपर्क किया है और आपको स्थिति बताई है। यह मेरी गलती नहीं है।

...(व्यवधान)

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मैं श्री चन्द्रप्पन जी, श्री महावीर जी, श्री गिरिधर गमांग जी, श्री रूपचन्द्र मुर्मू जी, श्री रावत जी, श्री मैन्या जी, श्री त्रिपाठी जी, श्री तापिर गाव जी, श्री खारवेनथन जी तथा श्री बैसीमुथियारी जी का भी धन्यवाद करती हूं।

सभापति महोदय: जिन माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं यदि वे चाहें, तो अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, आरंभ में, मैं अपने सभी साथियों की चर्चा में भाग लेने और अमरकंटक, मध्य प्रदेश में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करती हूं।

महोदय, सदस्यों ने जिस तरह इस सभा में एकमत से विधेयक का समर्थन किया है, उसके लिए भी मैं उनका आभार

व्यक्त करती हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी भागों से समर्थन प्राप्त हुआ है। यह एकमत समर्थन स्वत: ही इस प्रकार के अनोखे विश्वविद्यालय की स्थापना के महत्व और आवश्यकता की ओर इंगित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षा नए विचारों तथा प्रौद्योगिकियों के सृजन अनुप्रयोजन और प्रसार के लिए मूलभूत आवश्यकता है जो विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा यह भरसक प्रयास रहा है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को प्रदान की जाये। जब हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, हम समेकित शिक्षा के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। परन्तु यह एक तथ्य है कि जनजातीय युवा लोगों के एक बड़ा वर्ग की उच्च शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। जनजातीय युवा इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। इससे आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं में उनका स्तर निम्न बना हुआ है।

आठ पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें मुख्यत: जनजातीय आबादी है, के अलावा देश भर में आठ अन्य राज्य हैं जिनमें लगभग 83% जनजातीय आबादी रहती है। यद्यपि वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, ऐसे राज्यों में जहां कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं, वहां शीघ्र ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्रवाई वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अब तक कोई विशिष्ट विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो जनजातीय आबादी की विकासात्मक गतिविधियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए समर्पित हों, सभा ने पहले ही एकमत से इस तथ्य की प्रशंसा की है कि मानव, संसाधन विकास मंत्रालय का यह एक विलक्षणीय और प्रशंसनीय प्रयास है जैसा कि मैने पहले भी कहा है। इस विश्वविद्यालय का स्थान और उद्देश्य दोनों ही मौलिक हैं। विश्वविद्यालय का स्थान अमरकंटक बहुत ही अनोखा स्थान है। यह स्थान जनजाति बहुल क्षेत्र होने के तथा सोन और नर्मदा दो नदियों जिनमें एक पूर्व की ओर बहती है तो दूसरी पश्चिम की ओर, का उद्गम स्थान होने के कारण यह बहुत ही केन्द्रस्थ स्थान हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्रों की यहां सहज ही पहुंच हो सकती है। जनजातीय बहुलता वाले राज्य वास्तव में अमरकंटक के चारों ओर हैं। अतएव अनेक माननीय सदस्यों ने स्थान के संबंध में आशंका व्यक्त की है। परन्तु इस स्थान का चयन इस स्थान तक सहज पहुंच के कारण ही किया गया था। यह उन सभी दस राज्यों के लिये एक केन्द्रीय स्थित स्थान है। जिनमें काफी अधिक जनजातीय आबादी वास करती है।

महोदय, इसके उद्देश्यों के संबंध में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से आदिवासी जनसंख्या के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के रास्ते खुलेंगे और इससे आदिवासी जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी इतिहास, कला, संस्कृति, खेलकूद, भाषा, औषधीय प्रणाली, वन आधारित आर्थिक गतिविधियों आदि के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और सहायता मिलेगी। जैसा कि मेरे कई साथियों ने अभी बताया है कि अमरकंटक में मुख्यालय के अलावा इस विश्वविद्यालय का अखिल भारत अधिकारक्षेत्र भी है। क्षेत्रीय केन्द्र उन सभी क्षेत्रों में खोले जा सकते है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है और इस विश्वविद्यालय अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों का सम्पर्क पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, सी आई एल, मैसूर आदि जैसे आदिवासी अनुसंधान संस्थानों से हो सकता है। इस विधेयक में यह भी परिकल्पना की गई है कि यह विश्वविद्यालय प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में कम से कम एक मॉडल विद्यालय स्थापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस क्षेत्र विशेष में वास्तव में शिक्षा प्रदान की जा रही है। बहुत से कारणों से बच्चे अपने परिवेश और क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते और ये विद्यालय आदिवासी बच्चों को वास्तव में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायेंगे, ये बच्चे इन क्षेत्रीय केन्द्रों और विश्वविद्यालय से स्नातक हो सकते हैं अतएव, जैसा कि इस सभा में मेरे सहयोगियों ने पहले ही यह बताया है कि यह एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है। तथापि, उन्होंने कतिपय आशंकाएं व्यक्त की हैं और मैं अपनी क्षमता के अनुरूप इन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करूंगी।

महोदय, श्री गणेश सिंह जी ने विनाश की भविष्यवाणी जैसे पारंपरिक ज्ञान और ऐसे अन्य विषयों का मुद्दा उठाया है। इस विधेयक के खंड 4 की उपधारा (vi) में प्रावधान किया गया है कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान का कोई भी क्षेत्र, जिसे उचित समझा जाए अध्ययन का विषय बना सकता है। ऐसे क्षेत्रों की भी खोज की जा सकती है और ऐसे विषयों की वास्तव में जांच करने के उपरांत सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

श्री बसुदेव बर्मन ने विश्वविद्यालय के प्रत्येक निकाय में पर्याप्त आदिवासी सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करने के बारे में कहा है उन्होंने ऐसे निकायों में इनकी विशिष्ट संख्या सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को यह निर्णय लेना है और ऐसे निकायों तथा अकादमी समितियों तथा अन्य क्षेत्रों में आदिवासी प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या विनिर्दिष्ट करनी है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुग्रीव सिंह ने भी एक मुद्दा उठाया था जिसमें उन्होंने बताया है कि उड़ीसा राज्य से सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं इस बात पर बल देना चाहती हूं कि ऐसे किसी राज्य, जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है और उड़ीसा एक ऐसा ही राज्य है जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग लगातार हो रही है, मुझे विश्वास है कि इससे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।

महोदय, श्री चन्द्रप्पन ने 'नाम' का मुद्दा उठाया है। विश्वविद्यालय के नाम के बारे में कई आशंकाएं, थी। देश में विशेषकर आदिवासी आंदोलन में बहुत से आदिवासी नेताओं का योगदान रहा। ऐसे महान नेताओं के सम्मान में इस सभा के सभी दलों ने अपनी-अपनी मांगें दी।

इस विश्वविद्यालव का नाम बिरसा मुंडाजी के नाम पर रखे जाने की मांग भी आयी थी गंडादुरजी, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह जी तथा आन्ध्रप्रदेश के अलूरी सीतारामराजूजी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखे जाने की मांग भी की गयी। सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस मुद्दे की संवदेनशीलता को महसूस करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसका नाम एक राष्ट्रीय नेता के नाम पर रखा जाए जिन्होंने आदिवासियों के लिए नि:स्वार्थ भाव से कार्य किया और जिनकी आदिवासी जनसंख्या के प्रति सहानुभूति थी। मेरे सहयोगी श्री खारवेनथन ने अभी-अभी अपना भाषण पढ़ते हुए आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति के बारे में बताया। वास्तव में, उन्होंने ही आदिवासी जनसंख्या के विकास में राज्यों की सहायता हेतु अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना शुरू की थी। अत: आदिवासी लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और प्रतिबद्धता के मद्देनजर तथा आदिवासियों के प्रति किये गए उनके कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाए और क्षेत्रीय केन्द्रों के नाम यथोचित सम्मान के साथ निश्चित तौर पर क्षेत्र विशेष के सभी स्थानीय आदिवासी नेताओं के नाम पर रखे जा सकते हैं।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अधिनियम में, विश्वविद्यालय संविधि में संशोधन करता हैं और दोनों सभाओं के नामित सदस्यों के प्रतिनिधित्वों को इसमें सम्मिलित करता है। अत: सदस्यों इस प्रावधान को इसमें सम्मिलित करता है। अत: इस प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित यही होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा संसद के प्रतिनिधित्व के संबंध में सुझाव देने की परम्परा को जारी रखा जाए।

डा. मैन्या ने क्षेत्रीय कैंपस के बारे में कहा है। विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में भी कैंपस स्थापित कर सकता है तथा ये उस क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के महाविद्यालयों से सम्बद्ध भी हो सकते है।

महोदय, आपके द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध, में, मैं बताना चाहती हूं कि हम इससे सहमत है और यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श विश्वविद्यालय होगा। इसके अंतर्गत बहुत से कैम्पस होंगे। कैम्पस की प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र विशेष के लोकाचार और विशिष्टताओं को शामिल करेगी। जबकि मुख्य विश्वविद्यालय परिसर में सद्भावना और एकता की भावना एक साथ दिखायी पड़े।

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी ने विद्यार्थियों के लिए जिसका प्रावधान वास्तव में इस छात्र संघ का मुद्दा उठाया विश्वविद्यालय विधेयक में नहीं किया गया था। परन्तु अपनी संविधि और अध्यादेश में विश्वविद्यालय इसका प्रावधान कर सकता है।

इसके साथ ही मैंने अपनी क्षमता के अनुसार माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई अधिकांश आशंकाओं का समाधान कर दिया है।

सभापति महोदय: आपको मुद्दे-वार उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करते हुए सामान्य उत्तर दिया जाना चाहिए। विधेयक पर चर्चा के लिए ऐसे उत्तर की आवश्यकता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैंने लगभग सभी मुद्दों को शामिल किया है। अब विधेयक पारित करने के लिए मैं अपने सहयोगियों का समर्थन चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा भारत में जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुकर बनाने और उनकी अभिवृद्धि के लिए मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक स्थित एक अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: श्री हंसराज अहीर, आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

खंड-2

परिभाषा

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 21,–

"इंदिरा गांधी" के स्थान पर

"भगवान बिरसा मुण्डा" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

माननीय सभापति जी, मैंने इस बिल पर बोलने के लिए समय मांगा था। मैं इसमें एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय महाविद्यालय के लिए जो भी अच्छे-अच्छे सुझाव माननीय मंत्री महोदया ने दिये हैं उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें वैदिकीय स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण से मेडीकल कॉलिज भी उसमें होना चाहिए ताकि दूरदराज के आदिवासी भाइयों को मेडीकल सेवा मिले। हमारे देश में सब जगह डाक्टर्स की कमी है और डाक्टर्स की कमी तभी पूरी होगी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डाक्टर्स जाएं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डाक्टर्स जाते नहीं हैं, अगर वे वहां जाएंगे तभी उनकी सेवा वहां लोगों को मिल सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या-2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड-3 विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री हसंराज गं. अहीर: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 23,–

"इंदिरा गांधी" के स्थान पर

"भगवान बिरसा मुण्डा" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या-3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोंड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड–5 विश्वविद्यालय की शक्तियां

[हिन्दी]

श्री हसंराज गं. अहीर: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,–

"महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र-निवास स्थापित करना और चलाना" के स्थान पर "महाविद्यालय संस्थाएं और छात्र-निवास स्थापित करना, चलाना और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को छात्र-निवास की नि:शुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराना" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 4 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 6 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए

खंड 29 विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 11, पंक्ति 15 और 16,–

"पर्याप्त संख्या में" के स्थान पर

"50 प्रतितशत से अन्यून" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 5 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि

"खंड 29 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,–

"इंदिरा गांधी" के स्थान पर

"भगवान बिरसा मुण्डा" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री हसंराज गं. अहीर द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 1 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन को मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि,

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती डी. पुरेन्दश्वरी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.51 बजे

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 26 पर विचार करेगी। श्रीमती मीरा कुमार।

सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: आप विधेयक पर बोल सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आप विधेयक के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकती हैं। संविधान में भी इस बारे में प्रावधान है हम मात्र इसको कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, सभा के विचारार्थ जो विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहीं हूं वह उभरती हुई नई सामाजिक वास्तविकता जो एक ओर उल्लेखनीय और अति संतोषजनक है तो दूसरी ओर यह बहुत ही चुनौती पूर्ण तथा कुछ सीमा तक चिंतनीय भी है, के अनुरूप है। महोदय, हमारी संस्कृति, सभ्यता हमारी उत्कृष्ट परंपरा में हमें अपने बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। हमें बताया जाता है तथा हमें इस बात की आदत डाली जाती है कि हम न केवल विशेष अवसरों पर अपितु सामान्य तौर पर भी अपने बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने बुजुर्गों का आदर करना और उनकी देखभाल करना हमारे लिए गर्व की बात है। यह हमारी परंपरा है। परन्तु, अब समय बदल गया है। इस स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि सभा द्वारा विचार और पारित किए जाने हेतु, इस प्रकार का विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाए।

चिकित्सा विज्ञान और जीवन स्तर में सुधार के परिणाम स्वरूप आयुकाल विश्व भर में बढ़ा है। विश्व भर में लोग अब ज्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। आयुकाल भारत में भी बढ़ा है, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत में भी अब ज्यादा आयु तक जीते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, साठ वर्षों से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 7.6 करोड़ थी। यह उनकी संख्या है, इसमें वृद्धि हो रही है। वर्ष 2026 तक यह आंकड़ा 17.3 करोड़ हो जाएगा, वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या कुल का 6.9 प्रतिशत है। वर्ष 2026 में अनुमान है कि यह प्रतिशत दुगुना हो कर जनसंख्या का 12.4 प्रतिशत हो जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अनेक दिलचस्प बातें देखने में आती हैं। अधिकतर वरिष्ठ नागरिक गांवों में रहते हैं। इनमें से अधिकतर 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि विश्वभर में वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश में वर्ष 2016 तक इनकी संख्या कुल का 51 प्रतिशत हो जाएगी। हमारे देश में 30 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ये आंकड़े तथा तथ्य हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित हैं।

मैंने आरंभ में ही कह दिया था कि यह अति संतोषजनक और हर्ष की बात है कि आयुकाल बढ़ गया है। हमें आशीर्वाद देने हेतु, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु संयुक्त परिवार बिखर रहा है यह बहुत ही दुखद बात है तथा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनका घर ही सर्वोत्तम स्थल है न कि वृद्धाश्रम। घर में उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। परन्तु संयुक्त परिवारों के बिखराव के पश्चात वरिष्ठ नागरिक उपेक्षित, और निराश्रय हो गए हैं, यह दु:खद सच्चाई है। इस विधेयक को लाए जाने का यही कारण है।

वरिष्ठ नागरिक वे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। परन्तु हमारे परिवार में हमारे माता-पिता ऐसे भी होंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से कम होगी। 60 वर्षों से कम की विधवा मां या विधवा चाची हो सकती है। पिता या चाचा भी साठ से कम के हो सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

उनकी देख-भाल किए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक मिनट, मैं सभा का विचार जानना चाहूंगा। सांय 6.00 बज चुके हैं। आज के लिए दो विधेयक सूचीबद्ध हैं। एक यह है तथा दूसरा रक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक है। इन दोनों विधेयकों के लिए दो-दो घंटे नियत किए गए हैं, यदि हम आज सारा काम करें तो रात्रि के दस बज जाएंगे, इसलिए, हमें समय बढ़ाना होगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा बिल है इसलिए इस पर दो घंटे का समय अलॉट कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): हमें इस विधेयक पर आज चर्चा करनी चाहिए। दूसरे विधेयक पर कल विचार कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): दोनों विधेयक को पारित किए जाने तक सभा का समय बढ़ाना होगा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): दूसरे विधेयक पर कल विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय: क्या इस पर सहमति है?

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: यह बहुत ही मुश्किल होगा। कल और अधिक सरकारी कार्य है। इसलिए आज पूरा कर लेना चाहिए। यदि हम बोलने वालों की संख्या कम कर दें तो कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सुबह यह निर्णय लिया गया था कि दोनों ही विधेयकों को आज पारित किया जाए।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा: इस विधेयक को पारित करने में समय लगेगा। दूसरे विधेयक पर कल विचार किया जा सकता है *...(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: समयाभाव के कारण हम दोनों विधेयकों पर चर्चा करना चाहते हैं, यह सरकारी कार्य है इसलिए इसे पूरा करना ही होगा।

सभापति महोदय: मैं एक कार्य करूंगा। हम सात बजे तक बैठेंगे। इसके बाद हम निर्णय लेंगे। बैठक का समय सांय सात बजे तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद हम सांय सात बजे निर्णय लेगें कि अब क्या किया जाए।

शून्यकाल के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि इस मुद्दे पर चर्चा 7 बजे तक खत्म हो जाती है, तो शून्यकाल में चर्चा हो सकती है। अन्यथा, ऐसा करना संभव नहीं हैं। अब, मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती मीरा कुमार: मैं यह अवश्य सुस्पष्ट करना चाहूंगी कि यह विधेयक उन माता-पिता जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम हो, या वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो के भरणपोषण और कल्याण के लिए है। अब संयुक्त परिवार की खत्म हो रही प्रणाली के कारण ऐसे माता-पिता को देखभाला और संरक्षण की आवश्यकता है। और वरिष्ठ नागरिक कष्ट झेल रहे हैं। उनमें से अधिकांश, खराब स्वास्थ्य के कारण कष्ट में हैं। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। उनके लिए सामाजिक भूमिका का अभाव है। उनके पास करने को कोई काम नहीं है। इसलिए वे अपने को बहुत ही अलग-थलग महसूस करते हैं। वे उद्देश्यहीन है तथा उनमें अपनेपन की भावना नहीं है। खाली समय के दौरान किसी भी रचनात्मक, कार्य में अपने को लगाने का उनके पास कोई अवसर नहीं होता। हमारे समाज में ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई सदस्यों ने अनेक बार हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों तथा माता-पिता की दयनीय दशा पर अपनी चिंता व्यक्त की हैं उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने समय-समय पर इन समस्याओं के समाधान के लिए एक विधेयक बनाने पर विचार किया है।

विधेयक तैयार करने से पहले हमने राज्य सरकारों, पन धारकों, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों तथा उन विभिन्न संगठनों से जिनके सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं, के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया है। हमने इस विधेयक के विभिन्न उपबंधो पर चर्चा के लिए तथा जनता की राय जानने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए तत्पश्चात, हमने यह विधेयक तैयार किया। लोक सभा में इसे इस वर्ष के 20 मार्च को पुर:स्थापित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समिति को यह विधेयक 27 अप्रैल को भेजा और स्थायी समिति ने 7 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट दी है। स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों और मूल्यवान सुझावों पर सरकार ने विचार किया है और अब यह विधेयक अपने अंतिम रूप में आया है।

अब, मैं इस विधेयक की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख करना चाहती हूं। लक्ष्य-समूह, जिनके लाभार्थ यह विधेयक लाया जा रहा है, में दो बातों की कमी है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके पास समय नहीं है और उनके पास धन का भी अभाव है। 1973 की अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में माता-पिता के भरणपोषण के संबंध में पहले से ही उपबंध है। लेकिन उसका मतलब है कि न्यायालय में जाना पड़ेगा और वकील करने पड़ेगे, जो न केवल बहुत ही जटिल प्रक्रिया होगी, बल्कि इसमें काफी समय भी लगेगा और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ही लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया होगी। इसलिए हमने यह सोचा कि देश के हर जिले में एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए, जिसकी अध्यक्ष उस जिले का एस. डी. एम. (सिविल) करेगा। न्यायधिकरण में एक परामर्श अधिकारी होगा उसमें एक कल्याण अधिकारी भी होगा तथा जिला मैजिस्ट्रेट अपीलीय प्राधिकारी होगा।

माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक एक आवेदन देकर सीधे न्यायाधिकार में जा सकते हैं या वे अपनी और से किसी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं या न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिकों की दशा के बारे में स्वत: भी संज्ञान ले सकता है।

सायं 6.09 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सुलह कराने पर जोर दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुलह कराने पर जोर दिया जाएगा, अत: इसमें कोई वकील नहीं होगा। न्यायाधिकरण संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएगा और समयबद्ध तरीके से दावों का निपटारा किया जाएगा।

अब भरणपोषण आदेश भी उतनी ही सख्ती तथा प्रभाव से लागू किया जाएगा जैसा कि अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है। अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश के निष्पादन के लिए निर्धारित तरीके के अनुसार ही भरणपोषण आदेश का निष्पादन होगा। हम देखते हैं और कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गुजरात के गोधरा में एक लड़के ने अपने वृद्ध पिता को दो साल तक ताले में बंदकर रखा है और उसने उस वृद्ध व्यक्ति की देखभाल नहीं की। मुझे एकबार यह रिपोर्ट मिली कि देश के किसी भाग में 90 वर्ष के समय का एक व्यक्ति था, जिसे उसके बच्चों ने बस स्टॉप पर छोड़ दिया गया था। एक दूसरे मामले में वृद्ध व्यक्ति को रेलवे जंक्शन पर छोड़ दिया गया था। हम अक्सर ऐसे मामले सुनते रहते हैं कि वृद्ध लोगों को उनके बच्चों या ऐसे लोगों द्वारा जिन्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, छोड़ दिया गया। हमने उन लोगों के लिए दंड का भी प्रावधान किया है, जो वृद्ध लोगों को छोड़ देते हैं।

एक और बात यह होती है कि कभी-कभी वृद्ध लोगों के परीवार के कुछ सदस्य या उनके अपने बच्चे या पोते-पोती या दत्तक बच्चे या सौतेली संतान या कोई अन्य संबंधी ऐसे वृद्ध लोगों को धोखा दे देते हैं और उनकी सम्पति अपने नाम करा लेते हैं। वे उन्हें यह कहते हैं कि एक बार जब वे अपनी सम्पति उनको दे देंगे, तो वे उनकी देखभाल करेंगे या कभी-कभी वे उनको सम्पति अपने नाम कराने की धमकी भी देते हैं और ऐसे माता-पिता अपने को अलग-थलग पाते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। उस स्थिति में उनकी सम्पत्ति उनको वापस हो जाएगी। विधेयक में यह एक और उपबंध है।

कुछ वृद्ध लोग ऐसे होते हैं, जिनके अपने बच्चे नहीं होते या अन्य व्यक्ति देखभाल के लिए नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया,

[हिन्दी]

मेरा आप से एक सबमिशन है,

[अनुवाद]

मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है। कृपया संक्षेप में बोलिए

[हिन्दी]

आपने जवाब भी देना है।

श्रीमती मीरा कुमार: मैं अपनी बात समाप्त करने वाली हूं, लेकिन मुख्य बातों का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, मै। अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं ब्यौरा नहीं दे रही थी, मैं तो सिर्फ प्रमुख बातें बता रही थी।

कुछ ऐसे वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं, जिनकी कोई संतान नहीं, होती। वे दरिद्र होते है। इसलिए, बेसहारा होते हैं। हमने ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक जिले में वृद्धा आश्रम बनाने के भी प्रावधान किए हैं। हमने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के भी प्रावधान किए हैं। हमने यह प्रावधान भी किया हैं कि राज्य सरकारें एक तंत्र को संस्थान बनाएगी जिससे वृद्ध लोगों के जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा तथा सरंक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

ये इस विधेयक की कुछ प्रमुख बाते हैं, जिनका मैंने संक्षेप में बताना चाहा। अब, मैं सभा के विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता-प्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही विचित्र और भारतीय संस्कारों से दूर, समय की मांग को देखते हुए जो बिल लाया गया है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। माननीय सभापति जी, अगर इस देश के इतिहास की बात करें तो हम उन पर महान आत्माओं के वारिस हैं जहां पिता के कहने पर राज्य मिलने वाला था, लेकिन पिता की आज्ञा हुई तो वे वनवास को चले गए–मैं भगवान राम की

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

बात कर रहा हूं। जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता-पिता को कंधों पर उठा कर सारे देश में घुमाया, यह हमारी संस्कृति रही है। हमने बुजुर्गों की सेवा की है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार किसी व्यक्ति के मन में आया कि उसने किसी गुरू को धारणा है तो वह गुरू के पास गया। गुरू ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे मां-बाप हैं तो उसने कहा कि हां, मेरे मां-बाप है। उसने उसे वापस भेज दिया। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई है तो वह उसके माता-पिता हैं और जिसके माता-पिता हैं, उसे किसी गुरू को धारण करने की जरूरत नहीं है। यह इम्पोरटेंस हमारे मां-बाप की थी, लेकिन कुछ कारणों से परिवार टूटने लगे और बुजुर्गों की जो इम्पोरटेंस थी, वह कम होने लगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ एजुकेशन के इफेक्ट्स हैं, जो आज समाज के ऊपर हुए हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग का फोन आया कि मैंने अपने पोते की एक किताब पढ़ी है, उसमें सी बी एस सी में सैकिंड क्लास में यह पढ़ाया जा रहा है कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, वह अच्छा नहीं है। क्या आप इसे मानते हैं? मैंने इमीडिएटली एक पत्र माननीय एच आर डी मिनिस्टर को लिखा कि एक बुजुर्ग की यह भावना है, कृपया क्लेरीफाई कीजिए कि ऐसी बात किताबों में पढ़ाई जा रही है। मुझे उसका जवाब यह आया कि एच आर डी की कोई ऐसी किताब नहीं हैं, जिसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को क्रिटिसाइज किया हो। मैंने उस पत्र की कॉपी उस बुजुर्ग को भेज दी, लेकिन उस बुजुर्ग का फिर फोन आया, उसने कहा कि यह पत्र गलत है। मेरे पास उसकी फोटो कॉपी है, उसे मैं आपको भेजना चाहता हूं, जो उसने मुझे भेजी। उसमें यह लिखा था कि सिंगल फैमिली क्या है, उसे बहुत खुश होते दिखाया गया और ज्वाइंट फैमिली को झगड़ते हुए दिखाया गया। अंत में यह लिखा हुआ है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है। मैंने वह सब कुछ माननीय मंत्री जी को भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं आया। यहां हम बातों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि अपने संस्कारों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है तो हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं, क्योंकि जब यह एक्ट बन जाएगा तो इसकी एम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगी, लिटिगेशन बहुत बढ़ेगी। इसमें जो कुछ कमियां हैं, उन्हें कृपया आज ही दूर करके, अगर हम पेश करेंगे तो आने वाले समय में बुजुर्गों को न्याय भी मिलेगा और आपके मन की तथा सदन की जो इच्छा है, उसे पूरा कर पाएंगे। आपके इस नये एक्ट में जो सैक्शन 9 है, आपके सैक्शन 125 पढ़ा, सी आर पी सी में जो मेन्टेनेंस का प्रावधान है, 125-डी में फादर-मदर के लिए भी मेन्टेनेंस का प्रोविजन है, लेकिन यह मेन्टेनेंस पांच सौ रुपए तक है। 125-डी एक्ट का इम्पेक्ट इस एक्ट के ऊपर क्या होगा, सी आर पी सी के इस सैक्शन का इम्पेक्ट क्या होगा, इसे आपको क्लेरीफाई करना होगा, नहीं तो इंट्रिकेसी बढ़ेगी और आप जो आसानी से मेन्टेनेंस दिलवाना चाहते हैं, यह नहीं मिल पाएगी। इसी तरह सैक्शन 11 है-इनफोर्समेंट ऑफ द आर्डर। यह जो आपने प्रोविजन बनाया है, यह बहुत वेग है। कृपया इसे सिम्पलीफाई करें, अगर एक मेंन्टेनेंस का आर्डर पास हो गया, आर्डर दे दिया, लेकिन अगर इन्फोर्समेंट अदालतों के हिसाब से होगी, हम रोज देखते हैं कि हजारों मुकदमें पड़े हुए हैं। इन्फोर्समेंट ईजी हो, इसके लिए आपको कोई प्रोविजन करना चाहिए। आपने सैक्शन 17 में कहा है कि हम किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट को इन्वाल्व नहीं होने देंगे, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि एप्लीकेशन कैसी होगी, उसके ऊपर कोर्ट की फीस लगेगी या नहीं लगेगी।

महोदय, मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओल्ड पेरेंट्स हिन्दुस्तान में हैं और बच्चे विदेश में हैं। यहां वे सड़ रहे हैं। उनके जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, उन पर इसकी सर्विस कैसे होगी, बिना पब्लिकेशन के वह नहीं हो सकती। इसलिए सर्विस का प्रॉवीजन ठीक होना चाहिए कि सम्मन कैसे सर्विस होंगे, कोर्ट फीस लगेगी या नहीं, तलवाना या प्रौसेस फीस देनी पड़ेगी या नहीं। इसके बारे में एक्ट बिलकुल साइलैंट है। इसलिए, मैडम, इसमें बहुत लीगल काम्पलीकेशन्स आएंगी।

आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि जब मां-बाप जीवित होते हैं, तो बच्चे मां-बाप को सपने दिखा कर प्रॉपटी को अपने नाम ट्रांसफर करा लेते हैं। गिफ्ट हो, सेल हो या विल हो। विल का इम्पैक्ट तो आफटर डैथ होता है, लेकिन सेल और गिफ्ट दो चीजों में कठिनाई पैदा होगी। आपने जैसा लिख दिया, यह ऐसे वॉइड नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रापर्टी एक बार सेल हो गई या गिफ्ट हो गई, तो फिर उसे लिटीगेशन में जाना पड़ेगा। अगर सेल डीड या गिफ्ट डीड में एक क्लॉज हो कि यह सेल डीड या गिफ्ट डीड तभी इफैक्टिव होगी, जब बच्चा मेरी सेवा करेगा। अगर सेवा नहीं करेगा, तो यह वॉइड समझी जाए। शुरू से ही वॉइड समझी जाए। इसे लिटीगेशन में मत डालिए। अगर इसे आपने लिटीगेशन मे डाल दिया, तो लड़का एवीडेंस देगा कि मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूं, यह तो वैसे ही बोल रहा है। इससे ऐसा होगा कि बूढ़े को न तो प्रॉपर्टी मिली और न पैसा। इसलिए इसे कुछ सिम्पलीफाई कीजिए।

आपने इसमें एक बात एवीडेंस के बारे में रखी है। जैसे कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट है, वह बहुत सिम्पल एक्ट हैं। उसमें

प्रॉवीजन है कि आप अपनी एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन अगर एक बुजुर्ग आदमी घर में बीमार पड़ा है, वह चलने-फिरने के काबिल नहीं है, तो वह ट्रिब्यूनल के पास या उस अथौरिटी के पास कैसे जाएगा और कैस बताएगा कि मेरे बच्चों ने मुझे मैंटेन नहीं किया, इसलिए वह मैनटेन करे। सर्विस हो गई, अगली तारीख पड़ेगी। चूंकि यह नया एक्ट है, इसलिए हम इस बारे में अभी सोच विचार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे इंट्री केसेस को बचाना होगा। वह एप्लीकेशन बाई सिम्पल पोस्ट भेजे और तब गवर्नमेंट की या उस ऑफीसर की ड्यूटी बन जाए कि वह सर्विस कराए, वह उन्हें पेश कराए। अगर हमने इसमें एवीडेंस लेने का प्रॉवीजन डाल दिया, तो ये केस सालों साल खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे थोड़ा और सिम्पलीफाई कीजिए।

महोदय, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में एक बात और हो सकती है। पिछले कुछ सालों में आई. पी. सी. की धारा 304 (बी) में कुछ चेंजेज की थीं और एक क्लॉज डाली थी, वह एंटायरली डिफरेंट है। उसमें बर्डन एक्यूज्ड के ऊपर डाला गया कि आप प्रूव कीजिए कि आप इन्नोसेंट हैं। इसी प्रकार यदि एक बुजुर्ग एप्लीकेशन देता है और अगर वह साबित करने लग जाए कि मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं है या मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है या मैंटेनेस नहीं देती है, तो वह बेचारा साबित ही करता रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन आती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वह रेस्पांडेंट के ऊपर होना चाहिए, बच्चों के ऊपर होना चाहिए कि आप क्या इन्हें मैनटेन करते हैं कि नहीं? तब उन्हें कुछ जस्टिस मिल पाएगा।

महोदय, इसके किसी भी सैक्शन में अगर एक प्रॉवीजन डाल दें कि यहां पर कम्प्रोमाइज हो, लिटीगेशन न चले, तो बेहतर होगा। यदि एप्लीकेशन आती है, तो रीकंसीलिएशन का प्रॉवीजन हो, लड़का यह माने कि मैं इतनी मैंटिनेस अपने बाप को दूंगा। अगर हम इसे लिटीगेशन में डालेंगे, तो वह लैंग्थी प्रॉसीजर हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी अपील भी रख दी है। जो एपीलेट ऑर्डर है उसके खिलाफ वह अपील भी करेगा। इस प्रकार तो यह एंडलैस लिटीगेशन होगी। मान लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं, वे ओल्ड एज होम में रहते हैं। क्या उस केस में भी बच्चों को अपने पेरेंट्स को मैन्टेनेंस देना होगा? स्टेट गवर्नमैंट की बहुत सारी पॉलिसीज ओल्ड एज पेंशन देने की हैं। अगर उसके माता-पिता ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, तब भी क्या बच्चों को मैंटिनेंस देना होगा? यह प्रॉवीजन इसमें नहीं है। या फिर ऐसा रखिये कि उसके पास सफीशिएंट मेंटीनेंस के लिए अगर कोई आमदनी नहीं हैं तो उसको मेनटेन करना ही होगा। अगर वह कहेगा कि देखिये, यह ओल्ड एज पेंशन 200 रुपये ले रहा है तो मैं इसका मेंटीनेंस क्यों करूं तो उस समय उस बच्चे की जिम्मेदारी क्या बनती है, यह बिल उसके बारे में साइलेंट है।

मैं आपके माध्यम से एक विनती करना चाहता हूं, सरकारी पक्ष के लोग यहां बैठे हैं, एक आदमी सारी उम्र टैक्स देता है। सरकार उस टैक्स से चलती है, उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। अगर सरकार अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहती है और उन ओल्ड लोगों की सुरक्षा और रक्षा भी करना चाहती है तो जितने वे टेक्स देते है, उसका कुछ हिस्सा ओल्ड एज लोगों के लिए पेंशन के रूप में दे दिया जाये तो मैं समझता हूं कि सरकार अपनी एक बहुत-बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी, क्योंकि आपने ओल्ड एज होम का प्रोवीजन राज्य सरकारों के ऊपर डाला है, इसलिए आदमी ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी देगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि अगर वह बूढ़ा हो गया या किसी कारण उसका बिजनेस फेल हो गया, अगर उसके बच्चे उसे मेंटने नहीं करेंगे तो सरकार को उसने टैक्स दिया है, वह उसे मेनटेन करेगी। यह ऑब्लीगेशन सरकार का भी होना चाहिए।

मान लीजिए, किसी आदमी के बच्चे नहीं हैं और लड़कियों की शादी हो गई और उसने सारी उम्र टैक्स दिया है तो उसकी क्या सिक्योरिटी है? मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप इसमें इस प्रोवीजन को डालें कि सरकार के ऊपर भी कुछ बर्डन हो, कुछ जिम्मेदारी हो कि उसके जो नागरिक हैं, आपने जो डाटा दिया है, उसमें सात परसेंट अभी हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उनका मेंटीनेंस करना है। इनमें से ओल्ड एज होम में कितने हैं, यह बताना चाहिए। मैंने टी. वी. पर एक बुजुर्ग की दिल्ली में जो दशा देखी है, यह कितना बड़ा शहर है कि बच्चों को उसने निकाल अपने के बाहर ही बैठा रखा है और टी. वी. वाले उसे लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं। उन बच्चों को शर्म नहीं आई कि वे अपने पेरेंट्स को अपने घर में वापस ले आयें। यह एक अच्छा कारण है।

मैं मानता हूं कि जब बचपन होता है, जवानी होती है तो घंटे बहुत छोटे होते हैं, साल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो घंटे बहुत बड़े जो जाते हैं, इसलिए बुजुर्ग लोगों को मेनटेन करना, उनको इज्जत मान देना हम सब का फर्ज है। मैं चाहूंगा कि जिस इंटेंशन से इस बिल को लाया गया है, इसमें कृपया बुजुर्गों को हम इंट्रीकेसी में न डालें। इसमें आपने समरी प्रोसीजर एक शब्द लिख दिया। समरी प्रोंसीजर के बहुत डैलीब्रेशंस हो गये। मैं एडवोकेट हूं, मैंने देखा है, हमने 138 को समरी में डाला, उसका क्या हाल है। निगोशिएशंस इंस्ट्रमेंट में, कंज्यूमर में समरी में डाला, उसका क्या हाल है, अपील से अपील नेशनल कंज्यूमर फोरम तक आती है। इसमें इन स्पिरिट यह वर्ड इम्प्लीमेंट हो कि समरी का मतलब क्या है।

मैं कुछ सुझावों के साथ आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को लाकर एक अच्छा उपराला आपने किया है। इससे बुजुर्गों को कुछ सुकून मिलेगा कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही हैं, लेकिन वह कर पाये, इसका फायदा वे ले पायें, यह जरूर आपके सोचना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, केवल इसी विधेयक पर बोलने वाले 15 वक्ताओं की सूची मेरे पास है। इसलिए, उन सभी को शामिल करने के लिए, मैं उनसे संक्षिप्त में बोलने का आग्रह करता हूं। बेहतर होगा यदि वे केवल सुझाव दें।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे इसी स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप इसी स्थान से बोल सकते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, सर्वप्रथम, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

वर्तमान कानून के अनुसार, वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक दोनों प्रकार की अदालतों में, भरण-पोषण वाद के जरिए दीवानी अदालत में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत फौजदारी अदालत में जा सकते हैं। इस विधान के अनुसार खंड-7 के अंतर्गत राज्य सरकार को एक अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है। इस अधिकरण की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उप मंडल अधिकारी से कम स्तर का न हो। अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकरण धारा 15 के अंतर्गत गठित किया जाएगा।

महोदय, हालांकि यह अधिनियम अत्यन्त स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मुझे कुछ आपत्तियां हैं। वरिष्ठ नागरिक वृद्ध माता-पिता आवेदन दाखिल करने के जरिए इन अधिकरणों में जा सकते हैं। जो आवेदन करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए संगठन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। संगठन का क्या अर्थ है? यह गैर-सरकारी संगठन हैं। अधिकरणों में जाने के लिए वे आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

इस विधेयक में, मैं विशेष रूप से खंड 17 के बारे में कहना चाहता हूं। "किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।" इस देश में, जबसे हमने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अथवा राज्य प्रशासनिक अधिकरण जैसे अधिकरणों का गठन आरंभ किया है, जितने अधिक अधिकरण बन रहे हैं, अदालतों की शक्तियों में इतनी ही अधिक कमी हो रही है। यहां तक कि अधिवक्ताओं को पेश होने के लिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया है। यह अधिवक्ताओं की शक्तियां कम कर रहा हैं। इसमें संशोधन आवश्यक किया जाए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

दूसरी बात यह है कि यदि अधिवक्ता पेश नहीं हो रहा तो क्या होगा। अब, हम गैर-सरकारी संगठनों को शक्ति दे रहे हैं। ये गैर-सरकारी संगठन केवल आवेदन दाखिल करेंगे। मुकदमे चलाने और साक्ष्य देने के लिए हम एक सरकारी सेवक 'भरण पोषण अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। या गैर-सरकारी संगठन या भरण-पोषण अधिकारी पक्षों से या अधिकरण की निधियों से धन वसूलेंगे। क्या जवाबदेही है? क्या गारंटी है? यदि कोई अधिवक्ता गलती करता है तो ऐसे अधिवक्ता को नियंत्रित करने के लिए राज्य बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार काउंसिल है। गैर-सरकारी संगठन और भरण-पोषण अधिकारी कैसे नियंत्रित होंगे। अब, हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग के खिलाफ अनेक शिकायतें आ रही हैं। इसलिए, गैर-सरकारी संगठनों, को शक्तियां देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह एक पहलू है।

अन्य बात यह है कि खंड 14 के अनुसार यह शक्ति दी गई है? वे याचिकाएं है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125ग के अंतर्गत मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित हैं, को वापस लेने की शक्ति दी गई है। उन वादों का क्या होगा जो दीवाली अदालतों में लंबित हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने मुंसिफ अदालत में दीवानी वाद दाखिल किया था और वह उसे वापस लेना चाहता है तो वह वापस कैसे लेगा। इस अधिनियम में यह नहीं बताया गया है।

एक अन्य बात यह है कि खंड अधिकारी 'आर डी ओ' होता है। दक्षिणी क्षेत्रों में उन्हें 'आर डी ओ' कहा जाता है। वह अधिकरण का अध्यक्ष है। जिला कलक्टर अपील अधिकरण का सभापति है। अब, हम देख रहे हैं कि खंड अधिकारी और जिला कलक्टर के पास अनेक काम होते हैं। वे दिन-रात काम कर रहे हैं। वे वृद्ध लोगों की बात सुनने के लिए, सप्ताह में एक बार कलक्ट्रेट बुलाने और उनकी बात सुनने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? खंड अधिकारी की अध्यक्षता अथवा कलक्टर की अध्यक्षता में, उनकी बात सुनने के लिए एक अलग कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह एक और सुझाव है।

एक और सुझाव यह है कि वर्तमान अधिनियम में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार, 500 रुपए की अनुमति है। यह राशि कम है। मैं मानता हूं कि यह राशि कम है और इसे बढ़ाया

जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के खंड 9, उपखंड (2) के अनुसार, अधिकरण को 10,000 रुपए तक की राशि प्रदान करने की शक्ति है। पुत्र या पुत्री के द्वारा 10,000 रुपए मासिक का भुगतान कैसे संभव है। सभी लोग अमीर नहीं हैं। यदि अधिकरण 10,000 रुपए मासिक का निर्णय देता है तो यह 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष बनता है। यह कैसे संभव है? फिर, ब्याज दर पर आते हुए, निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान न करने पर ब्याज दर पांच प्रतिशत और अधिकतम 8 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कैसे संभव है? इसे कम किया जाना चाहिए। 10,000 रुपए की राशि को भी कम किया जाना चाहिए। ब्याज दर भी कम की जानी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव वृद्धाश्रमों की स्थापना का है अर्थात खंड 19, उपखंड (1)। यह स्वागत योग्य है। "किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें इस अधिनियम का कोई भी ऐसे मामले में, जिस में इस अधिनियम का कोई भी उपबंध लागू होता है, वह सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।" अधिकरण अथवा अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में, सिविल न्यायालय को स्थगन आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है। यह एक और स्वागत योग्य कदम है। ये सभी स्वागत योग्य कदम है।

अधिवक्ता के पेश न होने के खंड को हटाने के अलावा, बाकी हिस्से स्वागतयोग्य कदम हैं। राशि की मात्रा और देय ब्याज की दर को भी कम किया जाना चाहिए।

इन चीजों को बदलना एक स्वागतयोग्य कदम है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और वृद्ध लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण खंड 5, उपखंड (6) है, जहाँ भरण-पोषण आदेश एक से अधिक व्यक्तियों को दिया गया हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर, भरण-पोषण के भुगतान के मामले में अन्य व्यक्तियों के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।" मान लीजिए किसी पिता के तीन पुत्र हैं। अधिकरण ने तीनों पुत्रों के बारे में विनिर्णय दिया है। तीनों पुत्र पिता की सम्पत्ति का उपभोग कर रहे हैं। यदि एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भरण-पोषण की पूरी धनराशि शेष दोनों पुत्रों को देनी होगी। कानूनन उत्तराधिकारियों को इसमें शामिल करने की शक्ति दी जानी चाहिए। मृतक के पुत्र या पुत्री अथवा वे वारिस जो उस सम्पत्ति का उपभोग करेंगे उन्हें वरिष्ठ नागरिकों या वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण का खर्चा देना ही होगा। इस विधेयक में इस बात का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। इस महत्त्वपूर्ण विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई भी देता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय हमें भी बोलने का मौका दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन खुद सीनियर सिटीजन है, इसीलिए इन्हें बोलने के लिए बुलाया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, क्या मैं पांच मिनट के लिए बोल सकता हूं?

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे संविधान में नि:शक्त व्यक्तियों के भरण पोषण का प्रावधान है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद, हम इस स्तर पर पहुंच सके है कि वृद्ध व्यक्तियों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व ले रहे हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो मनुष्य की आयु दीर्घता बहुत कम थी। समय बीतने के साथ मृत्यु दर कम हो गई है और मनुष्य जीवन की आयु दीर्घता काफी बढ़ गयी है। अब 70 वर्ष से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लाखों में है। उनका प्रतिशत भी बढ़ गया है। मेरे पास उनकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है। परन्तु यह निश्चित है कि भरण पोषण के पात्र व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब इस संवैधानिक दायित्व पर ध्यान दिया जा रहा है। यह विधेयक सही दिशा में लिया गया एक सराहनीय कदम है।

महोदय, भारत में हमारे कुछ पारंपरिक मूल्य हैं। हिन्दु दर्शन के अनुसार 'कर्णाधार' या परिवार का मुखिया, परिवार का अति-सम्मानित सदस्य होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के वृद्ध मुखिया का भरण पोषण पारंपरिक मूल्यों के तहत एक कर्तव्य था और यह हिन्दु दर्शन का मूल तथ्य है। हिन्दुत्व ऐसे मूल्यों में विश्वास रखता है। परन्तु दुर्भाग्य से, पता नहीं किन कारणों से बी. जे. पी. के हमारे नए मित्रों ने यह मामला उठाया हैं। यह प्रत्येक हिन्दु का कर्तव्य है कि वह परिवार के मुखिया का भरण-पोषण करे। यह केवल हिन्दुत्व में ही नहीं बल्कि भारत में रह रहे सभी परिवारों की परंपरा है।

हिन्दुत्व दर्शन का मुद्दा उठाया गया है। परन्तु किसी ने भी वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। सौभाग्य से उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। हम सब हिंदु दर्शन,

[श्री वरकला राधाकृष्ण]

इसकी दयालुता, महानता और ऐसी अन्य बातें कहते है। राजनीतिक लाभ के लिए हम इन्हें बढ़ावा भी देते हैं। हम वोट बैंक की बात करते हैं। परन्तु बेचारा वरिष्ठ नागरिक वोट बैंक नहीं हैं। अत: हिन्दु दर्शन को बढ़ावा देने वालों ने इनकी अनदेखी की है। परिवार का मुखिया एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है। ये हमारे पारंपरिक मूल्य है और हमें इन्हें बनाये रखना होगा।

विभाजन के पश्चात्, परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसका हिस्सा मिला और वे पृथक हो गए। परिवार के मुखिया का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इतनी ही नहीं, वृद्ध पुरूषों, को ही नहीं बल्कि विधवाओं को भी उनके बल पर छोड़ दिया जाता है। उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। यह समाज का परम कर्तव्य है कि वे विधवाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें।?

हमारे कानून में एक अन्य प्रावधान भी है। मैंने लम्बे समय तक वकील के रूप में कार्य किया है। हमारे देश में वर्ष 1973 में संशोधित की गयी दंड प्रक्रिया संहिता है। उस अधिनियम में भी भरण-पोषण का प्रावधान था। परन्तु यह एक बोझिल प्रक्रिया है। यह हमारा कटु अनुभव रहा है कि विधवाएं और परित्यक्ता महिलाएं, जो भरण पोषण के लिए खर्च मांग रहीं हैं और इसके लिए दंड विधि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित भरणपोषण न्यायालयों में जा रही है। उन्हें भरण पोषण व्यय मिलने में वर्षों लगेंगे।

परित्यक्ता पत्नी और विधवा महिला को भरण पोषण मिलने में अत्यधिक विलम्ब होता है। यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इसे ठीक कैसे किया जाए। इन परित्यक्त महिलाओं को आसानी से भरण-पोषण कैसे दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता और पारिवारिक न्यायालय के अनुवर्ती कार्यकरण में इस बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया। दांडिक न्यायालयों के अलावा हमारे यहां बहुत से पारिवारिक न्यायालय भी हैं। जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इन मामलों को निपटा रहे हैं। परन्तु ये न्यायालय इस सामाजिक बुराई से निपट नहीं पा रहे हैं। अब हम इस मामले को कानूनी तरीके से ले रहे हैं और यह विधेयक इसी प्रयास का परिणाम है। इसका स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही, कुछ मुद्दों को बहुत ध्यान से नोट किये जाने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक अधिकरण नियुक्त किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति, जिसके पुत्र, पुत्रियां या वारिस उसकी उचित देखभाल नहीं कर रहे हों, वह इस अधिकरण में भरण पोषण प्राप्त करने का दावा कर सकता है। यदि वह इसके निर्णय से खुश नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक अपीलीय अधिकरण होता है। उप-मंडलीय अधिकारियों की अध्यक्षता में अधिकरण गठित किये जाऐंगे। अधिकरणों में तीन माह के भीतर याचिका पर निर्णय देना आवश्यक होगा और अपीलीय अधिकरण के मामले में भी समयावधि सीमित होगी। अपीलीय अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और इसमें दूसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। यह स्थिति है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु मुख्य प्रश्न यह कि इस पर कैसे कार्य किया जाए।

इस विधेयक में दंड का प्रावधान भी है। इसमें तीन माह की सजा है। यदि भरण पोषण व्यय के भुगतान में चुक हो तो एक माह की सजा होगी, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। सजा का नहीं बल्कि भरण-पोषण राशि प्राप्त करने का प्रश्न है। इस विधेयक के एक अन्य प्रावधान में भी कई कमियां हैं। बेटे और बच्चे, जो अभिभावकों से हिस्सा ले रहे हैं, उनके कानूनी वारिस हैं और यदि माता-पिता की अनदेखी की गयी तो यह प्रावधान उन पर लागू होगा। ऐसा होना चाहिए केवल वारिस ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक पुत्र जो कि धनी और कमाऊ है तो माना जाता है कि वह अपने वृद्ध पिता की देखभाल करेगा चाहे उसे सम्पत्ति विरासत में प्राप्त हुई या नहीं। एक पुत्र होने के नाते यह उसका परम कर्तव्य है कि वृद्धावस्था में वह पिता का भरणपोषण करे। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। परन्तु, दुर्भाग्य से इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि उसे पिता की सम्पत्ति विरासत में मिली हो तभी वह उत्तरदायी है। यह ठीक नहीं है। किसी बेटे को सम्पत्ति विरासत में नहीं भी मिल सकती है। पिता अपने पुत्र के जन्म से उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करता है। युवा होने के बाद, वह समाज में धनाढ्य हो जाता है। ऐसे में चाहे उसने पिता से एक भी पैसा न लिया हो, वह कानूनी रूप से पिता के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। वह भी इस अधिनियम के दायरे में आना चाहिए। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे आज लाखों रुपये कमा रहे हैं और हो सकता हैं पिता अपने समय में, इतना नहीं कमा पाया हो परन्तु बचपन में उसने पुत्र का पालन-पोषण किया है। यदि स्थिति ऐसी है, तो यह ठीक नहीं है। सभी पुत्रों, बच्चों और कानूनी वारिसों, चाहे उन्हें विरासत में सम्पत्ति मिली हो या नहीं, को अपने माता-पिता का भरण पोषण करना चाहिए। केवल वसीयती बाध्यता पर्याप्त नहीं है। उसे कानूनी रूप से बाध्य बनाया जाना चाहिए।

प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम खोले जाने में राज्य सरकारों की सहायता की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम खोलने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को धन मुहैया कराना चाहिए। इसके बिना राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पायेंगी और न ही ऐसा करेंगी। यदि वृद्धाश्रम स्थापित करने के लिए वित्त उपलब्ध कराने का प्रबन्ध नहीं किया जाएगा तो यह अधिनियम केवल कागजों पर ही रहेगा। यह ठीक नहीं है।

अतः संविधि में यह प्रावधान आवश्यक है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अब, मैं वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य समस्या की बात करता हूं। इसके लिए चिकित्सा विभाग को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। यह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि जब भी कोई वरिष्ठ नागरिक किसी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में, सहायता प्राप्त करने हेतु जाए जो उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाए। प्रत्येक सर्जन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के इलाज को आवश्यक कर्तव्य बनाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विशिष्ट रूप से इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को इन प्रावधानों को सही तरीके से कार्यान्वित करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह विधेयक अपने सच्चे अर्थों में कार्यान्वित हो और जिन वरिष्ठ नागरिकों की अभी उपेक्षा हो रही है उन्हें उनकी वृद्धावस्था में कुछ राहत मिल जाए।

मंत्री महोदय को सावधानी बरतनी चाहिए। उनका भाषण ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए, पहल करनी होगी कि यह विधेयक शब्दशः सही भावना के साथ कार्यान्वित किया जाए, मेरे विचार से मंत्री महोदय मीरा कुमार जी यह पहल करेंगी और वृद्ध लोग उन्हें इसके लिए हमेशा याद रखेंगे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्य कर रहा हूं। मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से अपने निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण कराया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग इस कार्य के लिए किया जा रहा है। मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की सहायता से अपेन निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के लिए तीन या चार वृद्धाश्रमों का निर्माण कराया है ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): आपको वहीं पुनर्वासित किया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा यही अनुभव है इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध न्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय मंत्री जी श्रीमती मीरा कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वह इस ऐतिहासिक विधेयक को सदन में लाई है। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता के अनुरूप देर से ही सही लेकिन सही विधेयक लाया गया है। यह विधेयक ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य है।

महोदय, भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है और इसका अपना एक इतिहास रहा है। मैं समझता हूं इस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी लोग सीख लेते रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की आज जो हालत बनती जा रही है, वह चिन्ता का विषय है। यही भारत है जिसका इतिहास साक्षी है कि यहां श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने माता-पिता की सेवा करते हुए एक पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। लोगों की इच्छा होती थी कि उनके बच्चे भी श्रवण कुमार जैसे हों जिसने साधनों के अभाव में अपने माता-पिता को तीर्थयात्रा कराने के लिए अपने कंधों पर बैठाकर ले जाने का काम किया। यही वह भारत है जिसके इतिहास में भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश से जब यह कहा गया कि समूची दुनिया का भ्रमण करके आइए, तो उन्होंने अपने माता-पिता की परिक्रमा करके कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है कि हम संयुक्त परिवारों में पलने और बसने वाले लोग हैं। हमारे यहां माता-पिता का भगवान से ज्यादा आदर करने वाले लोग भी रहे हैं। देश की आजादी के 60 साल बीत रहे हैं, जिस तरह से हम माडर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, आज माता-पिता को देखने वाला कोई नहीं हैं। संयुक्त परिवार की कल्पना छोड़िए, मां-बाप को भी बच्चे साथ रखने को राजी नहीं हैं। एक मां जो अपने बच्चे को नौ महीने तक गर्भ में पालती है और बड़ी तपस्या तथा तकलीफों के बाद उसे जन्म देती है, वह बड़ा होकर क्या कर रहा है, वह उस मां की तरफ देखने का भी काम नहीं कर रहा है। मां-बाप कैसे अपने बच्चे को पालकर बड़ा करते हैं और जब वे रिटायर हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं रहते तो वृद्धावस्था में अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं। उनकी हालत क्या हो रही है, कहीं तो उन्हें गौशाला में रखा जा रहा है, दरवाजे के पास रखा जा रहा है और टीन की थाली में सूखी रोटी मुश्किल से दी जा रही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले हम सभी लोग जानते हैं।

आज हालात बहुत खराब हो रहे हैं। मैं बहुत दर्द से बोल रहा हूं। हम कहां थे और कहां जा रहे हैं। धनलोलुपता की वजह से हमारा समाज कहां जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कई बच्चे तो अपने माता-पिता की हत्या तक कर रहे हैं। इस तरह का समाज बन रहा है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है।

[श्री राम कृपाल यादव]

हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी का अनुपात कुल संख्या का 30 प्रतिशत है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए बुजुर्ग लोगों की संख्या 90 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत बुजुर्ग लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले हैं। 80 प्रतिशत बुजुर्ग गांवों में रहते हैं और 73 प्रतिशत उनमें से अशिक्षित हैं तथा शारीरिक श्रम करने में अक्षम हैं। महिलाओं की संख्या लगभग 55 प्रतिशत है, जिसमें से अधिकांश वृद्धावस्था के कारण परिवार से उपेक्षित हैं। यह हालत हमारे सामने है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोग खुद ही गरीब हैं, उनके वृद्धों की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसे सुनकर या देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक उनके लिए कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी।

मैं इस सम्बन्ध में आंकड़ा देना चाहता हूं कि दिनों-दिन वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1951 में जहां 1 करोड़ 90 लाख उनकी संख्या थी, वहीं 2001 में वह 7 करोड़ 70 लाख हो गई है। अगर इसी तरह से बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई तो अनुमान है कि 2025 तक उनकी संख्या 17 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी। इनके भविष्य को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में इनके लिए जहर खाने के अलावा कोई और काम नहीं होगा। इसलिए कई बुजुर्ग आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें, क्योंकि आप छ: मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीड़ा से और सीधे शब्दों में समाज की स्थिति बयां कर रहा हूं। मुझे पहले वाले विधेयक पर भी नहीं बोलने दिया गया। इसलिए मुझे थोड़ा समय और दे दें।

मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ बातें कहना चाहूंगा। सरकार ने बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लागू की है, जो 50 लाख लोगों के लिए थी, अब सात करोड़ लोगों पर लागू होगी। इसके लिए सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई हैं। मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन हालात गम्भीर हो रहे हैं, और जितना ध्यान हमारा वरिष्ठ नागरिकों पर जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है।

संयुक्त परिवार में मदर-फादर, आंटी-अंकल आदि लोगों की बात छोड़िए, उनकी हालात बहुत खराब होती जा रही है।

इस विधेयक के पास होने से निश्चित तौर पर एक आधार मिलेगा। आपने कानून में प्रावधान किये हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में जो खर्च आयेगा, राज्य सरकारों के मांगने पर हम उस राशि को पूरा करने का काम करेंगे। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार खुद ही इसके लिए पहल करे और वृद्ध लोगों को रकम दे। जब वृद्ध आदमी बीमार हो जाता है तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता है, वह दाने-दाने के लिए मोहताज हो जाता है। आपकी बात का उसे यकीन आना चाहिए। एक-दो एनजीओज के माध्यम से आश्रम बनाने की बात की गयी, लेकिन यह अच्छी पहल है कि केन्द्र सरकार खुद पहल करके उसे बनाने का काम करेगी। मगर मैं समझता हूं कि इस कानून को सुदृढ़ करने की और भी आवश्यकता है।

मॉनिटरिंग का आप क्या करेंगे? जो राशि आप आबंटित करेंगे, जो व्यवस्था आप कानून के माध्यम से कर रहे हैं वह कारगर हो रही हैं या नहीं, इसे कौन देखेगा? कानून तो बहुत बनते हैं मगर कानून का पालन होना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आपको थोड़ा ही कहना चाहिए। आप जैसे सशक्त नेता को अगर दो-तीन मिनट भी मिला, तो काफी है, आज कोओपरेट कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: आपके कहने पर तो मैं पिछली बार भी बैठ गया था। महोदय, मैं कह रहा था कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कानून सही ढंग से लागू हो सके और जो सृजनकर्ता हैं, माता-पिता हैं, उनके लिए जो कानून में प्रावधान किया है, वह उन तक पहुंच सके।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बार-बार आपका निर्देश हो रहा है कि आप बैठ जाइये। मैं कहना चाहता हूं कि जो 80 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं वे 6.5 प्रतिशत लोग हैं और आने वाले दिनों में ये लोग 13 प्रतिशत हो जाएंगे। इसलिए इनकी तरफ ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। इस बिल के माध्यम से आप उनकी सुरक्षा का प्रावधान करेंगे और निश्चित तौर पर जो कमी है, उस कमी को भी दूर करके, वृद्धावस्था में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक कारगर कदम उठाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी को और यू पी ए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक बहुत सही समय पर प्रस्तुत किया गया है। सं. प्र. ग. सरकार वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठा रही है। एक वर्ष पूर्व भी इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए एक

विधेयक पारित किया था और आज ये माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक पारित करने जा रहे हैं। आज लोगों को उपलब्ध चिकित्सा और औषधियों के कारण उनकी जीवन-प्रत्याशा बढ़ गई है। नौजवान लोग रोजगार के लिए देश से बाहर जाते हैं और उनके माता-पिता देश में रह जाते हैं। इसलिए, वरिष्ठ नागरिकों के हितों, अधिकारों और जीवन की रक्षा के लिए यह विधेयक इस सभा के विचारार्थ लाया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा यह है कि उन्हें जीवन-यापन के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे और वह एक स्वागतयोग्य कदम है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अंतर्गत वयोवृद्ध माता-पिता को तथा यहां तक कि विधवाओं और पीड़ित महिलाओं को 500 रुपये से अधिक नहीं मिल सकते और ये 500 रुपये लेने के लिए उन्हें वर्षों तक प्रतिवादी को अदालत में चुनौती देनी पड़ती है।

सायं 7.00 बजे

इस विधेयक में 10,000 रुपये के भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन इसी के साथ-साथ इस विधेयक के खण्ड 17 में यह प्रावधान किया गया है कि इसमें विवाद होने की स्थिति में वकीलों की सहायता नहीं ली जा सकती। वकीलों और अधिवक्ताओं को निरुत्साहित किया गया है लेकिन कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में सभ्य समाज के पास कानूनी उपाय अपनाने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

माननीय सदस्यगण, इसी विधेयक पर बोलने के लिए मेरे पास ग्यारह सदस्यों के नामों की सूची है और सभा का समय सांय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया था। सभा का क्या विचार है?

कुछ माननीय सदस्य: हम रात्रि 8.00 बजे तक बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अत: सभा के समय में एक और घंटे की वृद्धि की जाती है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है तो वह उसका हल ढूंढ़ने के लिए किसी अधिवक्ता का दरवाजा खटखटाता है लेकिन खण्ड 17 में यह प्रावधान किया गया है कि वकीलों की सहायता नहीं ली जा सकती और इसके साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी ने मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज करा दिया है तो वह अपना मामला वापस ले सकता है, यदि कोई न्यायालयों के माध्यम से आदेश चाहता है और यदि उसने कानूनी कार्यवाही कर दी है तो उन्हें फौजदारी अदालतों में जाना पड़ेगा और वे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): तो इस विधेयक का समर्थन मत करो।

श्री ए. कृष्णास्वामी: मैं माननीय मंत्री जी को केवल सुझाव दे रहा हूं। अधिकरणों के वकीलों को अनुमति नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। इन लोगों को केवल अधिकरणों में ही अपने मामले क्यों दायर करने चाहिए? उनमें से अधिकांश को तो घर भी नहीं पता कि अधिकरण नामक कोई चीज हैं भी या नहीं। एक वर्ष पूर्व इस सम्मानीय सभा ने महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में घरेलू हिंसा विधेयक पारित किया था। अब, कितनी महिलाओं ने हिंसा के बारे में इन अधिकरणों में शिकायतें दर्ज कराई हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत कितने लोगों को दोषी ठहराया गया है? प्रत्येक जिले में सर्व-महिला पुलिस थाने हैं? वे पारिवारिक मामलों से संबंधित समस्याओं को देखते हैं। प्रभावित महिलाएं न्यायालयों में नही जाना चाहतीं वे सामान्यतया अपने पतियों के विरूद्ध मामला दर्ज नहीं कराना चाहती यदि ऐसी महिलाएं कानूनी सहायता लेना चाहती हैं और यदि वे इस विधेयक के प्रावधानों का आश्रय लेती हैं तो उनके पतियों पर जुर्माना हो सकता है या उन्हें जेल भी हो सकती है। परन्तु, यदि सरकार इसमें वकीलों को भाग लेने की अनुमति देने पर विचार करती है तो वे उन्हें सही परामर्श दे सकते हैं और वे इन्हें प्राधिकरण की सहायता भी दिलवा सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: क्या आप मंत्री महोदय से कोई आश्वासन चाहते हैं?

श्री ए. कृष्णास्वामी: माननीय मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।

अब, प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम है। सरकार का देश के प्रत्येक जिले में कितने वृद्धाश्रम बनाने का विचार है? किसी जिले में वृद्धाश्रम का आश्रय लेने के इच्छुक लोगों की संख्या एक हजार हो सकती हैं, कुछ जिलों में ऐसे लोगों की संख्या 2000 हो सकती है और कुछ जिलों में ऐसे लोगों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। क्या सरकार प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम बनाएगी। इस विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यकारी वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में कुछ अच्छे खण्ड हैं तथापि इसमें कुछ नए खण्ड जोड़कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं आपको माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसमें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को संविधान के अंतर्गत किए गए भरण-पोषण और कल्याण के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

महोदय, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक सर्वाधिक उपेक्षा के शिकार हैं। उनके अपने बच्चे जिनके लिए वे इतना धन व्यय करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में कड़ी मेहनत करते हैं उनके वृद्ध और बीमार होने पर वही बच्चे उन्हें सड़क पर फेंक देते हैं। कुछ मामलों में माता-पिता से उनकी सम्पत्ति और धन ले लिया जाता है और फिर उनकी उपेक्षा की जाती है और उन पर अत्याचार किया जाता है हमारे समाज में से संयुक्त परिवार की व्यवस्था धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। अत: इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि जो लोग अपने माता-पिता का अपमान और उपेक्षा करते हैं उन्हें दंडित करने हेतु अधिक कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। ऐसे बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक हैं जो स्वयं अपने बेटों और बहुओं के अत्याचार के शिकार हैं।

देश के प्रत्येक जिले में और अधिक वृद्धाश्रम बनाए जाने चाहिए। केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों को और अधिक धन आबंटित करना चाहिए। इस विधेयक में उन वरिष्ठ नागरिकों का नि:शुल्क चिकित्सा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए जिनकी देख-भाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा कुछ ऐसे वृद्धाश्रम बनाए जाने चाहिए जहां उनमें रहने वालों वृद्धों द्वारा भोजन-सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भुगतान करने पर उन्हें ये सुविधाएं प्रदान की जा सकें

इसी प्रकार, जो बुजुर्ग अपने घरों में अकेले रहते हैं वे चोरी और शोषण का शिकार होते हैं। देश में ऐसे वृद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अधिक कड़े कानून बनाए जाने चाहिए।

कुछ मामलों में यह हो सकता है कि माता-पिता अपने बच्चों पर अपनी सारी जमा-पूंजी व्यय कर चुके हो। उनके पास अपने लिए कोई घर या पूंजी न बची हो। ऐसी परिस्थितियों में यह उन बच्चों का कर्त्तव्य बन जाता है वे अपने माता-पिता की देखभाल करें। वे इस बात का बहाना बनाकर, कि उनके माता-पिता ने उन्हें कोई संपत्ति या धन नहीं दिया है, अपने इस कर्त्तव्य ने मुंह नहीं चुरा सकते।

सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा बहुत से कानून बनाए जाते हैं जो कि कानून की किताबों में ही बंद रह जाते हैं। इसीलिए, जब तक प्रभावी रूप से ऐसे कानूनों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता तब तक इनसे समाज को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

दूसरी बात यह है कि वरिष्ठ या वृद्ध व्यक्तियों की देख-भाल में लापरवाही के मामले समयबद्ध रूप से निपटाए जाने चाहिए। क्योंकि न्याय देने में विलंब करेन का मतलब है कि न्याय देने से इन्कार करना इन शब्दों के साथ मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार को इस महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने पर धन्यवाद देता हूं जो वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों को राहत और सहायता देगा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं इस उपयोगी विधेयक अर्थात माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं।

महोदय, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है जिससे हमें इस विधेयक की विषयवस्तु को समझने में सहायता, मिल रही है।

इसमें अनेक अच्छी बातें हैं, कहीं गई अनेक अच्छी बातें संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के जैसी हैं, परन्तु इसमें कुछ खामियां भी हैं।

इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में किसी भी राशि का उल्लेख नहीं है। सब कुछ राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। राज्यों की वित्तीय स्थिति का हमें पता है। मैं वृद्धाश्रामों की बात कर रहा हूं। देश में 600 से ज्यादा जिले हैं। उप-मंडलों की संख्या और भी अधिक है। यदि हम उप-मंडल स्तर पर भी वृद्धाश्रम स्थापित करते हैं तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा। हमें ब्लाक स्तर पर वृद्धाश्रम स्थापित करने की आवश्यकता है।

मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं क्योंकि इस विधेयक से धनाढ्य परिवारों के बच्चों, उच्च मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के माता-पिता को लाभ होगा। परन्तु निर्धन लोगों के लिए क्या प्रावधान है? मैं आपका ध्यान खण्ड 9 की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है;

> "यदि यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते हैं तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर ऐसे बालकों और

नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का, जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निदेश दे।"

ये सभी बातें इसमें की गयी हैं। इतनी सारी एजेंसियों ने सर्वेक्षण किए हैं। हमें पता है कि सीमांत किसान और मजदूर जैसे निर्धन व्यक्ति 20 रुपये प्रतिदिन से अधिक अर्जित नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति जो औसतन 20 रुपये प्रतिदिन अर्जित करता हैं अपने माता-पिता का भरण पोषण कैसे कर सकता है? वह अपना भरण-पोषण ही नहीं कर सकता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मेरा कहने का प्रयोजन यह है कि यदि हम इस विधेयक को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इसे कार्यान्वित करना होगा, हमें यह गंभीर प्रयास करने होंगे। हमारी माननीय मंत्री को यह ध्यानपूर्वक करना होगा ताकि इस विधेयक के प्रावधानों में सभी निर्धन परिवारों को शामिल किया जा सके।

राज्य सरकारों को और अधिक धन देना होगा। पंचायतों को भी शामिल करना होगा। अन्यथा ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

दूसरा मुद्दा मामलों को निपटाने में लिया गया समय है। माननीय मंत्री ने भी यह बात कहीं है, न्यायाधिकरणों में याचिका देने तथा निर्णय देने में कितना समय लगेगा? यह चिंता की बात है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

न्यायाधिकरण में जिला मजिस्ट्रेट अपीलीय प्राधिकारी है। यह कहा जा रहा है कि एस. डी. ओ. या इसके समकक्ष पद के अधिकारी ही इन सब बातों का संचालन तथा निगरानी करेंगे। उनके पास पहले से ही बहुत काम है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए एक पृथक व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन या उप-मंडल प्रशासन पर अधिक बोझ डालना सही नहीं है।

लोगों के कल्याण हेतु युवा विभाग, बाल विभाग आदि जैसे अनेक विभाग हैं, इसलिए, वरिष्ठ नागरिकों की देख-भाल हेतु एक विभाग गठित किया जाना चाहिए। इसकी तत्काल आवश्यकता है। इस विधेयक में नया कुछ भी नहीं है। केवल कतिपय शुभ कामनाएं हैं।

वित्तीय आबंटन और इन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु कोई खंड नहीं है। इसलिए, मैं चिंतित हूं। इसे कहां तक लागू किया जाएगा तथा कहां तक इन सुझावों को वास्तविक रूप दिया जाएगा इस बारे में मुझे आशंका है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला (जाँजगीर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगी। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007, जो सम्माननीय मंत्री सुश्री मीरा कुमार जी यहां लाई हैं, मैं उनके इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इस विधेयक को जहां हम सम्मान दे रहे हैं, वहीं इस विधेयक से हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं कि आजादी के साठ साल के बाद भारतवर्ष ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे वृद्धजनों की, हमारे देश में हमारे माता-पिता की यह दशा होगी और इस दशा को यदि किसी ने दिया है तो ईमानदारी से हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि भले ही देश आजाद हो गया, दूरसंचार में हम क्रांति ले आये, खाद्य पर आत्मनिर्भर हो गये, विभिन्न योजनाओं में हम अग्रणी हो गये, विदेशों में हमने अपना नाम कमाया, लेकिन अगर हमने खो दिया तो आजादी के बाद इस देश को जो संस्कार संस्कृति, आचार-विचार और व्यवहार मिलना था, वह शायद इस देश से गायब हो गया। इसके लिए हम किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, इसके लिए हम सब दोषी हैं। क्योंकि हमनें आजादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया। यह बात क्यों आई ...*(व्यवधान)* वर्मा जी, आप भी बोलियेगा। आजादी के बाद शायद हमने पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण किया। जहां मां थी, वह मॉम हो गई, पिता डैड हो गये, ताऊ, चाचा, चाची, बुआ, फुफा ये रिश्ते कहीं अंकल और आंटी में खो गये और इसी वजह से शायद हमारे वृद्धजनों को यह दुर्भाग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मीरा कुमार जी ने इस बिल में बहुत से खंड दिये हैं। एक सम्माननीय सदस्य गरीबों की पैरवी कर रहे थे। जहां तक मैं समझती हूं, वह बिल गरीबों के लिए नहीं आया है। गरीब परिवार में ये विसंगतियां नहीं हैं। वे अपने माता-पिता का सम्मान राजा राम, दशरथ और कौशल्या की तरह करते हैं। वहे अपने माता-पिता का सम्मान श्रवण बनकर करते हैं। ये बिल विदेशों में जाने वाले उन अमीरों के लिए लाया गया है। वह बिल अगर लाया गया है तो शासकीय और अशासकीय नौकरियों में रहने वाले उन आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों के माता-पिता के लिए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि टी. वी. में ये सब मैंने देखा है और देखने के अलावा मैंने एक परिवार को भुगता है। उस परिवार के माता-पिता को मैं पाल रही हूं। उनके तीन बेटे और एक बेटी है। उस मां ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जब उसका बेटा हुआ था तब थाली बजी थी और वृद्धावस्था की उम्र में उनका मकान भी तीनों बेटों ने अपने नाम करा लिया और आज उनके भरण-पोषण के

[श्रीमती करूणा शुक्ला]

लिए पैसा नहीं मिलता है। आप कल्पना करिये जब वे बीमार होते हैं तो उनके बच्चे उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और सौ-डेढ़ सौ रुपये कैन्टीन में दे दिये जाते हैं कि माता-पिता को दोनों समय का भोजन दे दिया जाए और दुर्भाग्य तब आता है, जब इतवार के दिन उस अस्पताल की कैन्टीन बंद रहती है तो अस्पताल में वह वृद्ध महिला भूखी सोती है। यह विधेयक शायद उन अमीरों के लिए लाया गया है, जो अपने माता-पिता को देखते नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं, इन सुझावों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहले मेरा सुझाव है कि टी. वी. में जो पारिवारिक संबंधों पर सीरियल्स आते हैं हमारी सरकार उन सीरियलों को बंद करा दे। अगर हमारी संस्कृति को किसी ने खराब किया है तो पारिवारिक संबधों पर बने इन सीरियलों ने खराब किया है। 'घर-घर की कहानी', यह सीरियल सिखा रहा है कि कैसे षंडयंत्र किया जाए। 'सास भी कभी बहू थी' यह सीरियल बता रहा है कि कैसे सास बहू के साथ और बहू सास के साथ अत्याचार करे। जब तक इस तरह के सीरियल्स बंद नहीं होंगे, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का जो आचरण और व्यवहार है, वह शायद नहीं सुधरेगा। मैं समझती हूं कि इसे निश्चित रूप से बंद कराना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सब कुछ राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। मैं राज्य सरकारों को नीयत पर शक नहीं करती हूं, उनमें काम करने की इच्छा शक्ति है। जब तक केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को राशि उपलब्ध नहीं करायेगी, तब तक वे इस कार्य को पूरा नहीं करेंगी। इस तरह वर्द्धाश्रम बनाने की बात कही गई है। जिस आदमी ने अपना सारा जीवन गांव में काटा हो, अपने नाते-रिश्तेदारों और पड़ोस में काटा हो, वह व्यक्ति वृद्ध आश्रम में नहीं जायेगा। सरकार देश के विकास खंडों में इस योजना को लाये, तभी वृद्धजनों का भला हो पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वृद्ध आश्रम के बारे में बात की है और सरकार समझती है कि वे बहुत बूढ़े हो गये हैं। मेरा सुझाव है कि यह शब्द हटा दीजिये और इसकी जगह 'वरिष्ठ नगर सदन' नाम रखिये। उस सदन को ऐसा बनायें जहां उन के लिये सारी सुविधायें हों और उन लोगों को ऐसा लगे कि जो परिवार उससे छूटा है, उसे उसकी कमी न महसूस हो और वह इस परिवार के साथ रहे सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश ने पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि पाश्चात्स संस्कृति के कारण हम अपनी मूल संस्कृति खो रहे हैं। जिस देश में राम पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, वृद्धों के साथ लोग ऐसा आचरण करेंगे, देश की संस्कृति और इतिहास को नष्ट करने की कोशिश की जायेगी, उस देश के वृद्धजनों का सम्मान देश के कानून से नहीं होगा, परम्पराओं से होगा, संस्कारों से होगा। माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आयी हैं, मैं उसका स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बहुत ही संक्षेप में बोलें। कृपया अपने सुझाव दें।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हमारे माननीय सदस्य पहले ही बहुत कम बोले हैं।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री हमारे देश में वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में एक नए युग की शुरूआत करने वाले इस उत्कृष्ट विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए प्रशंसा की पात्र हैं। यह विधेयक जिसका शीर्षक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 है हमारे देश के विधि निर्माण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा है:

"विश्व को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं वृद्ध हो रहा हूं परन्तु, यदि शांति और सुरक्षा दी जाए तो मैं जवान और निडर रहूंगा।"

इसलिए सामाजिक सुरक्षा देश के सतत विकास हेतु आवश्यक है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने यही सोच कर संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इसे समाहित किया था। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य को हमारे देश के वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। वृद्धों को बोझ न मान कर उन्हें उनके अनुभव तथा अपने जीवन काल में प्राप्त ज्ञान के कारण आने वाली पीढ़ियों के मार्ग प्रदर्शक के रूप में देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी।

विधेयक से यह स्पष्ट है कि हम नैतिक पतन के युग की ओर अग्रसर हो रहें हैं। इसलिए सरकार को मजबूर होकर यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा जिसके तहत यह अनिवार्य है कि बच्चे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें।

हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि रातों-रात यह विधेयक वृद्धों की समस्त समस्या का समाधान करेगा। तथापि, हम सब को इस बात को सराहना करनी चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा हेतु हमनें एक नई शुरूआत की है। वृद्धों की विलीय आत्मनिर्भरता देश के लिए एक महान योगदान होगा जिससे कि वे भी योगदान कर सकें तथा अपने खाली समय का भरपूर उपयोग कर सकें। उन्हें अंश

कालीक कार्य भी दिया जाना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य एक समर्शकारी उपबंध स्थापित करना है। ताकि वृद्ध अपनी आवश्यकता के आधार पर आजीविका अर्जित कर सकें। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इस संबंध में उपबंध है परन्तु जैसा की मंत्री ने पहले ही कहा है कि, यह जटील, लंबा और खर्चीला है। इसलिए, विधेयक का उद्देश्य समस्त प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि यह अधिक सुचारू और आसान हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद

श्री अधीर चौधरी: मैं दो या तीन मिनट और लूंगा। भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। संचारी रोगों के उन्मूलन से लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। मैं कतिपय आंकड़ें उदधृत करूंगा। 1911-12 में देश में जीवन प्रत्याशा मात्र 20 वर्ष थी स्वतंत्रता के समय हमारी जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी परन्तु अब यह 68 वर्ष है। 1951 में वृद्धों की जनसंख्या में मात्र दो करोड़ थी। 2001 में यह संख्या 7.6 करोड़ है। अनुमान है कि 2026 तक वृद्धों संख्या 13.7 करोड़ हो जाएगी तथा 2030 तक 20 करोड़ होने की आशा है। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा विधान पहले ही लागू कर दिया है परन्तु हमें समाज के समस्त ढ़ाचे का अध्ययन करना होगा। 1995 में कांग्रेस शासन के दौरान वृद्धों के लिए राष्ट्रीय सहायता योजना आंरभ की गई थी। आपको ध्यान होगा कि आरंभ में वृद्धों को पेंशन के रूप में मात्र 75 रुपये मिलते थे। अब यह 200 रुपये है। यदि राज्य सरकार बराबर की राशि दे तो इसे 400 रुपये किया जा सकता हैं। हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री अधीर चौधरी: वृद्ध व्यक्तियों को शारीरिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक सहायता की आवश्यकता होती है जो उन्हें नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. के.एस. मनोज।

श्री अधीर चौधरी: जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है हजारों विधवाएं वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थानों में दयनीय स्थिति में हैं और उनको दो जून का भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वे उन विधवाओं का ध्यान रखें जो ऐसे धार्मिक स्थानों पर कष्ट का जीवन जी रही हैं।

महोदय, ये वृद्ध लोग दो बार मरते हैं–एक बार जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तथा दूसरी बार जब वे जीवन को अलविदा कहते हैं। इसलिए, उनके उत्तराधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि वे अंत समय तक उनकी देखभाल करें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007, नामक इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया।

महोदय, यद्यपि मैं माननीय मंत्री द्वारा इस विधेयक को इस सभा में पुर:स्थापित करने के लिए उनकी सहायता करता, फिर भी मुझे भय है कि विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यद्यपि विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं फिर भी मंत्री महोदय ने सब अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिये हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों का गठन मात्र है।

महोदय मैंने उत्सुकतावस इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन को देखा था। वित्तीय ज्ञापन में भारत की संचित निधि से किसी प्रकार के धन का प्रावधान नहीं है। हर कार्य के लिए यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान सुविधाओं का ही उपयोग किया जाएगा। सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट इन अधिकरणों के चेयरपर्सन होंगे तथा जिला मैजिस्ट्रेट अपीलीय अधिकरणों के चेयरपर्सन होंगे। इसलिए केवल वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करते हुए मंत्री महोदय इन सभी अधिकरणों का गठन करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि विधेयक का उद्देश्य वास्तव में पूरा करना है तो अलग से सुविधाएं होनी चाहिए और उन सुविधाओं को उचित रूप में परिणत करने का अधिकार होना चाहिए।

पुन: कम से कम देश के प्रत्येक जिसमें एक वृद्धाश्रम बनाने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में नहीं हूं। कोई वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए बल्कि दिवस कालीन देखभाल केन्द्र होने चाहिए क्योंकि वृद्धाश्रम में वरिष्ठ लोग तथा सभी वृद्ध लोग बेसहारा जैसे हो जाएंगे। उनकी देखभाल उनके बच्चों द्वारा नहीं की जाएगी। बच्चों को उनकी देख-भाल करनी चाहिए। तथापि, यदि दिवसकालीन देख-भाल केन्द्र बनाए जाते हैं तो वे वहां अपने जीवन के अंतिम समय को वहां बितायेंगे और दिन के समय समान विचार वाले लोग इकट्ठा होंगे और अपना दु:ख-सुख आपस में बांटेगे और परस्पर विचारों में आदान-प्रदान से उनको आपसी सहयोग भी मिलेगा। वृद्धाश्रम बनाने के बजाए सरकार को अधिक संख्या में दिवस-देख-भाल-केन्द्र बनाने चाहिए। मलयालम में हम उन्हें 'पगल वीडू' कहते हैं। इसलिए, मैं देश में अधिक संख्या में ऐसे दिवस-देखभाल केन्द्र बनाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

पुन:, हमारे देश में, वृद्धावस्था संबंधी कोई नीति नहीं है। हमारे यहां बहुत-सी नीतियां हैं। हमारे यहां स्वास्थ्य नीति है, खेलकूद नीति

[डा. के.एस. मनोज]

है और ऐसी ही कई नीतियां हैं लेकिन वृद्धावस्था संबंधी कोई नीति नहीं है। मंत्री महोदय को भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था संबंधी नीति बनाने पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि चिकित्सा महाविद्यालयों या सरकारी अस्पतालों में कोई वृद्धावस्था संबंधी स्कंध नहीं है। इसलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। कुछ अनुसंधान और विकास कार्य-किया जाना चाहिए क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी समसयाएं बहुत ही गंभीर हैं।

इसका कारण यह हैं कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई है और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे मधुमेह रोग, उच्च रक्त-चाप आदि बढ़ गये है। इसलिए, कम से कम प्रत्येक जिला अस्पताल में वृद्ध चिकित्सालय होना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर अधिक ध्यान तथा जोर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा इस बिल में दर्शाया गया है, यह बात सही है कि आज पूरे देश के अंदर इसकी जरूरत है, क्योंकि बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। पहले यह परिपाटी थी कि संयुक्त परिवार होते थे, जाइंट फेमिली होती थी, तब जो बूढ़े माता-पिता होते थे, उनकी सियोरिटी थी, उनकी उपयोगिता थी और उनका महत्व था, लेकिन जैसे-जैसे हम पश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़े, वैसे-वैसे बूढ़े मां-बाप की अनदेखी भी बढ़ती गई है। आज जैसा बहन श्रीमती करूणा शुक्ला ने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो पढ़-लिख कर बाहर चले गए, उनके माता-पिता की बेकद्री हो रही है। इसलिए यह विधेयक मुख्य रूप से उन्हीं के लिए लाया गया है।

महोदय, इसमें दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इस बिल पर डिसकशन होता है, तो देखा गया है कि खासकर जो नौजवान हैं, जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, वे इसे देखकर हंसते हैं कि यह क्या बिल है और कैसा बिल है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि कल उन्हें भी बूढ़ा होना है। इसलिए यह जरूरी है कि वे अपने माता-पिता की अच्छी तरह से सेवा करें और हिफाजत करें। अगर वे ऐसा करेंगे, तो आने वाले समय में उनके बच्चे भी उनकी हिफाजत करेंगे।

महोदय, जहां तक माता-पिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भरण-पोषण घोषणा का दावा, जो पहले था, उसमें संशोधन किया गया है। इस विधेयक में, मंत्री जी ने वृद्ध आश्रमों की बात भी कहीं है, जिसमें 150 आवास होंगे। इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जैसा बिल में बताया गया है और कहा गया है कि इन्हें जिला स्तर पर खोला जाएगा। मैं चाहता हूं कि इन्हें ब्लॉक स्तर पर खोला जाए, क्योंकि यह बात सत्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के वृद्ध माता-पिता हैं, वे अपने घर से दूर, शहर में या जिले में जाकर रहना पसन्द नहीं करेंगे। इसलिए यह कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें ब्लॉक स्तर पर बनाया जाए या तहसील स्तर पर खोला जाए, तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी।

महोदय, इसमें वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी चाहे सी. एच. सी., पी. एच. सी., जिले के जो भी हास्पीटल हों या सी. जी. एच. एस. के जो भी हास्पीटल हों, वहां इनका मुफ्त इलाज होना चाहिए। दूसरी बात वरिष्ठ नागरिकों के बारे में अभी हमारी बहन श्रीमती करूणा शुक्ला ने कही कि वरिष्ठ नागरिक, यदि ओल्ड हो जाते हैं, तो उनकी तमाम चल और अचल सम्पति पर उनके बच्चे कब्जा कर लेते हैं। उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि बच्चा लेता है, तो वह मां-बाप की सेवा करने और उनके पालन-पोषण की तब तक की गारंटी ले, जब तक वे जिंदा हैं। जब तक वे जिन्दा हैं, तब तक वह बच्चा अपने माता-पिता की चल और अचल सम्पति लेकर उनका भरण-पोषण करे, यह अनिवार्य होना चाहिए। तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी।

महोदय, जहां तक अपराध, विचारण और वरिष्ठ नागरिकों का आरक्षण और परित्याग की बात है, उसमें आपने केवल तीन माह की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने रखे हैं। यह सफीशिएंट नहीं है। इसमें तो कम से कम तीन साल की सजा और करीब 20-25 हजार रुपए जुर्माना रखिए, तब कहीं जाकर यह प्रभावी होगा। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाने की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के जो वोटर हैं, उनमें से प्रत्येक वोटर को प्रति माह यदि 1750 रुपए पेंशन दी जाए, तो मेरे ख्याल से इस बिल की मंशा भी पूर्ण होगी और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक तथा माता-पिता हैं, वे सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं ग्रामीण विकसित मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में मैं गया था। पहले केंन्द्र सरकार राज्यों को प्रति वृद्ध, 75 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देती थी। 19 नवम्बर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर उसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया

गया है। गोवा सरकार तो अपनी तरफ से 800 रुपए अंश दान कर के 1000 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दे रही हैं और दिल्ली की सरकार 600 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दे रही है।

अन्य राज्य सरकारें कहीं 200 रुपये, जो केन्द्र से मिलता है, केवल उतना ही देती हैं, कहीं 275 रुपये और कहीं 300 रुपये देती हैं। मैं चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो लागू की गई है, उसमें राज्य सरकारों की कम्पलसरी कर दिया जाये कि जो हमारे बी. पी. एल. कार्ड धारक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कम से कम एक हजार रुपये दें। यह करने के लिए राज्यों को बाध्य कर दिया जाये, तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी और हमारे वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण सही तरीके से हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री मोहन जेना** (जाजपुर): महोदय, इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं श्रीमती मीरा कुमार का धन्यवाद करता हूं कि वह "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007" को चर्चा के लिए लाई।

महोदय, समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है। भौतिकता तथा भावनात्मकता दोनो ही दृष्टि से बड़ा परिवर्तन आया है। सदियों से जिस पारम्परिक मूल्य-प्रणाली से हम प्रभावित होते थे, वह अब नहीं रहा। इसमें अत्यधिक बदलाव आ गया है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है और इसलिए परिवर्तन स्वाभाविक है। लेकिन परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए नहीं होता। बदले हुए समाज के नकारात्मक पहलू ही अब अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। हमारे बूढ़े मातापिता, वरिष्ठ नागरिकों तथा वृद्ध एवं असहाय द्वारा लोगों पर इस बदलाव का ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

इस सन्दर्भ में, महोदय मुझे एक उड़िया लघु कथा की याद आ रही है जो मैंने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ी थी। कहानी का नाम है "डाक मंशी" (पोस्ट मास्टर), जिसने एक आम आदमी अपने बेटे को बड़ा होकर बड़ा साहब (बड़ा अधिकारी) बनाना चाहता है। अपने सीमित साधनों से वह अपने बेटे को उच्च शिक्षा प्रदान करता है और उसे अधिकारी बनाने के लिए बहुत त्याग करता है। अंतत: बेटा पोस्ट मास्टर बन जाता है। लेकिन अपने बदले हुए रूतबे से उसकी सोच भी बदल जाती है।

उसे अपने गरीब पिता तथा उसकी साधारण वेश-भूषा पर शर्म आती है। एक दिन वह उसे अपने आलीशान घर से बाहर निकाल देता है। यह छोटी कहानी तब तक के समाज के स्वार्थ को दर्शाती है। समाज में अब इससे भी बुरे परिवर्तन हो गए हैं। हमारे समाज में ऐसे डाक मुंशियों की भरमार हो गई है। मां-बाप अपना सारा लाड़-प्यार अपने बच्चों पर लुटा देते हैं लेकिन जब मां-बाप वृद्ध हो जाते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी से बचने लगते हैं और उन्हें धोखा दे देते हैं। अत:, यह विधेयक बिल्कुल उपयुक्त और सामयिक है जिससे हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी।

महोदय, वर्ल्ड इकॉनॉमिक एंड सोशल सर्वे 2007 की रिपोर्ट के अनुसार, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की जनसंख्या में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 2050 तक, 60 साल अथवा इससे अधिक उम्र के 79 प्रतिशत बुजुर्ग विकासशील देशों में होंगे। देश में बुजुर्ग लोगों की संख्या जो वर्ष 1951 में दो करोड़ थी, बढ़कर 2001 में 7.6 करोड़ हो गई है। 2030 तक, भारत को 20 करोड़ बुजुर्ग लोगों की देखभाल करनी होगी।

गत अक्तूबर, जन हम 'अतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस' मना रहे थे, तो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी गरीब, लाचार और वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। इस दिशा में हमने कितनी दूरी तय की है। क्या यह पता लगाने के लिए कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण प्रणाली है कि मौजूदा पेंशन राशि लक्षित जनसंख्या तक पहुंच रही है अथवा नहीं?

महोदय, ऐसा जान पड़ता है कि सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी ईमानदार नहीं हैं। अनेक परिवारों में संपत्ति के विवाद देखे जा रहे हैं। बहुत से मामलों में, बूढ़े मां-बाप को अपने घरों से निकाल दिया जाता है। या तो वे सड़कों पर भीख मांगते हैं अथवा असहाय वृद्ध चिकित्सा केन्द्रों में पड़े रहते हैं। उनकी चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य की देख-भाल करने वाला कोई नहीं होता। कभी-कभी उनकी हत्या भी कर दी जाती है। हर दूसरे दिन हमें इस प्रकार के समाचार मिलते रहते हैं। विशेषकर शहरों में, इस प्रकार की भावशून्यता एक आम बात है। हमारे देश में लगभग 75 मिलियन बुजुर्ग हैं। हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। यदि हम अपने समाज के कमजोर वर्ग जैसे, बुजुर्गों, अपंगों, दृष्टिहीनों अथवा स्त्रियों की परवाह नहीं करेंगे, तो हम अपने आपको एक कल्याणकारी राज्य कसे कह सकते हैं? सरकार को इस प्रकार के कल्याणकारी उपाय अवश्य करने चाहिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

महोदय, मै मंत्री महोदय का ध्यान विधेयक के कुछ पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रथमत:, अध्याय एक की धारा 2(ख) में उल्लेख किया गया है कि भरण-पोषण में भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सीय देखभाल तथा उपचार शामिल है

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बजुर्ग मां-बाप जानवर नहीं होते, जो केवल न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट हो जाएं। हर कोई सम्मान का जीवन जीना चाहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि मूलभूत अधिकारों में 'जीने का अधिकार' का अर्थ है सम्मान के साथ जीना। अत: इस विधेयक में ''सम्मान'' शब्द का समावेश किया जाना चाहिए।

दूसरे, यदि हम अध्याय दो की धारा 'क' को देखें, तो ऐसा लगता है कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां सरकार अथवा राज्य शब्द का उल्लेख होना चाहिए।

तीसरे अपराध और प्रक्रिया संबंधी अध्याय-चार को पढ़ते समय ऐसा जान पड़ता है कि अपराधी के प्रति नरम रवैया दिखाया गया है। जेल तथा जुर्माने के रूप में, अनुकरणीय सजा का प्रावधान होना चाहिए।

चौथे, इस विधेयक में वृद्धावस्था आश्रम ओल्ड एज होम की स्थापना का उल्लेख किया गया है। जिले की बजाए सभी ब्लॉकों में एक 'वृद्धावस्था आश्रम' होना चाहिए, जिससे वास्तव में लोगों को लाभ मिलेगा। इन आश्रमों में रहने वालों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए और यदि उनकी उपेक्षा की जाती है, तो कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए। सजा कड़ी होनी चाहिए।

अंत में, महोदय मैं मंत्री महोदया का ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देखा गया है कि कभी कभी आश्रमों की देखभाल गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जाती है। बहुत अच्छे रिकार्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों को ही वृद्धावस्था आश्रम चलाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। संदेहास्पद विश्वसनीयता वाले गैर-सरकारी संगठनों को जो धन का गबन कर सकते हो। वृद्धावस्था आश्रम का प्रबंधन नहीं देना चाहिए।

महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, एक अच्छे उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसका उद्देश्य अच्छा है, साध्य अच्छा है किंतु इसको साधने के लिए जो उपाय करना चाहिए, वित्तीय प्रबंध करना चाहिए, उनको छोड़ दिया गया है। वास्तव में यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसको आप, राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं। कुछ अखबारों की आब्जर्वेशंस भी इस पर है।

[अनुवाद]

अब मैं दिनांक 2 दिसंबर, 2006 के 'इंडियन एक्सप्रेस' को उधृत करता हूं:

''वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रस्तावित विधान में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया गया है: आर्थिक समस्याओं का निदान आर्थिक उपायों के जरिए किया जा सकता है।''

[हिन्दी]

अब यह साधन नहीं होगा, तो कैसे बात बनेगी?

[अनुवाद]

अब मैं दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के 'दी टेलीग्राफ' को उधृत करता हूं:

''विवेकपूर्ण और अच्छे ढ़ंग से देखभाल: राज्य को शामिल करने के बजाए वरिष्ठ नागरिकों हेतु यह नया विधेयक अपने वृद्धजनों हेतु अपेक्षित रूप से पूर्ण रूप से जिम्मेदार बनाएगा।''

[हिन्दी]

ऐसा लिखा है सांमत भोसाल ने।

[अनुवाद]

दिनांक 5 मई, 2007 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में यह उल्लेख है कि:

''अच्छी संकल्पना, खराब कानून। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक ...''

[हिन्दी]

इसके बारे में उन्होंने जो बात कही है, उसमे यह देखने वाली बात है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

''विधेयक में संविधान (अनुच्छेद 41) के निर्देशों को पूरी तरह से दर किनार कर दिया गया है जिसमें राज्य को वृद्धावस्था के मामले में जन सहायता करने का निर्देश दिया गया है। विधेयक में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में पहुंच योग्य स्थानों पर कम से कम एक वृद्धाश्रम को ऐसी चरणबद्ध रीति से स्थापित और अनुरक्षित रखेगा

जिसमे कम से कम एक सौ पचास निर्यान वरिष्ठ नागरिकों को रखने के लिए व्यवस्था हो सके..." इसमें आगे कहा गया है: "...'करेगा' की जगह 'कर' का प्रयोग नोट करें।

[हिन्दी]

कोई करेगा या नहीं करेगा, उसकी मर्जी है। अभी तक तो हुआ नहीं है। यह एक अच्छा बिल लाया गया है। इसके उद्देश्य भी बताये गए। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता पर आधारित भरण-पोषण उपलब्ध कराने के लिए यह समुचित तंत्र स्थापित करेगा, तंत्र तो स्थापित किया है, लेकिन यंत्र कहा है? इसको चलाने के लिए जो फ्यूल लगाने वाला है और अन्य चीजें लगने वाली हैं, उन्हें तो छोड़ दिया गया है। वित्तीय ज्ञापन में लिखा गया है कि चूंकि परियोजनाओं को एक चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जाएगा, इसलिए भारत की संचित निधि पर अभी कोई वित्तीय विभिक्षायें नहीं होंगी। अगर वित्तीय निधि नहीं होगी, तो फिर इसे पूरा करने के लिए उपाय क्या होगा? आपने जैसे कहा है कि इनके लिए उपचार की व्यवस्था करने वाले हैं, अध्याय चार में लिखा है-सरकारी अस्पतालें, सरकार द्वारा पूर्णतया या भारतीय वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर प्रदान करेगा। यहां यथासंभव है, इसमें कहना चाहिए कि दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत या कैसा कुछ कहते तो जरूर, उनके लिए कुछ बंधन हो जाता। उनको बांधने की जरूरत है। जो बिल हम लाए हैं, उसमें उनको यह करना ही चाहिए, उनके ऊपर भार डाले बिना यह नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रथक पंक्तियों की व्यवस्था की जाए। ठीक है, उनके लिए अलग लाइन लगाने का काम होगा, लेकिन इसे देखेगा कौन? उन सारी बातों को करने के लिए छोड़ दिया है। असाध्य जानलेवा रोगों के उपचार की सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को दी जायेगी, परंतु उसे खर्च करने के लिए कितना पैसा होगा? असाध्य वृद्ध आयु रोगों के लिए वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों में विस्तार किया जाए-यह बहुत अच्छी बात है, आप इसे करिए। जराचिकित्सा देखरेख में अनुभव रखने वाले कार्य को करना है। खर्च कितना करना है-किसी की बीमारी पर खर्च करने के लिए क्या होगा-उस खर्चे को कौन देगा? यह जरूर है कि इन्टैंशन बहुत अच्छी है, चाह बहुत अच्छी है पर राह कहां है और बिना राह के हम कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे।

स्टैंडिग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। जैसे राज्य सरकारें अधिनियम को अंगीकार करती हैं, वैसे ही उसके प्रावधान को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी जिसमें आवश्यक अवसंरचना स्थापित करना और सुविधाएं प्रदान करना हो सकता है। आवश्यक अवसंरचना के लिए जो आवश्यक जरूरते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इन सारी बातों का लबोलबाब यही है कि बात बहुत अच्छी है। जैसे इंडियन एक्सप्रैस ने लिखा है-गुड आइडिया, बैड ला। ला बैड नहीं है, कानून ठीक है, परन्तु इसके लिए बाध्यता करने के लिए जितना उसे पक्का कर सकते हैं, उतना पक्का करने के लिए उपाय करने चाहिए।

हमारी लोक सभा है। आप यहां हैं, वरिष्ठ लोग भी यहां हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा-कहा गया है कि वृद्ध लोग सब जगह रहने चाहिए। लेकिन वृद्ध बचेंगे तभी रहेंगे। यदि हम उनकी सुरक्षा करेंगे तभी वे बचेंगे। वृद्ध न ते वदान्ति धर्मम्-वृद्धों के बारे में कहा गया है कि जो धर्म की बात करे, व्यवहार की बात करे, आचरण की बात करे, सिद्धान्त की बात करे, वह वृद्ध है। धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति-जहां सत्य नहीं है, उसे धर्म नहीं कहा गया है। सत्यं न तद् यत् छलम अभ्युपैति-जहां छल है वह सत्य नहीं हो सकता। इन सारी बातों की रचना करने के लिए, सेवा करने के उपाय करने के लिए कार्य करने चाहिए। देश की आबादी में यह संख्या बढ़ती जा रही है। 1951 में 60 वर्ष की आयु के दो करोड़ लोग थे, 1991 में बढ़कर 5.7 करोड़ हो गए, 2007 में 7.6 करोड़ हैं, 2013 में इसका प्रोजैक्शन 19.8 करोड़ आया है। वृद्ध भारत हो जाएगा पर समृद्ध भारत होने के लिए, इन वृद्धों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे। उम्र बढ़ रही है क्योंकि उपचार की सुविधाएं बढ़ रही हैं। 1947 में यह 29 वर्ष थी और अब 63 वर्ष हो गई है। जैसे-जैसे लोग होते जा रहे हैं, उन लोगों की चिन्ता करने का काम यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल का हर चैप्टर बहुत अच्छा है, सारे चैप्टर्स वैल थाट हैं, बहुत अच्छा विचार करके दिया गया है। परन्तु जब तक शैल नहीं करेंगे, करना ही है, करने के लिए क्या उपाय करने वाले हैं। वित्त मंत्री जी की एक स्टेटमैंट थी। उन्होंने उसमें भी कहा है कि हम इसके लिए प्रबंध करने वाले हैं। प्रबंध कीजिए और प्रबंध के साथ ही कानून लागू कीजिए। ...*(व्यवधान)* इन सब बातों को करने के लिए जो साधन चाहिए, उनके बिना बात बनने वाली नहीं है। वृद्ध लोगों के बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है। देश में वृद्धों की समृद्धि के लिए जीवनभर कितना योगदान किया है, निश्चित रूप से उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उपाय हो सकता है, लेकिन सरकार इसे करे, राज्य इसे करें।

सायं 7.53 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां आ गए हैं। वे भी इन सारी बातों को करने के लिए उद्यत होंगे। परन्तु होगा कैसे और उसे करेगा कौन, सब हैं मौन, आगे होगा कौन। इसे पूरा करने के लिए मैं वित्तीय प्रबंध करने का आग्रह कर रहा हूं। वैसे भी हमारे यहां कहा गया है-

अभिवादन शलिस्य
नित्य वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वृद्धयन्ते
आयुः विद्या यशोवलम्

[श्री डॉ. सत्यनारायण जटिया]

इसलिए इन सारी बातों को करने के लिए, वृद्धों का सम्मान करने के लिए, वृद्धों का उपचार करने के लिए और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारे देश में तीन हजार संस्थाएं हैं, ओल्ड एज होम में एक वृद्ध को रखने के लिए दस हजार रुपये का खर्च होता है। दस हजार रुपये का खर्च कैसे होगा। वृद्धावस्था अपने आपमें एक बीमारी है, इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए, वृद्धावस्था के साधनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। आप भी इस श्रेणी में हैं, परन्तु बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं और आएंगे ही, क्योंकि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है, उसकी वृद्धावस्था को आना ही होता है। इसलिए इन सब बातों के लिए जो उपाय करने चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने इस बिल को बहुत परिश्रम करके बनाया है, परन्तु उस परिश्रम को सार्थकता देने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होने की बजाए, सही कार्य करने के लिए, आवश्यक प्रबंध करने के लिए हम क्या उपाय करने वाले हैं। वित्तीय प्रावधानों में उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उपाय किए गए हैं, उसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

आखिर में कहा गया है कि विद्यमान अवसंरचना का इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाएगा, इससे कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है। इतना प्रबंध हम करना चाहते हैं, वृद्धों के बारे में अच्छा बोलना चाहते हैं, वृद्धों के बारे में कार्य करने की भावना भी बहुत अच्छी है। किन्तु इसको पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए, उन साधनों को दिये बिना, अच्छी बात बोलने से यदि सेवा हो जाती है, तो जरूर उसे पूरा करना चाहिए। किन्तु मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अच्छा करने के लिए अच्छे साधनों की भी आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार जरूर उपाय करेगी।

महोदय, जो यह बिल लाया गया है, वह एक अच्छी भावना से लाया गया है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उसका वित्तीय प्रबंध करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना ज्यादा समय न लें। पहले ही विलंब हो चुका है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री शिवन्नाजी, मैं और आप तो अभी कई वर्षों के बाद दो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आएंगे।

हमें इसे राष्ट्रपति भवन के पास भेजना है। कृपया एक मिनट का समय लें।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, माननीय मंत्री, श्रीमती मीरा कुमार जी वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधेयक लाई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री को सभा के समक्ष ऐतिहासिक विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारा देश संयुक्त परिवार प्रथा के लिए जाना जाता है लेकिन इन दिनों संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। पहले परिवार के सभी सदस्य माता-पिता और बच्चे एक छत के नीचे रहते थे जैसा कि इसका उल्लेख मेरी सहयोगी श्रीमती करुणा शुक्लाजी द्वारा किया जा चुका है, अनेक आई.ए.एस., आई.पी.एस. और अन्य शीर्ष अधिकारियों के माता-पिता काफी कष्ट का सामना कर रहे हैं। इन अधिकारियों के मां-बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, अधिकारी बनाने तथा उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। दुर्भाग्यवश इन बच्चों के कुछेक मां-बाप के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। अपने गांव के चार सदस्यों अर्थात माता-पिता और दो बच्चों वाले एक परिवार का उदाहरण देता हूं। अब दोनों बच्चे अधिकारी बन गए हैं, उनके माता-पिता ने उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए हर चीज की कुर्बानी दी लेकिन अब माता-पिता को दोनों बच्चों द्वारा सड़कों पर फेंक दिया गया है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसे माता-पिता जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य निर्माण हेतु इतनी कुर्बानी दी बुढ़ापे में उनकी उपेक्षा की जाती है।

इसलिए, मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातों का ही सुझाव देना चाहता हूं। जाति, नस्ल, लिंग का ध्यान न रखते हुए सभी वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम 2000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों और निजी नर्सिंग होमों में सभी वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों हेतु बीमा योजना लानी चाहिए और सरकार द्वारा ही वरिष्ठ नागरिकों की ओर से प्रीमियम धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार को पंचायत स्तर पर वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।

चूंकि वरिष्ठ नागरिकों हेतु रेलगाड़ी और बस यात्रा में रियायत दी जाती है इसलिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु हवाई सेवा में भी इसी तरह की रियायत दी जानी चाहिए।

सरकार को सभी मामलों में वरिष्ठ नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और मैं आपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय: अभी आठ बजे हैं। हम आप सबकी सहमति से सभा का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा रहे हैं। उस समय तक हम इस विधेयक को पारित कर लेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं इस बिल का समर्थन कर रही हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि आज बहुत अच्छे समय पर यह बिल लेकर आई है। आज हमारे देश की आजादी के 60 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों की हालत क्या है। आज लोग अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनको बोझ समझते हैं। माता-पिता कितने कष्ट सहन करके, अपने सुखों का विसर्जन करके अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं। जैसा माननीय सदस्या श्रीमती करुणा शुक्ला ने कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूं कि अगर मां-बाप कोर्ट में भरण-पोषण के लिए सेक्शन 125 के तहत अपनी संतान के विरुद्ध केस शुरू करते हैं, तो वे कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका विरोधी भी उनका अपना ही खून होता है। वे उनके माता-पिता होते हैं, लेकिन संतान उनके लिए कुछ नहीं करना चाहती है। यह बिल, जिसके बारे में तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसका मैं भी समर्थन करती हूं। आजकल यह जो न्युक्लियर फैमिली की व्यवस्था चल रही है अर्थात "हम दो-हमारे दो" जिसमें माता-पिता के लिए स्थान नहीं होता है, उसका कुप्रभाव छोटे बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि परिवार में उनको कहानी सुनाने वाला कोई नहीं होता है और वे बच्चे अधिकांश समय टीवी देखते रहते हैं। इसका असर हम यह देख रहे हैं कि बच्चे क्रिमिनल्स होते जा रहे हैं। इसलिए यह बिल बहुत अच्छा है। आपने ओल्ड एज पर्सन्स के बारे में जो प्रावधान किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ब्लाक लेवल पर भी ओल्ड एज होम्स होने चाहिए, जिनके लिए धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।

समय की कमी होने के कारण मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए यहीं अपनी बात समाप्त करती हूं और यह बिल लाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे हस्तक्षेप करते हुए दुख हो रहा है लेकिन इस विधेयक को कल राज्य सभा के पास जाना है और इसे इस सत्र की समाप्ति से पहले पारित होना है। यही कठिनाई है। मैं आपसे सहमत हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे लगा कि मेरी वर्षों की मांग पूरी हो रही है। मैंने इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन्स को देखा तो इसमें पाया कि कोई वित्तीय प्राविजन नहीं है क्योंकि इसमें सरकार पर कोई खर्चा नहीं आ रहा है। सरकार, जो बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनके लिए कानून बनाकर ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से इस कानून को लागू करना चाहती है, लेकिन यह काम केवल कानून बनाने से होने वाला नहीं है। यह काम किसी कानून से नहीं होगा क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति और परम्परा पूरे विश्व में उच्चतम रही है। जैसा उन्होंने बताया कि सास भी कभी बहू थी, तो अब बहू को भी देखना चाहिए कि वह भी कभी सास बनने वाली है। कहा जाता है कि महिला ही महिलाओं का शोषण करती है। मैंने देखा है कि आजकल बच्चे अपने माता-पिता से ज्यादा अपने सास-ससुर से प्यार करते हैं। हमारी संस्कृति में यह परिवर्तन आया है कि सास-ससुर उनको ज्यादा प्यारे लगते हैं। विदेश में मेरा एक मित्र था। उससे मैंने सुना था कि जब उसके पिता जी का देहांत हुआ उस समय वह आफिस में था। जब उसे पता चला कि उसके पिता जी का देहांत हो गया है तो उसने फोन पर कह दिया कि कांट्रैक्ट दे दीजिए और पिता जी के शव को ले जाकर जलवा दीजिए। यह विदेशी संस्कृति है। लेकिन हमारे देश में हजारों वर्षों से संस्कृति यह रही है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करते हैं।

हमारे संत सेवाल लाल जी महाराज ने कहा था-रुपए में कटोरे जितना पानी बिकेगा, बेटे को मां भारी पड़ेगी। आज वैसे ही हालत हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में इसके प्रचार-प्रसार का भी प्रावधान करना चाहिए और टी.वी. तथा रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार होना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसका प्रचार इस समय भी टी.वी. पर हो रहा है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: आजकल जो हमारे संत बता रहे हैं उसका भी टी.वी. पर प्रचार होना चाहिए। वे लोग अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और समाज में हमारी सभ्यता तथा संस्कृति को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

यह बिल केवल मरहम पट्टी है इसलिए इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। राजीव गांधी निराधार योजना और इंदिरा गांधी निराधार योजना जो चल रही है, उसमें राशि की बढ़ोतरी करें। हम जब गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग के पास पैसा होता है तो उससे सारे मीठी-मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उसके पास साधन होता है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हर वोटर को आप 1750 रुपए दे दें, इससे सारी बातें हल हो जाएंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी अब बोल सकती हैं। आपने अपने शुरूआती भाषणों में इन सभी बातों का उल्लेख किया है।

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति महोदय, सोलह माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं उनके द्वारा पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए उनकी आभारी हूं। मैं उनके द्वारा बहुत ही मूल्यवान सुझाव देने के लिए भी आभारी हूं।

मैं जितनी बातें कही गई हैं उन सभी पर विस्तार से बोलती लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं कहूंगी कि उनके सभी सुझावों, आपके सुझावों और माननीय सभापति के सुझावों को भी गंभीरता से नोट कर लिया गया है और इस विधेयक को पारित करते समय हम उन सब पर विचार करेंगे। नि:संदेह हम नियम और विनियम भी बनाएंगे और हम विभिन्न योजनाएं बनाने जा रहे हैं। मैं ऐसा करते समय इन सभी महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करूंगी।

महोदय, मैं आपको और सभी माननीय सदस्यों से यही कहना चाहती हूं कि सभा का यह मानना है कि हम अपने बड़े-बुजुर्गों का काफी आदर करते हैं और उन्होंने हमारे समाज और हमारे देश की जो सेवा की है, उसकी कीमत हम समझते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इस विधेयक के माध्यम से हम उन्हें हमारे दिल में उनके प्रति जो आदर और जो उनका स्थान है, उसे देना चाहते हैं। हम उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि हम उनका कितना ध्यान रखते हैं और हम उनके लिए कितना कुछ करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: इस विधेयक में कोई विवाद नहीं है।

प्रश्न है कि "संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

संशोधन किए गए खंड 2 परिभाषा

पृष्ठ 2, पंक्ति 23 और 24,–

"तथा जिसमें माता-पिता सम्मिलित हैं चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हैं, या नहीं" का लोप किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'(ट) "कल्याण" से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन केन्द्र और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रत है। (2)

(श्रीमती मीरा कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 5 भरण-पोषण के लिए आवेदन

संशोधन किए गए

पृष्ठ 3, पंक्ति 34-

"यथासंभव" का लोप किया जाए। (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"परन्तु यह कि अधिकरण, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि का, एक बार तीस दिनों की अधिकतम अवधि के लिए लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विस्तार कर सकेगा।" (4)

(श्रीमती मीरा कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिय गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 भरण-पोषण अधिकरण का गठन।

संशोधन किए गए

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 और 8,-

"राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकेगी" के स्थान पर "राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित करेगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(श्रीमती मीरा कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 8 से 30, विधेयक में जोड़ दिये गये।

नियम 80 (क) के स्थगन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती मीरा कुमार: मैं प्रस्ताव करती हूं: "कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 30 (क)

संशोधन किए गए केन्द्रीय सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।

पृष्ठ 10, पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"30क केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति का कालिक पुनर्विलोकन और निगरानी कर सकेगी।" (6)

(श्रीमती मीरा कुमार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि नया खंड 30क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खण्ड 30क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती मीरा कुमार: मैं प्रस्ताव करती हूं: "कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, अगर इसी विषय पर अन्य सदस्य

बोलना चाहें, तो मेरे विचार से केवल विषय से सहमत सदस्यों को ही अनुमति दी जायेगी।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, यूपीए सरकार के केन्द्र में आने के पश्चात 580 नई लाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें से लगभग 250 परियोजनाओं के सकारात्मक सर्वेक्षण परिणाम रेल मंत्रालय को सौंप दिये गये तथा ये विचाराधीन लंबित हैं।

ऐसी ही लम्बित पड़ी रेल परियोजना इरोड-पलानी नई रेल लाईन है। यह धर्मपुरम से होकर जाती है तथा यह चित्रैमलामी से कांगायाम को जोड़ती हैं। कांगायाम वस्त्रों, आधुनिक चावल मीलों और निर्मित सामान आदि के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं स्थानों से देश के विभिन्न भागों तथा विदेश में चावल का निर्यात यातायात के विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाता है इसके अलावा चिन्नेमलायी और पलानी भगवान कार्तिक का प्रसिद्ध निवास स्थान है और यह देश के और विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।

अत: मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इरोड से पलानी तक धर्मपुरम के रास्ते जाने वाली नयी रेल लाइन को प्राथमिकता दी जाये। इसको शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और आने वाले बजट में इस परियोजना के लिए आवश्यक निधियों का आबंटन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे (अकोला): महोदय, मध्य रेलवे के अकोला-खंडवा रेल लाइन के गेज परिवर्तन कराने की मांग बहुत दिनों से हम करते आए हैं। यह रेल लाइन पचास वर्ष पुरानी है, जो काचीगुडा-अजमेर के बीच चलाई जाती थी। काचीगुडा से पूर्णा तक का गेज परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है, जबकि आगे अकोला तक का काम फरवरी 2008 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे आगे अकोला-खंडवा स्टेशन तक का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की बहुत जरूरत है। इस महत्वपूर्ण योजना से दक्षिण तथा उत्तर भारत को नजदीक लाया जा सकेगा और इससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का काफी हद तक विकास होगा।

मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह कृपया इस महत्वपूर्ण गेज परिवर्तन के काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[अनुवाद]

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): महोदय, केन्द्र सरकार ने विशेष निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण की गई सभी सड़कों की चौड़ाई कम से कम आठ मीटर की जाये। साथ ही केन्द्र ने सुझाव दिया कि निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता का मूल्यांकन करने के लिए संसद सदस्य तथा अन्य प्रतिनिधियों और अधिकारियों को छह माह में कम से कम एक बार सड़क जांच करनी चाहिए। केरल भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे जनसंख्या घनत्व, भूमि के अधिग्रहण में कठिनाई तथा भूमि के बढ़ते मूल्य। केरल की भौगोलिक-सामाजिक स्थिति को देखते हुए सभी पीएमजीएसवाई के तहत सभी सड़कों की चौड़ाई को आठ मीटर से घटा कर छह मीटर किया जाना चाहिए। केरल सरकार केन्द्र सरकार को पहले ही यह निवेदन कर चुकी है। केरल में सड़क निर्माण के लिए यह सबसे अच्छा मौसम है। अत: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की न्यूनतम आवश्यक चौड़ाई को आठ मीटर से घटा कर छह मीटर करने के आदेश केन्द्र सरकार को तुरंत जारी कर देने चाहिए।

रात्रि 8.18 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

[अनुवाद]

****श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चामराजनगर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ननजुनगुड को 'दक्षिण काशी' के नाम से जाना जाता है। भगवान ननजुनदेश्वर इस पवित्र स्थल के देवता हैं। तलकाडु 'पंचलिंग दर्शनम' के लिए प्रसिद्ध है। 12 वर्षों में एक बार पंचलिंग दर्शन होते हैं। मुदुकुटोर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। श्री मल्लिकार्जुनस्वामी और श्री ब्रह्मरंभा मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सोमनाथपुरा का 'केशव' मंदिर होयसल स्मारकों का एक भव्य स्थान है। मलाई महादेवेश्वर पहाड़ी पर महादेवेश्वर स्वामी मंदिर तथा बिलिगिरी रंगना पहाड़ी पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। बादीपुर पक्षी अभ्यारण्य और नागरहोल लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं। परन्तु, विडम्बना यह है कि इन सभी प्रसिद्ध स्थानों पर सड़क, अतिथिगृह, स्नानगृह, शौचालय तथा परिवहन सुविधाओं जैसी मूलभूत अपसंरचनाएं विद्यमान नहीं हैं। प्रतिदिन तीर्थयात्री और पर्यटक भारी संख्या में इस स्थान पर आते हैं। परन्तु पेयजल, ठहरने और भोजन जैसी आधारभूत संरचना पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण तीर्थयात्री

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
**मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना सुविधाएं प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर): महोदय, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर शहर में स्थित इंडियन केबल कम्पनी विगत सात वर्षों से बंद पड़ी है। इस कम्पनी में हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। कम्पनी के बंद होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और कई लोग काल-कलवित हो चुके हैं। अत: जनहित में आपसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र इंडियन केबल कम्पनी को चालू कराया जाए।

[अनुवाद]

***श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, धन्यवाद, मुझे कन्नड़ में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। कर्नाटक के लोग कन्नड़ को ''प्राचीन भाषा' के रूप में मान्यता दिलाने की मांग करते हुए रेल रोको, सड़क रोको प्रदर्शन आदि में भाग लेते रहे है।

महोदय, कर्नाटक चार दक्षिण राज्यों में से एक है। इसकी भाषा कन्नड़ है। इसका इतिहास 2000 वर्षों से अधिक का है। भारत सरकार ने तमिल भाषा को पहले से प्राचीन भाषा का दर्जा दे रखा है। तमिल भाषा की तरह कन्नड़ भाषा भी द्रविड़ भाषाओं में से एक है। इसमें प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त करने की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। मैं, आपके माध्यम से कन्नड़ भाषा की इन विशेषताओं को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, कन्नड़ भाषा के 25,000 शिलालेख महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाए गए हैं। कन्नड़ का पहला शिलालेख 'हल्मिदी' 450 ए.डी. में तैयार किया गया और प्राचीन पुस्तक कविराजामारगा 850 ए.डी. में लिखी गई थी।

दसवीं शताब्दियों के कवियों जैसे कि पम्पा, राना, जाना, पोना और 12वीं शताब्दी के वनचनकारा की रचनाओं जैसे कि जगज्योति-बसवेश्वर, अक्का महादेवी, आल्लमा प्रभु ने कन्नड़ भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। आधुनिक युग में कन्नड़ भाषा ने सात ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं जो कि देश में साहित्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। कविन्द्र, डी. आर. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मस्ती वेंकटेश अयंगर, वी.के. कोकक, यू.आर. अनंतमूर्ति और गिरीश कर्नाड को यह पुरस्कार मिला है। मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, कन्नड़ भाषा के कवि, साहित्यकार डा. डी. जवारगोडा ने कन्नड़ भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल (आमरण अनशन) की।

महोदय, कन्नड़ मेरे रग-रग में बसा है और यह मेरे खून में है। अत:, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कन्नड़ भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा देते हुए तत्काल कदम उठाए। अन्यथा इससे राज्य में शांति तथा कानून और व्यवस्था प्रभावित होगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मोहतरम डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपकी विसातत से सरकार और खास तौर से रेलवे मिनिस्ट्री से एक इसतदवा करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र जम्मू, पूंछ पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएंसी, जो देश में सबसे बड़ी कांस्टीटुएंसी है, इसमें 20 असैम्बली सैगमेंट हैं। इसमें सारी असैम्बली सैगमेंट्स एक्यचुअल लाइन आफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बार्डर के साथ लगे हुए हैं। सारे देश में बड़ी तेजी के साथ रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा है, खास तौर से जम्मू-कश्मीर में, जम्मू-उधमपुर-बारामूला-काजीकुंड रेल लाइन बिछाई जा रही है लेकिन जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ है, ये रेलवे लाइन से जम्मू से जुड़ने से महरूम हैं। वहां बहुत से आर्मी के डिवीजन हैं और वहां देश के कोने-कोने से आए हुए फौजी सर्विस करते हैं। आपको पता है पिछले सालों में मिलिटेंसी के दौरान बहुत सी आईडीज के जरिए बहुत नुकसान हुआ है जिसमें आर्मी के फौजी जवानों की जानें भी गई हैं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं आने वाले बजट में जम्मू से राजौरी, पुंछ वाया अखनूर रेलवे लाइन के लिए सर्वे कराया जाए और आने वाले बजट में उसके लिए पैसे का प्रावधान रखा जाए ताकि उसका फेज्ड मैनर में काम शुरू हो सके जिससे लोगों की लांग पेंडिंग डिमांड पूरी हो सके।

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा): महोदय, देश में रक्षा विभाग द्वारा स्थापित डिपो में जो अवघात होते हैं इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए गांव, कस्बे और क्षेत्र में सुरक्षा के उपाय किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में कई बार मांग की गई लेकिन वह नहीं हो पाया। मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में पुलगांव डिपो है, जहां तीन बार एक्सीडेंट हुए हैं, बम फटने की वजह से आग लगी। ऐसी स्थिति में गांव को खाली करने का काम करना पड़ा तब गांव में भागदौड़ मची जिसकी वजह से एक-दो लोगों की जानें गई। लेकिन अभी तक वहां सुरक्षा व्यवस्था के उपाय नहीं हो पाए है। अत: मैं सरकार से और संबंधित विभाग से अनुरोध करता हूं कि ऐसे गांव जो, उस डिपो के समीप हैं, वहां सुरक्षा के उपाय और सुविधाएं करना बहुत आवश्यक है। कई गांवों में बिजली,

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सुरेश वाघमारे]

सड़क, पानी की भी सुविधाएं नहीं हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि ये सब सुविधाएं डिपो से लगे हुए सभी गांवों में उपलब्ध कराएं और उन गांवों के लोगों को राहत दें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, देश भर में ढाई करोड़ से अधिक मुकदमे फैसले की बाट जोह रहे हैं। इस कारण देश में कितने परिवार परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 साल के बाद भी मुकदमे का फैसला नहीं हो पाया है। एक महिला ने 37 वर्ष जेल में गुजारते हुए वहीं दम तोड़ दिया लेकिन मुकदमा लंबित ही है। यह न्यायिक प्रक्रिया तो अपने देश में है। लोगों का अब भरोसा ही उठने लगा है कि उन्हें समय से न्याय भी मिल सकता है या नहीं? लोगों का न्यायालय से मोह भंग हो रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक बात है। विधि आयोग की सिफारिश का पालन नहीं हो रहा है ताकि जजों के रिक्त स्थानों को भरा जाए और संख्या पांच गुना की जाए। एक समस्या और भी है कि पीआईएल एवं अन्य मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और न्यायालय भी इसमें दिलचस्पी लेता है क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित होते हैं। पूरे एक दिन में सिर्फ पीआईएल ही न्यायालय का समय ले लेता है और सैकड़ों अन्य लंबित मामले लटकते चले जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार कर अविलम्ब कदम उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती इआंसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अविलंबनीय लोक महत्व का मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं।

यह पूरे देश में स्कूलों तथा कालेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण के बारे में है। एनसीसी की संकल्पना 1917 में की गई थी जब यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना करके सशस्त्र बलों में सैनिकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम प्रस्थापित किया गया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदेश पर देश के युवाओं को प्रशिक्षण देने और प्रोत्साहित करके जीवन के हर पहलू में बेहतर नागरिक और नेता बनने के लिए एनसीसी की स्थापना की गई थी। यह युवाओं को व्यक्ति और समुदाय के बीच, समुदाय और प्रकृति के बीच तथा अपनी अंतर-निर्भरता के लिए घनिष्ठ संबंध का अनुभव करने में सहायता करती है।

समाज विरोधी गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण एनसीसी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हाल में, पिछले कुछ दिनों में स्कूलों, कालेजों में एनसीसी की भूमिका घट रही है। जबकि इस समय इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सभी सरकारी स्कूलों तथा कालेजों में एनसीसी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। परन्तु अब छात्रों को छूट दे दी गई है कि वे उसमें शामिल हों अथवा नहीं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में यह नि:शुल्क होनी चाहिए और प्राइवेट तथा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में एनसीसी प्रशिक्षण की लागत एनसीसी और प्राइवेट स्कूलों। कालेजों के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। लक्षित समूह में एनसीसी तथा एनसीसी में शामिल होने के पश्चात छात्रों को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेष अभियान शुरू किये जाएं। रक्षा बलों की तरह, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में नौकरियों के लिए भी चयन प्रक्रिया में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाए।

अत:, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एनसीसी प्रशिक्षण को अधिक लोकप्रिय तथा सफल बनाने हेतु तथा जिस कार्य के लिए इसे संसद के अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, उसके लिए आवंटित की जाने वाली राशि को बढ़ाए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतवर्ष में लाखों पुरुष, महिलाएं और बच्चे आर्थिक विवशता के कारण कचरा बीनकर जीवनयापन करते हैं तथा बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे हैं। सिर्फ दिल्ली शहर में लगभग साठ हजार लोग कचरा बीनकर उसकी छंटाई और निपटान करते हैं और प्रतिदिन लगभग एक हजार टन कचरा ये लोग बीनते हैं। लेकिन उनके लिए न तो आवास की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है और न ही सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उन्हें मयस्सर हैं। इसलिए उनका शोषण भी हो रहा है। ये सभी लोग एक रीसाइक्लिंग उद्योग के हिस्से हैं, परंतु उपयुक्त नियमों और कानूनों के अभाव में शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कचरा बीनने वालों की दशा पर गौर करते हुए उन्हें उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करे और इसके लिए नियम-कानून बनाये।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, नोमैडिक ट्राइब्स और डिनोटिफाइड ट्राइब्स की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में जो जनता है, उसे इस देश की नागरिकता, वोट देने का अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। जिन लोगों के बारे में मैं बार-बार बात कर रहा हूं, आज भी ऐसे 15 करोड़ से अधिक लोग देश में हैं। जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि कचरा बीनने वाले, बंदर नचाने वाले और सांपों का खेल दिखाने वाले ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं है। यहां

जो नंदी घाई घूमते हैं, ऐसे करोड़ों लोग हमारे देश में हैं जो डिनोटिफाइड डोमैडिक ट्राइब्स कहलाते हैं, इन लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। एक बार परमपूज्य बाबा अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी जी से सीधा प्रश्न पूछा था-

[अनुवाद]

"गांधी जी, मेरी मातृभूमि कहां है?"

[हिन्दी]

उन्होंने केवल प्रश्न ही नहीं पूछा था, बाबासाहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किया है, उसमें यह लिखा गया है-

अनुच्छेद 16 (4)में यह उपबंधित है:

"यह अनुच्छेद किसी भी पिछड़ी जाति के नागरिकों के पक्ष में पदों अथवा नियुक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान बनाने के लिए राज्य को नहीं रोकेगा।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, वह पूछें?

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक इसका इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है। इसमें बैकवर्ड क्लास ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, मेरा क्वैश्चन यह है कि मैं 15 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। सरकार एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनौरटीज़ की बात करती है लेकिन डिनोटिफाईड नोमैडिक की कोई बात नहीं करता है। पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर सब जानते थे कि डिनोटिफाईड नोमैडिक क्या है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री हरिभाऊ राठौड़: इस संबंध में योजना बनाई जाये। हम लोग बार-बार मांग कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए प्रावध ान किए जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? मैं जानना चाहता हूं आपका प्रश्न क्या है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, आप इन्हें कैसे न्याय दे सकेंगे?

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): भारत विश्व का दूसरा सर्वाधि क जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व 274 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 26 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में, केरल सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। केरल के पास देश का एक प्रतिशत क्षेत्र है, पर कुल जनसंख्या का 3.44 प्रतिशत है। केरल में जनसंख्सया का घनत्व 819 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह लगभग राष्ट्रीय औसत का तीन गुना है।

महोदय, मेरा जिला अल्लापुजा देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जिसका घनत्व 1496 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह लगभग राष्ट्रीय औसत का छह गुना है।

पीएमजीएसवाई द्वारा दिया गया दिशानिर्देश यह है कि पीएमजीएसवाई सड़क के लिए चौड़ाई आठ मीटर है। घनी जनसंख्या वाले राज्य जैसे केरल में, यह मापदंड जमीनी सच्चाई अर्थात राज्य के भौगोलिक विशेषताओं से परे है। इसलिए, धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया।

इसलिए, केरल सरकार ने पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए चौड़ाई को आठ मीटर से घटाकर छह मीटर करने की छूट देने का आग्रह किया है। अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मापदंड को आठ मीटर से घटाकर छह मीटर कर दिया जाए ताकि धनराशि का समुचित उपयोग गांव के गरीबों को मौसम की मार झेल सकने वाली सड़कें उपलब्ध करवाने में किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष हमारा देश है जिसकी सीमायें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन सम्पूर्ण सीमाओं पर तारबंदी नहीं की गई है। यह बात सही है कि वहां हमारे सैनिक निश्चित रूप से खड़े हैं जिनके कारण हम बचे हुए हैं। पाकिस्तान में लोगों को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और वहां से हथियार भी आते हैं, अफीम की तस्करी की जाती है। चीन से भी लोग आते हैं। अत: तस्करी रोकने के लिए तथा भारत की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तारबंदी अविलम्ब की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बाड़मेर जिले में आतंकवादी आकर जमीनें खरीद रहे हैं। इस संबंध में रोक लगाई जानी चाहिए। वास्तव में, अगर सीमा पर किसी को बसाना आवश्यक है तो किसान मौजूद हैं लेकिन किसानों की फसल बारबाद हो रही है। वहां पर सैनिकों को बसाया जाये और तारबंदी की जाये। इसके अलावा किसानों को उनकी जमीन पर तारबंदी किये जाने के बाद

[श्री गिरधारीलाल भार्गव]

अनुकम्पा राशि दी जाये। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर सीमा पर सैनिकों को बसाया जाये। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए इस ओर केन्द्र सरकार का ध्यान जाना नितांत आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, हम सबको गर्व है कि कुछ महीने पहले हम वरिष्ठ नागरिकों और अपने माता-पिता को सम्मान देने के लिए विधेयक पारित कर सके। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के पेंशनधारियों को पेंशन के रूप में काफी कम धनराशि प्राप्त हो रही है। क्या यह पाखंड नहीं है? हम कहते हैं कि हम उन्हें सम्मान देने जा रहे हैं। लेकिन उसी समय हम अपने बड़ों तथा वरिष्ठों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, उन स्थानों के लिए जहां वे रहते हैं तथा अपने परिवारों के लिए बहुत मेहनत की है। इस श्रेणी के तहत लगभग 80 लाख लोग आते हैं।

ईपीएफ फंड काफी बढ़ चुका है। यह लगभग 30,000 करोड़ के लगभग है और सरकार इसे स्टाक बाजार में निवेश करके और पैसा कमाने का प्रयत्न कर रही है।

वह और पैसा बनाना चाह रही है। यह अच्छा है। लेकिन क्या हम इन गरीब लोगों को भूल सकते हैं? वे अब अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा सविनय निवेदन यह है कि इस पवित्र दिवस पर जब हमने इस महान विधेयक को पारित किया है जो एक अधिनियम बन चुका है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री तथा साथ ही साथ सरकार से आग्रह करता हूं कि पेंशन को शीघ्रातिशीघ्र संशोधित किया जाए और तत्काल ही उन्हें कुछ अंतरिम राहत दी जाए। क्योंकि लंबे समय से उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकृत किया है जिसमें केन्द्र सरकार से राज्य की राजधानी, तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय का एक स्थाई बेंच स्थापित करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। यद्यपि, संकल्प बहुत पहले पारित हो गया था, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया और वादा भी किया कि वह पूरा खर्चा उठाएगी। फिर भी, काम नहीं हुआ।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से बिना किसी देरी के तिरूवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय का एक बेंच स्थापित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदय, यह मौका मुझे देने के लिए आपका धन्यवाद।

आदिम जनजातीय समूह को सुरक्षा तथा जीने के अधिकार की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में 12 आदिम जनजातीय समूह हैं। उन्हें अब अस्तित्व का खतरा है, विशेषकर चेंचू समुदाय को। दिन-ब-दिन पीटीजी की कुल जनसंख्या घटती जा रही है। यदि हम 1961 की जनगणना देखें तो उनकी कुल जनसंख्या 1,23,269 थी। 1971 में बढ़कर यह 1,95,264 हो गई। दस वर्ष बाद यह 1,89,968 हो गई। 1991 में यह 1,86,078 हो गई। इस प्रकार इनकी जनसंख्या बढ़ गई। वे कृष्णा नदी के दोनों ओर कुरनूल, गुंटुर, प्रकासम तथा महबूबनगर के नल्लामल्ला फारेस्ट रिजर्व क्षेत्र में रहते हैं। इन जिलों में लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर का नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। चेंचू के 25 गांवों से 2500 परिवारों को बेदखल कर दिया गया बिना उनके अधिकार को जाने।

उदाहरण के लिए, चेंचू के लगभग 12 रिहायशों को अप्पापुर तथा मैदान में अन्य चेंचू गांवों को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके अलावा, वन विभाग उन्हें वहां से भी बेदखल करने की धमकी दे रहा है क्योंकि यह रिजर्व फारेस्ट के तहत आता है।

अत:, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि वहां रहने के उनके अधिकार पर विचार करे और उनकी मदद करे। इन परिवारों को 10 लाख रुपए देने का तथा प्रत्येक परिवार को खेती के लिए दो एकड़ जमीन देने का वादा किया गया था।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह इम्फाल में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के बारे में है। यह एक स्वागत योग्य निर्णय है कि मणिपुर में इस संस्थान की स्थापना प्रधानमंत्री पैकेज का एक हिस्सा था। दुर्भाग्यवाश, जहां तक स्थान के चुनाव का संबंध है, पहले स्थान क्यामगी लूकोन में चुना गया था। लेकिन इसे बदल दिया गया और अब उन्होंने लांगोल पट्टा भूमि क्षेत्र तथा लाम्फेलपट में नम भूमि में स्थान चुनने का प्रस्ताव दिया है। परिणामस्रूप, उन क्षेत्रों की बड़ी संख्या में जनजातीय जनसंख्या बहुत संशकित हो गई है। एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया गया है। छात्र, जनजातीय जनसंख्या इतनी सशंकित हो गई है कि वे कह रहे हैं कि इम्फाल में नंदीग्राम को दोहराया जा सकता है। इस परिस्थिति में, चूड़ाचन्दपुर, बिशनपुर और इन सभी क्षेत्रों ने वैकल्पिक स्थानों का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन क्षेत्रों में संस्थान बनाने पर विचार करे, बिना जनजातीय जनसंख्या को स्थानांतरित किए, जो कि काफी तनाव को जन्म दे सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज अहीर जी। आप एक समय में केवल एक ही मुद्दा उठा सकते हैं। आपको केवल एक ही मुद्दा उठाने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में बड़े-बड़े उद्योग राज्य सरकार की विशेष विनती पर स्थापित होते हैं। कालांतार में, राज्य सरकार की सुविधाएं प्राप्त कर या करने हेतु जो सहूलियतें मिलती हैं, उन्हें लेकर उद्योग बंद करने की जो प्रथा बनती जा रही है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कई राज्य ऐसे हैं जो अपने यहां उद्योग लाने के लिए करों में रियायत देकर उद्योगों की स्थापना करने की विनती करते हैं और उद्योग वहां स्थापित होते भी हैं, लेकिन कर सहूलियत की कालावधि समाप्त होने के बाद उद्योग बंद करने की जो प्रथा बन गई है, इस वजह से उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बेवक्त रिटायर होने या बेरोजगार होने की समस्या सामने आ रही है। मेरे क्षेत्र वरोड़ा में एक वोल्टास कम्पनी का रेफ्रीजरेटर्स का कारखाना था, जिसे उन्होंने मल्टीनेशनल कम्पनी इलैक्ट्रोलक्स को बेच दिया। उसे बेचने से पहले, वहां करीब 1500 मजदूर काम करते थे, उसमें से उन्होंने 700 लोगों को वीआरएस दे दिया-वहां मजदूर कम कर दिए गए, एम्प्लायमेंट कम कर दिया। अब इलेक्ट्रोलक्स कम्पनी ने भी उसे वीडियोकान कम्पनी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट मैटर है।

श्री हंसराज गं. अहीर: सर, स्टेट मैटर नहीं है, मल्टीनेशनल कम्पनियों के जो कारनामें चल रहे हैं, उनके बारे में मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप डिमांड क्या कर रहे हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें मदद कर रही है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करता हूं कि इलैक्ट्रोलक्स कम्पनी, जो विडियोकान को बेची गई है, विडियोकान कम्पनी ने वहां पूरा संयंत्र बंद कर दिया है और इस वजह से करीब 700 लोगों की असमय बेरोजगारी की नौबत आई है। ये लोग बेरोजगारी हो गए हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि यह जो पद्धति चल पड़ी है कि किसी स्टेट में कुछ रियायतें प्राप्त करके, वे अपनी इंडस्ट्री वहां से उठाकर उत्तरांचल के काशीपुर में ले जा रहे हैं, ताकि वहां की सरकार से रियायतें ले सकें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि राज्यों में उद्योग लगाने के लिए जिस तरह की प्रथा बनती जा रही है, इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और गरीब लोगों को बेरोजगार होने से बचाए।

श्री आर. प्रभु (नीलगिरी): मैं सरकार का ध्यान, विशेषकर वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री का ध्यान चाय की खेती करने वाले छोटे किसानों की बदतर हालत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस देश में, लगभग 2 लाख छोटे चाय किसान हैं जिनके पास एक हेक्टेयर अथवा 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि है तथा उनके पास छोटे चाय बागान हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे 65 हजार लोग हैं और बाकी दार्जिलिंग तथा असम में है। यह चाय क्षेत्र का वास्तव में लघु उद्योग है। उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वे कई वर्षों से पीड़ित हैं। पिछले तीन वर्षों से, हम वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से आग्रह कर रहे हैं कि हरी चाय की पत्ती का प्रति किलो सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपये होना चाहिए और आज भी उन्हें हरी पत्ती के प्रति किलो के लिए साढ़े पांच या छह रुपये मिल रहे हैं। अब वे पीड़ित हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं। वे बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। उनके पास चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चूंकि उनके पास चाय नियंत्रण आदेश, 1953 के तहत शक्तियां हैं कि वे चाय का अधिकतम और न्यूनतम कीमत तय कर सकते हैं, वे चाय तथा चाय पत्ती, जो वे बेचते हैं, के लिए न्यूनतम कीमत तय करें।

आप जानते हैं महोदय, इस सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो भविष्य में अच्छा परिणाम देगा को पारित किया है। हमारे देश में परंपरागत उद्योग, वृक्षारोपण, चीनी तथा सभी कृषि-आधारित उद्योग हैं। इन उद्योगों को नष्ट करके, हम रोजगार कम कर रहे हैं। एक तरफ, हम रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी ओर हम उसे घटा रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इसे देखे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री कमल नाथ ने एक यूपीएएसआई समारोह में पिछले सितंबर में छोटे चाय किसानों को आश्वासन दिया था कि वह उनके लिए एक सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेंगे।

श्री टेक लाल महतो (गिरीडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि साउथ दिल्ली के वसंत कुंज, कोटला, पश्चिम दिल्ली के करमपुरा, जनकपुरी, विकासपुरी एवं पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में झारखंड राज्य के समाज के कमजोर वर्ग के आदिवासी हरिजन, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग अपने जीविकोपार्जन हेतु वर्षों से दिल्ली में रहते आए हैं, किन्तु खेद है कि उनके पास अभी तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण वे सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों से वंचित हो रहे हैं।

[श्री टेक लाल महतो]

अत:, जनहित में मेरी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में रह रहे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरोठा के कौंच नगर में एक पोस्ट आफिस है। वह डाकघर लगभग अंग्रेजों के जमाने का है। वह इतना पुराना हो गया है कि अब वह जर-जर अवस्था में आ गया है। उसकी छतो से पानी चूता है। डाकघर के कर्मचारी उसमें बैठकर काम करते हैं, तो लगता है कि कभी भी छत गिरने से कोई दुर्घटना हो सकती है। यदि छत गिर जाएगी, तो निश्चित रूप से वहां बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि उस पुराने पोस्ट आफिस का नया भवन बनाया जाए, जिससे दुर्घटना न हो और हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पहले से कर सकें। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।

श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे लोक सभा क्षेत्र में कटनी से गुमला, राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 78 बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कटनी से शहडोल, अनुपपुर, कोतमा, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुरव, अंबिकापुर, सीतापुर और पत्थर गांव कुनकुरी होते हुए जसपुर से आगे गुमला तक इसका विस्तार है। इस मार्ग की लम्बाई 600 किलोमीटर है। यह मार्ग तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ता है। यह मार्ग तीन राज्यों के सात जिलों-कटनी, शहडोल, अनुपपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और गुमला को जोड़ता है। यह मार्ग लगभग 2 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है। इन 2 करोड़ लोगों में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। बहुत दुखद बात है कि इस मार्ग की हालत इतनी खराब और दयनीय है कि जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। उस पर यदि आप चलें, तो यह तय करना बहुत कठिन हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। मैं भूतल परिवहन मंत्री और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सघन जनजातीय क्षेत्र में आने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग को तत्काल बजट में लेकर, उसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर के इस सड़क को आवागमन के योग्य बनाया जाए। इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए और तत्काल इसकी मरम्मत तथा सुधार का काम शुरू किया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल सामवेत होने के लिए स्थगित हुई।

रात्रि 20.53 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 6 दिसंबर, 2007 अग्रहायण 15, 1929 (शक) को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सनत कुमार मंडल	281
2.	डा. सत्यनारायण जटिया	282
3.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी डा. एम. जगन्नाथ	283
4.	श्री पी.सी. थामस	284
5.	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	285
6.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	286
7.	श्री संतोष गंगवार प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	287
8.	श्री सुभाष महरिया श्री अनन्त नायक	288
9.	श्री महावीर भगोरा श्री किसनभाई वी. पटेल	289
10.	श्री के.एस. राव	290
11.	श्री एन. जनार्दन रेड्डी	291
12.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	292
13.	श्री टेक लाल महतो	293
14.	श्री रामदास आठवले	294
15.	श्री सुग्रीव सिंह श्री हंसराज गं. अहीर	295
16.	श्री रामजीलाल सुमन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	296
17.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	297
18.	श्री देवव्रत सिंह	298
19.	श्री पी.एस. गढ़वी	299
20.	श्री एन.एन. कृष्णदास	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2705, 2714, 2733, 2791, 2802
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2731, 2833
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2749, 2804, 2831, 2844
4.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2680, 2783
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	2852, 2862
6.	आठवले, श्री रामदास	2765, 2815, 2836, 2881
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2714, 2733, 2791, 2818
8.	भगोरा, श्री महावीर	2754, 2812, 2834
9.	भक्त, श्री मनोरंजन	2698, 2878
10.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2671, 2747, 2806
11.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2737, 2797
12.	बुधौलिया, श्री राजनारायन	2688, 2728, 2810, 2817
13.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2727, 2787
14.	चारेनामै, श्री मणि	2744
15.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2833
16.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2694
17.	चौधरी, श्री पंकज	2717, 2779
18.	चौधरी, श्री अधीर	2719, 2781, 2818, 2876, 2883
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	2697, 2742, 2854, 2858

1	2	3
20.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2778, 2815, 2871, 2879
21.	धनराजू, डा. के.	2754
22.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	2848
23.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2700, 2764, 2872
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2745, 2803, 2814
25.	गंगवार, श्री संतोष	2725, 2861
26.	गाव, श्री तापिर	2726, 2786, 2823, 2838
27.	हुसैन, श्री अनवर	2738, 2798, 2878
28.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	2703, 2718, 2793
29.	जगन्नाथ, डा. एम.	2761, 2822
30.	झा, श्री रघुनाथ	2854
31.	जिन्दल, श्री नवीन	2683, 2781, 2792
32.	जोशी, श्री प्रहलाद	2712, 2762
33.	खां, श्री सुनील	2681
34.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2679, 2755
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2674, 2750, 2805, 2830, 2843
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2673, 2741, 2856, 2874
37.	कृष्ण, श्री विजय	2699, 2771
38.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2859
39.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	2690
40.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	2768

1	2	3
41.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	2811
42.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2693, 2857
43.	महरिया, श्री सुभाष	2753, 2811
44.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2734, 2868
45.	महतो, श्री टेक लाल	2864
46.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2725
47.	माने, श्रीमती निवेदिता	2745, 2803, 2814
48.	मनोज, डा. के.एस.	2741, 2761, 2799, 2828, 2880
49.	मसूद, श्री रशीद	2701
50.	मिडियम, डा. बाबू राव	2850
51.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2855
52.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2713, 2777, 2873
53.	मैन्या, डा. टोकचोम	2730, 2867
54.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2676, 2785
55.	मंडल, श्री अबु अयीश	2853
56.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2732, 2789, 2870
57.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2711, 2859
58.	नायक, श्री अनन्त	2701, 2758
59.	निखिल कुमार, श्री	2818, 2851, 2883
60.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2705, 2780, 2816, 2837, 2882
61.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2686, 2728, 2759
62.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2717, 2751

1	2	3
63.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2692, 2762, 2816, 2831, 2869
64.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2696
65.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2723, 2866
66.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2748, 2829, 2842, 2847
67.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2702
68.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2691
69.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2670, 2717
70.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2731, 2836, 2865
71.	राजगोपाल, श्री एल.	2672, 2794, 2825
72.	रामदास, प्रो. एम.	2682, 2718
73.	राणा, श्री काशीराम	2728, 2819
74.	राव, श्री के.एस.	2773, 2813
75.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2707, 2770, 2810, 2862
76.	राठौड, श्री हरिभाऊ	2742, 2800
77.	रावले, श्री मोहन	2721, 2742
78.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2729
79.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2675, 2757, 2807, 2822 2845
80.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2712, 2860
81.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2763
82.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2716
83.	रिजीजू, श्री कीरेन	2670, 2685, 2717, 2751
84.	संगलिअना, डा. एच.टी.	2739
85.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2706, 2796, 2827, 2840, 2846
86.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2689, 2760, 2808, 2832, 2884
87.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2708, 2795, 2826, 2839
88.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2684
89.	शर्मा, डा. अरविन्द	2727, 2787
90.	शर्मा, श्री मदन लाल	2682, 2767, 2824
91.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2705, 2714, 2733, 2791, 2802
92.	शिवन्ना, श्री एम.	2709, 2776
93.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2718
94.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2756, 2770, 2814, 2835
95.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2716, 2819, 2865
96.	सिंह, श्री लक्ष्मण	2746
97.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2710, 2774
98.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2743, 2801
99.	सिंह, श्री गणेश	2704, 2817
100.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2814
101.	सिंह, श्री मोहन	2715
102.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2849
103.	सिंह, श्री राकेश	2695, 2788
104.	सिंह, श्री रेवती रमन	2720, 2762

1	2	3
105.	सिंह, श्री सुग्रीव	2769, 2775, 2829, 2842, 2875
106.	सिंह, श्री उदय	2719
107.	सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल	2677
108.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2735
109.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2736
110.	सुमन, श्री रामजीलाल	2768
111.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2678, 2752
112.	थामस, श्री पी.सी.	2766, 2810, 2877
113.	तुम्मर, श्री वी.के.	2723, 2728, 2866
114.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2717, 2751
115.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2702, 2772, 2809, 2841
116.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2724, 2762, 2775, 2784, 2821
117.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2740, 2859, 2863
118.	श्री वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2705, 2714, 2733, 2791, 2802
119.	वीरुपाक्षप्पा, श्री के.	2700
120.	यादव, श्री बालेश्वर	2687, 2790
121.	यादव, श्री गिरिधारी	2836, 2866
122.	यादव, श्री राम कृपाल	2855
123.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2719, 2722, 2782, 2820, 2878

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	283, 297
कोयला	:	293, 296
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	286, 287, 298, 299, 300
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	285, 288, 290, 291, 294
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	284
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	281, 289
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	282, 292, 295
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2685, 2758, 2772, 2803, 2805, 2817, 2845, 2868
कोयला	:	2670, 2681, 2690, 2710, 2732, 2749, 2767, 2784, 2789, 2829, 2864, 2865, 2866
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2760, 2832, 2838
पर्यावरण और वन	:	2677, 2692, 2693, 2697, 2704, 2709, 2719, 2733, 2736, 2737, 2743, 2744, 2746, 2751, 2756, 2766, 2773, 2782, 2785, 2795, 2797, 2801, 2804, 2809, 2831, 2837, 2841, 2843, 2844, 2850, 2854, 2869, 2873, 2881, 2882, 2883, 2884
विदेश	:	2687, 2713, 2717, 2725, 2726, 2740, 2755, 2769, 2777, 2779, 2810, 2815, 2826, 2834, 2878

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2672, 2674, 2683, 2691, 2694, 2695, 2699, 2700, 2706, 2707, 2718, 2720, 2722, 2727, 2729, 2730, 2731, 2734, 2747, 2753, 2754, 2757, 2763, 2765, 2771, 2773, 2774, 2778, 2780, 2787, 2790, 2792, 2793, 2794, 2996, 2799, 2806, 2808, 2813, 2814, 2816, 2818, 2820, 2824, 2825, 2827, 2828, 2835, 2851, 2853, 2858, 2860, 2861, 2863, 2870, 2871, 2872, 2874, 2876
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2671, 2684, 2712, 2725, 2741, 2759, 2859, 2879
पंचायती राज	:	2680, 2823
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2701, 2716, 2739, 2776, 2833, 2836, 2840, 2848, 2849, 2852, 2855, 2857, 2877
योजना	:	2679, 2703, 2708, 2711, 2714, 2721, 2738, 2761, 2770, 2783, 2791, 2798, 2812, 2839, 2842, 2846, 2875
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2682, 2673, 2688, 2689, 2696, 2698, 2705, 2723, 2728, 2735, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752, 2764, 2781, 2786, 2811, 2821, 2822, 2830, 2847, 2856, 2862, 2880
अंतरिक्ष	:	2686, 2702, 2788, 2867
सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2724, 2768, 2802
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2675, 2676, 2678, 2762, 2775, 2800, 2807.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और श्री इण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।